नई ऊँचाई छूने का अभियान

POISED FOR HIGHER GROWTH

वार्षिक रिपोर्ट – 2013–14

Annual Report - 2013-14

Bank of India

Relationship beyond banking

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

निदेशकगण / DIRECTORS

बायें से दाये – श्री प्रमोद भसीन, श्री ए. एम. परेरा, श्री उमेश कुमार खेतान, श्री अरुण श्रीवास्तव (ईडी), श्री नीरज भाटिया, श्री एस. एस. बारिक, श्री अनूप वधावन, श्रीमती वी. आर. अय्यर (सीएमडी), श्री के. के. नायर, श्री बि. पी. शर्मा (ईडी), श्री आर. कोटीश्वरन (ईडी), श्री आर. एल. बिश्नोई, श्री पी. एम. सिराजुद्दीन

From Left to Right - Shri Pramod Bhasin, Shri A. M. Pereira, Shri Umesh Kumar Khaitan, Shri Arun Shrivastava (ED), Shri Neeraj Bhatia, Shri S. S. Barik, Shri Anup Wadhawan, Smt. V. R. Iyer (CMD), Shri K. K. Nair, Shri B. P. Sharma (ED), Shri R. Koteeswaran (ED), Shri R. L. Bishnoi, Shri P. M. Sirajuddin.

श्रीमती वी. आर. अय्यर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को पूर्व माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम – मोस्ट इनोवेटिव मास रिटेल लेंडर फॉर अंडर सर्वड सेग्मेन्ट के लिए आईबीए पुरस्कार देते हुए.

Smt. V. R. Iyer, Chairperson & Managing Director being awarded by erstwhile Hon'ble Finance Minister, Mr. P. Chidambaram - IBA award for most innovative mass retail lender for under served segment.

विषयसुची

अवलोकन Overview

1 निदेशकगण
2 लेखा परीक्षक, महाप्रबंधक, महत्वपूर्ण सूचनाएँ
3 10 वर्ष की उपलब्धियों पर नजर
4 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संबोधन

सांविधिक रिपोर्ट Statutory Reports

8 निदेशक रिपोर्ट
12 प्रबंध चर्चा और विश्लेषण
53 कोर्पोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट
61 कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट
70 कोर्पोरेट शासन रिपोर्ट
87 सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण
87 मुख्य कार्यपालक अधिकारी की घोषणा
178 बासेल – III (स्तंभ 3) – प्रकटन
235 आम बैठक की सूचना

वित्तीय विवरण Financial Statements

90 तुलनपत्र
91 लाभ एवं हानि खाता
92 नकदी प्रवाह विवरण
101 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
110 लेखे पर टिप्पणियां
137 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
141 समेकित वित्तीय विवरण

Contents

1 Directors
2 Auditors, General Managers, Important Information
3 10 Year Progress at a Glance
4 Chairperson & Managing Director's Statement

10 Directors Report
33 Management Discussion & Analysis
57 Corporate Social Responsibility
61 Business Responsibility Report
70 Corporate Governance Report
87 CEO/CFO Certificate
87 Declaration by CEO
207 Basel - III (Pillar 3) - Disclosures
235 Notice of Annual General Meeting

90 Balance Sheet
91 Profit & Loss Account
92 Cash Flow Statement
101 Significant Accounting Policies
110 Notes Forming Part of Accounts
137 Independent Auditor's Report
141 Consolidated Financial Statements

निदेशकगण Directors

श्रीमती वी. आर. अय्यर Mrs. V.R. Iyer
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairperson and Managing Director

बि. पी. शर्मा **B.P. Sharma** कार्यपालक निदेशक Executive Director	अरुण श्रीवास्तव **Arun Shrivastava** कार्यपालक निदेशक Executive Director	आर. कोटीश्वरन **R. Koteeswaran** कार्यपालक निदेशक Executive Director
अनूप वधावन **Anup Wadhawan**	एस. एस. बारिक **S. S. Barik**	नीरज भाटिया **Neeraj Bhatia**
के. के. नायर **K. K. Nair**	आर. एल. बिश्नोई **R. L. Bishnoi**	पी. एम. सिराजुद्दीन **P. M. Sirajuddin**
प्रमोद भसीन **Pramod Bhasin**	उमेश कुमार खेतान **Umesh Kumar Khaitan**	ए. एम. परेरा **A. M. Pereira**

सांविधिक लेखा परीक्षक Statutory Auditors

मेसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स	M/s. SRB & Associates
मेसर्स इसाक एंड सुरेश	M/s. Isaac & Suresh
मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं.	M/s. M. M. Nissim and Co.
मेसर्स डी. सिंह एंड कं.	M/s. D. Singh & Co.
मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय	M/s. J. P. Kapur & Uberai
मेसर्स एंड्रोस. एंड कं.	M/s. Andros & Co.

महाप्रबंधक General Managers

सुभाष चन्द्र अरोड़ा	Subhash Chandra Arora	पवन कुमार बजाज	Pawan Kumar Bajaj
आर. ए. शंकर नारायणन	R A Sankara Narayanan	राज कमल वर्मा	Raj Kamal Verma
राजीव सक्सेना	Rajive Saxena	देवाशीष सुधीरचन्द्र चक्रवर्ती	Debashish S. Chakraborty
नरसिंहन स्वामीनाथन	Narasimhan Swaminathan	प्रमोद कुमार पट्टनायक	Pramoda Kumar Pattanaik
चरण सिंह	Charan Singh	अनिल भिकाजीराव राणे	Anil Bhikajirao Rane
अरिहंत कुमार जैन	Arihant Kumar Jain	राधा नाथ कर	Radha Nath Kar
रमेश चन्द्र बलिआरसिंह	Ramesh C. Baliarsingh	गजानन बालकृष्ण काकडे	Gajanan B. Kakade
विकास पांडे	Vikas Pande	अनिल कुमार भल्ला	Anil Kumar Bhalla
वसन्त गोपाल कामथ	Vasant Gopal Kamath	गोपाल मुरली भगत	Gopal Murli Bhagat
दीन बंधु महापात्र	Dina Bandhu Mohapatra	शशिकांत वृजवल्लभदास शाह	Shashikant V. Shah
तरलोचन सिंह	Tarlochan Singh	अजित शिरीष कोरडे	Ajit Shirish Korde
भालचन्द्र वासुदेव उपाध्ये	Bhalchandra V. Upadhye	कृष्णकुमार कुमारन नायर	Krishnakumar K. Nair
एम. वी. वेंकटेश्वरन	M V Venketeswaran	सुगली वेंकटेश्वरलु	Sugali Venkateswarlu
नरेश कुमार सूद	Naresh Kumar Sood	संजय पवार	Sanjay Pawar
नगीन शंकरलाल सूरती	Nagin Shankarlal Surti	शंकरदास गुप्ता	Shankardas Gupta
मंडगेरे रामचन्द्र मूर्ति	M. Ramchandra Murthy	जैन भूषण	Jain Bhushan
कुलदीप कुमार अरोड़ा	Kuldeep Kumar Arora		

महत्वपूर्ण सूचनाएँ Important Information

अंतरिम लाभांश अदा किया	₹ 5/- प्रति शेयर (50%)	Interim Divided paid	₹ 5/- per Share (50%)
ई वोटिंग तिथि	4 जुलाई, 2014 प्रातः 10 बजे से 6 जुलाई, 2014 सायं 5 बजे तक	E-Voting dates	4th July, 2014 10 am to 6th July, 2014 till 5 pm
लेखा बंदी	5 जुलाई, 2014 से 10 जुलाई, 2014	Book Closure	5th July, 2014 to 10th July, 2014
वार्षिक आम बैठक की तिथि एवं समय	गुरुवार 10 जुलाई, 2014 दोपहर 3 बजे	Date & Time of Annual General Meeting	Thursday, 10th July, 2014, at 3 pm
वार्षिक आम बैठक का स्थान	बैंक ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.	AGM Venue	Bank of India Auditorium, Star House, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

10 वर्ष की उपलब्धियों पर नजर

10 Year Progress at a Glance

मिश्रित कारोबार (₹ करोड़ में)
BUSINESS MIX (₹ In Crore)

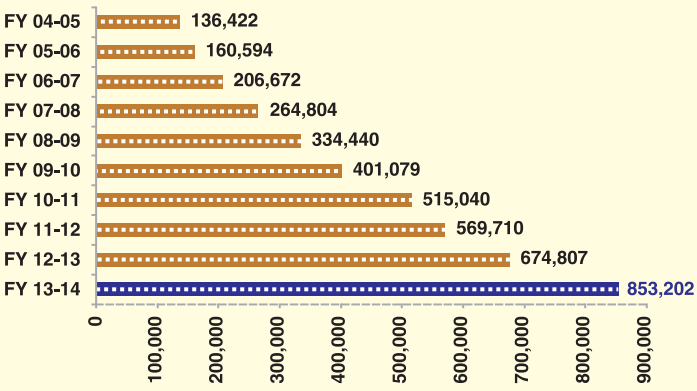

निवल मालियत (₹ करोड़ में)
NET WORTH (₹ In Crore)

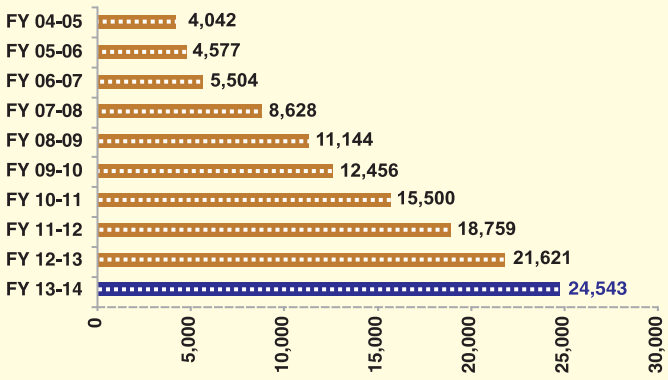

परिचालन लाभ (₹ करोड़ में)
OPERATING PROFIT (₹ In Crore)

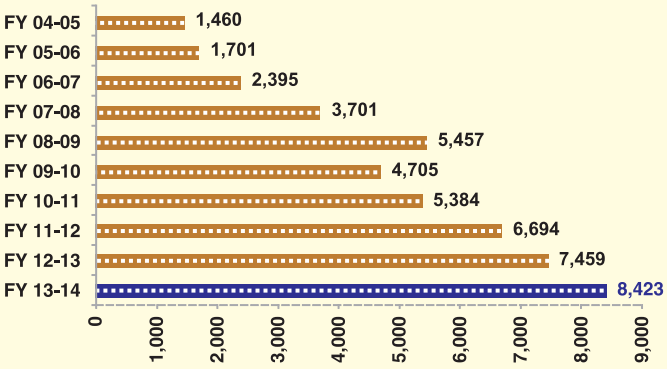

निवल लाभ (₹ करोड़ में)
NET PROFIT (₹ In Crore)

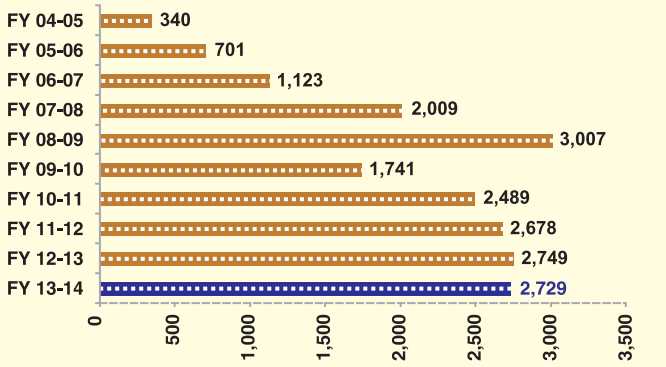

बही मूल्य प्रति शेयर (₹ में)
BOOK VALUE PER SHARE (In ₹)

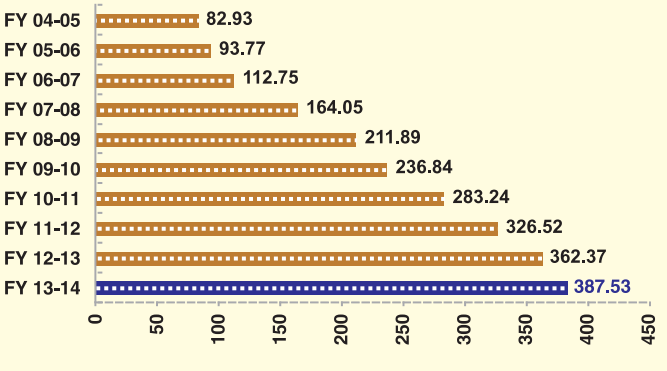

बाज़ार पूँजीकरण (₹ करोड़ में)
MARKET CAPITALISATION (₹ In Crore)

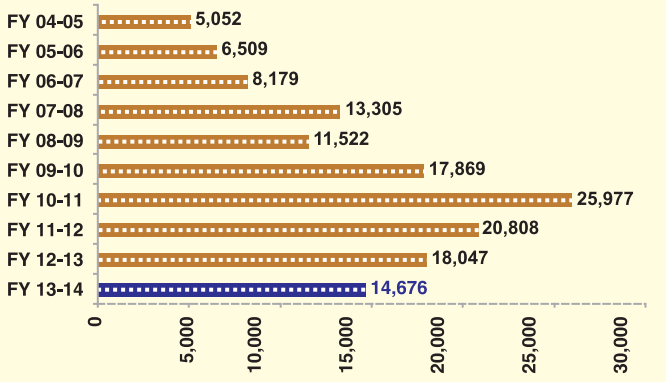

अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक का सम्बोधन

Chairperson & Managing Director's statement

प्रिय शेयरधारकों,

अभिवादन,

आपके बैंक के वित्तीय परिणाम घोषित होने पर एक बार पुन: मुझे आपको सम्बोधित करते हुए खुशी हो रही है। 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए इस महान संस्था की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना मेरा सौभाग्य है। आप अवगत हैं कि अर्थव्यवस्था की गति धीमी है तथा वर्तमान में बैंकिंग उद्योग अधिक चुनौतियों से गुजर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग सख्त नियामक तथा विवेकसम्मत दायित्वों के अध्यधीन है। कठोर वैश्विक परिवेश से संयोजित, बैंक को संयमित, संतुलित तथा सधे हुए कार्यनिष्पादन करना है। इसके बावजूद निर्णायक जनादेश के संग नई सरकार उम्मीद की एक सशक्त किरण है।

वर्ष 2013-14 में मुख्य अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक वृद्धि की स्थिति खराब थी तथा विकसित और विकासशील दोनों में अर्थव्यवस्था बेहद कमज़ोर रही। अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि (आईएमएफ) के अनुसार औसत वृद्धि दर लगभग 2.40 प्रतिशत रही। वर्ष 2014 में इसे लगभग 3.4 से 3.60 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वैश्विक वृद्धि अभी भी धीमी गति में है तथा आईएमएफ के अनुसार वृद्धि गति में परिवर्तन हो रहा है। उभरती आर्थिक व्यवस्था द्वारा वृद्धि में अधिक उछाल की संभावना का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि, हाल ही में उभरते कई बाजार में बुनियादी ढांचागत मार्गावरोध तथा निवेश की धीमी गति से मंदी है।

वैश्विक परिदृश्य में, वर्ष 2013-14 में यूएस की अर्थव्यवस्था में पिछली धीमी वृद्धि गति में क्रमश: सुधार दिखलाई दिया। प्रमुख संकेतकों जैसे श्रम बाजार की स्थिति में विकास रहा जहां पिछले 7.5% की तुलना में बेरोजगारी दर में गिरावट आई तथा आंकड़ा 7% रहा। विकसित स्थितियों के अन्तर्गत यूएस फेडरेशन ने मात्रात्मक सुगमता (क्यूई) को प्रतिमाह 10 बिलियन की दर से कम करने का निर्णय लिया तथा क्यूई अब 45 बिलियन है। प्रत्युत्तर में, यूएस कोषागार ने 2.65% गिरावट से पहले 2.70% की वृद्धि दर्शाई। जबकि यूरोप संघ में स्थिति इतनी प्रभावशाली नहीं है।

जापान में, राजकोषीय प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहूलियत नई नीति पैकेज में उन्मुक्त हुई एबनॉमिक्स ने गतिविधि में सकारात्मक प्रतिक्रिया की आशा का संचार किया। किन्तु राजकोषीय प्रोत्साहन के अपेक्षित आरम्भ से तथा पुनर्निमाण लागत तथा उपभोक्ता कर वृद्धि से धीमी वृद्धि दर अपेक्षित है। 2% मुद्रास्फिति का वसूली लक्ष्य अब तक प्राप्त नहीं किया गया है। चीन में, 2013 में 7.5 प्रतिशत की तुलना में 2014 में 7.3 प्रतिशत की आंशिक गिरावट की वृद्धि अनुमानित की गई है।

Dear Shareholders,

Greetings to you all

I am glad to talk to you once again with the financial results of your Bank having been declared. It is my privilege to present the Annual Report for the year ended March 31, 2014 of this great institution. As you are aware the economy is going through a phase of economic slowdown and the banking industry today, is faced with more challenges than ever before. On the domestic front, the industry is subject to stringent regulatory and prudential obligations. Coupled with a tough global environment, the Banks have to perform a tight rope act. However, the new government with a decisive mandate, is a huge ray of hope.

The global economic growth situation was grim during the major period in 2013-14 and there were extreme weaknesses both in the developed and emerging economies. The average growth rate was just about 2.40 per cent as per the International Monetary Fund (IMF). It is estimated to be around 3.4 to 3.60 per cent in 2014. The global growth is still in low gear and the drivers of growth are shifting, according to the IMF. Much of the pickup in growth is expected to be driven by emerging economies. However, structural bottlenecks in infrastructure and investment slowdown have led to slowdown in many emerging markets recently.

While dwelling on global scenario, the US economy in 2013-14 was seen gradually recovering from its previous slow growth phase. There were improvements in key indicators like labour market conditions where unemployment rate declined below 7% from previous high of 7.5%. In response to improved conditions, the U.S Fed decided to taper its quantitative easing (QE) at the rate of $ 10 billion every month and the QE now stands at $ 45 billion. In response 10 year U.S Treasuries increased to 2.70% before declining to 2.65%. The situation in European Union, however, is not as bright.

In Japan, fiscal stimulus and monetary easing is unleashed under the new policy package - Abenomics - which has led to hopes of a rebound in activity. But the expected unwinding of fiscal stimulus and reconstruction spending together with consumption tax hikes is expected to lower growth. Realisation of 2% inflation target is not yet achieved. In China, growth is projected to decelerate slightly from 7.5 per cent in 2013 to 7.3 per cent in 2014.

यूरो क्षेत्र में, नीतिगत कार्रवाईयों ने प्रमुख जोखिम को कम कर दिया है तथा वित्तीय स्थिति को संयमित कर दिया है, यद्यपि परिरेखा अब भी ऋण मार्गावरोध है। यूरोपीय अर्थव्यवस्था एक नए मोड़ पर पहुंच गई है इसका प्रबल संकेत मिल रहा है। राजकोषीय समेकन तथा ढांचागत सुधार से यूरोप ने वसूली का आधार निर्मित किया है। क्रमश: यह क्षेत्र मंदी की दौर से निकल जाएगा तथा 2013 में 0.4 प्रतिशत से 2014 में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि अपेक्षित है। इसके बावजूद, बेरोजगारी अभी भी अधिक है तथा वर्ष 2015 तक लगभग 12.20 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था की बात है, केन्द्रीय सांख्यिकीय संस्था (सीएसओ) ने अनुमान लगाया है कि 2014-15 के लिए वृद्धि लगभग 4.90 प्रतिशत रहेगी जो 2013-14 में 1.4 प्रतिशत रही। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में बेहतर प्रदर्शन रहा जो 2013-14 में 4 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित किया गया है, विनिर्माण में सस्ती बनी रहेगी जिसे औद्योगिक उत्पाद सूची द्वारा दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2014 के लिए विनिर्माण वृद्धि - 0.8% दर्शाया गया है।

धीमी औद्योगिक वृद्धि, विनिर्माण उत्पादन संकुचन, कमजोर निवेश तथा निजी खपत में कमी के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्त रहेगी। एशियन डेवलेपमेंट बैंक (डीबी) की रिपोर्ट अनुसार दीर्घावधि में दर्शाया गया है कि लंबी अवधि के बाद तीव्र वृद्धि हेतु क्षमता उच्च है, बेहतर पूंजी प्रवाह तथा बुनियादी सुविधाओं द्वारा प्रदान आवश्यक सुधार आरम्भ हो चुका है जिससे वृद्धि दर को प्राप्त करने तथा बनाए रखने में सफलता मिलेगी। दूसरा सफल कदम चालू खाता घाटा (सीएडी) में पिछले वर्ष के 4.7 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की कमी आई है। यद्यपि, स्फितिकारक दबाव से ब्याज दर में कमी की संभावना नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए दृष्टिकोण

वैश्विक अर्थव्यवस्था, वर्ष 2013-14 के अधिकांश भाग में धीमी वृद्धि को दर्शाया जबकि वसूली झुकाव लगभग 2.40 प्रतिशत रहा जिसके 2014-15 में बढ़कर 3.40 प्रतिशत की संभावना है। निवेशों में वृद्धि और रूकी हुई परियोजनाओं की मंजूरी से घरेलू अर्थव्यवस्था में करीब 5.5 प्रतिशत के सुधार की अपेक्षा है बशर्ते कि सामान्य बारिश हो और कृषि में संतोषजनक वृद्धि हो। कारोबार संबंधित विचार में परिवर्तन और ₹ 7 लाख करोड़ मूल्य की रूकी हुई परियोजनाओं की त्वरित मंजूरी के द्वारा निवेश में कमी के कारण औद्योगिक गतिविधि की संभावनाएं अनिश्चित है।

मुद्रास्फीति चिन्ता का विषय है। खुदरा मुद्रास्फीति जो अप्रैल 2014 में बढ़कर 8.59 प्रतिशत हो गई है यदि नियंत्रित नहीं की गयी तो वृद्धि और खपत में रूकावट हो सकती है। खुदरा मुद्रास्फीति में कमी न आने तक आरबीआई द्वारा ब्याज दरों को कम करना संभव नहीं होगा। इस बीच संकेतक जैसे कार्पोरेट कार्यनिष्पादन, औद्योगिक संभावना और पीएमआई कीमत निर्धारण क्षमता की कमी की ओर इशारा कर रहा है। दूसरी ओर खाद्य मुद्रास्फीति ऊपरी दबाव का स्त्रोत बन सकती है, इसका कारण है आपूर्ति में निरंतर असंतुलन और सब्सिडी को हटाने के लिए डिज़ल के मूल्य में संभावित वृद्धि। साथ ही प्रशासित मूल्य संशोधनों का समय और मात्रा, विशेषकर बिजली और कोयला के लिए, भविष्य में 2014-15 की मुद्रास्फीति की वक्र रेखा पर प्रभाव डालेगी।

तथापि अब जब निर्णायक जनादेश वाली सरकार है, अर्थव्यवस्था में सुधार शुरू होना चाहिए और बैंकों के भी आस्ति गुणवत्ता में सुधार दिखना चाहिए। बैंकों में कुछ वर्षों बाद जब सुधार हेतु की गई पहलों के परिणाम आने लगेंगे तो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कमी आएगी।

बैंक का कार्यानिष्पादन

- आपके बैंक का परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 7,458 करोड़ था जो वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 8,423 करोड़ हो गया, इस प्रकार 12.94% की वृद्धि दर्ज हुई।
- बैंक का निवल लाभ वित्तीय वर्ष 2012-13 के ₹ 2749 करोड़ के बदले वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 2729 करोड़ रहा।
- बैंक का निवल ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 9,024 करोड़ थी जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 10,831 हो गई, इस प्रकार 20.02% की वृद्धि हुई।
- गैर-ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 3,766 करोड़ थी जो वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 4,292 करोड़ हो गई, इस प्रकार 13.97% की वृद्धि दर्ज की गई।

In the Euro area, policy actions have reduced major risks and stabilized financial conditions, although growth in the periphery is still constrained by credit bottlenecks. There are increasing signs that the European economy has reached a turning point. The fiscal consolidation and structural reforms undertaken in Europe have created the basis for recovery. The region is expected to gradually pull out of recession, with growth expected to touch 0.5 percent in 2014 from 0.4 per cent in 2013. However, unemployment is still high and is estimated to remain around 12.20 per cent until 2015.

As far as the Indian economy is concerned, the Central Statistical Organisation (CSO) has estimated that the growth for 2013-14 will be around 4.90 per cent as against 4.50 per cent in 2013-14. While gross domestic product (GDP) growth is expected to be driven by better farm output, which is projected to grow at 4 per cent in 2013-14 against 1.4 per cent in 2012-13, manufacturing is expected to remain sluggish as revealed by the Index of Industrial production numbers pegging manufacturing growth at -0.8% for FY 2014.

The Indian economy remains constrained by slow industrial growth, contracting manufacturing output, weak investment and a reduction in private consumption. An Asian Development Bank (ADB) report states that capacity for rapid growth over the long term is high, with a promising outlook for capital flows and infrastructure provided necessary reforms are initiated to achieve and sustain growth rates. Another success sphere is reduction of current account deficit (CAD) to 2 per cent from 4.7 per cent a year earlier. However, interest rates are not likely to ease much given the inflationary pressures.

Outlook for FY 2014-15

The global economy, which for most part of 2013-14 remained in the low growth trajectory, though with a recovery bias, at around 2.40 per cent, is likely to improve to 3.40 per cent in 2014-15. The domestic economy is expected to show improvement to around 5.5 per cent, with pick-up in investments and clearance of stalled projects subject to normal monsoon and decent agricultural growth. The outlook for industrial activity is contingent upon a change in business sentiment and a necessary push for investments through speedy clearance of stalled projects worth ₹ 7 lakh core.

Inflation is an area of concern. Retail Inflation which in April 2014 increased to 8.59 per cent could hamper growth and consumption if not controlled. It may not be possible for the RBI to ease interest rates unless retail inflation declines. Meanwhile, Indicators such as corporate performance, industrial outlook and PMIs point to declining pricing power. On the other hand, food inflation is likely to be a source of upside pressure because of persisting supply imbalances and a possible hike in diesel prices to eliminate subsidies. Also, the timing and magnitude of administered price revisions, particularly of electricity and coal, will impact the evolution of future inflation trajectory 2014-15.

However, now that a government with a decisive mandate is in place, economy should start improving and banks should see improvement on the asset quality front. Banks should see a significant decline on this front after a couple of years when the results of reform initiatives start trickling in.

Bank's performance

- Your Bank posted an Operating Profit growth of 12.94% during FY 2013-14 to ₹ 8,423 Crore from ₹ 7,458 Crore during FY 2012-13.
- Net profit of the bank was ₹ 2729 crore for FY 2013-14 as against ₹ 2749 crore for the FY 2012-13.
- Net Interest Income of the Bank for FY 2013-14 rose by 20.02% to ₹ 10,831 Crore during FY2013-14 from ₹ 9,024 Crore during FY 2012-13.
- Non-Interest Income during the year 2013-14 registered a growth of 13.97% to ₹ 4,292 crore from ₹ 3,766 crore during the year 2012-13.

- बैंक का प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) वित्तीय वर्ष 2012-13 के ₹ 47.79 से वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 44.74 हो गया।
- प्रति शेयर बही मूल्य यथा 31 मार्च, 2013 में ₹ 362.37 से सुधरकर यथा 31 मार्च, 2014 में ₹ 387.53 हो गया।
- आय अनुपात की लागत वित्तीय वर्ष 2012-13 में 41.69% थी जो वर्ष के दौरान बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में 44.30% हो गई है।
- आपके बैंक की निवल मालियत यथा 31 मार्च, 2013 में ₹ 21,621 करोड़ से बढ़कर यथा 31 मार्च, 2014 को ₹ 24,543 करोड़ हो गई। पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) यथा 31 मार्च, 2014 को बासेल II के अनुसार 10.76% और बासेल III के अनुसार 9.97% रही।
- बैंक का वैश्विक कारोबार मिश्र 31 मार्च, 2013 में ₹ 674807 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2014 में ₹ 853202 तक पहुँच गया, इस प्रकार 26.44% की वृद्धि दर्ज की।
- बैंक की कुल जमाराशि 31 मार्च, 2013 में ₹ 381839 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2014 को ₹ 476974 हो गई अर्थात् 24.91% बढ़ोतरी हुई और सकल अग्रिम 31 मार्च, 2014 को ₹ 292968 करोड़ से बढ़कर ₹ 376228 करोड़ हो गया अर्थात् 28.42% की बढ़ोतरी।
- कासा जमाराशि बढ़कर यथा 31 मार्च, 2014 को ₹ 105467 करोड़ हो गया और कासा अनुपात 29.97% था।
- बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों ने भी जमाराशियों में 29% और अग्रिमों में 26% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ बढ़िया कार्यनिष्पादन दर्ज किया है। रुपये के मूल्यह्रास के प्रभाव को बट्टे में डालने के बाद भी क्रमश: 17% और 14% की वृद्धि प्रभावशाली थी। वर्ष के दौरान बैंक ने लागत प्रभावशीलता और लाभ प्रदता के अनुरूप कारोबार बढ़ाने का अभिज्ञ निर्णय लिया है।
- आपके बैंक के निदेशक मंडल ने इस वर्ष के लिए ₹ 5/- प्रति शेयर (50%) के दर से अंतरिम एवं अंतिम लाभांश की घोषणा की है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान की गई पहलें

आपके बैंक ने कारोबारी ग्रोथ को तीव्र करने और ग्राहक सेवा को उत्कृष्ट बनाने के लिए अनेक पहलें की हैं। मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :-

- वर्ष 2013-14 के दौरान 1.20 करोड़ ग्राहकों को शामिल किया गया, इस प्रकार बैंक का कुल ग्राहक आधार 7.7 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2013-14 के दौरान 354 शाखाएं खोली गई, जिससे स्व देशी शाखाओं का नेटवर्क बढ़कर 4646 हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान 2092 नए एटीएम स्थापित किए गए जिससे यथा 31 मार्च, 2014 एटीएम की कुल संख्यार 4225 हो गई।
- आपके बैंक की 131 भविष्य की शाखाएं हैं जो समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर सहित उच्च निवल मालियत वाले एकल व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देते हुए बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान कर रही है।
- 24 रिटेल कारोबार केन्द्र (आरबीसी) हैं जिनकी सहायता से रिटेल ऋणों में तेजी से वृद्धि हुई है। अत: इस वर्ष के दौरान 36 और आरबीसी खोली जाएंगी जो हमारे रिटेल खण्ड को सेवाएं प्रदान करेंगी।
- संव्यवहार बैंकिंग पर विशेष ध्यान देते हुए मर्चेन्ट बैंकिंग सेवाएं शुरू की गई हैं।
- आपके बैंक ने कई नवोन्मेषी उत्पााद शुरू किए हैं जैसे -
  - संगिनी डेबिट कार्ड, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाया गया है।
  - आईएमटी इन्स्टेंट मनी ट्रांस्फर, बिना कार्ड के नकद-आहरण करें ऐसी पहल करनेवाला पहला पीएसयू बैंक
  - पहला डूअल-वॉलेट कार्ड (एनएसडीसी के साथ को ब्रैंडिड)
  - 19 ई-गैलरी खोले, जो 247 ग्राहक सेवा प्रदान करेंगे और इस वर्ष 200 और ई-गैलरी खोलेंगे।

- The Earning per Share (EPS) of the Bank for FY 2013-14 stood at ₹ 44.74 in FY 2013-14 against ₹ 47.79 in FY 2012-13.
- The Book value per share improved from ₹ 362.37 as on 31st March, 2013 to ₹ 387.53 as on 31st March 2014.
- The Cost to Income Ratio rose during the year from 41.69 % in FY 2012-13 to 44.30% for FY 2013-14.
- Your Bank's Net Worth increased to ₹ 24,543 crore as on 31stMarch, 2014 from ₹ 21,621 crore as on 31st March, 2013. Capital Adequacy Ratio (CRAR) stood at 10.76% as on 31stMarch, 2014 as per Basel II and at 9.97% as per Basel III
- Global Business-mix of the Bank reached a level of Rs 853202 crore as on 31st March 2014 from Rs 674807 crore as on 31st March 2013, registering a growth rate of 26.44%.
- The Banks' Total Deposits went up from Rs.381839 crore as on 31st March 2013 to ₹ 476974 crore as on 31st March 2014 i.e. by 24.91% and Gross Advances went up from ₹ 292968 crore to ₹ 376228 crore as on 31st March, 2014 i.e. by 28.42%.
- CASA deposits rose to ₹ 105467 crore as of 31st March 2014 and CASA ratio was 29.97%.
- The International Operations of the Bank showed robust performance with Y-o-Y growth of 29% in Deposits and 26% in Advances. Discounting the effect of depreciation of the rupee growth was still impressive at 17% and 14% respectively. During the year, the Bank took a conscious decision of expanding the business commensurate with cost effectiveness and profitability.
- Board of Directors of your Bank had declared an Interim and final Dividend at the rate of ₹ 5/- per share (50%) for the year.

Initiatives during FY 2013-2014

Your Bank undertook several initiatives to foster business growth and customer services. The major highlights are:

- 1.20 crore New Customers were added during the year 2013-14, taking the total Customer base to 7.7 crore.
- 354 branches were opened during the year 2013-14, taking Domestic branch network to 4646. During the year 2013-14, 2092 new ATMs were installed taking the total number of ATMs to 4225 as on March 31, 2014.
- Your Bank has 131 "Branches of Future" providing superior customer service with special attention to High Net-worth Individuals with dedicated relationship managers. 175 more such "Branches of Future" will be opened.
- 24 Retail Business Centres (RBCs) have helped grow much faster in Retail credit, hence 36 more RBCs will be opened in this year to cater our services to the Retail Segment.
- The Merchant Banking services have been introduced with focus on Transaction Banking
- Your Bank has introduced many innovative products such as
  - Sangini Debit card, exclusively designed for Women
  - IMT-Instant Money Transfer, withdraw cash without card – 1st PSU bank's initiative
  - 1st dual-wallet card (co-branded with NSDC)
  - Opened 19 e-Galleries, which will provide 24x7 customer service and will open 200 e-Galleries more this year.

- 1000 से अधिक पासबुक प्रिंटिंग किऑस्क और 250 नोट एक्सेप्टर्स (कैश डिपॉजिट किऑस्क) उपलब्ध कराए गए हैं। इस वर्ष हम 2000 पास बुक प्रिंटिंग किऑस्क और 850 नोट एक्सेप्टर्स लगाएंगे।
- एटीएम हेतु 'आधार' आधारित बायोमैट्रिक ऑथेन्टिकेशन शुरू किया गया।

वित्तीय समावेशन पहलों के प्रति प्रतिबद्धता और उनके कार्यान्वयन में आपका बैंक हमेशा की तरह अग्रणी है। बैंक ने यथा 31.03.2014 को 2000 से अधिक आबादी वाले 4404 आबंटित गांवों में 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है।

आपके बैंक ने 107.28 लाख खाते खोले और 6072 कारोबार संपर्कियों को विनियोजित किया है। पर्याप्त जोखिम प्रशासकों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं वाली बेहतरीन परिचालन प्रणालियां बनाई गई है और अमल में लाई जा रही हैं।

बैंक ने इस वर्ष के दौरान यैन्गोन, म्यानमार में एक प्रतिनिधि कार्यालय और बोत्स्वाना में एक अनुषंगी खोली है। वर्ष के दौरान न्यूजीलैंड में हमारी अनुषंगी ने अपनी दूसरी शाखा खोली जिसके फलस्वरूप हमारी वैश्विक उपस्थिति बढ़ी है।

मैं, बोर्ड के उन सभी निदेशकों जैसे श्री एन. शेषाद्रि, श्री एम.एस.राघवन, श्री उमेश कुमार, श्री पी.आर.रविमोहन और श्री हरविंदर सिंह द्वारा दिए गए मूल्यवान योगदान को भी कलमबंद करना चाहूंगी जो इस वर्ष के दौरान पद से निवृत्त हो गए हैं। बैंक को भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और बोर्ड से उत्तम सहयोग और बहुमूल्य मार्गदर्शन मिलता रहा है जिसके लिए बैंक उनके प्रति आभारी है। मैं अपने कारोबारी सहयोगियों, ग्राहकों और शेयरधारकों के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने हम पर अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया है। मैं अपने प्रतिबद्ध स्टाफ सदस्यों की भी प्रशंसा करती हूं जिनके अथक प्रयासों के बिना इन उपलब्धियों को हासिल करना मुमकिन नहीं था। मैं बैंक की ओर से और साथ ही अपनी ओर से भी सभी शेयरधारकों को धन्यवाद देती हूं और यह प्रत्याशा रखती हूं कि उनका सतत संरक्षण, मार्गदर्शन और सहयोग हमें मिलता रहेगा।

सादर,

(श्रीमती वी. आर. अय्यर)

दिनांक: 30 मई, 2014

- 1000+ Passbook printing Kiosks and 250 Note acceptors (cash deposit kiosks) are provided. We shall add 2000 pass book printing kiosks and 850 note acceptors this year.
- Aadhar based bio-metric authentication for ATMs introduced.

Your Bank remains one of the front runners in the commitment and implementation of Financial Inclusion Initiatives. The Bank has achieved 100% Financial Inclusion in all 4404 allotted villages with population above 2000 as on 31.03.2014. It opened 107.28 lakh accounts and engaged 6072 Business Correspondents. Robust operational systems with adequate risk mitigants and best practices have been built up and are being pursued.

Bank opened one representative office in Yangon, Myanmar and one subsidiary in Bostwana during the year. Our Bank's subsidiary in Newzealand opened its second branch during the year thus increasing our global presence.

I wish to place on record the valuable contributions made by the directors of the Board who demitted office during the year viz. Mr. N. Seshadri, Mr. M S Raghavan, Mr.Umesh Kumar, Mr. P.R. Ravimohan and Mr.Harvinder Singh. The Bank thanks the Government of India, the Reserve Bank of India and the Board from whom it has been receiving excellent support and valuable guidance. I thank our Business Associates, customers and shareholders without whose faith and trust, the Bank would not have reached where it has, today. These accomplishments would not have been possible but for the tireless efforts of our committed staff members. On behalf of the Bank and on my personal behalf, I would like to thank all the stakeholders and look forward to their continued patronage, guidance and support.

With warm regards,

(Mrs. V.R.Iyer)

Date: May 30, 2014

निदेशक रिपोर्ट

कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें – वित्तीय मानदण्ड (वित्तीय वर्ष 2013 – 14)

- कुल कारोबार (जमा+ अग्रिम) 26.44% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर ₹ 853,202 पर जा पहुँची।
- परिचालन लाभ और निवल लाभ क्रमानुसार ₹ 8,423 करोड़ और ₹ 2,729 करोड़ रही । परिचालनगत लाभ में 12.94% वृद्धि दर्ज की गई ।
- क्रेडिट जमा अनुपात पिछले वर्ष की 76.73% की तुलना में 78.88% रहा।

मिश्रित कारोबार (₹ करोड)

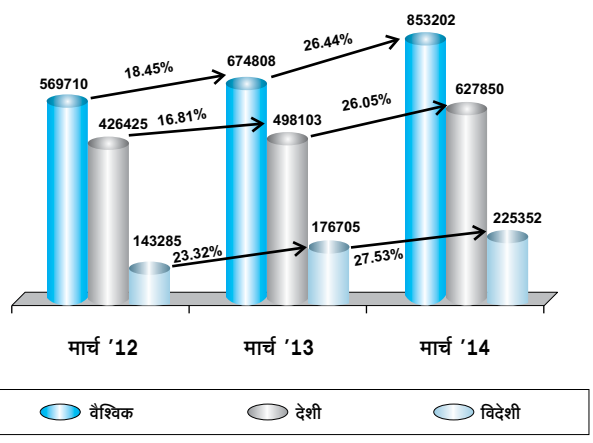

- खुदरा क्रेडिट में 32.44% वृद्धि दर्ज की गई जो वित्तीय वर्ष 14 में बैंक के सकल घरेलू क्रेडिट का 11.20% है।
- एमएसएमई क्रेडिट में 21.09% वृद्धि दर्ज की गई जो वित्तीतय वर्ष 14 में बैंक के सकल घरेलू क्रेडिट का 17.06% है।
- निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्तीय वर्ष 14 के दौरान वैश्विक परिचालन के लिए 2.34% और घरेलू परिचालन के लिए 2.85% रहा।
- पिछले वर्ष 2.06% की तुलना में इस वर्ष निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए 2.00% रहा।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) बासेल III के अनुसार 9.97% रहा।
- निवल मालियत सुधरकर ₹ 24,543 करोड़ हुई। इसमें 13.52% वृद्धि दर्ज की गई।
- बही मूल्य पिछले वर्ष ₹ 362.37 करोड़ से सुधरकर ₹ 387.53 हो गया।
- प्रति कर्मचारी कारोबार पिछले वर्ष ₹ 15.82 करोड़ थी जो अब बढ़कर ₹ 19.63 करोड़ हो गई।

प्रमुख वित्तीय डाटा

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2012–13	2013–14	वृद्धि (%)
निवल ब्याज आय	9,024	10,831	20.02
गैर ब्याज आय	3,766	4,292	13.97
परिचालन व्यय	5,332	6700	25.66
परिचालन लाभ	7,459	8,423	12.94
प्रावधान/आकस्मिकताएं	4,709	5,694	20.89
निवल लाभ	2,749	2,729	-0.73
प्रति शेयर अर्जन (₹)	47.79	44.74	-
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	362	387	-

कुछ वित्तीय अनुपात नीचे प्रस्तुत किए गए है :

(% में)

मानदण्ड	2012–13	2013–14
अग्रिम पर आय	8.87	8.45
निवेश पर आय	7.81	8.12
निधियों पर आय	7.67	7.19
जमा राशियों की लागत	5.94	5.62
निधियों की लागत	5.50	5.14
निवल ब्याज मार्जिन	2.38	2.34
परिचालन व्ययों के प्रति गैर ब्याज आय	70.64	64.06
औसत कार्यशील निधि के प्रति अन्यत आय	0.90	0.81
औसत कार्यशील निधि के प्रति परिचालन व्यय	1.28	1.27
औसत कार्यशील निधि के प्रति स्टाफ व्यय	0.75	0.76
औसत कार्यशील निधि के प्रति अन्य परिचालन व्यय	0.53	0.51
आस्ति उपयोग अनुपात	1.79	1.60
कुल आय के प्रति गैर ब्याज आय	10.56	10.17
निवल आय के प्रति गैर ब्याज आय	29.45	28.38
कुल आय के प्रति लागत	41.69	44.30
ईक्विटी पर रिटर्न (%)	13.62	11.82
औसत आस्तियों पर रिटर्न (%)	0.65	0.51

खण्डवार कार्यनिष्पादन

बैंक ने वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 8,423 करोड़ परिचालन लाभ अर्जित किया। ट्रेज़री परिचालन के जरिए ₹ 1,628 करोड़, थोक बैंकिंग के जरिए ₹ 1,271 करोड़, खुदरा बैंकिंग का ₹ 932 करोड़ का अंशदान रहा।

आपके बैंक ने अनाबंटित व्यय का ₹ 286 करोड़ और कर के प्रावधान हेतु ₹ 816 करोड़ घटाने के बाद ₹ 2,729 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया।

लाभांश

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने ₹ 5 प्रति शेयर (₹ 10 प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर) के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है । पूँजी संग्रहण हेतु निदेशक बोर्ड द्वारा कोई अंतिम लाभांश घोषित नही किया गया है। वर्ष के दौरान कुल लाभांश भुगतान की ₹ 375.72 करोड़ रकम (लाभांश वितरण कर शामिल) की घोषणा नहीं की गई है।

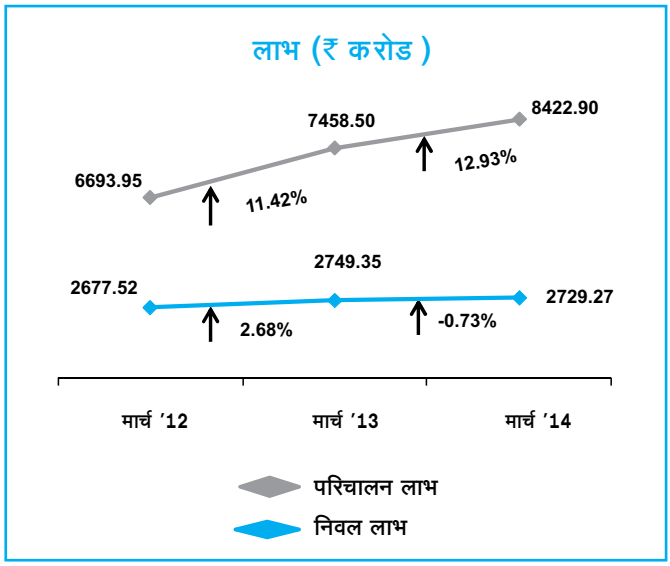

पूँजी

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक की निवल मालियत ₹ 21,621 करोड़ से बढ़कर ₹ 24,543 करोड़ हुई वर्ष के दौरान बैंक ने प्रत्येक ₹ 10 के ₹ 215.70 राशि के मूल्य के ₹ 1,000 करोड़ के भारत सरकार को 46,360,686 इक्विटी शेयर जारी किए। इस राशि के अतिरिक्त अर्जित लाभ से ₹ 1,922 करोड़ आरक्षित अंतरित किया गया। वर्ष के दौरान बैंक ने बिना किसी कॉल ऑप्शन के बासेल III अनुपालन युक्त 10 वर्ष की परिपक्वता के लिए ₹ 1500 करोड़ के टियर II बॉन्डस भी जारी किए है।

पूँजी पर्याप्तता

बासेल III फ्रेमवर्क के अनुसार बैंक की पूँजी पर्याप्तता अनुपात 9.97% थी जो 9% के नियामक जरूरत से अधिक है। पूँजी पर्याप्तता (बासेल II और बासेल III) का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण (बासेल II के तहत)	31.03.2013		31.03.2014	
	राशि	सीआरएआर (%)	राशि	सीआरएआर (%)
टियर I पूँजी	23,019	8.20	26,232	7.57
टियर II पूँजी	7,916	2.82	11,062	3.19
कुल पूँजी	30,935	11.35	37,294	10.76
जोखिम भारित आस्तियाँ	280,637	-	346,754	-

(₹ करोड़ में)

विवरण (बासेल III के तहत)	31.03.2014	
	राशि	सीआरएआर (%)
कॉमन इक्विटी टियर I पूँजी(सीईटी 1)	23,770	6.84
अतिरिक्त टियर I	1,389	0.40
टियर I पूँजी	25,160	7.24
टियर II पूँजी	9,499	2.73
कुल पूंजी	34,659	9.97
जोखिम भारित आस्ति	347,702	-

पुरस्कार एवं सम्मान

- बैंक को उपाध्यक्ष, योजना आयोग, भारत सरकार के कर कमलों से **''एम एस एम ई श्रेष्ठता पुरस्कार 2013''** प्राप्त हुआ है।
- अंडर सर्व्ड सेगमेंट के लिए बैंक को **मोस्ट इनोवेटिव मास रिटेल लैन्डर** के रूप में बैंकॉन 2013 में आईबीए इन्स्टिट्यूटेड पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- सर्वश्रेष्ठ शिक्षा ऋणदाता के लिए बैंक को **''आउटलुक मनी अवार्ड 2012''** प्राप्त हुआ।
- इकॉनमिक टाइम्स ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैंक को भारत में **''दूसरा सबसे विश्वसनीय ब्रांड''** घोषित किया है।
- सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण के क्षेत्र में कार्यनिष्पादन के लिए बैंक को **''एम एस एम ई मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दूसरा स्थान''** दिया गया है।
- बैंक को बैंकिंग सेक्टर में श्रेष्ठतम योगदान के लिए **''इंडिया एसएमई एक्सेलेन्स अवार्ड्स - 2013''** में बेस्ट बैंकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

वर्ष का महत्वपूर्ण आयोजन ''बैंकॉन -2013''

बैंकॉन मुंबई में 15-16 नवम्बर, 2013 को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा आयोजित प्रमुख वार्षिक बैंकर सम्मेलन की मेज़बानी बैंक ने की। माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र से पैनल ने साथ मिलकर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और अपने विचारों को व्यक्त किया। सम्मेलन के मुख्य आकर्षणों में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, डॉ. रघुराम राजन, आरबीआई के उप गवर्नर डॉ.के.सी.चक्रवर्ती और विश्व प्रसिद्ध योगी और रहस्यवादी, सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा विशेष संबोधन शामिल थे।

बैंक को अंडरसर्व्ड सेगमेंट हेतु मोस्टा इनोवेटिव मास रिटेल लेंडर अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं द्वारा बैंकिंग मानकों को पुन:परिभाषित करना

- एटीएम नैशनल फैनान्शियल स्विच (एनएफएस) का एक सदस्य, बैंक के ग्राहक देश भर में 1,40,000 से भी अधिक एटीएम का उपयोग कर सकते हैं।
- आरबीआई के अनुसार मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट में प्रयुक्त सभी मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में पिन नंबर डालना ज़रूरी होगा।
- बैंक ने चिप आधारित डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है।
- बीओआई ने रूपे प्लेटफॉर्म के ई-कॉमर्स संव्यवहारों को एनेबल किया है।
- इंटरनेट बैंकिंग अपने ग्राहकों के लिए टू फ़ैक्टर ऑथेन्टिकेशन कार्यान्वित किया है।
- ऑन लाइन नामांकन सुविधा सहित ऑन लाइन मीयादी जमा रसीद सुविधा।
- यूटिलिटि बिलों, बीमा प्रीमियम, विनिर्दिष्ट बैंकों के क्रेडिट कार्ड भुगतान, विनिर्दिष्टि नगर निगमों के संपत्ति करों के भुगतान आदि के लिए बीओआई ई-भुगतान।
- शाखाओं में डिजिटल साइनेज।
- बीओआई संदेश : एटीएम वित्तीय संव्यवहारों एवं इंटरनेट बैंकिंग निधि अंतरणों के लिए ऑन लाइन एसएमएस आधारित अलर्ट।
- इंटरनेट बैंकिंग से आईपीओ हेतु एप्लिकेशन सपोर्टेड बाइब्लोक्ड अमाउंट (एसबीए)।
- वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों एवं सिफारिशों के अनुरूप हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट (अंग्रेज़ी) को विकलांग व्यक्तियों के अनुकूल बनाया गया है।
- इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का प्रयोग करते हुए डेबिट-सह-एटीएम कार्ड पिन रीसेट/अनब्लॉक करना/बदलना या कार्ड हॉट लिस्ट करना।
- सेल्फ सर्विस किऑस्क बारकोडेड पासबुक प्रिंटर।
- एसबी/सीडी/ओडी खातों में शेष राशि जानने के लिए मिस्ड कॉल सुविधा।
- इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते हुए पीपीएफ खाते में ऑनलाइन जमा।
- आईएमटी इन्सटेन्ट मनी ट्रान्सफर की शुरुआत।

DIRECTORS' REPORT

PERFORMANCE HIGHLIGHTS - FINANCIAL PARAMETERS (FY 2013-14)

- Total Business (Deposit + Advances) increased to ₹ 853,202 crores reflecting a growth of 26.44 % (y-o-y).
- Operating Profit and Net Profit were ₹ 8,423 crores and ₹ 2,729 crore respectively. Operating Profit registered a growth of 12.94% over last year.
- Credit Deposit Ratio stood at 78.88% as against 76.73% during last year.

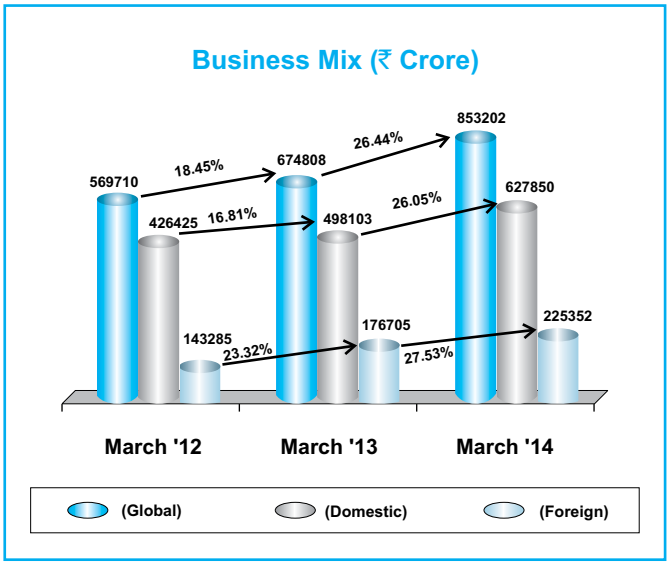

- Retail Credit posted a growth of 32.44% constituting 11.20% of your Bank's Gross Domestic Credit in FY 14.
- MSME Credit posted a growth of 21.09% constituting 17.06% of your Bank's Gross Domestic Credit in FY 14.
- Net Interest Margin (NIM) for Global Operation was 2.34% and for domestic Operation was 2.85% during FY 14.
- Net NPA to Net Advances stood at 2.00% as against 2.06% during last year.
- Capital Adequacy Ratio (CRAR) as per Basel III stood at 9.97%.
- Net Worth improved to ₹ 24,543 crores registering a rise of 13.52% over last year.
- Book Value improved to ₹ 387.53 from ₹ 362.37 during last year.
- Business Per Employee moved up to ₹ 19.63 crores from ₹ 15.82 crores during last year.

KEY FINANCIAL DATA

(₹ In crore)

Particulars	2012-13	2013-14	Growth (%)
Net Interest Income	9,024	10,831	20.02
Non-Interest Income	3,766	4,292	13.97
Operating Expenses	5,332	6,700	25.66
Operating Profit	7,459	8,423	12.94
Provisions / Contingencies	4,709	5,694	20.89
Net Profit	2,749	2,729	-0.73
Earnings per share (₹)	47.79	44.74	-
Book value per share (₹)	362	387	-

SOME OF THE KEY FINANCIAL RATIOS ARE PRESENTED BELOW:

(In %)

Parameters	2012-13	2013-14
Yield on Advances	8.87	8.45
Yield on Investment	7.81	8.12
Yield on Funds	7.67	7.19
Cost of Deposits	5.94	5.62
Cost of Funds	5.50	5.14
Net Interest Margin	2.38	2.34
Non Interest Income to Operating Expenses	70.64	64.06
Other Income to Average Working Fund	0.90	0.81
Operating Expenses to Average Working Fund	1.28	1.27
Staff Expenses to Average Working Fund	0.75	0.76
Other operating Exp. to Average Working Fund	0.53	0.51
Asset Utilisation Ratio	1.79	1.60
Non-Interest Income to Total Income	10.56	10.17
Non-Interest Income to Net Income	29.45	28.38
Cost to Income Ratio	41.69	44.30
Return on Equity	13.62	11.82
Return on Average Assets	0.65	0.51

SEGMENT- WISE PERFORMANCE

The Bank earned an Operating Profit of ₹ 8,423 crores during the financial year 2013-14. The contribution made through Treasury operations was ₹ 1,628 crore, that of wholesale Banking was ₹ 1,271 crores, and Retail Banking was ₹ 932 crores. Your Bank earned a profit after Tax (PAT) of ₹ 2,729 crores after deducting ₹ 286 crores of unallocated expenditure and ₹ 816 crores towards provision for tax.

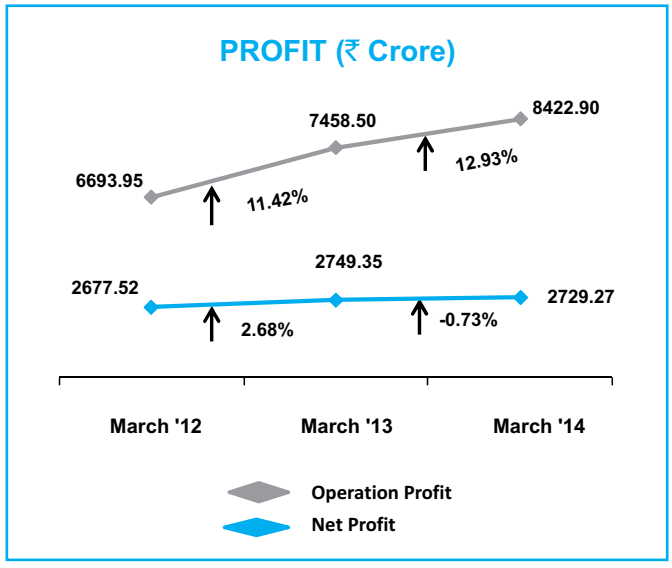

DIVIDEND

During the year your Bank has paid an interim dividend of ₹ 5/- per share (on the face value of ₹ 10/- per share). With a view to conserve capital, no final dividend is declared by the Board of Directors. During the year the total dividend payment amounted to ₹ 375.72 crores (including dividend distribution tax).

CAPITAL

Net worth of your Bank has increased to ₹ 24,543 crores from ₹ 21,621 crores during the financial year ended 2013-14. During the year, the Bank has issued 46,360,686 Equity Shares of ₹ 10/- each at a price of ₹ 215.70 amounting to ₹ 1000 crores to Government of India. In addition to that an amount of ₹ 19,922 crores was transferred to Reserves from the profits earned.

During the year, the Bank has also issued Basel-III Compliant Tier-II bonds for ₹ 1,500 crores for 10 years maturity, without any call option.

CAPITAL ADEQUACY

As per Basel III framework, Bank's Capital Adequacy Ratio was 9.97% which was higher than the regulatory requirement of 9%.

Details of Capital Adequacy (BASEL II & III) are shown as under:

(₹ In crore)

Particulars (Under BASEL – II)	31.03.2013		31.03.2014	
	Amount	CRAR (%)	Amount	CRAR (%)
Tier I Capital	23,019	8.20	26,232	7.57
Tier II Capital	7,916	2.82	11,062	3.19
Total Capital	30,935	11.02	37,294	10.76
Risk Weighted Assets	280,637	-	346,754	-

(₹ In crore)

Particulars (Under BASEL – III)	31.03.2014	
	Amount	CRAR (%)
Common Equity Tier-I Capital (CET 1)	23,770	6.84
Additional Tier-1	1,389	0.40
Tier I Capital	25,160	7.24
Tier II Capital	9,499	2.73
Total Capital	34,659	9.97
Risk weighted Assets	347,702	-

AWARDS & ACCOLADES

- Bank received **"MSME Excellence Award 2013"** at the hands of Deputy Chairman, Planning Commission, Government of India.
- Bank received **"IBA Instituted award at BANCON 2013"** for **"Most Innovative Mass Retail Lender"** for under served segments.
- Bank has been awarded the **"Outlook Money Award 2012"** for **"Best Education Loan provider"**.
- Bank has been rated by Economic Times as the **"Second Most Trusted Brand in India"** among the PSU banks.
- Bank has been **"Ranked Second by Ministry of MSME, Government of India, New Delhi"** based on its performance in lending to Micro Enterprises.
- Bank has received **"Best Banker"** award at the **"India SME excellence Awards-2013"**, for exemplary contribution in Banking Sector.

A major event "Bancon - 2013"

Bancon – the flagship Annual Banker's Conference organized by the Indian Banks' Association(IBA), was hosted by the Bank on 15-16 November, 2013 at Mumbai. It was inaugurated by Hon'ble Finance Minister Shri P.Chidambaram.

The panelists from Public sector and private sector together shared valuable insights of various important topics. The highlights of the conference included special addresses by RBI Governor, DR. Raghuram Rajan, RBI Dy. Governor, Dr. K.C. Chakarabarty and World renowned Yogi and Mystic, Sadhguru Jaggi Vasudev.

The Bank was conferred with "The most innovative mass retail lender for under-served segments award".

Redefining banking standard with Techno Enabled Services

- ATM – Member of National Financial Switch (NFS), Banks Customer can access more than 1,40,000 ATMs across the country.
- All the Magnetic stripe cards which will be used at Merchant Establishment would require pin for purchase transaction as an additional security measure as per RBI.
- Bank has launched chip based Debit and Credit cards.
- BOI has enabled E-commerce transactions of Rupay platform.
- Internet banking – Two Factor Authentication Implemented for its clientele.
- Online Term Deposit Facility with online nomination facility.
- BOI e-Pay Payment of Utility Bills, Insurance Premia, Credit Card payments of Specified Banks Property Tax of Specified Municipal Corporations etc.
- Digital Signage at branches
- BOI Sandesh – on – Line SMS based alerts for ATM Financial Transactions & Internet Banking Funds Transfer.
- Application supported by blocked amount (ASBA) for IPO's from Internet Banking.
- As per Finance Ministry Guidelines and recommendations our corporate web-site (English) has been enabled for persons with disabilities.
- Hot listing / reset / unblock / change of Debit-cum-ATM Card pin using Internet Banking Password.
- Self Service Kiosks – Bar-coded passbook printers.
- Missed call facility to know the balance in SB/CD/OD accounts.
- Online Deposit in PPF A/c using internet banking.
- Introduction of IMT – Instant Money Transfer.

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

उभरते हुए बाजार जैसे भारत तथा विकसित अर्थव्यवस्था जैसे यूएसए और यूरो क्षेत्र के देश वर्तमान में विभिन्न परिदृश्य निर्मित कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारत में वृद्धि पर 4.5 प्रतिशत रही जो प्रमुखतया कृषि तथा अनुषंगी क्षेत्रों में विकसित कार्यनिष्पादन के कारण रही। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार उभरते बाजार में कुल वृद्धि लगभग 4.50 से 5 प्रतिशत रही। उभरते बाजार में वर्ष 2013-14 में भी औसत वृद्धि 4.50 से 5.50 प्रतिशत जारी रहने की संभावना है जिसे घरेलू मांग, निर्यात में वसूली तथा सहायक राजस्व, मौद्रिक तथा वित्तीय स्थितियों का समर्थन मिलता रहेगा। अनेकों निचली आय वाले देशों में उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि जारी रहेगी जिसमें उप-सहारन अफ्रिका भी सम्मिलित है।

उभरती अर्थव्यवस्था की तुलना में विकसित देशों प्रमुखतया यूएसए तथा यूरो क्षेत्र ने काफी कम वृद्धि दर को दर्ज किया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यूएसए अर्थव्यवस्था वर्ष 2013 में लगभग 1.90 प्रतिशत विस्तारित हुई तथा वर्ष 2014 में औसत वृद्धि 2.10 प्रतिशत संभावित है। निजी मांग के बल पर वृद्धि की गति जारी रहेगी जिसे सुधरते आवास बाजार तथा बढ़ती हुई पारिवारिक संपत्तियों से समर्थन मिलेगा। यूरो क्षेत्र में, नीतिगत कार्रवाईयों से प्रमुख जोखिम में कमी आई है तथा वित्तीय स्थिति का संतुलन बना रहेगा, जबकि बाह्य सतह पर वृद्धि में ऋण अब भी मार्गावरोधक है। वर्ष 2013 में -0.4 प्रतिशत से 2014 में वृद्धिदर 0.3 प्रतिशत तक पहुंच गई है जिससे क्षेत्र में मंदी क्रमश: कम होती जाएगी।

इस प्रकार आधारभूत रूप से उभरते बाजार अर्थव्यवस्था में आकर्षक संभावना अग्रिम अर्थव्यवस्था में कम ब्याज दर सहित उभरते बाजार में विनिमय दर दबाव तथा सकल पूंजी प्रवाह जारी रहने की संभावना है। पूंजी प्रवाह जो एक समय अस्थिर हो गया था उसका प्रबंधन कठिन हो जाता है तथा इस तरह बृहत अर्थशास्त्र का प्रबंधन मुश्किल हो जाता है। पूंजीगत प्रवाह में संभावित धीमेपन के समंजन में राजस्व प्रोत्साहन प्रदान करने के सीमित अवसर रह जाते हैं। इस प्रकार प्राप्तकर्ता देशों को पूंजी प्रवाह के अस्थिरता को उस समय काम करना जब वित्तीय अस्थिरता का संकट हो, चुनौतीपूर्ण होता है। वर्ष 2014-15 में औसत 5.50 प्रतिशत संभावित उच्च वृद्धि की अपेक्षा पर आधारित पूंजी प्रवाह के लिए भारत को एक आकर्षक गंतव्य माना जा रहा है।

2014-15 का परिदृश्य

जनवरी 2014 में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विश्व बैंक की भविष्यवाणी के अनुसार, कई वर्षों के भारी मंदी के बाद, उच्च आय अर्थव्यवस्था अंतत: उभरती नज़र आ रही है जो वर्ष 2013 में 2.4 प्रतिशत से वर्ष 2014 में 3.2 प्रतिशत के वैश्विक वृद्धि में प्रक्षेपित गतिवर्धन में योगदान दे रहा है। अधिकांश गतिवर्धन की संभावना उच्च आय देशों से है क्योंकि राजस्व समायोजन से वृद्धि तथा नीतिगत अनिश्चितता में हो रही कमी और निजी क्षेत्र में सुधार से इसे प्रबलता मिल रही है। उच्च आय देशों में उत्पाद के सशक्तिकरण से हाल के वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया जब विकासशील देश अकेले वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रहे थे। वैश्विक वृद्धि के लिए दूसरा आधार प्रदान करने के अतिरिक्त विकासशील देशों के निर्यात के लिए मजबूत उच्च आय वृद्धि तथा आयात मांग एक महत्वपूर्ण अनुकूल स्थिति होगी। यह वैश्विक आर्थिक स्थितियों के अनिवार्य जकड़न के प्रतिपूर्ति में सहायक होगी जो उच्च आय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के स्थिर होने पर उत्पन्न होगी।

विकासशील देशों में गतिविधियों तथा संवेदनाओं को मध्य 2013 से गति मिली है जिसे उच्च आय मांग में सुधार तथा चीन में नीति प्रेरित फिराव का सहयोग प्राप्त हुआ है। यह सकारात्मक विकास आंशिक रूप से सशक्त वित्तीय स्थितियों तथा कम पूंजी प्रवाह से है क्योंकि मात्रात्मक सहजता के क्रमश: आहरण की अपेक्षा की प्रतिक्रिया में यूनाइटेड स्टेट में दीर्घावधि ब्याज दरों का पूंजीगत प्रवाह कम हुआ है। अन्य प्रमुख विपरीत परिस्थितियों में उपयोगी वस्तु निर्यातकों के लिए उपयोगी वस्तुओं की गिरती कीमतें सम्मिलित हैं। विकासशील देशों में 2013 में 4.8 प्रतिशत की तुलना में 2014 में 5.3 प्रतिशत की सकल वृद्धि का अनुमान है। संकट पूर्ण अचानक तेजी के दौरान की तुलना में विकासशील देशों में जीडीपी वृद्धि लगभग 2.2 प्रतिशत पॉइंट कमजोर रहेगा। धीमी गति से वृद्धि चिंता का विषय नहीं है यद्यपि दो तिहाई से अधिक मंदी चक्रीय घटक वृद्धि में प्रदर्शित हुई तथा एक तिहाई से कम धीमी संभाव्य वृद्धि में अपेक्षित है।

उच्च आय यूरोप में क्रमश: बढ़त से सकारात्मक फैलाव तथा घरेलू राजस्व की धीमी गति तथा बैंकिंग क्षेत्र एकीकरण से यूरोप तथा मध्य एशिया से 2013 में 3.4 प्रतिशत से 2014 में 3.5 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि की धीमी गति अपेक्षित है। उप-सहारन अफ्रीका में अपेक्षाकृत पुष्ट घरेलू मांग, विशेषकर स्रोत क्षेत्र तथा बुनियादी निवेश भारत में 5.4 से 5.5 प्रतिशत के लगभग क्षेत्रीय वृद्धि में सहायक होगा। बाद में अनेकों वर्षों की बढ़ती मुद्रास्फिति तथा चालू खाता घाटा बड़े नकारात्मक उत्पाद अंतर अर्थव्यवस्था की धीमी गति के सुधार के क्रमश: करीब होते गए, जिसका 2014 में 5.7 प्रतिशत तक सशक्त होना संभावित है।

घरेलू आर्थिक परिदृश्य

केन्द्रीय सांख्यिकीय संस्था (सीएसओ) के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2013-14 में 4.70 प्रतिशत वृद्धि की। वर्ष 2012-13 में सीएसओ पुनरीक्षित होने से उच्च शीर्ष संख्या निम्न-तर पहुंच गई। 5 प्रतिशत पूर्वानुमान से सीएसओ पुनरीक्षित वृद्धि 4.5 प्रतिशत अनुमानित की गई। बेहतर कृषि उत्पाद द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 4.7 प्रतिशत रही।

2013-14 में अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि प्रमुखतया औद्योगिक क्षेत्र के कारण रही जो 2012-13 में 3.10 प्रतिशत की तुलना में 0.5 प्रतिशतवृद्धि कर सकी जबकि कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 4.7 प्रतिशत रही। वर्ष 2012-13 में 6.6 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रही। घरेलू तथा साथ ही साथ वैश्विक घटकों द्वारा पिछले दो वित्तीय वर्षों 2011-12 तथा 2012-13 में मंदी प्रबल रही। घरेलू घटकों जिसमें मौद्रिक नीति की सख्ती भी सम्मिलित है उसके परिणामस्वरूप निवेश तथा वृद्धि की धीमी गति रही, विशेषकर उद्योग क्षेत्र में।

घरेलू पक्ष में, 2013-14 में मुद्रास्फिति सहज रही साथ ही साथ 2012-13 में उच्च स्तर पर व्याप्त रही। लेकिन गिरावट धीमी रही जिससे पालिसी दर घटाने तथा पूरे स्केल पर मौद्रिक सुधार के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को पूर्ण लचीलापन की अनुमति नहीं मिली। वर्श 2013-14 में 4.70 प्रतिशत से 2014-15 में 5.5 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज करने का अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था को है। यद्यपि 2014-15 में तेज गति से वैश्विक सुधार के कारण उच्च वृद्धि दर को नकारा नहीं जा सकता है।

राजस्व घाटा के मामले में, सरकार राजस्व समेकन के लिए प्रतिबद्ध है। महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी नवीनतम सूचना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए राजस्व घाटा 4.4% है। योजना व्यय में कमी के द्वारा इसे प्राप्त किया गया। बजट अनुमान के ₹ 5.58 लाख करोड़ के साथ-साथ 2013-14 हेतु सरकार का उधार कार्यक्रम ₹ 5.08 करोड़ कम था।

चालू खाता राजस्व (सीएडी) ने प्रगति दर्शाई। अन्य तथ्यों के साथ सोने के आयात में सुस्ती से जीडीपी 1.7 प्रतिशत रहा। मुद्रास्फिति में कमी प्रदर्शन के साथ सोने की कीमत में भी ठहराव आया जिससे एक आस्ति के रूप में सोने के आकर्षण में कमी आई। इस प्रकार आगे भी सोने की मांग में गिरावट पाई जाएगी। निर्यात के विकास में अन्य घटकों का भी योगदान है। वर्ष 2012-13 के दौरान 88 बिलियन की तुलना में 2013-14 में सीएडी में 32 बिलियन की कमी आई।

अपने रनअवे आयात के नियंत्रण में सरकार के प्रयास के बाद पहले राजस्व में 11 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 में स्वर्ण तथा चांदी आयात 33.46 बिलियन से 40 प्रतिशत रहाया कुल आयात बिल का मात्र 7 प्रतिशत रहा। इसके बावजूद वर्तमान वित्तीवय वर्ष में मुद्रास्फिति के कठिन रहने की संभावना है क्यों कि कमजोर मानसून के संभावना से खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है तथा भौगोलिक अस्थिरता से वैश्विक उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। वर्ष 2013-14 में निर्यात 312 बिलियन था जो 2012-13 में 301 बिलियन से 3.7प्रतिशत अधिक था। भारत के वाणिज्य वस्तु कारोबार ढांचागत परिवर्तन प्रक्रिया में है जिसके साथ शेष एशिया, अफ्रिका तथा लैटिन अमरीका है जो हमारे व्यापार पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे है।

औसत थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पो पीआई) वर्ष 2013-14 में 6.30 से 7 प्रतिशत के बीच में रहा (विभिन्न अनुमानों के आधार पर) जिसमें सब्जियों की उच्च कीमतों की भी अड़ियल भूमिका थी। बढ़ती मुद्रास्फिति के साथ, यह अपेक्षित है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में थोक मूल्य सूचकांक औसतन 5.8 प्रतिशत रह सकता है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए दृष्टिकोण

2013-14 में औसत वृद्धि 4.70 प्रतिशत की तुलना में विभिन्न एजेंसियों के अनुमान के अनुसार 2014-15 में औसत वृद्धि दर लगभग 5.50 प्रतिशत रहेगा। 2013-14 में औद्योगिक वृद्धि में आई मंदी की 2014-15 में सुधरने की तथा प्रगति की संभावना है। अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना है किंतु ढांचागत मार्गावरोध से निपटना आवश्यक है।

एशियन डेवलेपमैंट बैंक ने कहा है कि सतत स्फिति, राजकोषीय घाटा, निवेश के मार्गावरोध तथा अक्षमता जिसके लिए ढांचागत सुधार आवश्यकता के अनुसरण में कमियां हैं। विकास दर में विकसित निवेश तथा उपभोग की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। मुद्रास्फिति निहित होनी चाहिए अथवा सख्त मौद्रिक उद्देश्य की निरंतरता अनिवार्य है।

यूएस तथा यूरो क्षेत्र में बेहतर वृद्धि से बाह्य मांग को संभालने की अपेक्षा है तथा मुद्रा प्रतियोगिता के बेहतर होने की संभावना है। 2014-15 में मानसून की भविष्यवाणी सामान्य से कुछ कम होने की है जो लगभग 95 प्रतिशत है तथा चिंता का विषय है। यद्यपि एल नीनो द्वारा बाधित मानसून से खाद्यान्न कमी की संभावना हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान ने 2014 के लिए अपने प्रथम भविष्यवाणी में कहा है कि दक्षिणपूर्व मानसून 95 प्रतिशत तक सामान्य रहेगा जो दीर्घकालीन औसत लगभग 89 सेंटीमीटर होगा।

बैंकिंग उद्योग – विकास दृष्टिकोण

बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि का गहरा संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था से है जिसके 2015 से 2016 के मध्य 5.5-6 प्रतिशत दर से बढ़ने की संभावना है। बैंकिंग उद्योग आर्थिक विस्तार तथा सहायक सरकारी नीतियों से लाभ प्राप्त करेगा क्योंकि इसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में आए उतार-चढ़ाव तथा भूराजनीतिक व्यवधान से रक्षा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, बैंकिंग जागरूकता का विस्तार होगा तथा अधिक लोग बैंकिंग से जुड़ेंगे।

मांग में वृद्धि तथा बैंकों में मियादी जमा में वृद्धि के परिणामस्वरूप मुद्रा आपूर्ति (एम 3) में वृद्धि होगी। मुद्रा आपूर्ति (एम 3) में वृद्धि भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमानित 13% वृद्धि से आगे निकलने में सहायक होगी। एफसीएनआर (बी) अथवा अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) जमाराशियों से जमाराशि वृद्धि में विकास अपेक्षित है जिसमें प्रभावशाली ढंग से वृद्धि हो रही है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को धन्यवाद। तीन महीनों सितंबर से नवंबर अवधि के बीच एफसीएनआर (बी) जमाराशियां तथा विदेशी मुद्रा उधार को आकर्षित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विशेष छूट डॉलर स्वैप विन्डो की घोषणा की जिसके द्वारा 34 बिलियन प्राप्त हुआ तथा रुपए को प्रचुर स्थिरता प्रदान करने में सुविधा मिली। भारतीय रिज़र्व बैंक की पिछली नीति घोषणा के बाद जमाराशि में वृद्धि हुई तथा परिणामस्वरूप विभिन्न बैंकों द्वारा जमाराशि दर में वृद्धि की गई। जबकि बैंकों ने विभिन्न परिपक्वता के दरों में परिवर्तन किया, ₹ 1 करोड़ से कम प्रवर्ग में अल्पावधि में अधिकांश उच्च पुनरीक्षण पाए गए। जनता के साथ करेंसी वृद्धि में भी तेजी आई।

वार्षिक एम 3 वृद्धि दर 15.1 प्रतिशत से भारतीय रिज़र्व बैंक के निदर्शक बिंदु से आगे निकल गया तथा पिछले वर्ष की तुलना से 13.1 प्रतिशत उच्च रहा जो प्रमुखतया मांग जमाराशि तथा सावधि जमाराशि में बढ़े करेंसी के कारण हुआ। इसके अतिरिक्त जनता के साथ करेंसी जो व्यापक मुद्रा का अन्य प्रमुख घटक है उसमें भी तीव्र वृद्धि हुई।

2013-14 के दौरान वृद्धिशील व्यक्तिगत ऋण तेजी से उभरा। पिछले वर्ष की तुलना उनकी वृद्धि 21.2 प्रतिशत दर्शाते हुए ₹ 1.39 ट्रिलियन हुई। वर्ष के दौरान वृद्धिशील आवास ऋण तथा उपभोक्ता वस्तुओं में तेजी से वृद्धि हुई। यह वर्ष के दौरान कार बिक्री में आई गिरावट के अनुसरण में रहा। वृद्धिशील व्यक्तिगत ऋण में बेहतर वृद्धि के कारण पिछले वर्ष 14.7 प्रतिशत की तुलना में व्यक्तिगत ऋण में 15.5 प्रतिशत वृद्धि हुई।

गैर खाद्य ऋण के 45 प्रतिशत का जिम्मेदार औद्योगिक क्षेत्र रहा। वर्ष 2013-14 में लगातार दूसरे वर्ष औद्योगिक क्षेत्र द्वारा कुल व्यापार ऋण में गिरावट पाई गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 में गिरावट 0.1 प्रतिशत से ₹ 2.93 ट्रिलियन रही। अगस्त -सितंबर 2013 के दौरान वृद्धिशील ऋण में तेजी के बावजूद भी गिरावट रही। निवेश की गिरती गतिविधियों संग औद्योगिक उत्पाद में कमी के कारण इस वर्ष ऋण कम रहा। औद्योगिक क्षेत्र के बकाया ऋण में वृद्धि में 15.1 प्रतिशत से 2012-13 में 13.1 प्रतिशत कमी आई। खनन और उत्खनन, कपड़ा, पेट्रोलियम, केमिकल उत्पाद, सिमेंट, बेसिक मेटल तथा उर्जा उद्योग में वर्ष के दौरान ऋण में गिरावट आई। वाणिज्यिक पेपर (सीपी) से अलग कार्पोरेट के वित्तीय प्राथमिकताएं परिवर्तित हुई तथा अगस्त-सितंबर 2013 के दौरान ऋण में अन्य ऋण लिखतों की तेजी आई।

15-31 जुलाई 2013 के दौरान विनिमय दर के दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने चल निधि को सीमित करने के उपायों को कार्यान्वित किया। इसमें एमएसएफ दर 200 बीपीएस से 10.25 प्रतिशत बढ़ाना सम्मिलित है तथा एनडीटीएल के एलएएफ उधार को 0.5 प्रतिशत सीमित करना और सीआरआर आवश्यकताओं को प्रतिदिन न्यूनतम 70 प्रतिशत से 99 प्रतिशत बढ़ाना है। इससे मुद्रा बाजार दरों में तीव्र वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप वाणिज्यिक पेपर (सीपी) द्वारा बाजार उधार तथा अन्य ऋण लिखत महंगे हो गए। अतएव कॉर्पोरेट ने ऋण लिखतों राशि वृद्धि से बचना आरंभ किया तथा अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए बैंक ने वित्तपोषण की ओर बढ़ना आरंभ किया।

वित्तपोषण चयन में परिवर्तन से सीपी तथा अन्य ऋण लिखतों से ली गई राशि में काफी गिरावट भी दिखना आरंभ हुआ। सीपी के जारी करने से प्राप्त निधि सितंबर 2013 तिमाही में ₹1.11 ट्रिलियन दर्ज हुआ जो नौ तिमाहियों में सबसे कम था। पिछली चार तिमाहियों में सीपी द्वारा प्राप्त औसत राशि से यह 44.7 प्रतिशत कम था। इसके बाद सीएमआईई कार्पोरेट ऋण डाटाबेस के अनुसार पिछली तिमाही की तुलना में सितंबर 2013 तिमाही के दौरान चार वर्षों में न्यून ₹ 427.11 बिलियन अन्य ऋण लिखत रहा जिसमें 51.5 प्रतिशत की गिरावट रही।

अगस्त-सितंबर 2013 के दौरान ऋण में यदि असाधारण वृद्धि दर्ज न की गई होती तो 2013-14 के दौरान वृद्धिशील ऋण में कमी आई होती। वस्तुत: अगस्त-सितंबर अवधि को छोड़कर पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 2013-14 में वृद्धिशील ऋण में 7.6 प्रतिशत की कमी आई। सेवा क्षेत्र तथा कृषि एवं संबंधित गतिविधियों तथा व्यक्तिगत ऋण में 2013-14 में वृद्धिशील ऋण में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान औद्योगिक क्षेत्र द्वारा ऋण लेने में आंशिक कमी आई। पिछले वर्ष की तुलना में सेवा क्षेत्र को वृद्धिशील ऋण में 43.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 2013-14 में ₹1.85 ट्रिलियन दर्ज करते हुए अब तक की उच्चतम उपलब्धि रही। परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष के मात्र 12.6 प्रतिशत की तुलना में सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि 16.1 प्रतिशत रही। वृद्धिशील ऋण में यह बढ़त परिवहन परिचालक, टूरिज्म, होटल तथा रेस्टारंट, शिपिंग, वाणिज्यिक रियल इस्टेट तथा एनबीएफसी क्षेत्र द्वारा स्वस्थ ऋण के कारण रहा।

उद्योग के आकार के वर्गीकरण के आधार पर, 2013-14 के दौरान बड़े उद्योगों द्वारा ऋण प्राप्त करने में 9.2 प्रतिशत से ₹ 2.23 ट्रिलियन की गिरावट आई। यद्यपि, इस गिरावट का समायोजन सूक्ष्म तथा लघु उद्योग ऋण में वृद्धि रही जो 20.1 प्रतिशत से 23.7 प्रतिशत तक बढ़त दर्ज की।

जबकि डालर बहिर्प्रवाह के कारण चल निधि काफी सीमित रही, जमाराशि वृद्धि से ऋण वृद्धि आगे निकल गई तथा सरकार के बाजार उधार में वृद्धि हुई, एक लगातार चुस्त स्रोत से करेन्सी परिचालन में वृद्धि हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़े दर्शाते हैं कि 2013-14 में जनता में करन्सी की वृद्धि 9.4 प्रतिशत से ₹ 13 लाख करोड़ हुई। यह पिछले वर्ष की 11.6 प्रतिशत वृद्धि तथा 2011-12 में 12.2 प्रतिशत वृद्धि पर आधारित थी। इस वर्ष के दौरान, औसत तौर पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दैनिक रूप में रेपो ऑक्सन के द्वारा बैंकों में ₹ 60,000 करोड़ दिया। इसके ऊपर केन्द्रीय बैंक ने बांड खरीद के द्वारा ₹ 16,000 करोड़ डाला तथा विभिन्न कार्यकाल के टर्म रेपो के द्वारा लगभग ₹ 1 लाख करोड़ प्रदान किया। जनता के पास करेन्सी वर्षानुवर्ष 9 प्रतिशत तक बढ़ गई। पिछले वर्षों में दो डिजिट खुदरा मुद्रास्फिति ने जनता में करेन्सी धारण में वृद्धि की। वित्तीय आस्तियों में निवेश, विशेषकर बैंक जमाराशियों में गिरावट आई तथा भौतिक आस्तियों जैसे रियल इस्टेट तथा सोने में नकदी में उच्च वृद्धि हुई।

एक क्षेत्र जिसमें बैंक को अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभानी है वह है वित्तीय समावेशन। वर्ष 2011 में विश्व बैंक द्वारा आयोजित सर्वे में कहा गया है कि औपचारिक बैंकिंग संस्थान में भारत के समस्त वयस्कों का केवल 35 प्रतिशत खाता है। जबकि यह आंकड़ा निर्धनतम आय में 21 प्रतिशत है। देश में यह वित्तीय समावेश के आपार अवसर को स्पष्ट करता है जिससे भावी वृद्धि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक की नीतियों ने वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता दी है जो एक अवसर देती है जो दोबारा प्रदर्शित नहीं हो सकती है। भारत सरकार ने सूचित किया है कि 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में कम से कम एक शाखा खोलनी है तथा बाह्य गांवों को भी कवर करना है। बैंक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह बोर्ड अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना निरूपित करे जिसके कार्यान्वयन की निगरानी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाएगी। भारत सरकार ने एटीएम तथा मोबाईल/ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों की

यह सलाह है कि आनेवाले दशक में एटीएम की संख्या में पांच गुना वृद्धि की जानी चाहिए। भारत में मोबाइल बैंकिंग चैनल का प्रयोग नहीं किया गया है, 900 मिलियन बैंक खाते मोबाइल से जुड़े हैं। यह क्षेत्र भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए विविध अवसर प्रदान करता है।

यद्यपि, भारत में बैंक कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वे बेसल-III मानकों के अनुरूप पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं, आस्ति गुणवत्ता मुद्दों के साथ-साथ पुनर्गठन ढ़ांचे तथा मानव संसाधन प्रबंधन मामलों में वृद्धि कर रहे हैं। मेकनज़ी रिपोर्ट की सलाह है कि भारत में बैंकों को मूल (कोर) तथा विशेषज्ञ कौशल के दोनों कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है तथा कनिष्ठ स्तर पर संघर्षण को नियंत्रित करना है। उत्पादकता विकास जैसे ज्ञान प्रक्रिया का पुन: अभियंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग तथा उद्योग स्तरीय उपयोगिता से किसी निजी भारतीय बैंकों को विशेष लाभ नहीं हुआ है।

कारोबार समीक्षा

जमाराशियां

वर्ष के दौरान बैंक की जमाराशि का ₹ 47,6974 करोड़ से ₹ 95,134 करोड़ तक वृद्धि हुई है जिसने 24.91% की वृद्धि दर्ज करते हुए रिकॉर्ड कायम किया है। पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू जमाराशि ने ₹ 69,523 करोड़ वृद्धि दर्शाई जो 23.64% रही।

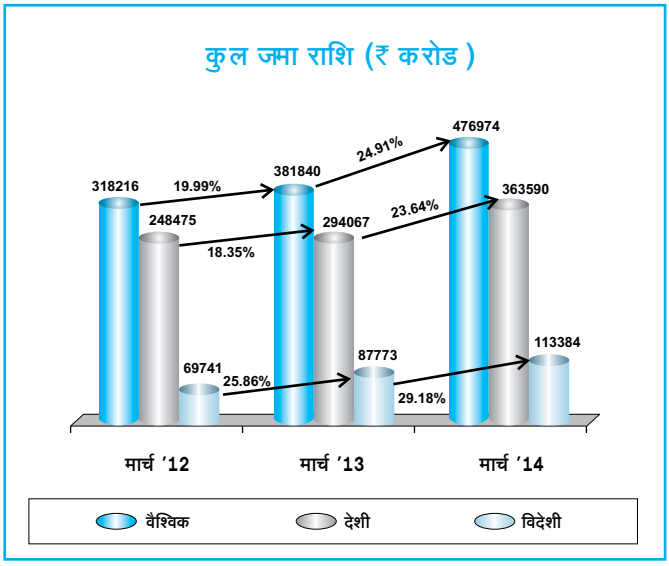

बचत बैंक जमाराशियों ने 13.12% की वृद्धि दर्ज की और चालू जमाराशियों ने 9.31% की वृद्धि दर्शाई। बचत तथा चालू जमाराशियों को मिलाकर कम लागत जमाराशियों की वृद्धि कुल घरेलू जमाराशियों में 29.97% रही। बैंक का जमाराशि आधार विविध प्रकार का रहा जिसमें 12% का घरेलू जमा ग्रामीण क्षेत्रों से आता है, 18% शहरी क्षेत्रों से तथा 57% महानगरीय क्षेत्र से आता है। 31 मार्च 2014 तक बैंक का ग्राहक आधार 77.34 मिलियन उधारकर्ता हैं।

अग्रिम

पिछले वित्तीय वर्ष 2012-13 में 14.66% वृद्धि दर की तुलना में बैंक का सकल घरेलू ऋण 29.52% की वृद्धि दर्ज किया जो 31.03.2013 को 204,036 करोड़ से 31.03.2014 को 264,260 करोड़ रही। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों में नए तथा वर्तमान में वृद्धिशील ऋण संवितरण तथा एनबीएफसी ने उच्च वृद्धि में योगदान दिया।

बृहद कार्पोरेट में तत्काल संवितरण, मध्य कार्पोरेट, एसएमई तथा कृषि क्षेत्र प्रचुर ऋण वृद्धि में सहायक रहे।

बैंक ने वर्ष के दौरान नया कारोबार विभाग स्थापित किया जिससे नए ग्राहकों को प्राप्त करने में सुविधा हो सके तथा ऋण वृद्धि गुणवत्ता, में वृद्धि हो सके।

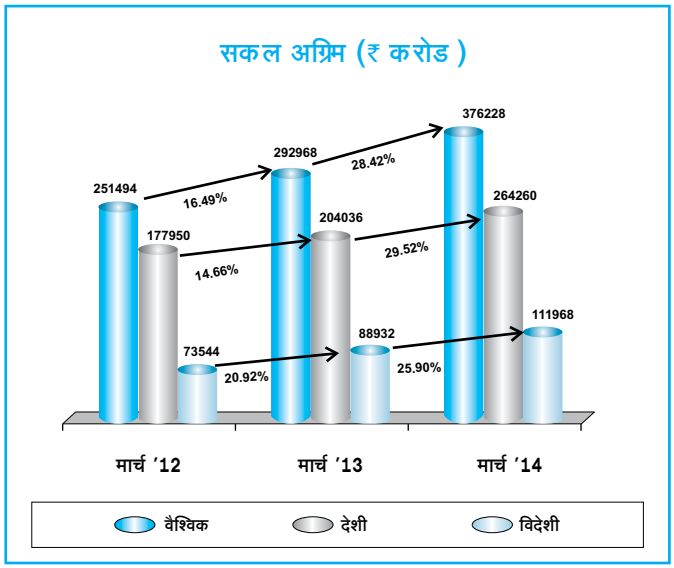

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने 164 नए कार्पोरेट ग्राहकों को सम्मिलित किया। बैंक ने 10 बृहद कार्पोरेट बैंकिंग शाखाओं, 41 मध्य कार्पोरेट शाखाओं के द्वारा कार्पोरेट/मिड कार्पोरेट की विशेषीकृत आवश्यकताओं की पूर्ति की। रिटेल, एसएमई तथा कृषि के अन्य ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति 4650 घरेलू शाखाओं से की जा सकती है। 5 महाद्वीपों में बैंक के 56 विदेशी केन्द्र हैं जो निर्यातकों तथा विदेशी ग्राहकों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

मूलभूत सुविधागत वित्तपोषण

वर्ष के दौरान, मूलभूत सुविधाएं परियोजना के अंतर्गत नए तथा वर्तमान खाते में उर्जा, दूरसंचार, रोड, बंदरगाह तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं को कवर करते हुए बैंक ने पूंजी आधारित सीमा का ₹ 16,626 करोड़ तथा गैर पूंजी आधारित सीमा का ₹ 4,367 करोड़ स्वीकृत किया।

इस क्षेत्र में बैंक का सहयोग जारी रहा तथा अतिरिक्त ₹ 8,863 करोड़ का संवितरण हुआ जिसमें 52% उर्जा क्षेत्र में तथा 28% सड़क तथा बंदरगाह परियोजना में लगा।

कार्पोरेट ऋण

कार्पोरेट ग्राहकों को बैंक ने विशेषीकृत शाखाओं के द्वारा ऋण प्रदान किया जो सकल घरेलू ऋण का 54% योगदान देते हैं।

प्रमुख शहरों में 10 बृहद कार्पोरेट शाखाएं स्थित हैं जो देश के प्रमुख कार्पोरेट मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै, बेंगलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद तथा पुणे को सेवाएं प्रदान करती हैं। उक्त के सहित शेष प्रमुख कारोबार को मिड कार्पोरेट ऋण विभाग, प्रधान कार्यालय से सम्बद्ध है तथा क्रेडिट प्रोसेसिंग सेल से सज्जित हैं।

बृहद कार्पोरेट

31.03.2014 तक कुल घरेलू अग्रिम में बृहद कार्पोरेट शाखाओं के द्वारा अग्रिम 41% है। एलसीबी के द्वारा कार्पोरेट में अग्रिम 31.03.2013 को ₹ 84,047 करोड़ से बढ़कर 31.03.2014 को ₹1,10,651 करोड़ हो गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 31.65% वृद्धि दर्शाता है।

- बृहद कार्पोरेट शाखाएं, बृहद कार्पोरेट को सेवाएं प्रदान करती हैं जिसकी कुल बिक्री ₹ 500 करोड़ से अधिक है, ₹ 100 करोड़ से अधिक परियोजना लागत तथा मूलभूत सुविधाएं, एनबीएफसी तथा पीएसयू है। इस पर विशेष ध्यान देने के लिए तथा प्रतिवर्तन काल कम करने के लिए प्रत्येक एलसीबी में क्रेडिट प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किया गया है जो सीधे प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करता है।
- कार्पोरेट की अन्य आवश्यकताओं जैसे नकदी प्रबंधन, फॉरेक्स, कोषागार उत्पाद, ट्रेड वित्तपोषण, जमाराशियां, खुदरा बैंकिंग तथा तृतीय पक्ष उत्पाद जैसे बीमा तथा म्युचुअल फंड में अल्पावधि निवेश की पूर्ति के लिए एक केन्द्रीय संपर्क प्रबंधक की सुविधा प्रदान की गई है।

- ऋण प्रसंस्करण की विभाजित भूमिका, ऋण टीम लीडर को रिपोर्ट करनेवाले संपर्की प्रबंधक तथा शाखा प्रबंधक की भूमिका द्वारा जोखिम को कम करना सुनिश्चित किया जा सकता है। बृहद् कार्पोरेट शाखाओं में प्रसंस्कृत ऋण प्रस्ताव सीधे प्रधान कार्यालय, बृहद कार्पोरेट महाप्रबंधक को भेजा जाता है। इससे प्रतिवर्तन काल में कमी आती है।
- प्रधान कार्यालय स्तर पर तथा साथ ही साथ बृहद कार्पोरेट शाखाओं के लम्बित प्रस्तावों/संदर्भों के निगरानी के लिए बैंक ने सिस्टम निर्मित किया है।

  प्रमुख उद्योग/सेवा क्षेत्रों जैसे मूलभूत सुविधाओं, स्टील, वस्त्र, एनबीएफसी, पीएसयू आदि के कार्पोरेट को इन बृहद कार्पोरेट शाखाओं द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।

मिड कार्पोरेट

संपूर्ण औद्योगिक विकास में मिड कार्पोरेट की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए बैंक ने अलग वर्टिकल बनाने का निर्णय लिया तथा 7 डिविजनल कार्यालय तथा 41 मिड कार्पोरेट शाखाओं को खोला। प्रस्तावों के प्रसंस्करण के लिए 12 ऋण प्रसंस्करण केन्द्रों (सीपसी) की स्थापना की गई।

इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए मिड कार्पोरेट वर्टिकल की स्थापना की गई जो कम जोखिम में उच्च लाभ प्रदान करता है।

मिड कार्पोरेट शाखाएं ₹100 करोड़ से ₹500 करोड के मध्य कुल बिक्री मिड कार्पोरेट को प्रदान करती हैं तथा परियोजना लागत ₹10 करोड़ से ₹100 करोड़ के बीच में है जो बुलियन तथा डायमंड क्षेत्र के ग्राहकों के अतिरिक्त है।

कुल घरेलू ऋण पोर्टफोलियो का 12.91% योगदान मिड कार्पोरेट वर्टिकल का होता है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान मिडकार्पोरेट शाखाओं के अंतर्गत कुल ऋण ₹30,949 से बढ़कर ₹34,923 करोड़ हो गया तथा 12.48% की वृद्धि दर्ज की।

नया कारोबार

जनवरी 2014 में नया कारोबार विभाग स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य पीएसयू, मिड तथा लार्ज कार्पोरेट से नया कारोबारी रिश्ता कायम करना है। जहां हमारा बैंकिंग रिश्ता नहीं है वहां बैंकिंग सुविधाओं का गुलदस्ता प्रदान कर ग्राहक की अपेक्षा अनुसार उत्पादों को बनाया जाए। इस विभाग के प्रमुख महाप्रबंधक है।

3 माह की अल्पावधि में, विभाग सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के काफी उद्यमों से रिश्ता निर्मित करने में सफल रहा। प्रमुख पब्लिक सेक्टर कंपनियों में संवितरण में काफी वृद्धि हुई। मिडियम टर्म प्लान के रूप में नया कारोबार विभाग ने मिड तथा लार्ज कार्पोरेट क्षेत्र से नए ग्राहकों को अच्छी संख्या में प्राप्त करने की योजना बनाई। वित्तीय स्थितियों के विश्लेषण के बाद लगभग 950 कार्पोरेट को विभाग ने चयनित किया तथा कार्पोरेट की भौगोलिक उपस्थिति के अनुसार सूची को मिड तथा लार्ज कार्पोरेट शाखाओं तथा आंचलिक कार्यालयों में आरंभिक रिश्ता निर्मित करने के उद्देश्य से परिचालित किया। दूसरे कदम के रूप में संभावित ग्राहकों से मिलने, उनकी आवश्यकताओं को समझने तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद को स्वरूप देने के लिए विभाग ने शाखाओं/अंचलों को सभी लॉजिस्टिक सहयोग प्रदान किया। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए बैंक की फीस आधारित आय को बढ़ाने के लिए सिंडिकेशन तथा प्रोजेक्ट फाइनान्स कारोबार प्राप्त करने के लिए विभाग ने प्रस्तावित किया।

परियोजना वित्तपोषण तथा सिंडिकेशन

बैंक ने परियोजना वित्तपोषण तथा सिंडिकेशन समूह में उच्च अनुभवी तथा शिक्षित प्रोफेशनल्स कार्यरत हैं। यह मूलभूत सुविधाओं तथा औद्योगिक परियोजनाओं के प्रस्तावों पर कार्य करते हैं।

यह तकनिकी अप्रेजल, अन्डरराइटिंग तथा ऋण सिंडिकेशन का कार्य करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान ₹6,915 करोड़ के परियोजना लागत सहित वित्तीय क्लोजर किया गया तथा सिंडिकेशन ऋण ₹4768 करोड़ रहा।

अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेशन ऋण के लिए बैंक मैनडेटेड लीड अरेन्जर (एमएलए) तथा ज्वाइंट बुक रनर (जेबीआर) के रूप में कार्य करता है तथा उद्योग के व्यापक रेंज को कवर करते हुए भारतीय कार्पोरेट के विस्तार/अधिग्रहण तथा संयुक्त वेंचर्स के लिए ऋण की व्यवस्था करता है।

टेक्निकल अप्रेजल विभाग जो सिंडिकेशन टीम को सहयोग प्रदान करता है वह सिंडिकेशन ऋण के अतिरिक्त औद्योगिक ऋण का मूल्यांकन करता है। इस टीम में प्रोफेशनल इंजिनीयर रहते है जो वर्ष के लिए प्रौद्योगिकी संबंधित जोखिम का मूल्यांकन करते हैं तथा बैंक को औद्योगिक आस्तियों की गुणवत्ता विकास में समर्थ बनाते हैं। इस विभाग ने वर्ष के लिए ₹15.90 करोड़ का फीस आधारित आय अर्जित की।

निर्यात ऋण

आयातकों तथा निर्यातकों ग्राहकों की घरेलू तथा विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति बैंक के प्रमुख कार्यों में से एक है। इस दिशा में कार्य करने के लिए पूरे देश में बैंक की 217 शाखाएं अधिकृत हैं जो आयातकों तथा निर्यातकों के ऋण/विदेशी विनिमय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं तथा विदेशी विनिमय कारोबार करती हैं। बैंक के निर्यात ऋण ने ₹1,898 करोड़ की वृद्धि दर्ज की है यथा मार्च 2013 के 21% वृद्धि 31 मार्च 2014 को ₹10,997 तक पहुंच गई। नेट समयोजित बैंक ऋण के निर्यात ऋण की हिस्सेदारी मार्च 2014 को 4.15% थी।

निर्यातकों तथा गैर-निर्यातकों दोनों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति बैंक की विदेशी शाखाओं के ईसीबी के द्वारा की जाती है तथा घरेलू शाखाओं द्वारा विदेशी मुद्रा ऋण का कार्य किया जाता है। इस प्रकार के अग्रिम की राशि 31.03.2014 तक यूएसडी 447 मिलियन है (इसीकी यूएसडी पर मिलियन तथा विदेशी मुद्रा ऋण यूएसडी 405 मिलियन मिलाकर है) जो ₹2,678 करोड़ के बराबर है। बैंक विदेशी मुद्रा में पोतलदान-पूर्व तथा पोतलदान-पश्चात निर्यात ऋण प्रदान करता है तथा 31.03.2014 तक बकाया राशि यूएसडी 585 मिलियन है (₹3,505 करोड़ के बराबर)।

लेन-देन (ट्रांजेक्शन) बैंकिंग

बैंक का ट्रांजक्शन बैंकिंग विभाग 3 कारोबारी लाइन पर केन्द्रित है, जिसमें बैंक के प्रमुख राजस्व प्राप्तकर्ता का उद्देश्य है जो निम्नलिखित हैं :-

- नकदी प्रबंधन सेवाएं,
- चैनल वित्तपोषण,
- ट्रेड वित्तपोषण, तथा

बैंक के कार्पोरेट तथा उच्च निवल मालियत (एचएनडब्ल्यू) ग्राहकों के घर पर सेवाएं प्रदान करना, नकदी प्राप्त करना (द्वार द्वार बैंकिंग) सभी शाखाओं के लिए है। लक्ष्य किए गए ग्राहकों से इस विषयक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है जिन्हें बैंक से विशाल राशि को लाने-ले-जाने की चिंताओं से छुटकारा मिला। वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने विपणन का विशेष प्रयास किया तथा छत्तीसगढ़ (रायपुर अंचल), झारखंड (रांची अंचल), उत्तरांचल (गाजियाबाद अंचल), आसाम तथा मेघालय (सिलीगुड़ी अंचल) के सरकार से संपर्क का बेहतर परिणाम प्राप्त किया।

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

5 महाद्विपों तथा 22 देशों की उपस्थिति में बैंक सभी प्रमुख वित्तीय केन्द्रों जैसे लंदन, न्यूयार्क, पेरिस, टोक्यो, सिंगापुर तथा हाँगकाँग में सेवाएं प्रदान करता है। 31.03.2014 तक बैंक की 56 विदेशी शाखाओं का नेटवर्क स्थापित हुआ जिसमें 5 प्रतिनिधि कार्यालय 5 सब्सिडरीज तथा/जॉइंट वेन्चर है।

सभी केन्द्रों फिनेकल प्लेटफार्म पर कार्यरत हैं जिससे प्रबंधन विकास प्रणाली तथा ग्राहक सेवा में विकास हुआ है।

मल्टी करेंसी अंतर्राष्ट्रीय सिंडीकेशन ऋण के लिए बैंक मैन्डेटेड लीड मैनेजर (एमएलए) तथा जॉइंट बुक रनर (जेबीआर) के रूप में काम करता है तथा भारतीय कार्पोरेट को उनके विस्ताार/अधिग्रहण तथा जॉइंट वेन्चर्स सहित व्यापक उद्योग को कवर करते हुए यूएसडी, जेपीवाई, यूरो तथा जीबीपी मुद्रा में ऋण की व्यवस्था करता है।

मुंबई में बैंक का ग्लोबल रेमिटेन्स केन्द्र (जीआरसी) है। आवक रेमिटेन्स, अनिवासी भारतीयों का एनआरआई/एनआरओ खाता खोलने का कार्य जीआरसी में केन्द्रीकृत है। जमाराशियों तथा धनप्रेषण के मामले में अनिवासी ग्राहकों हेतु सेवाएं हैं जिसमें धनप्रेषण के लिए एसएमएस अलर्ट तथा साथ ही साथ प्राप्त करनेवाले के लिए खाडी देशों में सेवाएं आरंभ की गई हैं। स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) हेतु तीव्र धनप्रेषण की सुविधा है। बैंक ने बीओआई प्रिमियम एनआर डिपॉजिट स्कीम का आरंभ किया है।

बैंक ने मोस्ट एफिशियन्ट बैंक अमंग्स्ट ऑल बैंक्स इन केन्या फॉर दि इयर 2012 थिंक बिजनेस तथा बेस बैंक अवार्ड फॉर आईसीटी प्राप्त किया।

31 मार्च, 2014 तक विदेशी शाखाओं की कुल जमाराशि ₹1,13,384 करोड़ रही जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹25,611 करोड़ (29%) की वृद्धि दर्ज की। कुल अग्रिम ₹ 1,11,969 करोड़ रहा जिसने पिछले वर्ष पर ₹ 23,022 करोड़ (26%) की रिकार्ड वृद्धि दर्ज किया। निवेश ₹ 5,661 करोड़ रहा। विदेशी शाखाओं का परिचालन लाभ मार्च, 2014 के अंत में ₹ 1431 करोड़ रहा जिसमें पिछले वर्ष पर ₹ 250 करोड़ की वृद्धि दर्ज किया। मार्च 2013 की तुलना में कुल लाभ में ₹669 करोड़ वृद्धि हुई। वैश्विक कारोबार तथा लाभ के योगदान के अनुसरण में विदेशी शाखाओं ने वैश्विक कारोबार में 26.41% योगदान दिया, परिचालनात्मक लाभ तथा कुल लाभ 31.03.2014 को समाप्त वर्ष में क्रमश: 16.99% तथा 24.51% रहा।

बुलियन बैंकिंग

बैंक ने नवंबर, 1997 में बुलियन बैंकिंग आरंभ किया। आरंभ में यह योजना सिप्ज़ तथा अहमदाबाद में आरंभ की गई तथा बाद में अन्य शाखाओं में लागू की गई। आज की तिथि तक यद्यपि 9 शाखाएं बुलियन कारोबार करने के लिए अधिकृत है तथा केवल 4 शाखाएं कारोबार कर रही हैं। सोने के निर्यातकों तथा घरेलू सुनारों के लिए कंसाइनमेन्ट के रूप में सोना प्राप्त किया गया। बैंक ने वर्ष 2013-14 में 16,159 किलो सोना बेचा तथा कुल बिक्री ₹ 4,179 करोड़ की रही जिसमें से ₹ 60 करोड़ का लाभ रहा। वर्ष के दौरान आय में 47.70% वृद्धि रही।

फॉरेक्स कारोबार

निर्यातकों तथा आयातको के विदेशी विनिमय की ज़रूरतों के परिप्रेक्ष्य में बैंक द्वारा सँभाले गए फोरेक्स कारोबार में अच्छी खासी वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2013-14 के दौरान, मर्चेंट और इंटर बैंक टर्नओवर क्रमश: ₹ 203,720 करोड़ और ₹ 499,187 करोड़ था। बैंक फारेक्स कारोबार में अग्रणी प्लेयर रहा है। वर्ष के दौरान बैंक की कोषागार शाखा का कुल टर्नओवर ₹ 702,907 करोड़ था।

ट्रेजरी निवेश

बेंचमार्क 10 वर्ष सरकारी प्रतिभूति पर आय जो 31 मार्च, 2013 को 7.96 % थी, यथा दिनांक 31.03.2014 को 8.80 % बढ़ गयी। यद्यपि वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों की आय अत्यधिक अस्थिर रही तथा यह 7.089 % से 9.473 % की विस्तृत दायरे में रही। हमारे बैंक ने ब्याज आय तथा बाजार जोखिम के बीच संतुलन कायम रखते हुए निवेश के उच्च स्तर बनाए रखे। हमारे बैंक ने निवल मांग एवं मियादी देयताओं की 23% की विनियामक ज़रूरतों से अधिक उच्च स्तर के एसएलआर निवेश बनाए रखा है ताकि अतिरिक्त एसएलआर रेपो/ सीबीएलओ विंडो से उधार के लिए प्रयोग किया जा सके। हमारे कुल आधार पर एसएलआर निवेश ₹ 91,943 करोड़ (कुल निवेश का 87.66%) तथा गैर एसएलआर निवेश ₹ 12941 करोड़ (कुल निवेश का 12.84 %) रहा। इस संबंध में व्यापक नीति के अनुरूप निवेश किए गए है जिसके बाजार की गतिविधियों / विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप नीति की आवधिक समीक्षा की जाती है।

ट्रेजरी परिचालन

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने बाजार के सभी क्षेत्रों अर्थात निधियों, फॉरेक्स तथा बांड में सक्रिय भूमिका निभाई है। सरकारी प्रतिभूतियों की दर गतिविधि से लाभ लेते हुए बैंक ने अपने निवेश संविभाग को सुधारा तथा प्रतिभूतियों की बिक्री एवं व्यवसाय से लाभ अर्जित किए। बैंक ने वर्ष 2012-13 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रतिभूतियों की बिक्री से लाभ में 78.08 % वृद्धि दर्ज की। बैंक ने विविध बाजार क्षेत्रों के मध्य अंतरपणन अवसर का लाभ उठाया है जिससे जमा प्रमाण-पत्र (सीडी), विदेशी विनिमय स्वैप की खरीद/बिक्री, मियादी मुद्रा बाजार में अधिक रुपया निधि रख पाया जिससे 1.00% से 1.50 % का विस्तार हुआ। बैंक ने ''टी'' बिलों तथा अतिरिक्त प्रतिभूतियों के विरुद्ध सीबीएलओ/रेपो में उधार लेकर सीडी में ₹ 364 करोड़ का पोर्टफोलियो तैयार किया है जिससे अनुमानत: 0.25 % से 0.75 % का विस्तार प्राप्त हुआ है।

नैशनल बैंकिंग ग्रूप (प्रधान कार्यालय) :

ग्रामीण बैंकिंग

1. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम:

प्राथामिक प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम बड़ा कारोबारी मौका प्रदान करने के अलावा, व्यापक सामाजिक जिम्मेदारियां भी प्रदान करते हैं। बैंक ग्रामीण एवं अर्धशहरी शाखाओं के अपने व्यापक नेटवर्क एवं समर्पित कार्मिकों के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने में अग्रणी रहा है। बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 82,021 करोड़ का उत्कृष्ट स्तर दर्ज किया है जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40.45 % है।

विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत बैंक वित्तीय वर्ष तक ₹ 19,130 करोड़ का संवितरण कर सका। विभिन्न खंडों के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की स्थिति निम्नलिखित है:

(राशि करोड़ में)

	यथा 31 मार्च		वृद्धि	
	2013	2014	राशि	प्रतिशत
1. कृषि	27,041	36,071	9,030	33.39
2. लघु उद्यम	28,913	35,504	6,591	22.80
3. शिक्षा	2,329	2,597	268	11.51
4. आवास	6,790	7,517	727	10.71
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	**65,518**	**82,021**	**16,503**	**25.19**

2. केंद्रित जिलों में केंद्रीय प्रसंस्करण केन्द्र

कृषि ऋण में वृद्धि और ऋण प्रस्तावों की मंज़ूरी / संवितरण में टर्नअराउंड समय को कम करने के उद्देश्य से चयनित अंचलों में केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अब तक विभिन्न अंचलों/ राज्यों में 52 सीपीसी कार्यरत हैं।

3. किसान क्रेडिट कार्ड:

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य कृषकों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के साथ-साथ गैर-कृषि गतिविधियों को पूरा करने के साथ यह भी उद्देश्य है कि उन्हें ऋण उपयोग के बारे में लचीली तथा परिचालनात्मक स्वतंत्रता मिल सके। वर्ष के दौरान बैंक ने कुल ₹ 6,155 करोड़ की कुल सीमा वाले 4.50 लाख नए किसान कार्ड जारी किए। बैंक द्वारा अब तक 17.08 लाख किसान क्रडिट कार्ड (संचयी) जारी किए जिसमें ₹ 18,155 करोड का वित्तीय परिव्यय शामिल है।

4. ऋण अदला-बदली (स्वैप) :

बैंक ने नई योजना यथा ऋण अदला-बदली डिज़ाइन की है जिसका उद्देश्य ऋणग्रस्त कृषकों को साहूकारों के बकाया देय से मुक्ति दिलाना है तथा अस्वाभाविक दरों पर गैर-संस्थागत देनदारों से ऋण भार से कृषकों को हो रही कठिनाईयों को कम करना है। इस योजना के प्रभावी कार्यांवयन के लिए 51 अग्रणी जिलों के सभी जिला प्रबंधकों को मुख्य भूमिका निभानी होगी .

5. विभेदक ब्याज दर:

बैंक द्वारा कार्यान्वित विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना नाम के अंतर्गत उत्पादक उद्यमों हेतु चयनित कम आय समूहों को 4% की छूट दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है। बैंक ने इस वर्ष के दौरान डीआरआई योजना के तहत 4094 मामले स्वीकृत किए गए हैं।

6. अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम:

अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु केन्द्रित ध्यान सहित, बैंक विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों जैसे सिख, मुस्लिम, इसाई, जोरास्ट्रियन तथा बौद्ध को वित्त प्रदान कर रही है। वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों को ₹ 4,544 करोड़ का वित्त दिया है और यथा मार्च, 2014 को ₹ 12,295 करोड़ का अतिदेय स्तर दर्ज किया गया।

7. स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना:

बैंक सक्रिय रूप से स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जीजेआरएचएफएस) के कार्यान्वयन में शामिल है तथा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आबंटित 8100 इकाई के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत बैंक ने 20119 मामलों को स्वीकृत किया।

बैंक ने वित्तीय समावेशन को महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक नए कारोबारी इकाई के रुप में तैयार किया है जिसमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना है। बैंक ने कारोबारी संपर्कियों एवं आईसीटी आधारित हैंड धारित उपकरणों (माइक्रो एटीएमों) के माध्यम से 40160 गाँवों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने अन्तर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं वाले नो फ्रिल अकाउन्ट्स के माध्यम से 125 लाख

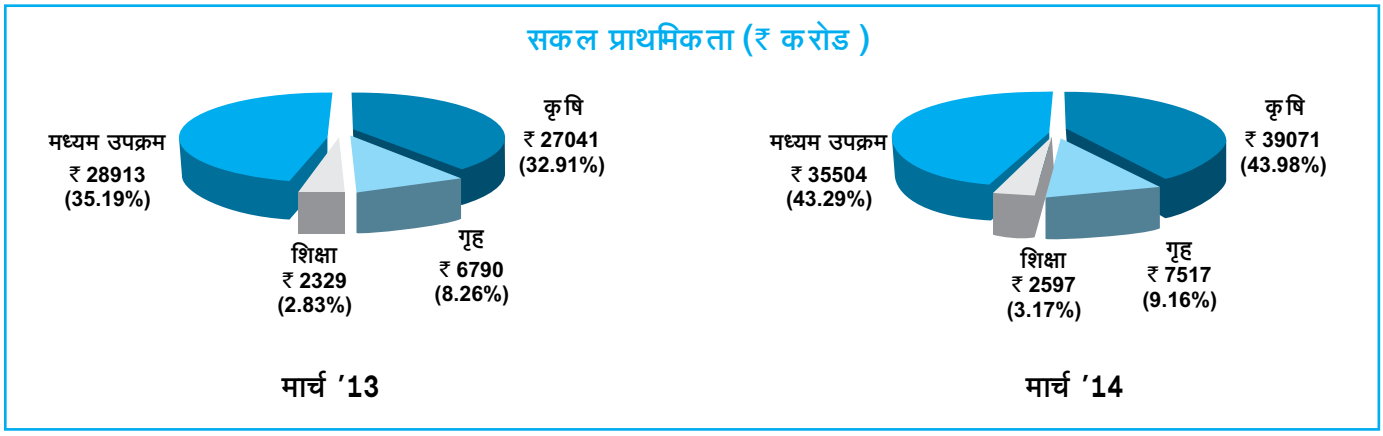

8. सूक्ष्म वित्त/सूक्ष्म ऋण और महिलाओं को ऋण

सूक्ष्म ऋण की योजना गरीबों को गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने के लिए उन्हें बढ़े हुए स्व-नियोजन अवसर प्रदान कर उन्हें ऋण लेने योग्य बनाने के लिए एक प्रभावशाली साधन के रूप में पाई गई है। बैंक महिलाओं को ऋण देने में सक्रियता से सभागिता कर रहा है और प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ₹ 10,502 करोड़ का बकाया स्तर दर्ज किया है जिसमें ₹ 787 करोड़ सूक्ष्म ऋण के तहत है।

9. सौर ऊर्जा आवास प्रकाश प्रणाली

बिजली की समस्या से निपटने के लिए बैंक ने सौर उर्जा आवास बिजली प्रणाली की योजना का आरम्भ किया है। सौर ऊर्जा आवास प्रकाश प्रणाली की खरीद तथा संस्थापन के लिए भावी उधारकर्ताओं को बैंक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ₹ 8.50 करोड़ के वित्तीय परिव्यय सहित बैंक ने अब तक 2456 इकाइयां स्वीकृत की है।

10. नया कृषि उत्पाद :

कृषकों की ऋण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने और कृषि ऋण को बढ़ाने के लिए 6 नए कृषि उत्पाद आरंभ किए गए : 1) कृषि गोल्ड/ सिल्वर ऋण 2) किसान आल पर्पस लोन 3) एस्टेट पर्चेस लोन 4) किसान तत्काल योजना 5)पर्चेस ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी स्कीम्स सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, सोलर पम्प सेट और सोलर वॉटर हीटर तथा 6) पर्चेस ऑफ लैण्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस 11. अग्रणी बैंक दायित्व : पांच राज्यों यथा झारखण्ड (15), महाराष्ट्र (14), मध्य प्रदेश (13), उत्तर प्रदेश (7) तथा उड़ीसा (2) में फैले 51 जिलों की अग्रणी बैंक का दायित्व बैंक के पास है। इन सभी अग्रणी जिलों में बैंक सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक के लिए ₹ 10,581 करोड़ का ऋण व्यय शामिल करते हुए सभी अग्रणी जिला में वर्ष 2013-14 के लिए लिए वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) लागू की गई। बैंक की उपलब्धि ₹ 10,672 करोड़ रही जो वार्षिक ऋण योजना उपलब्धि का 100.86 % है।

बैंक को झारखंड राज्य में एसएलबीसी को अग्रणी बैंक संयोजक के रूप में पदनामित किया गया है।

वित्तीय समावेशन

देश के दीर्घकालिक विकास तथा विस्तृत विकास प्रक्रिया का वित्तीय समावेशन एक अनिवार्य पक्ष है। वित्तीय समावेशन को व्यवहार्य कारोबारी प्रस्ताव समझते हुए विपणन अभिमुख पहल को अपनाते हुए वित्तीय समावेशन में कूटनीति के परिवर्तन हैं। प्रतिमान नि:संदेह सीएसआर से आर्थिक व्यवहार्यता में परिवर्तित हुआ। वित्तीय क्षेत्र द्वारा आवश्यक सुरक्षित और प्रभावशाली ढंग से कम लागत लेनदेन आईसीटी आधारित सॉल्यूशन की उपलब्धता से संभव हो सका है। दायित्व के बजाए सम्पार्श्व अवसर के द्वारा बैंक प्रत्याशित बैंकिंग सेवाएं को देख रहा है।

लोगों को जोड़ा है। ऐसा उनको तुरंत उपयोग संबंधी जरूरतों और पात्र लोगों को उद्यम क्रेडिट प्रदान करने के लिए किया गया है ताकि वे पर्याप्त जीविका अर्जित कर सकें। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों/स्वयं नियोजितों को मोबाइल आधारित धनप्रेषण सुविधा भी मुहैया करायी गयी है ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों को धनराशि भेज सके और अन्य सेवाओं के साथ-साथ माइक्रो इंश्योरेंस सहित बैंक के थर्ड पार्टी उत्पादों तक अपनी पहुँच रख सकें। बैंक सरकार की केन्द्रीय/राज्य सरकारों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना को प्रभावी ढ़ंग से पूरा कर रहा है।

बैंक आवश्यक भुगतान और अन्य आधारभूत संरचना सहायता देते हुए लाभार्थी के खाते में सीधे लाभ अंतरण के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना को प्रभावी ढ़ंग से पूरा कर रहा है।

वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) 2013-14 के अंतर्गत प्रगति निम्नानुसार हैं :

- खोले गए बेसिक बचत बैंक खातों की संख्या : 107.28 लाख
- जारी स्मार्ट कार्डों की संख्या : 22.68 लाख
- जारी जीसीसी/केसीसी : 22.10 लाख
- लगाए गए कारोबार संपर्की : 6072
- लगाए गए चैनल प्रबंधन साझेदार : 105
- गांवों की संख्या जहां 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त : 14060

बैंक ने 31.03.2014 तक 2000 से अधिक जनसंख्या वाले समस्त 4404 आबंटित गांवों में 100% वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त किया। पर्याप्त जोखिम प्रशामकों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं वाली बेहतरीन परिचालन प्रणालियाँ बनायी गई हैं और अमल में लाई जा रहीं हैं।

स्टार स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)

ग्रामीण युवाओं के बीच बेरोजगारी की समस्या से निपटने के उद्देश्य से बैंक ने वर्ष 2005 में स्टार स्वारोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (एसएसपीएस) नामक समर्पित ट्रस्ट की स्थापना की पहल की। ट्रस्ट की स्थापना के तत्काल बाद दो एसएसपीएस (आरसेटी) की स्थापना भोपाल एवं कोल्हापुर में की गई। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस पहल को मूल्यवान माना तथा इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना देश के प्रत्येक जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण बीपीएल युवाओं को तलाश हेतु प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव दिया। स्थापना, अभिधान, प्रायोजन, प्रबंधन कार्यक्रम संरचना, स्टाफ एवं प्रशासन, एमआईएस परिभाषित किए गए। बैंक को संस्थाओं की स्थापना हेतु 43 केंद्र आबंटित किए गए। बैंक ने ऐसी 43 संस्थाएं झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में स्थापित की है। इन केंद्रों में 25,308 क्रेडिट इंपुट के साथ इस तारीख तक 57,676 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बैंक ने

रांची (झारखंड), बाराबांकी (उत्तर प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), पेन (महाराष्ट्र) तथा बेलगांव (कर्नाटका) में प्राथमिक स्वास्थ्य पर ध्यान, वयस्क साक्षरता, विस्तृत वित्तीय पहुंच तथा वृद्धि की योजना, सिविल सोयायटी संस्थाओं को सुदृढ़ करना, पर्यावरणीय स्थिरता इत्यादि में एसएसपीएस (आरसेटी) के कार्यक्षेत्र में विस्तार हेतु पांच एकीकृत एसएसपीएस (आरसेटी) का विस्तार/स्थापित करने की योजना बनाई है। बैंक इन क्षेत्रों में व्यापक चुनौतियों का सामना करने हेतु पब्लिक, निजी एवं सामाजिक क्षेत्र के विविध संसाधनों को साथ लाने के लक्ष्य से रणनीतिक साझीदारी करना चाहता है और इसे बढ़ाना चाहता है।

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्शी केंद्र (अभय)

बैंक ने दैनिक आधार पर व्यक्ति वित्त से संबंधित मामलों पर वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं के साथ वित्तीय व्यवहार की जटिलताओं के मूल्यांकन हेतु आम आदमी को वित्तीय साक्षरता देने की आवश्यकता को समझा है। आगे, जो ऋण के अप्रबंधन के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हें भी दिवालियापन एवं चुकौती दायित्व से बाहर निकलने हेतु ऋण परामर्श की आवश्यकता है ताकि उनकी वित्तीय प्रबंधन में सुधार हो सके। इस परिप्रेक्ष्य में बैंक ने 5 (पांच) ऋण परामर्शी केंद्र अभय नाम से मुंबई, वर्धा, गुमला, कोलकाता और चेन्नै में खोले हैं जिनका कार्य वरिष्ठ एवं अनुभवी बैंकरों द्वारा देखा जा रहा है।

अभय की संकल्पना को विस्तार देते हुए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड के मार्गदर्शन के अनुसार 54 वित्तीय साक्षरता केन्द्र खोले हैं।

व्यवस्थित उधारकर्ताओं के लिए अलग-अलग मामलों हेतु उपचारात्मक परामर्श के अलावा, मिडिया, कार्यशाला एवं सेमिनार के माध्यम से निवारण परामर्श भी दिया जा रहा है। अब तक परामर्श के 206357 मामले लिए गए जिनका निवारण तत्काल करके व्यथित उधारकर्ताओं के चेहरों पर मुस्कान लाई गई।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

बैंक ने 4 (चार) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) झारखंड ग्रामीण बैंक (झारखंड), आर्यवर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (उत्तर प्रदेश), नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक (मध्य प्रदेश) तथा विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (महाराष्ट्र) में प्रायोजित किए हैं। सभी आरआरबी लाभ अर्जित कर रहे हैं। समस्त शाखाएं और प्रशासनिक कार्यालय कारोबार के साथ सीबीएस के अधीन लाई गई है। यह बैंक आरटीजीएस एनईएफटी और एटीएम सेवाएं देने में समर्थ हैं। समस्त आरआरबी का शाखा विस्तार 1524 है जिन्होंने ₹ 30,891.30 करोड़ का मिश्रित कारोबार किया है।

कुछ महत्वपूर्ण पहलें

- ★ राष्ट्रीय कौशल्य विकास निगम (एनएसडीसी) परियोजना हेतु बीसी नेटवर्क का उपयोग
- ★ आधार कार्ड पंजीकरण - अंदाजित 350 लाख संपूर्ण

पुरस्कार

- ★ बैंकॉन पुरस्कार 2013
- ★ एफआई तकनीकी के लिए रनर अप के रूप में आईबीए पुरस्कार
- ★ एफआई में तकनीकी पहलों के लिए फिप्स 2013 पुरस्कार
- ★ इंदौर महानगरपालिका की परियोजना सक्षम के संयुक्त राष्ट्र एवं अपने कॉर्पोरेट बीसी के साथ संयुक्त अनुपालन हेतु आइटीयू पुरस्कार

खुदरा ऋण

वर्ष 2013 -14 के दौरान बैंक ने मज़बूत रिटेल ऋण संविभाग बनाने की नीति का अनुशीलन किया। वित्तीय वर्ष 2013-14 के मंदी पश्चात अवधि में अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान में रिटेल क्रेडिट के अवसर प्रदान किए। बैंक का रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो यथा 31 मार्च, 2014 को ₹ 22350 करोड़ से बढ़कर ₹ 29,600 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान रिटेल क्रेडिट की रुपरेखा का फिर से परिनिश्चय किया गया। बैंक ने रिटेल होम लोन/सम्पत्ति के निमित्त ऋण की प्रोसेसिंग और गठबंधन व्यवस्था के मामले में वाहन ऋणों एवं शैक्षणिक ऋण प्रस्तावों की प्रोसेसिंग को भी तीव्र करने के लिए देश के बड़े शहरों में 23 आरबीसी स्थापित किए हैं। होम लोन खंड में 27 % की वृद्धि दर्ज की गयी जिसके फलस्वरूप ये ऋण (मार्च 2013) के ₹ 10,267 करोड़ से बढ़कर (मार्च 2014) में ₹ 13081 करोड़ हो गए। बैंक ने बिल्डरों के साथ गठबंध करने के लिए मूलभूत दिशानिर्देश तैयार किए है ताकि यह सुनिश्चित हो कि गठबंधन व्यवस्थाएं केवल अच्छा ट्रैक रिकार्ड रखने वाले बिल्डरों के साथ ही हो। आंचलिक प्रबंधकों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर प्रतिष्ठित बिल्डरों के साथ गठबंधन करें। शैक्षणिक ऋणों में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी और इस वर्ष के दौरान ₹ 2412 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,652 करोड़ हो गए। बैंक ने ब्याज सब्सिडी स्कीम को भी अंगीकार किया है जिसमें वे उधारकर्ता जिन्होंने वर्ष 2013 -14 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान शैक्षणिक ऋण लिया है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से है, नोडल बैंक के जरिए भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय से शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

बैंक स्टार शिक्षा ऋण योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता देता रहा है। इस प्रयोजन के लिए आंचलिक कार्यालय को मार्केटिंग टीमें स्थानीय संस्थानों के साथ लगातार गठबंध व्यवस्था कर रही है ताकि विद्यार्थियों की जरूरतों को शाखाओं द्वारा त्वरित रूप से पूरा किया जा सके। बैंक ने शिक्षा ऋण के तहत बीओआई स्टार विद्या ऋण को पुन: परिभाषित किया है ताकि आईआईटी/आईआईएम/एनआईडी इत्यादि जैसे देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थिओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

वाहन ऋण में भी 15% की वृद्धि दर्ज की गयी जिससे वे इस वर्ष के दौरान ₹ 2,037 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,351 करोड़ हो गए। विभिन्न प्रतिष्ठित ऑटो विनिर्माताओं जैसे मारूति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुण्डई मोटर्स, महिंद्रा एण्ड महिंद्रा तथा आईसीएमएल के साथ गठबंध व्यवस्था की कार्यनीति ऑटोफिन पोर्टफोलियों को बढ़ाने के लिए अच्छी खासी लीड्स मुहैया करा रही हैं। प्रमुख रिटेल ऋण योजनाओं में वृद्धि निम्नानुसार रही:-

(₹ करोड़ में)

योजना	31.03.2013	31.03.2014	ग्रोथ एवं ग्रोथ %
स्टार गृह ऋण योजना	10267	13081	2814 / 27%
स्टार शिक्षा ऋण योजना	2412	2652	240 / 10%
स्टार वाहन ऋण योजना	2037	2351	314 / 15%
स्टार पर्सनल ऋण योजना	779	927	148 / 19%
स्टार बंधक ऋण योजना	2007	2971	964 / 48%

एसएमई

वर्ष 2013-14 के दौरान एमएसएमई खण्ड के अंतर्गत बैंक का कार्यनिष्पादन अपेक्षानुरूप था। इस दौरान बाज़ार में ऋण हेतु सामान्यत: मांग कम थी फिर भी हमने वर्ष दर-वर्ष 21% से अधिक वृद्धि दर्ज की है। विगत वर्षों में लिए गए कुछ निर्णयों जैसे एसएमई कारोबार हेतु नए वर्टिकल का सृजन, प्रतिबद्ध सेल्स फोर्स युक्त विशेषीकृत प्रसंस्करण कक्षों की स्थापना आदि की वज़ह से अच्छे परिणाम आने लगे हैं और इस क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में इन निर्णयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

एमएसएमई के तहत बैंक का कार्य निष्पादन

- ★ **बिजनेस ग्रोथ:**-एमएसएमई आउटस्टैन्डिंग ₹ 45,081 करोड़ वर्ष -दर- वर्ष 21.04% की ग्रोथ दर्ज की।
- ★ **एमएसई के तहत कार्य निष्पादन :** एमएसएमई आउटस्टैन्डिंग ₹ 38,686 करोड़ वर्ष -दर- वर्ष 21.15%. की ग्रोथ दर्ज की।
- ★ **एमएसई विनिर्माण क्षेत्र** ₹ 16,031 करोड़ (मार्च 2013) से बढ़कर ₹ 20,095 करोड़ (मार्च 2014) हो गया है, इसमें वर्ष-दर-वर्ष 25.35% की वृद्धि हुई।
- ★ **एमएसई में माइक्रो सेक्टर का शेयर** मार्च 2013 की यथा स्थिति 49.54% से थोडा घटकर यथा मार्च, 2014 को 47.69% हो गया।
- ★ **माइक्रो खातों की संख्या में वृद्धि :** वर्ष 2013-14 के दौरान माइक्रो सेगमेंट के अंतर्गत 93,903 खाते मंजूर किए गए जिसके फलस्वरूप अनिवार्य 10% वृद्धि के लक्ष्य के निमित्त यथा 31.03.2013 को खातों की संख्या में 18.60% की वृद्धि दर्ज की गई।
- ★ **सीजीटीएमएसई के तहत बैंक का कार्य निष्पादन** वर्ष 2013-14 के दौरान सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत 33,930 खाते जोडे गए जिसके तहत कुल ₹2,351.17 करोड़ का एक्पोज़र कवर किया गया। योजना के अंतर्गत कवरेज की दृष्टि से पीएसयू बैंकों में हमारा प्रथम स्थान बरकरार है। यथा मार्च 2014 हमने योजना के अंतर्गत कुल ₹9,614.22 करोड़ के एक्स्पोज़र की कवरेज सहित हमारा कुल कवरेज 1.51 लाख खाते हैं।

★ **पीएमईजीपी के तहत बैंक का कार्य निष्पादन** वर्ष 2013-14 के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत कुल ₹157.65 करोड़ की सीमा सहित 503 खाते मंजूर किए गए हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए पीएमईजीपी के अनुपालन में श्रेष्ठता हेतु बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार एमएसएमई मंत्रालय के तहत खादी एवं ग्राम आयोग द्वारा दिया गया।

एमएसएमई के तहत ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां:-

★ वित्तीय वर्ष 2013-14 के प्रारंभ में टॉप 100 एसएमई उधारकर्ताओं को पुरस्कृत किए जाने के पश्चात हमारे बैंक ने वर्ष के दौरान देश भर में 23 शहरों में आयोजित सभी कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता की। ये कार्यक्रम इंडिया एसएमई फोरम द्वारा आयोजित किए गए थे जो कि एक एनजीओ है जिसके साथ हमने बैंक के ब्रांड प्रमोशन हेतु टाइ-अप व्यवस्था की थी।

★ इस योजना को पात्र सीमा तक अनिवार्य नियम के अंतर्गत लाकर सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत उधार को बढ़ावा दिया है। योजना के संबंध में उधारकर्ताओं में जागरूकता पैदा करने हेतु इसका विस्तृत प्रचार-प्रसार किया गया।

★ एसआरटीओ और उपकरण वित्त के माध्यम से एमएसई क्षेत्र को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु वर्ष के दौरान 5 नए ओईएम के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यथा 31 मार्च 2014 ऐसे ओईएम की संख्या 14 थी।

★ इस क्षेत्र और अधिक वृद्धि हासिल करने के लिए माइक्रो क्षेत्र में ₹ 10 लाख से अधिक और ₹ 100 लाख तक की सीमाओं हेतु सभी मामलों के लिए ब्याज दर में 1% की कटौती की गई है।

★ अर्हता प्राप्त डॉक्टरों से कारोबार हासिल करने हेतु आकर्षक खूबियों सहित नया उत्पाद बीओआई डॉक्टर प्लस शुरु किया गया है। उनकी कारोबारी आवश्यकताओं के लिए कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

★ 21 एसएमई सिटि सेन्टरों ने मिलकर यथा 31 मार्च 2014 को कुल ₹ 9,733.89 करोड मंजुर किया है। इसमें से ₹ 7,225.61 करोड इन वर्ष के दौरान वितरित किए गए और परिणाम स्वरूप उन्होंने केन्द्रों के खोले जाने के प्रमुख उद्देश्य को पूरा किया।

★ विभिन्न एनबीएफसी की प्रतिभूतीकृत आस्तियों के प्रत्यक्ष असाइन्मेंट मार्केट मे प्रवेश किया और इस व्यवस्था के अंतर्गत लगाया ₹ 500 करोड का कारोबार संग्रहित किया।

बैंक का पुनर्गठन

पुनर्गठन के हिस्से के रूप में, दो पृथक बिजनेस ग्रुप यानी नेशनल बैंकिंग ग्रुप और होलसेल एंड इन्टेरनेशनल बैंकिंग ग्रुप सम्बन्धित कारोबारों पर संकेन्द्रीकृत ध्यान देने के लिए बनाए गए हैं। प्रत्येक समूह अपने दायरे में आने वाली विभिन्न कारोबारी इकाइयों के कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। संरचनाओं की कार्यशैली, प्रक्रियाओं और बिजनेस फोकस से हुए अनुभव के आधार पर इसे वित्तीय वर्ष 2013-14 में और परिष्कृत किया गया है। इस बारे में किए गए कुछ बदलाव निम्नानुसार है:

★ विशेषीकृत प्रोसेसिंग सेन्टर्स यानी एसएमईसीज् और आरबीसीज् से सहायक महाप्रबंधक द्वारा हैडेड एनबीजी शाखाओं को अलग करके प्रतिक्रिया समय को और कम करने की कोशिश की गयी है।

★ बैंक ने मिड कॉर्पोरेट बिजनेस पर फोकस को बढ़ाने का निर्णय लिया है इसके लिए सहायक महाप्रबंधक एवं मुख्य प्रबंधक द्वारा हेडेड शाखाओं को लार्ज कॉर्पोरेट एवं मिड कॉर्पोरेट बिजनेस करने की अनुमति दी गयी है। इस अभियान के पीछे हमारा मकसद यह है कि ऐसी बहुत सारी शाखाएं भी ऐसा कारोबार कर सकें जो अब तक मिड कॉर्पोरेट/लार्ज कॉर्पोरेट शाखाओं के लिए ही सीमित था।

★ आरबीसी और एसएमईसीसी का विलयन करके कुछ मल्टिपल सीपीसी स्थापित किए गए। अब वे एसएमई और रिटेल दोनों कारोबार कर सकते हैं। कुछ जगहों पर ग्रामीण सीपीसी को भी मर्ज किया गया है ताकि वे रिटेल, एसएमई और ग्रामीण कारोबार कर सकें।

★ छत्तीसगढ़ और झारखण्ड राज्यों को कवर करते हुए एक नया एनबीजी बनाया गया है।

★ बैंकों में आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली पर दामोदरन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु हमारे बैंक ने मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी नियुक्ति किया है। वे, ग्राहकों के शिकायतों के त्वरित निवारण और बैंक की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली में ग्राहकों के विश्वास को सुदृढ़ करने हेतु ज़िम्मेदार होंगे।

'भावी समय की शाखा' परियोजना

ग्राहकोन्मुख पहल जारी रखते हुए, कुछ और शाखाओं को भविष्य की शाखा में परिवर्तित किया गया जिसके परिणामस्वरुप वित्तीय वर्ष 2014 के अंत तक ऐसी शाखाओं की कुल संख्या 131 हो गई। इन मे अत्याधुनिक शाखाओं में विशाल ग्राहक-क्षेत्र होता है और सेल्फ सर्विस के ग्राहकानुकूल उपकरण होते हैं। भविष्य की शाखा के कुछ प्रमुख विशेष तत्व निम्नानुसार हैं :

★ इन शाखाओं की आंतरिक साजसज्जा को इस प्रकार सौंदर्यपूर्ण बनाया गया है जिससे कि ग्राहकों के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाय और पर्याप्त बैठने की व्यवस्था हो जाए।

★ डिस्टिंक्ट फ्रंट ऑफिस और इन ब्रांच बैंक ऑफिस संव्यवहारों के प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए सृजित किए गए हैं।

★ स्वयं परिचालित पासबुक प्रिंटिंग किऑस्क के जरिए ग्राहकों को यह कार्य करने के लिए समर्थ बनाया गया है।

★ क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और अधिक व्यवस्थित ढंग में गतिविधियां करने वाले फ्रंट लाइन ग्राहकों को मैनेज़ करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है।

★ ग्रेटर सेल्स पुश और ग्राहक संतुष्ट हासिल करने के लिए शाखा की टीम के सदस्यों हेतु नई भूमिकाएं और उत्तरदायित्व परिनिश्चित किए गए हैं।

★ इन शाखाओं में कार्य कर रहे स्टाफ को बेहतर ग्राहक प्रबंधन और क्रॉस सेलिंग हेतु प्रशिक्षण दिया गया है।

इन शाखाओं के ग्राहक इस बदलाव और नई व्यवस्थाओं से बेहद प्रसन्न हैं। शाखा परिचालनों की समग्र दक्षता इस पहल के फलस्वरूप उन्नत हुई है और इन शाखाओं में ग्राहक अर्जन और कारोबारी लीड में काफी बढ़ोतरी हो रही है।

ई-गैलरी परिकल्पना

विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राहकों द्वारा स्वचालित किऑस्क की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए, एटीएम, पास-बुक प्रिंटर और नकद स्वीकार करनेवाली मशीनों/बल्क नोट एक्सेप्टर्स जैसे स्वचालित किऑस्क से लैस ई-गैलरी 24x7 आधार पर स्थापित किए गए हैं। शाखाओं में प्रत्यक्ष रुप से जितने ग्राहक कम आएंगे, शाखाओं में ग्राहक सेवा उतनी ही बेहतर होगी। चेक एक्सेप्टेन्स किऑस्क, इंटरनेट किऑस्क और ग्राहक फीडबैक किऑस्क जैसे अन्य स्वचालित किऑस्क भी 24x7 आधार पर स्थापित किए जाने की योजना है। वर्तमान में 50 से अधिक ई-गैलरी लोकेशन का चयन किया गया है जिसमें से 19 कार्य कर रहे हैं।

ग्राहक सेवा प्रबंधन समाधान या पुनर्निर्माण

ग्राहक-शिकायत-निवारण में दक्षता लाने के उद्देश्य से बैंक ने अपने कॉर्पोरेट वेबसाइट ओर आंतरिक नेटवर्क में अपना वर्तमान ग्राहक सेवा प्रबंधन समाधान का पुनर्निर्माण किया है। इस पुनर्निर्मित समाधान में बेहतर खूबियां है। जैसे वेबसाइट में शिकायत निवारण पोर्टल में दर्ज शिकायतों की ऑटोमैटिक रिकॉर्डिंग, ई-मेल द्वारा प्राप्त शिकायतों का ऑटोमैटिक ट्रांस्फर, दक्षतापूर्ण स्टेटस ट्रेकिंग, बेहतर मूल कारण विश्लेषण हेतु शिकायत-वर्गों का विस्तार और त्वरित निवारण हेतु तुरंत संबंधित विभाग को शिकायत का अग्रेषण।

वैकल्पिक प्रस्तुति माध्यम

बैंक ग्राहकों की पसंद के लिए विभिन्न प्रकार के क्रेडिट कार्डों की पेशकश कर रहा है। बैंक से संबद्ध दो बैंक यथा बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि. भी है जो ब्रांडनाम इंडिया कार्ड के अधीन क्रेडिट कार्ड जारी कर रहे हैं। वर्ष के दौरान कार्ड जारी करने के कुल कारोबार में 8.98% वृद्धि दर्ज की गई जो ₹ 426.44 करोड़ रही एवं टर्नओवर अधिग्रहण में 8.40% की वृद्धि हुई जो ₹ 350.16 करोड़ रही।

डेबिट कार्ड पर टर्नओवर अर्जित करते हुए 44.56% की वृद्धि दर्ज की गई और वह ₹1644.43 करोड़ हो गयी।

बैंक के पास विभिन्न प्रकार के डेबिट-सह-एटीएम कार्ड है। 01.04.2013 से 31.03.2014 तक कुल जारी डेबिट कार्ड 33.21 लाख रहे जिसमें 3.66 लाख स्टारलिंक इंटरनेशनल एटीएम-सह-डेबिट कार्ड (वीज़ा इलैक्ट्रॉन) 24.80 लाख बीओआई ग्लोकबल डेबिट-सह-एटीएम कार्ड (मास्टर कार्ड) 0.01 लाख प्लेनटियम डेबिट कार्ड (मास्टर) 0.72 लाख बिंगो कार्ड और रु पे कार्ड तथा 1.80 लाख बिंगो कार्ड सम्मिलित है। वर्ष 2011-12 के दौरान डेबिट कार्डों ने 24.41% वृद्धि दर्ज की। यथा 31.03.2014 कुल डेबिट कार्ड 169.23 लाख है। वर्ष 2013-14 के दौरान हमने 9,723 गिफ्ट कार्ड (वीज़ा इलेक्ट्रॉन) जारी किए हैं।

एसएमएस अलर्ट्स स्टार संदेश

धोखाधड़ी के रोकथाम के रूप में, एसएमएस अलर्टस जनरेट किए जाते हैं और उन सभी ग्राहकों को मुहैया कराए जाते हैं जिन्होंने निम्न के लिए बैंक के पास अपने मोबाइल नंबर पंजीकृत करवाए हैं।

- डिलिवरी चैनलों (इंटरनैट बैंकिंग/एटीएम/पीओएस) से सभी नामे संव्यवहार
- ग्राहक द्वारा किए गए सभी ₹10,000/- और अधिक के नामे और जमा संव्यवहार
- ₹10,000/- और अधिक की सभी नामे ईसीएस संव्यवहार
- सभी नामे आरटीजीएस संव्यवहार
- चेक बुक जारी करने के अनुरोध को स्वीकार करने पर अभिस्वीकृति
- स्टार ऑटोफिन और हाउसिंग खातों में देय किस्त के लिए अलर्ट

इंटरनेट बैंकिंग:

युटिलिटी बिल के भुगतानों, एयर एवं रेल टिकिट बुकिंग, ऑन लाइन शॉपिंग, इंटर बैंक और इन्ट्रा बैंक फंड ट्रासफर इत्यादि के लिए ग्राहकों को एक तीव्र और सुरक्षित इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है।

भारत में पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ़ इंडिया पहला ऐसा बैंक है जिसने अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी उपाय के रूप में रिटेल और कार्पोरेट इन्टरनेट बैंकिंग दोनों के लिए ही टू-फैक्टर ऑथेन्टिकेशन (2एफए) स्टार टोकन क्रियान्वित किया। बैंक के ग्राहक सुरक्षित किसी समय, कहीं से भी और हर प्रकार से झंझट मुक्त बैंकिंग का अपने घर और कार्यालय से अपनी सुविधानुसार माउस पर क्लिक करके लाभ उठा रहे हैं।

उपलब्ध कुछ फीचर्स इस प्रकार हैं:

- आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा का इस्तेमाल करके, हमारी स्टार कनेक्ट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के जरिए बैंकों में ऑन लाइन इंटर बैंक फंड ट्रान्सफर
- ऑटो पे हेतु बीओआई स्टार ई-पे अथवा विभिन्न युटिलिटी सर्विसेज/बिलों का ऑनलाइन भुगतान
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष केन्द्रीय उत्पाद और सेवा करों का ई-पेमेंट
- शेयर में ट्रेड करने के लिए स्टार ई-शेयर ट्रेड
- ई-फ्रेट पेमेंट
- विदेशी व्यापार का महानिदेशालय (डीजीएफटी) लाइसेंस फीस ऑन लाइन ई पेमेंट
- रेलवे और एयरलाइन्स टिकट की ऑनलाइन बुकिंग
- शिक्षा ऋण के लिए ऑन लाइन आवेदनपत्र
- इंटरनेट बैंकिंग से आईपीओज् के लिए एप्लीकेशन सर्पोटेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (एएसबीए) को देखने और आवेदन करने के लिए उपलब्ध ऑनलाइन सुविधा
- इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट करने में समर्थ बनाना
- इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड इस्तेमाल करके डेबिट-सह-एटीएम कार्ड पिन की हॉट लिस्टिंग/रिसेट/अनब्लॉक/चेंज
- वार्षिक टैक्स विवरण पत्र (फॉर्म 26 एएस)
- हमारा डेबिट-सह-एटीएम कार्ड रखने वाले ग्राहकों कोई लाइन पेमेंट की सुविधा प्रदान की गयी। इसे इससे ग्राहक क्रेडिट कार्ड और इन्टरनेट बैंकिंग खाते के अलावा अपने डेबिट-सह-एटीएम कार्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे।
- ऑन लाइन टर्म डिपॉजिट रसीद निकालते समय व मौजूदा टर्म डिपॉजिट रसीदों के लिए ऑनलाइन नामांकन सुविधा

स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)

बैंक ने नेशनल फाइनेन्शियल स्विच (एनएफएस) जॉइन किया है जिससे देश भर में 85,000+ से भी अधिक एटीएम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा, बैंक कैश ट्री, बीएएनसीएस एवं एसबीआई ग्रुप नेटवर्क का भी हिस्सा है। 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार हमारे 4225 एटीएम थे जिसमें से 1992 एमओएफ के तहत थे और शेष 2293 फेज VI के अधीन थे।

आईटी समर्थित सेवाएं:

संकल्प 10,000 के तहत बैंक की महत्वाकांक्षी ग्रोथ प्लान की प्रक्रिया में बैंक ने आईटी समर्थित गहन संभाव्यता वाले उत्पादों को तैयार और प्रचारित किया हैं ताकि हम न केवल पुराने ग्राहकों को बनाए रखें बल्कि नए ग्राहक भी अर्जित करें, विशेषकर टेक सैवी युवा पीढी के ग्राहक अर्ज हेतु प्रधान कार्यालय में एक अलग आईटी समर्थित सेवाएं विभाग बनाया गया है जिसका कार्य क्षेत्र निम्नानुसार है :

- इंटरनेट बैंकिंग : रिटेल बैंकिंग ग्राहक एवं कार्पोरेट ग्राहक
- मोबाइल बैंकिंग
- एटीएम
- कार्ड उत्पाद: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बिंगो कार्ड गिफ्ट कार्ड
- बीओआई स्टार रिवार्ड प्रोग्राम
- ई-कॉमर्स सुविधा
- ई-पे सुविधा
- डीमैट
- इन्स्टन्ट मनी ट्रांस्फर (आईएमटी)

इन्स्टन्ट मनी ट्रांस्फर:

बैंक के ग्राहक उन लाभार्थियों को निधि प्रेषित कर सकते हैं जिनके पास बैंक खाता नहीं है और डेबिट कार्ड भी नहीं है-

- कैश आउट सुविधा सहित नवोन्मेषी, सुरक्षित, सरल और झंझट रहित स्वदेशी मनी ट्रांस्फर सुविधा
- 24x7x365, सुविधा जिसका लाभ आरंभकर्ता और लाभार्थी/प्राप्तकर्ता दोनों उठा सकते हैं।
- एटीएम या रिटेल इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते हुए रकम भेजी जा सकती है।
- किसी ऐसे लाभार्थी/प्राप्तकर्ता को रकम भेजी जा सकती है जो बीओआई या किसी भी बैंक का ग्राहक न हो।
- लाभार्थी/प्राप्तकर्ता कार्ड का प्रयोग किए बिना किसी भी बीओआई आईएमटी समर्थित एटीएम से रकम आहरित कर सकता है। (बैंक की वेबसाइट पर आईएमटी समर्थित एटीएम की सूची प्रदर्शित की गई है।)
- सेल्फ सर्विस-बैंक के ग्राहक रिटेल इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम का प्रयोग करते हुए स्वयं संव्यवहार की पहल कर सकते हैं।
- जब लाभार्थी/प्राप्ताकर्ता को तत्काल या आपातकालीन स्थिति में नकद की आवश्यकता हो तो यह सुविधा उपयोगी होगी।
- जब लाभार्थी/प्राप्ताकर्ता का कोई बैंक खाता न हो या खाता नंबर मालूम न हो तो यह सुविधा उपयोगी होती है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

प्रारंभ में ही हम यह कहना चाहेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी मात्र एक सहयोग का कार्य नहीं है, बैंक में उसकी अहम भूमिका है। यह पूरे बैंक के कार्यों की जीवनरेखा है। हाल में कार्यान्वित पहलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

ग्राहक केन्द्रिय पहल :-

- **ई-गैलरी :** 19 स्थानों पर इसकी स्थापना की जा चुकी है। 50 स्थानों पर ई-गैलरी शुरु करने की योजना है और इसकी संख्या बढ़ाकर 100 स्थानों पर इसे शुरु किया जाएगा।
- **पास-बुक प्रिंटिंग किऑस्क :** पूरे भारत में 900 स्थलों पर लगाया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 3000 स्थलों पर पासबुक प्रिंटिंग किऑस्क स्थापित करने की हमारी योजना है।

- **कैश एक्सेप्टर किऑस्क :** पूरे भारत में 246 स्थलों पर इसकी स्थापना की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरे भारत में विभिन्न स्थलों पर 1246 कैश एक्सेप्टर किऑस्क लगाने की योजना है।
- **एटीएम की कुल संख्या :** चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एटीएम की कुल संख्या को बढाकर 8000 करने की योजना है। बैंक में एटीएम की संख्या 4375 से अधिक हो गई है।
- **आईएमटी :** इन्स्टेंट मनी ट्रान्स्फर (आईएमटी) सुविधा शुरु की गई। इस सुविधा के शुरु किए जाने से लाभार्थी बिना किसी बैंक खाते या एटीएम कार्ड के रकम आहरित कर सकता है।
- **सीआरएम परियोजना :** इससे पर्सनलाइज्ड सेवाएं बेहतर होंगी, सेवा-अनुरोध हेतु टर्नाराउंड टाइम कम होगा, नए उत्पादों की पेशकश सुविधा और व्यावसायिक सलाह, और यह डाटा-इन्टरफेस आधारित आपसी चर्चा उपलब्ध कराएगी और अत: इससे वस्तुपरक मूल्य मिलेगा।
- **नकदी प्रबंधन एवं चैनल फाइनान्सिंग :** प्रभावी नकदी प्रबंधन और चैनल फाइनन्सिंग हेतु वेब आधारित इन्टरफेस उपलब्ध कराता है।
- **ट्रेड फाइनान्स :** ग्राहकों को ट्रेड फैनान्स एप्लिकेशन हेतु वेब आधारित इन्टरफेस उपलब्ध कराना जिसे स्वदेशी एवं विदेशी परिचालनों हेतु कोर फिनैकल के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- **पेमेन्ट गेटवे सल्यूशन :** सभी प्रकार के कारोबार के लिए ऑनलाइन भुगतान महत्वपूर्ण हो रहे हैं। पेन्मेंट गेटवे के कार्यान्वयन से बैंक अन्य बैंकों एवं थर्ड पार्टियों को पेमेन्ट सेवाएं बेचकर राजस्व अर्ज कर सकता है।
- **मोबाइल बैंकिंग :** हम - स्टार टोकन एनजी - नाम से नया मोबाइल एप्लिकेशन शुरु कर रहे हैं। इस नए मोबाइल एप्लिकेशन से मोबाइल, टैब, आई पैड के माध्यम से इन्टरनेट बैंकिंग एक्सेस करने में सुविधा होगी और मल्टीफैक्टर ऑथेन्टिकेशन के ज़रिए सुरक्षित वेब ऐप एक्सेस उपलब्ध होगी। इसे बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के वर्तमान स्टार टोकन यूज़रों को उपलब्ध कराया जा सकता है।
- **सोशियल मीडिया का अंगीकार :** अनुभव, अनुपालन जैसे अनुबोधक कारकों को ध्यान में रखते हुए।
- **पीपीएफ खाते में राशि जमा करना:** पीपीएफ के लिए स्थायी अनुदेश सृजन की सुविधा सहित इंटरनेट बैंकिंग में पीपीएफ खाते में ऑनलाइन जमा की सुविधा अब ग्राहक किसी भी शाखा से अपने पीपीएफ खाते में रकम जमा कर सकते हैं।
- **खाता नंबर पोर्टबिलिटि :** बैंकों में ग्राहक सेवा पर दामोदरन समिति की सिफारिशों के अनुरुप, हमने एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरण हेतु खाता नंबर पोर्टबिलिटि शुरु की है।

परिचालनगत दक्षता हेतु प्रौद्योगिकी अभिवृद्धि एवं अन्य सेवाएं

- फिनैकल में आउटवर्ड और इनवर्ड एनईएफटी हेतु स्ट्रेट थ्रू प्रॉसेसिंग (एसटीपी) शुरु की गई है। इससे एनईएफटी संदेशों की त्वरित प्रॉसेसिंग में सुविधा हुई है।
- हमने प्रॉसेस न की हुई इन्वर्ड एनईएफटी संदेशों की वापसी की प्रक्रिया को फिनैकल में ऑटोमैटिक बनाया है। जिससे वापसी की प्रक्रिया में तेज़ी आई है।
- किसी भी शाखा में नकद जमा के समक्ष वाक-इन ग्राहकों को एनईएफटी सुविधा अगर एनईएफटी राशि ₹ 50,000/- से कम है।
- वर्चुअलैज़ेशन के अंतर्गत हेतु योजना के अनुरुप सभी सर्वरों का माइग्रेशन हो चुका है। वर्चुअलैज़ेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर अब पूर्णत: स्थापित एवं सुदृढ किया गया है आवश्यकतानुरुप नए एप्लिकेशन/सर्वर जोडे जाते हैं।
- सिबिल के साथ इन्टेग्रेशन सहित क्रेडिट एप्लिकेशन प्रॉसेसिंग सिस्टम (सीएपीएस) का कार्यान्वयन
- हमने 2000 से अधिक शाखाओं को मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विलिंग में माइग्रेट किया है। इसमें वृद्धित बैंडविथ शामिल है।
- सभी विदेशी केन्द्रों में स्थित शाखाओं का फिनेकल में सफलतापूर्वक माइग्रेशन हो चुका है। अब पूरे विश्व में हमारा एक समान सीबीएस सॉफ़्टवेयर है।
- 25 विदेशी शाखाओं के लिए इन्टरनेट बैंकिंग शुरु किया गया है।

डाटा सेन्टर

मूल साईट से गौण साईट के बीच भौतिक हार्डवेयर बुनियादी सुविधा की 1:1 अनुपात में बाहुल्यता के साथ 15 मिनट के रिकवरी टाइम ओबजेक्टीव (आरटीओ) सहित आईएसओ 27001:2005 मानक सहित प्रमाणित डाटा सेन्टर को बैंक ने सफलतापूर्वक स्थापित किया है। मूल साईट मुंबई में स्थित है तथा आपदा रिकवरी साईट (डीआर) बंगलूरु में स्थित है। शून्य आंकड़ा हानि हेतु मूल साईट भंडारण प्रतिकृति सहित नियर साईट (एनआर) स्थापित की गई है। यूपीएस के जरिए दो जेनरेटर सेट द्वारा 24 घंटे दोहरी पावर आपूर्ति सहित सभी कार्यलय, शाखाएं तथा डाटा केन्द्र वेन नेटवर्क से जुड़े हैं।

डाटा केन्द्र ने तीन चरणीय संरचना बनायी है अर्थात डेटाबेस, एप्लीकेशन तथा वेब जो आधुनिकतम परिचालन प्रणाली, आरडीबीएमएस सहित विभिन्न हाई-एण्ड सर्वर में विस्तृत है जिसके एप्लीकेशन बेहतर प्रबंधन तथा कार्यनिष्पादन हेतु है।

उपलब्धता/क्षमता आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बैंक सुरक्षा तथा नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर की डिजाईन की गई है। डाटा सेन्टर में सर्वर तथा नेटवर्क फार्म्स के संवेदनशील क्षेत्रों हेतु बायोमेट्रिक पहचान सहित सशक्त भौतिक सुरक्षा नियंत्रण है। पॉवर कुलिंग, अग्निरोधक तथा डाटा केन्द्र बुनियादी सुविधा के अधिकतम प्रबंधन तथा अधिकतम बिल्डिंग प्रबंधन प्रणाली सहित 24x7x365 दिनों का समर्पित स्रोत है। 24x7x365 निगरानी हेतु संपूर्ण परिसर सर्वेलेन्स कैमरा द्वारा कवर किया गया है।

बैंक की पूर्णत: कार्यरत आपदा रिकवरी साइट है और तत्परता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तिमाही में आपदा प्रबंधन अभ्यास आयोजित और निष्पादित किया जाता है। मूल से डीआर साईट परिचालन पर जाने के लिए बैंक के पास 15 मिनट का आर टी ओ है। आपदा रिकवरी सेट-अॅप का उपयोग एमआईएस और रिपोर्ट जेनरेशन हेतु करने का विचार बैंक ऑफ़ इंडिया का एक अभिनव उपाय था। इसके फलस्वरूप डीसी एवं डीआर संसाधनों का इष्टतम सदुपयोग तो हुआ ही है, साथ में यह भी सुनिश्चित होता है कि इस प्रक्रिया में इन सभी संसाधनों का निरंतर परीक्षण हो जाता है।

बैंक का मुंबई में एक डाटा सेन्टर है जो हमारी सभी विदेशी शाखाओं को एक सेन्ट्रल हब के साथ जोडता है और जिससे बैंक की सभी विदेशी शाखाओं के लिए प्रॉसेसिंग की जाती है। यह 24/7 केंद्रीय हब है जो पूर्व में जापान से लेकर पश्चिम में यूएसए तक की 24 विदेशी शाखाओं के सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समान हार्डवेयर तथा उचित सॉफ्टवेयर सहित आपदा प्रबंधन हॉट साइट स्थापित किया गया है जो डाटा केंद्र से डी आर साइट तक डाटा का ऑनलाइन रेप्लिकेशन करता है। एक आपदा प्रबंधन सेटअप सिंगापुर में है तथा दूसरा मुंबई में है। दोनों डीआर साइट में, रियल टाइम आधार पर संव्यवहारों का रेप्लिकेशन किया जाता है। उच्च उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर डीआर ड्रिल्स कराए जाते हैं।

डाटा वेयरहाउस

बैंक की निर्णय सहायता/प्रबंधन सूचना प्रणाली में अभिवृद्धि करने और तीव्रता एवं प्रभावी रुप से कारोबारी आसूचना प्राप्त करने हेतु डाटा वेयर हाउस सभी पण धारकों को अपेक्षित एमआइएस उपलब्ध कर रहा है। बैंक का डाटा वेयरहाउस कोर बैंकिंग प्रणाली, ट्रेज़री और अन्य स्रोत प्रणालियों से दैनिक आधार पर संव्यवहार-डाटा भण्डारित कर रहा है। साथ ही बैंक ने डाटा की गुणवत्ता सुधारने हेतु पहल की है और इससे बैंक का एमआईएस और भी परिष्कृत और स्पष्ट हो गया है। बैंक, अधिकांश आरबीआई विवरणियां, भारत सरकार की रिपोर्टें, आंतरिक प्रयोजन हेतु एमआईएस रिपोर्टों का सृज़न, डाटा वेयर हाउस डाटाबेस के डाटा के आधार पर कर रहा है। कारोबार वृद्धि की निगरानी करने और जहां भी आवश्यक हो समय पर उपचारात्मक कार्रवाई करने हेतु उच्च प्रबंधन को प्रस्तुत डैशबोर्ड का प्रभावी प्रयोग किया जाता है। बैंक ने कारोबारी आसूचना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी कारोबार विश्लेषण उपकरणों का प्रयोग किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार हमारे सभी विनियामक विवरण अब ऑटोमेटिड डाटा फ़्लो (एडीएफ) कम्प्लायंट हैं।

परियोजना ग्रामशक्ति

बैंक ने अपने ग्रामीण ग्राहकों को कभी भी, कहीं भी, कैसे भी बैंकिंग सेवा प्रदान करने हेतु बैंक द्वारा प्रायोजित सभी आरआरबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) में 100% सीबीएस कार्यान्वयन हासिल किया है। आरआरबी की सभी शाखाएं हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए आरटीजीएस/एनईएफटी समर्थित हैं। सरकार की अधिसूचना के अनुसार, अन्य बैंकों द्वारा प्रायोजित तीन आरआरबी का समामेलन हमारे आरआरबी के साथ किया गया है। हमने इन तीनों आरआरबी का डाटा सफलतापूर्वक मर्ज/माइग्रेट कर लिया है।

प्रमाण पत्र / पुरस्कार

- सीआईओ 100-2012 विजेता
- आईसीटी समर्थित समाधान के माध्यम से वित्तीय समावेशन परियोजना के लिए कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ़ इंडिया द्वारा बैंक को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
- सीआईओ मास्टर्स 2013 वर्ग डाटा सेंटर को डाटा सेंटर क्षेत्र में अनुपम उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।
- सीआईओ 100 2013 हमारी परियोजना को विजेता घोषित किया गया ।
- स्कॉच अवॉर्ड हमारी परियोजना -2013 को भारत के श्रेष्ठतम में चयनित किया गया है।
- आईबीए बैंकिंग टेक्नॉलॉजी अवार्ड्स 2012-13 में बेस्ट फैनान्शियल इंक्लूशन इनिशिएटिव अमंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर्ग में फर्स्ट रनर-अप पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- एटीएम और एनएफएस एटीएम नेटवर्क से कनेक्टिड स्विच के संबंध में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्तम कार्यनिष्पादन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वर्ग में एनएफएस ऑपरेशनल एक्सेलेन्स अवार्ड 2013 में एनपीसीआई से फर्स्ट रनर-अप पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

थर्ड पार्टी उत्पाद

जीवन बीमा हेतु टाई-अप:

बैंक ने अपने जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री हेतु बैंक के संयुक्त उद्यमी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ अपनी कॉर्पोरेट एजेन्सी व्यवस्था को जारी रखा। बैंक के लगभग 3338 कर्मचारी ऐसे है जो विभिन्न केन्द्रों पर बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए स्पेसिफाइड पर्सन के रूप में कार्य करते हैं।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने ₹421 करोड़ (पॉलिसियों की संख्या 78,000 से अधिक) की प्रीमियम कलेक्ट की और संयुक्त उद्यम कंपनी के कुल नए कारोबार में 53% से अधिक का योगदान दिया।

बैंक ग्रुप पॉलिसी के तहत अपने स्टार होम लोन और स्टार एज्यूकेशन लोन के उधारकर्ताओं को ऑप्शनल लाइफ इंश्योरेंस कवर की पेशकश कर रहा है जहां जीवन बीमा के लिए उधारकर्ता को कम प्रीमियम देना होगा।

नेशनल इंश्योरेंस कं. लि. (एनआईसीएल) के साथ जनरल इंश्योरेंस (नॉन लाइफ) हेतु टाई-अप:

आईआरडीए द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुपालन में एनआईसीएल के साथ वर्तमान तालमेल व्यवस्था को कॉर्पोरेट एजेंसी वितरण में परिवर्तित किया गया जिसमें बैंक जैसे वितरकों के साथ बैंक एश्योरेंस कारोबार कवर किया गया। बैंक ने बीओआई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी स्वास्थ्य बीमा उत्पाद को सह-ब्रांड किया है जोकि एक फैमिली फ्लोटर मेडीक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसे बहुत ही कम प्रीमियम पर बैंक ऑफ़ इंडिया के खाताधारकों को उपलब्ध करवाया गया है। इससे खाता धारक, पत्नी और अधिकतम दो आश्रित बच्चों को कवरेज दी गई है। संपूर्ण परिवार (खाताधारक, उसकी पत्नी तथा दो आश्रित बच्चे) को बीमाकृत राशि की सीमा तक कवर किया गया है जिसमें बीमाकृत राशि पर परिवार के सदस्यों द्वारा अलग-अलग समय में लाभ लिया जा सकता है। यह एक प्रसिद्ध उत्पाद है और 31.03.2014 तक 1.55 लाख बैंक ऑफ़ इंडिया खाताधारकों ने यह पॉलिसी ली है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान एनआईसीएल हेतु बैंक द्वारा एकत्रित कुल प्रीमियम ₹183 करोड़ रहा जिससे ₹16.61 करोड़ की कमीशन अर्जित की गई।

म्युचुअल फंड उत्पाद:

बैंक ग्राहकों की सभी प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। बैंक ने 10 आस्ति प्रबंधन कंपनियों यानी के बीओआई-एक्सा म्युचुअल फंड बिडला एवं लाइफ म्युचुअल फंड, डीएसपी ब्लैक रॉक म्युचुअल फंड, फ्रैंकलिंग टेंप्लटन निवेश, एचडीएफसी म्युचुअल फंड, आईडीएफसी म्युचुअल फंड, आईएनजी म्युचुअल फंड, कोटक म्युचुअल फंड, रिलायंस म्युचुअल फंड तथा यूटीआई म्युचुअल फंड के अधिकाधिक विविध म्युचुअल फंड उत्पादों की बिक्री कर रहा है।

आस्ति वसूली एवं एनपीए प्रबंधन

किसी भी बैंक की लाभप्रदता के लिए गैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) का स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है और परिणामस्वरूप एनपीए घटाने हेतु कोई बैंक जितना प्रयास करेगा दीर्घावधि में उसे उतना ही लाभ मिलेगा। वर्ष 2013-14 में भी एनपीए प्रबंधन के क्षेत्र के निष्पादन के सुधार की यात्रा जारी रही। एनपीए में कमी करना बैंक की सर्वोत्कृष्ट प्राथमिकता है तथा इस कार्य में धीरे-धीरे महत्ता बढ़ रही है। एनपीए की प्राप्ति और वसूली करने के लिए आवश्यक उपाय प्रारंभ किए गए। बट्टे खातों की वसूली तथा एनपीए खातों में अप्रभारित/वसूल न किए गए ब्याज में वसूली को अधिक करने हेतु प्रयास किए गए जिसने बैंक के लाभ में काफी बढ़ोतरी हुई। निम्नलिखित तालिका में विगत 3 वर्षों में एनपीए प्रबंधन दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

मद	31.03.12 (वास्तविक)	31.03.13 (वास्तविक)	31.03.14 (वास्तविक)
कुल एनपीए (ओपनिंग)	**4,812**	**5,894**	**8,765**
घटाएं:			
नकदी-वसूली	1,205	1,245	3,066
उन्नयन	487	759	938
बट्टे खाते में डालना	2,415	2,415	1,767
कुल कमी	**4,107**	**4,419**	**5,771**
जोड़ें:			
स्लिपपेज	5,401	7,379	8,811
वसूल न किया ब्याज (यूआरआई) (वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ)	212	89	-63
कुल एनपीए (क्लोजिंग)	**5,894**	**8,765**	**11,869**
बट्टे खाते/यूसीआई/यूआरआई में वसूली	672	1,051	878
निवल एनपीए	**3,656**	**5,947**	**7,417**
कुल अग्रिमों पर सकल एनपीए का %	2.34	2.99	3.15
निवल अग्रिमों पर निवल एनपीए का %	1.47	2.06	2.00

वर्ष के दौरान बैंक ने ₹4243 ऑउटस्टैंडिंग के साथ परिसंपत्ति को बेच दिया (कार्पोरेट तथा खुदरा) और दोनों नकदी व एसआर आधार पर जिसमें परिसंपत्ति को ₹11.53 करोड़ में बेचा गया। नकदी व एसआर आधार और रिजर्व संपत्ति के घटक ₹146 करोड़/₹2471 करोड़ क्रमश: हैं।

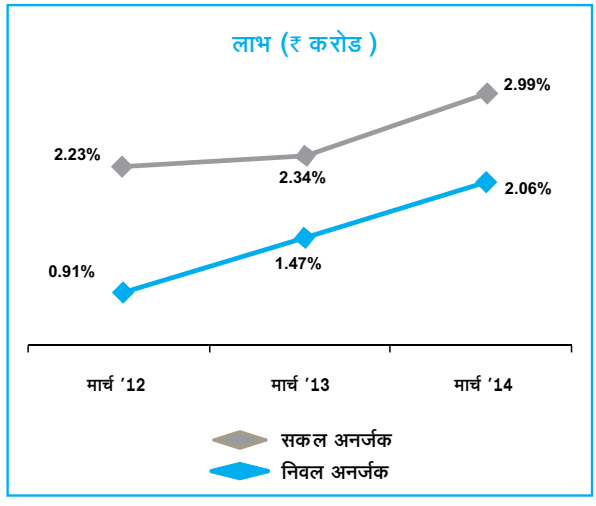

ऋण निगरानी

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में आस्ति गुणवत्ता से संबंधित चिंता की वजह से एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र का होना अनिवार्य है दबाव/संभावित चूक/ऋण चुनौती में चूक के प्रारंभिक संकेत देने वाले खातों की पहचान हेतु, बैंक के ऋण निगरानी विभाग द्वारा विभिन्न उपाय एवं तरीके अपनाए जा रहे हैं।

- नियमित रूप से साप्ताहिक /पाक्षिक आधार पर निकाली गई रिपोर्टों में विपथन वाले खाते दर्शाए जाते हैं जिन पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित होता है।
- छोटे ऋण खातों की निगरानी हेतु आंचलिक केन्द्रों में वसूली कक्ष स्थापित किए गए हैं। ₹10 लाख से कम के खातों में, आंचलिक कार्यालय से उधारकर्ता को, देय तारीख से 10 दिन पहले एक सिस्टम जनरेटिड अग्रिम सूचना भेजी जाती है, जिसमें किस्त की राशि और देय तारीख का उल्लेख होता है, अगर देय तारीख से 15 दिनों के अंतर्गत किस्त अदा नहीं की जाती है तो वसूली हेतु नियमित अनुवर्तन किया जाता है।
- ऑउटबाउंड कॉल सेन्टर- इस तंत्र की शुरूआत दिसंबर 2013 में ₹1 लाख से ₹100 लाख से कम तक के बकाया वाले रिटेल ऋण (शिक्षा ऋण छोड़कर) और एसएमई ऋण खातो में अतिदेय राशियों की वसूली हेतु की गई थी । कॉल सेन्टर उधारकर्ताओं को कॉल करता है और शाखाओं को आगे की कार्रवाई हेतु उधारकर्ता-वार ऑटोमेटिड फीडबैक प्राप्त होता है।
- बैंक द्वारा निधि प्रदान करने से पहले ऋण प्रक्रिया लेखा परीक्षा (सीपीए) करने से, सभी मंजूरी शर्तों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। इसी प्रकार सभी पात्र खातों में पैनल के सनदी लेखाकार द्वारा स्टाक एवं प्राप्यों की आवधिक लेखा परीक्षा करने से बैंक को प्रभारित आस्तियों की गुणवत्ता की अभिरक्षा सुनिश्चित होती है।
- सभी अंचलों में आंचलिक ऋण निगरानी समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है जहां बड़े ऋण खातों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है।
- दबाव/अस्थायी विपथन के संकेत वाले उधारकर्ताओं की देयताओं की पुनर्रचना की जाती है बशर्ते लंबी अवधि में ये व्यवहार्य हों और वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप उस ऋण को एक अर्जक आस्ति के रूप में बनाए रखना संभव हो । ₹100 लाख एवं अधिक के सभी पुनर्रचित अग्रिमों के संबंध में उचित मूल्य में ह्रास एवं उस पर प्रावधान का परिकलन प्रधान कार्यालय स्तर पर किया जाता है।
- किसी खाते को तीन उपवर्गों सहित एसएमए के रूप मे वर्गीकृत करने हेतु अर्थव्यवस्था में व्यक्ति आस्तियों के पुनरुद्धार की रूपरेखा के अंतर्गत आरबीआई द्वारा हाल ही में जारी दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सुधार कार्रवाई योजना (सीएपी) अपनाई जा रही है।

एक व्यापक निगरानी मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है। (वर्तमान में यूएटी के अंतर्गत) जो एक प्रभावी आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन फ्रेमवर्क के निर्माण में सहायता होगी। इस मॉड्यूल से सभी शाखाओं एवं नियंत्रक कार्यालयों को उनके सभी ऋण आस्तियों की निगरानी हेतु सामान्य एवं वित्तीय अलर्ट्स प्राप्त होंगे। इसमें एसएमए वर्ग के अंतर्गत आस्ति वर्गीकरण शामिल है ।

शाखा नेटवर्क एवं विस्तार

भौगोलिक तौर पर भारत तथा विदेशों में बैंक का काफी विस्तृत शाखा नेटवर्क है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार भारत में बैंक की कुल 4650 शाखाएं थी। विश्व के सभी महत्वपूर्ण वित्तीय केन्द्रों तथा सभी टाइम ज़ोनों में 25 शाखाओं तथा 31 प्रतिनिधि कार्यालयों द्वारा हमारी उपस्थिति का अनुभव होता रहता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने 358 नई शाखाओं के सहित 05 विस्तार काउन्टरों को पूर्ण शाखाओं में परिवर्तित किया गया।

बैंक के शाखा नेटवर्क की संरचना निम्नानुसार है:

प्रवर्ग	31.03.2013		31.03.2014	
	शाखाओं की सं	कुल का %	शाखाओं की सं	कुल का %
महानगरीय	787	18.34	833	17.93
शहरी	742	17.29	789	16.98
अर्ध शहरी	1,165	27.14	1,258	27.08
ग्रामीण	1,598	37.23	1,766	38.01
कुल शाखाएं	4,292	100	4,646	100

भारतीय रिज़र्व बैंक की शाखा प्राधिकरण की उदारवादी नीति के अनुसरण में कुछ शाखाओं का स्तानांतरण वैकल्पिक स्थानों पर किया गया तथा कुछ विस्तार काउन्टर जो अच्छी जगह पर स्थित थे उन्हें पूर्ण शाखा में परिवर्तित किया गया। इस नीति को आगामी वर्ष में भी जारी रखने का इरादा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र क्र. डीबीओडी.नं.बीएपीडी.बीसी.60/22.01.001/2013-14 दिनांक 21.11.2013 द्वारा अपनी शाखा प्राधिकरण नीति को और उदारवादी करते हुए टियर 1 से टियर 6 केन्द्रों पर बिना उनसे पूर्वानुमति लिए बैंकों को शाखाएँ खोलने की अनुमति दी है। बैंक ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए इस प्रवर्ग में शाखाएं खोलने हेतु अंचलों से प्रस्ताव भेजने को कहा है।

एक नज़र में स्थिति

वर्षान्त तक	31.03.2013	31.03.2014
कुल शाखाओं की संख्या	4,341	4,702
विदेशी	49	56
भारतीय	4,292	4,646
जिसमें से :		
महानगरीय	787	833
शहरी	742	789
अर्द्ध शहरी	1,165	1,258
ग्रामीण	1,598	1,766
कम्प्यूटरीकृत शाखाएं		
पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत	4,292	4,676
आंशिक कम्प्यूटरीकृत	-	-
विशेषीकृत शाखाएं	271	271
विस्तार पटल	42	36

घरेलू बाजार में कुछ प्रवर्गों की विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक की 271 विशेषीकृत शाखाएं हैं। इन शाखाओं का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	विशेषीकृत शाखाओं का प्रवर्ग	31.03.2013	31.03.2014
1.	एसएमई शाखाएं	100	100
2.	ओवरसीज़ शाखाएं	03	03
3.	बृहत कार्पोरेट बैंकिंग शाखाएं	10	10
4.	मिड कॉर्पोरेट शाखाएं	42	42
5.	एन.आर.आई. शाखाएं	06	06
6.	आस्ति वसूली शाखाएं	15	15
7.	वाणिज्यिक तथा व्यक्तिगत बैंकिंग शाखाएं	26	26
8.	कोषागार शाखा	01	01

क्र.सं.	विशेषीकृत शाखाओं का प्रवर्ग	31.03.2013	31.03.2014
9.	आवास तथा व्यक्तिगत वित्त शाखाएं	24	24
10.	सरकारी कारोबार शाखा	01	01
11.	बुलियन बैंकिंग शाखा	01	01
12.	सेवा शाखाएं	41	41
13.	केन्द्रीयकृत पेन्शन प्रॉसेसिंग शाखा	01	01
	कुल	**271**	**271**

रिटेल बिज़नस सेन्टरों (आरबीसीज़) को मिला कर

विपणन

नए ग्राहक बनाने और ग्राहकों को मूल्य वर्धित सेवा प्रदान करने के लिए ग्राहक-केन्द्रित प्रक्रियाओं का सृजन करने हेतु बैंक में विपणन विशेष ध्यान का केन्द्र रहा है। हाल में बैंक ने अपनी विपणन व्यवस्था को पुनर्गठित किया है। नई विपणन व्यवस्था जमाराशि संग्रहण (सरकारी जमाराशियां सहित) और ट्रस्ट, एसोसिएशन, क्लब्स एवं सोसाइटीज़ (टीएसीएस), रिटेल एवं एसएमई अग्रिम, वैकल्पिक प्रस्तुति माध्यम (एडीसी) उत्पाद, थर्ड पार्टी उत्पादों की बिक्री, आदि पर विशेष ध्यान देगी। विपणन स्टाफ शाखाओं में तैनात किए गए हैं। शाखाओं/आंचलिक कार्यालय से एटैच्ड हैं और आंचलिक कार्यालय में तैनात विपणन प्रमुख के अधीन कार्यरत हैं।

विपणन टीम को और सशक्त बनाने के लिए, बैंक ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान 400 से अधिक विशेषज्ञ मार्केटिंग एक्जेक्यूटिव भर्ती किए हैं। यथा 31 मार्च 2014 विपणन के प्रयासों को विशेष ध्यान देने हेतु बैंक में 386 से अधिक मार्केटिंग एक्जेक्यूटिव हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान प्रमुख पहलें :

- **प्रशिक्षण :** सभी अंचलों से विपणन प्रमुखों के लिए प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई) बेलापुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- **कौशल विकास/उत्पाद अभिवृद्धि :** हमारी विपणन टीम को बैंक की नवीनतम गतिविधियों की जानकारी देने, उत्पाद संबंधी जानकारी में अभिवृद्धि करने हेतु साप्ताहिक उत्पाद ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।
- **ब्रांडिंग गतिविधियां :** इमेज बिल्डिंग/ ब्रांड बिल्डिंग हेतु बैंक ने अगस्त, 2013 माह के दौरान कुछ चुनिंदा राज्यों मे बिग बज़ार स्टार में विज्ञापन एवं ब्रांडिंग कैम्पेन हेतु प्रायोजन किया था। जनवरी 2014 के दौरान स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैरथन में भी भाग लिया। फरवरी 2014 के दौरान बैंक ने लावासा विमन्स ड्राइव के छठे संस्करण में भाग लिया और आईएल एण्ड एफएस फन रन में सह-प्रायोजक की भूमिका निभाई।
- **कारोबार विकास गतिविधियां :** विपणन टीम ने प्रमुख रूप से कासा सहित रिटेल आस्तियों एवं रिटेल देयताओं के क्षेत्र में कारोबार विकास पर ध्यान केंद्रित किया। नए डायमंड एवं प्लैटिनम खाताधारक जोडने और ऐसे वर्तमान ग्राहकों के साथ रिश्तों को सुदृढ करने पर ज़ोर दिया जा रहा है।
- **लीड मैनेजमेंट सिस्टम :** बैंक के सभी विपणन स्टाफ़ के लिए एलएमएस सॉफ्टवेयर अनिवार्य बनाया गया है। यह प्रणाली विभिन्न स्तरों पर सृजित लीड्स को प्रभावी रूप से कैप्चर, मॉनीटर, ट्रैक करती है और उन्हें बंद करती है एवं उनका विश्लेषण करती है। अंचलों से प्रमुख अधिकारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई।
- **कैम्पेन/पहल :** बैंक के लिए कासा, रिटेल मीयादी जमाराशियां एवं रिटेल ऋण अर्जित करने हेतु विभिन्न कैम्पेन/पहल शुरू किए गए हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न थर्ड पार्टी उत्पादों के लिए रिवार्ड एण्ड रिकग्निशन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

प्रचार एवं जनसंपर्क

प्रचार एवं जनसंपर्क विभाग ने उच्च प्रबंधन के सफल मार्गदर्शन में बैंक के ब्रांड इमेज की दृश्यता बढाने और बैंक के खुदरा उत्पादों को पूरे भारत में बढ़ावा देने हेतु विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए मल्टी मीडिया कॉर्पोरेट अभियान शुरू किया । मीडिया योजना के लिए हमारे अनुमोदित थीम रिश्तों की जमापूंजी को ही आधार बनाया गया और उसे जारी रखा गया। हमारे सराहे गए टीवीसी (पिगी बैंक, कपल, दोस्ती, क्लोज़िंग टाइम, बस आदि) को विभिन्न रेडियो, टीवी चैनलों और मल्टिप्लेक्स सिनेमा में ऑन स्क्रीन गतिविधियों के माध्यम से प्रसारित किया गया। इस अभियान के ज़रिए बैंक के आवास ऋण, ऑटो ऋण, एसएमई ऋण, शिक्षा ऋण, संपत्ति के निमित्त ऋण, वैकल्पिक प्रस्तुति माध्यम उत्पाद एवं कासा जैसे अन्य उत्पादों का प्रिंट मीडिया द्वारा अर्थात प्रमुख राष्ट्रीय/क्षेत्रीय दैनिकों में विभिन्न विज्ञापनों द्वारा प्रसार किया गया। महानगरीय तथा अन्य केंद्रों के प्रमुख स्थानों, रेलवे तथा एयरपोर्ट होर्डिंग द्वारा ओओएच गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए उसी थीम का प्रयोग किया गया। इस अभियान पहल के कारण अच्छा लाभ मिला और बैंक के उत्पादों को बढावा देने और स्थापित करने के अतिरिक्त कॉर्पोरेट इमेज में भी वृद्धि हुई। अभियान के अलावा विभाग ने हमारे खुदरा उत्पाद गतिविधियों जैसे अचल संपत्ति में निवेश, कार, उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने, अक्षय तृतीया, दिवाली और त्यौहारों/ शुभ अवसरों पर सोना अथवा गहने खरीदने के प्रचार-प्रसार का कार्य भी किया गया।

ब्रांड एवं उत्पाद की दृश्यता में अभिवृद्धि करने के लिए विभाग ने कई कार्यक्रम प्रायोजित किए जैसे बडे मल्टि चेन स्टोर, विभिन्न स्पोर्ट्स सूपर सिरीज़ में कुछ बडी गतिविधियों में विज्ञापन, तीर्थयात्रियों के लिए आश्रय स्थल के निर्माण; अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं तकनीकी संस्थानों, राज्य सरकारों के मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विभिन्न धार्मिक/ कॉलेज/स्कूल कार्यक्रमों, रियल एस्टेट एवं आवास वित्त एक्सपो, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के आईएलएफएस मैरथन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ड्रीम रन, डॉक्टरों, मेडिकल एसोसिएशनों एवं कैंसर केयर फाउंडेशनों द्वारा मुंबई एवं अहमदाबाद में हेल्थ केयर थीम पर सम्मेलनों में भाग लेना आदि।

हमने विभिन्न प्रकाशकों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निवेशक के कॉन्क्लैव में भी सहभागीता की है; SICON-2013 सम्मेलन, इंडियन चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स, भारतीय बैंक संघ, पूरे भारत में कला तथा संस्कृति की देखभाल कर रहे - एफआईसीसीआई, एशोचेम के विभिन्न कार्यक्रमों में विज्ञापन। बैंक की दृश्यता को बढ़ाने के लिए दुबई में आयोजित इंटरनेशनल बैंकिंग ऑपरेशन सेमिनार (एसआईबीओएस) 2013 में सहभागिता और अन्य कई गतिविधियाँ हमारे द्वारा की गई है।

होर्डिंग लगाने की गतिविधियों में ब्रॉंड इमेज को बढ़ाने के लिए महानगरीय और पूरे भारत के महत्वपूर्ण जगहों पर होर्डिंग लगाए गए और मुंबई के विभिन्न जगह अन्य उत्पादों पर नीयन साइन, नई दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर हवाई अड्डो और विभिन्न रेलवे स्टेशनों और अन्य जगहों पर विभाग द्वारा होर्डिंग प्रदर्शित किए गए।

परिचालनात्मक श्रेष्ठता

बैंक अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल के लिए ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण के माध्यम से उत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराता है।

बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का 2006 में उसकी शुरूआत से ही, स्वैच्छिक सदस्य रहा है। इसके पीछे बैंक का यह मकसद रहा है कि वह एक पारदर्शी तरीके में उच्च स्तर की सेवा मुहया कराने की अपनी ग्राहक उन्मुखता और वचनबद्धता पर बल दे और ग्राहकों को सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी मुहया कराए। भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड का परिशोधित कोड 2014 बैंक द्वारा अंगीकार किया गया है और वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। परिशोधित कोड की प्रतियाँ ग्राहकों की सूचना के लिए ग्राहकों में संवितरित करने के लिए मुद्रित करवाई जा रही है। बैंक ने आईबीए द्वारा बनायी गयी विभिन्न ग्राहक केन्द्रित नीतियों जैसे जमाराशि नीति, चेक वसूली नीति, शिकायत निवारण नीति, प्रतिकार नीति, देयों की वसूली एवं प्रतिभूति पुन: अधिग्रहण नीति को अंगीकर किया है। मृतक घटकों के मामले में सेफ कस्टडी और एसडीवी लॉकर्स से वस्तुओ की सुपुर्दगी के लिए और मृतक जमाराशि खाते में देय के निपटान की प्रक्रिया को सरलीकृत किया है।

- समग्र भारतवर्ष में स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों पर चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के सभी सहभागियों को एक लघु फिल्म दिखाई जा रही है यह फिल्म वांछित स्टाफ व्यवहार पर है और पूरी फिल्म बैंक परिसर में ही बनाई गयी है।
- शिकायतों के मूल कारण का विश्लेषण तिमाही अन्तरालों में किया जा रहा है ताकि समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान हो सके और त्वरित रूप से प्रधान कार्यालय स्तर पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
- आंचलिक कार्यालयों को अपने स्तर पर ही शिकायतों को बंद करने और मूल कारणों का विश्लेषण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस अभियान से ये प्रत्याशाएं हैं कि इससे शिकायत निवारण का समय घटेगा, नाजुक क्षेत्रों की पहचान होगी और सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे।

- संसूचना के इलेक्ट्रानिक रूप के प्रयोग पर संवर्धित बल देने से शिकायतों के लिए प्रतिक्रिया समय अधिकांश मामलों में 10 दिनों तक का हो गया है।
- वेब आधारित ग्राहक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) शिकायत निवारण में प्रतिक्रिया समय को कम करने और समय पर निवारक उपाय उठाने में सहायता के लिए विश्लेषक रिपोर्ट जनरेट करने के लिए लागू की गई है।
- वर्ष में दो बार ग्राहक सेवा एवं शिकायत निवारण सप्ताह मनाए गए है। इनका प्रयोजन उन्नत ग्राहक सेवा के लिए ग्राहकों और स्टाफ के बीच नज़दीकियां बढ़ाना और तदनुसार तबदीलियां यदि कोई हो, लाना था।
- शाखाओं द्वारा विभिन्न ग्राहक भावन उपायों के अनुपालन का आकलन आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालय के अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है और तत्पश्चात त्वरित रूप से आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।
- अनुपालन के स्तर की निगरानी करने के लिए समीप के अंचलों की एक और दो शाखाओं में उप आंचलिक प्रबंधकों द्वारा गुप्त दौरा।
- आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी नूतन नोट छटाई मशीन/नोट अधिप्रमाणन मशीन के जरिए क्रियान्वित की जा रही है।
- अनिवार्य रूप से अपेक्षित सभी ग्राहक केन्द्रित सूचना ग्राहकों के फायदे के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है और शाखाओं में भी उपलब्ध करायी जाती है।
- आरबीआई द्वारा आदेशित जानकारी वाला अंग्रेजी/हिंदी में व्यापक नोटिस बोर्ड लगाया जाता है और ग्राहक के फायदे के लिए कई जानकारियां हमारी शाखाओं में प्रदर्शित करने के लिए प्रधान कार्यालय से मुद्रित करवायी गयी है और संवितरित की गई है।
- ग्राहकों को उनकी शिकायतें भेजने के लिए ई-मेल, फोन सहित, विभिन्न चैनल उपलब्ध है।
- बैंक सभी शाखाओं में पर्सनलाइज्ड चेक बुक जारी कर रहा है।
- महापे तथा भोपाल में दो कॉल सेन्टर स्थापित किए गए है और विभिन्न स्तरों पर यह पूछताछ /सेवा अनुरोध/शिकायत आदि प्राप्त करेंगे। टोल फ्री सं.1800220229 है और नियमित सं.02240919191 है।
- रिटेल/एसएमई/कृषि/कार्पोरेट खण्डों में समयानुसार प्रोसेसिंग और /एश्कलेशन के लिए क्रेडिट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (सीएपीएस) कार्यान्वित किया गया है।

ग्राहकों के प्रश्नोत्तर के लिए लांग कोड 9225592255 स्थापित किया गया है।

जोखिम प्रबंधन एवं नियंत्रण

जोखिम किसी भी बैंक की गतिविधि का अभिन्न तत्व है। तदनुसार, जोखिम नियंत्रण कार्य का प्रयोजन न सिर्फ जोखिम को कम करना है अपितु संस्था द्वारा भलीभांति पूर्वोपाय की पहचान तथा जोखिम प्रबंधन और इन प्रयासों पर उचित रिपोर्ट तैयार किया जाना सुनिश्चित करना है ताकि उपस्थित जोखिम, परिचालन की निरंतरता हेतु खतरा न बन जाए। इसे ध्यान में रखकर बैंक ने व्यवस्था स्थापित की है एवं बैंक व्यवस्था संचालित करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि एकल आधार पर तथा बैंक की समग्र जोखिम स्थिति के संबंध में संगत जोखिम प्रकार का निरंतर मूल्यांकन होता रहे।

बैंक में जोखिम प्रबंधन विभिन्न जोखिम के प्रबंधन के लिए शीर्ष कार्यपालकों की परिचालनात्मक स्तर समिति द्वारा सहायता प्राप्त शीर्ष स्तर पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति सहित बोर्ड द्वारा संचालित कार्य है। विभिन्न अवस्था अर्थात पहचान, मापन, निगरानी एवं नियंत्रण सम्मिलित जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया उद्यम बृहत जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन, डेरिवेटिव, एएलएम, विदेशी मुद्रा एवं डीलिंग रूम परिचालन हेतु नीतियों में समाविष्ट है। इन अवस्थाओं से एक नियंत्रण चक्र स्थापित होता है, जिसमें फीडबैक एवं फीड फॉरवर्ड लूप भी शामिल होते हैं।

समस्त गतिविधियों एवं उत्पाद में सभी संभावित जोखिम की पहचान, परिभाषा और रिकार्डिंग विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से तथा उनकी जांच परिचालनात्मक स्तर पर जोखिम समिति तथा टास्क फोर्स द्वारा की जाती है। बैंक की जोखिम रूपरेखा भी तिमाही आधार पर तैयार की जाती है। विभिन्न साधन एवं प्रणाली जैसे विवेक सम्मत सीमा, नया बासेल अनुवर्ती ऋण श्रेणी निर्धारण मॉडल, ऋण लेखा परीक्षा, बाजार जोखिम हेतु वीएआर मॉडल, परिचालनात्मक जोखिम के लिए मुख्य जोखिम संकेतक की ट्रेकिंग के साथ संयोजित स्वनिर्धारण कार्य द्वारा पहचान किए गए जोखिम के निर्धारण/मापन हेतु प्रारंभ किए गए हैं। विश्लेषण के लिए व्यापक आंक़ड़े उपलब्ध कराने हेतु डाटा वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट कार्यान्वित कीया गया है। बैंक ऋण जोखिम प्रबंधन सॉफ्टवेयर कार्यान्वित कर रही है जो आंक़ड़ों की गुणवत्ता एवं पूर्णता तथा इसके जोखिम प्रबंधन कार्य को अद्यतन करने में बैंक की सहायता करेगा।

31.03.2008 से प्रभावी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऋण एवं बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण तथा परिचालनात्मक जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण पर आधारित नयी पूंजी पर्याप्तता संरचना (बासेल II) के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता के परिकलन की दिशा में बैंक स्थानांतरित हुआ है।

विभिन्न जोखिम के निर्धारण/मापन, इसकी जोखिम वहन क्षमता की सीमा एवं जोखिम व जोखिम प्रकृति के संबंध में आंतरिक पूंजी के उचित स्तर के लिए वार्षिक आधार पर बैंक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) कार्य करता है। चरम स्थिति में भी संभावित प्रभाव की बेहतर समझ से बैंक को अवगत कर जोखिम निर्धारण की वृद्धि के लिए दबाव जांच प्रक्रिया क्रियाशील है। भविष्य में जोखिम नियंत्रक कार्य एवं संपूर्ण संस्था दोनों के लिए निर्णय लेने और स्वतंत्र नियंत्रक कार्य के निष्पादन के निर्धारण हेतु भी उपर्युक्त से एक उद्देश्य आधारित कार्य अपेक्षित है।

ऋण जोखिम के तहत पूंजी प्रभार परिकलन के लिए बैंक को फाउन्डेशन इंटर्नल रेटिंग बेस्ड (एफआईआरबी) दृष्टिकोण में बदलने के लिए आरबीआई से अनुमति मिल गई है। बैंक ने परिचालन जोखिम के लिए द स्टैण्डार्डाइज्ड अप्रोच (टीएसए) में बदलने हेतु आवेदन किया है।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने और सुदृढ़ करने के लिए बाजार जोखिम के लिए इंटरनल मॉडल अप्रोच (आईएमए) में बदलने के प्रक्रियाधीन है।

बैंक की ब्रॉंड, प्रतिष्ठा और आस्तियों के संरक्षण हेतु आंतरिक नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण द्वारा बैंक के बढ़ते हुए कारोबार के धोखाधड़ी जोखिम दूर करने के स्पष्ट उद्देश्य से बैंक के पास सुप्रतिष्ठित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली है।

आरबीआई के बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक पूंजी पर्याप्तता अनुपात का भी परिकलन कर रहा है।

बैंक के पास सुदृढ़ सूचना सुरक्षा प्रणाली और प्रक्रिया है। रियल टाइम सूचना सुरक्षा प्रयास/घटनाओं पर 24x7 आधार पर निगरानी के लिए बैंक ने विभिन्न सूचना सुरक्षा परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं। बैंक ने कैप्टिव सिक्युरिटी ऑपरेशन सेन्टर (एसओसी) आरंभ किया है। बैंक ISO 27001, PCI-DSS2.0 और BS25999 प्रमाणित है।

मानव संसाधन विकास

किसी भी संस्था के विकास में मानव संसाधन एक महत्वआपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव प्रबंधन का सिलसिला नियुक्ति प्रक्रिया से शुरू होता है तथा विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण, स्थापन, कार्यनिष्पादिन समीक्षा, पदोन्नति आदि से होकर गुजरती है। स्पंदनशील संगठनात्मक संस्कृति के सृजन में मानव संसाधन विभाग की एक महत्वपपूर्ण भूमिका है जिसके जरिए कर्मचारियों को अपने सर्वोत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाता है।

नीतियां, भर्ती और पदोन्नयति

कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति में मानव संसाधन प्रबंधन की महत्वतपूर्ण भूमिका है। बैंकिंग जैसे सेवा आधारित उद्योग में, त्वरित एवं दक्षतापूर्ण सेवा पर ही सफलता निर्भर होती है जिसे सही प्रतिभावान व्यक्तियों की भर्ती, ग्रूमिंग और सही प्लेसमेंट से हासिल किया जा सकता है। पूरे बैंकिंग उद्योग में स्टाफ की कमी की समस्या है और बैंक लिपिकीय एवं अधिकारी वर्ग में कर्मचारियों की भर्ती हेतु भरसक, प्रयत्न कर रहे हैं। सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारियों के बदले युवा कर्मचारियों की भर्ती हेतु सक्रिया प्रयास किए जा रहे हैं। युवा अभ्यर्थियों द्वारा ग्रामीण तैनाती स्वीकार न करने, मौद्रिक क्षतिपूर्ति, संबंधित बैंकों में अत्यधिक स्टाफ की कमी के कारण सभी पीएसबी द्वारा एक साथ भर्ती प्रक्रिया शुरु करने, आदि निहित अवरोधों के बावजूद बैंक इसमें सफल हो सकता है। आने वाले वर्षों में अधिकांश पीएसबी, आईबीपीएस द्वारा आयोजित आम भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती करेंगे जिससे बैंकों में नए भर्ती हुए कर्मचारियों द्वारा बैंक छोड़ने की घटनाओं में गिरावट आएगी।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न वेतनमानों में सामान्य बैंकिंग एवं विशेषज्ञ प्रवर्ग में 1720 अधिकारियों तथा लिपिकीय संवर्ग में 2448 कर्मचारियों की भर्ती की है।

बैंक ने 1993 सामान्य बैंकिंग अधिकारियों और 3995 लिपिकीय स्टाफ की भर्ती हेतु, कदम उठाए हैं। यह आशा की जाती है कि शाखा विस्तार/कारोबार विस्तार के साथ-साथ सेवानिवृत्ति /वीआरएस के कारण उत्पन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए नए भर्ती हुए लिपिक और अधिकारी वित्तीय वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में रिपोर्ट करेंगे।

एचआर के क्षेत्र में किए जाने वाले अन्ये पहल निम्नानुसार हैं :-

- ★ बैंक की मैनपावर अपेक्षाओं का वैज्ञानिक आकलन जैसे मानव संसाधनों की मदों में पूर्ण समाधान उपलब्ध कराने हेतु और अधिक एचआरएमएस मोड्यूल्स (गतिविधियों) को शामिल और समेकन किये गये हैं;
- ★ वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का सरलीकरण;

  पदोन्नति नीति को और वस्तुनिष्ठ बनाने और वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरुप उसे सुयोग्य बनाने हेतु उसकी समीक्षा;
- ★ महाप्रबंधक (मा.सं.) द्वारा एचआर पहल संबंधित सुझावों के विनिमय, एचआर नीतियों को तात्कालिक बनाने के लिए नियमित रूप से स्टारडेस्क देखा जा रहा है;
- ★ ऋण, फॉरैक्स, विपणन, वसूली जैसे क्षेत्रों में विशेष कुशलता प्राप्त अधिकारियों की पहचान के द्वारा 'टैलेन्ट बैंक' की शुरुआत।
- ★ अधिकारियों के लिए पात्रता शर्तों में ढील देते हुए त्वरित पदोन्नकति प्रक्रिया की शुरुआत;
- ★ कर्मचारियों के लिए, ग्रूप सेविंग्स लिंक्ड इन्स्योरेन्स, डेथ रिलीफ स्कीम, कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा व्यय प्रतिपूर्ति योजना, नकदरहित उपचार हेतु विभिन्नि अस्पतालों के साथ गठबंधन व्यवस्था, सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सहायता, जैसे विभिन्न कल्याण उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

अध्ययन एवं विकास

कर्मचारियों के कौशल विकास द्वारा विजेता टीम तैयार करना मानव संसाधन विभाग के कार्य का महत्वपूर्ण अंग है। उपरोक्त के अनुरुप और हमारे बड़े मानव संसाधन पूल के सही सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाने की आवश्यकता को पहचानते हुए, मानव संसाधन विभाग से एक अलग प्रभाग अध्यायन एवं विकास का गठन किया गया है। अध्ययन एवं विकास प्रभाग अपने लगातार प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों तथा मौड्यूल्स के जरिये कर्मचारियों को अपने सर्वोष्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन देता है और प्रेरित करता है, कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि और विभिन्न खण्डों में ग्राहकों नित बदलने वाली कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें सही कौशल और ज्ञान से सज्जित करने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। नई पदोन्नति नीति को बोर्ड द्वारा 08.12.2012 अनुमोदन प्रदान किया गया।

पूरे देश में बैंक के छ: प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं। प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई शीर्ष स्तर की प्रशिक्षण स्थापना है, चार प्रशिक्षण महाविद्यालय (एसटीसी) महत्वपूर्ण के स्थापन भोपाल, चेन्नै, नोएडा और कोलकाता में हैं और एक सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र (आईटीटीसी) पुणे में है। वर्ष 2013-14 के दौरान इन सभी महाविद्यालयों में आयोजित 1013 कार्यक्रमों में बैंक के 24130 कर्मचारियों, आरआरबी और अन्य संगठनों के 1570 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

पिछले वर्ष के दौरान बैंक में 1690 नए सीधे भर्ती अधिकारी तथा 2378 लिपिक भर्ती हुए। इनके लिए सभी प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ-साथ बैंकर्स क्रोशन्ट-कोयम्बत्तूर में पृथक इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गये। बैंकर क्रोशन्ट-कोयम्बत्तूर में 688 डीआरओ को इंडक्शन प्रशिक्षण दिया गया जब कि शेष स्टाफ को हमारे केन्द्रों में इंडक्शन प्रशिक्षण दिया गया। ऐसे प्रत्येक बैच को प्राचार्य और महाप्रबंधक एमडीआई, बेलापुर और/अथवा महाप्रबंधक (एचआर) द्वारा बैंक के बीकेसी ऑडिटोरियम या अन्य प्रशिक्षण केंद्रों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंन्सिंग के माध्यम से संबोधित किया गया । कुछ अवसरों पर हमारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्रीमती वी.आर.अय्यर, कार्यपालक निदेशकगण एवं अनेक महाप्रबंधकों द्वारा डीआरओज़ को संबोधित किया गया। एमडीआई में महिला अधिकारियों और लिपिकों के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को हमारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्रीमती वी.आर.अय्यर ने संबोधित किया। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एमडीआई-बेलापुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

1795 अधिकारियों को भारत में बाहरी संस्थाओं में नामित किया गया और 20 अधिकारियों को प्रशिक्षणों, सम्मेलनों एवं सेमिनारों में भाग लेने के लिए विदेशों में प्रतिनियुक्त किया गया।

एमडीआई बेलापुर ने विदेशी शाखाओं में तैनात स्टांफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें 26 प्रतिभागी थे।

सभी नए पदोन्नत महाप्रबंधकों, उप महाप्रबंधकों एवं सहायक महाप्रबंधकों के लिए आईआईएम-अहमदाबाद, एएससीआई-हैदराबाद में 5-दिवसीय नेतृत्व एवं परिवर्तन प्रबंधन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

प्रतिष्ठित संस्थान बीआईआरडी लखनऊ में नए चयनित 30 संकाय सदस्यों के लिए 'ट्रेन दि ट्रेनर्स' कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

आईआईबीएफ, मुंबई और एनआईबीएम-पुणे में आईआर/आईएल तथा सतर्कता विभाग, कासा काउन्टर तथा क्रेडिट काउन्टर पर कार्यरत 202 अधिकारियों के लिए तीन दिन और पांच दिनों का विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सभी आंचलिक कार्यालयों द्वारा हमारे बैंक के सेवानिवृत्त कार्यपालकों की सहायता से दो महीने के नियमित अंतराल पर क्रेडिट/फॉरैक्स तथा कृषि वित्त/खुदरा बैंकिंग पर कुल 239 तीन दिवसीय लोकेशनल कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 6420 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिए गए।

बैंक ने 63 अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग अनुभव हेतु विदेशी शाखाओं में प्रतिनियुक्त किया। इन सभी अधिकारियों को ट्रेज़री शाखा अंतर्राष्ट्रीय विभाग, प्रधान कार्यालय, मुंबई ओवरसीज़ शाखा में ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया गया।

बाहरी संस्थाओं के लिए बैंक के प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जैसे फेडाई की ओर से एमडीआई-बेलापुर, एसटीसी, भोपाल और एसटीसी नोएडा और एसटीसी चेन्नै में ''विदेशी विनिमय पर एक सप्ताह का अभिमुखीकरण कार्यक्रम'', एसटीसी-नोएडा में ''सेन्ट्रल बैंक के डीआरओज़ के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण'', बैंक के डीलरों के लिए एमडीआई ने ''बोर्स प्रोग्राम'' का भी आयोजन किया जिसमें अन्य बैंक के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

आंचलिक कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के स्केल I से IV तक के सभी अधिकारियों के लिए ऑन-लाइन प्रोडक्ट नॉलेज टेस्ट किया गया।

समाज के प्रति हमारे कर्तव्य का निर्वाह करते हुए विभिन्न' प्रबंधन संस्थाओं से 469 छात्रों ने बैंक में समर इन्टर्नशिप का लाभ उठाया।

7 आरबीआई अधिकारियों के लिए आरबीआई अधिकारियों के लिए वाणिज्यिक बैंक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

नई दिल्ली अंचल में आईबीपीएस के पत्र में अधिकारियों/लिपिकों के साक्षात्कार आयोजित करने के लिए हमारा बैंक नोडल बैंक है। एसटीसी-नोयडा ने दिसंबर 2013 और जनवरी 2014 महीनों में इन साक्षात्कारों का आयोजन किया।

एचआरएमएस के अंतर्गत ट्रेनिंग मॉड्यूल को लाइव बनाकर बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इससे आंचलिक स्तर पर बैंक में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन नामांकन करने में सुविधा हुई है और नामांकनों की निगरानी हेतु प्रधान कार्यालय स्तर पर रिपोर्ट का सृजन होता है।

यथा 31.03.2014 बैंक में 17581 अधिकारियों, 17940 लिपिकों और 7622 सहायक स्टाफ, कुल 43143 का वैश्विक मानव संसाधन प्रतिभा उपलब्ध है।

गृह पत्रिका प्रकाशन (तारांगण तथा बीओआई गाइडिंग स्टार)

पिछले 49 वर्षों से हमारी गृह पत्रिका 'तारांगण' बैंक के आंतरिक संसूचना हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह बैंक के प्रति कर्मचारियों की वचनबद्धता बढ़ाने का एक माध्यम है। यह एक ऐसा मंच है जिसमें लेखों, कविताओं, अनुभवों, कार्टुनों आदि के जरिए कर्मचारी अपनी सृजनशीलता का इज़हार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी गृह पत्रिका में ग्राहकों की सफलता की कहानियां, ग्राहकों की सामाजिक, पदोन्नती संबंधित विशेष उपलब्धियां भी रहती हैं। प्रत्येक अंचल में 'तारांगण' से संबंधित कार्यों को देखने के लिए आंचलिक प्रतिनिधि हैं। हमारी गृह-पत्रिका का मूल उद्देश्य हमारे स्टाफ सदस्यों के बीच आंतरिक संसूचना हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है।

हमारी गृह-पत्रिका ने 2013 के दौरान कई प्रतिष्ठित संस्थाओं से पुरस्कार प्राप्त किए हैं जिसमें गृह पत्रिका में ब्रांड एक्सेलन्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल है। प्राप्त पुरस्कार का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दुबई में 24 सितंबर, 2013 को आयोजित 'थर्ड एशियन लीडरशीप एवार्ड 2013' के दौरान एशियन कॉन्फडरेशन ऑफ बिजनेस द्वारा गृह पत्रिका में ब्रांड एक्सलन्स पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- राष्ट्रीय पुरस्कार पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया (पीआरएसआई), नई दिल्ली से अंग्रेजी पत्रिका के वर्ग में तृतीय पुरस्कार मार्च 2013 संस्करण सेल्यूट टू वूमेन पॉवर के लिए प्राप्त हुआ।
- चार पुरस्कार एशोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्यूनिकेटस ऑफ इंडिया (एबीसीआई) से 18 अक्टूबर, 2013 को मुंबई में चार श्रेणियों में यथा हेडलाइन स्वर्ण, फीचर्स (लेंग्वेज) सिल्वर, स्पेशल कॉलम (लेंग्वेज) सिल्वर, फोटोग्राफी ब्रोंज़ पुरस्कार मिलें।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 28 अगस्त, 2013 को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के मध्य हमारी पत्रिका को 'चतुर्थ' पुरस्कार प्राप्त हुआ।

शैलेजा नायर फाउन्डेशन (आईसीई) ने 27 जून, 2013 को आयोजित आईसीई इन-हाउस कम्यूनिकेशन एक्शलन्स एवार्ड में हमारी पत्रिका को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया।

कार्पोरेट जानकारी की पत्रिका 'बीओआई गाइडिंग स्टार' का आरंभ

मजबूत आंतरिक संसूचना का होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह महसूस किया गया कि अन्य कार्पोरेट नेतृत्व के विचारों को सुनने और शेयर करने के लिए बाह्य संसूचना होनी चाहिए।

इस परिप्रेक्ष्य में एक नया कार्पोरेट नॉलेज मैगज़ीन 'बीओआई गाइडिंग स्टार' बैनकॉन 2013 के दौरान नवबंर, 2013 में आरंभ की गई जो बैंक और हाई प्रोफाइल के बीच अनन्य कार्पोरेट संसूचना है जिसमें भारत के प्रतिष्ठित विजन लीडर, संघ सरकार और आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों, कार्पोरेट कंपनियों के फ्रान्टलाइन सीईओ, सीएमडी, ईडी तथा वित्तीय क्षेत्र के एक्सपर्ट, प्रोद्योगिकी नेतृत्व, प्रबंधन गुरू, शिक्षक, आईआईएम, आईआईटी तथा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों, आर्थिक पत्राकार तथा मीडिया शख्सियत, विज्ञापन तथा विपणन विशेषज्ञ और कला के शख्सियत शामिल है। इसके दो संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और उद्योग जगत के नेताओं से अच्छी फीडबैक मिली है।

आरक्षण नीति का अनुपालन

बैंक, भारत सरकार की आरक्षण नीति का पूर्णत: अनुपालन कर रहा है। प्रधान कार्यालय/आंचलिक कार्यालयों में विशेष भर्ती एवं एससी/एसटी कक्ष आरक्षण नीति के कार्यान्वपयन और एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों के निवारण की निगरानी के लिए कार्यशील हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों/स्टाफ को लिपिकीय संवर्ग से सामान्य/ बैंकिंग अधिकारी संवर्ग में और अधिकारी सवंर्ग के भीतर वेतनमान I से वेतनमान II, वेतनमान II से वेतनमान III में पदोन्नतियों के लिए भर्ती पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रदान किए गए भर्ती पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	संवर्ग	भर्ती पूर्व प्रशिक्षण					पदोन्नपति पूर्व प्रशिक्षण						
		कार्यक्रमों की संख्या	अवधि	एससी	एसटी	कुल	कार्यक्रमों की संख्या	अवधि	एससी	एसटी	ओबीसी	पी/एच	कुल
क)	अधिकारी	-	-	-	-	-	25	6	723	293	0	0	1016
ख)	लिपिक	-	-	-	-	-	23	6	698	306	0	0	1004
ग)	अधीनस्थस कर्मचारी	-	-	-	-	-							
	कुल	-	-	-	-	-							2020

बैंक ने प्रधान कार्यालय में क्रमश: ओबीसी तथा एससी/एसटी के लिए मुख्य सम्पर्क अधिकारियों के रुप में महाप्रबंधक को नियुक्त किया है। एससी/एसटी/ओबीसी प्रवर्गों से संबंधित अधिकारी सम्पर्क अधिकारी/कक्ष अधिकारी के रुप में आंचलिक कार्यालयों में नियुक्त/ किए हैं। सरकारी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रधान कार्यालय/ आंचलिक कार्यालय में पद आधारित आरक्षण रोस्टर का रखरखाव किया जाता हैं जिसका निरीक्षण वार्षिक आधार पर किया जाता है। प्रधान कार्यालय एवं आंचलिक कार्यालयों में स्थाजपित एससी/एसटी कक्ष भूतपूर्व सैनिकों/अशक्त व्यक्तियों जैसे प्रवर्गों के संबंध में आरक्षण के कार्यान्वयन के साथ भी सम्बद्ध है।

कुल स्टाफ संख्य (भारतीय) में एससी/एसटी/ओबीसी का प्रतिनिधित्व (भारतीय)

मार्च2013	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ स्टाफ	कुल
अनुसूचित जाति	2958	3025	2736	8719
भारतीय कार्यालयों में कुल स्टाफ का %	16.82	16.86	35.90	20.21
अनुसूचित जनजाति	1326	1842	796	3964
भारतीय कार्यालयों में कुल स्टाफ का %	7.54	10.27	10.44	9.19
अन्य4 पिछड़ी जातियां	2492	2132	1226	5850
भारतीय कार्यालयों में कुल स्टाफ का %	14.17	11.88	16.09	13.54

विधि

विधि विभाग आंतरिक सुविधादाता के रुप में कार्य करता है और प्रधान कार्यालय में कार्यरत विभागों में उत्पन्न विभिन्न मामलों में राय देने, दस्ता वेजीकरण, वाद-विवादों आदि की देखभाल करता है, इसके अतिरिक्त विभिन्न एनबीजी/अंचलों, भारतीय शाखाओं तथा बैंक की अनुषंगियों से राय, वाद-विवाद तथा वित्त दस्ताजों के मसौदे/ वेटिंग का कार्य करता है जो किसी विशेष मंजूरी/आवश्यिकताओं/अद्यतनों/दस्तावेजों के परिशोधन हेतु उचित है। विधि विभाग विशेषज्ञ विभाग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी/ अंतर्राष्ट्रीय/कोषागार/कार्ड उत्पाद आदि की विशिष्ट जरुरतों को पूरा करता है जैसे विभिन् करार/सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) (सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर खरीदना, सेवा स्तवर के करार, विभिन्न प्रकार की टाई-अप व्यवस्थाएं/नए उत्पाद आदि) के दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना/वेटिंग करना।

हमारे समाज में सूचना का अधिकार अधिनियम ने मुख्य भूमिका ले ली है और बैंक में विभिन्न स्तरों पर बहुत अधिक आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। बैंक ने विभिन्न अंचलों/एनबीजी में केन्द्रीय जन सूचना प्राधिकारी और अपील अधिकारी अभिनिर्धारित किया है। विधि विभाग के उपमहाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक (विधि) भी बैंक, प्रधान कार्यालय के पदनामित सीपीआईओ हैं और विधि विभाग के महाप्रबंधक अपील प्राधिकारी है। जिसमें प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों से आवश्यक सूचना प्राप्त करके नियत 30 दिनों की समय सीमा के अंदर आवेदक को भेजना और अन्य अंचलों/एनबीजी को विशिष्ट बिन्दुओं पर मार्गदर्शन देना शामिल है। स्टाफ सदस्यों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए विधि विभाग द्वारा 'लिगल न्यूसलेटर' नियमित रुप से जारी किया जाता है और परिचालित किया जाता है। इसके अलावा नवीनतम विधि मामलों में समय-समय पर परिपत्र जारी किया जाता है।

- बैंक द्वारा दायर वाद के संबंध में वाद पत्र अनुमोदन करना
- परिसर से संबंधित विधि मामले जिसमें बिक्री/पट्टा विलेख का वेटिंग, राय मुहया करवाना आदि शामिल है।
- शेयर ट्रैन्सामिशन के मामले
- भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय आदि जैसे विभिन्न नियामक प्राधिकारियों के लिए दायर वाद/डिक्री मामलों से संबंधित डेटा/आंकड़ो को संग्रह करना और प्रस्तुत करना। 1 करोड़ और अधिक के मामलों की निगरानी करना।
- बैंक के विरुद्ध दायर याचिकाओ, मामलों, अपीलों, दावों आदि पर सलाह देना और जहा भी जरुरत हो आवेदनों/शपथ पत्रों की वेटिंग करना।
- बैंक के विरुद्ध मामलों/आकस्मिक देयता के मामलों का विवरण तैयार करना, अंचलों से अनुवर्ती कार्रवाई आदि

- मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और आईबीए के विभिन्न मामलों पर विभिन्न प्रश्नों का जवाब देना जिसमें विभिन्न अधिनियम के संदर्भ के अंतर्गत नए विधि/संशोधन शामिल है।
- लिगल न्यूसलेटर
- नागरिक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किए गए अनुरोध का उत्तर देना इसमें अनुरोध का प्रसंस्करण करना, संबंधित विभाग को उसे अग्रेषित करना, अनुवर्ती कार्रवाई करना, संबंधित विभाग से जानकारी संग्रह करना और समयानुसार उत्तर (30 दिनों के अंदर) देना शामिल है। यदि ऐसे आदेशों पर अपील की जाती है तो उस अपील का आगे प्रसंस्करण करना और समयानुसार उसका निपटान करना। इसके अतिरिक्त, सूचना का अधिकार के अंतर्गत प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अंचलों और शाखाओं का मार्गदर्शन करता है। जब भी आवश्यकता हो विधि विभाग सीआईसी के समक्ष पार्टियों द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई के लिए सीआईसी के सामने प्रस्तुत होते हैं।

अनुपालन

विनियामक के संदर्भ में अनुपालन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि विनियमों की संख्या बढ़ रही है और एक संस्था में अनुपालन की आवश्यकता के संबंध में बड़े पैमाने पर समझ की कमी है। इस प्रकार अनुपालन, तेजी से कार्पोरेट प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक की अनुपालन कार्यनीति बैंक के बोर्ड द्वारा अपनाई गई है। बैंक में महाप्रबंधक की श्रेणी के मुख्य अनुपालन अधिकारी के नेतृत्व में स्वतंत्र अनुपालन विभाग कार्य कर रहा है। बैंक के सांविधिक, विनियामक एवं आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, बैंक के अनुपालन कार्य का परिचालन कार्य क्षेत्र है।

विभाग ने शाखा बैंकिंग के निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए अनुपालन नियम तैयार किया है :

विवरणी	आवृत्ति	नियमों की सं.
अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण/ आंतकवाद के वित्त पोषण का प्रतिरोध (सीएएफटी)	मासिक	51
जमा राशिया व सेवाएं	तिमाही	59
अग्रिम	तिमाही	59
एफईएमए	तिमाही	119

उपर्युक्त नियमों का प्रमाणीकरण निर्धारित अंतराल में प्रत्येक अंचल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पूरे भारत वर्ष में विभाग द्वारा कुछ चुनी हुई शाखाओं में नियमों पर आधारित अर्ध वार्षिक अनुपालन परीक्षण किया जाता है। इस अनुपालन परीक्षण में पाए गए परिणामों की रिपोर्ट उच्च प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक अंचल के अनुपालन कार्य की निगरानी के लिए संबंधित आंचलिक कार्यालय में अनुपालन अधिकारी अभिनिर्धारित किए गए हैं। विदेशों में अनुपालन के लिए भी विभाग जिम्मेदार है। विदेशी शाखाओं में क्लस्टर स्तर पर निगरानी की जाती है।

अनुपालन विभाग, अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड/सर्वोच्च प्रबंधन/प्रधान कार्यालय के विभागों को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता है :

i. बोर्ड को विदेशों में विनियामकों के उल्लंघन, यदि कोई हो, पर मासिक सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाता है;
ii. बोर्ड को डेरिवेटिव्स के संबंध में मासिक रिपोर्ट;
iii. बैंक के समक्ष अनुपालन जोखिम पर मासिक नोट सर्वोच्च प्रबंधन को प्रस्तुत करना;
iv. केवाईसी/एएमएल/सीएफटी में लिए गए प्रमुख पहलों पर मासिक नोट बोर्ड को प्रस्तुत करना।
v. मासिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों का सारांश और उसका अनुपालन बोर्ड को प्रस्तुत करना;
vi. विदेशी केन्द्रों से प्राप्त घोषणाओं के आधार पर विदेशी केन्द्रों में विभिन्न विनियामक ज़रूरतों का पालन किया जा रहा है, इस संबंध में उच्च प्रबंधन को मासिक प्रमाणपत्र;
vii. बोर्ड को बैंक के अनुपालन कार्य पर तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
viii. संबंधित अंचलों से अनुवर्ती कार्रवाई/सुधार के लिए अनुपालन चूक के उदाहरण प्रधान कार्यालय के विभागों को देना;
ix. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को तिमाही आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों /अनुदेशों पर बैंक का अनुपालन प्रस्तुत करना;
x. बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को केवाईसी/एएमएल/सीएफटी के कार्यान्वयन समीक्षा की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।
xi. आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट कैलेन्डर ऑफ रिव्यू की निगरानी और बोर्ड को इस पर तिमाही आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
xii. कम्प्लायंस फंग्शन पॉलिसी के पैरा 12 (xii) के अनुसार, विभाग अपनी कार्यात्मकता पर एक वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

विभाग को बैंक में अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण उपाय/सीएफटी दिशानिदशों को लागू करने/निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार विभाग ने सभी वर्तमान खातों में केवायसी मानदण्ड के अनुपालन को सुनिश्चित करने का काम गंभीरता से लिया है। फिनेकल सिस्टम में प्रत्येक खाते में केवाईसी स्थिति को नोट करने के लिए अलग अनिवार्य फिल्ड डाला गया है। सभी शाखाओं में केवाईसी अनुपालन न किए गए खातों को पहचानने, केवाईसी दस्तावेज प्राप्त करने तथा फिनेकल सिस्टम को उचित रुप से अद्यतन करने की प्रक्रिया चल रही है।

धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएल अधिनियम) के उपबंधों के अनुसार और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और केवाईसी के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शाखाएं, ग्राहकों के सही पहचान के लिए नवीनतम फोटोग्राफ, पहचान का प्रमाण तथा वर्तमान पते का प्रमाण प्राप्त कर रही है। कम आय समूह के व्यक्तियों के खाते खोलते समय सरलीकृत केवाईसी मानदंड शुरु किए गए हैं। सभी ग्राहकों को जोखिम धारणा के आधार पर उच्च, मध्यम व न्यून जोखिम प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा प्रत्येक छह महीने में की जानी चाहिए। 30.09.2012 से अर्ध वर्ष की समाप्ती से खातों की जोखिम प्रवर्गीकरण की समीक्षा को प्रधान कार्यालय में केन्द्रीयकृत कर लिया गया है।

बैंक ने धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और उसके संशोधनों को निम्ना नुसार कार्यान्वित किया है:

1. प्रिंसिपल अधिकारी की नियुक्ति की गई है (मुख्य अनुपालन अधिकारी ही धनशोधन रिपोर्टिंग अधिकारी एमएलआरओ है);
2. बैंक वित्तीय आसूचना ईकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी), नई दिल्ली को ₹10 लाख से अधिक के संव्यमवहार के संबंध में मासिक कैश ट्रान्जैक्शन रिपोर्ट (सीटीआर) प्रस्तुत कर रहा है;
3. बैंक एनपीओ के खातों में ₹10 लाख से अधिक अथवा उसके समतुल्य विदेशी मुद्रा के जमा के संबंध में मासिक नॉन-प्रोफिट ऑरगनाइज़ेशन ट्रान्जैक्शन रिपोर्ट (एनपीओटीआर) प्रस्तुत करता है;
4. बैंक एफईयू-आईएनडी को पहचान होने पर, संदिग्ध संव्व्यहार रिपोर्ट (एसटीआर) तथा जाली करेंसी रिपोर्ट (सीसीआर) भी प्रस्तुत करता है;
5. पीएमएल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रिकार्डों का परिक्षण तथा रखरखाव;
6. क्रॉस बार्डर वायर ट्रान्सफर पर एफआईयू-आईएनडी ने नया रिपोर्ट आरंभ किया है अर्थात् ₹ 5 लाख से अधिक अथवा विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य क्रॉस बार्डर वायर ट्रान्सफर पर मासिक रिपोर्ट; बैंक इसे भेजने के प्रक्रियाधीन है।

धनशोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत संदिग्ध संव्यवहारों को अभिनिर्धारित करने के लिए बैंक ने एन्टी मनी लॉन्डरिंग सॉफ्टवेयर (एएमएलओसीके) प्राप्त किया है। बैंक ने काफी सारे आईबीए अलर्ट सिनेरीओ भी अपनाई जा रही है। 30.06.2014 तक शेष सिरीओ भी कार्यान्वनत किए जाएंगे। औसतन यह सॉफ्टवेयर प्रतिदिन करीब 30,000 अलर्टस् (आईबीए के अलर्ट सिनेरीओ के कार्यान्वयन के बाद) जेनरेट करती है। विभाग द्वारा इन अलर्टों की जांच की जाती है। जहाँ भी आवश्यकता हो अंचलों/शाखाओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है और यदि अंचल/शाखा के स्पष्टीकरण से बैंक संतुष्ट नही हीं है तो एफआईयू आईएनडी को संदीग्ध संव्यवहार रिपोर्ट (एसटीआर) दर्ज करती है।

विभाग प्रधान कार्यालय के सभी विभागों के बीच समन्वय करके भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआई) के कार्य की देखभाल करती है। एएफआई रिपोर्टों की जांच की जाती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को अनुपालन प्रस्तुत की जाती है। वर्ष 2012-13 से आरबीआई ने एएफआई के बदले जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) आरंभ किया है। वर्ष 2012-13 के लिए आरबीएस 16.12.2013 को आरंभ की गई तथा 25.02.2014 को समाप्त की गई। 28.03.2014 को यह रिपोर्ट प्राप्ति की गई। बैंक इसमें दी गई टिप्पणियों पर उत्तर तैयार कर रहा है।

सभी नियन्त्रक एजेन्सियों का बैंक से संपर्क के लिए यह विभाग एकल संपर्क बिन्दु है।

सतर्कता

वित्त मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से नियुक्त महाप्रबंधक श्रेणी के मुख्य सतर्कता अधिकारी बैंक की सर्तकता व्यवस्था के प्रमुख है। सभी सतर्कता मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारियों/नियंत्रक प्राधिकारियों को सलाह देने के लिए सीवीओ को ऐसे अधिकारियों की सहायता प्राप्त है जिन्हें अन्वेषण और अनुशासनिक कार्रवाई के मामलों के साथ-साथ बैंकिंग का ज्ञान/ इन क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव है। सतर्कता विभाग, निवारक सतर्कता उपायों के प्रचार-प्रसार का भी ध्यान रखता है। इस संबंध में सतर्कता मामलों पर कार्य करने के लिए बैंक द्वारा पाँच स्वतंत्र सतर्कता युनिट्स बनाए गए हैं।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

धोखाधडी जोखिम प्रबंधन विभाग के मुख्य कार्य हैं:

- ★ धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग और निगरानी
- ★ धोखाधड़ी पर केन्द्रीयकृत डेटा का रखरखाव
- ★ किए गए तथा प्रयास किए गए धोखाधड़ी का विश्लेषण
- ★ धोखाधड़ी में निहित रकम का प्रावधानीकरण और लेखांकन
- ★ धोखाधडी निवारक पर प्रशिक्षण के जरिए स्टाफ को सुग्राही बनाना।
- ★ बैंक के लिए एफआरएम नीति तैयार करना और क्रियान्वयन करना।
- ★ प्रधान कार्यालय में धोखाधड़ी के टास्क फोर्स की बैठक आयोजित करना।
- ★ धोखाधड़ी खातों में वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- ★ सिस्टम, कार्यविधियों और प्रथाओं की कमियां जिसके कारण धोखाधड़ी हो रही हैं उन्हें बंद करना।
- ★ परिपत्रों/अनुदेशों के जरिए धोखाधड़ी की कार्य-प्रणाली और घटने के कारणों की जानकारी देना ताकि उस प्रकार के धोखाधड़ी को पुन: घटने से रोका जा सके।

  धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान के बीमा दावा से सभी पक्षों का प्रबंधन।
- ★ आराअईएमएस, एक बाह्य एप्लीकैशन, की सहायता से जेनरेट किए गए अलर्ट की ऑनलाइन निगरानी

निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा

वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग द्वारा शाखाओं, करेंसी चेस्ट , डिपॉजिटरी सहभागिता कार्यालय में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा तथा राजस्व लेखा परीक्षा की गई और प्रधान कार्यालय विभागों, आंचलिक कार्यालयों, आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालयों, स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालयों, एमडीआई, एलडीएम कार्यालय, आरआरबी में जोखिम आधारित प्रबंधन लेखा परीक्षा की गई। एफसीए द्वारा 723 स्वदेशी शाखाओं (कोषागार शाखा सहित) तथा संपदा विभाग, प्रधान कार्यालय (केन्द्रीयकृत भुगतान के लिए) तथा आंतरिक अधिकारियों द्वारा 24 विदेशी शाखाओं, कार्ड उत्पाद विभाग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक डाटा सेन्टर तथा संपदा विभाग, प्रधान कार्यालय (अन्य मामलों के लिए) की समवर्ती लेखा परीक्षा की गई। बैंक के कुल ग्लोबल अग्रिम का 84.47% तथा कुल ग्लोबल जमा का 69.69% समवर्ती लेक्षा परीक्षा द्वारा पूरा किया गया जबकि नियत स्तर प्रत्येक का 70% है। विभाग ने शाखाओं में लेखा परीक्षा के दौरान ₹74.22 करोड़ तक के राजस्व की हानि का पता लगाया जिसमें से ₹71.12 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। ।

स्टारबूस्ट योजना के अंतर्गत 3187 शाखाओं के लेखा परीक्षा अपवाद रिपोर्ट (एईआर) निकाले गए और आरबीआईए के अंतर्गत शाखाओं को भेजे गए। यह रिपोर्ट संबंधित शाखाओं को दो महीने पहले भेजी जाती है जिससे लेखा परीक्षा आरंभ होने के पहले शाखाएं आवश्यक सुधारात्मक उपाय शुरु कर सकें, इससे उन्हें अच्छी लेखा परीक्षा श्रेणी प्राप्त करने में सुविधा होती है। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा और सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा की नीतियों की समीक्षा/उचित संशोधन किए गए और आरबीआईद्वारा पिछले एएफआई में बताए गए क्षेत्रों को सुपरिष्कृत कवर किया गया . वर्ष 2011-12 के लिए बैंक के लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट पर समयानुसार कार्रवाई की गई तथा बोर्ड और एसीबी को अनुपालन समय से प्रस्तुत किया गया। बोर्ड/एसीबी की बैठकों से निकले कार्रवाई मदों के अनुपालन को समय से एसीबी/बोर्ड को प्रस्तुकत किया गया।

नियमित लेखा परीक्षा के अलावा उच्च प्रबंधन के अनु देश/दिशानिर्देशों के तहत बैंक की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विशेष कार्य किए गए।

- ★ 'उच्च जोखिम और ऊपर' रेटिंग वाली शाखाओं में टिप्पणियों/अपवादो को अन्तिम अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विवेकाधिकार लेखापरीक्षा (डिस्क्रेशनेरी अडिट) की गई।
- ★ गैर-समवर्ती लेखा परीक्षा शाखाओं में राजस्व लेखा परीक्षा की गई (छोटे/मध्यम शाखाओं के मामले में वार्षिक और बृहत् और अधिक शाखाओं के लिए अर्ध-वार्षिक) और ₹6.53 करोड़ का राजस्व क्षरण का पता लगाया गया।
- ★ लेखा परीक्षा किए गए शाखाओं पर निवारक सतर्कता उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया (यह अनवरत रूप से की जा रही है)।
- ★ 5102 खातों में ऋण लेखा परीक्षा और ऋण समीक्षा व्यवस्था आयोजित की गई।
- ★ बैंक का वर्ष 2012-13 के लिए लांग फार्म अडिट रिपोर्ट 25.06.2013 को प्राप्त की गई और इसका अनुपालन आरबीआई को 23.08.2013 को प्रस्तुत किया गया।
- ★ सभी विदेशी केन्द्रों का माइग्रेशन लेखा परीक्षा मेसर्स अर्नस्ट एण्ड यंग एलएलपी द्वारा पूरा किया गया और अनुपालन हेतु संबंधित विदेशी केन्द्रों में भेजा गया।
- ★ फिल्ड स्तर के लेखापरीक्षकों के कौशल को बेहतर बनाने के लिए आरबीआईए, फॉरैक्स परिचालन और आईटी संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- ★ दिसंबर 2013 के लिए डीसी, डीआर और कोषागार की तिमाही सूचना प्रणाली (आईएस) लेखा परीक्षा मेसर्स पैलाडियन नेटवर्कस प्रा.लि. द्वारा किया गया और पिछले आईएस लेखा परीक्षा के अनुपालन रिपोर्ट सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। दिसंबर, 2013 के लिए डीसी और डीआर की रिपोर्ट बंद करने के लिए प्रस्तुत की गई । डीसी का कोषागार रिपोर्ट 26.03.2014 को एसीई में बंद की गई। मार्च, 2014 में समाप्त तिमाही के लिए डीसी, डीआर और कोषागार का आईएस लेखा परीक्षा मेसर्स पैलडियन नेटवर्कस प्रा.लि. द्वारा आरंभ की गई है।
- ★ वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार क्रेडिट, जमाराशि, फॉरैक्स, आईटी, धनप्रेषण इत्यादि के क्षेत्र में 81 ऑफसाइट सर्वेलन्स/अलर्टस् का कार्यान्वयन किया गया। 81 रिपोर्ट के स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दिया गया, कुछ शाखाओं में परीक्षण किया गया और समिति के सदस्यों द्वारा रिपोर्टें अनुमोदित की गई. सभी शाखाओं के लिए आसानी से रिपोर्टे जेनरेट करने के लिए पृथक 'कस्ट आईडी' बनाई जा रही है। अंचलवार ऑफ साइट सर्वेलन्स रिपोर्ट (ओएसआर) जेनरेट करना शुरू किया जा रहा है। सभी शाखाओं में एक साथ प्रतिगामी (रिग्रेसिव) परीक्षण किया जाएगा।
- ★ फिनैकल का एप्लीकेशन लेखा परीक्षा किया जा रहा है और यह कार्य मेसर्स अर्नस्ट एण्ड यंग एलएलपी को दी गई है। यह एक बार किया जाने वाला कार्य है और 1 वर्ष की ठेका अवधि है। मेसर्स अर्नस्ट एण्ड यंग एलएलपी ने अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- ★ मेसर्स अर्नस्ट एण्ड यंग एलएलपी द्वारा डाटा सेन्टर की समवर्ती लेखा-परीक्षा की जा रही है और दिसंबर, 2013 माह तक की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जनवरी 2014 तथा फरवरी 2014 की ड्राफ्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति में सितंबर 2013 की रिपोर्ट बंद कर दी गई है। डाटा सेन्टर से अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर 2013 की अनुपालन स्थिति प्राप्त हुई और अनुपालन जांच के लिए इसे मेसर्स अर्नस्ट एण्ड यंग एलएलपी को प्रेषित किया गया है।

- अग्रसक्रिय उपाय के रूप में हमारा कार्यालय राजस्व क्षरण के कारणों की प्रवृत्ति समीक्षा करने के बाद, जनेरिक मदों को ठीक करने के लिए हम ब्याज क्षेत्रों की भी जांच कर रहे हैं।
- बेहतर संपर्क के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/टेली-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विदेशी केन्द्रों के समवर्ती लेखापरीक्षकों से बातचीत की जाती है।

महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक ने 77 आंचलिक लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सहभागिता की तथा उच्च जोखिम स्तर की शाखाओं के मुख्य पदधारी के साथ बैठक की गई और समयानुसार अनुपालन/विभिन्न रिपोर्टों को बंद करने तथा लेखा परीक्षा रेटिंग बेहतर करने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन दिया।

कुछ अंचलों में समवर्ती लेखा परीक्षक/आंतरिक लेखा परीक्षकों की बैठक आयोजित की गई जहां महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक ने लेखा परीक्षा खोज की गुणवत्ता रिपोर्टिंग और समयानुसार रिपोर्ट जमा करने पर बल दिया।

डाटा सेन्टर के लिए पूर्णकालिक आंतरिक समवर्ती लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया और अन्ये कर्तव्योंर के साथ उसे ब्याज मानदंडों की जांच, ब्याज प्रक्रिया का प्रयोग तथा नमूने खातों में ब्याज की जांच का कार्य दिया गया। समवर्ती लेखा परीक्षक के विचारों को अनुपालन के लिए आईटी विभाग को अग्रेषित किया गया। उनसे प्राप्त अनुपालन को नोटिंग तथा आगे के निदेशों के लिए कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती है।

सभी महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा खोज पर नियमित रिपोर्टिंग निर्धारित उच्च प्रबंधन, कार्यपालको की लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को की जाती है और उनके निदेशों का अनुपालन किया जाता है।

राजभाषा

बैंक के राजभाषा विभाग ने कोलकाता, अहमदाबाद और नई दिल्ली में सफलतापूर्वक राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन किया। बैंक द्वारा किए गए कार्य की सराहना भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा की गई।

हमारा बैंक वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए राजभाषा प्रयोग-आपसी संवाद सार्थक दिशा नामक राजभाषा मॉडल को कार्यान्वित करने वाला प्रथम बैंक है। यह कार्यक्रम लखनऊ (17.10.2013) में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की सीडी सभी राष्ट्रीयकृत बैंको के प्रधान कार्यालयों को प्रेषित की गई।

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के संयुक्त निदेशक (राजभाषा) और सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा प्रधान कार्यालय का निरीक्षण किया गया। हमने राजभाषा मॉडल-2 तैयार किया है जिसे वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार का राजभाषा मॉडल भेजने में हमारा बैंक प्रथम है।

हमारे कार्यपालक निदेशक श्री बि.पी. शर्मा द्वारा उनके यूके दौरे के समय हमारी लंदन, पेरिस और एंटवर्प शाखाओं में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गई। इस प्रकार हमारा बैंक प्रथम बैंक है जिसने विदेशी शाखाओं में राजभाषा कार्यान्वयन पर चर्चाएं की।

हिन्दी माह के दौरान अंतर बैंक लोकगीत (गैर-फिल्मी) प्रतियोगिता, हिन्दी कवि सम्मेलन, प्रधान कार्यालय के विभागों के लिए विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

स्टारडेस्क पर राजभाषा पोर्टल आरंभ किया गया जिसमें राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत की जा रही हैं ।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजभाषा विभाग के मॉडल राजभाषा प्रयोग आपसी संवाद सार्थक दिशा के अनुसरण में प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग के नेतृत्व में लखनऊ, रत्नागिरी, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, कोल्हापुर, नोएडा, नई दिल्ली और मुंबई में सेमिनार आयोजित किए गए।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से प्राप्त पुरस्कार (वर्ष 2012-13 के लिए) नागपुर-1 (नराकास) प्रथम पुरस्कार, मुजफ्फरपुर अंचल द्वितीय पुरस्कार, अमृतसर अंचल तृतीय पुरस्कार, जमशेदपुर अंचल तृतीय पुरस्कार, गोवा अंचल तृतीय पुरस्कार।

भारतीय रिज़र्व बैंक शील्ड वर्ष 2011-12 के लिए 'ख' क्षेत्र में बैंक ऑफ़ इंडिया को तृतीय पुरस्कार

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार : भोपाल अंचल, कोल्हापुर अंचल, अमृतसर अंचल, बोकारो अंचल तथा जलंधर शाखा

द्वितीय पुरस्कार : जमशेदपुर अंचल, पटना अंचल, सिलीगुड़ी अंचल

तृतीय पुरस्कार : आगरा अंचल, भुवनेश्वर अंचल, गंगटोक शाखा

प्रोत्साहन पुरस्कार : अहमदाबाद अंचल, वडोदरा अंचल

अनुवाद : वर्ष के दौरान विभाग ने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ो का हिन्दी अनुवाद पूरा किया जैसे सतर्कता मैन्युअल, एमएसएमई नीति, सुरक्षा नीति, बैंक का वार्षिक रिपोर्ट, बैंक के प्रेस रीलीस, तारांकित/अतारांकित संसदीय प्रश्नों के उत्तर इत्यादि। इसके अलावा विभिन्न पोस्टर /पैम्फ्लैट तथा अन्य प्रचार सामग्रियों का अनुवाद किया गया।

वर्ष के दौरान 167 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई जिसमें 3461 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया।

बैंक की अनुषंगियां/सहायक कंपनियां

इंडो ज़ाम्बिया बैंक लि. (आईजेडबी)

आईजेडबी तीन भारतीय बैंकों, यथा बैंक आफ़ इंडिया, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया और जाम्बिया सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। प्रत्येक भारतीय बैंक के पास 20% शेयर पूंजी धारिता है, जबकि जाम्बिया सरकार की शेयर पूंजी धारिता 40% है। इंडो-जाम्बिया बैंक लि. सफल संयुक्त उद्यम का एक बढ़िया उदाहरण है। इसे दो भिन्न मित्रवत गणराज्यों जाम्बिया गणराज्य सरकार और भारत सरकार का संरक्षण प्राप्त है।

पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके, (इंडोनेशिया)

बैंक ने पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके में 76% हिस्सा अर्जित किया है जो अब बदल कर पीटी हुआ है । बैंक ऑफ इंडिया (इंडोनेशिया) टीबीके का मौजूदा निवेश ₹ 145.70 करोड़ है ।

बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लिमिटेड

बैंक ऑफ़ इंडिया तंजानिया लिमिटेड पूर्ण रूप से बैंक की अपनी अनुषंगी है जिसने दिनांक 16 जून, 2008 से दार-उ-सलाम में पहली शाखा के साथ परिचालन आरंभ किया है।

बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि.

बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि. पूर्ण रुप से बैंक की अपनी अनुषंगी है। यथा 31.03.2014 में बैंक का नेट वर्थ ₹ 261.31 करोड़ है। 31.03.2014 को समाप्त वर्ष में बैंक का पीएटी ₹ 2.87 करोड़ है।

बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने अपनी अनुषंगी बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. के नाम से स्थापित की, जिसने एक नए पूर्ण स्वाामित्व से अपना परिचालन दिनांक 09.08.2013 से उसकी प्रथम शाखा गॅबोरॉन बोत्स्वाना से शुरू किया था।

बीओआई शेयर होल्डिंग लि. (बीओआईएसएल)

बैंक का केपिटल मार्केट के साथ नौ दशकों से अधिक पुराना संबंध है। 1921 से बैंक द्वारा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का समाशोधन एवं निपटान कार्य किया जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन गृह की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए बैंक ने 1989 में बीएसई के साथ बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. (बीओआईएसएल) नामक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया। बैंक के पास ₹ 2 करोड़ की अपनी प्रदत्त पूंजी का 51% हिस्सा है। यह कंपनी एक्स्चेंज में परिचालन करने वाले सदस्य ब्रोकरों द्वारा किए गए सौदों की रोलिंग एवं साप्ताहिक निपटान कर रही है। बीओआईएसएल नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लि., (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि., (सीडीएसएल) दोनों डिपॉजिटरियों का डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) भी है और यह समाशोधन सदस्यों एवं निवेशकों को डिपॉजिटरी सेवाएँ उपलब्ध कराता है। बीओआईएसएल देश का ऐसा पहला प्रतिभूति समाशोधन गृह है, जिसे आईएसओ 9001-2000 आईएसओ प्रमाणन से पुरस्कृत किया गया है। बीओआईएसएल ने वर्ष 2012-13 में ₹ 68.02 लाख का निवल लाभ अर्जित किया था जिसकी तुलना में वर्ष 2013-14 में रु 588.93 लाख अर्जित किया है।

बीओआई एक्साज इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लि; व बीओआई एक्सा ट्रस्टीशिप सर्विसेस प्राइवेट लि.

यह कंपनिया म्यूचुअल फंड व पोर्टफोलियों प्रबंधन के कारोबार में हैं। बैंक ऑफ इंडिया की इन कंपनियों मे 51% की शेयरधारिता है।

एसटीसीआई फिनैंस लि.

एसटीसीआई लि., देश का एक प्रमुख प्रायमरी डीलर है। इसे सक्रिय सेकेंडरी मार्केट के विकास के माध्यम से गिल्ट एवं अन्य ऋण प्रतिभूति बाजार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से 1994 में प्रवर्तित किया गया था। एसटीसीआई जिसकी प्रदत्त पूंजी ₹380 करोड़ है, बैंक ऑफ़ इंडिया 29.96% धारिता के साथ सबसे बड़ा एकल शेयरधारक है। यह कंपनी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 21 (एएस-21) के अनुसार बैंक की सहयोगी कंपनी है।

इस बढ़ती धारणा के परिप्रेक्ष्य में कि प्रायमरी डीलरशिप अपने आप में कोई आकर्षक व्यवसाय नहीं रहा, एसटीसीआई ने प्राइमरी डीलरशिप कारोबार अपनी नई सहायक कंपनी एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. को देने का निर्णय किया है, जिसने अपना कार्य 25 जून, 2007 से शुरू किया है। इस सहायक कंपनी ने अपना कार्य सावधानीपूर्वक शुरू किया है और तब से नियमित प्रगति की है।

बैंक की सहायक कंपनियों के निर्माण के पश्चात एसटीसीआई ने आईबीओ निधि, मार्जिन निधि, पण्य स्वरूप भावी कारोबार, आस्ति प्रबंधन, लघु अवधि कार्पोरेट ऋण /सीपी में निवेश, इक्विटी कारोबार आदि गतिविधियां प्रारंभ की।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान पीएटी ₹ 91.44 करोड़ वर्ष 2012-13 के पीएटी ₹ 78.81 करोड़ की तुलना में हुआ है।

स्टार यूनियन दाई-ची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (एसयूडी लाइफ)

बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया एवं दाई-इची म्यूचुअल लाईफ इंश्योरेंस कंपनी, जापान ने वृद्धिशील बीमा बाजार का लाभ लेने तथा देश में चारों और फैले अपने ग्राहकों को विश्वसनीय गुणवत्ता बीमा उपलब्ध करने के लिए स्टार यूनियन दाई-इची लाईफ इंश्योरेंस कंपनी गठित की है। कंपनी ने फरवरी, 2009 से बीमा कारोबार प्रारंभ किया है। कंपनी की प्रदत्त पूंजी में बीओआई का ₹ 250.00 करोड़ का 48% अंश है।

बैंक की धारिता के अतिरिक्त यूनियन बैंक का हिस्सा 26% तथा दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जापान की धारिता 26% है।

महत्वपूर्ण निवेश/गठज़ोड़

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल)

यह कंपनी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया व अन्य बैंकों के साथ 1997 में प्रवर्तित की गई थी। सीडीएसएल को प्रवर्तित करने का मुख्य उद्देश्य स्क्रिप्स के डिमेटीकरण की गति में वृद्धि व पूंजी बाजार में निवेशकों की सहभागिता बढ़ाने और देश की द्वितीय डिपॉजिटरी के रूप में एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्मित करना था। सीडीएसएल की ₹ 104.50 करोड़ की प्रदत्त पूंजी में बैंक का हिस्सा 5.57% है। सीडीएसएल ने वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2011-12 में 10% लाभांश तथा 2012-13 के लिए 15% व वर्ष 2013-14 के लिए 20% लाभांश का भुगतान किया है।

एएसआरईसी (इंडिया) लि.

कंपनी को यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया के विनिर्दिष्ट उपक्रम के रूप में प्रतिभूतिकरण और आस्ति पुनर्रचना कार्यकलाप करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2004-05 के उत्तरार्ध में सरफेसी एक्ट, 2002 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकरण का प्रमाणपत्र दिया गया था और तब से कंपनी ने पूर्णरूपेण कार्य करना शुरू किया। वर्तमान कंपनी की 98 करोड़ इक्विटी पूंजी में बैंक की 26.02% की धारिता है।

ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लि. (सीआईबीआईएल)

ऋण आसूचना ब्यूरो देश का पहला ऋण आसूचना ब्यूरो है, जिसे बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र को ऋण सूचना और जोखिम विश्लेषण सेवाएँ देने के लिए अगस्त 2000 में निगमित किया गया। कंपनी ने अपना उपभोक्ता ब्यूरो परिचालन वित्तीय वर्ष 2004-05 में एवं वाणिज्यिक ब्यूरो परिचालन 2006-07 के दौरान प्रारंभ किए। कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में बैंक की 5% की धारिता है।

नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. (एनसीएमएसएल)

नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. को नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज लि. (एनसीडीईएक्सल) द्वारा प्रवर्तित किया गया है। इसको दिनांक 28.09.2004 को प्रतिभूतियों एवं कमोडिटीज हेतु सुरक्षा, प्रबंधन तथा नियंत्रण के लिए कोलेटरल प्रबंधन सेवाएं प्रोन्नत करने तथा प्रदान करने हेतु निगमित किया गया था। यह कमोडिटी एक्सचेंज पर ट्रेड के विकास हेतु विभिन्न सेवाएं तथा सिक्यूरिटिज एवं कमोडिटीज इत्यादि का मूल्यांकन ग्रेडिंग, इन्शुअरिंग, सेक्युरिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रिब्यूटिंग, क्लिअरिंग एवं फारवर्डिंग का कार्य करता है। बैंक की कंपनी इक्विटी पूंजी में 10.17% हिस्सेदारी (रुपये 3 करोड़) है। इस तरह यह बैंक को एनसीएमएसएल के साथ अपने संबंधों के चलते उनके सदस्यों और ग्राहकों को क्रेडिट देने का अवसर प्राप्त होता है।

स्वीस इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेस प्रा. लि.

यह नया उद्यम स्वीफ्ट और बैंक ऑफ़ इंडिया सहित 8 प्रमुख बैंको द्वारा प्रोन्नत किया गया है। स्वीफ्ट के पास इक्विटी की 55% धारिता है और शेष 45% की धारिता 8 प्रमुख बैंको के पास है। कंपनी में बैंक ऑफ़ इंडिया की ईक्विटी स्टेक 5.63% है। कंपनी का परिचालन आरंभ नहीं हुआ है।

एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ़ इंडिया लि. (एसएमईआरए)

एक प्रमुख ऋण स्तरांकन एजेन्सी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के सहयोग से सिडबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान एसएमईआरए की स्थापना की गई। एसएमईआरए का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय स्तरांकन प्रदान करना है जिससे एसएमई क्षेत्र को बड़ी मात्रा में और आसानी से ऋण उपलब्धता होगी। बैंक की कंपनी की इक्विटी पूंजी में नाममात्र 4% धारिता है।

अन्य महत्वपूर्ण निवेश उपर्युक्त सूचीबद्ध मुख्य महत्वपूर्ण निवेश के अलावा एमसीएक्सड स्टॉक एक्सचेंज लि. (₹2.5 करोड़) युनाइटेड स्टॉ क एक्सुचेंज लि. (₹7.50 करोड़), इक्रीफैक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेस लि. (₹4.73 करोड़), यूवी एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कं.लि. (₹15 करोड़), क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (₹50 करोड़), एग्रीक्चरल फायनेंस कार्पोरेशन लि. (₹12.60 करोड़), सिडबी (₹45.30 करोड़), टूरिज्म फायनेंस कार्पोरेशन लि. (₹8.59 करोड़), सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन लि. (₹1.11 करोड़), सीओआरडीईएक्स (₹1 करोड़), एसबीआई डीएफएचई (₹6.34 करोड़) में भी बैंक का महत्वपूर्ण निवेश है।

बैंक की डिपॉजिटरी सेवाएं

सभी शाखाओं द्वारा कोर बैंकिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बैंक के ग्राहकों को डिपॉजिटरी सेवाएं दी जा रही है। बैंकिंग सेवाओं की उपयोगिता बढ़ाने तथा डिपॉजिटरी सेवाओं के विभिन्न फायदों को उपलब्ध करवाने के लिए बैंक दोनों यथा एनएसडीएल तथा सीडीएसएल डिपॉजिटरी सेवाओं को प्रदान कर रहा है। बेहतर सेवा देने के लिए डीपी परिचालन को मुंबई में केन्द्रीकृत किया गया है। इस वर्ष के दौरान सहक्रिया को प्राप्त करने तथा मानव संसाधन के सही उपयोग के लिए बैंक ने सीडीएसएल, डीपीओ को अंधेरी (पश्चिम) से मुंबई (मुख्य) शाखा के बड़े परिसर में स्थानांतरित किया है।

हमारे डीपीओ में सक्रिय डीमैट खातों की संख्या 31.03.14 में 91,523 है। वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने सकल आय ₹ 45 लाख वर्ष 2012-13 के दौरान अर्जित सकल आय ₹ 39 लाख की तुलना में अर्जित की है। कुल 3016 नये खाते वर्ष 2013-14 में खोले गए हैं।

स्टार शेयर ट्रेड (शेयर की ऑन लाईन ट्रेडिंग)

पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग (ओएलएसटी) स्टॉक मार्केट के निवेशकों के मध्य लोकप्रियता प्राप्त कर रही है और सौदों की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। हमारे ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने और उन्हें माउस क्लिक, फोन पर सौदे करने की सुविधा देने के विचार से बेंक ने एनएसई में सेबी पंजीकृत प्रतिष्ठित ब्रोकिंग कंपनी असित सी. मेहता इनवेस्टमेंट इन्टरमीडियेट्स (एसीएमआईआईएल) लि. के साथ गठजोड़ व्यवस्था कर अपने ग्राहकों के लिए बैंक खाता, डीमेट खाता एवं ट्रेडिंग खाता को एकीकृत कर स्टार शेयर ट्रेड (आनलाइन ट्रेडिंग सुविधा) प्रारंभ की है। ओएलएसटी सुविधा 2005 से उपलब्धा करवाई जा रही है। यह सुविधा हमारे एनआरआई ग्राहक और आईपीओ भरने के लिए भी उपलब्ध है।

ऐप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लाक्ड एमाउंट (एएसबीए)

बैंक सेबी में स्वयं प्रमाणित सिंडीकेट बैंक (एससीएसबी) के रुप में पंजीकृत है और एएसबीए के अंतर्गत प्राप्त आईपीओ आवेदन (प्रत्यक्ष आवेदन) हमारी नामित शाखाओं द्वारा संसाधित किए जाते हैं। बैंक की स्टॉक एक्सचेंज शाखा आसबा की नोडल शाखा के रुप में कार्य कर रही है। उपयुक्त नामित शाखाओं के अतिरिक्त अन्य सभी शाखाओं के ग्राहक जिन्होंने इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा ली है वे स्टार कॉनेक्ट रिटेल इंटरनेट बैंकिंग से एएसबीए आईपीओ में ऑनलाइन बिड सह आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

निम्नलिखित निवेशक एएसबीए के माध्यंम से आईपीओ हेतु आवेदन करने के लिए पात्र है :

i) **पब्लिक इश्यू में :** क्वोलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर (क्यूआईबी) छोड़कर सभी निवेशकर्ता सार्वजनिक निर्गम में एएसबीए के माध्यम से आवेदन करने हेतु पात्र है।

ii) **राइट इश्यू में :** जारीकर्ता कंपनी के सभी शेयरधारक रिकार्ड तारीख पर जारी करते है, बशर्ते कि वह :

क. डिमेट फॉर्म में शेयर धारण करता हो और पात्रता के लिए आवेदन और/अथवा अतिरिक्त शेयर्स डिमेट फार्म जारी के लिए आवेदन किया हो

ख. उनकी पात्रता पूर्ण/आंशिक रुप से त्याग न दी गई हो

ग. निर्गम का उसने त्याग न किया हो

निदेशक उत्तरदायित्व वक्तव्य

मार्च, 31, 2014 को समाप्त वार्षिक लेखा की तैयारी में निदेशक पुष्टि करते है कि,

- महत्व पूर्ण विचलन, यदि कोई है, के उचित स्पेष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुरुप तैयार लेखा नीतियां समनुरुप से लागू की गई है;
- वित्तीय वर्ष के अंत और 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष में बैंक के लाभ की सत्य और सही परिस्थिति के लिए तर्कसंगत और यथोचित निर्णय तथा प्राक्कलन किया गया;
- भारत में बैंकों के नियंत्रण के लिए लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार उचित लेखा रिकार्ड अनुरक्षण के लिए सही और पर्याप्त धन रखा गया; और
- लाभकारी कारोबार वाला संस्था नफ के आधार पर लेखा तैयार किया गया है।
- बैंक द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली निर्धारित की गयी है जो इस तरह के आंतरिक वित्तींय नियंत्रण के लिए पर्याप्त है व प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के साथ समुचित व्यवस्थाक पर्याप्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लागू की गयी है और यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए पर्याप्त है।

आभार

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रति उनके यथोचित मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थाओं एवं संपर्ककर्ता बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। बोर्ड ग्राहकों एवं शेयरधारकों की असीमित सहायता हेतु आभार तथा बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों के प्रति भी उनकी समर्पित सेवाओं और सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

बोर्ड के निदेशकों के लिए एवं उनकी ओर से

(श्रीमती वी. आर. अय्यर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक: 15 मई, 2014

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

GLOBAL ECONOMIC SCENARIO:

The economic growth in emerging markets like India and in the developed economies like the USA and the Euro region continues to present divergent scenarios. The growth in India was 4.5% in financial year 2013-14, mainly on improved performance in the agriculture and allied sectors and the overall growth in emerging markets as per International Monetary Fund (IMF) was about 4.50% to 5%. The average growth of 4.50% to 5.50% is likely to continue in 2014-15 in the emerging markets backed by solid domestic demand, recovery in exports, and supportive fiscal, monetary and financial conditions. Commodity prices will continue to boost growth in many low-income countries, including those in sub-Saharan Africa.

As opposed to the emerging economies, the developed world mainly the USA and the Euro region have registered a much lower growth rate. The US economy as per IMF expanded at around 1.90% in 2013 and grew at 2.10% in 2014. Growth will be driven by continued strength in private demand, supported by a recovering housing market and rising household wealth. In the Euro region, policy actions have reduced major risks and stabilized financial conditions, although growth in the periphery is still constrained by credit bottlenecks. The region is expected to gradually pull out of recession, with growth reaching 0.3% in 2014 from -0.4% in 2013.

Thus fundamentally attractive prospects in emerging market economies, together with low interest rates in advanced economies, are likely to lead to continuing net capital inflows and exchange rate pressures in emerging market economies. Capital flows which can be volatile at times are tough to manage and thereby macroeconomic management becomes difficult. At times, there are limited opportunities to provide some fiscal stimulus to offset a possible slowdown in capital flows. The challenge therefore for the recipient countries is to reduce the volatility of capital flows when they threaten financial stability. India is considered an attractive destination for capital inflows based on expectation of a higher growth estimated to average 5.50% in 2014-15.

OUTLOOK FOR 2014-15

According to World Bank forecast on global economies released in January 2014, after several years of extreme weakness, high-income economies appear to be finally turning the corner, contributing to a projected acceleration in global growth from 2.4% in 2013 to 3.2% in 2014. Most of the acceleration is expected to come from high-income countries, as the drag on growth from fiscal consolidation and policy uncertainty eases and private sector recoveries gain firmer footing. This strengthening of output among high-income countries marks a significant shift from recent years when developing countries alone pulled the global economy forward. In addition to providing a second basis for global growth, stronger income growth and import demand will be an important tailwind for developing countries' exports. This should help compensate for the inevitable tightening of global financial conditions that will arise as monetary policy in high-income economies is normalized.

Activity and sentiment in developing countries has turned up since mid-2013, bolstered by strengthening demand and a policy-induced rebound in China. These positive developments were partly offset by tighter financial conditions and reduced capital flows as long-term interest rates in the United States ticked up in response to expectations of the gradual withdrawal of quantitative easing. Other major headwinds included declining commodity prices for commodity exporters. Overall, growth in developing countries is projected to pick up modestly from 4.8% in 2013 to 5.3% in 2014. Developing country GDP growth will be about 2.2% points weaker than it was during the pre-crisis boom period. The slower growth is not a cause for concern, however, more than two-thirds of the slowdown reflects a decline in the cyclical component of growth and less than one-third is due to slower potential growth.

Positive spill overs from a gradual upturn in Europe and a reduced pace of household, fiscal, and banking sector consolidation are expected to slowly boost GDP growth in developing Europe and Central Asia from 3.4% in 2013 to 3.5% in 2014. In the Sub-Saharan Africa, relatively robust domestic demand, notably resource-sector and infrastructure investments, should help support regional growth of about 5.4–5.5% In India—following several years of rising inflation and current account deficits—the large negative output gap is finally projected to gradually close as the economy slowly recovers. Better Indian performance will be heavily reflected in the region's growth, which is expected to strengthen to 5.7% in 2014.

DOMESTIC ECONOMIC SCENARIO

According to Central Statistical Organization (CSO) Indian economy grew 4.70% in 2013-14. However, the higher headline number came on the back of a lower base, as the CSO revised the 2012-13 growth estimate downwards to 4.5% from 5% estimated earlier. Gross domestic product (GDP) growth was driven by better farm output, which grew at 4.7%.

The slow growth of the economy in 2013-14 was mainly on account of industrial sector which grew -0.5% as against 3.10% in 2012-13 though agriculture sector grew 4.7%. Services sector grew at the rate of 6.8% in 2013-14 as against 6.6% in 2012-13. The slowdown in the previous two financial years 2011-12 and 2012-13 had been precipitated by domestic as well as global factors. Domestic factors, including the tightening of monetary policy resulted in slowing down of investment and growth, particularly in the industrial sector.

In the domestic front, Inflation did ease in 2013-14 vis-à-vis 2012-13. But the decline was slower thereby not allowing the Reserve Bank of India sufficient flexibility to go for full scale monetary reforms and to reduce policy rates. The Indian economy is expected to register a growth rate of 5.5% in 2014-15 from 4.70% in 2013-14. However a higher growth rate cannot be ruled out on the back of a faster global recovery in 2014-15.

On the fiscal deficit front, Government is committed to fiscal consolidation. According to the latest data released by the Controller General of Accounts, fiscal deficit is 4.5% for FY 2013-14. This was achieved through a reduction in Plan expenditure. The Borrowing programme of the government was also lower at ₹ 5.08. lakh crore for 2013-14 vis-à-vis the Budget Estimate of ₹ 5.58 lakh crores.

The current account deficit (CAD) showed improvement. It came at 1.7% of GDP due to slackening of gold imports, among other factors. With inflation showing signs of decline and gold prices also not rising, the attraction of gold as an asset is coming down. And as we go ahead we should find the demand for gold falling. There are also other factors contributing to improvement in exports. The CAD in absolute terms has been brought down significantly to $ 32 billion in 2013-14 as against $ 88 billion during 2012-13.

Gold and silver imports contracted by 40% to $ 33.46 billion in 2013-14, or just 7% of total import bill, against 11% in the earlier fiscal, after the government put in place steps to check their runaway imports. However inflation may remain sticky in the current financial year as a possible El Nino effect on the monsoon is likely to push up food prices and geopolitical uncertainties are likely to pump up global commodity rates. Exports were $312 billion in 2013-14, up 3.7% from $ 301 billion in 2012-13. However imports were $ 450 billion in 2013-14. The pattern of India's merchandise trade is undergoing a structural shift with the rest of Asia, Africa and Latin America becoming an increasingly important part of our trade portfolio.

Average WPI inflation in 2013-14 ranged between 6.30% to 7% on the back of a stubbornly high vegetable prices. With inflation rising, it is expected that the wholesale price inflation will average 5.8% in FY 2014-15.

OUTLOOK FOR FY 2014-15

Estimates by various agencies predicted growth rate to be around 5.50% in 2014-15, up from 4.70% in 2013-14. Slow industrial growth in 2013-14 is likely to improve and pick up during 2014-15. Economy seems to have bottomed out but with structural bottlenecks to be overcome, it is yet to reach its potential.

An Asian Development Bank report has stated that there are weaknesses in terms of persistent inflation, fiscal imbalances,bottlenecks to investment, and inefficiencies that need structural reforms. Growth would have to be led by improved investment and consumption. Inflation will have to be contained or else a continuance of tight monetary stance is inevitable.

Better growth prospects in the US and the Euro Zone will likely bolster external. Demand Monsoon prediction in 2014-15 though forecast marginally less than normal at around 95 % is unlikely to be a cause for concern, though a monsoon disrupted by El Nino could fuel food inflation. The India Meteorological Department in its first forecast for 2014 had said southwest monsoon will be below normal at 95% of the long-period average (LPA), which is around 89 cm.

BANKING INDUSTRY – DEVELOPMENTS OUTLOOK

The growth of the banking sector is very closely linked to the growth of Indian economy which is estimated to grow at a rate of 5.5%-6% between 2014 to 2016. The banking industry will benefit from economic expansion and conducive government policies to shield the economy from ups and downs in the global front and geo-political disturbances. Further, as per capita income grows and awareness about banking spreads, more populace comes to the banking fold.

The rise in Money supply (M3) as a result of the rise in demand and time deposits with banks helped growth in Money Supply (M3) to cross the Reserve Bank of India's (RBI) projection of 13%. The improvement in deposit growth was due to the FCNR (B), or foreign currency non-resident (bank), deposits, which increased dramatically, thanks to RBI. In the three-month period between September and November 2013 RBI announced a special concessional dollar swap window to attract FCNR (B) deposits and foreign currency borrowings through which it raised $34 billion, thereby providing enough stability to the rupee. Deposits also increased following various policy announcement by RBI and resultant hike in deposit rates by various banks. While banks have changed rates across various maturities, most upward revisions have been seen across shorter tenures in the category below ₹ 1 crore. Moreover, the growth in currency with the public also accelerated.

Annual M3 growth rate at 15.1% crossed the RBI's indicative trajectory and was higher than 13.1% a year ago, mainly due to the rise in both demand deposits and time deposits. Moreover, currency with the public, another major component of broad money, also accelerated.

Incremental personal loans also rose rapidly during 2013-14. They rose by 21.2% to ₹ 1.39 trillion as compared to the preceding year. Incremental credit for housing and consumer durables shot up sharply during the year. However, incremental vehicle loans declined by 12.2%. This was in line with the fall in car sales that were seen during the year. Owing to the healthy rise in incremental personal loans, growth in outstanding personal loans improved to 15.5% from 14.7% in the preceding year.

The industrial sector accounts for 45% of the outstanding non-food credit. Credit off-take by the industrial sector declined for the second consecutive year in 2013-14. It fell by 0.1% to ₹ 2.93 trillion in 2013-14 as compared to the preceding year. This decline was in spite of the sharp surge in incremental credit that was seen during August-September 2013. A contraction in industrial production coupled with a falling investment activity is likely to have led to a lower credit off take in the year. Growth in outstanding credit to the industrial sector slowed down to 13.1% from 15.1% in 2012-13. Mining & quarrying, textiles, petroleum, chemical products, cement, basic metals and power witnessed a decline in credit off take during the year. A shift in financing preferences of corporates away from commercial paper (CP) and other debt instruments is believed to have led to the surge in credit off-take during August-September 2013.

The RBI implemented a host of liquidity tightening measures to ease pressure on the exchange rate during 2013. These included raising the MSF rate by 200 bps to 10.25 %, limiting LAF borrowings to 0.5% of NDTL and increasing minimum daily CRR requirements to 99 % from 70%. This had led to a sharp rise in money market rates, thereby making market borrowings via commercial paper (CPs) and other debt instruments expensive. Thus, corporates avoided raising money via debt instruments and moved towards bank financing for their working capital needs. Many of these mesures have since been relaxed.

The shift in financing preferences was also reflected in a sharp drop in the amount raised via CPs and other debt instruments. Funds raised via the issuance of CPs touched a nine-quarter low of ₹ 1.11 trillion in the September 2013 quarter. This was 44.7% lower than the average amount raised via CPs in the last four quarters. Further, as per the CMIE corporate debt database, fund raising via other debt instruments declined by a sharp 51.5% to touch a four-year low of ₹ 427.11 billion during the September 2013 quarter as compared to preceding quarter.

If it were not for the exceptional rise in credit off-take during August-September 2013, incremental credit would have declined during 2013-14. In fact, incremental credit in 2013-14, excluding the August-September period, declined by 7.6 % as compared to the same period a year ago. The service sector and agriculture & allied activities' segments and personal loans registered a healthy growth in incremental credit in 2013-14. Credit off-take by the industrial sector declined marginally during the year. Incremental credit to the service sector rose by a sharp 43.6 % to touch an all-time high of ₹ 1.85 trillion in 2013-14 as compared to the preceding year. As a result, growth in credit to the service sector accelerated to 16.1 % from just 12.6 % in the preceding year. The rise in incremental credit was on account of a healthy credit off-take by transport operators, tourism, hotels & restaurants, shipping, commercial real estate and NBFC segments.

Based on classification by size of industry, credit off take by large scale industries declined by a sharp 9.2 % to ₹ 2.23 trillion during 2013-14. However, this decline was offset by a sharp 41.6 % rise in credit off take by the micro & small scale industries. Consequently, while growth in credit to large scale industries decelerated to 12.2 % from 15.6 %, growth in credit to micro & small scale industries improved to 23.7 % from 20.1 %.

RBI data show that currency with the public grew 9.4 % in 2013-14 to ₹ 13 lakh crores. This is on the back of a growth of 11.6 % in the previous year and 12.2 % in 2011-12. During this year, RBI, on an average, has been pumping in ₹ 60,000 crores into banks through its daily repo auctions. Over and above these, the central bank infused ₹ 16,000 crores through bond purchases and provided nearly ₹ 1 lakh crores through term repos of various tenures. The currency with the public had grown 9 % year-on-year. The high double-digit retail inflation over the past years has led to an increase in currency holdings by the public. As investments in financial assets, especially bank deposits, fell, those in physical assets such as real estate and gold that traditionally have a high cash component rose.

One area where banks have a significant role to play is Financial Inclusion. A World Bank Survey conducted in 2011 revealed that only 35 % of all adults in India had a bank account with a formal banking institution, while

this figure stood at 21 % in the poorest income quartile. This represents a massive opportunity that financial institutions in the country can leverage upon for future growth. Further, the policies of the Reserve Bank have prioritised financial inclusion, presenting an opportunity that might not manifest itself again. The Indian government has advised banks to open at least one branch in villages with a population of more than 2,000, and also cover the peripheral villages. Banks are also required to formulate a board approved Financial Inclusion Plan (FIP), the implementation of which will be monitored by the RBI. The Indian government aims to further financial inclusion by setting up ATMs and providing mobile/online banking facilities. Further, experts suggest that the number of ATMs need to increase five fold in the coming decade. The mobile banking channel in India is also untapped, with close to 900 million mobile connections, and only 400 million bank accounts. These areas open up diverse opportunities for Indian banking industry.

However, there are certain challenges facing banks in India. They are raising capital to adhere to Basel-III standards, asset quality issues as well as increasing restructuring cases and human resource management issues. A McKinsey report suggests that banks in India need to recruit employees with both core and specialist skills, and control attrition especially at the junior levels. Non-private Indian banks will greatly benefit from productivity improvements such as re- engineering of the knowledge processes, better use of technology and building industry level utilities.

BUSINESS REVIEW

DEPOSITS

Bank's total Deposits increased by ₹ 95,134 crores to ₹ 476,974 crores during the year and record a growth of 24.91%. The growth in domestic deposits was to the tune of ₹ 69,523 crores or 23.64% over previous year.

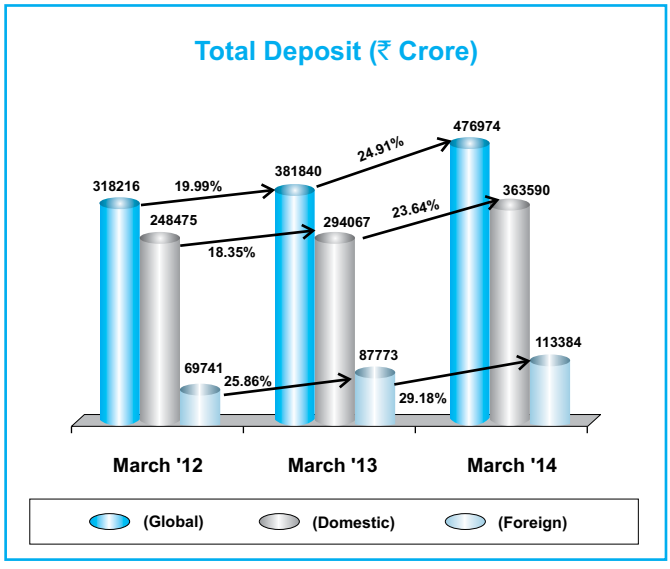

Savings Bank deposits grew by 13.12% and Current deposits logged a growth of 9.31%. The share of Low cost deposits (CASA) comprising Savings and Current deposits to total domestic deposits is 29.97%. The Bank has a well diversified deposit base with 12% of domestic deposits coming from rural areas, 13% from semi urban, 18% from urban and 57% from metro areas. The bank's total clientele base of 77.34 million consisted of 71.95 million depositors and 5.39 million borrowers as on 31st of March, 2014.

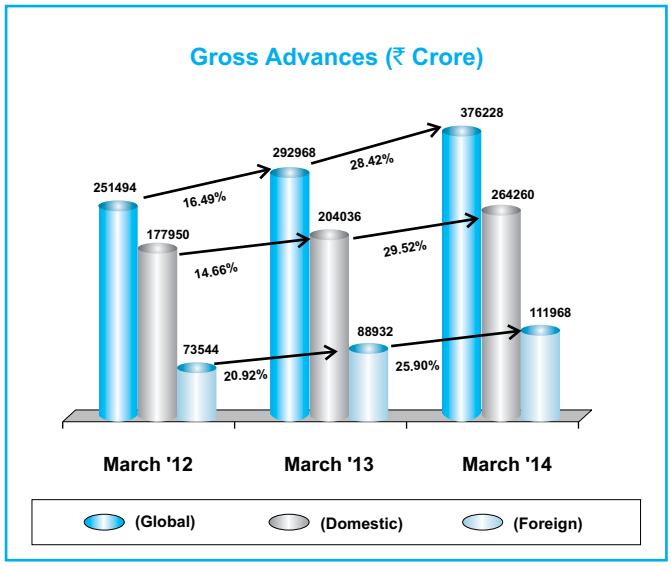

ADVANCES

Bank's gross advances increased by ₹ 83,260 crores to ₹ 376,228 crores during the year with a growth of 28.42%. Gross Domestic Credit registered a growth of 29.52% from ₹ 204,036 crores on 31.03.2013 to ₹ 264,260 crores on 31.03.2014 as against the growth rate of 14.66% in the last financial year 2012-13. Incremental credit to new and existing accounts in Public Sector Units Public Sector Entities and NBFCs have contributed in higher growth.

Timely sanctions and prompt disbursements in Large Corporate, Mid Corporate, Retail, SME and Agriculture segments have been instrumental in substantial credit growth.

The Bank has also set up a New Business Department during the year to help in new customer acquisition and augment quality credit growth.

Bank added 164 New Corporate customers during the financial year. Bank caters to specialised needs of Corporates/Mid corporates through 10 Large Corporate Bank Branches and 42 Mid Corporate Branches. The needs of other clients from Retail, SME and Agriculture are met through the Network of 4646 Domestic branches. Bank's 56 Overseas Centres across 5 continents also cater to credit requirement of exporters and overseas clients.

INFRASTRUCTURE FINANCE

During the year, Bank sanctioned Fund Based Limits of ₹ 16,626 crores and Non Fund Based Limit of ₹ 4,367 crores under infrastructure projects in New and Existing accounts covering Power, Telecommunication, Roads, Ports and other infrastructure.

Bank continued to provide support to this segment with additional disbursement of ₹ 8,863 crores of which 52% has been to Power sector and 28% has been to Road and Port Projects.

CORPORATE CREDIT

Bank is extending credit to Corporate Customers through specialized branches which contribute 54% of gross domestic credit.

10 Large Corporate Branches Located at Major Cities are catering to all the major corporates across country - Mumbai, New Delhi, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad and Pune. 42 Mid Corporate Branches covers the rest of major business centers including the above.

For serving corporates at other centres, 21 SME City Centres are equipped with Credit Processing Cells with direct reference to Large Corporate Credit Department at Head Office.

LARGE CORPORATE

The advances through Large Corporate Branches constituted 41% share in total domestic advances as on 31.03.2014. Advances to Corporate segment through LCBs has increased from ₹ 84,047 crores as on 31.03.2013 to ₹ 110,651 crores as on 31.03.2014, showing a growth of 31.65% over last year.

- Large Corporate Branches are catering to large corporates having sales turnover above ₹ 500 crores, Project Cost of above ₹ 100 crores and Infrastructure Sector, NBFCs and PSUs. In order to have more focused attention and to reduce turnaround time, Credit processing Centre have been set up at each LCBs with direct reporting to Head Office.
- The one point contact of Relationship Managers ensured catering to other Corporate needs i.e. Cash Management, Forex, Treasury products, Trade Finance, Deposits, Retail Banking and Third party products like insurance and investments in Mutual Funds
- Mitigation of Risk is ensured by segregating the role of Credit processing and Relationship Managers reporting to Credit Team Leader and Branch Managers respectively. Credit proposals processed at Large Corporate Branches are sent directly to General Manager, Head Office, Large Corporate. This has resulted in reduction of turnaround time.
- Bank has put systems in place to monitor pending Proposals / references at Large Corporate branches as well as at Head Office level.
- Corporates from major industry/service sectors such as Infrastructure, Steel, Textile, NBFCs, PSUs etc. are being serviced through these Large Corporate Branches.

MID CORPORATE

Considering the contribution of Mid corporate to overall Industrial growth bank decided to provide separate vertical and has 7 Divisional Offices and 42 Mid Corporate branches. There are 12 Credit Processing Centres (CPC) established exclusively for processing of the proposals.

Mid Corporate vertical has been set up to harness the large potential in this segment which offers higher yields with wider risk spread.

Mid Corporate Branches are catering to Mid corporates having sales turnover between ₹ 100 crores to ₹ 500 crores and Project Cost of between ₹ 10 crores to ₹ 100 crores apart from Bullion and Diamond sector Customers.

Mid Corporate vertical contributes 12.91% of the total domestic Credit portfolio.

During the FY 2013-14, total Credit under Mid Corporate Branches grew from ₹ 30,949 crores to ₹ 34,923 crores registering a growth of 12.84%.

NEW BUSINESS

New Business Department was set up in January'2014 with the objective of establishing New Business relationships with PSUs, Mid and Large Corporates, where we do not have banking relationships and offer a bouquet of Banking services, structuring the products as per the requirements of the clients. The department is being headed by a General Manager.

During a short period of 3 months, the department has been successful in establishing relationships with large number of Public and Private sector enterprises. There has been a quantum jump in disbursements to leading Public Sector companies. As a Medium Term plan, New Business Department has embarked upon a plan to acquire substantial number of new clients in Mid and Large corporate segment. Department has shortlisted around 950 corporates after analyzing their financials and circulated the list to all the Mid and Large Corporate branches and to Zonal Offices for establishing initial contact, depending upon the geographical presence of the corporates. As a next step, the department willl provide all logistics support to branches/zones by meeting the prospective clients, understanding their needs and structuring the products as per their requirements. Going forward, department also proposes to undertake Syndication and Project Finance business to increase the fee based income of the bank.

PROJECT FINANCE AND SYNDICATIONS

Project Finance and Syndications Group of the bank is manned by highly experienced and qualified professionals. It undertakes appraisals of infrastructure and industrial projects.

It takes up assignments of technical appraisal, underwriting and syndication of loans. During the Year 2013-14 financial closures were done with a project cost of ₹ 6,915 crores and syndicated debt of ₹ 4,768 crores.

Bank is also acting as Mandated Lead Arranger (MLA) and Joint Book Runner (JBR) for International Syndication loans and arranged loans for Indian Corporate for their expansion / acquisition and Joint Ventures, covering a wide range of industries.

The technical appraisal department, which supports the syndication team, appraises industrial credit apart from that for syndicated loans. The team comprising of professional engineers, evaluated technology related risks for the year, enabling the bank to improve quality of industrial assets. The operations of the department, translated into a fee based income of ₹ 15.90 crores for the year.

EXPORT CREDIT

Meeting the domestic and foreign currency needs of importers and exporter clients is one of the bank's key priority areas. Towards this end Bank's 217 branches across the country are authorized to handle foreign exchange business and cater to the credit / foreign exchange needs of importers and exporters. Bank's export credit registered a growth of ₹ 1,898 crores i.e. 21 % increase over March 2013 and reached a level of ₹ 10,993 crores as on 31st March, 2014. The share of export credit to net adjusted bank credit as at March 2014 was 4.15%.

Financial requirements of both exporters and non-exporters are met through ECB at the Bank's overseas branches and Foreign Currency loans at domestic branches. The total amount of such advances as at 31.03.2014 was USD 447 million (Comprising of ECBs USD 42 Mn and Foreign Currency Loan of USD 405 Mn) equivalent to ₹ 2,678 crores. The bank also extended pre-shipment and post-shipment export credit in foreign currency and the amount outstanding as at 31.03.2014 was USD 585 Mn. (equivalent to ₹ 3,505 crores).

TRANSACTION BANKING

Bank's Transaction Banking department focusses on 3 business lines, with an intention to make them major revenue drivers for the Bank. They are:

- Cash Management Services,
- Channel Finance,
- Trade Finance, and

Targeting Bank's Corporate and High Net Worth (HNW) clients, Cash Pick facility (Doorstep Banking) has been put in place at all branches. This initiative has received positive response from target clientele who are relieved from the worries and risks of handling and carrying huge amount of cash to Bank. During the year 2013-14, Bank has made specific marketing efforts and has made liason with Government of Chhattisgarh (Raipur Zone), Jharkhand (Ranchi Zone), Uttaranchal (Ghaziabad Zone), Assam & Meghalaya (Siliguri Zone), which has yielded good results.

INTERNATIONAL BANKING

With a presence across 5 continents and 22 countries, Bank provides services in all the major financial centres such as London, New York, Paris, Tokyo, Singapore and Hong Kong. As on 31.03.2014, bank has a network of 56 foreign offices which includes 5 Representative Offices, 5 Subsidiaries and 1 Joint Venture.

All centres have been migrated to Finacle platform thereby improving the Management Information system and the customer service.

For Multicurrency International Syndication loans the Bank is acting as Mandated Lead Arranger (MLA) & Joint Book Runner (JBR) and has arranged loans in USD, JPY. EURO and GBP currencies for Indian Corporates for their expansion / acquisition and Joint Ventures, covering a wide range of industries.

Bank has a Global Remittance Centre (GRC) in Mumbai. The inward remittances and NRE/NRO Account opening of NRI customers have been centralized at GRC. For service to non-resident customers in deposits and remittances, SMS alerts for remitter as well as beneficiary for remittance from Gulf Countries have been introduced. Straight Through Processing (STP) for Speed Remittances has been put up in place. The bank has introduced BOI Premium NR Deposit Scheme.

Bank won the award of "Most Efficient Bank" amongst all Banks in Kenya for the year 2012 by "Think Business" and "Best Bank Award for ICT".

As at 31st March, 2014, total deposits at foreign branches stood at ₹ 113,384 crores, registering a rise of ₹ 25,611 crores (29%) over previous year. Total advances stood at ₹ 111,969 crores recording a rise of ₹ 23,022 crores (26%) over previous year. Investments were at ₹ 5,661 crores. Operating profit of foreign branches for the year ended March 2014 at ₹ 1431 crores has shown a rise of ₹ 250 crores over previous year. Net profit at ₹ 669 crores has increased by ₹ 375 crores over March 2013. Foreign branches contributed 26.41% towards global business and 16.99% and 24.51% towards Operating profit and Net profit respectively for the year ended 31.03.2014.

BULLION BANKING

Bullion banking was introduced by the Bank in November 1997. Initially the scheme was introduced at SEEPZ and Ahmedabad branches and was subsequently introduced at other branches. As on date, although 9 branches are authorized to undertake bullion business presently only 4 branches are undertaking the business. Gold is procured on consignment basis for catering to the needs Jewellery exporters and domestic jewelers. The Bank sold 16159 kg of gold in the year 2013-14, with a turnover of ₹ 4,179.46 crores, thereby earning an income of ₹ 60.07 crores. The increase in the earning during the year was 47.70%.

FOREX BUSINESS

Forex business handled by Bank has shown decent growth. During the year 2013-14, Merchant and Interbank turnover was ₹ 203,720 crores and ₹ 499,187 crores respectively. The Bank continues to be a leading player in the forex market. The aggregate turnover of treasury Branch during the year was ₹ 702,907 crores.

TREASURY INVESTMENTS

The yield on benchmark 10-Year G-Sec which was 7.96% as on 31st March 2013 has softened to 8.80% as on 31st March 2014. However, movement of G Sec yields was highly volatile and the same moved within a wide range from 7.089% to 9.473% during the year. Bank has maintained higher level of investments keeping a balance between interest income and market risk. Bank has maintained SLR investments in excess of the regulatory requirement of 23% of Net Demand and Time Liabilities. The gross SLR investments were ₹ 91,943 crores (87.66% of total investments) and Non SLR investment stood at ₹ 12,941 (12.84% of total investments). The Bank makes these investments within the framework of a comprehensive policy which is reviewed periodically consistent with market developments/regulatory requirements.

TREASURY OPERATIONS

The Bank continues to play an active role in all segments of the market. The Bank has managed its investment portfolio actively and earned profit from trading and sale of securities by taking advantage of the G sec movements. Bank has registered 78.08% growth in profit from sale of securities in FY 2013-14 compared to FY 2012-13. Bank has taken advantage of arbitrage opportunity within various market segments.

NATIONAL BANKING GROUP (HEAD OFFICE):

RURAL BANKING

1. Priority Sector Advances:

Priority sector advances have wide social ramifications apart from presenting a big business opportunity. With its vast network of rural and semi-urban branches and committed personnel,the Bank has always been one of the leaders in servicing to the priority and agriculture sectors. Bank has registered an outstanding level of ₹ 82,021 crores under Priority Sector which is 40.45% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

Under Special Agricultural Credit Plan, Bank could disburse ₹ 19,130 crores during the financial year 2013-14. The outstanding position of priority sector advances under various segments is as under:

(₹ In Crores)

	As on 31st March		Growth	
	2013	2014	Amount	% age
1. Agriculture	27,041	36,071	9,030	33.39
2. Small Enterprise	28,913	35,504	6,591	22.80
3. Education	2,329	2,597	268	11.51
4. Housing	6,790	7,517	727	10.71
Total Priority Sector	**65,518**	**82,021**	**16,503**	**25.19**

2. Centralized Processing Centres in focused districts:

Centralized Processing Centres have been established in zones with the objective of augmenting agriculture credit and reducing turnaround time in sanctioning/ disbursing credit proposal. So far, 52 CPCs are operational in various Zones/ States.

3. Kisan Credit Cards:

The aim of Kisan Credit Card Scheme is to meet timely credit needs of the farmers for cultivation as well as non-farm activities and thereby bring about flexible and operational freedom in credit utilization. During the year Bank has issued around 4.50 lakhs new Kisan Credit Cards with aggregate limit of ₹ 6,155 crores. The Bank has so far issued 17.08 lakhs Kisan Credit Cards (cumulative) involving financial outlay of ₹ 18,155 crores.

4. Debt Swap:

Bank has designed 'Debt Swap' Scheme with an objective to help the indebted farmers to redeem their outstanding dues to money lenders and to mitigate acute distress faced by the farmers due to heavy burden of debt from non-institutional lenders at unrealistic interest rates. All district managers in 51 lead districts have to play a major role for implementation of scheme effectively.

5. Differential Rate of interest:

A scheme for extending financial assistance at concessional rate of 4 % to select low income groups for productive endeavours under the name Differential Rate of Interest (DRI) Scheme is being implemented by the Bank. Bank has sanctioned 4094 cases under DRI Scheme during the year.

6. Prime Minister's New 15 Point Programme for the welfare of Minority Communities:

With the focused attention for the welfare of minority communities, Bank has been extending finance to the minority communities of Sikhs, Muslims, Christians, Zoroastrians and Buddhists. During the year 2013-14, Bank has financed ₹ 4,544 crores to the various minority communities and registered an outstanding level of ₹ 12,295 crores as on March 2014.

7. Golden Jubilee Rural Housing Finance scheme:

Bank has been actively involved in implementation of the Golden Jubilee Rural Housing Finance Scheme (GJRHFS) and has achieved the target of 8100 units allocated by National Housing Bank for the year. During the year, Bank has sanctioned 20119 cases under GJRHFS.

8. Micro Finance / Micro credit and credit to women:

The Scheme of Micro Credit has been found to be an effective instrument for lifting the poor above poverty by providing them increased self-employment opportunities and making them credit worthy. Bank is actively participating in extending credit to women and registered an outstanding level of ₹ 10,502 crores as on 31.03.2014 under Priority Sector of which ₹ 787 crores is under Micro Credit.

9. Solar Energy Home Lighting system:

To address the issues of electricity paucity, Bank has prepared and launched a scheme on Solar Energy Home Lighting System. Bank extends financial assistance to the prospective borrowers for purchase and installation of Solar Energy Home Lighting System. Bank has so far sanctioned 2456 units with financial outlay of ₹ 8.50 crores.

10. New Agriculture Products:

In order to meet the credit requirement of farmers and also to augment agriculture credit, 6 new agricultural products namely 1) Agriculture gold/ silver loan 2) Kisan all purpose term loan 3) Estate purchase loan 4) Kisan Tatkal scheme 5) Purchase of renewable energy schemes –solar home lighting system,solar pump set and solar water heater and 6) Purchase of land for agriculture purpose are introduced

11. Lead Bank Responsibility:

Bank has been assigned Lead Bank responsibility in 51 districts spread over five states of Jharkhand (15), Maharashtra (14), Madhya Pradesh (13), Uttar Pradesh (7) and Orissa (2). Bank has been successfully discharging its duties of Lead Bank in all these districts. The Annual Credit Plan (ACP) for the year 2013-14 was launched in all the Lead Districts involving credit outlay of ₹ 10,581 Crores for the Bank. The achievement of the Bank is ₹ 10,672 crores which is 100.86% of ACP.

Bank has now designated SLBC as “Lead Bank Convener” in the state of Jharkhand.

FINANCIAL INCLUSION

Financial Inclusion is integral to the inclusive growth process and sustainable development of the country. There has been a strategic shift in sustainable financial inclusion to the adoption of market oriented approach viewing financial inclusion as a viable business proposition. The paradigm has decidedly shifted from “CSR” to “economic viability”. It has been made possible with the availability of ICT based solution to support secure and sufficiently low cost transactions required by the financial sector. Bank is viewing these prospective banking service users through a prism of opportunity rather than obligation.

Bank has carved out Financial Inclusion as a new Business Unit headed by a General Manager to drive implementation of Board approved Financial Inclusion Plan. Bank is committed to provide banking services through Business Correspondents and ICT based hand held devices (micro ATMs) to 40,160 villages, connect 125 lakhs people through Basic savings Bank Deposit Account with in built overdraft facilities to take care of their urgent consumption needs, extend entrepreneurship credit to eligible people to earn their livelihood, offer mobile based remittance facility to help mainly the migrant labour/ self-employed to remit money to their family members and facilitate access to Bank’s third party products including Micro Insurance amongst other services. Bank has effectively pursued the Direct Benefit Transfer scheme of the Central / State Governments for transfer of benefits directly to the account of beneficiary by providing the requisite payment and other infrastructural supports.

Progress under Financial Inclusion Plan (FIP) during FY 2013-14 :-

- No. of Basic Savings Bank Deposit Accounts opened : 107.28 lakhs
- No. of Smart Cards issued : 22.68 lakhs
- GCC/KCC issued : 22.10 lakhs
- Business Correspondents engaged : 6072
- Channel Management Partners engaged : 105
- No. of Villages where 100% FI achieved : 14060

Bank has achieved 100 % Financial Inclusion in all 4404 allotted villages with population above 2000 as on 31.03.2014. Robust operational systems with adequate risk mitigants and best practices have been built up and are being pursued.

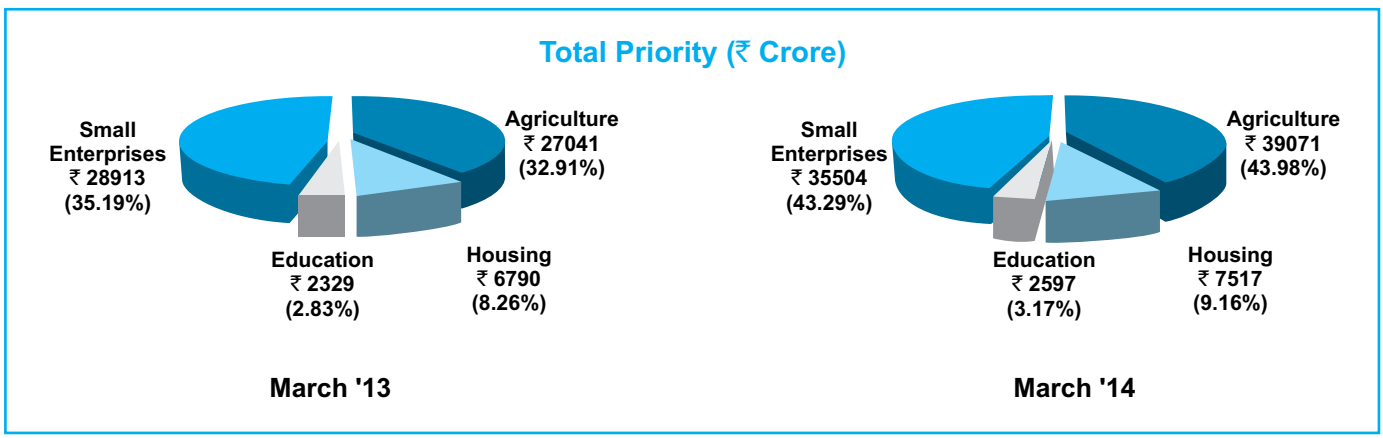

Star Swarojgar Prashikshan Sansthan (RSETIs)

With the aim of mitigating the unemployment problem among the rural youth, the Bank took initiative to form a dedicated trust named “STAR SWAROJGAR PRASHIKSHAN SANSTHAN (SSPS)” in 2005. Two SSPS (RSETIs) were established at Bhopal and Kolhapur immediately after formation of the trust. Ministry of Rural Development, Government of India found value in the initiative and proposed to support establishment of such Institute in each district of the country to tap the rural BPL youth. The formation, nomenclature, sponsorship, management, programme structure, staffing and administration, MIS etc. were defined. Bank was allotted 43 centres to establish institutes. Bank has established 43 such institutes in the state of Jharkhand, Orissa, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal. 57,676 participants have been trained and 25,308 have been provided with credit inputs from these centres till date.

Bank has planned to upgrade/establish five integrated SSPS (RSETIs) at Ranchi (Jharkhand), Barabanki (Uttar Pradesh), Bhopal (Madhya Pradesh), Pen (Maharashtra) and Belgaum (Karnataka) for extending the scope of SSPS (RSETIs) to primary health care, adult literacy, comprehensive financial access and planning for growth, strengthening civil society organization, environmental sustainability etc. Bank would like to collaborate with and foster strategic partnerships etc. aiming at bringing diverse resources from the public, private and social sectors to bear on the challenges surrounding these areas.

Financial literacy and Credit Counselling Centres (ABHAY)

Bank has recognized the need for financial education to appreciate the complexities of financial dealings with various intermediaries on matters relating to personal finances on a day to day basis. Further, those who suffer from financial problems due to unmanageable debts also need credit counselling to come out of their repayment obligations. It is in this background that Bank has opened 5 (five) Credit counselling centres named ABHAY at Mumbai, Wardha, Gumla, Kolkata and Chennai and they are manned by senior and experienced bankers.

Extending the concept of ABHAY further, Bank has now opened 54 Financial Literacy Centres as per the guidelines of Reserve Bank of India and NABARD.

In addition to remedial counselling on case to case basis for the distressed borrowers, preventive counselling through media, workshops and seminars are also given. So far 206357 cases of counselling were taken up and disposed of quickly bringing smile on the faces of the distressed people.

Regional Rural Banks

Bank has sponsored 4 (four) Regional Rural Banks (RRBs) namely Jharkhand Gramin Bank (Jharkhand State), Aryavart Kshetriya Gramin Bankt (Uttar Pradesh State), Narmada Jhabua Gramin Bank (Madhya Pradesh State) and Vidarbha Konkan Gramin Bank (Maharashtra State). All RRBs are profit making. All Branches and administrative offices of the Gramin Banks are now on CBS platform. These banks are enabled on RTGS and NEFT and ATM platforms. All RRBs taken together have a branch network of 1524 outlets and have garnered a business mix of ₹ 30,891 crores.

Some Important Initiatives

- Use of BC network for National Skill Development Corporation (NSDC) project
- UID enrolments - approx 350 lakh completed

Awards :

- BANCON Award 2013
- IBA Award as runner up for FI techonology
- FIPS 2013 - Award for best technology intitiative in FI
- ITU - Award for project Saksham in Indore by United Nation jointly to Bank and one of its Coporate BC for implementing are the project of Municiapl Corporation, Indore.

RETAIL CREDIT

Bank during the year 2013-14, perused the policy of building up a healthy retail credit portfolio. In the post recessionary period of FY 2013-14 as reviving economy gave ample opportunity for retail credit. The retail credit portfolio of the Bank increased from ₹ 22,350 crores to ₹ 29,600 crores as on 31st March, 2014. During this period the contours of retail credit were also redefined. Bank has established 23 Retail Business Centres (RBCs) major cities to expedite the processing of retail Home Loans/ Loan Against Property and also processing of Vehicle Loan and Education Loan proposals- in case of tie-up arrangement. The Home Loan segment recorded a growth of 27% i.e. from ₹ 10,267 crores (March, 2013) to ₹ 13,081 crores (March, 2014). Bank has formulated basic guidelines for entering in to tie-up with builders. In order to ensure that the tie-ups are encouraged only with builders with proven track record, the Zonal Managers have been empowered to enter into tie-ups with builders of repute locally. Education loan portfolio recorded a growth of 10% increasing from ₹ 2,412 crores to ₹ 2,652 crores during the year. Bank has embraced the Interest subsidy scheme, wherein borrowers who have availed education loans during academic year 2013-14 and also hailing from economically weaker sections are eligible for education loan interest subsidy from Government of India, Ministry of HRD, through Nodal Bank. Bank continues to give top priority for extending credit for pursuing higher education under the Star Education Loan scheme. Towards this end, the Zonal marketing teams are constantly entering into tie-up arrangements with local Institutions so that the students' requirements are speedily attended to by the branches. Bank has also redefined BOI Star Vidya Loan aimed to cater to students seeking admission to Premier Educational Institutions in the country such as IITs/ IIMs/NIDs etc.

The Vehicle Loan segment also recorded reasonable growth of 15 % increasing from ₹ 2,037 crores to ₹ 2,351 crores during the year. The strategy of tie-up arrangement with diverse reputed auto manufacturers like Maruti Suzuki, Tata Motors, Hyundai Motors, Mahindra and Mahindra and ICML continues to provide healthy retail leads to augment Auto fin portfolio. The growth in respect of major Retail loan schemes was as under:

(₹ In Crores)

Scheme	As on 31.03.2013	As on 31.03.2014	Growth / %age growth
Star Home Loan Scheme	10,267	13,081	2,814 / 27 %
Star Education Loan Scheme	2,412	2,652	240 /10 %
Star Vehicle loan Scheme	2,037	2,351	314 /15 %
Star Personal Loan Scheme	779	927	148 /19 %
Star Mortgage Loan Scheme	2,007	2,971	964 / 48 %

SME

During the year 2013-14 Banks' performance under MSME segment was on expected lines. Amidst low credit growth in Industry we have grown Y-O-Y by more than 21%. Some decisions taken in earlier years viz creation of new vertical for SME Business, setting up specialized processing cells with dedicated sales forces etc have started yielding results and have significantly contributed to extending credit to the sector.

Performance of the Bank under MSME Segment

- **Business growth** : MSME Outstanding – ₹ 45,081 crores registering Y-O-Y growth of 21.04%.
- **Performance under MSE**: MSE Outstanding – ₹ 38,686 crores registering Y-O-Y growth of 21.15%.
- **MSE manufacturing sector** has grown from ₹ 16, 031 crores (March 2013) to ₹ 20,095 crores (March 2014), witnessed Y-O-Y growth of 25.35%.
- **Share of Micro sector within MSE has slightly decreased to** 47.69% as at March 2014 from 49.54% as at March 2013.
- **Growth in number of Micro accounts:** 93,903 accounts have been sanctioned under Micro segment during 2013-14 registering growth of 18.60% over accounts as at 31.03.2013 against the mandatory target of 10%.

- **Performance under CGTMSE –**33,930 new accounts added under CGTMSE scheme during 2013-14 covering exposure of ₹ 2,351.17 crores. We continue to remain No.1 amongst PSU banks in terms of total coverage under the scheme which has reached the level of 1.51 lakhs accounts with total exposure of ₹ 9,614.22 crores as on March 2014.
- **Performance under PMEGP :** 503 accounts with limit of ₹ 157.65 crores has been sanctioned during the year 2013-14 under PMEGP.

Bank won the National Award for Excellence in PMEGP implementation for the year 2012-13. The award is given by Khadi & Village Commission (KVIC) under Ministry of MSME.

Strategies for achieving growth under MSME Segment

- Post felicitation of top 100 SME borrowers at the very beginning of FY 2013-14 our Bank has increased its visibility in MSME space by actively participating in all the ground events organised in 23 cities across India during the year. The events were organised by "India SME Forum" – a NGO with whom we had tied up for Banks' brand promotion.
- Lending under CGTMSE scheme has been encouraged by bringing the scheme under mandatory rule up to the eligible limit. Wide publicity was given for creating awareness among the borrowers regarding the scheme.
- MOUs with 5 new OEMs have been signed during the year to ensure credit flow to MSE sector through SRTOs and equipment finance. As on 31st March 2014 the number of such OEMs stood at 14.
- ROI has been reduced by 1% across the board for limits above ₹10 lakhs and up to ₹ 100 lakhs in Micro sector to make further inroads towards the sector.
- New product "BOI Star Doctor Plus" has been launched with attractive features to solicit business from qualified doctors. No upper limit is fixed for the doctors for their business need.
- 21 SME City Centres across the country have cumulatively sanctioned ₹ 9,734 crores as on 31st March 2014 out of which ₹ 7,226 crores were disbursed during this year only.
- Ventured into direct assignment market of securitised pool of assets pertaining to different NBFCs and grabbed approximate business of ₹ 500 crores under this arrangement.

REORGANISATION OF THE BANK

As part of reorganization, two separate business groups viz. National Banking Group and Wholesale and International Banking Group were created for focused attention to respective businesses. Each Group is responsible for the performance of various Business Units falling under its purview. Based on the experience gained further refinements was carried out during FY 2013-14. Some of these changes are as below:

- The turnaround time was sought to be further reduced by delinking NBG Branches headed by Assistant General Managers from specialized processing centres viz. SMECCs and RBCs.
- AGM and CM headed branches have been permitted to do Large Corp and Mid Corp business. The strategy behind this move is to enable larger number of branches to solicit such business which was hitherto restricted only to Mid-Corporate/Large Corporate Branches.
- A few multiple CPCs were established by merging RBCs and SMECCs.They can now do business pertaining to both SME and Retail. At a few places, Rural CPCs have also been merged to make to handle Retail, SME and Rural Businesses.
- One New NBG has been created covering Zones in Chhattisgarh and Jharkhand states.
- In order to implement Damodaran Committee Recommendations on Internal Grievance Redressal System in the Banks, our Bank has a Chief Customer Service Officer. He will be responsible for speedier disposal of customer grievances and strengthening of customers` confidence in the Internal Grievance Redressal System of the Bank.

Branch of the Future' Project

Continuing customer centric initiatives, more branches were converted into Branches of the Future taking the total to 131 at the end of FY14. These futuristic branches have large customer area and self-service customer friendly equipments. Some of the key differentiating elements of 'Branches of the Future' are the following.

- The interiors of these branches have been aesthetically laid out creating large customer area with sufficient seating arrangement.
- Distinct front office and in-branch back office have been created for quick turnaround time.
- Customer empowerment has been attempted through self-operated passbook printing kiosks.
- Cash deposit kiosks have been installed giving option to the customer to deposit directly into account without using the services of the teller.
- Queue Management System (QMS) is being used for managing front line customer facing activities in a more organized manner.
- New roles and responsibilities have been defined for members of the branch team to achieve greater sales push and customer satisfaction.
- Training for better customer management and cross selling has been provided to staff working at these branches.

The Feedback from the customers is very heartening. The overall efficiency of branch operations has improved as a result of this initiative. Customer acquisitions and business leads are also picking up significantly at these branches.

e-Gallery conceptualization

Considering increasing acceptance of automated kiosks by the customers for various banking services, e-Galleries equipped with self-operated kiosks such as ATM, passbook printers and cash accepting machines/Bulk Note Acceptors have been placed on 24x7 basis. Reduced customer footfalls will further improve customer service in branches. Other automated kiosks such as Cheque Acceptance Kiosk, Internet Kiosk and Customer Feedback Kiosk have been planned to extend more services on 24x7 basis. Presently more than 50 e-galleries locations have been identified out of which 19 are operational.

Customer Care Management Solution Revamping

To increase the efficiency in redressing customer grievances, Bank has revamped its existing Customer Care Management Solution (CCMS) at both Bank's corporate website and Bank's internal network. The revamped solution has improved features such as automatic recording of complaints lodged in Grievances Redressal Portal on the Website; automatic transfer of complaints received by email; efficient status tracking; widening the range of categories of complaints for better root cause analysis; and; prompt escalation to the functional department concerned for speedy redressal.

ALTERNATE DELIVERY CHANNEL

Bank is offering various types of Credit Cards to select from to the customers. The Bank also has Two affiliate banks viz. Bank of Maharashtra and Tamilnadu Mercantile Bank Ltd issuing Credit Cards under the brand name "India Card". During the year Issuing turnover witnessed a growth of 8.98 % and stood at about ₹ 426 crores and acquiring turnover witnessed an increase of 8.40% and stood at ₹ 350 crores.

Acquiring turnover on debit cards witnessed a growth of 44.56 % and stood at ₹ 1644 crores.

Bank is also offering various types of Debit cum ATM cards. Total Debit Cards issued during 01.04.2013 to 31.03.2014 stood at 33.21 lakh comprising of 3.66 lakh Starlinks International ATM cum Debit Cards (Visa Electron), 24.80 lakh BOI Global Debit cum ATM cards (MasterCard), 0.01 lakh Platinum Debit Cards (MasterCard), and 0.72 lakh Bingo Cards and Rupay cards 4.01 lacs Debit cards registered a growth 24.41% during the year 2013-14. Total Debit cards as on 31.03.2014 has reached to 169.23 lacs. During the year 2013-14 we have issued 9,723 gift cards (VISA Electron).

SMS ALERTS - STAR SANDESH

As a fraud prevention measure, SMS alerts are generated and provided to all customers who have registered their mobile number with the Bank for

- All Debit transactions from delivery channels (Internet banking/ATM/ POS).
- All Customer induced debit & credit transactions of ₹ 10,000/- and above.
- All Debit ECS transactions of ₹ 10,000/- and above.
- All Debit RTGS transactions.
- Acknowledgment on accepting the cheque book issue request.
- Alerts for installment due in Star Autofin & Housing Loan Accounts.

Internet Banking:

A fast and secure internet banking facility is available to customers for utility bill payments, air & rail ticket booking, on-line shopping, inter-bank and intra bank fund transfers, etc.

Bank of India is the first PSU Bank in India to implement Two-factor Authentication (2FA) – Star Token for both Retail and Corporate internet banking customers as an additional security measure. Bank's customers enjoy the convenience of "secured" Anytime, Anywhere, Anyhow hassle free Banking from the comfort of their homes and offices with a click of a mouse.

Some of the importan features of internet banking are:

- Online Interbank Fund Transfer across banks, through our Star Connect Internet Banking Services, using RTGS/ NEFT facility
- BOI Star e-Pay for Auto-pay or on-line payment of various utility services / bills
- e-Payment of Direct & Indirect, Central Excise & Service Tax
- Star e-Share Trade to trade in shares.
- e-Freight Payment
- Directorate General of Foreign Trade(DGFT) license fee Online e-Payment
- Online Booking of Railway & Airlines Ticket
- Online Application for Education loan
- On Line facility available to View and Apply Application Supported by Blocked Amount (ASBA) for IPOs from Internet Banking
- Enabling internet banking customers to make online Fixed Deposit.
- Hot Listing/Reset/Unblock/Change of Debit Cum ATM card PIN using Internet Banking password.
- Viewing of Annual Tax Statement (Form 26AS).
- Extended the facility of online e-Payment to the customers holding our Debit-cum-ATM card. This will enable the customers to use their Debit-cum-ATM cards for e-payments in addition to credit card & Internet banking account.
- Online Nomination facility while creating online Term Deposit Receipt as well as for existing Term Deposit Receipts.

Automated Teller Machines (ATMs):

Bank has joined National Financial Switch (NFS) which enables Customers to access more than 85,000+ ATMs across the country. Bank is also part of Cash Tree, BANCS & SBI Group networks. As on 31st March 2014 we had 4,225 ATMs out of which 1,992 were under MOF and the rest 2,293 were under Phase VI.

IT Enabled Services:

In the process of the ambitious growth plan of the Bank, various initiatives intensively taken with the immense potential of IT enabled products and market them effectively so as not only to retain the old customers, but also to acquire new ones, especially the tech savvy young generation, it is proposed to carve out a separate IT enabled services – ITES - department at HO including the following areas of work:

- Internet Banking: Retail Customers and Corporate Customers
- Mobile Banking:
- ATMs
- Card Products: Debit Cards, Credit Cards, Bingo Cards, Gift Cards
- BOI Star Reward Program
- E-Commerce Facility
- E-Pay Facility
- Demat
- Instant Money Transfer

Instant Money Transfer (IMT):

Bank's customer can remit funds to the beneficiary who does not have Bank's account and the Debit Cards –

- Innovative, safe, simple and Hassle free domestic money transfer with cash out facility.
- 24x7x365 facility availed both by initiator and beneficiary/ receiver.
- Money can be remitted by using ATM or Retail Internet Banking
- Money can be sent to any beneficiary/ receiver who need not necessarily be the customer of BOI or any Bank.
- Beneficiary/ receiver can withdraw money from any BOI IMT enabled ATM without using a card. (List of IMT enabled ATMs is displayed on Bank's website)
- Self Service – Bank's customer can initiate the transaction from his/ her own through Retail Internet Banking or ATM.
- Useful when beneficiary/ receiver require cash instantly or in emergency.
- Useful when beneficiary/ receiver do not have a Bank Account or bank account details are not known.

INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

Bank's Information Technology is plyaing a vital role in the Key Business Driver of the Bank. It is the lifeline for functioning of the entire Bank. Details of the initiatives implemented recently are:

Customer Centric Initiatives:

- **eGallery:** The installation is complete at 19 locations. eGallery planned to be launched at 50 locations and to be extended to 100 locations.
- **Pass Book Printing Kiosk:** Bank has installed Pass Book Printing Kiosk at 900 locations across India. We have planned to install it at another 3,000 locations during the current financial year.
- **Cash Accepter Kiosk:** The installation is complete at 246 Locations across India. It is planned to install 1246 Cash Accepter Kiosks at different locations across India during the current financial year.

- **Total Number of ATMs:** It is planned to increase number of ATMs and take total ATMs to 8000 during FY 2014-15. The number of ATMs has already crossed 4375 mark.
- **CRM Project:** This will enable Personalized Service, better Turn-around-time(TAT) for service requests, Informed and professional advice regarding new financial product offerings, and will provide Data inference-based interaction and hence has an objective value.
- **Cash Management & Channel financing:** Providing Web based interface for effective Cash Management and channel financing.
- **Trade Finance:** Providing web based portal to customers for Trade Finance Application which will be integrated with Finacle for both domestic and international operations.
- **Payment Gateway Solution:** Online payments are becoming important for all the businesses. By implementing Payment Gateway Bank can generate revenue by selling payment services to other banks and third parties.
- **Mobile Banking:** Bank has introduced a new Mobile Application -Star Token NG - this New Mobile Application will enable Access to Internet Banking through Mobile, TAB, iPAD and will provide Secure Web App Access with Multifactor Authentication and can be extended to the existing Star Token users immediately without any formalities for availing the same.
- **Adoption of Social Media:** Keeping in perspective factors such as perception, compliance.
- **Deposit in PPF Account:** The functionality of Online Deposit in PPF Account is introduced in Internet Banking with facility to create online Standing instruction for PPF. Now customer can deposit his/her PPF Contribution in any branch.
- **Account Number Portability:** As per recommendations of the Damodaran Committee on Customer Service in Banks, Bank has introduced 'Account Number Portability for transfer of Deposit Accounts from one branch to another branch.

Technological Enhancement & Other Services for Operational Excellence

- Straight through processing (STP) is enabled for outward and inward National Electronic Fund Transfer (NEFT) in Finacle. This has facilitated speedier processing of NEFT messages.
- Bank has automated the process of return of inward un-processed NEFT messages in Finacle which has helped making the return process speedier.
- Facility for walk in customers for NEFT against cash deposit in any branch if the amount of NEFT is less than 50,000/-.
- Migration of all the servers which were planned to be under virtualization has been completed. Virtualization infrastructure is now in place and stabilized. New applications/servers are added as per requirements.
- Implementation of Credit Application Processing System (CAPS) including integration with CIBIL.
- Bank has migrated more than 2000 branches in to Multi-Protocol Label Switching (MPLS) with enhanced bandwidth.
- All Foreign Centre Branches successfully migrated to Finacle, with this Bank has uniform CBS software across the globe.
- Internet Banking successfully launched for 25 Foreign Branches.

Data Centre

Data Centre, certified with ISO 27001:2005, BS25999 and PCI DSS standard with 1:1 redundancy of physical hardware Infrastructure between primary site to secondary site with the Recovery Time Objective (RTO) of 15 minutes has been successfully established by the Bank. The primary site is situated at Mumbai and Disaster Recover site (DR) situated at Bangalore. The Near Site (NR) has been established with primary site storage replication for zero data loss. All offices, branches and data centres are connected in WAN network with 24 hours dual power supply from two DG-Sets through UPS.

The Data Centre deploys three tier architecture i.e. database, application and web, which are deployed in different high-end servers with latest version of operating systems, RDBMS and applications for better management and performance.

Bank's security and network infrastructure is designed considering availability/capacity requirements. The data centre also has a strong physical security control with Bio metric authentication for critical areas of server and network farms. Dedicated resources working on 24X7X365 days equipped with latest Building Management Systems to control and optimise management of power cooling, Fire protection and data centre infrastructure system is in place. The entire premises is covered with surveillance cameras to monitor 24x7x365.

Bank has a fully functional Disaster Recovery Site and Disaster Recovery Drills are planned and executed once every quarter to ensure readiness. The Bank has RTO of 15 minutes to switch over from Primary to DR site operations. One of the innovative ideas of the Bank was to use the Disaster Recovery set-up for MIS and Report generation purposes. This not only resulted in optimum utilization of both the DC and DR resources, but also ensured that all these resources also get constantly tested in the process.

Bank has a Data Centre at Mumbai which connects all our overseas Branches to a central hub and enable processing for all its foreign branches. It is a 24/7 central hub catering IT related requirements of all our foreign branches from Japan in the east to USA in the West. Disaster Recovery Hot Sites with identical hardware and suitable software that do online replication of data from Data Centre to DR Site have been setup. The transactions are being replicated on real time basis at both DR sites. DR drills to ensure high availability of the system are being conducted on regular basis.

Data Warehouse

Data Warehouse (DWH) is providing the required MIS to all stake holders to enhance the Decision Support / Management Information System for the Bank & for achieving its Business Intelligence goals more quickly and effectively. Bank's Data Warehouse is storing daily transactional data from Core Banking System, Treasury & other source systems. Bank has simultaneously taken initiatives for refining the quality of the data & with this bank's MIS has become more refined and precise. Bank is generating most of RBI returns, reports to Government of India, MIS reports for internal purpose based on the data in the DWH database. The Dashboard provided to the Top Management is effectively used for monitoring business growth & taking timely corrective actions wherever necessary. Bank has also implemented business analytical tools for achieving business intelligence goals.

Project Gramshakti

With a view to provide "Anytime, Anywhere, Anyhow" banking service to the rural clientele the Bank has completed the process of implementation of CBS in all the Bank sponsored RRB (Regional Rural Banks)s to provide 100 %. All the branches of RRBs are RTGS / NEFT enabled using our infrastructure. As per Government Notification, three RRBs sponsored by other banks had been amalgamated with our RRBs. We have successfully merged/migrated the data of these three RRBs.

Certificate/ Award

- CIO100-2012 winner.
- Certificate of appreciation awarded by Computer Society of India to

the Bank for the Project – Financial Inclusion through ICT enabled solution.

- CIO Masters 2013 – Category- Data Centre. Received Certificate of Recognition of Unique Achievements in the area of Data Centre.
- CIO100-2013 - Our project adjudged as the winner.
- Skoch Award 2013 – Our project has been selected among India's Best – 2013.
- First Runner up award in the category of "Best Financial Inclusion Initiative among Public Sector Banks" in IBA Banking Technology Awards 2012-13.
- Received Runners up award from NPCI in "NFS Operational Excellence Awards 2013" in Public Sector Banks category for excellent performance in key parameters in respect of ATMs and switch connected to NFS ATM Network.

THIRD PARTY PRODUCTS

Tie-up for Life Insurance:

Bank continued its Corporate Agency arrangement with Bank's Joint Venture Life Insurance Company Star Union Dai-ichi Life Insurance Co Ltd. for sale of their life insurance products. Bank has around 3338 employees to act as 'Specified Person' for sale of insurance products in various centres.

During the current financial year, bank collected premium of ₹ 421 crores (Number of Policies 78,000 over) and contributed to more than 53 % of the total new business of the Joint Venture company .

Bank continues to offer optional life insurance cover to our Retail Loan Borrowers including Star Home Loan and Star Education Loan borrower under Group Policy wherein the borrowers pay reduced premium for life cover.

Tie-up for General Insurance (Non-life) with National Insurance Co Ltd. (NICL):

The existing tie-up arrangement with NICL was converted into Corporate Agency Distribution Model in compliance with IRDA revised guidelines covering Bancassurance Business with Distributors like Banks. Bank has a co-branded health insurance product - BOI National Swasthya Bima, which is a Family Floater Mediclaim Insurance Cover available only for Bank of India account holders, for a very low premium. The coverage is for the Account Holder, Spouse and Maximum of 2 Dependent Children. Entire family (Account holder, his/her spouse and their two dependent children) is covered to the extent of sum insured in as much as part of the sum insured can be availed at different times by family members. It has been a popular product and as on 31.03.2014 over 1.55 lakhs Bank of India Account holders have taken this policy.

The total premium collected by the Bank for NICL during financial year 2013-14 has been ₹ 183 crores which earned a commission of ₹ 16.61 crores.

Mutual Funds Products:

Our Bank continues to be a shop for all financial needs to the customers in as much as distributes various Mutual Fund products of the following 10 Asset Management Companies, viz., BOI-AXA Mutual Fund, Birla Sun Life Mutual Fund, DSP BlackRock Mutual Fund, Franklin Templeton Investments, HDFC Mutual Fund, IDFC Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, and UTI Mutual Fund.

ASSET RECOVERY & NPA MANAGEMENT

The level of Non Performing Assets (NPA) is key to any bank's profitability and consequently larger the efforts of a bank to minimise NPAs, the better it is in the long-term. The Bank continued its drive and focus in improving its performance in the area of NPA management in the year 2013-14 as well. NPA reduction has been given utmost priority in the Bank and this function has steadily grown in importance. Substantial measures were initiated to augment recovery and contain NPAs. Efforts were also made to maximize recovery in written off accounts and uncharged / unrealised interest in NPA accounts which contributes to the Bank's profits significantly. The following table shows management of NPAs during last 3 years:

(₹ In crores)

Item	31.03.12 (Actual)	31.03.13 (Actual)	31.03.14 (Actual)
GROSS NPA (Opening)	**4,812**	**5,894**	**8,765**
Less:			
Cash-Recovery	1,205	1,245	3,066
Upgradations	487	759	938
Write-off	2,415	2,415	1,767
Total Reduction	**4,107**	**4,419**	5,771
Add:			
Slippages	5,401	7,379	8,811
Less Unrealised Interest (URI) (introduced from F.Y 2009-10)	212	89	-63
GROSS NPA (Closing)	**5,894**	**8,765**	**11,869**
Recovery in W/Off A/cs, UCI/URI	672	1051	878
Net NPA	**3,656**	**5,947**	**7,417**
% age of Gross NPA to Gross Advances	**2.34**	**2.99**	**3.15**
% age of Net NPA to Net Advances	**1.47**	**2.06**	**2.00**

During the year Bank sold assets with o/s ₹ 4,743 crores (Corporate as well as Retail) on both cash & SR basis in which assets sold on absolute cash basis for ₹ 11.53 crores. The component of cash & SR basis and the reserve assets is ₹ 146 crores / ₹ 2,471 crores respectively.

CREDIT MONITORING:

Concerns on asset quality front in the current economic scenario mandates a regimented monitoring mechanism. Various tools and methods are adopted by the Credit Monitoring Department of the Bank for identifying accounts with signs of incipient stress/potential default/ delinquencies.

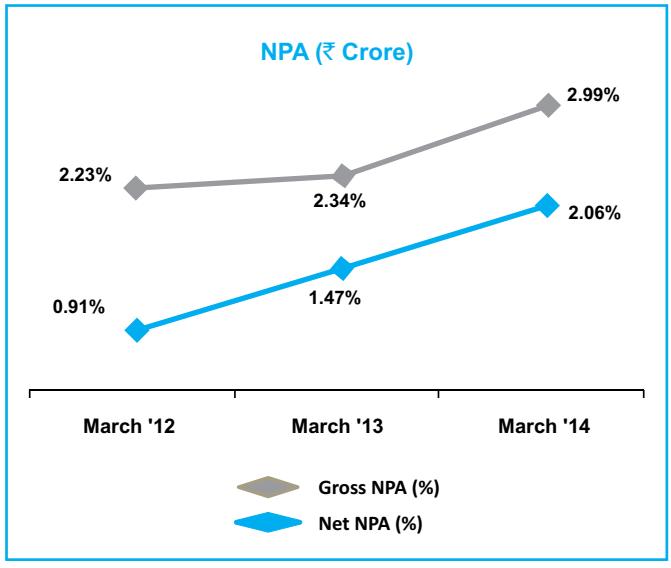

- MIS Reports generated regularly on weekly/fortnightly basis reflect accounts with aberrations which warrant attention.
- Collection Cells have been set up at Zonal Centres for monitoring small ticket advances. In accounts below ₹ 10 lakhs, a system generated advance intimation from Zonal Office is sent to the borrower,10 days prior to due date, informing the due date and amount of instalment. Regular follow up for recovery is made in case the instalment is not paid on the 15th day from the due date.
- 'Outbound Call Centre' – mechanism was introduced in December 2013 for recovery of overdues in accounts with outstanding of ₹ 1 lakh to less than ₹ 100 lakhs covering all loans under Retail Loan Segment (excluding Education Loans) and SME Loans. The Call Centre makes the call to the borrower/s and the borrower-wise automated feed- back is received by the Branches for further action.
- Credit Process Audit (CPA), prior to release of funds by Bank, ensures compliance of all terms of sanction and other covenants. Similarly, periodic Stock & Receivable Audit by empanelled Chartered Accountants in all eligible accounts is ensured to safeguard quality of assets charged to the Bank.
- Zonal Credit Monitoring Committee meetings are conducted at all Zones wherein issues relating to big ticket advances are dealt with.
- Restructuring of the liabilities of borrowers with signs of stress/ temporary aberrations is undertaken subject to long term viability and possibility of retaining the loan as earning asset in line with the prevailing RBI guidelines. Calculation of Diminution in Fair Value and provision thereon is done at the Head Office level in respect of all restructured advances of ₹ 100 lakhs and above.
- Implementation of the recently introduced guidelines under the framework for Revitalising Distressed Assets in the Economy issued by RBI, for classifying an account as SMA with three sub- categories has been undertaken. Adoption of the Corrective Action Plan (CAP) is being operationalized.
- A comprehensive Monitoring Module is being developed (presently under UAT) that will be useful in building an effective asset quality management framework. The module is intended to provide all Branches and controlling offices the alerts – general and financial – for monitoring all their credit assets. It also includes the asset classification under SMA category.

BRANCH NETWORK & EXPANSION

Bank has a geographically well spread branch network in India and abroad. Bank had 4646 branches in India as on 31.03.2014. In the foreign countries, 25 branches and 31 representative offices keep Bank's presence felt in all time zones and important financial centers of the globe.

During the year 2013-14, Bank then opened 354 new branches including 5 Extension Counters converted into full-fledged branches.

Composition of Bank's Branch Network is as follows :

Category	31.03.2013		31.03.2014	
	No. of Brs.	% to Total	No. of Brs.	% to Total
Metropolitan	787	18.34	833	17.93
Urban	742	17.29	789	16.98
Semi-Urban	1,165	27.14	1,258	27.08
Rural	1,598	37.23	1,766	38.01
Total Branches	**4,292**	**100**	**4,646**	**100**

Falling in line with RBI liberalized policy of branch authorization, some branches were shifted to alternate sites and Extension Counters showing good performance and those with locational advantage, were converted into full-fledged branches. It is intended to continue this policy for the coming year as well. RBI vide their circular No. DBOD.No.BAPD. BC.60/22.01.001/2013-14 dated 21.11.2013 has further liberalized its branch authorization policy allowing Banks to open branches in Tier I to Tier 6 centers without obtaining prior approval from them subject to reporting. Bank availed the opportunity and advised zones to send proposals to open branches under this category.

POSITION AT A GLANCE

At the year end	31.03.2013	31.03.2014
Number of branches	4,341	4,702
Foreign	49	56
Indian	4,292	4,646
Of which :		
Metropolitan	787	833
Urban	742	789
Semi-Urban	1,165	1,258
Rural	1,598	1,766
Computerised Branches		
Fully computerised	4,292	4,646
Partially computerised	--	--
Specialised Branches	271	271
Extension counters	42	36

Bank has 271 Specialised branches catering to the specific financial requirements of various categories of customers in the domestic market. Break-up of such branches is given in the following table:

	Categories of Specialised Branches	31.03.2013	31.03.2014
1.	SME Branches	100	100
2.	Overseas Branches	03	03
3.	Large Corporate Banking Branches	10	10
4.	Mid-Corporate Branches	42	42
5.	N.R.I. Branches	06	06
6.	Recovery Branches	15	15
7.	Commercial & Personal Banking Brs.	26	26
8.	Treasury Branch	01	01
9.	Housing & Personal Finance Brs.@	24	24
10.	Government Business Branch	01	01
11.	Bullion Banking Branch	01	01
12.	Service Branches	41	41
13.	Centralised Pension Processing Branch	01	01
	TOTAL	271	271

@ - Including Retail Business Centres (RBC's)

MARKETING

Marketing has been one of the thrust areas of the Bank for acquisition of new customers servicing the existing customers and creation of customer centric processes for enhancing value.

Bank has recently reorganized its Marketing Set-up. The new Marketing Set-up focuses on mobilizing Deposits (including Govt. Deposits and Trust, Association, Clubs & Societies [TASC]), Retail & SME advances, Alternate Delivery Channel (ADC) Products, sale of Third Party Products etc. The marketing staff are placed / attached to the branches including Retail Business Centres and are working under the Head Marketing (Deputy Zonal Manager) at Zonal Office.

To strengthen the marketing Team, Bank has recruited over 400 Marketing Executives during the last three financial years. As on 31st March, 2014, Bank has over 386 marketing executives for focused

marketing efforts.

Major Initiatives during 2013-14

- **Training:** Arranged workshop at Management Development Institute (MDI), Belapur for the Heads of Marketing from all the Zones.
- **Skill Development/ Product Enhancement**: To keep the marketing team updated on the latest developments in the Bank and enhancing product knowledge, Weekly Online Product knowledge tests are conducted.
- **Branding Activities:** For image building/ brand building Bank had given sponsorship for advertisement and branding campaigns at Big Bazar stores in selected states during the month of August, 2013.

  Also participated in Standard Chartered Mumbai Marathon during the month of January, 2014. During the month of February, 2014 Bank participated in the 6th Edition of the Lavasa Women Drive and was a Co-Sponsor for IL&FS Fun Run.
- **Business Development Activities:** The marketing team focuses on business development activities mainly in the area of Retail Assets and Retail Liabilities including CASA. The stress is on adding new and enhancing the existing relationship with the Diamond and Platinum account holders.
- **Lead Management System**: The LMS software package has been made mandatory for all marketing staff of the bank. The system effectively captures, monitors, tracks, closes and analyses the leads generated at various levels. Workshops have been conducted for key officials from Zones.
- **Campaign/ Initiatives**: Various campaigns/ initiatives have been launched for CASA, Retail Term Deposits and Retail Loans to garner business for the bank. Rewards & Recognition programs have also been launched for various Third Party Products during the financial year.

Publicity Activities:

Bank's Publicity & PR Department had executed multi- media Corporate Campaigns specifically designed to enhance the visibility of our Bank's Image and Promote bank's retail products down the line Pan India under the able guidance of Top management. In order to execute the media plan, the foundation of our approved theme "Relationships beyond banking" has been continued. The famous Corporate TVC (piggy bank, couple, friends, closing time, bus etc) have been aired through various Radio, TV channels and On screening activity through Multiplex Cinema. These campaigns has propelled the promotion of our Bank's product Housing Loans, Auto Loans, SME loan , Education Loans, Loan against property, Alternate Delivery Channel (ADC) Products & CASA through Print media i.e. publishing various ads in major national/regional dailies and various magazines. The same theme was further carried forward for OOH activities on hoarding at prominent places in metro and other centres. Strategic locations at Railways, Air ports & High ways have been used. This campaign initiative have reportedly garnered good mileage and enhanced the corporate image besides promoting & establishing the Bank Products. Apart from, the campaign it is involved in giving due publicity to our retail activities such as to investing in real estate, buying cars, consumer durables.

Bank has sponsored various events to increase the visibility of the Brand and Product i.e. advertisement through some events in big multi chain stores, various sports Super Series, development & reconstruction of shed for pilgrims; International Convention of business & technical institutes etc. Participation in Mega Cultural activities of state governments, various religious /college/school functions, Real Estate & Housing Finance Expo, Marathon at Bandra Kurla Complex of ILFS, Dream run of standard chartered Bank, Conferences centered around the theme of health care at Mumbai & Ahmedabad by Doctors, Medical associations & Cancer Care Foundation. We also participated in International Investors" conclaves organized by various publications; ASICON-2013 Conference, advertisements in various events held at Indian Chamber of Commerce, Indian Banks' Association – FICCI, Assocham etc. Participating in International Banking Operations Seminar (SIBOS) 2013 at Dubai and many other activities have been executed by us for increased visibility of the Bank.

Customer Excellence

Bank reiterates its commitment to customer service through a customer centric approach to achieve the goals set for itself. Bank has been a voluntary member of the Banking Codes and Standards Board of India(BCSBI) since its inception in 2006, to emphasize its customer orientation and commitment to provide service of a high order in a transparent manner, supplying the customer with the necessary information. BCSBI revised code 2014 has been adopted by the Bank and displayed on the website. Copies of the revised code are being printed for information for customers. Bank has adopted various revised customer centric policies formulated by IBA- like Deposit policy, Cheque Collection Policy, Grievance Redressal Policy, Compensation Policy, Recovery of Dues and Security Repossession Policy, Simplified Procedure for Settlement of Dues in Deceased Depositors Accounts and Delivery of articles held in Safe Custody and contents of SDV Lockers in case of Deceased Constituents etc.

- A short film on desired staff behavior shot entirely within the Bank premises is being shown to the participants attending training courses conducted at Staff Training Centres all over India.
- Root Cause analysis of complaints is being done at quarterly intervals to identify problem areas to initiate corrective steps at the Head office level.
- Zonal Offices have also been authorized to carry out root cause analysis and to reduce the grievance redressal time, identify critical areas, take prompt corrective steps at their level if possible or to escalate the same to Head Office and help enhance customer satisfaction.
- With the increased emphasis on use of electronic mode of communication, the turn around time for complaints has been compressed to 10 days in majority of the cases.
- Web based Customer Complaint Management System(CCMS) has been revamped to generate analytical reports to help reduce turnaround time in grievance redressal and initiate remedial steps in time.
- Customer service and grievance redressal week has been observed twice during the year to draw the customers and staff closer and bring about changes, if any, for improved customer service.
- Compliance with various customer friendly measures by branches is being periodically assessed through the visits of officers from Zonal Audit Offices and necessary corrective steps are being taken promptly thereafter.
- Incognito visits by Deputy Zonal Managers to one or two branches in the adjacent zones to monitor the level of compliance.
- Clean Note Policy of RBI is being implemented through introduction of latest note sorting machines/note authentication machines.
- All customer centric information mandatorily required, is displayed on the website for the benefit of customers and is made available at the branches.
- A comprehensive Notice Board in English/Hindi containing information mandated by RBI and much more has been printed and distributed from Head office to our branches for displaying the same for customers' benefit.

- Various channels of communication are offered to customers for airing their grievances including e-mail, phone.
- Bank is issuing personalized Cheque Books in all branches.
- Two Call centres at Mahape and Bhopal have been established and will take up Querries / service / request / complaints etc. in phases. The toll free no.is 1800220229 and Regular no. is 02240919191.
- Credit Application Processing System (CAPS) has been implemented in Retail/SME/Agri/Corporate segments for timely processing/escalations.
- Long code 9225592255 has been put in place for customer querries.

RISK MANAGEMENT & CONTROL

Risk is an integral element of the activities of any bank. Accordingly, the purpose of the risk control function is not only to minimize risks but also to ensure that the institution properly identifies measures and handles risks and prepares adequate reports on all these efforts so that the extent of risks, which have occurred, should not endanger the continuity of operations. With this in mind the bank has established mechanisms which ensure the ongoing assessment of relevant risks on an individual basis and also of the overall risk position of the bank

Risk Management is a Board driven function in the Bank with the Risk Management Committee of the Board at the apex level supported by operational level committees of top executives for managing various risks. The process of risk management consisting of various stages i.e. identification, measurement, monitoring and control, is covered in the policies for Enterprise Wide Risk Management ,Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Derivatives, ALM, Foreign Exchange and Dealing room operations. These stages constitute a control cycle, which also involves feedback and feed forward loops.

The identification, measuring, monitoring & mitigation of all potential risks, in all activities and products is done through detailed analysis and vetting the same by the operational level risk committees and task forces. Risk profiling of the bank is also done on a quarterly basis. Various tools and systems like prudential limits, new Basel Compliant credit Rating Models, Credit Audit, VaR models for market risks, Self-assessment exercise coupled with tracking of Key Risk Indicators for operational risk have been introduced for assessing/measuring the identified risks. Data warehousing project to provide comprehensive data for analysis has been implemented. The Bank is implementing Credit Risk Management Software which will help the bank in improving the data quality and completeness and upgrading its Risk Management systems.

Bank has migrated to computation of capital adequacy under New Capital Adequacy Framework (Basel II) based on Standardised Approach for Credit and Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk as per RBI guidelines effective 31.03.2008.

The Bank undertakes Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) on a yearly basis for assessment/measurement of various risks, the limits of its risk-bearing capacity and appropriate level of internal capital in relation to the risks and the Risk Appetite. Stress Testing Process is in place for enhancing risk assessment by providing the bank a better understanding of the likely impact even in extreme circumstances. Going forward, this exercise is expected to render an objective basis for decision making both to the risk control function and to the entire institution and also for assessing the performance of the independent control function.

Bank has received permission from RBI for migration to Foundation Internal Rating Based (FIRB) approach for Capital charge computation under Credit Risks. Bank has also applied for migrating to The Standardised Approach (TSA) for Operation Risk.

It is also in the process of migrating to Internal Models Approach (IMA) for Market Risk for enhancing the effectiveness and robustness of risk management systems.

Bank has well established Fraud Risk Management System with clear objectives to obviate fraud risk in the face of acceleration in Bank's business by strengthening internal controls to protect brand, reputation and assets of the Bank.

Bank is also computing Capital Adequacy Ratio as per BASEL III guidelines of the RBI.

Bank has robust Information Security systems and processes. Bank has implemented various information security projects for monitoring of real time information security attempts/incidents/events on 24x7 basis. Bank has put in place Captive Security Operation Centre (SOC). The Bank is ISO 27001, PCI-DSS 2.0 and BS25999 certified.

FRAUD RISK MANAGEMENT

The main functions of the Fraud Risk Management department are:

- Reporting and Monitoring of Frauds.
- Maintenance of Centralized data on frauds.
- Analysis of Perpetrated and Attempted Frauds and initiate mitigating measures to prevent recurrence of frauds.
- Provisioning and accounting of amounts involved in frauds .
- Sensitizing staff through training on Fraud prevention.
- Devising and Administration of FRM Policy for the Bank.
- Convening meeting of Task Force of Frauds at Head Office.
- Plugging the loopholes in the systems, procedures & practices leading to perpetration of fraud
- Dissemination of modus operandi & reasons for occurrence of fraud revealed by way of Circulars/instructions to avoid the risk of recurrence of frauds of similar nature
- On line monitoring of alerts generated with the assistance of RIMS, an external application

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Human Resources play an important role in the growth of an organization. Management of people begins with recruitment process and passes through various movements, such as, training, placement, performance reviews, promotions etc. Human resources department is instrumental in creating a vibrant organizational culture in which employees are encouraged and motivated to perform their best.

Policies, Recruitment & Promotion

Human Resource Management plays a vital role in accomplishment of corporate goals. In a service-oriented industry like Banking, success depends on prompt and efficient customer service, which can be achieved by recruiting right talent, grooming and right placement. Banking industry as a whole is facing shortage of staff and all Banks are making all out efforts to recruit employees both in Clerical and Officer Cadre. Conscious attempts are being made to improve / infuse young employees to replace the superannuating employees. Bank could largely succeed in spite of various inherent constraints such as reluctance of young candidates to accept rural posting, monetary compensation, simultaneous recruitment of staff by all PSBs due to acute shortage in their respective Banks, etc. In years to come most of the PSB's will recruit through common recruitment process conducted by IBPS which will reduce the attrition of new recruits in Bank.

Bank has recruited 1720 officers in General Banking & Specialist cadre in various scales and 2448 in clerical cadre in financial year 2013-14.

Bank has initiated steps for recruitment of 1993 General Banking Officers & Specialist officers, and 3995 Clerical Staff. The newly recruited Clerks and Officers are expected to report for duties in the first quarter

of financial year 2014-15 to take care of requirements due to branch expansion / business expansion as well as retirements/ VRS.

The other initiatives being taken on the HR front include:

- Inclusion and integration of more HRMS modules (activities) to provide full-fledged solution to all HR issues like scientific assessment of Manpower requirements of the Bank;
- Simplification of the Annual Performance Assessment system;
- Review the Promotion Policy to make it more objective and suitable as per the present requirements
- Star Desk is being regularly visited by the General Manager (HR) for exchange of suggestions related to HR initiatives, improvising HR policies;
- Introduced 'Talent Bank' by identifying Officers having special skills in areas like Credit, Forex, Marketing, Recovery,
- Introduction of fast promotion process relaxing eligibility criteria for Officers;
- Various welfare measures being implemented for employees such as Group Savings Linked Insurance, Death Relief Scheme, Reimbursement of Education Expenses of wards of employees, Tie-up arrangement with various hospitals for cashless treatment, Medical Assistance for Retired Employees.

Learning and Development

Building winning teams through developing skill of the employee is a key component of Human Resources Department. In line with the above and recognizing the need to harness the true potential of large human resource pool, a separate Division Learning and Development has been carved out of Human Resources department.

Learning & Development Division through its continuous training and development programmes and modules acts as a catalyst in augmenting the competencies of employees and equip them with right skills and knowledge for meeting ever changing business needs of customers in different segments. The Training Policy was approved by Board on 08.12.2012.

Bank has six training colleges spread across the country. While the Management Development Institute (MDI), CBD Belapur, Navi Mumbai is Apex level training establishment, four Staff Training Colleges (STCs) are at strategic locations at Bhopal, Chennai, Noida and Kolkata besides one Information Technology Training Centre (ITTC) at Pune. During the year 2013-14 in all 24,130 employees of the Bank and 1570 employees from RRBs and other organizations were imparted training in 1013 programmes organized at these colleges.

During the fiscal year, 1690 DROs and 2305 clerks joined the Bank. Exclusive Induction training programmes were organised for them at all the training Centres as well as at Banker's Quotient-Coimbatore. 688 DROs were imparted Induction training at Banker's Quotient-Coimbatore, while remaining staff received Induction trainings at our centres. Each such batch has been addressed by Principal & General Manager MDI-Belapur &/or General Manager (H.R) either in person or through video conferencing at other training centres. On some occasions DROs were addressed by our Chairperson and Managing Director Mrs. V R Iyer, Executive Directors /General Managers. Pre-promotion training programmes were held for eligible persons. Special programmes for lady officers and clerks organized at MDI, was addressed by Chairperson & Managing Director Mrs. V R Iyer. Programmes for retiring staff were organized at MDI-Belapur.

1795 Officers were nominated for training at outside institutions in India and 20 officers were deputed abroad to attend trainings, conferences and seminars.

MDI–Belapur organised the training for staff posted in foreign branches attended by 26 participants.

5 days Leadership and Change Management programmes for 112 newly promoted GMs and DGMs and AGMs were organized at IIM-Ahmedabad, ASCI-Hyderabad.

Train the Trainers Programme for 30 newly selected faculty staff was organized at BIRD Lucknow, an institute of repute.

Three days and five days customised programmes for 202 officers working in IR/IL & Vigilance Departments, CASA counters and Credit counters were organised at IIBF Mumbai and NIBM-Pune.

Total 239 three days locational programmes at regular interval of 2 months on Credit/Forex & Agriculture Finance/Retail Banking with the help of our bank's retiree executives were organised by all the Zonal offices imparting training to 6420 staff members.

Bank deputed 63 officers to foreign branches for exposure in International Banking. All these officers were imparted "on the job training" at Treasury Branch, International Dept. H.O, Mumbai Overseas Branch.

Programmes for outside institutions were conducted at Bank's training centres-Like "One week Orientation Workshop on FOREX" on behalf of FEDAI at MDI Belapur, STC Bhopal, and STC Noida and STC Chennai, "Induction Trainings to DROs of Central Bank of India" at STC-Noida .MDI also conducted a "Bourse Programme" for Bank's Dealers ,also attended by officers of other banks.

On-Line Product Knowledge Test was organised for all the officers, scale I to VI at all the Zonal offices as well as Head Office.

469 students from different management institutions were approved to carry out Summer Internship in the Bank.

"Commercial Bank Trainings to RBI Officers" were organised for 7 RBI officers.

Bank being a Nodal institution, for organising interviews for officers / clerks on behalf of IBPS in New Delhi Zone. STC-Noida organised these interviews at their centre in month of December 2013 and January, 2014.

A significant achievement has been made in the Bank's training system by making training module live under Human Resource Management system. This has facilitated on line nomination to various training programmes in the Bank at Zonal level and generates the reports at Head Office levels to monitor the nominations.

Incentive schemes are in place to encourage staff members to upgrade their knowledge by passing various examinations conducted by the IIBF, ISACA, GARP & PRMIA and other reputed institutions.

The Global Human Resources talent in the Bank is consisting of 17581 Officers, 17940 clerks and 7622 support staff aggregating to 43143 as on 31.03.2014.

In-House Publications (Taarangan & BOI Guiding Star)

Since last 49 years, Bank's In-house Journal 'Taarangan' has been playing a significant role of internal communication in the Bank. It is also one of the mediums of promoting employee engagement in the bank. It has developed as a platform where our employees express their creativity through articles, poems, experiences, cartoons etc. In addition to these our house journal also contains success stories of our customers, customer special achievements including details of social, promotional and other activities undertaken by Zones/Branches/ offices in India/ abroad along with achievements of our staff members and their children. In every zone, there is a zonal representative for 'Taarangan' to look after the related work. However, the main objective of this In-house Journal is to play a major role as an internal communication tool amongst our staff members.

Bank's In House Journal has won various awards and accolades from reputed organizations during 2013 including one International Award for Brand Excellence in House Magazine. The details of awards won are as under:

- **FIRST EVER INTERNATIONAL AWARD** for Brand Excellence in House Magazine by Asian Confederation of Business during '3rd Asian Leadership Awards 2013' held at Dubai on 24th September 2013.
- **NATIONAL AWARD** for its March 2013 edition-Salute to women power under English Magazine Category 3rd prize from Public Relations Society of India (PRSI), New Delhi
- **FOUR AWARDS** from **Association of Business Communicators of India (ABCI)** on 18th October, 2013 at Mumbai in categories i.e. Headlines-Gold, Features (Language)-Silver, Special Column (Language)-Silver, Photography-Bronze.
- **Reserve Bank of India(RBI)** awarded '4th Prize' to our journal amongst all public section Banks on 28th August, 2013.

Shailaja Nair Foundation (ICE) has awarded Banks's magazine with Certificate of Merit at ICE In-house Communication Excellence Awards 2013 held on 27th June, 2013.

Launch of Corporate Knowledge Magazine 'BOI Guiding Star'

Having Strong Internal communication in place is essential. A need was felt that external communication must be in place to share and hear views of other corporate leaders.

Keeping this in view, a **New Corporate Knowledge Magazine 'BOI GUIDING STAR'** was launched in Nov, 2013 during BANCON 2013 exclusively as corporate communication vehicle of the bank with a high-profile reach which shall include India's prominent vision leaders, senior officials in the Union Government and RBI, Frontline CEOs of Corporate companies, CMDs, EDs and Experts in the Financial sector, Technology leaders, Management Gurus, Academicians, prestigious libraries of IIMs, IITs & reputed Universities, Economic journalists and media personalities, advertising & Marketing experts and Arts Personalities. The two editions have already been published with excellent feedbacks from industry leaders.

Compliance with Reservation Policy

Bank is complying fully with the reservation policy of the Government of India. Special Recruitment and SC/ST Cells at Head Office / Zonal Offices are functioning to monitor the implementation of the reservation policy and redressal of grievances relating to SC/ST/OBC Employees.

Pre-Recruitment Training and Pre-Promotion Training from clerical cadre to General Banking Officers cadre and within the Officer cadre from Scale - I to Scale – II, Scale II to Scale III are imparted to SC/ST candidates / staff. Details of such pre-recruitment and pre-promotion trainings imparted to SC/ST employees during the year, 2013-14 are as under:

Sr. No.	Cadre	Pre Recruitment Trainings					Pre Promotion Trainings						
		No.of progs	Duration	SC	ST	TOTAL	No.of Progs	Duration	SC	ST	OBC	P/H	TOTAL
1	Officer	-	-	-	-	-	25	6	723	293	0	0	1016
2	Clerk	-	-	-	-	-	23	6	698	306	0	0	1004
3	Sub-Staff	-	-	-	-	-							
	Total	-	-	-	-	-	48	12	1421	599	0	0	2020

Bank has designated officers of the rank of General Managers as Chief Liaison Officers for OBCs and SCs/STs respectively at the Head Office. Officers belonging to SC/ST/OBC categories are designated as Liaison Officers / Cell Officers at Zonal Offices. In terms of the Government guidelines, Post-based Reservation Rosters maintained at Head Office/ Zonal Offices are inspected annually. SC/ST Cells established at the Head Office and Zonal Offices are also associated with implementation of reservations in respect of other categories like Ex-servicemen / Persons with disability etc.

Representation of SC/ST/OBCs in Total Staff Strength (Indian)

March 2014	Officers	Clerks	Sub-Staff	Total
SC	2,958	3,025	2,736	8,719
% to total Staff in Indian Offices	16.82	16.86	35.90	20.21
ST	1,326	1,842	796	3,964
% to total Staff in Indian Offices	7.54	10.27	10.44	9.19
OBC	2,492	2,132	1,226	5,850
% to total Staff in Indian Offices	14.17	11.88	16.09	13.54

LEGAL

Legal Department of the Bank acts as facilitator and attends to various matters of Opinion, Documentation, Litigation etc. emanating from various functional departments at Head Office, besides attending to referral matters of various NBGs/Zones, Indian Branches/Foreign Branches and Bank's subsidiaries. It is also catering to the specific need of specialized Departments like Information Technology / International/Treasury / Card Products etc. by Drafting / Vetting of documentsof various contracts/ Service Level Agreements (SLAs), (Software/Hardware procurement, Service Level Agreements, various types of tie-up arrangements / new products etc.)The Right to Information Act has taken a pivotal role in the Society and lot many applications are received by the Bank at various levels. Bank has identified Central Public Information Officer and Appellate Authority at various Zones / NBGs. The Deputy General Manager / Asstt. General Manager (Law) of Legal Department is also designated CPIO of the Bank, and the General Manager, Legal Department is Appellate Authority which involves collecting the desired information from various Departments and supplying the same to the applicant within the fixed time frame of 30 days and alsoto guide the other Zones / NBG on specific points. With a view to create awareness among the staff `Legal News Letter'is regularly issued and circulated by the Legal Department, besides, issuing circulars from time to time on latest legal developments.

- Approval of Plaints in respect of suits filed by Bank.
- Share transmission matters.
- Advising on writs, cases, appeals, claims etc. filed against theBank, vetting of the applications/affidavits etc. wherever required.
- Attending to the various queries of Ministry, Reserve Bank ofIndia and IBA on different matters including new Legislation/amendments under consideration on various Acts.
- Attending to requests from citizens made under the Right to Information Act. This includes processing the requests, forwarding the same to the concerned departments, follow up, collecting the information from concerned Departments and giving timely replies(within 30 days). In case appeal is made against such Orders,further processing the Appeals and disposing of the same in time bound manner. In addition, the Legal Department is guiding the Zones and Branches for replying to queries under the Right to Information Act. Wherever required, Legal Department appears before the CIC for the hearing of the appeals filed by the parties.

COMPLIANCE

Compliance in a regulatory context is of prime importance because of an ever-increasing number of regulations and a fairly widespread lack of understanding about what is required for an organisation to be compliant. Compliance has, thus, increasingly become a concern of corporate governance.

A Compliance Function Policy for the Bank was adopted by the Board as per Reserve Bank of India guidelines. An independent Compliance department, headed by a Chief Compliance Officer of the rank of General Manager, is functioning at Head office. Compliance of statutory, regulatory and internal guidelines of the Bank is the scope of operation of the compliance function of the Bank.

Bank has prepared Compliance Rules in the following areas of branch banking:

Return	Frequency	No. of Rules
Know Your Customer/Anti-Money Laundering/Combating of Financing of Terrorism	Monthly	51
Deposits & Services	Quarterly	59
Advances	Quarterly	59
FEMA	Quarterly	119

Bank is also vested with the responsibility of implementation/ monitoring Know Your Customer (KYC)/Anti Money Laundering (AML) Measures/ CFT Guidelines in the Bank. The department has taken up earnestly the task of ensuring compliance with KYC norms in all the existing accounts, as directed by RBI. A separate mandatory field is provided in the Finacle system to facilitate noting of KYC status in each account. Branches are in the process of identifying KYC non-compliant accounts, obtaining KYC documents and suitably updating the Finacle system.

As per the provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PML Act) and the Rules made there under as well as the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) on KYC, branches are properly identifying every customer by obtaining recent photograph, proof of identity and proof of current address for KYC compliance. Opening of accounts of persons of low income group with simplified KYC norms have been introduced. All the customers have been classified into High, Medium or Low Risk category based on the Risk perception. As per extant RBI guidelines, the review of the Risk categorisation is to be done once every six months. The review of the Risk categorisation of accounts has been centralised at Head Office w.e.f. the half year ended 30.9.2012.

Bank has implemented the provisions of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 and Amendments thereto, as under:

- The Principal Officer has been appointed (Chief Compliance Officer) as the Money Laundering Reporting Officer [MLRO]);
- Bank is submitting monthly Cash Transaction Reports (CTRs) in respect of transactions over ₹ 10 lakhs to the Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND), New Delhi;
- Bank is submitting monthly Non-Profit Organisation Transaction Report (NPOTR) in respect of credits above ₹ 10 lakhs or its equivalent in foreign currency in the accounts of NPOs;
- Bank is also submitting Suspicious Transactions Reports (STRs) and Counterfeit Currency Reports (CCRs) to the FIU-IND, as and when the same are identified;
- Maintaining and preserving the records as per the provisions of the PML Act;
- FIU-IND has introduced a new report on Cross Border Wire Transfers i.e. a monthly report on Cross Border Wire Transfers above ₹ 5 lakhs or its equivalent in foreign currency; the bank is in the process of sending the same;

Bank has procured Anti Money Laundering Software (AMLOCK) for identifying suspicious transactions under the Prevention of Money Laundering Act. Bank has also implemented a majority of the IBA alert scenarios. The remaining scenarios will be implemented by 30.6.2014.

On an average, the AML software is generating about 30000 alerts daily (after implementation of the IBA alert scenarios). These alerts are scrutinised by the department. Follow-up is made with the zones/ branches wherever necessary and in case the bank is not satisfied with the zone/branch clarification, a Suspicious Transaction Report (STR) is filed with the FIU-IND.

VIGILANCE

Vigilance machinery of the Bank is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO) of the rank of General Manager appointed with concurrence of the Ministry of Finance and the Central Vigilance Commission. The CVO is assisted by committed officers having knowledge / background of investigation and disciplinary action matters as well as banking, for tendering advice to Disciplinary Authorities / Controlling Authorities in all vigilance cases. Vigilance Department also focuses on initiation and dissemination of preventive vigilance measures. In this regard, Bank has five separate “Vigilance Units” to deal with vigilance matters.

INSPECTION & AUDIT

During the year 2013-14, the Department carried out Risk Based Internal Audit, Information System Audit & Revenue Audit at domestic as well as all foreign branches. Currency Chests, Depository Participant Office Audits as well as Risk Based Management Audit at HO Departments, Zonal Offices, Zonal Audit Offices, Staff Training Centres, MDI, LDM Offices and RRBs were carried out. Concurrent Audit was being carried out at 723 domestic branches (including Treasury Branch) & Estate Department, H.O. (for Centralized Payments) by FCAs and at 24 Foreign Branches, Card Products Department, Comptrollers’ Department, Data Centre and Estate Department, H.O. (for Other Matters) by in-house officers. The total coverage of concurrent audit was 84.47 % of total global advances and 69.69 % of total global deposits of the Bank against the stipulated level of 70% each. During conduct of various audits at branches, the department detected revenue leakage to the extent of ₹ 74.22 crores of which ₹ 71.12 crores has already been recovered.

Under project STARBOOST, Audit Exception Reports (AERs) of 3187 branches were generated and sent to the branches that are subject to RBIA. These reports are sent to the concerned branches 2 months in advance so as to enable the branches to initiate necessary corrective measures before commencement of audit which would facilitate for a good audit rating.

Policy of Risk Based Internal Audit, and Information System Audit, were reviewed/revised suitably as per Draft Guidelines issued by the Department of Financial Services, MOF, GOI and covers/elaborates the areas that were pointed out in the previous AFI by RBI. Long Form Audit Report of the Bank for the year 2012-13 was attended in time and compliance was reported to ACB & Board. Compliance of Action Points emanated at the meetings of ACB/Board was submitted to ACB/Board in time.

Apart from the routine audit exercise conducted the following special assignments were undertaken to meet the special requirements of the Bank under the instructions/guidance of the Top Management :

- Discretionary Audit was conducted at branches that were rated under ‘High Risk and above’ to ensure conclusive compliance of observations/ exceptions.
- Revenue Audit of non-concurrent audit branches was conducted (yearly in case of small/medium branches and half-yearly in case of large and above branches) and a revenue leakage of ₹ 6.53 crores was detected.
- Assessment of impact of preventive vigilance measures was undertaken at branches that were audited (this is being carried out on an ongoing basis).
- Credit Audit & Loan Review Mechanism was conducted in 5102 accounts.

- Long Form Audit Report of the Bank for the year 2012-13 was received on 25.06.2013 and the compliance was submitted to RBI on 23.08.2013.
- The Migration Audit of all Foreign Centres is completed by M/s Ernst & Young LLP and reports are sent to respective Foreign Centres for compliance.
- For improving the skills of field level auditors, training was organized in RBIA, Forex Operations & IT related issues.
- M/s Paladion Networks Pvt. Ltd., has conducted the Quarterly Information System (IS) Audit of DC, DR and Treasury for December, 2013 and submitted the report along with the Compliance report of the previous IS audit. The reports of DC and DR for December 2013 are put up for closure. Treasury report of DC is closed at ACE on 26.03.2014. M/s. Paladion Networks Pvt. Ltd. has initiated the IS audit of DC, DR and Treasury for the quarter ended March 2014.
- Implementation of 81 Offsite Surveillance Reports/alerts as suggested by Ministry of Finance (MoF) is initiated, covering area of Credit, Deposit, Forex, IT, Remittances etc. Scripts of 81 reports are finalized, test run is performed for few branches and the reports are approved by Committee members. Separate "CUSTID" is created to generate the reports smoothly for all branches. Zone-wise Off-site Surveillance Reports (OSRs) are initiated for generation. Regressive testing for all branches at one-go will be performed.
- Application audit of FINACLE is initiated and the job is assigned to M/s. Ernst & Young LLP. This is a onetime exercise, and the contract period is 1 year. M/s. Ernst & Young LLP has submitted the interim report.
- As a proactive measure, at our office after analyzing / doing Trend Analysis of reasons for Revenue leakages, we are also checking interest fields to address generic issues.
- For better communication, interaction with Concurrent Auditors at Foreign Centres is done through V/C / tele-conferencing.

The General Manager and Dy. General Manager attended **77** Zonal Audit Committee meetings and conducted Meetings with Chief Incumbent of High risk Branches and rendered suitable guidance in the matter of ensuring timely compliance/closure of audit reports and improving audit rating.

Meeting of concurrent auditors/internal auditors at various Zones were conducted wherein GM & DGM emphasized the need for quality and timely reporting of audit findings and also timely submission of reports.

Full time in-house concurrent auditor was appointed for Data Centre and is assigned, among other duties, the job of verification of interest parameters, application of interest process and checking of interest in sample accounts. The observations of the concurrent auditor are forwarded to IT Department, for compliance. The compliance received from them is put up to Audit Committee of Executives for their noting and further direction, if any.

OFFICIAL LANGUAGE

Bank's Official Language Department successfully organized a series of Official Language conferences at Kolkata, Ahmedabad and New Delhi. Work done by our Bank has been appreciated by Govt. of India, Ministry of Home, Official Language Department.

Bank was the first to implement Rajbhasha model "Rajbhasha Prayog – Aapsi Sanwad – Sarthaki Disha" designed by Finance Ministry, Financial Services department, New Delhi by organizing this program at Lucknow (17.10.2013). A CD about this program was sent to the Head Offices of Nationalized Banks.

Inspection of our Head Office was carried out by the Joint Director (Rajbhasha) and Asst. Director (Rajbhasha) of Finance Ministry, Financial Services Dept., New Delhi. We have formulated "Rajbhasha Model – 2" which has been accepted by Financial Services Department, New Delhi. Our Bank is the first to take the initiative to send this kind of Rajbhasha model.

Official Language implementation meetings were conducted at our London, Paris & Antwerp branches by our Executive Director Mr. B.P. Sharma during his U.K. visit. Bank has become the first Bank to discuss Official Language implementation at foreign Branches.

Special Programs like Inter Bank folksong competition, Hindi Kavi Sammelan, various Hindi competitions were organized for Head Office Departments during Hindi Month.

Rajbhasha portal introduced in STARDESK giving important information regarding official language implementation.

Award from Govt. of India, Ministry of Home, O.L. Dept. (for the 2012-13) Nagpur-1 (TOLIC) – First Prize; Muzaffarpur Zone – 2nd prize, Amritsar zone – 3rd prize, Jamshedpur zone – 3rd prize, Goa zone – Third prize.

Town Official Language Implementation Committee Awards

First Prize : Bhopal Zone, Kolhapur Zone, Amritsar Zone, Bokaro Zone, Jalandhar Branch

Second Prize : Jamshedpur Zone, Patna Zone, Siliguri Zone

Third Prize : Agra Zone, Bhubaneshwar Zone, Gangatok Branch

Consolation Prize : Ahmedabad Zone, Vadodara Zone

Translation : During the year department has completed the Hindi translation of some important documents like vigilance manual, SMSE Policy, Security Policy, Bank's Annual Report, Bank's press release, stared / unstared parliamentary questions, etc. apart from this department has translated various posters / pamphlets and other publicity materials. During the year 167 Hindi workshops were organised in which 3461 staff members were trained.

Reserve Bank of India Shield for the year 2011-12 for 'B' Region-Bank of India was awarded 3rd prize.

During the year 167 Hindi workshops were conducted in which a total number of 3461 staff members were imparted training.

BANK'S SUBSIDIARY / ASSOCIATES

Indo Zambia Bank Ltd. (IZB)

IZB is a joint venture of three Indian Banks viz. Bank of India,Bank of Baroda, Central Bank of India and Government of Zambia. Each of the Indian Banks holds 20% of the share capital, whereas Government of Zambia holds 40% of the share capital. Indo-Zambia Bank Ltd. is a fine example of a successful joint venture. It enjoys the patronage of two friendly republics, the Government of Republic of Zambia and Government of India.

PT. Bank of India (Indonesia) Tbk

Bank acquired a stake of 76 % in PT Bank SwadeshiTbk which is now stands changed to PT. Bank of India (Indonesia) Tbk present investment is ₹ 146 crores.

Bank of India (Tanzania) Ltd.

Bank of India (Tanzania) Ltd. is wholly owned subsidiary of the Bank and commenced operations on 16th June 2008 with first branch at Dar-Es-Saleam.

Bank of India (New Zealand) Ltd.

Bank of India (New-Zealand) Ltd. is wholly owned subsidiary of the Bank. It has a Net Worth of ₹ 261.31 crores as on 31.03.2014. It had a PAT of ₹ 2.87 crores for the year ended 31.03.2014.

Bank of India (Botswana) Ltd.

During 2013-14, Bank has established a subsidiary in the name of "Bank of India (Botswana) Ltd. which had commenced operations w.e.f. 09.08.2013 with its first branch at Gaborone, Botswana.

BOI Shareholding Ltd. (BOISL)

Bank's association with the Capital Market spans a period of nine decades. The clearing and settlement function of Bombay Stock Exchange (BSE) was being handled by the Bank since 1921. In 1989, Bank set-up "BOI Shareholding Ltd. (BOISL)", joint venture with BSE, to manage the clearing house activities of the Stock Exchange. Bank has holding of 51 % of its paid up capital of ₹ 2 crores.

The company has been carrying out the rolling and weekly settlements of trades executed by member brokers operating on the Exchange, BOISL is also a Depository Participant (DP) of both the Depositories viz. the National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) and provides depository services to the clearing members and investors. BOISL is the first Securities Clearing House in the country to have been awarded the ISO 9001-2000 ISO Certification. BOISL earned a net profit of ₹ 6.89 crores during 2013-14 as against ₹ 68.02 lakhs earned during 2012-13.

BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. and BOI AXA Trusteeship Services Pvt. Ltd.

These Companies are in the Business of Mutual Fund and Portfolio Management. Bank of India is holding 51% Stake in both the Companies.

STCI Finance Limited.

STCI Ltd. is one of the leading Primary Dealers in the country. It was established in 1994 with the objectives of widening the gilt and other debt security market through development of a vibrant secondary market. Bank of India with 29.96% holding is the single largest stakeholder in STCI having Paid up Capital of ₹ 380 crores. The Company is an associate company of Bank in terms of Accounting Standards 21 (AS-21) of the Institute of Chartered Accountants of India. With growing perception that Primary Dealership by itself is no longer an attractive business, STCI decided to hive off the Primary Dealership business to its new subsidiary namely STCI Primary Dealer Ltd. which commenced its operations from 25th June 2007. The Subsidiary which started on a cautious note has made steady progress since then. After formation of subsidiary, STCI took up activities of IPO funding,margin funding, commodity future trading, Asset Management,investments in short term corporate loans / CP, equity trading etc. During FY 2013-14, PAT was at ₹ 91.44 crores as compared to ₹ 78.81 crores during FY 2012-13.

Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. (SUDLife)

Bank of India, Union Bank of India and Dai-ichi Mutual Life Insurance Company, Japan have formed "Star Union Dai-ichi Life Insurance Company" to take advantage of the growing insurance market and to provide quality assured insurance to its clients spread across the length and breadth of the country. The company has commenced insurance business since February 2009. BOI holds 48 % in the Company's paid up Capital of ₹ 250 crores. Union Bank holds 26% stake and Dai-ichi Mutual Life Insurance Company, Japan holds 26% in addition to the Bank's stake.

STRATEGIC INVESTMENT / ALLIANCES

Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)

The Company was promoted in 1997 by the Bombay Stock Exchange and Bank of India along with other Banks. The main objective of promoting CDSL, was to accelerate the pace of dematerialization of scrips, bring wide participation of investors in the capital market and to create a competitive environment as country's second depository. Bank now holds 5.57 % stake in the paid up capital of ₹ 104.58 crores of CDSL. CDSL has paid 10% dividend in FY 2007-08, 2008-09 and 2011-12; 15% dividend for 2012-13 and 20% in 2013-14.

ASREC (India) Ltd.

The Company was floated by the Specified Undertaking of the Unit Trust of India to undertake securitization and asset reconstruction activities. The company was granted Certificate of Registration by RBI under the SARFAESI Act, 2002 in the second half of FY 2004-05 and has since commenced full-fledged operation. Currently the Bank holds 26.02% stake, in the equity capital of the company which is ₹ 98 crores.

Credit Information Bureau (India) Ltd. (CIBIL)

CIBIL is the first credit information bureau in the country,incorporated in August, 2000 for providing credit information and risk analysis services to the Banking and Financial services sectors. The company launched its consumer bureau operations in FY 2004-05 and commercial bureau operations during 2006-07. Bank holds a stake of 5% in the equity share capital of the company.

National Collateral Management Services Ltd. (NCMSL)

National Collateral Managements Services Ltd. is promoted by the National Commodity and Derivates Exchange Ltd. (NCDEX). It was incorporated on 28.09.2004 to promote and provide collateral management services for securing, managing and controlling securities and commodities. It offers various services for the development of trades on commodity exchange such as valuation,grading, insuring, securing, storing, distributing, clearing and forwarding of securities and commodities etc. Bank holds a stake of 10.17% (₹ 3 crores) in the equity capital of the company, thus providing opportunities to the bank to harness its association with NCMSL for credit lines to its members and clients.

SWIFT India Domestic Service Pvt. Ltd.

The new joint venture company is promoted by SWIFT and 8 major Banks including Bank of India. SWIFT is holding 55 % equity and remaining 45% is hold by 8 major Banks. Bank of India has an equity stake of 5.63% in the company. The company is yet to start its operations.

SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)

SMERA was set up during FY 2005-06 by SIDBI in association with Dun & Brad street, one of the leading credit rating agencies. SMERA' s primary objective is to provide comprehensive, transparent and reliable ratings which would facilitate greater and easier flow of credit to SME sector. Bank has a nominal stake of 4% in the equity capital of the company.

Other Strategic Investments

Apart from the above listed major Strategic Investments Bank also has strategic investments in MCX Stock Exchange Ltd. (₹ 25 crores),United Stock Exchange Ltd. (₹ 7.50 crores), Equifax Credit Information Services Ltd. (₹ 4.73 crores), U.V. Asset Reconstruction co. Ltd. (₹ 15 lakhs) Clearing Corporation of India (₹ 0.50 crores),Agricultural Finance Corporation Ltd. (₹ 1.26 crores), SIDBI (₹ 45.30 crores), Tourism Finance Corporation Limited (₹ 8.59 crores), Central Ware Housing Corporation Ltd. (₹ 1.11 crores)., Loss Data Consortium CORDEX (₹ 1 crores), SBI DFHI (₹ 6.34 crores.).

Bank's Depository Services

Bank has been offering Depository Services to its customers from all the Branches by leveraging Core Banking Solutions. With a view to adding value to the banking services and making available the numerous benefits of depository services, the Bank is offering the services of both the depositories i.e. NSDL and CDSL. In order to offer better services the DP operations are centralised at Mumbai. To achieve synergies and better utilization of Human resources, Bank's CDSL DPO which was earlier situated at Andheri (West) has been shifted to a spacious premises at Mumbai (Main) Branch.

The number of active Demat Accounts with the DPOs was 91523 as on 31.03.2014. During the year 2013-14 the Bank earned a gross Income of Rs 45 lakhs as against ₹ 39 lakhs earned during 2012-13. Total 3,016 new Accounts were opened in 2013-14

Star Share Trade (Online Share Trading)

During the recent years Online Share Trading (OLST) has been gaining popularity among Investors in the Stock Markets and the volumes traded has been on an increase. With a view to meet the growing needs of Bank's customers and in order to provide them the comfort of trading in securities on a mouse click, the Bank had launched Star Share Trade (Online Share Trading) over phone facility by integrating Bank Account, Demat Account and Trading Account of the customers under Tie up arrangement with leading Stock Brokers M/s. Asit C Mehta Investment Intermediates Limited (ACMIIL), the OLST facility is being offered since 2005. The facility has also been made available to the NRI clients for filling of IPOs.

Application supported by Blocked Amount (ASBA)

Bank has been registered with SEBI as a Self-Certified Syndicate Bank (SCSB) and IPO applications received under ASBA(physical application) are processed through these designated Branches. As per SEBI guidelines, all our Branches are authorized Branches to accept the applications under ASBA. Bank's Stock Exchange Branch is the nodal Branch for ASBA. In addition to the above designated Branches. Customers of all other branches who have availed Internet Banking facility can enjoy the facility of Online Bid cum Application for ASBA IPO through Star connect Retail Internet Banking facility. The following Investors are eligible to apply for IPOs through ASBA:

i) **In Public Issues:** All Investors except Qualified Institutional Buyers (QIBs) are eligible to apply through ASBA in Public Issues

ii) **In Rights Issues:** All shareholders of the Issuer company who,as on date :

   a) Are holding shares in Demat form and have applied for entitlements and/or additional shares in the Issue in Demat form.

   b) Are not a renounce to the Issue

   c) Have not renounced entitlements in full or in part.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2014,

(a) The applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;

(b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied.

Reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for the year ended March 31, 2014;

(c) Proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) Annual accounts have been prepared on a going concern basis;

(e) Internal financial controls system to be followed by the Bank were laid down and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively;

(f) Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchanges Board of India for the valuable guidance and support received from them. The Board also thanks financial Institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers and shareholders and also wishes to place on record its appreciation of staff members for their dedicated services and contribution for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

(Mrs. V R Iyer)
Chairperson & Managing Director

Place : Mumbai

Date : 15th May, 2014

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट

एक संस्था के विकास और समृद्धि के साथ-साथ जिस समाज में वह कार्यरत है उस समाज के प्रति उसकी भूमिकाओं में भी वृद्धि होती है। संस्थाओं का नैतिक रूप से यह दायित्व होता है कि समाज के हित के बारे में अपना योगदान दे तथा आज के युग में समाज के कल्याण तथा भले के लिए चिंतन करे। आज की दुनिया में जो कार्पोरेट इस तथ्य को समझते हैं वह शेयरधारकों तथा आम जनता की निगाहों में ऊंचे होते हैं। कार्पो रेट सामाजिक दायित्व का निर्वहन करनेवाली कंपनियों की भूमिका पर शेयर निवेशकों तथा शेयर बाजार की नज़र रहती है।

इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण, बैंक अपने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व से परिचित है। बैंक की अनेकों गतिविधियां आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी हैं जिसके द्वारा हमारे महान राष्ट्र के अधिकारहीन समुदायों के जीवन में खुशियां बिखरती हैं। सेबी की आवश्यकता के अनुसरण में हमारे कारोबार दायित्व नीति प्रतिपादित करने के बाद रिपोर्टिंग का यह प्रथम वर्ष है। केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय निकाय के सरकारी तंत्र द्वारा विस्तारित स्त्रोंतो तथा किए गए प्रयत्नों को सहयोग तथा समर्थन देने के लिए यह अपेक्षित है कि प्रत्येक नागरिक तक विकास और वृद्धि पहुंचाने के लिए कार्पोरेट प्रयास करें।

आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव तथा पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के नए विचार संग बैंक कदम बढ़ा रहा है जिससे राष्ट्र निर्माण के व्यापक लक्ष्य की दिशा में बैंकिंग परिचालन के द्वारा विस्तृत विकास का जायजा ले सके। टीम बैंक ऑफ़ इंडिया अपने कर्तव्यों को पूर्णतया समझते हुए अपने साझदारों जैसे ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदायों तथा परिवेश के जीवन में सकारात्मक वृद्धि अपने परिचालनों द्वारा ला रहा है जिससे बृहद रूप में समाज के हितों की सेवा की जा सके।

टीम बीओआई ने स्वतंत्रता आंदोलन के विख्यात कथन की ओर योगदान दिया जिसमें कहा गया है कि कोई भारतीय भूखा न रहे, भुखमरी न रहे तथा बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध रहे और वहन करने योग्य शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा समान अवसर उपलब्ध हो। इससे सामाजिक संतुलन निर्मित होगा तथा जाति, संप्रदाय, धर्म, क्षेत्र आदि की विभिन्न विभाजनों पर काबू पाया जा सकेगा। राष्ट्रपिता का यह नज़रिया था कि गांव स्वनिर्भर बने, गरीब सर्वहारा का उत्थान तथा सामाजिक पक्षपातों में कमी लाना तथा सम्पूर्ण विकास के लिए प्रत्येक भारतीय को सर्वोत्तम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों जिससे राष्ट्र के रूप में हम श्रेष्ठ रहें। इस वृहद लक्ष्य की पूर्ति में कार्पोरेट, आर्थिक विकास में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहा है तथा बैंक ऑफ़ इंडिया इस नेक कार्य में निमग्न है।

सर्वहारा, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमज़ोर तबकों तथा जनजातियों को सुविधाएं देने की गतिविधियों और परियोजनाओं में दीर्घकालिक आधार पर योगदान/सहभागिता द्वारा विशेषकर पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, भोजन का संवितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना जिसमें अक्षय उर्जा, जल संरक्षण आदि सहायक हैं। परिवेश तथा समाज से जो कुछ भी मिला है उसे बैंक ऑफ़ इंडिया लौटाने हेतु प्रक्रियाबद्ध है। निधि एवं सहयोग द्वारा हमारे आंचलिक कार्यालयों के नेटवर्क द्वारा पूर्व स्वीकृत/पूर्ण/अंशकालिक कुछ कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पहले ही आरम्भ किया गया है

★ **वैकल्पिक/अक्षय उर्जा का उपयोग तथा स्थानीय तौर पर वैकल्पिक जल की उपलब्धता–**

भारत के ग्रामीण तथा जनजातीय लोगों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमारे बैंक ने निम्नलिखित मदों को स्वीकृत/निधिबद्ध किया है

1) सड़क सौर उर्जा प्रकाश कार्यक्रम तथा हैंड पम्प के नेटवर्क की स्थापना जिसका दायित्व एक एनजीओ को दिया गया है जिसे इस प्रकार की गतिविधियों का अनुभव है। लखनऊ आंचलिक कार्यालय डाटा अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में चयनित स्थानों पर 60 सड़क सौर उर्जा लैम्प तथा 53 हैंड पम्प स्थापित किया गया है जिसमें बैंक का एक बाराबंकी जिला है जिसकी लागत ₹33 लाख है।

2) विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता तथा कुष्ठरोग उन्मूलक तथा रमन मेगासे पुरस्कार विजेता श्री बाबा आमटे द्वारा संचालित लाभ-निरपेक्ष संस्था महारोगी सेवा समिति का लोक भारती प्रकल्प-परियोजना के अन्तर्गत 2 केवी का सौर उर्जा प्लांट स्थापित किया गया है जिससे महाराष्ट्र के गडचिरौली जिले तथा आस-पास के नक्सल प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों तथा 5000 गांवों के स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है।

3) मेसर्स आनंदम ट्रस्ट द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित पुनर्वास केन्द्र में 2 केवी का सौर्य उर्जा प्लांट लगाया गया जिसकी लागत ₹2.40 लाख है। हमारे चेन्नै आंचलिक कार्यालय द्वारा यह कार्यान्वित किया गया तथा कार्यालय द्वारा इसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है।

★ **सूखाग्रस्त क्षेत्रों के जल वहन उपलब्धता में वृद्धि तथा इस प्रकार के गांवों की परवरिश–**

स्वंय सहायता समूह अथवा कलंजियम्स द्वारा शिवगंगा जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्र के विकास/पेय जल का बेहतर प्रावधान/कृषि हेतु उपकरण/वर्षाजल खेती की स्थापना की गई। हमारे कोयंबत्तूर आंचलिक कार्यालय के अधिकारी परियोजना कार्यान्वयन कर रहे हैं तथा मेसर्स धन फाउन्डेशन के द्वारा ₹52.25 लाख के परियोजना निधि के उपयोगिता की निगरानी कर रहे हैं।

★ **जनजातीय, मरूस्थल तथा दूरस्थ ग्रामीण गरीब, सर्वहारा के लिए स्वास्थ्य सहायता–**

जनजातीय तथा अन्य, ग्रामीण/मरुस्थल क्षेत्रों के गरीब वर्ग की सेवा करनेवाले अस्पताल/शोध संस्थानों को बैंक द्वारा एम्बुलेन्स दिया जाना। बैंक के -

1) रत्नागिरी अंचल ने मेसर्स संस्था श्रीदेव, गणपतिपुळे को, आस-पास के ऐसे गांवों की तत्काल चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए एक एम्बुलेन्स की खरीद हेतु ₹8.56 लाख का दान किया, जहां निकटतम चिकित्सा सुविधाएं कई कि.मी. दूरी पर हैं।

2) कर्नाटक अंचल ने मेसर्स क्रिस्टा सेवकी आश्रम को एम्बुलेन्स की खरीद हेतु ₹3.30 लाख का दान किया जिसका प्रयोग बूढ़े और बीमार आश्रमवासियों को निकटतम अस्पतालों में ले जाने के लिए किया जाएगा जो कई कि.मी. दूर स्थित हैं।

3) आगरा अंचल ने उचित फिटिंग्स सहित मेसर्स यू.पी. रूरल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स एण्डन रिसर्च को एम्बुलेन्स की खरीद हेतु ₹8.40 लाख का दान किया।

★ **स्वास्थ्य पर सामुदायिक कार्यक्रम को बढ़ावा देना और गरीब एवं अल्पाधिकार प्राप्त लोगों को अच्छ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना**

बैंक ने परिवार नियोजन केन्द्रों और अन्य ग्रामीण/शहरी अस्पतालों/चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को अत्याधुनिक चिकित्सा/ उपकरण उपलब्ध कराया है।

1) गरीब/अल्पाधिकार प्राप व्यक्तियों एवं अन्य की सेवा करने हेतु गांधीनगर अंचल ने मेसर्स एच.के.पटेल अस्पाताल ट्रस्ट को सोनोग्राफी एवं ब्लड काउंट मशीन की खरीद के लिए ₹9 लाख का दान दिया।

2) नई दिल्ली अंचल ने डिजिटल एक्सरे मशीन की खरीद के लिए मेसर्स राजधानी चैरिटेबल आई एण्ड मेडिकल सेन्टर ₹10 लाख का दान किया।

3) राजस्थान आंचलिक कार्यालय ने अंधापन नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत सरकार सामाजिक असमानता पर ध्यान दिए बिना – जोधपुर से सम्बद्ध मेसर्स ताराबाई आई हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर में ऑपरेशन थिएटर की स्थापना हेतु ₹25 लाख का दान दिया जो थार मरूस्थस में दूरदराज के स्थलों पर रहने वाले लोगों की सहायता के लिए है। इस प्रकार समाज के गरीब वर्ग के लोगों को नियमित दरों की तुलना में कम दरों पर चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं।

4) गढचिरोली में म्हाराराेगी सेवा समिति के लोक बिरादरी प्रकल्प द्वारा निर्मित नए अस्पाताल में उचित सुविधाओं सहित आउट पेशेन्ट डिपार्टमेंट (ओपीडी) की स्थौपना के लिए नागपुर–I अंचल ने ₹31 लाख का दान दिया।

5) हड्डियों की गुणवत्ता की जांच हेतु पेरिफरल क्वाटन्टिटेटिव कम्प्यूटिड टोमोग्राफी मशीन की खरीद हेतु पुणे आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स हीराबाई कावसजी जहांगीर मेडिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट को ₹1 लाख का दान दिया है।

6) रायपुर आंचलिक कार्यालय ने कैशलेस स्मार्ट स्वाइप कार्ड सुविधा स्थापित करने हेतु एआईएमएमएस–रायपुर अस्पताल को ₹7.95 लाख का दान दिया।

7) मुंबई दक्षिण अंचल ने गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु बॉम्बे मेडिकल फाउंडेशन को ₹1 लाख का दान दिया।

8) मुंबई दक्षिण अंचल ने षण्मुखानंद फाइन आर्ट्स एण्ड संगीत सभा को जरूरतमंद लोगों की सहायता करने हेतु डयालिसिस संबंधी उपकरणों की खरीद हेतु ₹3 लाख का दान किया।

9) नागपुर–I अंचल ने समाज के कमज़ोर वर्ग की सहायता हेतु नई मैटर्निटि एण्ड जनरल हॉस्पिटल के लिए मेसर्स मातृ सेवा संघ, मंहल को ₹10 लाख का दान दिया।

10) कोयम्बत्तूर अंचल ने गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने हेतु मेसर्स शंकर आई केयर इन्स्टिट्यूट को ₹15 लाख का दान दिया।

11) कोल्हापुर आंचलिक कार्यालय ने उपकरण की खरीद/नए ऑपरेशन थिएटर (ओटी) के निर्माण हेतु श्री सिद्धि विनायक गणपति कैंसर हॉस्पिटल को ₹5 लाख का दान किया है।

12) चेन्नै अंचल ने मेसर्स फैमिलि प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया को अत्याधुनिक स्कैन उपकरणों की खरीद हेतु ₹3 लाख का दान किया है।

★ **मरीज़ों की देखभाल हेतु जेनसेट जैसे अन्य सहायक उपकरण –**

1) हमारे चेन्नै अंचल ने केंसर से पीड़ित मरीज़ों की देखभाल पैलिएटिव केयर हेतु उपकरणों को चलाने हेतु जेनसेट की खरीद के लिए मेसर्स श्रीमाता ट्रस्ट को ₹4.22 लाख का दान किया।

2) नागपुर–II आंचलिक कार्यालय ने गरीबों एवं ज़रूरतमदों को बाधारहित सेवा प्रदान करने के लिए अस्पपताल के लिए जनरेटर की खरीद हेतु स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन को ₹7.32 लाख का दान किया।

★ **शारीरिक रूप से विकलांग व्यएक्तियों की सहायता हेतु उपाय**

(1) हमारे नेशनल बैंकिंग ग्रूप (दक्षिण) कार्यालय ने शरीरिक रूप से विकलांग खिलाड़ियों के लिए मेसर्स व्हीलचेयर फेन्सिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के माध्यम से 25 व्हीलचेयर हेतु ₹1.25 लाख का दान किया।

★ हमारे मुंबई दक्षिण अंचल द्वारा नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ ब्लाइंड, इंडिया के माध्यंम से ₹8.75 लाख की लागत पर 25 ब्रेलर उपलब्ध कराया।

वरिष्ठा नागरिकों/निर्धन व्यक्तियों/अनाथ एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की देखभाल हेतु पहल

(1) हमारे कोयंबत्तूर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स यूनाईटिड ऑर्फनेज को फर्नीचर की खरीद हेतु ₹3 लाख का दान दिया जो बेघर एवं मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के काम आएगा।

(2) हमारे नवी मुंबई एवं कर्नाटक अंचल ने बूढ़े एवं निस्सहाय व्यक्तियों की देखभाल हेतु सीनियर सिटिज़न्स होम फाउंडेशन नेरूल को श्रिंगेरी में 5 कमरों के निर्माण हेतु ₹10 लाख का दान दिया।

(3) गोवा अंचल ने वृद्ध, मानसिक रूप से विकलांग और विशेष जरूरत वाले लोगों के लिए डैडीस् होम – गोवा को ₹2.80 लाख दान किया।

★ **शिक्षा में की गई पहल**

समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए क्लाससरूम का निर्माण।

₹6 लाख श्री विवेकानंद एज्युकेशन इंस्टिट्यूट, बेल्लारी को एक क्लासरूम के निर्माण की लागत हेतु दिया गया इस क्लासरूम का उपयोग एससी/एसटी/गरीब छात्रों द्वारा किया जाएगा।

कम सुविधा प्राप्त/अनाथ/दृष्टिहीन छात्रों की जरूरतों के लिए सहायता।

(1) मुंबई उत्तर अंचल ने 300 दृष्टिहीन छात्रों को ठोस आधार पर स्कूल/कॉलेज के छात्रों के पाठ्यक्रम की जरूरतों के अनुसार सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए मेसर्स ब्लाइंड ऑर्गनाज़ेशन ऑफ़ इंडिया को ₹2.47 लाख दिया।

(2) चेन्नै आंचलिक कार्यालय ने अनाथ बच्चों के लिए पॉलिटेकनिक के 2 शिक्षकों के वार्षिक वेतन की जरूरत को वहन किया। मेसर्स रामकृष्ण मिशन स्टूडन्ट्स होम–मायलापुर को ₹4.07 लाख की रकम दी गई।

★ **छात्रों की देखभाल में की गई पहल (लड़कियां/आदिवासी/आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े)**

(1) हमारे एनबीजी–झारखण्ड द्वारा ₹0.55 लाख की लागत से मेसर्स गोला बालिका विद्यालय, गोला, झारखण्डल के आर्थिक रूप से पिछड़े छात्राओं को कम्बल दिया गया।

(2) मेसर्स एम फॉर सेवा, मायलापुर के दूरस्थ छात्रालय से आदिवासी तथा गरीब स्कूल और कॉलेज जानेवाले बच्चों /छात्रों की संपूर्ण देखभाल के लिए चेन्नै आंचलिक कार्यालय ने व्येय स्वरूप ₹10.50 लाख वहन किया।

(3) कोयम्बत्तूर ने किताबों के जरिए स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से बच्चों के आध्यात्मिक विकास, निबंध प्रतियोगिता/अन्य कार्यक्रमों के लिए मेसर्स रामकृष्ण मिशन विद्यालय को ₹3 लाख दि।

★ **आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों/अन्यों के लिए प्रौद्योगिकी के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की पहल**

(1) बेहतर शिक्षण तकनीक को आरंभ करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया गया। मुंबई उत्तर आंचलिक कार्यालय के जरिए श्री मोगावीरा व्यवस्थापक मण्डल को इन्टरेक्टिव लर्निंग एवी प्रोजेक्टर, स्क्रीन, पीसी (₹16 लाख में 22 संख्यक) उपलब्ध करवाए गए।

(2) मुंबई उत्तर आंचलिक कार्यालय के जरिए मेसर्स विद्या प्रसारक मण्डल को खासकर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े छात्रों को अच्छी शिक्षा देने हेतु स्कूल भवन के लिए ₹5 लाख का दान किया गया।

(3) जिला नगर पालिका ने प्रत्येक बैंक को 3 स्कूल आबंटित किए थे चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने ई-लर्निंग उपलब्ध करवाने के लिए पानीपत के 3 म्यूनिसिपल/सरकारी स्कूलों को ₹1.38 लाख दान किया।

(4) नवी मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स नामसंकीर्थन जय भारत स्कूल को 10 कम्प्यूटर वाले कम्प्यूटर लैब की स्थापना के लिए ₹1.76 लाख का दान किया जिससे यह सुविधा निम्न आय वर्ग के परिवारों के बच्चों को मिल सके।

(5) मुंबई उत्तर आंचलिक कार्यालय के जरिए ग्रेटर मुंबई एज्यूलकेशन सोसायटी (जीएमईएस) स्कूल को खासकर समाज के निचले स्तर के छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए इंटरेक्टिव एवी उपकरण की खरीद हेतु ₹7.50 लाख दिए गए।

★ **स्कूल जाने वाले बच्चों के खाद्य और पोषण के लिए पहल**

(1) गांधीनगर आंचलिक कार्यालय ने हमारे सीएमडी के जरिए सरकारी सहायता प्राप्त। स्कूालों के स्कूली बच्चों के बीच खाद्य वितरण के लिए गाड़ी खरीदने हेतु मेसर्स अक्षय पात्र को ₹9.75 लाख दान दिए गए।

(2) मुंबई दक्षिण आंचलिक कार्यालय ने सुविधा से वंचित समाज के स्कूली बच्चों को मिड-डे मील देने के लिए मेसर्स इस्कॉन फूड रिलीफ फाउन्डेशन, ताडदेव को ₹4 लाख दान किए।

(3) समाज के सुविधा से वंचित वर्ग के स्कूली बच्चों को मिड डे मील देने के लिए नवी मुंबई अंचल ने मेसर्स प्रेम सेवा महिला मण्डल (कल्याोण) को ₹2.25 लाख दिए।

★ **महिला छात्राओं की सुरक्षा के लिए की गई पहल**

छात्राओं के लिए सुबह तथा देर रात को होस्टल और विश्वविद्यालय परिसर के बीच यातायात के लिए स्टार बस खरीदने हेतु कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने कल्याणी विश्व विद्यालय को ₹12.50 लाख दान दिए।

- **भूतपूर्व सैनिकों के विधवाओं और परिवारों की देखभाल/और सशस्त्र बल का हिस्सा बनने वाले उत्तर-पूर्व के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण में किए गए पहल**

(1) भूतपूर्व सैनिकों के शोकसंतप्त परिवारों के कल्याण की देखभाल करने वाले मेसर्स सैनिक भारती ह्यूमैनिटी फाउन्डैशन को नवी मुंबई आंचलिक कार्यालय के जरिए ₹0.81 लाख दान किया गया।

(2) मेसर्स सैनिक स्कूल, इम्फाल को टीएटी 407 जैसे मारूति पिक-अप वैन की खरीद के लिए गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय द्वारा ₹4 लाख का दान किया गया।

★ **पर्यावरण की देखभाल हेतु की गई पहल**

ग्रामीण क्षेत्रों में ₹950/- प्रति स्टोव की दर से 11000 बायोगैस (धुँआ रहित) स्टोव की खरीद और वितरण हेतु मंजूरी ली गई और सब्सिडी सृजित की गई जिसका कुल मूल्य ₹104.50 लाख है।

★ **प्रशिक्षण तथा कौशल विकास में की गई पहल**

भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय के जरिए गरीबी रेखा से नीचे वाले एससी/एसटी और छात्रों को कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री ऑपरेशन सिखाने के लिए मेसर्स सेन्चुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक मैनेजमेंट को ₹10 लाख का दान दिया गया।

- **बेहतर नियोजन के अवसर/स्वदनियोजन के लिए कौशल विकास के जरिए युवाओं के सशक्तिकरण के लिए की गई पहल**

(1) बीओआई ने स्टार स्वगरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एसएसपीएस) आरसेटी ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरंभ किया है। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे बैंक द्वारा आरसेटी स्थापित की गई है जिससे की वे अपनी व्यावसायिक प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अच्छे उद्यमी के रूप में उभरे और बैंक की हैण्डपहोल्डिंग सहायता के जरिए आर्थिक गतिविधियां आरंभ कर सकें।

(2) भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बीओआई ने उसके अग्रणी जिलों में 43 आरसेटी खोली हैं। आरंभिक अवस्थाद के दौरान हमारे अग्रणी बैंक जिलों में अन्य बैंकों ने सात जगहों में आरसेटी खोली थी। उसी प्रकार हमारे बैंक ने भी 43 आरसेटी में से एक बारासात (पश्चिम बंगाल) में खोली जो हमारे अग्रणी बैंक जिले के बाहर है।

(3) आरसेटीयों के निर्बाध और प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में प्रमुख बाधाएं निम्न प्रकार है (क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थोन (एनआईआरडी) की शर्तों के अनुसार पर्याप्त मानवशक्ति और अन्य संरचनात्मक ढ़ांचे की अनुपलब्धता; (ख) पर्याप्त संकाय और अन्य सहायक स्टाफ की कमी के कारण इन आरसेटीयों में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण सत्र नहीं दे पाना।

(4) उपर्युक्त मदों को सुलझाने के लिए बोर्ड द्वारा संशोधित नीति दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया गया है। नीति में विभिन्न पदों के लिए संशोधित पारिश्रमिक है और आरसेटी समन्वयक का नया पद बनाया गया है।

(5) बैंक ने नैशनल अकादमी ऑफ आरसेटी (एनएआर) बंगलोर के निदेशों के अनुसार आरसेटी के प्रभारी/निदेशकों के लिए हाल ही में 28 फरवरी और 1 मार्च 2014 को एमडीआई बेलापुर में दो दिवसीय कान्लैही मव का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक द्वारा की गई और ग्रामीण विकास मंत्रालय के उप सचिव; मुख्य समन्वयक, एनएआर; महाप्रबंधक (वि.समावेशन) तथा अन्य प्र.का. वित्तीषय समावेशन के अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई। आरसेटीयों के कार्य में सुधार लाने के लिए काफी विचार विमर्श और चर्चाओं के बाद दिशानिर्देश तैयार किए।

★ **अपने वित्त प्रबंधन और क्रेडिट सलाह हेतु लोगों को शिक्षित करने हेतु की गई पहल**

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बीओआई पहला बैंक है जिसने समाज के पिछड़े और अशिक्षित वर्ग को नि:शुल्क क्रेडिट परामर्श सेवा देने के लिए अभय नामक न्यास स्थापित कर सामजिक पहल की। अभय का प्रथम केंद्र भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर डॉ. वाई.वी.रेड्डी के करकमलों से दिनांक 7 सितंबर, 2006 को मुंबई में आरंभ किया गया। अग्रणी बैंक के रूप में अपनी जिम्मे दारी का वहन करते हुए बीओआई के अब 6 अभय केंद्र एवं 54 वित्तीय शिक्षा केंद्र (एफएलसी) हैं। अग्रणी बैंक केरल राज्य के निदेशानुसार, कुल 54 में से निम्नलिखित 3 वित्तीय शिक्षा केंद्र (एफएलसी) वर्तमान वित्तीय वर्ष में अग्रणी जिले के बाहर खोले गए हैं :-

i) कंडश्शांकडवु, जिला तृशूर (केरल अंचल)

ii) परूर, जिला एर्णाकुलम (केरल अंचल)

iii) पुणे, जिला पुणे (पुणे अंचल)

एसएलबीसी कर्नाटक द्वारा बैंक को बेंगलुरू में भी अभय अंतर्गत एफएलसी खोलने के निदेश दिए गए हैं, जो प्रक्रियाधिन है।

निम्नलिखित कार्यों को विस्तृत करने के उद्देश्य से एफएलसी का आरंभ किया गया है :

क) बैंकिंग सहित संरचित वित्तीय व्यवस्था को एक्सेएस करने संबंधी जानकारी द्वारा वित्तीय शिक्षा

ख) वित्तीय परामर्श अर्थात् पुनर्भुगतान भार को वहन करने में संघर्ष कर रहे लोगों को परामर्श देना और ऋण संबंधी समस्या का समाधान करना।

ग) परेशानी में घिरे उधारकर्ताओं को अपने सामान्य दैनंदिन जीवन को पुन:स्थापित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए उनके पुनर्वास में सहायता करना।

घ) समाज के कमजोर वर्ग एवं किसानों के लिए विशेष वित्तीय शिक्षा

ङ) रेडिओ एवं टेलिविज़न पर वार्तालाप

च) परामर्शदाताओं द्वारा अग्रणी समाचारपत्रों में वित्तीय शिक्षा पर आलेख लिखे जाना

छ) साधारण जनता को ऋण चंगुल के भोग बनने से जागरूक बनाने के लिए बैंक वित्तीय साक्षरता एवं शिक्षा पर नि:शुल्क सेमिनारों का आयोजन कर रहा है।

ज) विभिन्नक एनजीओ के माध्यम से ऋण/क्रेडिट कार्ड के उपयोग, इत्योदि से हो रही अतिशय ऋण बाध्यता के जोखिम के बारे में जागरूकता फैलाना।

हमारे मौजूदा एफएलसी से संबंधित विस्तृत जानकारी यथा 31.12.2013

क्र.सं.	विवरण	ब्योरा
i	एफएलसी की कुल संख्या	54
ii	परामर्शदाता (सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी) द्वारा अध्यक्षित (headed)	36
iii	एफएलसी जहां एलडीएम/अन्यत कोई अधिकारी के पास परामर्शदाता का अतिरिक्त कार्यभार है	18
Iv	01.04.2013 से परामर्श दिए गए व्यक्ति	1,38,419
V	आरंभ से परामर्श दिए गए व्यक्ति	2,09,541
vi	प्राप्त अनुदान (22.11.2012 से नाबार्ड द्वारा बंद किया गया)	₹100 लाख

54 एफएलसी में से 35 एफएलसी ने अच्छा कार्यनिष्पादन दिखाया है, किंतु अन्य 19 एफएलसी का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं है।

★ अपेक्षा से कम सफलता के लिए कारणभूत घटक

क) एफएलसी/एफएलसीसी पर स्वतंत्र परामर्शदाताओं की अनुपलब्धता।

ख) योग्य बुनियादी ढांचा एवं परामर्श के लिए योग्य जगह का अभाव।

ग) वॉक-इन ग्राहकों पर निर्भरता।

घ) अपर्याप्त बाह्य (outdoor) प्रवृत्तियों की मुहिम।

ङ) स्थानीय जनता के बीच एफएलसी के अस्तित्व एवं प्रवृत्तियों की सीमित जागरूकता।

च) एफएलसी केंद्रों पर चित्रात्मक एवं ध्यानाकर्षक संदेश वाली शिक्षा सामग्री का अभाव।

छ) वाहन के अभाव से सीमित गतिशिलता, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के आयोजन हेतु नज़दीकी गावों तक न पहुँच जाना।

ज) व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रकटनों की गोपनीयता बनाएं रखने में उनकी हिचकिचाहट।

★ बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए किए गए उपाय

क) प्रधान कार्यालय स्तर पर निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रारंभिक प्रयास

ख) मासिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट प्राप्त करना।

ग) जहाँ एलडीएम अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, वहाँ एफएलसी पर स्वतंत्र परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आंचलिक प्रबंधकों से अनुवर्ती कार्रवाई करना।

घ) 20 आंचलिक कार्यालयों को फर्निचर, विशेष टेलिफोन एवं इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंम्प्यूटर जैसी प्राथमिक आवश्यकताएं प्रदान करने के निदेश देना। दृश्य सामग्री के प्रदर्शन हेतु लैपटॉप प्रोजेक्टर भी उपलब्ध कराना।

ङ) परामर्शदाता को प्रतिवर्ष कम-से-कम 25 बाह्य साक्षरता कार्यक्रम अचूक आयोजित करने के निदेश।

च) स्थानीय कृषि पत्रिकाएं एवं पंचांग कैलेन्डर्स के माध्यम से एफएलसी/एफएलसीसी का प्रचार।

छ) हमारे एफएलसी/एफएलसीसी के बारे में विस्तृत जानकारी पहले से बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित।

ज) सभी एफएलसी/एफएलसीसी को शिक्षा-सामग्री स्थानीय भाषा में भेजी गई है।

झ) स्थानीय मार्केट/मेले/महफिलों में पैम्फलेट वितरित किए गए।

ञ) 18.02.2014 दिनांकित बोर्ड के निदेशानुसार आरएसईटीआई/एफएलसीसी के कार्य की निगरानी करने के लिए सहायक महाप्रबंधक द्वारा अध्यक्षित (headed) वित्तीय समावेशन विभाग, प्र.का. में एक विशेष डेस्क बनाई गई है।

जिस उद्देश्य के लिए एफएलसी का सर्जन किया गया है, उस उद्देश्य को सफल बनाने हेतु एफएलसी/एफएलसीसी/अभय केंद्रों को पूर्णतया कार्यान्वित करने के प्रत्येक प्रयास किए जा रहे हैं।

★ हरित पहल (ग्रीन इनिशिएटीव)

बैंक ग्रीन प्रैक्टिस को बढ़ावा देता है, जैसे : i) अत्यधिक चमकीले लैम्प के स्थान पर सीएफएल लैम्प का उपयोग, ii) वर्षा-जल का संग्रहण iii) सौर-ऊर्जा का उपयोग iv) कागज़ की दोनो तरफ छपाई v) संयुक्त फेक्स मशीन की खरीद जो विविध कार्य कर सके vi) किसी भी पानी के रिसाव की तत्काल मरम्मत vii) जहाँ संभव है वहां लाईट, पंखे, इत्यादि के लिए मास्टर सेंसर/मास्टर स्वीच का प्रयोग।

★ सीएसआर का पालन करने के लिए संस्था/ट्रस्ट का निर्माण

सीएसआर प्रौजेक्ट एवं प्रवृत्तियों के कार्यान्वयन के लिए बीओआई संस्था/ट्रस्ट के उदय का वित्तीय वर्ष 2014-15 साक्षी बनेगा। इस हेतु बीओआई अपने बजट से निधि (फंड) प्रदान करेगा। सीएसआर कार्यान्वयन हेतु बीओओई की संस्था/ट्रस्ट के निर्माण की औपचारिकता पूरी की जा रही है।

Corporate Social Responsibility Report

As organizations' grow and prosper, their role toward the society in which they exist and function enlarges. Organizations are ethically and morally responsible to give back something to the society at large and think of their welfare and betterment. In today's world, corporate that understand this well are rated highly by the stakeholders and general publics. Even the investors and the share market recognize the role played by companies in discharging its Corporate Social Responsibility (CSR) function.

Being a responsible citizen of this country, the Bank is aware of its CSR. It has been undertaking various activities that has had economic social and environmental impact, having a positive bearing on lives of marginalized communities of our great country. This is the first year of reporting after enunciation our Business Responsibility policy as per requirements of SEBI. It is expected that the corporates shall endeavor to percolate the benefits of development to the last citizen, complimenting and supplementing the efforts taken and resources deployed by the Governmental Machinery at Central, State and Local body level.

Bank is in step with the new thought of measuring performance on the basis of economic impact, social impact, and environmental impact in its task of inclusive growth. Team Bank of India believes that it is its foremost duty to contribute towards the lives of various stakeholders like Customers, employees, shareholders, communities and environment in a positive manner through all aspects of its operations, thereby serving the interest of the society at large.

Team BOI has tried to contribute towards the dream of our eminent statesmen of Freedom Movement that every Indian should be free from hunger, malnutrition, and have basic necessities and is entitled to affordable education, healthcare facilities, and equal opportunities in an enabling environment. This should result in reduction of the disparity between the haves and have-nots in a society trying to overcome the various divides of caste, creed, religion, region etc. It was the vision of the Father of the Nation on having self-sufficient villages, emancipating the poor and downtrodden, reduce the inequities in the society and make available the best infrastructural facilities to every Indian for his/her all round development, so that we may succeed as a Nation. Towards this larger goal, Corporates, as major players in the economic development, are also required to share this Social Responsibility, and Bank of India rededicates itself to this worthy cause.

By contributing / participating on a sustainable basis in activities and projects for facilitating the downtrodden, economically and socially weaker sections, tribal people, development of rural infrastructure facilities specially in backward areas, distribution of food, education, providing healthcare, using renewable energy, conservation of water etc, Bank of India is giving back a part of whatever it has received from the environment and society at large.

Some of the CSR initiatives already sanctioned / fully / partially undertaken by our network of zonal offices by providing funds and support are –

- **Use of Alternate/Renewable Energy & making available potable water locally**

For lighting up the lives of Rural and tribal folks in India, our Bank has sanctioned / funded -

- Solar street lighting programme and setting up a network of hand pump sets through an NGO doing such activities, providing 60 Solar street Lamps and 53 Hand pump sets at select points in the notified backward area and one of Bank's Lead district - Barabanki by our Lucknow Zonal Office, amount spent Rs. 33 lakhs.
- Establishment of a 2 KV Solar Plant under Lok Birdhari Prakalp –project of The Maharogi Seva Samiti, a non-profit organization, of the legendary Social Worker & Crusader for eradication of Leprosy and Ramon Magsasay Award winner Shri. Baba Amte, for their family run redeveloped initiative, to take care of healthcare needs of tribals in Naxal-infested tribal areas in the jungles and some 5000 villages in and around Gadchiroli district of Maharashtra, facilitating their staying with the mainstream India.
- 2KV Solar plant Rehabilitation Centre run by M/s. Anandam Trust for Senior Citizens at a cost of Rs. 2.40 lakhs. Our Chennai zonal officials have implemented and monitored the activity.

- **Augmenting potable water availability to drought prone areas and nurturing such villages through-**

Establishment of rain water harvesting mechanism / equipment for agriculture / better provision of drinking water / development of the drought prone area- of Sivaganga district through Kalanjiams or Self Help Group. Our Coimbatore Zonal officials are into project implementation and monitoring utilization of project fund of ₹ 52.25 lakhs through M/s. Dhan Foundation.

- **Health care for the poor, underprivileged rural people in tribal, desert and far flung areas**

Bank has provided for purchase of Ambulances to Hospitals/ Research Institute catering to poor sections of the society rural / desert areas, tribals and others. Bank's -

- Ratnagiri zonal office provided ₹ 8.56 lakhs to M/s Sanstha Sridev Ganpathipule for purchase of Ambulance for catering to the urgent medical needs of the surrounding villages,, whose nearest available medical facility is several kilometres away.
- Karnataka Zonal office provided ₹ 3.30 lakhs to M/s. Christa Sevakee Ashram at Udupi for purchase of Ambulance to ferry old and ailing inmates of the Ashram to the nearest medical hospital several kilometres away.
- Agra Zonal office donated ₹ 8.40 lakhs for purchase of an Ambulance with appropriate fittings by M/s. U.P. Rural Institute of Medical Sciences & Research.

- **Promoting Community programme on Health & making available upgraded Medical facilities to poor, underprivileged, deprived.**

Bank has provided Ultra-modern medical equipment to Family Planning Centres and other rural/urban hospitals /

institutions rendering medical facilities**.**

1. Gandhinagar Zone donated ₹ 9 lakhs to M/s. H.K. Patel Hospital Trust for purchase of Sonography and Blood count machine-to serve poor / under privileged and others.
2. New Delhi Zonal Office donated ₹ 10 lakhs to M/s. Rajdhani Charitable Eye & Medical Centre for purchase of digital X-ray machine.
3. Rajasthan zonal office donated ₹ 25 lakhs for establishment of an Operation Theatre at M/s.Tarabai Desai Eye Hospital & Research Centre affiliated to National Programme to Control Blindness-GOI-irrespective of social disparities at Jodhpur catering to the needs of the far flung desert areas of Thar Desert and also helping others from poor strata of society at nominal cost besides others at regular rates.
4. Nagpur I Zone participated with ₹ 31 lakhs for establishment of Out Patients' Department (OPD) with appropriate facilities at New Hospital Constructed by Lok Biradari Prakalp - of Mhararogi Seva Samiti in Gadchiroli.
5. Pune Zonal office donated ₹ 1 lakh to M/s. Hirabai Cowasji Jehangir Medical Research Institute, for purchase of Peripheral quantitative computed tomography machine for checking quality of bones.
6. Raipur Zonal office provided funds to AIIMS-Raipur-to the extent of ₹ 7.95 lakhs for establishing Cashless smart swipe card facility at the Hospital.
7. Mumbai South Zone donated ₹ 1 lakh to Bombay Medical Foundation for providing free medical facility to poor and needy;
8. Mumbai South Zone also donated ₹ 3 lakhs to Shanmukhananda Fine Arts and Sangeetha Sabha for purchase of Dialysis related equipments for providing affordable medical assistance to the needy.
9. Nagpur I zonal Office gave to M/s Matru Seva Sangh, Mahal ₹ 10 lakhs for the new Maternity & General Hospital for serving mostly the weaker sections of society.
10. Coimbatore Zone for serving the poor and needy donated ₹ 15 lakhs to M/s. Sankara Eye Care Institute.
11. Kolhapur Zonal Office provided ₹ 5 lakhs sanctioned to Shri Siddhi Vinayak Ganapati Cancer Hospital-Mirah, for equipment / setting up a new Operation Theatre (OT).
12. Chennai Zonal Office provided ₹ 3 lakhs for purchase of ultra- modern scan equipments to M/s. Family Planning Association of India.

☆ **Other support equipments like GENSET for patients care** –

1. Our Chennai zone donated ₹ 4.22 lakhs sanctioned to M/s Sri Matha Trust-for purchase of Genset for running equipments to look after cancer patients –palliative care.
2. Nagpur-II Zonal Office put up ₹ 7.32 lakhs for Swami Vivekananda Medical Mission for purchase of Generator for the Hospital to provide un-interrupted service to the poor and needy.

☆ **Initiative for helping the physically handicapped**

1. 25 wheel chairs were donated at a cost of ₹ 1.25 lakhs through M/s Wheelchair Fencing Federation of India – for physically challenged Sports persons by our National banking Group (south) office.
2. 25 Braillers were provided through National Association of Blind, India at a cost of ₹ 8.75 lakhs by our Mumbai South Zone. Chairperson and Managing Director handed over the cheque to the organization at their foundation day function.

☆ **Initiative of caring for Senior Citizens / Destitute / Orphans and Mentally challenged**

1. Our Coimbatore Zonal office donated ₹ 3 lakhs to M/s United Orphanage for disabled for purchase of furniture useful to the homeless and mentally ill.
2. Navi Mumabi Zone & Karnataka zone participated in providing funds of ₹ 10 Lakhs for construction of 5 rooms at Sringeri to the Senior Citizen's Home Foundation-Nerul taking care of old and helpless.
3. GOA zone donated ₹ 2.80 lakhs to Daddy's Home – GOA – for providing home to old, mentally challenged and people with special needs.

☆ **Initiative in Education**

Construction of classrooms for the economically and socially challenged students of the society.

₹ 6 lakhs as Cost of construction of a classroom was provided to Shri Vivekananda Education Institute, Bellary-for class room will cater to SC/ST /poor students.

☆ **Support to less privileged/orphaned / Blind students' requirements.**

1. Mumbai north Zone provided the cost ₹ 2.47 lakhs to M/s. Blind Organisation of India for providing materials of school/ college students curriculum requirements on a sustainable basis to 300 Blind students.
2. Chennai Zonal office has borne the annual salary requirement of 2 faculty of polytechnic for orphaned children. A sum of ₹ 4.07 lakhs given to M/s. Ram Krishna Mission Students' Home – Mylapore.

☆ **Initiative in the care of Students- (Girls / tribals / economically & socially challenged)**

1. Blankets provided to under privileged Girl school children of M/s. Gola Balika Vidyala – Gola, Jharkhand, a cost of ₹ 0.55 lakhs by our NBG –Jharkhand.
2. Chennai zonal office bore expenses of ₹ 10.50 lakhs for overall care of tribal & poor school and college going children / students from distant boarding at M/s AIM for Seva, Mylapore.
3. Coimbatore provided ₹ 3 lakhs to M/s Ramkrishna Mission Vidyalaya effected for children's spiritual development through books of Swami Vivekananda's teachings, essay competition / other programmes.

- **Initiative in Improving quality of education through technology for underprivileged students / others**

  1. Leveraged technology for introduction of better teaching techniques Provided Interactive learning AV projector, screens, PCs (22 no at a ₹ 16 lakhs to Shri Mogaveera Vyavasthapak Mandal and effected through Mumbai North Zonal office,
  2. Donation of ₹ 5 lakhs sanctioned to M/s. Vidya Prasarak Mandal for school building to cater to quality education for students especially from economically and socially challenged effected through Mumbai North Zonal office.
  3. District Municipal corporation allotted 3 schools each to banks - ₹ 1.38 lakhs donated by our Chandigarh Zonal office to 3 Municipal / Govt. schools in Panipat. For providing e-learning.
  4. Navi Mumbai Zonal office donated ₹ 1.76 lakhs to M/s. Namasankeerthana - Jai Bharat school for establishment of Computer lab with 10 computer for facilitating children from low income group families**.**
  5. Greater Mumbai Education Society (GMES) School provided ₹ 7.50 lakhs through Mumbai North zonal Office for purchase of - Interactive AV equipment for providing quality education to students especially from the lower strata of society.

- **Initiative of Food & Nourishment to School going children**

  1. Gandhinagar Zonal office donated ₹ 9.75 lakhs to M/s. Akshaya Patra through our CMD towards purchase price of vehicle for distribution of food to school children in government aided schools.
  2. Mumbai south Zonal office donated Rs.4 lakhs to M/s. ISKON Food Relief Foundation –Tardeo, for providing Mid-day meal to Under- privileged school children.
  3. Navi Mumbai Zone provided ₹ 2.25 lakhs to M/s. Prem Seva Mahila Mandal (Kalyan) for providing Mid-day meal to school children from the underprivileged sections of society.

- **Initiative in Women students safety-**

  Kolkata Zonal office, donated ₹ 12.50 lakhs to Kalyani University, for purchase of a Tata Star bus for transportation of women students between Hostel and University campus at early and late hours.

- **Initiative in taking care of widows and families of ex-servicemen / and students of North East training to be part of the Armed forces**

  1. Donation of ₹ 0.81 lakhs made to M/s Sainik Bharati Humanity Foundation- looking after the welfare of the bereaved families of ex-servicemen through our Navi Mumbai Zonal office.
  2. Donation of ₹ 4 lakhs made to M/s Sainik School, Imphal, for purchase of Tat 407 like Maruti pick up van effected through our Guwahati zonal office.

- **Initiative in taking care of ecology**

  Sanction and Creation of Subsidy for purchase and distribution of 11000 Bio-gas (smokeless) stoves in rural areas @ ₹ 950/-per stove, totalling ₹ 104.50 lakhs.

- **Initiative of Training & Skill development**

  Participation through donation of Rs.10 lakhs made to M/s. Centurion University of Tech Mgt.- computer for teaching Data Entry operation to SC/ST and students from BPL families through Bhubaneshwar Zonal office.

- **Initiative at empowering youth through skill development for availing better employment opportunity/ self employment**

  1. BOI has launched Star Swarojgar Prashikshan Sansthan (SSPS)-RSETI Rural Self Employment Training Institute. RSETIs have been set up by our Bank in terms of guidelines issued by Ministry of Rural Development (MoRD) aimed at imparting training to rural youths, such that they emerge as a good entrepreneur and commence economic activities with Bank's handholding support, upon successful completion of the vocational training.
  2. In terms of GOI guidelines**,** BOI has opened 43 RSETIs in its Lead Districts. During initial stage, RSETIs at seven Locations were opened by other Banks, in our Lead Bank Districts. Likewise, our Bank also opened One RSETI out of 43 RSETIs at Barasat (West Bengal), which is outside our Lead Bank District.
  3. The major impediments in smooth and efficient functioning of the RSETIs have been the (a) unavailability of adequate manpower and other infrastructure in terms of National Institute of Rural Development (NIRD) guidelines; (b) not imparting required number of training sessions by these RSETIs, for want of adequate faculty and other support staff at their end.
  4. Revised policy guidelines has been approved by the Board, to address the above issues. Policy has revised remuneration for various posts and created a new supervisory post namely "RSETI Coordinator".
  5. Bank organized two days Conclave for RSETI's In-charge / Directors recently on 28th February & 1st March 2014 at MDI Belapur, in terms of directives of National Academy of RUDSETI (NAR), Bangalore. It was presided over by our Executive Director and duly attended by Deputy Secretary, MoRD; Chief Coordinator, NAR; General Manager (FI) and other H.O. FI officials. Threadbare discussions and deliberations resulted in Guidelines being paving the way for improved functioning of RSETIs.

- **Initiative to Educate people in managing their Finance and Credit Counselling:**

  BOI is first among PSBs to introduce a social initiative by establishing a trust named ABHAY-for offering free credit counseling services to the underprivileged and illiterate sections of the society. The first centre under ABHAY was opened at Mumbai at the hands of Dr Y.V. Reddy, the

then Governor, RBI on 7th September,2006. BOI now has 5 ABHAY Centers and 54 Financial Literacy Centers (FLC) discharging its lead bank responsibility. Out of 54 FLCs, following three FLCs have been opened, outside lead district in current financial, as per the directives of Lead Bank, Kerala State:-

- Kandassankadavu, District –Thissur (Kerala Zone)
- Parur, District Ernakulum, (Kerala Zone)
- Pune , District-Pune, (Pune Zone).

Bank has been directed by SLBC Karnataka to open an FLC at Bangalore too under the aegis of ABHAY, which is under the process. FLCs have been opened with an aim to extend following functions:

- Financial literacy by advising on gaining access to structured financial system including Banking
- Financial counseling i.e Counseling people who are struggling to meet repayment obligations and helping in debt resolution.
- Helping in rehabilitation of borrowers in distress to enable them re-establish normal day to day life,
- Separate financial literacy amongst farmers and weaker sections of the society,
- Talk on Radio and Television.
- Articles on financial literacy in leading newspapers by the counselors
- The Bank also conducts seminars on financial literacy and education at free of cost to awaken the common public from becoming a victim to the debt trap.
- Spread awareness on the dangers of excessive indebtedness through loans/usage of credit cards etc. through various NGOs.

Detailed information regarding our existing FLCs as under:

Sl. No	Description	Details
i	Total No. of FLCs	54
ii	FLCs Headed by Counsellors (Retired Bank employees)	36
iii	FLCs where LDM / Any other Officer is holding additional charge of Counsellor	18
iv	No of persons counselled since 01.04.2013	1,38,419
v	No of person counselled since inception	2,09,541
vi	Grant received (Stopped by NABARD since 22.11.2012)	₹ 100 Lacs

★ **Constraints faced resulting in under performance**

a) Non availability of independent counselors at FLCs/ FLCCs.

b) Lack of proper infrastructure and proper space for counseling.

c) Dependence on walk in clients.

d) Inadequate outdoor activity drives.

e) Limited awareness of existence and activities of the FLC among the local population.

f) Non availability of literacy materials with pictorials and eye catching messages at the FLC centers.

g) Mobility restrictions, due to non-availability of vehicle to visit nearby villages to conduct Financial literacy seminars.

h) Hesitancy on the part of the individuals as regards the confidentiality of the disclosures made by them.

★ **Measures taken for improved performance**

a) Stepping up of monitoring and follow up at Head Office.

b) Obtaining Monthly performance report.

c) Follow up with Zonal Managers to appoint independent counselors at FLCs where LDM s are holding additional charge.

d) Instructions to 20 zonal offices for providing basic infrastructure like furniture, separate telephone and computer with internet connection. Also laptop projectors for display of visuals.

e) Instructions to Counselors to invariably conduct atleast 25 outdoor literacy drive per annum.

f) Publicity of FLCs/FLCCs done through local Agri-magazines and Panchang Calendars.

g) Detailed information about our FLCs/FLCCs already being displayed on Bank's website.

h) Literacy materials have been sent in the local language to all FLCs/FLCCs.

i) Pamphlets distributed at local markets/ Melas / Gatherings.

j) A separate desk is being created at FI Dept. HO, headed by Astt. General Manager to monitor the functioning of RSETI /FLCC as per Board directive dated 18.02.2014.

Every effort is made to make FLCs / FLCCs / ABHAY centers fully functional, so as to serve the purpose for which these FLCs have been established.

★ **Green Initiatives**

Bank is encouraging '' Green Practices'' such as: i) Using CFL Lamps instead of incandescent lamps ii) Rain water harvesting iii) Use of solar energy iv) Printing on both sides of paper v) Purchasing composite fax machines which can perform multiple functions vi) Immediate repair of any water leakage vii) Use of Master sensors/master switches for lights, fans etc. wherever possible.

★ **Setting up a Foundation/Trust for carrying out CSR**

Financial Year 2014-15 will see the emergence of a BOI Foundation/Trust for undertaking CSR projects and activities. BOI will provide funds for the same out of its Budget. Formalities are being completed for setting up of a Foundation/Trust of BOI for carrying on the CSR.

कारोबार उत्तयरदायित्व रिपोर्ट 2013–14
(सूचीबद्ध करार का क्लॉज 55)

बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रस्तुत बैंक है जो मुख्य बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा समाज के विभिन्न श्रेणी – एकल रिटेल ग्राहक कार्पोरेट, कृषि तथा सेवा क्षेत्र और आर्थिक रूप से पिछड़े / सुविधाहीन लेकिन सामाजिक रूप से मुख्य ग्राहकों को सेवा देते है। बैंक का विगत दशकों में वृद्धि, लाभप्रदता और आय वितरण वा निरन्तर ट्रैक रिकार्ड है, बैंक की कोर बैंकिंग तथा सम्बद्ध सेवाएं 4646 शाखाओं, 5 महाद्विपों में फैले 56 विदेशी केन्द्रों और पूरे देश के 4375 एटीएमों जरिए दी जा रही है।

बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति बहुत मजबूत है और सभी प्रमुख वित्तीय केन्द्रों जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोकयो, सिंगापुर और हांगकांग में सेवाएं दे रहा है यथा 31 मार्च 2014 को बैंक के 5 प्रतिनिधि कार्यालयों, 5 अनुषंगियों, 1 संयुक्त उद्यम सहित 56 विदेशी केन्द्रों का नेटवर्क है। बैंक ग्रामीण क्षेत्र में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत है और इस संबंध में 4 (चार) ग्रामीण क्षेत्रीय बैंको (आरआरबी) को प्रायोजित कर रहा है। सभी आरआरबी का 1524 आउटलेट का शाखा नेटवर्क है जिसका ₹ 30,891.30 करोड़ का कारोबार मिश्र है और सभी लाभ अर्जित कर रहे हैं।

बैंक मुख्य रूप से ग्राहकों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं दे रहा है और बैंक की अधिकतर उत्पाद और सेवाएं जमा, अग्रिम, तृतीय पक्ष उत्पाद, फॉरेक्स और कोषागार से संबंधित है। प्रौद्योगिक को अपनाना और समायानुसार व्यय करना सकारात्मक मद है जिसने सभी क्षेत्र में वृद्धि और दक्षता को बढाया है। बैंक की सभी शाखाएं कम्प्यूटरीकृत हैं और बैंक का 100% कारोबार कोर बैंकिंग सोल्यूशन के तहत है।

भाग ए : कंपनी के संबंध में सामान्य जानकारी

1.	कंपनी की कार्पोरेट आइडेन्टिटी	:	लागू नहीं
2.	कंपनी का नाम	:	बैंक ऑफ़ इंडिया
3.	पंजीकृत पता	:	स्टार हाउस, सी–5, 'जी' ब्लाक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
4.	वेबसाइट		www.bankofindia.co.in
5.	ई मेल आईडी		Headoffice.god@bankofindia.co.in
6.	रिपोर्ट की गई वित्तीय वर्ष	:	2013–14
7.	कंपनी जिन क्षेत्र(त्रों) में कार्यरत है	:	बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं (कोडवार औद्योगिक गतिविधि)
8.	कंपनी द्वारा निर्मित/मुहया करवाए	:	बैंक अपने ग्राहकों को कई प्रकार के उत्पााद और सेवाएं मुहया करवा रहा है, इस प्रकार उनकी विभिन्न आवश्यकताओं और उम्मीदों को पूरा कर रहा है। बैंक द्वारा दिए जा रहे कुछ मुख्य उत्पाद हैं: जमाराशि, अग्रिम, तृतीय पक्ष उत्पाद, फॉरेक्स, कोषागार
9.	कुल स्थानों की संख्या जहाँ कंपनी द्वारा कारोबार गतिविधि की जाती है	:	
	i) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या		बैंक सभी प्रमुख वित्तीय केन्द्रों जैसे लंदन, न्यूयार्क, पेरिस, टोकयो, सिंगापुर तथा हांगकांग में सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। यथा 31.03.2014, 5 महाद्विपों और 22 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए बैंक की 56 विदेशी कार्यालयों का नेटवर्क है जिसमें 5 प्रतिनिधि कार्यालय, 5 अनुषंगियां तथा 1 संयुक्त उद्यम शामिल है।

Business Responsibility Report 2013-14
(Clause 55 of Listing Agreement)

Bank of India (BOI), is one of the premier public sector bank in India, fulfilling a vital, banking need, catering to various sections of the society – individual retail customers, corporates, agriculture & services sectors, and the economically backward/under-privileged but socially relevant customers across the country. The Bank has an uninterrupted track record of growth, profitability and income distributions spanning over several decades. The Bank's Core Banking and allied services are provided through a network of 4,646 branches, 56 overseas centres across five continents and 4375 ATMs across the country.

The Bank has a strong international presence and provides services in all the major financial centres such as London, New York, Paris, Tokyo, Singapore and Hong Kong. It has a network of 56 foreign offices which includes 5 Representative Offices, 5 Subsidiaries 1 Joint Venture as on March 31, 2014. BOI is fully conscious of its responsibility to the rural sector and in this regard has sponsored 4 (four) Regional Rural Banks (RRBs). All RRBs taken together have a branch network of 1,524 outlets, have garnered a business mix of ₹ 30,891.30 crores and are profit making.

The Bank is primarily engaged in providing Banking and Financial services to its customers and majority of the Bank's products and services fall under Deposits, Advances, Third Party Products, Forex and Treasury. Technology adoption and spending in a timely manner is one of the plus points and has enabled growth & efficiency across regions. All the Bank's branches are computerized and 100 per cent of the business of the Bank is under Core Banking Solution.

Other useful information about the Bank is:

Section A: General Information about the Company

1.	Number (CIN) of the Company		Not Applicable
2.	Name of the Company	:	BANK OF INDIA
3.	Registered address	:	Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400 051
4.	Website		www.bankofindia.co.in
5.	E-mail id		Headoffice.god@bankofindia.co.in
6.	Financial Year reported	:	2013-14
7.	Sector(s) that the	:	Banking & Financial Services Company is engaged in (industrial activity code-wise)
8.	List three key products/services that : The company manufactures / provides (as in balance sheet)	:	The Bank provides a wide range of products and services to its customers, thereby serving various needs and aspirations. Some of the key products offered are Deposits, Advances, Third Party Products, Forex, Treasury.
9.	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company	:	
	i. Number of International Locations : (Provide details of major 5)		The Bank provides services in all the major financial centres such as London, New York, Paris, Tokyo, Singapore and Hong Kong. With a presence across 5 continents and 22 countries as on 31.03.2014, Bank has a network of 56 foreign offices which includes 5 Representative Offices, 5 Subsidiaries and 1 Joint Venture.

	ii) देशीय स्थानों की संख्या	:	यथा 31.03.2014 भारत में बैंक की 4646 शाखाएं हैं और भौगोलिक रूप से काफी फैली हुई हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने 358 नई शाखाएं खोली जिसमें 5 विस्तार पटल शामिल है जिन्हें पूर्णत: शाखाओं में परिवर्तित किया गया।
10.	कंपनी द्वारा सर्व किए जा रहे बाजार	:	राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय

भाग बी : कंपनी का वित्तीय ब्यौरा

1.	प्रदत पूंजी (भारतीय रुपए)	:	₹ 643 करोड़
2.	कुल टर्नओवर (भारतीय रुपए)	:	₹ 42220 करोड़
3.	कर पश्चात कुल लाभ (भारतीय रुपए)	:	₹ 2729 करोड़
4.	कर पश्चात लाभ के प्रतिशत (%) के रुप में कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पर कुल व्यय	:	जैसे जैसे किसी संस्था की वृद्धि और उन्नति होती है वह जिस समाज में कार्यरत है उसके प्रति भूमिका बढ़ती जाती है। संस्थाओं का नैतिक दायित्व है कि वे समाज को बेहतर बनाने और उसके कल्याण के लिए कुछ करे। आज की दुनिया में जो कार्पोरेट इसे अच्छी तरह से समझते हैं उन्हें शेयरधारक और आम जनता द्वारा उच्च श्रेणी का माना जाता है। यहां तक की निवेशक और शेयर मार्केट भी कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्पोरेट सामजिक दायित्व (सीएसआर) के कार्यों को मान्यता देते हैं। इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बैंक अपने सीएसआर के प्रति जागरूक है। बैंक ऐसी विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहा है जिसका आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और हमारे इस महान देश के सीमांत समुदाय के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। सेबी की आवश्यकताओं के अनुसार कारोबार उत्तरदायित्व नीति को निरूपित करने के बाद यह रिपोर्टिंग का दूसरा वर्ष है। यह अपेक्षा की जाती है कि कॉर्पोरेट विकास के लाभ को शेष नागरिक तक पहुंचाने का उद्यम लेगा और केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर के निकायों के सरकारी तंत्र द्वारा किए जा रहे प्रयास और लगाए गए संसाधनों का पूरक होगा। वित्तीय वर्ष 14 के दौरान सीएसआर गतिविधियों में ₹ 7.83 करोड़ खर्च किए गए। यह कर पश्चात लाभ का 0.29% है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में सीएसआर परियोजनाओं और गतिविधियों को पूरा करने के लिए बीओआई फाउन्डेशन/ट्रस्ट बनाया जाएगा। बीओआई अपनी बजट में इसके लिए निधि उपलब्ध करवाएगा। सीएसआर कार्यों को करने के लिए फाउन्डेशन/ट्रस्ट की स्थापना हेतु औपचारिकताएं पूरी की जा रही है।

	ii. Number of National		The Bank had 4646 branches in India as on 31.03.2014 and is geographically well spread. During the year 2013-14, Bank opened 358 new branches including 5 Extension Counters converted into full-fledged branches.
10.	Markets served by the Company	:	National and International

Section B: Financial Details of the Company

1.	Paid up Capital (INR)	:	₹ 643 Crore
2.	Total Turnover (INR)	:	₹ 42220 Crore
3.	Total profit after taxes (INR)	:	₹ 2729 Crore
4.	Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage (% of Net Profit) of profit after tax (%)	:	As organizations' grow and prosper, their role toward the society in which they exist and function enlarges. Organizations are ethically and morally responsible to give back something to the society at large and think of their welfare and betterment. In today's world, corporates that understand this well are rated highly by the stakeholders and general publics. Even the investors and the share market recognize the role played by companies in discharging its Corporate Social Responsibility (CSR) function. Being a responsible citizen of this country, the Bank is aware of its CSR. It has been undertaking various activities that has had economic social and environmental impact, having a positive bearing on lives of marginalized communities of our great country. This is the second year of reporting after enunciated our Business Responsibility policy as per requirements of SEBI. It is expected that the corporates shall endeavor to percolate the benefits of development to the last citizen, complimenting and supplementing the efforts taken and resources deployed by the Governmental Machinery at Central, State and Local body level. During FY'14 the total spending on CSR activities was ₹ 7.83 Crores. This constituted 0.29% of Profit After Tax profit after tax. Financial Year 2014-15 will see the emergence of a BOI Foundation/Trust for undertaking CSR projects and activities. BOI will provide funds for the same out of its Budget. Formalities are being completed for setting up of a Foundation/Trust of BOI for carrying on the CSR.

5. उपर्युक्त 4 के गतिविधियों की सूची जिनमें व्यय किए गए

ए. वैकल्पिक/नवीकरणीय उर्जा
बी. पीने योग्य पानी
सी. स्वास्थ्य
डी. चिकित्सा सुविधा
ई. शारीरिक रूप से अक्षम की सहायता
एफ. वरिष्ठ नागरिकों/अभावग्रस्तों की सहायता
जी. शिक्षा
एच. खाद्य तथा पोषण
आई. महिलाओं की सुरक्षा
जे. सेवानिवृत्त लोगों के परिवार की सहायता
के. पर्यावरण
एल. प्रशिक्षण और कौशल विकास
एफ. हरित पहल

भाग सी : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी का कोई अनुषंगी कंपनी/ कंपनियां है?
   बैंक की कई अनुषंगियां और कंपनियां है जो निम्नानुसार है:
   ए. पी टी बैंक ऑफ इंडिया (इंडोनेशिया), टीबीके
   बी. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि.
   सी. बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि.
   डी. बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.
   ई. बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. (बीओआईएसएल)
   एफ. बीओआई अक्सा इंवेस्टमेंट मैनजर्स प्रा.लि.
   जी. बीओआई अक्सा ट्रस्टीशिप सर्विसेज प्रा. लि.
2. क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी के कारोबार जिम्मेदारी (बीआर) पहलों में सहभागिता करती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी अनुषंगी कंपनियों की संख्या स्पष्ट करें। : नहीं
3. कंपनी जिन संस्था/संस्थाओं (आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) के साथ कारोबार करता है, वे कंपनी की कारोबार जिम्मेदारी (बीआर) की पहलों में सहभागिता करते हैं? यदि हाँ, तो ऐसी संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत स्पष्ट करें? (30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक) : नहीं

भाग डी : कारोबार जिम्मेदारी की जानकारी

1. कारोबार जिम्मेदारी (बीआर) के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा

क) कारोबार जिम्मेदारी (बीआर) नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा

- डीआईएन नम्बर :
- नाम : लागू नहीं
- पदनाम :

ख) कारोबार जिम्मेदारी (बीआर) प्रमुख का ब्यौरा

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	डीआईएन नम्बर (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	सुभाष चंद्र अरोड़ा
3.	पदनाम	महाप्रबंधक
4.	टेलीफोन नम्बर	022-66684444
5.	ई-मेल आईडी	headoffice.god@bankofindia.co.in

5. List of activities in which expenditure in **4 above** has been incurred:-

a Alternate/Renewable Energy
b Potable Water
c Healthcare
d Medical Facilities
e Helping Physically Handicapped
f Helping Senior Citizens / Destitutes
g Education
h Food & Nourishment
i Women Safety
j Supporting Families of Ex-Servicemen
k Environment
l Training & Skills Development
m Green Initiatives

Section C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?
   The Bank has many subsidiaries and Companies as under
   a. PT. Bank of India (Indonesia) Tbk
   b. Bank of India (Tanzania) Ltd.
   c. Bank of India (New Zealand) Ltd.
   d. Bank of India (Botswana) Ltd.
   e. BOI Shareholding Ltd. (BOISL)
   f. BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd.
   g. BOI AXA Trusteeship Services Pvt. Ltd.
2. Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s) : No
3. Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%] : No

Section D: BR Information

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a) Details of the Director/Director responsible for implementation of the BR policy/policies

- DIN Number :
- Name : N.A
- Designation :

b) Details of the BR head

S. No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	N.A
2.	Name	Subhash C. Arora
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	022-66684444
5.	e-mail id	headoffice.god@bankofindia.co.in

2 सिद्धांत वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (हाँ/नहीं में उत्तर दें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	क्यां आपके पास सिद्धांतों के लिए नीति/नीतियां हैं	हाँ								
2.	क्यां संबंधित शेयरधारक के साथ विचार-विमर्श करके नीति बनाई गई है?	हाँ								
3.	क्यां नीति राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप है? यदि हां, स्पष्ट करें?(50 शब्दों में)	बैंक के स्थायी विकास और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की नीति कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कारोबार के सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक जिम्मेदारियों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों पर आधारित है।								
4.	क्यां नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है? यदि हाँ, क्यां यह एमडी/मालिक/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हाँ								
5.	क्यां नीति के कार्यान्वयन की देखभाल करने के लिए कंपनी में बोर्ड/निदेशक/अधिकारियों की विशिष्ट समिति है?	हाँ								
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएं?	www.bankofindia.co.in								
7.	सभी संबंधित आंतरिक तथा बाहरी शेयरधारकों को नीति के संबंध में औपचारिक सूचना दी गई है?	हाँ								
8.	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए आंतरिक ढांचा है?	हॉ								
9.	क्या कंपनी में शेयरधारकों की नीति/नीतियों से संबंधित शिकायतों की देखभाल करने हेतु संबंधित नीति/नितियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हाँ								
10.	क्या कंपनी द्वारा इस नीति के कार्य का आंतरिक अथवा बाहरी एजेन्सी द्वारा स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाया गया है?	हॉ								

2क. यदि क्र. सं 1 के किसी सिद्धांत का उत्तर नहीं है तो कृपया स्पष्ट करें, क्यों? (2 विकल्प तक सही का निशान लगाएं)

क्र. सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	कंपनी ने सिद्धांतों को नही समझा है	नहीं								
2.	कंपनी उस स्र पर नहीं है जहाँ वह निर्दिष्टक सिद्धांतों पर नीतियां बनाने तथा क्रियान्वित करने की स्थिति में हो	नहीं								

2. **Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)**

S. No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	Do you have a policy/policies for principle/s	Yes								
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Yes								
3.	Does the policy conform to any national /international standards? If yes, specify? (50 words)	Yes The Bank's Sustainable Development and Corporate Social Responsibility policy is based on National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business as released by Ministry of Corporate Affairs, Government of India.								
4.	Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/owner/CEO/appropriate Board Director?	Yes								
5.	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?	Yes								
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	www.bankofindia.co.in								
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal internal and external stakeholders?	Yes								
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies.	Yes								
9.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Yes								
10.	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	Yes								

2a. **If answer to S. No. 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)**

S. No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	The company has not understood the Principles	No								
2.	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles	No								

3.	कंपनी के पास कार्य हेतु वित्तीय अथवा श्रम शक्ति संसाधन उपलब्धक नहीं है	नहीं
4.	अगले छह महीने के अंदर यह करने की योजना है	हां
5.	अगले एक वर्ष के अंदर यह करने की योजना है	
6.	अन्य कोई कारण (कृपया स्पष्ट करें)	

3. कारोबार जिम्मेदारी (बीआर) से संबंधित शासन प्रणाली

बैंक की शासन प्रणाली का सिद्धांत, शेयरधारक के मूल्य को बढ़ाते हुए उनके कारोबार को करने में नैतिकता का पालन करने के लिए संपूर्ण प्रतिबद्धता पर बना हुआ है। बोर्ड, कार्यपालकों तथा अन्य पदाधिकारियों के बीच अंत:संपर्क इस तरह से बनाया गया है ताकि उनकी भूमिका स्पष्टत: पृथक हो और कार्पोरेट कार्यनिष्पादन में सुधार लाए। बैंक उच्च प्रकटन मानकों के पालन और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के अनुसार बैंक ने बोर्ड की विभिन्न समितियां गठित की है ताकि कारोबार के सभी पक्षों की निगरानी की जा सके।

- निदेशक मण्डल, बोर्ड की समिति अथवा बार सीईओं द्वारा बीआर निष्पादन का मूल्यांकन कितने अंतराल पर किया जाता है। 3 महीने के अंदर, 3-6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक : वर्ष के दौरान समिति ने 1 से अधिक बैठकें की।
- क्या कंपनी बीआर अथवा एक निरंतरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हायपरलिंक क्या है? कितने अंतराल में यह प्रकाशित की जाती है? : बैंक बीआर अथवा निरंतरता रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करती है।

भाग ई: सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1

1. क्या नीतिशास्त्र, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? : कार्पोरेट शासन प्रणाली बैंक का आधारभूत हिस्सा है और अच्छे प्रबंधन में इसकी भूमिका को पूर्णत: समझता है। बैंक की उत्तरदायित्व नीति नैतिकता, घूसखोरी, भ्रष्टाचार और संबंधित मदों को कवर करता है। समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओं और अन्य पर भी इसका विस्तार है।

   क्या यह समूह/संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओ/ अन्य पर विस्तारित है? :

2. विगत वित्तीय वर्ष में शेयरधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से निवारण का प्रतिशत क्या है? यदि

क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	:	12
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	:	3565
ग)	वर्ष के दौरान कितनी शिकायतों का निवारण किया गया	:	3513
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	:	64
	निपटाई गयी शिकायतों का %	:	98.21%

सिद्धांत 2

1. आप के 3 ऐसे उत्पादों अथवा सेवाओं की सूची बनाएं जिनमें सामाजिक अथवा पर्यावरण चिंताओ, जोखिमो अथवा अवसरो को शामिल किया गया है।

i **स्वसहायता समूह :** बैंक कई स्वठ-सहायता समूहों को कौशल प्रशिक्षण, व्यातवसायिक मार्गदर्शन और वित्तीसय सहायता के जरिए स्व -रोजगार सृजन में सहायता दे रहा है।

3.	The company does not have financial or manpower resources available for the task	N.A.
4.	It is planned to be done within next 6 months	N.A.
5.	It is planned to be done within the next 1 year	
6.	Any other reason (please specify)	

3. Governance related to BR

The Bank's governance philosophy is woven around its total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while striving to enhance shareholders' value. The interrelation between the Board, the executives and other functionaries is so configured as to have distinctly demarcated roles and improved corporate performance. The Bank is also committed to following high disclosure standards and transparency. In line with the best practices, the Bank has formed various committees of the Board to monitor every aspect of business.

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3, months, 3-6 months, Annually, More than 1 year : The Committee met More than 1 times during the year.
- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? : The Bank does not publish a BR or a Sustainibility Report

  How frequently it is published?

Section E: Principle-wise performance

Principle 1

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only : Corporate Governance is an integral part of the Bank and it fully understands its role in good management. The Bank's accountability policy covers ethics, bribery, corruption and related issues. It extends to Group/ Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs and Others.

   Does it extend to the Group/ Joint Ventures/Suppliers/ Contractors/ NGOs/Others? :

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? *If*

a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	:	12
b)	No. of complaints received during the year	:	3565
c)	No. of complaints redressed during the year	:	3513
d)	No. of complaints pending at the end of the year	:	64
	% of complaints resolved.	:	98.21%

Principle 2

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.

i. **Self-help groups :** The Bank supports several self-help groups in generating self-employment through skills training, vocational guidance and financial support.

ii **स्वरोजगार विकास संस्थान (आरसेटि) : बीओआई ने स्टाहर स्व्रोजगार प्रशिक्षण संस्थायन (एसएसपीएस) – आरसेटी आरंभ किया है।** ग्रामीण स्वय-रोजगार प्रशिक्षण संस्था न। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्दे शों के अनुसार हमारे बैंक द्वारा आरसेटि की स्थापना की गई है और इसका उद्देश्य ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देना है ताकि व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बैंक की सहायता से अच्छे उद्यमी बन सके और आर्थिक गतिविधियां आरंभ कर सके। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बीओआई ने अपने अग्रणी जिलों में 43 आरसेटियां खोली है। आरंभिक समय के दौरान हमारे अग्रणी जिलों में सात जगहों में अन्य बैंकों द्वारा खोली गई थी। उसी प्रकार हमारे बैंक ने 43 आरसेटियों में से एक आरसेटि बारासात (पश्चिम बंगाल) में खोली है जो हमारा अग्रणी बैंक का ज़िला नहीं है।

iii **वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट परामर्श केन्द्र (अभय) :** पीएसबी में से हमारा बैंक प्रथम है जिसने सामाजिक पहल करते हुए समाज के सुविधा से वंचित और अनपढ़ श्रेणी के लोगों को नि:शुल्क क्रेडिट परामर्श सेवाएं देने के लिए अभय नामक ट्रस्ट आरंभ किया है। अभय का पहला केन्द्र 7 सितंबर, 2006 में उस समय के आरबीआई गर्वनर डा. वाई.वी.रेड्डी के हाथों से मुंबई में उद्घाटन करवाया गया। बीओआई के अब 6 अभय केन्द्र और 54 वित्तीलय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) हैं जो अग्रणी बैंक के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।

2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के संबंध में उत्पाद की प्रति इकाई के लिए (वैकल्पिक) उपयोग किए गए संसाधन (ऊर्जा, पानी, कच्चे माल आदि) के बारे में निम्नलिखित ब्यौरा दें:

   i. वैल्यू चैन के शुरु से अंत तक विगत वर्ष से सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान हुई कमी? : लागू नहीं

   ii. विगत वर्ष की तुलना में ग्राहकों द्वारा उपयोग (ऊर्जा, पानी) के दौरान हुई कमी ? : लागू नहीं

3. स्थायी सोर्सिंग के लिए कंपनी के पास कार्यविधि है (ढुलाई सहित)

   i. यदि हाँ तो, आपके इनपुट का कितना प्रतिशत स्थायी रुप से सोर्स किया गया? : लागू नहीं

शाखाओं द्वारा प्रयोग की लगभग सभी वस्तुएं स्थानीय रूप से ली जाती हैं। सभी सेवा शाखाओं के बीच वितरण के लिए पारदर्शी बोली प्रक्रिया के सोर्स के जरिए से थोक में खरीदी जाती है।

4. क्या कंपनी उनके कार्यक्षेत्र के आसपास के समूह सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से सामान और सेवाएं लेने हेतु कोई कदम उठाते हैं?

   यदि हाँ तो, स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता को सुधारने के लिए क्या कदम उठाएं गए हैं?

   हाँ, जहाँ तक संभव है लागत को घटाने के लिए सबसे नजदीकी बिन्दु से सोर्सिंग की जाती है।

5. क्या कंपनी के पास उत्पाद और अवशिष्ट को रीसाइकल करने की प्रक्रिया है? यदि हाँ तो उत्पाद और अवशिष्ट का कितना प्रतिशत रीसाइकल किया जाता है (पृथक रुप में 5%, 5-10%, 10%). करीब 50 शब्दों में इसका ब्यौरा दें।

≤ 5%

सिद्धांत 3

1.	कुल कर्मचारियों की संख्या सूचित करें :	**31-03-2014 के अनुसार बैंक में कुल 43150 कर्मचारी हैं।**
2.	अस्थायी/ठेके पर/आकस्मिक आधार पर लिए गए कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं :	**यह अंदाजित 460 हैं।**
3.	कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं :	**बैंक में 9196 महिला कर्मचारी हैं।**

ii **Swarojgar Vikas Sansthan (RSETI) : BOI has launched Star Swarojgar Prashikshan Sansthan(SSPS)-RSETI :** Rural Self Employment Training Institute. RSETIs have been set up by our Bank in terms of guidelines issued by Ministry of Rural Development (MoRD) aimed at imparting training to rural youths, such that they emerge as a good entrepreneur and commence economic activities with Bank's handholding support, upon successful completion of the vocational training. In terms of GOI guidelines, BOI has opened 43 RSETIs in its Lead Districts. During initial stage, RSETIs at seven Locations were opened by other Banks, in our Lead Bank Districts. Likewise, our Bank also opened One RSETI out of 43 RSETIs at Barasat (West Bengal), which is outside our Lead Bank District.

iii **Financial Literacy & Credit counseling centre (Abhay):** BOI is first among PSBs to introduce a social initiative by establishing a trust named ABHAY-for offering free credit counseling services to the underprivileged and illiterate sections of the society. The first centre under ABHAY was opened at Mumbai at the hands of Dr Y.V. Reddy, the then Governor, RBI on 7th September,2006. BOI now has 6 ABHAY Centers and 54 Financial Literacy Centers (FLC) discharging its lead bank responsibility.

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional):

   i. Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? : N.A

   ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year? : N.A

3. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?

   i. If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? : N.A

Almost all items of use are sourced locally by branches. Bulk Purchase for distribution among all service branches are sourced through bidding transparent process

4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

Yes, as far as possible, sourcing done from nearest point to reduce costs.

4. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

≤ **5%**

Principle 3

1.	Please indicate the Total number of employees. :	**The Bank had a total of 43150 employees as on 31-03-2014.**
2.	Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/ casual basis. :	**This were approximately around approx. 460**
3.	Please indicate the Number of permanent women employees. :	**Bank has 9196 women employees.**

4. कृपया विकलांगता सहित स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं : **बैंक में 719 विकलांग कर्मचारी हैं।**

5. क्या आपके यहाँ कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन की मान्यता प्राप्त है : **हाँ**

6. कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी इन मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं : **लगभग 100%**

7. विगत वित्तीय वर्ष के दौरान बाल-श्रम, बेगारी, अनिच्छुक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या बताएं

क्र. सं.	वर्ग	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रम/बेगारी/ अनिच्छुक श्रम	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	यौन उत्पीड़न	कोई नहीं	कोई नहीं
3.	पक्षपाती नियोजन	कोई नहीं	कोई नहीं

8. विगत वर्ष में निम्ननलिखित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?

- स्थायी कर्मचारी : 32710 (76%)
- स्थायी महिला कर्मचारी : 8818 (96%)
- आकस्मिक/अस्थायी/ठेके के कर्मचारी : 258 (56%)
- अपंगता वाले कर्मचारी : 369 (51%)

सिद्धांत 4

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य शेयरधारकों के लिए योजना बनाई है? : बैंक ने अपने आंतरिक और बाह्य शेयरधारकों के लिए स्पष्ट योजना बनाई है। शेयरधारकों की श्रेणी में सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थायएं, बीमा कंपनियां, म्युचुअल फंड, बैंक तथा रिटेल (व्यक्तिगत) शामिल है। ग्राहकों को बृहत कार्पोरेट, मिड कार्पोरेट, लघु तथा मध्यम संस्थाएं तथा रिटेल ग्राहकों में इस समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शाखाएं बनाई है। - इसके अतिरिक्त सीएमआर गतिविधियां विभिन्न समूहों तक पहुंच रही है जहां बैंक की उपस्थिति है। आंतरिक शेयरधारक, बैंक के कर्मचारियों की देखभाल मानव संसाधन विभाग द्वारा की जाती है।

2 उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने सुविधाहीन, संवेदनशील और सीमांत शेयरधारकों को चिन्हित किया है : जी हां, बैंक आर्थिक ग्राहकों, छोटे किसानों, और उद्योगपतियों, महिला समूहों, आदिवासी जनसंख्या आदि को माइक्रो फिनैन्स, छोटे ऋण, विशेष ऋण योजनाओं के तहत ऋण जैसे किसान क्रेडिट कार्ड आदि देते हैं।

3 क्या सुविधाहीन, संवेदनशील और अधिकारहीन शेयरधारकों को शामिल करने के लिए कंपनी द्वारा विशेष पहल की गई हैं। : इस क्षेत्र के आंतरिक शेयरधारकों के लिए विभिन्न पहलों के जरिए, बेहतर समझ के लिए उन्हें आर्थिक लाभ देने के साथ-साथ पक्ष का समर्थन करना।

4. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities : **Bank has 719 employees with disabilities.**

5. Do you have an employee association that is recognized by management : **Yes**

6. What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association? : **Almost 100%**

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

S. No.	Category	No of complaints filed during the financial year	No of complaints pending as on end of the financial year
1.	Child labour/forced labour/involuntary labour	None	None
2.	Sexual harassment	None	None
3.	Discriminatory employment	None	None

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

- Permanent Employees : 32710 (76%)
- Permanent Women Employees : 8818 (96%)
- Casual/Temporary/Contractual Employees : 258 (56%)
- Employees with Disabilities : 369 (51%)

Principle 4

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? : The Bank has clearly mapped its internal and external stakeholders. Categories of shareholders include Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks and Retail (Individuals). As for Customers, they are grouped as large corporate, mid-corporate, small and medium enterprises and retail customers. The Bank has focussed branches to cater to these groups. _ Further the CSR activites reach out to various groups wherever the Bank has a presence. The internal stakeholders, the employees of the Bank are looked after by the Human Resources Department.

2 Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders. : Yes. The Bank caters to the economically and socially underprivileged customers, small farmers and businessmaen, women groups, tribal populations etc, by providing micro-finance, small loans, credit under special credit schemes such as Kisan Credit Card etc.

3 Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. : Yes it is done through various initiatives for internal stakeholders to this section, To give them economic benefits as well as support causes for better understanding.

सिद्धांत 5

1. क्या मानव अधिकार पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों के लिए भी विस्तारित की गई है? : सभी के लिए, पारदर्शी प्रणाली के जरिए
2. विगत वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से कितनी शकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक ढंग से निवारण किया गया? : बैंक ने 98.21% शिकायतों का निपटान कर दिया है।

सिद्धांत 6

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारो/एनजीओ/अन्य के लिए भी विस्तारित की गई है। : कंपनी और कंपनी के साथ लेन-देन करने वाले सभी का कवर करती है.
2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों जैसे बदलता मौसम, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि को पता लगाने के लिए रणनीतियाँ/पहले हैं? हॉ/नहीं, यदि हाँ तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें। : यह सेवा उद्योग होने के कारण कोई विशिष्ट पहल नहीं है.
3. क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरण जोखिमों की पहचान और आकलन करती है? : हाँ
4. क्या कंपनी के पास क्लीन डेवलपमेन्ट मेकेनिज्म से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ तो करीब 50 शब्दो में ब्योरा दें। साथ ही यदि हॉ तो क्या पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट फाइल की जाती है? : नहीं
5. क्या कंपनी ने क्लीन टेक्नोलाजी, ऊर्जा दक्षता, अक्षय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है। हॉ/नहीं। यदि हाँ तो वेबपेज आदि का हाइपरलिंक दें। : जी हां, ऊर्जा दक्षता की धारणा को क्रियान्वित किया जा रहा है।
6. क्या रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा जेनरेट किए जा रहे इमिशन/अवशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के अंदर है? : लागू नही, क्यों कि यह सेवा उद्योग है
7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या, जो लंबित (अर्थात संतोषपूर्ण निवारण नहीं हुआ) है : कोई नहीं

सिद्धांत 7

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चेम्बर अथवा संघ की सदस्य है? केवल उन प्रमुख का नाम दें जिसके साथ आपका कारोबार संबंधी लेनदेन होता है: हां
   क. भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
   ख. भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)
   ग. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)
   घ. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआईबीएम)
2. क्या आपने उपर्युक्त संघ के जरिए जनता की भलाई की उन्नति और सुधार हेतु वकालत/प्रचार किया है? : हां, बैंक ने कुछ नीतियां सुझाई है जिससे समाज को लाभ होगा।

Principle 5

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/NGOs/Others? : It covers everybody through transparent system.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management? : The Bank resolved Approx 99 per cent of the complaints.

Principle 6

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors /NGOs/others. : It covers the company and all those dealing with the company.
2. Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc. : No specific initiative as it is a Service Industry.
3. Does the company identify and assess potential environmental risks? : Yes. Some of the activities of the Bank in this regard can be found in the CSR Report.
4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed? : No
5. Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc. : Yes, concept of energy efficiency is being implemented.
6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported? : N.A, as the Bank is engaged in Service Industry
7. Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year. : There were None.

Principle 7

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? Name only those major ones that your business deals with: : Yes
   a. Indian Banks Association (IBA)
   b. Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)
   c. Institute of Banking personal Selection (IBPS)
   d. National Institute of Bank Management (NIBM)
2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? : Yes, the Bank has suggested policies that mutually benefits the society.

सिद्धांत 8

1.	क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के लिए निर्दिष्ट कार्यक्रम/ पहल/परियोजना है। यदि हाँ तो उसके ब्यौरे दें।	: वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंक सक्रिय भूमिका निभा रहा है. बैंक सुविधा से वंचितों को उनके घर तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचा रहा है. बैंक ग्रामीण क्षेत्र में अपने पहलों के जरिए बैंकिंग और समाज से सम्बद्ध सेवाओं के प्रावधान के जरिए ग्रामीण जनता के जीवन को सुधारने में अहम भूमिका निभा रहा है. बैंक द्वारा प्रशिक्षण तथा परामर्श केन्द्र स्थापित किए गए हैं जो कृषि क्षेत्र , शिक्षित युवक तथा अन्य स्व-नियोजित समूह को मदद करता है. बैंक सक्रियता से वित्तीय साक्षरता फैला रहा है.
2.	क्या इन-हाउस टीम/अपना आधार/बाह्य एनजीओ/सरकारी संरचना/अन्य किसी संगठन द्वारा कार्यक्रम/परियोजना शुरु है?	: इन-हाउस के साथ-साथ बाह्य एजेंसियां द्वारा ऐसी परियोजनाएं / पहलें जारी हैं।
3.	आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई आकलन किया है?	: नहीं
4.	समुदाय विकास परियोजना में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष अंशदान क्या है? भारतीय रुपए में रकम और शुरु की गई परियोजना का ब्यौरा	: बैंक ने विभिन्न आकार तथा प्रकार की कई परियोजनाएं ली हैं जो सीएसआर रिपोर्ट में दी गई हैं।
5.	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस समुदाय विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया जाए? कृपया करीब 50 शब्दों में स्पष्ट करें।	: बैंक ने ज़रूरतमंद व्यक्तियों और समाज के दलित वर्गो के लिए ऋण सलाहकार सेवाएं जैसे अभय आरंभ की हैं।

सिद्धांत 9

1.	वित्तीय वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं।	: 1.80% लंबित थीं।
2.	क्या कंपनी स्थानीय कानून की अनिवार्यता के अतिरिक्त उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है? हॉ/नहीं/ लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	: लागू नहीं
3.	विगत पांच वर्षो के दौरान कंपनी के विरुद्ध किसी भी शेयरधारक द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/अथवा विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यवहार से संबंधित कोई भी मामला दायर किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है। यदि हॉ, करीब 50 शब्दों में ब्यौरा दें	: कोई नहीं
4.	क्या आपकी कंपनी द्वारा उपभोक्ता संतुष्टि की प्रवृत्ति /उपभोक्ता सर्वेक्षण किया गया है?	: हां, बैंक ग्राहक केन्द्रित संस्था है और हमेशा फीडबैक का स्वागत करती है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी ग्राहकों के अभियोग और शिकायतों को कुशलता और प्रभावी ढ़ंग से निपटाया जाए।

Principle 8

1.	Does the company have specified programmes/ initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.	: The Bank has taken an pro-active role to promote Financial Inclusion. The Bank goes out of the way to provide banking experience to the underprivileged at their doorstep. Through its initiatives in the rural sector, the Bank plays a key role to improve the lives of the rural publics through provision of banking and allied services that the socially relevant. There are training and counselling centres set-up by the Bank to help agri-sector, the educated youth and other self-employed groups. The Bank is also active in spreading financial literacy.
2.	Are the programmes/ projects undertaken through in-house team/own foundation/ external NGO/government structures/ any other organization?	: These projects/ initiatives are undertaken through In house as well as outside agencies.
3.	Have you done any impact assessment of your initiative?	: No
4.	What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken.	: The Bank undertook several projects of varying nature and sizes, detail of which can be found in the CSR Report.
5.	Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so	: The Bank has set up development initiative is successfully adopted by the Credit Advisory service viz 'Abhay" for needy persons and the down trodden Section of the society.

Principle 9

1.	What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.	: 1.80 per cent were pending.
2.	Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. / Remarks(additional information)	: This is Not Applicable
3.	Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so	: There are None.
4.	Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?	: Yes, The Bank is a customer centric organization and always welcome feedback. The Bank ensures that all customer grievances and complaints are handled as efficiently and effectively as possible

कार्पोरेट शासन प्रणाली

शासन प्रणाली कूट पर बैंक का दर्शन :

अपने कारोबार संचलन में नैतिक परिपाटी के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता पर बैंक की कार्पोरेट शासन प्रणाली दर्शन संरचित है जबकि प्रयास शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि है। बोर्ड, कार्यपालकों तथा अन्य पदाधिकारियों का पारस्प रिक संबंध इस तरह गठित है कि जिसमें स्पष्टतया उनकी विशिष्ट भूमिकाएं चिन्हित हैं तथा विकसित कार्पोरेट कार्यनिष्पादन है। बैंक उच्च प्रकटन मानकों तथा पारदर्शिता के अनुसरण में भी प्रतिबद्ध है। बेहतर परिपाटी के अनुसरण में बैंक ने कारोबार के प्रत्येक पक्ष की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

बोर्ड के निदेशक :

समय-समय पर संशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत बैंक का गठन किया गया है। सामान्य पर्यवेक्षण, बैंक का कारोबार तथा कामकाज का प्रबंधन तथा निदेशन बोर्ड के निदेशक मंडल के पास है, जिसकी अध्यक्षता बैंक की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। समीक्षागत वर्ष के अंतर्गत बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य थे :

श्रीमती वी.आर.अय्यर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री बि. पी. शर्मा	कार्यपालक निदेशक
श्री अरुण श्रीवास्तव (05.08.2013 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री आर.कोटीश्वरन (05.08.2013 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री एन. शेषाद्री (30.04.2013 तक)	कार्यपालक निदेशक
श्री एम.एस.राघवन (05.07.2013 तक)	कार्यपालक निदेशक
श्री अनूप वधावन (26.07.2013 से)	केन्दीनय सरकार के नामिती
श्री उमेश कुमार (25.07.2013 तक)	केन्दीमय सरकार के नामिती
श्री एस.एस.बारिक (13.03.2014 से)	भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती
श्री पी. आर. रवि मोहन (12.03.2014 तक)	भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती
श्री नीरज भाटिया	अंशकालिक अशासकीय निदेशक
श्री के.के.नायर	अंशकालिक अशासकीय निदेशक
श्री आर.एल. बिश्नोई	अंशकालिक अशासकीय निदेशक
श्री हरविंदर सिंह (31.01.2014 तक)	गैर-कामगार कर्मचारी निदेशक
श्री ए. एम. परेरा	कामगार कर्मचारी निदेशक
श्री पी. एम. सिराजुद्दीन	शेयरधारक निदेशक
श्री प्रमोद भसीन	शेयरधारक निदेशक
श्री उमेश कुमार खेतान	शेयरधारक निदेशक

CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy on code of Governance :

Total commitment to ethical practices in the conduct of business, while striving to enhance shareholders' value is the Bank's corporate governance philosophy. The relationship between the Board, the executives and various functionaries are clearly demarcated in terms of their roles and responsibilities as to avoid any ambiguity and with a view to improve the corporate performance. The Bank is also committed to following high disclosure standards and transparency. In line with the best practices, the Bank has formed various committees of the Board to monitor every aspect of business.

Board of Directors :

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended from time to time. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairperson and Managing Director.

The Chairperson & Managing Director and the Executive Directors are appointed by the Central Government. During the year under review the Composition of the Board was as under:-

Smt. V. R. Iyer	Chairperson and Managing Director
Shri B.P. Sharma	Executive Director
Shri Arun Shrivastava (from 05.08.2013)	Executive Director
Shri R. Koteeswaran (from 05.08.2013)	Executive Director
Shri N. Seshadri (upto 30.04.2013)	Executive Director
Shri M.S. Raghavan (upto 05.07.2013)	Executive Director
Shri Anup Wadhawan (from 26.07.2013)	Nominee of the Central Government
Shri Umesh Kumar (upto 25.07.2013)	Nominee of the Central Government
Shri S. S. Barik (from 13.03.2014)	Nominee of Reserve Bank of India
Shri P.R. Ravi Mohan (upto 12.03.2014)	Nominee of Reserve Bank of India
Shri.Neeraj Bhatia	Part-Time Non-Official Director
Shri K.K.Nair	Part-Time Non-Official Director
Shri R. L. Bishnoi	Part-Time Non-Official Director
Shri Harvinder Singh (upto 31.01.2014)	Non-Workmen Employee Director
Shri A.M. Pereira	Workmen Employee Director
Shri P.M. Sirajuddin	Shareholder Director
Shri Pramod Bhasin	Shareholder Director
Shri.Umesh Kumar Khaitan	Shareholder Director

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर निदेशक मंडल में शेष सभी निदेशक बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशक हैं।

केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अंशकालिक अशासकीय निदेशकों (केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त) और शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अर्थ के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक हैं।

कोई भी निदेशक अन्य किसी निदेशक का संबंधी नहीं है।

वर्ष के दौरान बैंक में कार्यग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री अरुण श्रीवास्तमव कार्यपालक निदेशक

श्री अरुण श्रीवास्तमव आपके बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं। बैंक ऑफ़ इंडिया में कार्यग्रहण करने से पूर्व श्री श्रीवास्तव 02 सितंबर, 2010 से बैंक ऑफ़ बडौदा में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने एमएससी के साथ-साथ सीएआईआईबी जैसी व्यावसायिक अर्हताएं भी प्राप्त की हैं। उन्होंने जनवरी 1979 में सीधे भर्ती अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ़ बडौदा में कार्यग्रहण किया था। बैंकिंग के करीब सभी मुख्य खण्डों में उन्होंने कार्य किया है, शाखाओं, आंचलिक कार्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालयों में विभिन्ने क्षमताओं में कार्य किया है। विदेशी केन्द्रों में केन्या में अनुषंगी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे और युगांडा तथा तन्ज़ानिया में बैंक की अनुषंगी के बोर्ड में निदेशक भी थे।

श्री आर.कोटीश्वरन, कार्यपालक निदेशक

श्री आर. कोटीश्वरन, आपके बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं। बैंक ऑफ़ इंडिया में कार्यग्रहण करने से पूर्व श्री कोटीश्वरन 01 दिसंबर, 2010 से बैंक ऑफ़ बडौदा में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। महाप्रबंधक के रूप में 2010 में वे आईटी और परियोजनाएं विभाग के प्रमुख थे। बैंक के लिए डाटा वेयर हाउसिंग के सृजन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उन्हें सीआरएम, संसाधन संग्रहण, विपणन, संपत्ति प्रबंधन और राजभाषा विभाग का बृहत अनुभव है। उन्होंने विदेशी केन्द्र में कार्य किया है और वे 4 वर्षों तक किसुमु शाखा, केन्या के प्रमुख थे।

श्री अनूप वधावन

श्री अनूप वधावन, उम्र 52 वर्ष, 26 जुलाई, 2013 से बैंक के भारत सरकार के नामिति निदेशक हैं। श्री वधावन, अर्थशास्त्रन में स्नातकोत्तर और पीएचडी (अर्थशास्त्र) हैं। वर्तमान में वे वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात हैं।

श्री आर.एल.बिश्नोई

श्री आर.एल.बिश्नोई, उम्र 53 वर्ष, को 18.10.2013 से 3 वर्षों के लिए केंद्र सरकार द्वारा बैंक के गैर-शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे एक विज्ञान स्नातक हैं और व्यवसाय से सनदी लेखाकार हैं तथा विगत 30 वर्षों से प्रबंधन परामर्शदाता, शिक्षा सलाहकार और कारोबार सलाहकार भी हैं। आईएसओ प्रमाणीकरण के लिए वे एक अर्हताप्राप्त आँकलनकर्ता भी हैं। वे विभिन्न व्यापार संघों तथा सर्वजन उपकारी एवं धर्मार्थ संघों के सदस्य भी हैं।

श्री एस.एस.बारिक

श्री एस.एस.बारीक, उम्र 56 वर्ष, अर्थशास्त्रं में स्नातकोत्तर हैं। वे भारतीय रिज़र्व बैंक, पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्रीय निदेशक हैं। इससे पूर्व वे आरबीआई, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई के बैंकिंग परिचालन एवं विकास विभाग में महाप्रबंधक थे। 13.03.2014 से उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा बैंक का निदेशक नियुक्त किया गया है।

All directors, other than the Chairperson & Managing Director and the Executive Directors, are non-executive Directors on the Board.

The Directors representing shareholders of the Bank (other than the Central Government) and the part time non official Directors appointed by the Central Government are independent directors within the meaning of Clause 49 of the Listing Agreement.

None of the Directors is a relative of other Director.

Brief Profile of the Directors who joined the Bank during the year

Shri Arun Shrivastava, Executive Director

Shri Arun Shrivastava is an Executive Director of your Bank. Prior to the current assignment, Shri Shrivastava was General Manager, Bank of Baroda from 2nd September, 2010 till he joined your bank. He is a M.Sc. coupled with professional qualification of CAIIB, AIBM. He began his journey at Bank of Baroda as Direct Recruit Officer and has worked in almost all key segments of Banking, in various capacities at Branches, Zonal Office and Corporate Office. He has worked in overseas centre as Managing Director of Bank's subsidiary in Kenya and also as Director on the Board of Bank's subsidiary in Uganda and Tanzania.

Shri R. Koteeswaran, Executive Director

Shri R. Koteeswaran is an Executive Director of your Bank. Prior to the current assignment, Shri Koteeswaran was General Manager, Bank of Baroda from December 01, 2010 till he joined your bank. As General Manager, he was head of IT & Projects Department in 2010. He has played a big role in creating the Data Warehousing for the bank. He has rich experience in CRM, Resources Mobilisation, Marketing, Wealth Management and Official Language Department. He had worked in overseas centre and was heading Kisumu Branch in Kenya for 4 years.

Shri Anup Wadhawan

Shri Anup Wadhawan, aged 52 years, is a Government of India's Nominee Director of the Bank w.e.f. 26th July, 2013. Shri Anup Wadhawan is a Post Graduate in Economics and also a Ph.D (Economics). He is presently posted as Joint Secretary, Department of Finance Services, Ministry of Finance, New Delhi.

Shri R. L. Bishnoi

Shri R. L. Bishnoi, aged 53 years, has been appointed by the Central Government as part-time Non-official Director of the Bank for 3 years w.e.f. 18.10.2013. A multi-faceted individual, he is a Science Graduate and a Chartered Accountant by profession, is also a Management Consultant, Educational Advisor and Business Advisor for past 30 years. He is also a Qualified Lead Assessor for ISO Certification. He is a member of various trade associations as well as philanthropic and charitable organisations.

Shri S. S. Barik

Shri S S Barik, 56 years, is a Post Graduate in Economics. He is a Regional Director of Reserve Bank of India, North Eastern States. Prior to this, he was a General Manager in Department of Banking Operations and Development, RBI, Central Office, Mumbai. He has been appointed by the Central Govt. as a Director of the Bank w.e.f. 13.03.2014

निदेशकों के अन्य विवरण

OTHER PARTICULARS OF DIRECTORS

क्र. सं. SR. No.	निदेशकों के नाम Name of Directors	बैंक के ईक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रुप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता का क्षेत्र Area of Expertise	अन्य् कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समितियों के सदस्य Member of Board Committees	
						सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
1.	श्रीमती वी.आर. अय्यर Smt.V.R.Iyer	–	05.11.2012	बैंकिंग Banking	1) न्यू इंडिया एश्योरेंस कं.लि. 2) भारतीय आयात निर्यात बैंक 3) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. 4) बीओआई अक्सा इन्वेंस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि. 5) एसटीसीआई फायनान्स लि. 6) एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. 1. New India Assurance Co. Ltd. 2. Export Import Bank of India 3. BOI Shareholding Limited. 4. BOI Axa Invesment Managers Pvt. Ltd. 5. STCI Finance Limited 6. STCI Primary Dealer Limited.	–	–
2.	श्री बि.पी. शर्मा Shri B.P. Sharma	–	18.06.2012	बैंकिंग Banking	1) बीओआई अक्सा इन्वेंस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि. 2) एग्रीकल्चर फाइनान्स कार्पोरेशन लि. 3) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. 4) नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. 1. BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. 2. Agriculture Finance Corporation Limited. 3. BOI Shareholding Ltd. 4. National Payment Corporation of India Limited.	2	–
3.	श्री अरुण श्रीवास्तव Shri Arun Shrivastava	–	05.08.2013	बैंकिंग Banking	–	2	–
4.	श्री आर.कोटीश्वरन Shri R. Koteeswaran	–	05.08.2013	बैंकिंग Banking		2	–
5.	श्री अनूप वधावन Shri Anup Wadhawan	–	26.07.2013	प्रशासन Administration	एग्रीकल्चर इन्युरन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. Agriculture Insurance Corporation of India	1	–
6.	श्री एस.एस.बारिक Shri S. S. Barik	–	13.03.2014	बैंकिंग Banking	–	1	–
7.	श्री नीरज भाटिया Shri. Neeraj Bhatia	–	17.10.2011	लेखा Accounting	–	1	1
8.	श्री के.के.नायर Shri K K Nair	800	04.05.2011	बैंकिंग Banking	–	–	–
9.	श्री आर.एल.बिश्नोई Shri R. L. Bishnoi		18.10.2013	लेखा Accounting	–	1	–
10.	श्री ए.एम.परेरा Shri A. M. Pereira	600	18.07.2012	बैंकिंग Banking	–	–	–
11.	श्री पी.एम.सिराजुद्दीन Shri P.M. Sirajuddin	600	25.10.2011	वित्त, प्रशासन रूरल क्रेडिट Finance, Administration, Rural Credit	–	1	1

क्र. सं. SR. No.	निदेशकों के नाम Name of Directors	बैंक के ईक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रुप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता का क्षेत्र Area of Expertise	अन्य् कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समितियों के सदस्य Member of Board Committees	
						सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
12.	श्री प्रमोद भसीन Shri Pramod Bhasin	200	25.10.2011	बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट फायनैन्शियल सर्विसेज Business Process Management, Financial Services	1) एनडीटीवी लि. 2) डीएलएफ लि. 3) एसआरएफ लि. 4) द स्किल ॲकेडमी लि. 1. NDTV Ltd. 2. DLF Ltd. 3. SRF Ltd. 4. The Skill Academy Ltd.	–	–
13.	श्री उमेश कुमार खैतान Shri Umesh Kumar Khaitan	100	25.10.2011	विधि	1) कौंतुम पेपर्स लि. 2) सतलज टेक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रिज लि. 3) अय्यर मनीस रबर इस्टेट लि. 4) नेहरू प्लेस होटेल्स लि. 5) ओरीएंट अब्रेसिव्स लि. 6) कंबाइन एक्यूसरेट फायनैन्शियल सर्विसेज इंडिया लि. 7) कंबाइन ओवरसीज लि. 8) रूनिचा टेक्सजटाइल्सि लि. 9) गजियाबाद इन्वेलस्ट्मेंट लि. 1. Kauntum papers Ltd. 2. Sutluj Textiles & Industries Ltd. 3. Aiyer Manis Rubber Estate Ltd. 4. Nehru Place Hotels Ltd. 5. Orient Abrasives Ltd. 6. Combine Accurate Financial Services India Ltd. 7. Combine Overseas Ltd. 8. Runeecha Textiles Ltd. 9. Ghaziabad Investment Limited.		

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुपालन में, बैंक ने केवल लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक/ निवेशक शिकायत निवारण समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया है।

In compliance of Clause 49 of the Listing Agreement the Bank has considered the Chairmanship/Membership of the Audit Committee and the Investor's/Shareholder's Grievance committee alone.

बोर्ड की बैठकों का संचालन :

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की कुल 12 बैठकें आयोजित की गईं:

Conduct of Board Meetings :

During the year, 12 Board Meetings were held on the following dates:

17.04.2013	13.05.2013	20.06.2013	26.07.2013	06.09.2013	30/31.10.2013
18.11.2013	17.12.2013	17.01.2014	29/30.01.2014	18.02.2014	25.03.2014

बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are as follows:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Recorded	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि से तक Period (From – To)
श्रीमती वी. आर. अय्यर	Smt. V. R. Iyer	12	12	01.04.2013 to 31.03.2014
श्री बि.पी. शर्मा	Shri B.P. Sharma	10	12	01.04.2013 to 31.03.2014
श्री अरूण श्रीवास्तव	Shri Arun Shrivastava	8	8	05.08.2013 to 31.03.2014
श्री आर.कोटीश्वरन	Shri R. Koteeswaran	7	8	05.08.2013 to 31.03.2014
श्री एन. शेषाद्री	Shri N. Seshadri	1	1	01.04.2013 to 30.04.2013

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Recorded	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि से तक Period (From – To)
श्री एम. एस. राघवन	Shri M.S.Raghavan	3	3	01.04.2013 to 05.07.2013
श्री अनूप वधावन	Shri Anup Wadhawan	5	9	26.07.2013 to 31.03.2014
श्री उमेश कुमार	Shri Umesh Kumar	3	3	01.04.2013 to 25.07.2013
श्री एस.एस.बारिक	Shri S. S. Barik	1	1	13.03.2014 to 31.03.2014
श्री पी. आर. रवि मोहन	Shri P.R. Ravi Mohan	9	11	01.04.2013 to12.03.2014
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	11	12	01.04.2013 to 31.03.2014
श्री के.के. नायर	Shri K. K. Nair	11	12	01.04.2013 to 31.03.2014
श्री आर.एल.बिश्नोई	Shri R. L. Bishnoi	6	7	18.10.2013 to 31.03.2014
श्री हरविंदर सिंह	Shri Harvinder Singh	10	10	01.04.2013 to 31.01.2014
श्री ए. एम. परेरा	Shri A. M. Pereira	11	12	01.04.2013 to 31.03.2014
श्री पी. एम. सिराजुद्दीन	Shri P.M. Sirajuddin	12	12	01.04.2013 to 31.03.2014
श्री प्रमोद भसीन	Shri Pramod Bhasin	8	12	01.04.2013 to 31.03.2014
श्री उमेश कुमार खेतान	Shri Umesh Kumar Khaitan	9	12	01.04.2013 to 31.03.2014

निदेशकों/कार्यपालकों की समिति/उप समिति

कॉर्पोरेट शासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबि/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यनीतिक महत्व वाले के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने निदेशकों एवं/या कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। ये महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं :-

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति
2. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति
3. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
4. शेयर धारक निवेशकों की शिकायत निवारण समिति
5. शेयर अंतरण समिति
6. जोखिम प्रबंधन हेतु निदेशकों की समिति
7. ग्राहक सेवाओं हेतु निदेशकों की समिति
8. निदेशकों की पारिश्रमिक समिति
9. निदेशकों की नामांकन समिति
10. कारोबार समीक्षा समिति 1
11. निवेश अनुमोदन समिति
12. बडे मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी
13. आईटी कार्यनीति समिति
14. निदेशकों की पदोन्नति समिति

बोर्ड की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है और वह वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टा प्रस्तावों, वाद/अपील दायर करने आदि के संबंध में बोर्ड को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करती है। यथा दिनांक 31.03.2014 को इस समिति में 9 सदस्य थे जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 3 कार्यपालक निदेशक, सनदी लेखाकार निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती और 3 अंशकालिक अशासकीय निदेशक शामिल हैं।

वर्ष के दौरान बोर्ड प्रबंधन समिति की निम्नपलिखित तारीखों को 22 बैठकें हुई :

Committee / Sub Committee of Directors / Executives

The Board of Directors of the Bank has constituted various committees of directors and / or executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India Guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important committees are as under:

1. Management Committee of the Board
2. Credit Approval Committee of the Board
3. Audit Committee of the Board
4. Shareholder's Investor's Grievance Committee
5. Share Transfer Committee
6. Committee of Directors for Risk Management
7. Committee of Directors for Customer Services
8. Remuneration Committee of Directors
9. Nomination Committee of Directors
10. Business Review Committee
11. Investment Approval Committee
12. Monitoring on Large Value Frauds
13. IT Strategy Committee
14. Directors Promotion Committee

Management Committee of the Board :

The Management Committee of the Board is constituted as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and it exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals etc. As on 31.3.2014 it comprised of 9 members consisting of the Chairperson and Managing Director, 3 Executive Directors, Chartered Accountant Director, nominee of RBI and 3 part time non-official Directors.

The Management Committee of the Board met 22 times during the year on the following dates:

17.04.2013	06.05.2013	29.05.2013	06.06.2013	20.06.2013	29.06.2013	18.07.2013
01.08.2013	27.08.2013	16.09.2013	25.09.2013	19.10.2013	11.11.2013	30.11.2013
17.12.2013	24.12.2013	13.01.2014	29.01.2014	18.02.2014	03.03.2014	12.03.2014
25.03.2014						

प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित अनुसार है:

Attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि (से–तक) Period (From – To)
श्रीमती वी. आर. अय्यर	Smt. V.R. Iyer	22	22	01.04.2013 to 31.03.2014
श्री बि.पी. शर्मा	Shri B.P. Sharma	15	22	01.04.2013 to 31.03.2014
श्री अरूण श्रीवास्तव	Shri Arun Shrivastava	13	14	05.08.2013 to 31.03.2014
श्री आर.कोटीश्वरन	Shri R. Koteeswaran	11	14	05.08.2013 to 31.03.2014
श्री एन. शेषाद्री	Shri N.Seshadri	1	1	01.04.2013 to 30.04.2013
श्री एम. एस. राघवन	Shri M.S.Raghavan	5	6	01.04.2013 to 05.07.2013
श्री एस.एस.बारिक	Shri S. S. Barik	1	1	13.03.2014 to 31.03.2014
श्री पी. आर. रवि मोहन	Shri P.R. Ravi Mohan	16	21	01.04.2013 to 12.03.2014
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	22	22	01.04.2013 to 31.03.2014
श्री के.के. नायर	Shri K. K. Nair	16	17	01.04.2013 to 18.07.2014 08.11.2013 to 31.03.2014
श्री आर.एल.बिश्नोई	Shri R. L. Bishnoi	5	5	19.01.2014 to 31.03.2014
श्री हरविंदर सिंह	Shri Harvinder Singh	9	10	01.04.2013 to 21.09.2013
श्री ए. एम. परेरा	Shri A.M. Pereira	7	10	19.07.2013 to 18.01.2014
श्री पी. एम. सिराजुद्दीन	Shri P.M. Sirajuddin	11	11	08.05.2013 to 07.11.2013 22.03.2014 to 31.03.2014
श्री उमेश कुमार खेतान	Shri Umesh Kumar Khaitan	11	16	01.04.2013 to 01.07.2013 08.11.2013 to 31.03.2014

बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति:

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की संसूचना संदर्भ सं.13/1/2006–बीओ.1 दिनांकित 31 जनवरी, 2012, द्वारा जारी निदेशों के अनुसार बैंक ने बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया। यह ऋण अनुमोदन समिति हमारे बैंक के मामले में ₹400 करोड़ तक के किसी एकल ऋण प्रस्ताव के बारे में बोर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करेगी और ऐसी सीमाओं से अधिक के प्रस्तावों पर प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, क्रेडिट के प्रभारी अधिकारी महाप्रबंधक, वित्त के प्रभारी महाप्रबंधक और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता बैंक की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करती हैं।वर्ष के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 36 बैठकें हुई :

Credit Approval Committee of the Board:

The Bank has constituted the Credit Approval Committee of the Board in accordance with the directions of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their communication reference No.13/1/2006-BO.1 dated 31st January 2012. The Credit Approval Committee performs the critical function and exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal up to ₹400 crore in case of our Bank. In case of exposure where it exceeds such limits, the same shall be considered by the Management Committee.

The members of the committee are the Chairperson and Managing Director, the Executive Directors, The General Manager in-charge of the credit, The General Manager in-charge of Finance and the General Manager in-charge of Risk Management. The committee meetings are being chaired by the Chairperson and Managing Director of the Bank. Credit Approval Committee of the Board met 36 times during the year on the following dates:

08.04.2013	29.04.2013	16.05.2013	29.05.2013	03.06.2013	15.06.2013	24.06.2013
02.07.2013	09.07.2013	17.07.2013	31.07.2013	14.08.2013	17.08.2013	02.09.2013
14.09.2013	24.09.2013	30.09.2013	18.10.2013	30.10.2013	11.11.2013	23.11.2013
03.12.2013	07.12.2013	21.12.2013	31.12.2013	10.01.2014	17.01.2014	23.01.2014
28.01.2014	05.02.2014	14.02.2014	25.02.2014	10.03.2014	18.03.2014	26.03.2014
29.03.2014						

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि Period
श्रीमती वी. आर. अय्यर	Smt. V R Iyer	36	36	01.04.2013 to 31.03.2014
श्री बि. पी. शर्मा	Shri B P Sharma	20	36	01.04.2013 to 31.03.2014
श्री अरुण श्रीवास्तव	Shri Arun Shrivastava	24	25	05.08.2013 to 31.03.2014
श्री आर. कोटीश्वरन	Shri R. Koteeswaran	20	25	05.08.2013 to 31.03.2014
श्री एन शेषाद्री	Shri N. Seshadri	1	2	01.04.2013 to 30.04.2013
श्री एम. एस. राघवन	Shri M S Raghavan	7	8	01.04.2013 to 05.07.2013

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति :

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बेंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। यह एसीबी निदेश देती है तथा बैंक के संपूर्ण लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन का पर्यवेक्षण भी करती है।

लेखा परीक्षा समिति में 7 सदस्य हैं, अर्थात कार्यपालक निदेशकगण, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामिती निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक और 2 अंशकालिक अशासकीय निदेशक। सनदी लेखाकार निदेशक श्री नीरज भाटिया बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को लेखा परीक्षा समिति की 10 बैठकें हुई :

Audit Committee of the Board :

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

The Audit Committee comprises of 7 members viz. Executive Directors, Government Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and 2 non official part time directors, Shri Neeraj Bhatia, Chartered Accountant Director is the present Chairman of the Audit Committee of the Board. During the year, the Audit Committee met 10 times on the following dates:

17.04.2013	13.05.2013	20.06.2013	26.07.2013	01.08.2013	24.09.2013
31.10.2013	17.12.2013	30.01.2014	03.03.2014		

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

The attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि Period
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	10	10	01.04.2013 to 31.03.2014
श्री बि. पी. शर्मा	Shri B. P. Sharma	9	10	01.04.2013 to 31.03.2014
श्री अरुण श्रीवास्तव	Shri Arun Shrivastava	4	5	05.08.2013 to 31.03.2014
श्री आर. कोटीश्वरन	Shri R. Koteeswaran	3	5	05.08.2013 to 31.03.2014
श्री श्री एन शेषाद्री	Shri N. Seshadri	1	1	01.04.2013 to 30.04.2013
श्री एम. एस. राघवन	Shri M.S.Raghavan	3	3	01.04.2013 to 05.07.2014
श्री अनूप वधावन	Shri Anup Wadhawan	4	7	26.07.2013 to 31.03.2014
श्री उमेश कुमार	Shri Umesh Kumar	2	3	01.04.2013 to 25.07.2014
श्री एस एस बारिक	Shri S. S. Barik	-	-	13.03.2013 to 31.03.2014
श्री पी आर रविमोहन	Shri P.R.Ravi Mohan	8	10	01.04.2013 to 12.03.2014
श्री आर एल बिश्नोई	Shri R. L. Bishnoi	3	3	08.11.2013 to 31.03.2014
श्री प्रमोद भसीन	Shri Pramod Bhasin	3	7	01.04.2013 to 07.11.2013

बैंक के गैर-लेखा परीक्षित तिमाही परिणामों और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की बोर्ड द्वारा स्वी कार किए जाने हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करने के पहले बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board prior to the placing before the Board of Directors for adoption.

स्टेकहोल्डर संबंध समिति (शेयरधारको व निदेशको को शिकायत निवारण समिति):

कार्पोरेट नियंत्रण पर सेबी के दिशानिर्देशों के तहत स्टॉक एक्सचेंज के सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, तुलन-पत्र की अप्राप्ति, लाभांश की अप्राप्ति इत्यादि से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए शेयरधारकों/निवेशकों की एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान निवेशकों से अब तक प्राप्त सभी शिकायतों/सदर्भों का उत्तर दिया गया/निपटाया गया। संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद प्राय:सात दिनों के अंदर निवेशकों की शिकायतें पर कार्रवाई की जाती हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशकगण और दो स्वतंत्र निदेशक हैं। बैंक के शेयरधारक निदेशक श्री पी. एम. सिराजुद्दीन इस समिति के अध्यक्ष हैं।

श्री राजीव भाटिया, कंपनी सचिव, इस उद्देश्य के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर समिति की 4 बैठकें आयोजित की गई:

Stake Holders Relationship Committee (Shareholders' Investors' Grievances Committee) :

For redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Balance sheet, non-receipt of dividends etc., a Shareholders' / Investors' Grievances Committee has been constituted, in compliance with SEBI guidelines on Corporate Governance and as provided in clause 49 of the Listing Agreement. Investors' grievances are normally attended to within seven days on receipt of the relevant information. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied / redressed till date.

The Committee comprises of Executive Directors and two independent Directors. It is headed by Shri P M Sirajuddin, Shareholder Director of the Bank.

Shri Rajeev Bhatia, Company Secretary, is the Compliance officer of the Bank for this purpose.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

19.06.2013	06.09.2013	24.12.2013	03.03.2014

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित है:

The attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि Period
श्री पी. एम. सिराजुद्दीन	Shri P. M. Sirajuddin	4	4	01.04.2013 to 31.03.2014
श्री बि. पी. शर्मा	Shri B.P. Sharma	4	4	01.04.2013 to 31.03.2014
श्री अरुण श्रीवास्तव	Shri. Arun Shrivastava	2	3	05.08.2013 to 31.03.2014
श्री आर. कोटीश्वरन	Shri R. Koteeswaran	3	3	05.08.2013 to 31.03.2014
श्री एम. एस. राघवन	Shri. M.S.Raghavan	1	1	01.04.2013 to 05.07.2013
श्री उमेश कुमार खैतान	Shri Umesh Kumar Khaitan	3	4	01.04.2013 to 31.03.2014

शेयर अंतरण समिति

इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण और दो अन्य निदेशक हैं। वर्ष के दौरान निम्निलिखित तारीखों को समिति की 9 बैठक हुई ।

06.05.2013	29.05.2013	18.07.2013	27.08.2013	25.09.2013	19.10.2013
17.12.2013	30.01.2014	03.03.2014			

Share Transfer Committee

It comprises of Chairperson and Managing Director, Executive Directors and two other Director. The committee met 9 times during the financial year on the following dates

जोखिम प्रबंधन के लिए निदेशकों की समिति

इस समिति का गठन बैंक द्वारा लिए गए समस्तन जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांऔकन करने के लिए किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण और दो अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक हैं। वर्ष के दौरान तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुई।

Committee of Directors for Risk Management

This committee was formed to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. It comprises of Chairperson & Managing Director, Executives Directors and two part time non official directors. The committee met 4 times during the financial year on the following dates

19.06.2013	01.08.2013	24.12.2013	03.03.2014

ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति

बैंक में ग्राहक सेवा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए इस समिति का गहन किया गया था। इस समिति में मध्यम एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण और तीन अन्य अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक हैं। कार्य के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैंठकें हुई।

Committee of Directors for Customer Services

This committee is constituted to evaluate the level of customer services in the Bank. It comprises of Chairperson & Managing Director, Executive Directors and three other part time non official Directors. The committee met 4 times during the financial year on the following dates

19.06.2013	25.09.2013	24.12.2013	25.03.2014

निदेशकों की पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। यह प्रोत्साहन विगत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों पर आधारित स्टेटमेंट ऑफ इन्टेन्ट ऑन गोल्स एण्ड बेंचमार्क के आधार पर कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मेट्रिक्स के लिए कतिपय गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक मानदंडों पर आधारित है। उक्त निदेश के अनुपालन के लिए वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन और दी जाने /भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन रकम के लिए बोर्ड की पारिश्रमिक समिति गठित की गई।

इस समिति में सरकारी नामिति निदेशक, आरबीआई नामिति निदेशक और तीन अन्य अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक हैं। 31.03.2013 को समाप्तम पिछले वर्ष के लिए समिति ने 20.06.2013 को बैठक की और निम्नलिखित पूर्णकालिक निदेशकों को दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रोत्साहन भुगतान करने का निर्णय लिया:

नाम	पदनाम	2012–13 के दौरान सेवा के दिनों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन
श्री अलोक मिश्रा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	6 महीने	3,50,000.00
श्रीमती वी आर अय्यर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4 महीने 26 दिन	2,83,889.00
श्री एन शेषाद्रि	कार्यपालक निदेशक	12 महीने	5,50,000.00
श्री एम एस राघवन	कार्यपालक निदेशक	12 महीने	5,50,000.00
श्री बि.पी.शर्मा	कार्यपालक निदेशक	9 महीने 13 दिन	4,32,361.00

निदेशकों की नामांकन समिति

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9(3)(1) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के चयन के लिए व्यक्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रखे गए फिट एवं प्रोपर मानदंड को पूरा करना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के शर्तों के अनुसार नामांकन समिति में तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र/गैर कार्यपालक निदेशक) हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान समिति ने शेयरधारक निदेशकों के फिट एवं प्रोपर स्थिति का पता लगाने के लिए एक बार 20.06.2013 को बैठक की।

Remuneration Committee of Directors

Government of India announced Performance Linked Incentive Scheme for Whole Time Directors of Public Sector Banks. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters fixed for Performance Evaluation Matrix on the basis of the Statement of intent on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directive, a remuneration Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and incentive amount to be awarded / paid during the year.

It comprises of Govt. Nominee Director, RBI Nominee Director and three other part time no official directors. For last year ended 31.03.2013, the committee met on 20.06.2013 and decided to pay incentive to the following whole-time directors as per details given below:

Name	Designation	Number of days served during 2012-13	Performance Linked Incentive for the financial year 2012-13 (Rs.)
Mr. Alok Misra	Chairman & Managing Director	6 months	3,50,000.00
Mrs. V R Iyer	Chairperson & Managing Director	4 months 26 days	2,83,889.00
Mr. N. Seshadari	Executive Director	12 Months	5,50,000.00
Mr. M S Raghavan	Executive Director	12 Months	5,50,000.00
Mr. B P Sharma	Executive Director	9 Months 13 days	4,32,361.00

Nomination Committee of Directors

Under the provisions of Section 9 (3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80, the Reserve Bank of India has laid down 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons to be elected as directors on the boards of the Nationalised Banks. In terms of the said guidelines, a Nomination Committee consists of three directors (all independent / non-executive directors). During the Financial Year 2013-14 the committee met once on 20.06.2013 to ascertain the `Fit & Proper' status of Shareholders Directors.

कारोबार समीक्षा समिति

नियामक कैलेण्डर मदों की आवधिक समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया। इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण और तीन अन्य अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों में बैठकें हुई।

Business Review Committee

The Committee was formed to review the regulatory calendar items periodically. This committee consists of The Chairperson and Managing Director, Executive Directors and three other Part time non official Directors. During the year under review, it met on following dates.

6.5.2013	19.06.2013	27.08.2013	19.10.2013	24.12.2013	3.3.2014

निवेश अनुमोदन समिति

निवेश संबंधित निर्णय लेने के लिए निवेश अनुमोदन समिति का गठन किया गया। इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन) और महाप्रबंधक (वित्त) है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठक हुई।

Investment Approval Committee

The Investment Approval Committee was formed to take investments decisions. It consists of The Chairperson and Managing Director, Executive Directors General Manager (Risk Management) and General Manager (Finance). During the year under review, it met on following dates

29.04.2013	14.05.2013	25.05.2013	17.06.2013	17.08.2013	28.01.2014

बड़े मूल्य वाले धोखाधड़ियों की निगरानी

इस समिति का गठन बड़े मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए किया गया था। इस समिति में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण और तीन अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक हैं। यह तिमाही के अंतराल में मिलती है। वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों में बैठक हुई ।

Monitoring on Large Value Frauds

This Committee was formed to monitor large value frauds. It consists of The Chairperson and Managing Director, Executive Directors and three part time non official directors of the Bank. It meets on quarterly interval. During the financial year it met on the following dates

19.06.2013	25.09.2013	24.12.2013	25.03.2014

आईटी कार्यनीति समिती

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में आईटी कार्यनीति पर निर्णय लेने के लिए और आईटी परियोजनाओं के क्षेत्र में प्रगति की निगरानी करने के लिए यह समिति बनाई गई। इसमें कार्यपालक निदेशक एवं दो अंशकालीन अप्राधिकृत निदेशक होते हैं। तिमाही आधार पर उनकी बैठक होती है।

IT Strategy Committee

This committee was formed in compliance of guidelines issued by Reserve Bank of India to take Decision on IT Strategies and to monitor the development in the area of IT Projects. It consists of Executive Directors and two part time non official directors. It meets on quarterly interval.

निदेशकों की पदोन्नति समिति

इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सरकार नामिति निदेशक और आरबीआई नामिति निदेशक सदस्य हैं ।

Directors Promotion Committee

The Members of this committee are the Chairperson and Managing Director, Government Nominee Director and RBI Nominee Director.

विगत वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

श्रीमती वी.आर.अय्यर, श्री एम.एस. राघवन, श्री बि.पी.शर्मा, श्री नीरज भाटिया, श्री पी.एम. सिराजुद्दीन, श्री के.के. नायर, श्री हरविंदर सिंह और श्री उमेश कुमार खैतान दिनांक 29.06.2013 को हुई बैंक की पिछली अर्थात सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

Attendance of the Directors at the last Annual General Meeting

Smt. V. R. Iyer, Shri M S Raghavan, Shri B P Sharma, Shri Neeraj Bhatia, Shri P M Sirajuddin, Shri K K Nair Shri Harvinder Singh and Shri Umesh Kumar Khaitan attended the last i.e., Seventeenth Annual General Meeting of the Bank held on 29.06.2013

शेयर अंतरण और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

शेयर अंतरण, लाभांश/ ब्याज का भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी कार्यकलापों पर कार्रवाई हमारे पंजीयक एवं अंतरण एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायत/कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्नलिखित पते पर संपर्क करने का अनुरोध है :

इक्विटी शेयरों के लिए

शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा.लि. यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया, 13, ए बी, संहिता वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज के पास, अंधेरी कुर्ला रोड़, साकीनाका, अंधेरी पूर्व,मुंबई -400072.फोन 022-67720300, फैक्सर 022-28591568, ई मेल : sharepro@shareproservices.com

अथवा इस पर

शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा.लि,. निवेशक संपर्क केन्द्र, 912, रहेजा सेंटर, फ्री प्रेस जर्नल हाउस,नरीमन पॉईंट मुंबई-400021.

बॉन्ड/डिबेंचर के लिए

बिगशेयर सर्विसेस प्रा.लि ई-2, अनसा इंडस्ट्रियल एस्टेवट, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व) मुंबई- 400072 फोन -022-4043200, फैक्स 022-28475207 ई मेल : info@bigshareonline.com

उपर्युक्त के अलावा, निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक के शेयर विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं:

स्टार हाउस,8 वीं मंजिल, पूर्वी खण्ड, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, फोन 022-66684444, फैक्स - 022-66684491, ई-मेल : headoffice.share@bankofindia.co.in

Share Transfers and Redressal of Shareholders`/Investors` Grievances:

Share Transfers, Dividend / interest payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For submitting of any of these documents and for queries/ complaints /grievances, shareholders and investors are requested to contact

For Equity Shares

Sharepro Services (India) Pvt. Ltd. , Unit-Bank of India, 13AB, Samhita Warehousing Complex 2nd Floor, Near Sakinaka Telephone Exchange, Off. Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri (East), Mumbai – 400 072 Phone 022-67720300, Fax- 022-28591568, E-mail : sharepro@shareproservices.com

OR at

Sharepro Services (India) Pvt. Ltd., Investor Relation Centre, 912, Raheja Centre, Free Press Journal House, Nariman Point, Mumbai 400 021.

For Bonds/ Debentures

Bigshare Services Pvt. Ltd. E-2, Ansa Industrial Estate, Sakinaka, Andheri (E) Mumbai-400 072 Phone-022-4043200, Fax-022-28475207 Email: info@bigshareonline.com

Apart from the above, investors may also contact the Bank at its Share Department at

Star House, 8th Floor, East Wing, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051, Phone 022-66684444, Fax- 022-66684491, E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in

बेहतर निवेशक सेवाएं मुहैया कराने के लिए और शेयर अंतरण प्रणाली को तीव्र बनाने के लिए बैंक शेयरों के अंतरण/प्रेषण का प्रोसेस साप्ताहिक आधार पर करता है और शेयर अंतरण समिति को मासिक आधार पर मामले की रिपोर्ट करता है। बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2007 के प्रावधानों के अनुसार शेयर अंतरण समिति, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक और दो अन्य निदेशकों से गठित की गई है। वर्ष के दौरान समिति की 12 बैठकें हुई। 31.03.2014 तक अंतरण के लिए प्राप्त सभी प्रमाण-पत्रों को प्रासेस किया गया और प्रेषित किया गया।

आम सभा की बैठकें :

	बैठक का स्वैरूप	दिनांक एवं समय	स्थांन
1	असाधारण आम बैठक	03.12.2013 सुबह 11.00 बजे	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051,
2	सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक	29.06.2013 सुबह11.00 बजे	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051,
3	असाधारण आम बैठक	01.03.2013 दोपहर 3.00 बजे	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051,
4	सोलहवीं वार्षिक आम बैठक	29.06.2012 दोपहर 3.00 बजे	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051,
5	असाधारण आम बैठक	24.03.2012 प्रात: 10.30 बजे	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टापर हाउस, बांद्रा कुर्लासंकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051,
6	असाधारण आम बैठक	21.10.2011 प्रात: 10.30 बजे	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051,
7	पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठक	14.07.2011 दोपहर 3.30 बजे	पाटकर कॉन्वोकेशन हॉल, क्वीन्स रोड, फोर्ट, मुंबई 400 020.

प्रकटन :

बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तिरण) अधिनियम,1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 से नियंत्रित होता है। सेबी ने यह स्पष्ट किया है कि सूचीकृत संस्थाएं जो कंपनियां नहीं है लेकिन अन्य संविधियों के अंतर्गत निगमित निकाय हैं (उदाहरणार्थ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां आदि) पर सूचीकरण करार का खंड 49 केवल उस सीमा तक लागू होगा जिस सीमा तक वह उनकी संदर्भगत संविधि और उनके नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी तत्संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करें।

i) निदेशकों का पारिश्रमिक:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक अशासकीय निदेशकों को बैठक शुल्क, जो कि निम्नलिखित है, के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है:

बोर्ड बैठकों के लिए : ₹ 10,000/- प्रति बैठक
समिति बैठकों के लिए : ₹ 5,000/- प्रति बैठक

With a view to speed up the share transfer system for the better investor's services, Bank is processing the transfer / transmission of shares on weekly basis and reports the matter to Share Transfer Committee on monthly basis. The Share Transfer committee is comprising of the Chairperson & Managing Director and in her absence Executive Director of the Bank and two other directors in terms of the provisions of Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2007. The committee met 12 times in the year. All the share certificates received for transfer up to 31.03.2014 have been processed and dispatched.

General Body Meetings:

	Nature of Meeting	Date & Time	Venue
1	Extra ordinary General Meeting	03.12.2013 11.00 A.M.	Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.
2	Seventeenth Annual General Meeting	29.06.2013 11.00 A.M.	Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.
3	Extra ordinary General Meeting	01.03.2013 3.00 P.M.	Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.
4	Sixteenth Annual General Meeting	29.06.2012 3.00 P.M.	Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.
5	Extra ordinary General Meeting	24.03.2012 10.30 A.M.	Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.
6	Extra ordinary General Meeting	21.10.2011 10.30 A.M.	Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.
7	Fifteenth Annual General Meeting	14.07.2011 3.30 P.M.	Patkar Convocation Hall, Queens Road, Fort, Mumbai 400 020.

Disclosures :

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. SEBI has clarified that for listed entities which are not companies, but body corporates (e.g. public sector banks, financial institutions, insurance companies etc.) incorporated under other statutes, clause 49 of the Listing Agreement will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities.

i) Remuneration of Directors:

The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the independent directors excepting sitting fees which is as under:

For Board Meeting : ₹ 10,000/- per meeting
For Committee Meeting : ₹ 5,000/- per meeting

ii) महत्वपूर्ण संव्यवहारों और आर्थिक संबंधों का प्रकटन

बैंक कारोबार की सामान्य प्रकृति के अलावा बैंक ने कोई महत्वपूर्ण भौतिक संव्यवहार इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों आदि से नहीं किया है जिसका बैंक के हितों से कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास हो सकता हो।बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशक के बीच वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुए हैं।

बैंकिंग में यह सुस्थापित प्रथा है कि निदेशक, मंडल और मंडल की उप समितियों की उन चर्चाओं में भाग नहीं लेते जब उनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता हो।

iii) सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों, अधिमान्य निर्गमों आदि की आगम राशियाँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूंजी को बढ़ाने के लिए बैंक ने निम्न साधन जारी किए हैं :-

साधन का नाम	बाँड्स/शेयरों की संख्या	अभिदाता का नाम	जारी करने की तिथि	प्रति बाँड/शेयर निर्गम मूल्य	उभारी गयी राशि (₹ करोड़ में)
9.80% टियर-2 बाँड्स-2023 सिरीज X	10000	भारतीय जीवन बीमा निगम लि.	25.09.2013	10,00,000	1000.00
9.80% टियर -2 बाँड्स -2023 सिरीज XI	5000	विभिन्न निवेशक	30.09.2013	10,00,000	500.00
प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर*	4,63,60,686	भारत के राष्ट्रपति	11.12.2013	215.70*	1000.00
				कुल	2500.00

* अंकित मूल्यि ₹10/- प्रति शेयर, प्रिमियम प्रति शेयर ₹205.70

निधियाँ उठाने का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात सुट करने हेतु टियर-I एवं II पूंजी प्राप्त करना और बैंक के दीर्घावधि संसाधनों को सुधारना और इस रकम को इसी उद्देश्य के लिए लगाया है।

iv. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक पर पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

v. स्टॉक एक्सचेंज के साथ बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा सूचीकरण करार की धारा 47 (सी) के अंतर्गत किए गए करार के द्वारा अंतरण करने, प्रेषण, उप विभाजन समेलन, नवीनीकरण एवं प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर इक्विटी शेयर्स के विनिमय के संबंध में जानकारी के साथ-साथ अभ्यासी कंपनी सचिव से प्रत्येक छ: माह में एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। यह प्रमाण पत्र बीएसई और एनएसई को 30 दिनों के भीतर जहां इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, प्रेषित किए जाते हैं तथा निदेशक मंडल के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

vi. सेबी के परिपत्र सं. डी एवं सीसी/एफआईटीटीसी/सीआइआर- 16 दिनांक 31 दिसंबर, 2002 की शर्तों के अनुसार विशेषागारों के साथ कुल प्रविष्ट इक्विटी शेयर पूंजी के समाधान एवं बैंक ऑफ़ इंडिया की कुल जारी/प्रदत्त इक्विटी पूंजी सहित प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजन के साथ-साथ अभ्यासी कंपनी सचिव की फर्म द्वारा तिमाही आधार पर एक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जाती है। इस संबंध में जारी प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं एवं बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाते हैं जहां बैंक ऑफ़ इंडिया के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध रहते हैं।

ii) Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-a-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

iii) Proceeds From Public issues, Right issues, Preferential issues etc.

During the year under review, the. Bank has issued the following instruments to raise the capital:-

Name of the Instrument	Number of Bonds/ Shares	Name of Subscribers	Date of Issue	Issue Price, per bond / share	Amount Raised (₹ In Crores
9.80% Tier-2 Bonds-2023 Series X	10000	Life Insurance Corporation of India Ltd.	25.09.2013	10,00,000	1000.00
9.80% Tier-2 Bonds-2023 Series XI	5000	Various Investors	30.09.2013	10,00,000	500.00
Equity Shares of Rs. 10/- each*	4,63,60,686	The President of India	11.12.2013	215.70*	1000.00
				Total	2500.00

* Face Value ₹10/- per share, Premium per share ₹205.70

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier-I&II Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long- term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

iv. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the year under review.

v. As required under clause 47[c] of the listing agreements entered into by Bank of India with stock exchanges a certificate is obtained every six months from a practising Company Secretary, with regard to, inter alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares in the within one month of the lodgement. The certificates are forwarded to BSE and NSE, where the equity shares are listed, within 30 days of issuance and also placed before the Board of Directors.

vi. In terms of SEBI's circular No. D&CC/FITTC/CIR-16 dated December 31, 2002 a Reconciliation of Capital Report is conducted on a quarterly basis by a firm of practising company secretaries, for the purpose of, inter alia, reconciliation of the total admitted equity share capital with the depositaries and in the physical form with the total issued/paid up equity capital of Bank of India. Certificate issued in this regard is placed before the Board of Directors and forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of Bank of India are listed.

संप्रेषण के साधन :

तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम (गैर लेखा परीक्षित परंतु सांविधिक लेखा परीक्षकों की सीमित समीक्षा के अध्यधीन और लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम अंग्रेजी में इकॉनॉमिक टाइम्स /बिज़नेस स्टैंडर्ड/ फाइनेंशियल एक्सप्रेस/बिज़नेस लाइन और मराठी (क्षेत्रीय भाषा) में सकाळ/नवशक्ति/लोकमत/आपला महानगर तथा हिंदी भाषा में नवभारत टाइम्स/नवभारत समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in. पर भी प्रदर्शित किए गए। संस्थागत निवेशकों को की गयी प्रस्तुतियां भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सेबी एवं करारों के सूचीकरण में स्टॉक एक्सचेंज को प्रत्यक्ष प्रस्तुतीकरण के अतिरिक्त बैंक ऑफ़ इंडिया अपनी वित्तीय एवं अन्य जानकारी को स्टॉक एक्सचेंज के वेब पोर्टल प्रणाली को किया जाता है।

वित्तीय कैलेंडर : 1 अप्रैल 2014 से :

बैंक के वित्तीय परिणामों पर विचार करने और लाभांश की सिफारिश करने के लिए बोर्ड की बैठक	15 मई, 2014
18 वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख, समय, स्थान	गुरूवार 10 जुलाई, 2014 बैंक ऑफ़ इंडिया के ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई - 400 051.
वार्षिक रिपोर्ट के डाक प्रेषण की तारीख	12 से 14 जून, 2014
ई-वोटिंग की कट ऑफ तिथि	23 मई, 2014
ई-वोटिंग की तिथि	शुक्रवार 4 जुलाई प्रातः 10 बजे से रविवार 6 जुलाई सांयः 5 बजे तक
बही बंद करने की तारीखें	5 से 10 जुलाई, 2014
परोक्षी फॉर्म प्राप्त होने की अंतिम तारीख	शनिवार, 5 जुलाई, 2014
प्रथम 3 तिमाहियों के लिए गैर लेखा परीक्षित परिणामों पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठक	संबंधित तिमाही से 45 दिनों के भीतर

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण :

बैंक के शेयरों का बीएसई लि., नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया है। स्टॉक स्क्रिप कोड निम्नानुसार है:

दि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई)	The BSE Ltd.	532149
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. (एनएसई)	National Stock Exchange of India Limited (NSE)	BANKINDIA EQ
आईएसआईएन क्रमांक	ISIN Number	INE084A01016

उक्त दोनों स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर वचनपत्र के अपरिवर्तनीय बॉंड (टियर I एवं II पूंजी) जारी किये हैं उनसे संबंधित ब्योरा निम्नानुसार है

बैंक ऑफ़ इंडिया बॉंड टियर I एवं टियर II पूंजी स्थिति यथा 31.03.2014

Means of Communication:

The quarterly and half-yearly financial results (unaudited but subject to limited review by the Statutory Auditors) and audited Annual results were published in the Economic Times/Business Standard/ Financial Express /Business Line in English, Sakal /Navshakti/Lokmat/ Apla Mahanagar in Marathi (Regional language) and Navbharat Times/Navbharat in Hindi. The results were also displayed on the Bank's website at www.bankofindia.co.in. The presentations made to institutional investors are also available on Bank's website

As required by SEBI and in the Listing Agreements, Bank of India, files its financial and other information online on their web portals in addition to the physical submission to the Stock Exchange.

Financial Calendar: From 1st April, 2014:

Board Meeting for considering Annual Audited Accounts of Bank of India and recommendation of dividend	15th May, 2014
Date, Time, Venue of 18th AGM	Thursday 10th July, 2014. Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.
Posting of Annual Report	12th to 14th June, 2014
Cut off Date for E voting	23rd May, 2014
E Voting date	Friday 4th July, 2014 from 10.00 am to Sunday 6th July, 2014 till 5.00 p.m.
Book Closure dates	5th July to 10th July 2014
Last Date for receipt of proxy forms	Saturday, 5th July, 2014
Board Meeting for considering Un-audited result for first 3 quarters	Within 45 days of the relevant quarter.

Listing on Stock Exchanges

The shares of the Bank are listed on The BSE Ltd. and The National Stock Exchange of India Limited. The stock scrip codes are as follows:

Annual listing fee for 2014-15 has been paid to both of the stock exchanges.

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof are as under:

BANK OF INDIA BOND – TIER I and TIER II CAPITAL POSITION AS ON 31.03.2014

क्र. सं. Sr. No	निर्गम का विवरण	PARTICULARS OF THE ISSUE	कुल मूल्य (₹ करोड़ में) TOTAL VALUE (₹ in Crores)	आईएसआईएन नं. ISIN NO.
1	5.88% बीओआई श्रृंखला V-2014*	5.88% BOI SERIES – V-2014 *	350.00	आईएनई/INE084A09050
2	5.90% बीओआई श्रृंखला VI-2014 *	5.90% BOI SERIES – VI-2014 *	200.00	आईएनई/INE084A09068
3	7.10% बीओआई श्रृंखला VII-2014#	7.10% BOI SERIES – VII-2014#	300.00	आईएनई/INE084A09076
4	7.50% बीओआई श्रृंखला VIII-2015	7.50% BOI SERIES –VIII-2015	750.00	आईएनई/INE084A09084
5	8.00% बीओआई श्रृंखला IX 2016	8.00% BOI SERIES – IX –2016	200.00	आईएनई/INE084A09100
6	9.80% बीओआई श्रृंखला X - 2023	9.80% BOI SERIES – X - 2023	1000.00	आईएनई/INE084A08037

क्र. सं. Sr. No	निर्गम का विवरण	PARTICULARS OF THE ISSUE	कुल मूल्य (₹ करोड़ में) TOTAL VALUE (₹ in Crores)	आईएसआईएन नं. ISIN NO.
7	9.80% बीओआई श्रृंखला XI 2023	9.80% BOI SERIES – XI – 2023	500.00	आईएनई/INE084A08045
8	9.35% अप्पईर टियर II श्रृंखला I–2021	9.35% UPPER TIER II SERIES–I-2021	732.00	आईएनई/INE084A09118
9	11.15% अप्पईर टियर II श्रृंखला II– 2023	11.15% UPPER TIER II SERIES–II- 2023	500.00	आईएनई/INE084A09159
10	8.45% अप्पअर टियर II श्रृंखला III–2024	8.45% UPPER TIER II SERIES–III-2024	500.00	आईएनई/INE084A09175
11	8.50% अप्पअर टियर II श्रृंखला IV–2024	8.50% UPPER TIER II SERIES–IV-2024	500.00	आईएनई/INE084A09183
12	8.54% अप्पअर टियर II श्रृंखला V–2025	8.54% UPPER TIER II SERIES–V-2025	1000.00	आईएनई/INE084A09209
13	8.48% अप्पअर टियर II श्रृंखला VI–2025	8.48% UPPER TIER II SERIES–VI-2025	1000.00	आईएनई/INE084A09217
14	10.55% आईपीडीआई बांड– श्रृंखला I	10.55% IPDI Bonds-Series I	400.00	आईएनई/INE084A09126
15	10.45% आईपीडीआई बांड– श्रृंखला II	10.45% IPDI Bonds-Series II	100.00	आईएनई/INE084A09134
16	10.40% आईपीडीआई बांड– श्रृंखला III	10.40% IPDI Bonds-Series III	155.00	आईएनई/INE084A09142
17	8.90% आईपीडीआई बांड– श्रृंखला IV	8.90% IPDI Bonds-Series IV	400.00	आईएनई/INE084A09167
18	9.00% आईपीडीआई बांड– श्रृंखला V	9.00% IPDI Bonds-Series V	325.00	आईएनई/INE084A09191
19	9.05% आईपीडीआई बांड– श्रृंखला VI	9.05% IPDI Bonds-Series VI	300.00	आईएनई/INE084A09225
	कुल	**TOTAL**	**9212.00**	

*30 अप्रैल, 2014 को भुगतान किया गया।
#23 मई, 2014 को भुगतान किया गया।

इन सभी बाँडों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इं.लि. में सूचीकरण किया गया है तथा बैंक ने स्टॉक एक्स्चेंज को वर्ष 2013–14 का वार्षिक शुल्क अदा किया है।

ऋण श्रेणी निर्धारण :

एजेंसी	प्रदत्तण रेटिंग
आईसीआरए द्वारा कार्पोरेट शासन श्रेणी	सीजीआर–2
मुडीस इन्वेास्टरर सर्विस (मुडीस)	बीएए3 / पी–3
स्टॅ न्डेर्ड एवं पूअर (एस एवं पी)	बीबीबी(–)
क्रेडिट एनालिसिस एवं रिसर्च लि. (सीएआरई)	सीएआरईएएए
सावधि जमा कार्यक्रम हेतु निवेश सूचना एवं ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसी (आईसीआरए)	एमएएए
कार्पोरेट शासन हेतु निवेश सूचना एवं ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसी – बाँड्स हेतु	आईसीआरए एए+
सीआरआईएसआईएल (क्रिसिल) लि. बाँड्स हेतु	एएए
सीआरआईएसआईएल (क्रिसिल) लि. जमा प्रमाण पत्र हेतु	ए1+
ब्रिकवर्क रेटिंग्सु इंडिया प्रा.लि. – बाँड्स हेतु	बीब्ल्यू आरएएए

शेयरों का आमूर्तीकरण

बैंक के शेयरों का लेन–देन अनिवार्य रूप से केवल अमूर्त (डिमेट) रूप में किया जाता है। बैंक ने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए दोनों निक्षेपागारों यथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) एवं केन्द्रीय विशेषागार सेवाएं (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ समझौता किया है।

शेयरधारकों का यथा 31.03.2014 को प्रत्यक्ष एवं अमूर्त रूप से धारित शेयरों का ब्यौरा इस प्रकार है:

*Redeemed on 30th April, 2014
#Redeemed on 23rd May, 2014

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd and the Bank has paid the Annual listing fee for 2013-2014 to the Stock Exchange.

Credit Ratings

Agency	Rating Assigned
Corporate Governance Rating by ICRA	CGR-2
Moody's Investor Service (Moody's)	Baa3 / P-3
Standard & Poor's (S&P)	BBB(-)
Credit Analysis & Research Limited (CARE)	CAREAAA
Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) for Term Deposit Programme	MAAA
Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) for Bonds	ICRA AA+
CRISIL Limited – For Bonds	AAA
CRISIL Limited – For Certificate of Deposits	A1+
Brickwork Ratings India Pvt Limited-For Bonds	BWR AAA

Dematerialisation of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31/03/2014 are as under:

		शेयरधारकों की संख्या No. of share holders	शेयरों की संख्या No. of shares	शेयरधारण का % shareholding%
सीडीएसएल	**CDSL**	43750	437380569	68.10
एनएसडीएल	**NSDL**	88990	188530752	29.35
प्रत्यक्ष	**Physical**	107260	16351692	2.55
कुल	**Total**	240000	642263013	100.00

शेयरधारण पैटर्न यथा 31.03.2014

Shareholding Pattern as on 31.03.2014

शेयरधारकों का प्रवर्ग	Category of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या Number of Shareholders	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding
केन्द्रीय सरकार (प्रवर्तक)	Central Government (Promoters)	1	428367513	66.70
म्यूचुअल फंड/यूटीआई	Mutual Funds / UTI	55	6489438	1.01
वित्तीय संस्थाएं/बैंक	Financial Institutions / Banks	26	1186137	0.18
बीमा कंपनियां	Insurance Companies	40	91818107	14.30
कार्पोरेट निकाय	Bodies Corporate	2265	10521843	1.64
एकल व्यक्ति	Individuals	235654	36183007	5.63
अनिवासी भारतीय/ओसीबी	Non Resident Indians/ OCB	1776	2515410	0.39
विदेशी संस्थागत निवेशक	Foreign Institutional Investors	183	65181558	10.15
कुल	Total	240000	642263013	100.00

पब्लिक शेयरधारक का विवरण जिनकी शेयरधारिता 1% से अधिक है

Shareholding of persons (Public) holding more than 1% of the total number of shares

शेयरधारक का नाम	Name of the Shareholder	शेयरों की संख्याक Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding
भारतीय जीवन बीमा निगम	Life Insurance Corporation of India	75942452	11.82
लज़ार्ड असेट मैनेजमेंट एलएलसी	Lazard Asset Management LLC	22268418	3.47

लॉक्ड–इन शेयर दर्शाने वाला विवरण

Statement Showing locked in Shares

शेयरधारक का नाम	Name of the Shareholder	लॉक्ड–इन शेयरों की संख्या Number of locked in Shares	कुल शेयरों के % के रूप में लॉक्ड–इन शेयर Locked in shares as a % of total number of shares
भारत के राष्ट्रपति	President of India	428367513	66.70

शेयरधारिता का संवितरण यथा दिनांक 31 मार्च, 2014 :–

Distribution of Shareholdings as on 31st March, 2014

धारिता इक्विटी शेयरों की संख्या्	No of Equity Shares held	फोलियो Folio		शेयर Shares	
		संख्या Nos.	प्रतिशत %age	संख्या Nos.	प्रतिशत %age
500 तक	Upto 500	231676	96.53	27386136	4.26
501 से1000	501 to 1000	5527	2.30	4008071	0.62
1001 से 5000	1001 to 5000	2117	0.88	4461279	0.70
5001 से 10000	5001 to 10000	236	0.10	1732630	0.27
10001 एवं इससे अधिक	10001 & above	444	0.19	604674897	94.15
कुल	Total	240000	100.00	642263013	100.00

शेयर मूल्य/मात्रा :

एनएसई में मासिक रूप से उच्च एवं निम्न भाव (कोटेशन) एवं शेयरों के लेन–देन की मात्रा निम्नानुसार है :–

Share Price/Volume:

The monthly high and low quotation and the volume of Shares traded on NSE are as under:-

अवधि	Period	अधिकतम रु. Highest ₹	न्यूतनतम रु. Lowest ₹	शेयरों के लेन–देन की मात्रा Volume of shares traded
अप्रैल, 2013	April, 2013	345.80	292.00	15135805
मई, 2013	May, 2013	341.00	285.00	24026635
जून, 2013	June, 2013	296.65	219.00	17020399
जुलाई, 2013	July, 2013	243.25	166.00	34823546
अगस्त, 2013	August, 2013	190.40	126.50	42791437
सितंबर, 2013	September, 2013	193.95	132.00	49572483
अक्तूबर, 2013	October, 2013	214.20	156.55	67344607
नवंबर, 2013	November, 2013	244.10	204.25	130515727
दिसंबर, 2013	December, 2013	241.80	204.50	75766749
जनवरी, 2014	January, 2014	251.30	184.55	93157764
फरवरी, 2014	February, 2014	192.60	165.55	66024458
मार्च, 2014	March, 2014	237.40	168.60	94536624
यथा 31.03.2014 की लेखा बंदी मूल्य	Closing Price as on 31.03.2014			₹ 228.50 (NSE)
बाजार पूंजीकरण	Market Capitalisation			₹ 14675.71 Crore

व्यारपकता आधारवाले संकेतकों की तुलना में कार्य–निष्पामदन
Performance in comparison to Broad Based Indices

एनएसई पर बैंक ऑफ़ इंडिया शेयर मूल्य
Bank of India Share Price on NSE

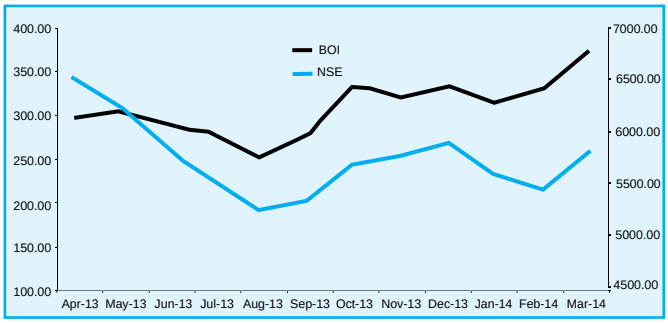

बीएसई पर बैंक ऑफ़ इंडिया शेयर मूल्य
Bank of India Share Price on BSE

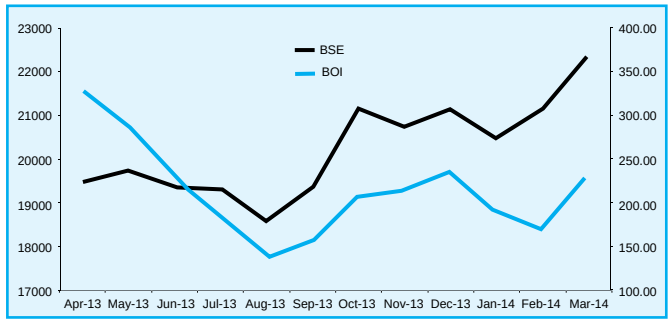

कार्पोरेट शासन के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन का प्रमाणपत्र

शेयर बाज़ार के साथ सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

अनिवार्य, गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन

बैंक ने सूचीबद्ध करार के खण्ड – 49 की अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और कथित खण्ड की गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं के संबंध में बैंक ने उसे अपनाया नहीं है। कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है :–

Certificate of compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, regarding compliance of mandatory stipulations of corporate governance in terms of the listing agreement with the Stock Exchange is attached.

Compliance of Mandatory / Non Mandatory Requirements.

The Bank has complied with the mandatory requirements of clause 49 of the Listing Agreement in respect of non mandatory requirements of the said clause, the Bank has not adopted the same. The status of its implementation is as under:

क्र. सं. Sr No.	गैर अनिवार्य अपेक्षाएं Non Mandatory requirements	कार्यान्वरयन की स्थिति Status of implementation
1	**बोर्ड** एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए हकदार **The Board -** A non executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expense.	लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक है। Not applicable, since the Chairman's Position is Executive.
2	**पारिश्रमिक समिति–** कार्यपालक निदेशकों के लिए पेंशन का अधिकार एवं कोई क्षतिपूर्ति भुगतान सहित विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेजों के संबंध में कंपनी नीति के निर्धारण हेतु बोर्ड एक पारिश्रमिक समिति का गठन कर सकती है। **Remuneration Committee-** Board may set up a Remunerative Committee to determine company's policy on specific remuneration packages for executive directors including pension right and any compensation payment.	**पारिश्रमिक समिति–** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य निष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन की पात्रता का निर्धारण करती है। तथापि कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त करते हैं। Remuneration Committee decides the entitlement of performance Linked Incentive in terms of guidelines issued by the Central Government. However, Executive Director draw salary as fixed by the Government of India.
3	**शेयरधारकों का अधिकार–** विगत छ: महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को भेजी जाए। **Shareholder's Rights-** A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to shareholders.	तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरण एवं प्रमुख विशेषताएं एनएसई, बीएसई को भेजी जाती है और अखबारों में छपवाई जाती है तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। अत: शेयरधारकों को सूचना व्यक्तिश: भेजी नहीं जाती है। The quarterly/year to date/ Annual Financial Results are sent to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website including highlights. As such, information to Shareholders is not sent individually.
4	**लेखा परीक्षा अर्हता–** अनक्वालिफाइड फैनैन्शियल स्टेटमेंट की प्रथा की ओर अग्रसर हो। **Audit Qualification**-bank may move towards a regime of unqualified financial statements.	बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण अनक्वालिफाइड हैं। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और खातों पर टिप्पणियां अनुसूचियों में उपलब्ध हैं जो कि वर्णनात्मपक प्रकृति के हैं। The bank's Annual Financial Statements are unqualified. Significant Accounting Policies and Notes to Accounts are contained in schedules, which are explanatory in nature.

क्र. सं. Sr No.	गैर अनिवार्य अपेक्षाएं Non Mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of implementation
5	**बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण** – बैंक, कंपनी के कारोबारी मॉडल एवं कंपनी के कारोबारी मानकों के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में बोर्ड सदस्यों को प्रशिक्षित करें। **Training of Board Members-** Bank may train Board members in the business model of the company as well as the risk profile of the business parameters of the company, the responsibilities as directors, and the best ways to discharge them.	बैंक ने इन दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है। The Bank has implemented these guidelines
6	**बोर्ड के गैर–कार्यपालक सदस्यों के मूल्योंकन का तंत्र–** किसी गैर–कार्यपालक निदेशक के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, मूल्यांकनाधीन निदेशक को छोडकर, पूरे निदेशक मंडल के सदस्यों वाली समक्ष समूह द्वारा किया जा सकता है और समकक्ष समूह मूल्यांकन गैर कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति को बढ़ाने/ जारी रखने का तंत्र हो सकता है। **Mechanism of evaluating Non- Executive Board Members-** The performance evaluation of non- executive directors could be done by a peer group comprising the entire Board of Directors, excluding the director being evaluated; and Peer Group evaluation could be the mechanism to the determine whether to extend/ continue the terms of appointment of non- executive directors.	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक नामांकन समिति का गठन किया गया है और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के खण्ड् 9 (3) (i) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक फिट एण्ड प्रॉपर स्थिति के निर्धारण की शर्त के अधीन है। इसके अलावा गैर–कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते है। A Nomination Committee has been constituted in terms of Reserve bank of India Guidelines and the elected directors under clause 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 are subject to determination of " fit & proper" status. Further other Non-Executive directors are appointed by GoI, as per statutory provisions.
7	**विसल ब्लोअर पॉलिसी** – अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचरण संहिता या आचारनीति के उल्लंघन के संबंध में कर्मचारी अपनी चिंताएं प्रबंधन को सूचित करें, इसके लिए बैंक को एक तंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस तंत्र में, इस तंत्र का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के साथ अत्याचार के विरुद्ध पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध हो और अपवादात्मक मामलों में उन्हे लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे सम्पर्क करने की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे तंत्र की स्थापना के पश्चात उसकी समुचित सूचना संगठन के अंदर परिचालित की जाए। **Whistle Blower Policy-** The Bank may establish a mechanism for employees to report to the management concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the company's code of conduct or ethics policy. This mechanism could also provide for adequate safeguards against victimization of employees who avail of the mechanism and also provide for direct access to the Chairman of the Audit Committee in exceptional cases. Once established, the existence of the mechanism may be appropriately communicated within the organization.	बैंक ने विसल ब्लोअर पॉलिसी कार्यान्वित की है। The Bank has implemented the Whistle Blower Policy.

कार्पोरेट नियंत्रण पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र
AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य
स्टार हाऊस, सी–5, जी ब्लॉक,
बान्द्रा–कुर्ला संकुल,
बांद्रा (पूर्व),
मुंबई – 400 051

हमने उक्त बैंक का स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 मे दी गई शर्त के अनुसार 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कार्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कारपोरेट शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह बैंक के वित्तीय विवरणों की न तो लेखा परीक्षा है और न ही मत का प्रकटन है।

हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर उल्लेख किए गए सूचीकरण करार के अनुसार बैंक ने कार्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों को पूरा किया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी गाइडेन्स नोट की आवश्यकताओं के अनुसार हम अभिव्यक्त करते है कि शेयरहोल्डर्स एण्ड इन्वेस्टर्स ग्रीवन्स कमिटी द्वारा अनुरक्षित रिकार्ड के अनुसार बैंक के विरुद्ध ऐसी कोई निवेशक शिकायत लंबित नहीं है जो एक महीने से अधिक हो।

हम यह भी अभिव्यक्त करते हैं कि यह अनुपालन न तो भविष्य में बैंक की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के मामलों की दक्षता या प्रभावशीलता से संचालन से संबंधित है।

The Members of Bank of India,
Star House, C-5, 'G' Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051.

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of India for the year ended 31st March, 2014 as stipulated in Clause 49 of the listing agreement of the said Bank with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the bank for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

As required by the Guidance Note issued by the Institute of Chartered Accountants of India, we have to state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the bank as per the records maintained by the Shareholders' and Investors' Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

मेसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स
M/s. SRB & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 310009ई) (FRN 310009E)

संजीत पात्र Sanjeet Patra
भागीदार Partner
एम. क्र. 056121 M. No. 056121

मेसर्स डी. सिंह एंड कं. M/s. D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351एन) (FRN 001351N)

सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
एम. क्र.098641 M. No. 098641

मेसर्स इसाक एंड सुरेश
M/s. Isaac & Suresh
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001150एस) (FRN 001150S)

बेनी जोसेफ Benny Joseph
भागीदार Partner
एम. क्र. 200689 M. No. 200689

मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय M/s. J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593एन) (FRN 000593N)

दीपक मेनन Deepak Menon
भागीदार Partner
एम. क्र. 084225 M. No. 084225

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं.
M/s. M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122डब्ल्यू) (FRN 107122W)

संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
एम. क्र. 044577 M. No. 044577

मेसर्स एंड्रोस. एंड कं. M/s. Andros & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 008976एन) (FRN 008976N)

ओम प्रकाश लाकड़ा Om Prakash Lakra
भागीदार Partner
एम. क्र. 081431 M. No. 081431

स्थान : मुंबई Place: Mumbai
दिनांक : 15 मई, 2014 Date : 15th May, 2014

सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल
बैंक ऑफ़ इंडिया
मुंबई

महोदय,

विषय: वर्ष 2013–14 के लिए सीईओ/सीएफो प्रमाणीकरण

बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड के साथ सूचीकरण करार के खंड 41 एवं 49 के आधार पर हम, एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि :

क) वर्ष 2013–14 हेतु हमने वित्तीय विवरण और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं मान्यता के अनुसार :

1) इन विवरणों में कोई तात्त्विक रूप से गलत विवरण नहीं है अथवा इनमें कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य छोडा नहीं गया है अथवा इसमें कोई ऐसे कथन नहीं है जो भ्रम की स्थिति पैदा करते हों।

2) ये सभी विवरण मिलकर बैंक की गतिविधियों का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और मान्यता के अनुसार, बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है जो धोखाधडीपूर्ण हो, अवैध हो अथवा जो कि बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना एवं रखरखाव की जिम्मेदारी का स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन अथवा डिज़ाइन में कमियों का खुलासा लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति के समक्ष किया है। अगर ऐसी कमी की जानकारी हमें है तो उन कमियों को दूर करने हेतु हमने कदम उठाए हैं या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है।

घ) हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समितियों को यह सूचित किया है:–

1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन

2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और उनका प्रकटन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में किया गया है और

3) अगर किसी ऐसी बडी धोखाधडी की हमें जानकारी मिली हो, जिसमें प्रबंधन अथवा वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका रखने वाला कोई कर्मचारी शामिल हो।

कृते बैंक ऑफ इंडिया

(कृष्णकुमार के. नायर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(श्रीमती वी. आर. अय्यर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 15 मई, 2014

CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of India,
Mumbai

Dear Sir,

Re: CEO/CFO Certification for the year 2013-14

Pursuant to clause 41and 49 of the Listing Agreement with BSE Limited and National Stock Exchange Limited, we hereby certify that:

a. We have reviewed financial statement and the cash flow statement for the year 2013-14 and that to the best of our knowledge and belief:

i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:

ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls. If any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and

iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Bank of India

(Krishnakumar K. Nair)
Chief Financial Officer

(Mrs. V R Iyer)
Chairperson and Managing Director

Place: Mumbai

Date: 15th May, 2014

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

बैंक ने सभी निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचरण संहिता निर्धारित की है, जिसका सार बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। निदेशकों तथा कोर प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2014 की समाप्ति के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(श्रीमती वी. आर. अय्यर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 15 मई, 2014

DECLARATION BY CEO

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the directors and Core Management of the Bank, the text of which is posted on the Bank's website. The Directors and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31st March, 2014.

(Mrs. V.R. Iyer)
Chairperson & Managing Director

Place: Mumbai

Date: 15th May, 2014

बैंक ऑफ इंडिया

तुलन पत्र

यथा 31 मार्च, 2014

और

लाभ व हानि खाता

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

BANK OF INDIA

BALANCE SHEET

As at 31st March, 2014

&

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

For the Year Ended 31st March, 2014

तुलन–पत्र यथा 31 मार्च, 2014
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2014

(000's Omitted)

		अनुसूची संख्या Schedule No	यथा As at 31-03-2014 ₹	As at 31-03-2013 ₹
I.	**पूँजी एवं देयताएं** **CAPITAL AND LIABILITIES**			
	पूँजी Capital	1	6,430,021	5,966,414
	आरक्षिति एवं अधिशेष Reserves & Surplus	2	292,800,820	233,215,148
	जमाराशियां Deposits	3	4,769,740,518	3,818,395,859
	उधार Borrowings	4	484,275,103	353,675,848
	अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	178,655,527	114,773,914
	जोड TOTAL		5,731,901,989	4,526,027,183
II.	**आस्तियां ASSETS**			
	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां Cash and balances with Reserve Bank of India	6	190,734,437	219,670,365
	बैंक में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks and money at call and short notice	7	423,088,501	328,688,229
	निवेश Investments	8	1,141,524,370	946,134,318
	अग्रिम Advances	9	3,707,335,364	2,893,674,972
	अचल आस्तियां Fixed Assets	10	57,860,575	28,701,254
	अन्य आस्तियां Other Assets	11	211,358,743	109,158,045
	कुल **TOTAL**		5,731,901,989	4,526,027,183
	आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	2,524,692,968	2,216,868,027
	वसूली के लिए बिल Bills for Collection		214,829,799	242,299,977
	महत्त्वपूर्ण लेखा नितियां Significant Accounting Policies	17		
	लेखों पर टिप्पणियां Notes to Accounts	18		

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन–पत्र का अभिन्न अंग हैं।
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म **ए** के अनुसार तुलन–पत्र तैयार किया गया है।
The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form 'A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

श्रीमती वी. आर. अय्यर	**बि. पी. शर्मा**	**अरुण श्रीवास्तव**	**आर. कोटीश्वरन**	**कृष्णकुमार के नायर**
Mrs. V.R. Iyer	**B.P. Sharma**	**Arun Shrivastava**	**R. Koteeswaran**	**Krishnakumar K. Nair**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairperson and Managing Director	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

अनूप वधावन Anup Wadhawan	एस. एस. बारिक S. S. Barik	नीरज भाटिया Neeraj Bhatia	ए. एम. परेरा A. M. Pereira
आर. एल. बिश्नोई R. L. Bishnoi	पी. एम. सिराजुद्दीन P. M. Sirajuddin	प्रमोद भसीन Pramod Bhasin	उमेश कुमार खेतान Umesh Kumar Khaitan

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न है Items of our report of even date attached

मेसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स M/s. SRB & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 310009ई) (FRN 310009E) संजीत पात्रा Sanjeet Patra भागीदार Partner एम. क्र. 056121 M. No. 056121	मेसर्स इसाक एंड सुरेश M/s. Isaac & Suresh सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 001150एस) (FRN 001150S) बेनी जोसेफ Benny Joseph भागीदार Partner एम. क्र. 200689 M. No. 200689	मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं. M/s. M. M. Nissim and Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 107122डब्ल्यू) (FRN 107122W) संजय खेमानी Sanjay Khemani भागीदार Partner एम. क्र. 044577 M. No. 044577
मेसर्स डी. सिंह एंड कं. M/s. D. Singh & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 001351एन) (FRN 001351N) सिमरन सिंह Simran Singh भागीदार Partner एम. क्र.098641 M. No. 098641	मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय M/s. J. P. Kapur & Uberai सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 000593एन) (FRN 000593N) दीपक मेनन Deepak Menon भागीदार Partner एम. क्र. 084225 M. No. 084225	मेसर्स एंड्रोस. एंड कं. M/s. Andros & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 008976एन) (FRN 008976N) ओम प्रकाश लाकड़ा Om Prakash Lakra भागीदार Partner एम. क्र. 081431 M. No. 081431

दिनांक : 15 मई, 2014/Date : 15h May, 2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

(000's Omitted)

		अनुसूची संख्या Schedule No	यथा As at 31-03-2014 ₹	As at 31-03-2013 ₹
I. आय	**INCOME**			
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	379,101,016	319,089,290
अन्य आय	Other income	14	42,918,396	37,660,431
कुल	**TOTAL**		422,019,412	356,749,721
II. खर्च	**EXPENDITURE**			
खर्च किया गया ब्याज	Interest expended	15	270,795,694	228,849,298
परिचालन खर्चे	Operating expenses	16	66,994,680	53,315,467
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies	18(5.1)	56,936,327	47,091,490
कुल	**TOTAL**		394,726,701	329,256,255
III. लाभ	**PROFIT**			
वर्ष का निवल लाभ	Net Profit for the year		27,292,711	27,493,466
जोडें: आगे लाया गया लाभ	Add: Profit brought forward		0	0
कुल	**TOTAL**		27,292,711	27,493,466
IV. विनियोग	**APPROPRIATIONS**			
कानूनी आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		7,000,000	6,873,367
राजस्व आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Revenue Reserve		12,986,303	10,335,542
पूँजी आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		51,063	317,318
विशेष आरक्षिति (से)/को अंतरण – करेंसी स्वैप	Transfer (from) / to Special Reserve - Currency Swap		0	(3,654)
अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		3,755,345	6,970,893
आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act,1961		3,500,000	3,000,000
जोड	**TOTAL**		27,292,711	27,493,466
प्रति शेयर अर्जन (₹)	Earnings Per Share	18(5.8)	44.74	47.79
महत्त्वपूर्ण लेखा नितियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes to Accounts	18		

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।
The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म **बी** के अनुसार यह लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है।
The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

श्रीमती वी. आर. अय्यर **Mrs. V.R. Iyer** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairperson and Managing Director	**बि. पी. शर्मा** **B.P. Sharma** कार्यपालक निदेशक Executive Director	**अरुण श्रीवास्तव** **Arun Shrivastava** कार्यपालक निदेशक Executive Director	**आर. कोटीश्वरन** **R. Koteeswaran** कार्यपालक निदेशक Executive Director	**कृष्णकुमार के नायर** **Krishnakumar K. Nair** मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

अनूप वधावन Anup Wadhawan	एस. एस. बारिक S. S. Barik	नीरज भाटिया Neeraj Bhatia	ए. एम. परेरा A. M. Pereira
आर. एल. बिश्नोई R. L. Bishnoi	पी. एम. सिराजुद्दीन P. M. Sirajuddin	प्रमोद भसीन Pramod Bhasin	उमेश कुमार खेतान Umesh Kumar Khaitan

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न है Items of our report of even date attached

मेसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स M/s. SRB & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 310009ई) (FRN 310009E) संजीत पात्रा Sanjeet Patra भागीदार Partner एम. क्र. 056121 M. No. 056121	मेसर्स इसाक एंड सुरेश M/s. Isaac & Suresh सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 001150एस) (FRN 001150S) बेनी जोसेफ Benny Joseph भागीदार Partner एम. क्र. 200689 M. No. 200689	मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं. M/s. M. M. Nissim and Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 107122डब्ल्यू) (FRN 107122W) संजय खेमानी Sanjay Khemani भागीदार Partner एम. क्र. 044577 M. No. 044577
मेसर्स डी. सिंह एंड कं. M/s. D. Singh & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 001351एन) (FRN 001351N) सिमरन सिंह Simran Singh भागीदार Partner एम. क्र.098641 M. No. 098641	मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय M/s. J. P. Kapur & Uberai सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 000593एन) (FRN 000593N) दीपक मेनन Deepak Menon भागीदार Partner एम. क्र. 084225 M. No. 084225	मेसर्स एंड्रोस. एंड कं. M/s. Andros & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 008976एन) (FRN 008976N) ओम प्रकाश लाकड़ा Om Prakash Lakra भागीदार Partner एम. क्र. 081431 M. No. 081431

दिनांक : 15 मई, 2014/Date : 15h May, 2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2014

(₹ in '000)

विवरण	Particulars	को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014	को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2013
क. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**A. Cash Flow from Operating Activities:**		
कर के पहले निवल लाभ	**Net Profit before taxes**	**35,450,535**	**30,077,375**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	**Adjustments for:**		
निवेशों पर परिशोधन / मूल्यह्रास	Amortisation/Depreciation on Investments	2,770,396	2,375,900
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on Fixed Assets	2,278,713	1,838,856
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि)	Profit/(Loss) on sale of Fixed Asset	3,642	3,964
एनपीए के लिए प्रावधान	Provision for NPA	39,958,683	37,265,485
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	4,226,662	2,916,256
अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Other Assets	3,867,630	3,558,955
गौण बांड्स आईपीडीआई, अपर टियर II बांड्स पर भुगतान ब्याज हेतु प्रावधान	Payment / Provision for Interest on Subordinated Bonds, IPDI, Upper Tier II Bonds	9,203,054	7,867,476
प्राप्त लाभांश	Dividend received	(459,038)	(446,377)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	**Adjustments for:**		
जमाराशियों में बढ / (घट)	Increase /(Decrease) in Deposits	951,344,659	636,235,527
उधार में बढ / (घट)	Increase /(Decrease) in Borrowings	113,215,601	31,406,074
अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ / (घट)	Increase / (Decrease)in Other Liabilities and Provisions	49,543,107	(16,313,176)
निवेशों में बढ / (घट)	(Increase) / Decrease in Investments	(197,307,551)	(80,879,245)
अग्रिमों में बढ / (घट)	(Increase)/ Decrease in Advances	(853,619,075)	(442,607,015)
अन्य आस्तियों में (बढ) / घट	(Increase) / Decrease in Other Assets	(93,731,682)	11,655,706
प्रत्यक्ष कर (भगतान) / वापसी	Direct Taxes (Paid)/Refund	(2,500,301)	(17,385,548)
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)	**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**64,245,035**	**207,570,213**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:	**B. Cash Flow from Investing Activities:**		
अचल आस्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	(6,183,945)	(3,725,936)
अचल आस्तियों की बिक्री	Sale of Fixed Assets	342,751	360,221
सहायक कंपनियों/जॉइंट वेंचर्स/एसोसिएट्स में अतिरिक्त निवेश	Additional investment in Subsidiaries/Joint Ventures/ Associates.	(852,896)	(95,113)
प्राप्त लाभांश	Dividend received	459,038	446,377
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**(6,235,052)**	**(3,014,451)**
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**C. Cash Flow from Financing Activities:**		
शेयर पूँजी	Share Capital	463,607	221,219
शेयर प्रीमियम	Share Premium	9,536,393	7,868,779
आईपीडीआई, गौण बांड तथा अपर टियर II बांड (निवल)	IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	17,383,654	1,127,524
प्रदत्त लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम)	Dividend (Interim & Final) paid	(10,726,238)	(4,659,760)
आईपीडीआई, गौण बांड तथा अपर टियर II बांड पर प्रदत्त ब्याज	Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(9,203,055)	(7,867,476)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**7,454,361**	**(3,309,714)**
नकद और नकदी समतुल्य में निवल बढ़त (क)+(ख)+(ग)	**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)**	**65,464,344**	**201,246,048**
वर्ष के आरम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year**	**548,358,594**	**347,112,546**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**613,822,938**	**548,358,594**

श्रीमती वी. आर. अय्यर **Mrs. V.R. Iyer** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairperson and Managing Director	**बि. पी. शर्मा** **B.P. Sharma** कार्यपालक निदेशक Executive Director	**अरुण श्रीवास्तव** **Arun Shrivastava** कार्यपालक निदेशक Executive Director	**आर. कोटीश्वरन** **R. Koteeswaran** कार्यपालक निदेशक Executive Director	**कृष्णकुमार के नायर** **Krishnakumar K. Nair** मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

अनूप वधावन Anup Wadhawan	एस. एस. बारिक S. S. Barik	नीरज भाटिया Neeraj Bhatia	ए. एम. परेरा A. M. Pereira
आर. एल. बिश्नोई R. L. Bishnoi	पी. एम. सिराजुद्दीन P. M. Sirajuddin	प्रमोद भसीन Pramod Bhasin	उमेश कुमार खेतान Umesh Kumar Khaitan

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न है Items of our report of even date attached

मेसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स M/s. SRB & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 310009ई) (FRN 310009E) संजीत पात्रा Sanjeet Patra भागीदार Partner एम. क्र. 056121 M. No. 056121	मेसर्स इसाक एंड सुरेश M/s. Isaac & Suresh सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 001150एस) (FRN 001150S) बेनी जोसेफ Benny Joseph भागीदार Partner एम. क्र. 200689 M. No. 200689	मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं. M/s. M. M. Nissim and Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 107122डब्ल्यू) (FRN 107122W) संजय खेमानी Sanjay Khemani भागीदार Partner एम. क्र. 044577 M. No. 044577
मेसर्स डी. सिंह एंड कं. M/s. D. Singh & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 001351एन) (FRN 001351N) सिमरन सिंह Simran Singh भागीदार Partner एम. क्र.098641 M. No. 098641	मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय M/s. J. P. Kapur & Uberai सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 000593एन) (FRN 000593N) दीपक मेनन Deepak Menon भागीदार Partner एम. क्र. 084225 M. No. 084225	मेसर्स एंड्रोस. एंड कं. M/s. Andros & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 008976एन) (FRN 008976N) ओम प्रकाश लाकड़ा Om Prakash Lakra भागीदार Partner एम. क्र. 081431 M. No. 081431

दिनांक : 15 मई, 2014/Date : 15h May, 2014

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2014 ₹	यथा As at 31-03-2013 ₹
अनुसूचि – 1 : पूँजी	SCHEDULE - 1 : CAPITAL		
प्राधिकृत	**AUTHORISED**		
300,00,00,000 (पिछले वर्ष 300,00,00,000) ₹10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	300,00,00,000 (Previous year ended 300,00,00,000) Equity Shares of ₹10 each	**30,000,000**	**30,000,000**
जारी और अभिदत्त	**ISSUED AND SUBSCRIBED**		
64,34,40,113 (पिछले वर्ष 59,70,79,427) शेष ₹10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर 42,83,67,513 इक्विटी शेयर शामिल (पिछले वर्ष 38,20,06,827) ₹10 प्रत्येक के, पूर्ण प्रदत्त कुल ₹428.37 करोड़ (पिछले वर्ष ₹382.01 करोड़) केन्द्र सरकार द्वारा धारित.	64,34,40,113 Equity Shares (Previous year ended 59,70,79,427) of ₹10 each including 42,83,67,513 Equity Shares (Previous year ended 38,20,06,827) of ₹10 each fully paid up amounting to ₹428.37 crores (Previous year ended ₹382.01 crores) held by Central Government;	**6,434,401**	**5,970,794**
कुल	**TOTAL**	**6,434,401**	**5,970,794**
प्रदत्त पूँजी	**PAID-UP CAPITAL**		
पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक ₹10 के 64,22,63,013 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 59,59,02,327)	64,22,63,013 Equity Shares (Previous year ended 59,59,02,327) of ₹10 each fully paid-up.	**6,422,630**	**5,959,023**
जोडें : जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	**7,391**	**7,391**
कुल	**TOTAL**	**6,430,021**	**5,966,414**
अनुसूची – 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS		
I. कानूनी आरक्षितियां :	**I. Statutory Reserve :**		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**59,568,842**	**52,695,475**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	**7,000,000**	**6,873,367**
कुल (I)	TOTAL (I)	**66,568,842**	**59,568,842**
II. पूँजी आरक्षितियां :	**II. Capital Reserves :**		
ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**11,821,336**	**12,358,898**
जोडें : संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन	Add: Revaluation of Property	**27,599,034**	**0**
घटाएं : पुनर्मुल्यांकन के कारण मूल्यह्रास/समायोजन	Less: Depreciation/adjustments on account of revaluation.	**1,998,552**	**537,562**
जोड (ए)	Total of (A)	**37,421,818**	**11,821,336**
बी) अन्य	B) Others		
i) निवेश की बिक्री पर लाभ परिपक्वता तक धारित	i) Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**8,750,600**	**8,433,282**
जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	**51,063**	**317,318**
(i) का उप–जोड	Sub-total of (i)	**8,801,663**	**8,750,600**
ii) विदेशी मुद्रा ट्रॉस्लेशन आरक्षिति	ii) Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**11,153,627**	**9,664,922**
जोडें : वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Adjustments during the year (Net)	**5,228,131**	**1,488,705**
(ii) का उप–जोड	Sub-total of (ii)	**16,381,758**	**11,153,627**
iii) विसेष आरक्षिती – मुद्रा स्वैप प्रारंभिक शेष	iii) Special Reserve - Currency Swaps Opening Balance	**0**	**3,654**
वर्ष के दौरान कटौतियां	Deductions during the year	**0**	**(3,654)**
(iii) का उप–जोड	Sub-total of (iii)	**0**	**0**
जोड (बी)	Total of (B)	**25,183,421**	**19,904,227**
जोड (II)	TOTAL (II)	**62,605,239**	**31,725,563**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2014 ₹	यथा As at 31-03-2013 ₹
	SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)		
III. शेयर प्रिमीयम :	**III. Share Premium :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**46,313,073**	**38,444,294**
वर्ष के दौरान परिवर्धन (इक्विटी का अधिमानी निर्गम)	Additions (Preferential Issue of Equity shares)	**9,536,393**	**7,868,779**
जोडें : विलोपित जब्त शेयर	Add: On forfeited shares annulled	**0**	**0**
जोड (III)	TOTAL (III)	**55,849,466**	**46,313,073**
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :	**IV. Revenue and Other Reserves :**		
i) राजस्व आरक्षिती:	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**82,907,670**	**72,572,128**
वर्ष के दौरान कटौतियां	Deductions during the year	**4,316,700**	**0**
जोडें/(घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	**12,986,303**	**10,335,542**
(iv) का उप-जोड	Sub-total of IV(i)	**91,577,273**	**82,907,670**
ii) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिती	ii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**12,700,000**	**9,700,000**
जोडें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	**3,500,000**	**3,000,000**
IV(ii) का उप जोड़	Sub-total of IV(ii)	**16,200,000**	**12,700,000**
जोड (IV)	TOTAL (IV)	**107,777,273**	**95,607,670**
V. समेकित लाभ-हानि खाते में शेष	**V. Balance in Profit and Loss Account :**	**0**	**0**
जोड (I से V)	TOTAL (I TO V)	**292,800,820**	**233,215,148**
अनुसूची – 3 : जमाराशियां	**SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**		
ए **I. माँग जमाराशियाँ :**	**A. I. Demand Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	**3,864,302**	**10,594,715**
ii) अन्य से	ii) From Others	**212,031,779**	**192,262,757**
जोड (I)	TOTAL (I)	**215,896,081**	**202,857,472**
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	**II. Savings Bank Deposits**	**878,489,165**	**776,212,260**
III. मियादी जमाराशियाँ:	**III. Term Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	**526,193,189**	**389,418,666**
ii) अन्य से	ii) From Others	**3,149,162,083**	**2,449,907,461**
जोड (III)	TOTAL (III)	**3,675,355,272**	**2,839,326,127**
कुल ए (I से III)	TOTAL A(I, II, III)	**4,769,740,518**	**3,818,395,859**
बी i) भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	B. i) Deposits of branches in India	**3,635,902,216**	**2,940,667,388**
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियाँ	ii) Deposits of branches outside India	**1,133,838,302**	**877,728,471**
जोड (बी)	TOTAL (B)	**4,769,740,518**	**3,818,395,859**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2014 ₹	यथा As at 31-03-2013 ₹
अनुसूची – 4 : उधार	SCHEDULE - 4 : BORROWINGS		
भारत में उधार:	**I. Borrowings in India :**		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	**46,865,583**	**4,110**
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks		
ए. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	**5,262,000**	**5,712,000**
बी. अपर टियर II पूँजी	b. Upper Tier II Capital	**695,000**	**695,000**
सी. प्रतिभूतिरहित गैर–परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र (टियर II पूँजी के लिए गौण ऋण)	c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)	**1,153,000**	**1,113,000**
डी. अन्य	d. Others	**17,676,334**	**14,882,355**
जोड (ii)	Total (ii)	**24,786,334**	**22,402,355**
iii) अन्य संस्थाएं और अधिकरण	iii) Other Institutions and Agencies		
ए. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	**11,538,000**	**11,088,000**
बी. अपर टियर II पूँजी	b. Upper Tier II Capital	**41,625,000**	**41,625,000**
सी. प्रतिभूतिरहित गैर–परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र (टियर II पूँजी के लिए गौण ऋण)	c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)	**31,847,000**	**16,887,000**
डी. अन्य	d. Others	**69,773,146**	**62,534,309**
जोड (ii)	Total (iii)	**154,783,146**	**132,134,309**
जोड (I)	Total (I)	**226,435,063**	**154,540,774**
II. भारत के बाहर से उधार	**II. Borrowings outside India**		
ए. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	**5,097,701**	**4,610,989**
बी. अपर टियर II पूँजी	b. Upper Tier II Capital	**14,375,360**	**13,051,984**
सी. अन्य	c. Others	**238,366,979**	**181,472,101**
जोड (II)	Total (II)	**257,840,040**	**199,135,074**
जोड (I एवं II)	Total (I, II)	**484,275,103**	**353,675,848**
ऊपर सम्मिलित प्रतिभूति उधार	**Secured borrowings included in above**	**0**	**0**
अनुसूची – 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल	**I.** Bills Payable	**10,981,843**	**12,880,400**
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	**II.** Inter-office adjustments (net)	**0**	**0**
III. उपार्जित आय	**III.** Interest accrued	**18,415,642**	**14,936,158**
IV. आस्थगित कर देयता	**IV.** Deferred Tax Liabilities	**15,865,734**	**3,124,632**
V. अन्य	**V.** Others (Including Provisions)	**133,392,308**	**83,832,724**
जोड	TOTAL	**178,655,527**	**114,773,914**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2014 ₹	यथा As at 31-03-2013 ₹
अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. **हाथ में नकदी** (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित)	I. **Cash in hand** (including foreign currency notes and gold)	**20,100,256**	**17,571,477**
II. **भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष:**	II. **Balances with Reserve Bank of India :**		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	**170,634,181**	**202,098,888**
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	**0**	**0**
जोड (II)	TOTAL (II)	**170,634,181**	**202,098,888**
जोड (I एवं II)	TOTAL (I, II)	**190,734,437**	**219,670,365**
अनुसूची – 7 : बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि	SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. **अल्प सूचना पर धनराशि**	I. **In India :**		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with Banks		
ए) चालू खातों में	a) in Current Accounts	**4,816,255**	**5,446,559**
बी) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	**97,525,408**	**86,269,260**
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	ii) Money at call and short notice		
ए) बैंकों में	a) With Banks	**0**	**0**
बी) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	**0**	**0**
जोड (ख)	TOTAL (I)	**102,341,663**	**91,715,819**
II. **भारत के बाहर :**	II. **Outside India :**		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	**9,884,084**	**5,481,190**
ii) अन्य जामाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	**309,053,093**	**228,819,335**
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	iii) Money at call and short notice	**1,809,661**	**2,671,885**
जोड (II)	TOTAL (II)	**320,746,838**	**236,972,410**
जोड (I एवं II)	TOTAL (I, II)	**423,088,501**	**328,688,229**
अनुसूची – 8 : निवेश	SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS		
I. **भारत में निवेश:**	I. **Investments in India :**		
i) सरकारी प्रतिभूति	i) Government Securities	**966,802,623**	**794,907,507**
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	**11,647**	**11,647**
iii) शेयर	iii) Shares	**8,969,758**	**9,232,587**
iv) डिबेंचर एवं बंधपत्र	iv) Debentures and Bonds	**83,862,831**	**55,387,975**
v) सहायक कंपनियों में निवेश	v) Subsidiaries and Associates	**4,456,814**	**4,134,540**
vi) अन्य (वाणिज्यिक दस्तावेज, म्यूचुअल फण्ड की इकाइयां, पास थ्रू सर्टिफिकेट, सुरक्षा रसीदें, वेंचर फण्ड आदि)	vi) Others (Commercial Papers, Units of Mutual Funds, Pass Through Certificates, Security Receipts, Venture Fund etc.)	**21,006,353**	**42,381,640**
जोड (I)	TOTAL (I)	**1,085,110,026**	**906,055,896**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2014 ₹	यथा As at 31-03-2013 ₹
	SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS (contd.)		
सकल ₹109,12,80,429 (विगत वर्षात ₹91,14,01,218)	Gross ₹109,12,80,429 (Previous year ended ₹91,14,01,218)		
घटाएँ मूल्यह्रास ₹ 61,70,403 (विगत वर्षात ₹ 53,45,322)	Less: Depreciation ₹ 61,70,403 (Previous year ended ₹ 53,45,322)		
भारत के बाहर निवेश:	**II. Investments outside India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	**36,015,903**	**23,764,631**
ii) विदेशों में अनुषंगियों और/या संयुक्त उद्यमों में	ii) In Subsidiaries and/or joint ventures abroad	**4,600,444**	**4,069,822**
iii) अन्य निवेश (डिबेंचर, बॉण्ड आदि)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	**15,797,997**	**12,243,969**
कुल (II)	TOTAL (II)	**56,414,344**	**40,078,422**
सकल ₹6,12,29,712 (विगत वर्षात ₹4,45,58,161) घटाएं मूल्य ह्रास और संक्रामण (विगत वर्षात ₹44,79,739)	Gross ₹6,12,29,712(Previous year ended ₹4,45,58,161) less depreciation and amortisation ₹48,15,367 (Previous year ended ₹44,79,739)		
जोड (I, II)	TOTAL (I, II)	**1,141,524,370**	**946,134,318**
अनुसूची – 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
ए. i) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल	**A.** i) Bills Purchased and Discounted	**590,883,783**	**511,686,089**
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**1,620,580,154**	**1,228,782,177**
iii) मियादी ऋण	iii) Term Loans	**1,495,871,427**	**1,153,206,706**
कुल (ए)	TOTAL (A)	**3,707,335,364**	**2,893,674,972**
बी.	**B. Particulars of Advances :**		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के निमित्त अग्रिम शामिल है)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	**2,494,724,889**	**1,879,769,741**
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	**549,217,036**	**606,559,629**
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	**663,393,439**	**407,345,602**
जोड (बी)	TOTAL (B)	**3,707,335,364**	**2,893,674,972**
सी. अग्रिमों का क्षेत्रववार वर्गीकरण :	**C. Sectoral Classification of Advances :**		
I. भारत में अग्रिम	**I. Advances in India**		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	**773,955,592**	**649,660,787**
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	**472,909,900**	**298,815,767**
iii) बैंक	iii) Banks	**934,951**	**1,805,600**
iv) अन्य	iv) Others	**1,348,348,482**	**1,063,400,725**
जोड सी (I)	TOTAL (C-I)	**2,596,148,925**	**2,013,682,879**
II. भारत के बाहर अग्रिम :	**II. Advances outside India :**		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	**341,257,630**	**306,819,176**
ii) अन्यों से देय	ii) Due from others		
क) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	**186,242,008**	**184,660,244**
ख) समूहनकृत ऋण	b) Syndicated Loans	**186,925,377**	**152,816,449**
ग) अन्य	c) Others	**396,761,424**	**235,696,224**
जोड (II)	TOTAL (C-II)	**1,111,186,439**	**879,992,093**
जोड (सी–I एवं सी–II)	TOTAL (C - I, C - II)	**3,707,335,364**	**2,893,674,972**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2014 ₹	यथा As at 31-03-2013 ₹
अनुसूची – 10 : अचल आस्तियां	SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS		
I. परिसर :	**I. PREMISES :**		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	**11,631,340**	**11,476,796**
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions / Adjustments during the year	**1,902,558**	**154,544**
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	Less:Deductions / Adjustments during the year	**4,382**	**0**
उप–जोड	Sub-total	**13,529,516**	**11,631,340**
पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किए गए पुनर्मूल्यन के कारण इस तारीख तक जोड	Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	**47,212,385**	**19,613,350**
घटाएं : इस तारीख को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन के कारण ₹ 97,905,68 सहित पिछले वर्ष में ₹77,92,016)	Less : Depreciation to date (including ₹ 97,905,68 on account of revaluation - Previous year end ₹77,92,016)	**13,099,523**	**10,594,208**
जोड (I)	TOTAL -(I)	**47,642,377**	**20,650,482**
II. अन्य अचल आस्तियां : (फर्निचर एवं फिक्स्चर सम्मिलित हैं)	**II. OTHER FIXED ASSETS : (including Furniture and Fixtures)**		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	**17,936,034**	**15,192,015**
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions / Adjustments during the year	**3,767,783**	**3,145,807**
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less:Deductions / Adjustments during the year	**631,151**	**401,788**
उप–जोड	Sub-total	**21,072,665**	**17,936,034**
घटाएं: इस तारीख को मूल्यह्रास	Less: Depreciation to date	**12,280,048**	**10,797,238**
जोड (II)	TOTAL (II)	**8,792,617**	**7,138,796**
III. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	**III. CAPITAL WORK IN PROGRESS**	**1,425,581**	**911,976**
जोड (I से III)	TOTAL (I, II, III)	**57,860,575**	**28,701,254**
अनुसूची – 11 : अन्य आस्तियां	SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	**I.** Inter-office adjustments (net)	**18,914,782**	**1,114,569**
II. उपचित ब्याज	**II.** Interest accrued	**26,020,581**	**19,209,454**
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटे गए कर (निवल)	**III.** Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	**52,052,219**	**44,055,583**
IV. लेखन सामग्री और स्टैम्प	**IV.** Stationery and Stamps	**27,720**	**22,444**
V. आस्थगित कर आस्तियां	**V.** Deferred Tax Assets	**1,266,837**	**794,457**
VI. अन्य	**VI.** Others	**113,076,604**	**43,961,538**
जोड	TOTAL	**211,358,743**	**109,158,045**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		यथा As at 31-03-2014 ₹	यथा As at 31-03-2013 ₹
अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**		
I. बैंक के विरुद्ध दावें जिन्हे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	10,449,068	8,113,001
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	II. Liability for partly paid Investments	1,951,442	1,170,424
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	1,431,828,363	1,426,112,004
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
ए) भारत में	a) In India	183,647,460	167,395,925
बी) भारत के बाहर	b) Outside India	229,377,025	128,253,018
V. स्वीकार, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व	V. Acceptances, endorsements and other obligations	305,960,175	271,427,822
VI. ब्याज दर स्वैप	VI. Interest Rate Swaps	294,505,775	202,187,374
VII. अन्य मदे जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	66,973,660	12,208,459
जोड	TOTAL	2,524,692,968	2,216,868,027

		For the Year ended 31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु ₹	For the Year ended 31-03-2013 को समाप्त वर्ष हेतु ₹
लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियाँ	**SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT**		
अनुसूची – 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश	**SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED**		
I. अग्रिमों/बिल पर ब्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	271,192,766	231,392,121
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	84,049,660	72,612,644
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के शेषों पर ब्याज	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	20,033,696	12,569,655
IV. अन्य	IV. Others	3,824,894	2,514,870
जोड	TOTAL	379,101,016	319,089,290

अनुसूची – 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**				
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	I. Commission, exchange and brokerage			14,260,912	12,631,524
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	II. Profit on sale of Investments		7,957,771		
घटाएं : निवेशों के विक्रय पर नुकसान	Less Loss on sale of Investments		1,478	7,956,294	4,470,597
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	III. Profit on sale of land, buildings and other assets		0		
घटाएं : अचल आस्तियों के विक्रय पर नुकसान	Less Loss on sale of land, buildings and other assets		0	0	0
IV विनिमय संव्यवहारों पर लाभ – निवल	IV Profit on exchange transactions		31,496,088		
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर नुकसान	Less Loss on exchange transactions		24,384,387	7,111,702	6,440,395

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियाँ	SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	For the Year ended 31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु ₹	For the Year ended 31-03-2013 को समाप्त वर्ष हेतु ₹
	SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME (contd.)		
V सहायक कंपनियों/कंपनियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries / cos.and/or JVs	459,038	446,377
VI विविध आय	VI Miscellaneous Income	13,130,450	13,671,538
	TOTAL	42,918,396	37,660,431
		`	`
अनुसूची – 15 : व्यय किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**		
I. जमाराशियों पर ब्याज	I. Interest on Deposits	237,749,182	202,383,076
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक बैंक उधारों ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	18,375,103	14,885,950
III. गौण ऋणों, आईआरएस इत्यादि पर ब्याज	III. Interest on subordinated debts, IRS etc.	14,671,409	11,580,272
जोड	TOTAL	270,795,694	228,849,298
अनुसूची – 16 : परिचालनगत व्यय	**SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES**		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	39,911,459	31,305,157
II. किराया, कर एवं बिजली	II. Rent, Taxes and Lighting	5,348,486	4,298,222
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	III. Printing and Stationery	711,884	611,555
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	854,280	627,577
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन आरक्षितियों पर निवल मूल्यह्रास)	V. Depreciation on Bank's property (Net of Depreciation on Revaluation Reserve)	2,278,713	1,838,856
VI. निदेशकों के भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	1,555	1,325
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय)	VII. Auditors' fees and expenses (Including brach Auditors' fees & expenses)	531,042	372,218
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	254,994	187,574
IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	748,708	453,044
X. मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance	629,471	599,486
XI. बीमा	XI. Insurance	3,169,730	2,281,577
XII. अन्य खर्च	XII. Other Expenditure	12,554,358	10,738,876
जोड	TOTAL	66,994,680	53,315,467

अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. तैयार करने का आधार :

वित्तीय विवरण प्रचलित विचार धारा का पालन करते हुए, परंपरागत लागत आधार पर भारत में सामान्यत: अपनाए जाने वाले लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) पर तैयार किए गए हैं, जिसमें लागू सांविधिक उपबंध, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक शर्तें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थांन (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और भारत के बैंकिंग उद्योग में विद्यमान लेखांकन पद्धति शामिल है। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित विदेशों में प्रचलित सांविधिक उपबंधों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया है, सिवाय उनके जिन्हेंद अन्यलत्र विनिर्दिष्टप किया गया है।

2. प्राक्कथलन का प्रयोग :

वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए यह आवश्यक है कि वित्तीय विवरण की तिथि को रिपोर्ट किए गये आस्ति तथा देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि और रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट किए गये आय और व्ययों के सुविचारित अनुमानों तथा धारणों को प्रबंधन पूरा करे। प्रबंधन यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किए गये अनुमान यथोचित तथा ठीक है। तथापि प्राक्कलन से असल परिणाम में अंतर हो सकता है। लेखा प्राक्कचलन में किसी संशोधन को चालू और भविष्य अवधि को ध्यान में रखकर मान्यता दी जाती है।

3. राजस्व पहचान

(क) सामान्यत: आय/व्यय का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। विदेशी कार्यालयों के संबंध में उस संबंधित देश के स्थानीय कानून के अनुसार आय निर्धारित की जाएगी।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सिवाय अनुत्पादक आस्तियों पर ब्याज के जिसका वसूली होने पर निर्धारण किया जाता है, समय अनुपात के आधार पर ब्याज आय का निर्धारण किया जाता है।

(ग) बैंक गारंटी और साख पत्र जारी करने पर कमीशन का उपचय बीजी/एलसी के कार्यकाल पर होता है।

(घ) अन्य सभी कमीशन और विनिमय, ब्रोकरेज, शुल्क तथा अन्य प्रभारों के वसूली पर आय के रूप में निर्धारण किया जाता है।

(ङ) परिपक्वता तक धारित श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अलावा) उसके अंकित मूल्य पर प्राप्त छूट पर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :

1. ब्याज देने वाले प्रतिभूतियों पर केवल बिक्री/रीडेम्प्शन के समय ही इसका निर्धारण किया जाता है।
2. जीरो–कूपन प्रतिभूतियों पर निरंतर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति के शेष परिपक्वतता काल पर इसका लेखांकन किया जाता है।

(च) निवेशों की बिक्री से हुए लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। तथापि परिपक्वता तक धारित श्रेणी के तहत निवेशों की बिक्री में लाभ की स्थिति में करों के निवल और सांविधिक राजस्वस में अंतरण के लिए आवश्यक राशि के समान राशि को पूंजी राजस्व खाते में विनियोजित किया जाता है।

(छ) लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश का निर्धारण किया जाता है।

(ज) मूल्यांकन आदेश पास करने के वर्ष में आयकर– रिफंड पर ब्याज का निर्धारण किया जाता है।

(झ) एनपीए खातों से की गई वसूली का विनियोजन पहले उधारकर्ता के खाते में डेबिट किए गए अप्राप्त) ब्याज/आय, किए गए व्यय/आउट ऑफ पॉकेट व्यय उसके बाद बकाया मूलधन और अंत में अप्रभारित ब्याज में विनियोजित की जाती है।

SCHEDULE 17:

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1) BASIS OF PREPARATION:

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform, in all material aspects, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and accounting practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

2) USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3) REVENUE RECOGNITION:

(a) Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income is recognised as per local laws of host country.

(b) Interest income is recognised on time proportion basis except (i) interest on Non-performing Assets, which is recognised on realisation, in terms of the RBI guidelines.

(c) Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is accrued over the tenure of BG/LC.

(d) All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

(e) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

1. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.
2. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

(f) Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount, net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves, is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

(g) Dividend is recognised when the right to receive the dividend is established.

(h) Interest on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

(i) The recoveries made from NPA accounts are appropriated first towards unrealised interest/income debited to borrowers accounts, expenditure/out of pocket expenses incurred, then principal dues and lastly towards uncharged interest.

4. अग्रिम

(क) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसरण में अग्रिम को उत्पादक और अनुत्पादक अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को आगे अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) घरेलू शाखाओं के संबंध में एनपीए से संबंधित प्रावधान बैंक की नीति के अनुसार विशेषकर एनपीए का त्वरित प्रावधानीकरण के अनुसार किया गया है जिसका दर निम्नानुसार है।

4) ADVANCES:

(a) Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

(b) NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

(c) In respect of domestic branches, Provisions in respect of NPAs is made as per policy of the bank particularly in accelerated provisioning for NPAs which is at the rate given as under:

एनपीए की श्रेणी	Category of NPAs	निवल बकाया अग्रिम का % % of net outstanding advance
अवमानक आस्ति *	Sub Standard:*	
क) एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती है	a) Exposures, which are unsecured ab initio	25%
ख) अन्य	b) Others	15%
संदिग्ध :	Doubtful:	
क) जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में ही रहा)	a) Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
– एक वर्ष तक	- Upto one year	50%
– एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- One year to three years	60%
– तीन वर्ष से अधिक	- More than three years	100%
ख) गैर जमानती हिस्सा	b) Unsecured portion	100%
हानि	Loss	100%

* बकाया अग्रिम पर

(घ) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान संबंधित विदेशी देश में लागू विनियामक आवश्य कताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगी जो भी कड़े हो।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनुत्पादक आस्तियां, अवसूलीकृत ब्याज, इसीजीसी दावा निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाए जाते हैं।

(च) पुनर्निधारित/पुन:संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित ब्याज पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम के परिकलन हेतु इस प्रावधान को घटाया जाता है।

(छ) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेच देने के मामले में यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्यप (एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्तय राशि को रखा जाता है और एससी/एआरसी को अन्यल वित्तीय आस्तियों की बिक्री में होनेवाली कमी/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है। यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से नीचे है (अर्थात् रखे गए प्रावधान से कम बकाया) तो कमी को लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि अतिरिक्त राशि उपलब्ध है तो ऐसी कमी को उसमें खपाया जाएगा। 26.02.2014 को अथवा उसके बाद एनपीए की बिक्री से उत्पन्न किसी भी कमी को यदि अतिरिक्त राशि में खपाया नहीं जाता है तो उसे दो वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा।

एनपीए की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाएगा जब आस्ति का निवल बही मूल्यी प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआरएस/पीटीसी का रीडेम्पशन) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी के उस हद तक सीमित होगी।

* on the outstanding advance

(d) In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

(e) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims settled, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

(f) In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

(g) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any such shortfall arising due to sale of NPA on or after 26/02/2014 will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPA's are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/ or redemption of SRS/PTC) is higher then the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

(ज) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुन:संरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों का प्रावधान किया जाता है।

(झ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधिक देश के एक्सेपोज़र के लिए श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

5. अस्थायी प्रावधान :

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित की जाने वाली अस्थायी प्रावधान की प्रमात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

6. डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट :

क्रेडिट/डेबिट कार्डों पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान प्रत्येक श्रेणी में संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

7. निवेश :

निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता तक धारित कारोबार के लिए धारित और बिक्री हेतु धारित श्रेणियों में किया गया है। भारत में किए गए निवेशों के प्रकटन के उद्देश्य से इन्हें आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार छह वर्गों के तहत वर्गीकृत किया जाता है जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, शेयर, डिबेंचर और बाँड, अनुषंगियों और सहायक कंपनियों और अन्य में निवेश भारत के बाहर निवेशों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित), विदेश में अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम और अन्य निवेश।

(क) वर्गीकरण का आधार

निवेश का वर्गीकरण उसके अर्जन के समय किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार का निर्धारण समझौते की तारीख पर और अन्य निवेशों का निर्धारण कारोबार की तारीख को किया जाता है।

i. परिपक्वता पर धारित

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

ii. कारोबार के लिए धारित

इसमें ऐसे निवेश है जिन्हें अल्प मियादी मूल्यो/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जन किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इसका कारोबार किया जाता है।

iii. बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण परिपक्व ता तक धारित अथवा ङ्कारोबार के लिए धारितफरूप में नहीं किया हैं, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

ख) निवेश का अधिग्रहण लागत

i. ईक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूतियों का संव्यवहार कर इत्यादि लागत में शामिल है।

ii. ब्रोकरेज, कमीशन, ऋण निवेश पर भुगतान/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को आय/व्यजय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता।

iii. निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

iv. निवेश की लागत भारित औसत लागत उपाय द्वारा निर्धारित की जाती है।

(h) Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines.

(i) Provision for net funded country exposures is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

5) FLOATING PROVISION:

The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes.

6) Debit/Credit Card Reward Points:

Provision for Reward Points on Debit/Credit cards is made based on the accumulated outstanding points in each category.

7) INVESTMENTS:

Investments are categorised under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure of investments in India, these are classified, in accordance with RBI guidelines, under six classification viz. Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Investment in Subsidiaries and Associates and Others. In respect of investments outside India, these are classified, in accordance with RBI guidelines, under four categories viz. Government Securities (including local authorities), Subsidiaries/ Joint Ventures abroad and Other Investments.

(a) Basis of categorisation

Categorisation of an investment is done at the time of its acquisition. Transactions in Government Securities are recognised on Settlement Date and all other investments are recognised on trade date.

i) Held to Maturity

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

ii) Held for Trading

This comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. These are intended to be traded within 90 days from the date of purchase.

iii) Available for Sale

This comprise investments which do not fall under in "Held to Maturity" or "Held for Trading" classification.

(b) Acquisition Cost of Investment

i) Brokerage, commission, securities transaction tax etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as income/ expense and is excluded from cost/sale consideration.

iii) Brokerage and Commission received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

iv) Cost of investments is determined at weighted average cost method.

ग) मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में धारित निवेशों का संबंधित विदेशी देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मूल्य के कम पर अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

ट्रेज़री बिल और वाणिज्यिक कागजातों का रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

i. परिपक्वता तक धारित :

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन के निवल, यदि कोई हो, पर लिया गया है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, को सतत अर्जन प्रणाली का उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन आय में निवेश पर ब्याज शीर्ष के तहत समायोजित की जाती है।
2. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश को परंपरागत लागत में मूल्यांकित की जाती है सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के जिन्हें रखाव लागत पर (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी को छोड़कर प्रत्येक निवेश के लिए अलग अलग ह्रास (diminutions) के लिए प्रावधान किया जाता है।

ii. कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों का मूल्यांकन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्य ह्रास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान पर मार्किंग टू मार्केट के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।
2. कारोबार के लिए धारित और बिक्री के लिए उपलब्ध प्रवर्ग में कोट किए गए निवेश के मूल्यांकन हेतु बाजार दर/स्टॉक एक्सचेंज भाव/भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई)/निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है:

सरकारी/प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्यक अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार विश्लेषित मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी ₹1
अधिमान्य शेयर्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू बाँड्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड के यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
उद्यम पूँजी निधि (वीसीएफ)	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो ₹1 प्रति वीसीएफ
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर

(c) Method of valuation

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

i) Held to Maturity

1 Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period to maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head “interest on investments”.

2 Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.

ii) Held for Trading / Available for Sale

1 Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

2 For the purpose of valuation of quoted investments in ”Held for Trading” and “Available for Sale” categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	At break up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise ₹1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the Fund in respect of each scheme
Venture Capital Funds (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at ₹ 1/- per VCF.
Security Receipts	At NAV as declared by Securitisation Companies

घ) प्रवर्गों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण

प्रवर्गों के मध्य किसी प्रतिभूति के अंतरण का अंतरण दिवस पर अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य इनमें से जो भी कम है के रूप में लेखा किया जाए। ऐसे अंतरण पर मूल्य-ह्रास, यदि है तो पूर्ण प्रावधान किया गया है।

ङ.) गैर निष्पादित निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन

1. निवेशों को निष्पादित और गैर-निष्पादित में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामक द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित है।
2. गैर-निष्पादित निवेश के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्य-ह्रास हेतु प्रावधान किया जाता है।

च. रेपो/रिवर्स रेपो

रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्श्विक उधार और उधार लेने के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में प्रतिभूतियों का अंतरण किया जाता है और ऐसी प्रतिभूतियां रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग से रिफ्लेक्ट होती हैं। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन जैसा भी मामला हो ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। रेपो खाते में शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक में शेष, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

8) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

वर्तमान में बैंक ब्याज दर एवं करेंसी व्युत्पन्न का कार्य देखता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला ब्याज दर व्युत्पन्न रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, अग्रणी दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किया जा रहा मुद्रा व्युत्पन्न विकल्प, करन्सी स्वैप तथा करन्सी फ्यूचर है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, व्युत्पन्न को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:

क) हैज/नॉन हैज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग से रिकार्ड किए जाते हैं।

ख) हैज़िग व्युत्पन्न पर आय/व्येय उपचय आधार पर लेखांकित होती है।

ग) ट्रेडिंग व्युत्पन्न स्थानों को बाजार को चिन्हित (एमटीएम) किया जाता है और परिणामतः हानि, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि में बताया जाता है। लाभ, यदि कोई हो,पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

घ) ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से लाभ/हानियों को निरस्तीकरण तिथि में आय/व्यय के रुप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप के निरस्तीकरण पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित कम अवधि अथवा पदनामित आस्तियाँ/देयताओं की बकाया अवधि से संबद्ध किया जाता है।

ङ) विकल्पन संविदा के परिपक्वता काल पर विकल्प शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

9. अचल आस्तियां :

क. आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित होने के मामलों के अतिरिक्त जिन्हें पुनर्मूल्यन रकम पर बताया जाता है, अचल आस्तियों को परंपरागत लागत में बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन से वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित में जमा किया जाता है।

ख. लागत में खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले जगह की तैयारी संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय शामिल है। उपयोग किए जा रहे आस्तियों पर किए गए उत्तवरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाएगा जब ऐसे आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मवक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. परिसर की लागत में स्वयं की एवं पट्टाधारी भूमि की लागत दोनों शामिल हैं।

(d) Transfer of Securities between Categories

The transfer of securities between categories are carried out at the least of acquisition cost / book value /market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

(e) Non performing Investments (NPIs) and valuation thereof

1 Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

2 In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

(f) Repo / Reverse Repo

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice.

8) Derivative

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(a) The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

(b) Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis

(c) Trading derivative positions are marked to market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss Account. Profit, if any, is ignored.

(d) Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/ loss on termination of swap is deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(e) Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

9) FIXED ASSETS:

(a) Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which is stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

(b) Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees etc. incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

(c) Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.

10. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास :

क. आस्तियों पर मूल्यूह्रास (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को मिलाकर) बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यह्रासित बही मूल्य पर प्रभारित किया गया है, कम्प्यूटरों को छोड़कर। कम्प्यूटरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से सीधे रेखा पद्धति से मूल्यह्रास लगाया जाता है।

ख. इसमें परिवर्धन का पूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया जाता है तथा इसमें आस्ति के उपयोग करने की तारीख को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि किसी आस्ति की खरीद/निपटान के वर्ष में मूल्ययह्रास हेतु प्रावधान नहीं किया जाता है।

ग. आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्ययह्रास को पुनर्मूल्यन आरक्षित के निमित्त समायोजित किया जाता है।

घ. जहाँ भूमि और भवन की लागत अलग-अलग नहीं की जा सकती है, संपूर्ण लागत पर मूल्यह्रास का प्रावधान, भवन पर लागू दर पर किया जाता है।

ड. पट्टाधारित भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम, पट्टे की अवधि हेतु परिशोधित की जाती है।

च. घरेलू परिचालन के संबंध में आस्तियों पर मूल्य ह्रास के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

10) DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:

a) Depreciation on assets is charged on the Written Down Value at the rates determined by the Bank, except in respect of computers where it is calculated on the Straight Line Method, at the rates prescribed by RBI

b) In respect of additions, depreciation is provided for the full year, irrespective of the date on which the assets were put to use whereas, depreciation is not provided in the year of sale/ disposal of an asset.

c) Depreciation on the revalued portion of assets is adjusted against the Revaluation Reserve.

d) Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

e) Premium paid on leasehold land is amortised over the period of lease.

f) Depreciation on assets in respect of domestic operations are provided as under:

क्र.सं.	विवरण	Sr.No.	Particulars	मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation
1	परिसर	1.	Premises	5.00%
2	अन्य अचल आस्तियां	2.	Other Fixed Assets	
क)	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	a)	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments	10.00%
ख)	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	b)	Air-conditioning plants, etc. and business machines.	15.00%
ग)	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	c)	Motor cars, Vans & Motor cycles	20.00%
घ)	कम्प्यूटर तथा कंम्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग है।	d)	Computers and Computer Software forming integral part of hardware.	33.33%
ड.	कंम्यूटर साफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग नहीं है।	e)	Computer Software, not forming integral part of hardware	100.00%

छ. भारत के बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान विनियामक की आवश्यकताओं/अथवा संबंधित देशों/उद्यम में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार किया गया है।

g) Depreciation on fixed assets outside India is provided as per the regulatory requirements/or prevailing practices of the respective country.

11. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यूवहार :

विदेशी मुद्रा वाले संव्यवहारों का लेखांकन, लेखामानक (एएस)11 विदेशी विनिमय दरों में प्रभावी परिवर्तन के अनुरुप किया गया है।

क) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण

भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यपवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

i. विदेशी मुद्रा में संव्य वहारों को रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर रिकार्ड किया जाता है जो भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा सूचित साप्ताहिक औसत क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें फेडाई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें जो परम्पररागत लागत के अनुसार की जाती है उसे संव्य वहार की तारीख में विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट की जाती हैं।

11) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates".

a) Translation in respect of Integral Foreign operations:

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

i) Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the weekly average closing rate as advised by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI)

ii) Foreign currency monetary items are reported using the FEDAI closing spot rates.

iii) Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv. विदेशी मुद्रा में रखे गए आकस्मिक देयताओं को फेडाई के क्लोज़िंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।

v. बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi. बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा। उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित की जाएगी।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान में आरंभ में रिकार्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।

viii. मुद्रा वायदा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:

i. आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित क्लोज़िंग दरों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है।

ii. आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा सूचित तिमाही औसतन क्लोज़िंग दर पर स्पष्ट किया जाता है।

iii. सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व में संचित किया जाता है।

iv. विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

12. कर्मचारी लाभ :

i. अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की अनडिस्काउन्टेड रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है इसे कर्मचारी द्वारा दिए जा रहे सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

ii. नियोजन के पश्चात लाभ :

क. परिनिश्चित लाभ योजना

क. उपदान (ग्रैच्युटी)

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है, यह राशि प्रत्ये क पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के बेसिक वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान विनियम में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होता है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन ट्रस्टो द्वारा किया जाता है जो वार्षिक रूप में एक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।

iv) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi) Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii) Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii) Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the Profit and Loss account.

b) Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:

Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i) Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign branches.

iv) The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

12) EMPLOYEE BENEFITS:

i. Short Term Employee Benefit:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

ii. Post Employment Benefit:

A. Defined Benefit Plan

a) Gratuity

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act 1972 or BOI (Employee) Gratuity Regulation whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

ख. पेंशन

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियत के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई (कर्मचारी) पेंशन विनियमन के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है जो वार्षिक रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के तहत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

ख. परिनिश्चित अंशदान योजना :

क. भविष्य निधि

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के तहत लाभ पाने का हक है। बैंक एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करती है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ख. पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में परिनिश्चित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी परिनिश्चित दर पर मासिक अंशदान करता है। ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यासि को अंतरित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे परिनिश्चत अंशदान तक सीमित है।

iii. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क. छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिनिश्चित लाभ दायित्व है, एएस 15 कर्मचारी लाभ के अनुरूप बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ख. अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, आकस्मिक लाभ इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 कर्मचारी लाभ के अनुरूप बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

13. प्रति शेयर अर्जन :

क. एएस 20 अर्जन प्रति शेयर के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या द्वारा निवल से भाग कर गणना की जाती है।

ख. प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर गणना की जाती है।

b) Pension

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of BOI (Employees) Pension regulations. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

B. Defined Contribution Plan:

a) Provident Fund

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

b) Pension

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

iii. Other Long term Employee Benefit:

a) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

b) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, Casual Leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

13) EARNINGS PER SHARE:

a) Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

b) Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

14. आय पर कर :

क. एएस-22 आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुरूप आयकर में वर्ष के दौरान चालू कर प्रावधान और आस्तियों या देयताओं पर आस्थगित कर में शुद्ध परिवर्तन शामिल है। चालू करों का निर्धारण लेखांकन मानक 22 के प्रावधान और विदेशी कार्यालय के करों का लेखा लेते हुए भारत में लागू कर कानूनों पर किया जाता हैं जो संबंधित अधिकार क्षेत्र के कर कानूनों पर आधारित है। आस्थगित कर समायोजन में अवधि के दौरान आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन शामिल है।

ख. आय तथा व्यय की मदें जो एक समय आती है और जो परवर्ती एक या अधिक वर्षों में रिवर्सल की जा सकती है के संबंध में आस्थगित कर के लिए विवेकपूर्ण विचार करने के अध्यधीन मान्यता है।

ग. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का मापन तुलनपत्र की तिथि पर या बाद में लागू किए गए कर दरों और कर कानूनों पर किया जाता है।

घ. आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में मान्यता दी जाती है और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है जो वसूली को समुचित रूप से निश्चित माने जाने हेतु प्रबंधन की राय पर आधारित है। आस्थगित कर आस्तियों को आगे लाए गए अनावशोषित मूल्यह्रास और कर हानियों पर केवल तभी मान्यता दी जाती है जब यह पूर्णत: निश्चित हो कि आस्थगित कर आस्तियों की भविष्य लाभ से वसूली हो सकती है।

15. आस्तियों का ह्रास

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि यदि कोई हो को एएस 28 आस्तियों का ह्रास के अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्य न अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

एएस 29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां के अनुसार मूल बैंक प्रावधानों को भी मान्यता देता है। जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो, यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आय निर्धारण की बात आ सकती है जबकि वह कभी भी वसूल नहीं हो पाती।

17. शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी कीए जाते हैं, शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा थहानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

14) TAXES ON INCOME:

a) Income Tax comprises the current tax provision and net change in deferred tax assets or liabilities during the year, in accordance with AS 22 "Accounting for Taxes on Income". Current taxes are determined in accordance with the provisions of Accounting Standard 22 and tax laws prevailing in India after taking into account taxes of foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdiction. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.

b) Deferred Tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent years.

c) Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

d) Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether realisation is considered reasonably certain. Deferred tax assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future profits.

15) IMPAIRMENT OF ASSETS:

"Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 "Impairment of Assets".However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset."

16) PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

17) SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to the Profit and Loss Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकडे ₹ करोड़ों में हैं कोष्ठक में दिए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं

लेखे पर टिप्पिणयां

1. वर्ष के दौरान बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत सरकार को अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर के 4,63,60,686 इक्विटी शेयर ₹ 215.70 प्रति शेयर के प्रीमियम पर कुल ₹ 1000 करोड़ आबंटित किया गया जैसा कि समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति ओर विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) विनियम, 2009 के अध्याय तखख के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारण किया गया है।
2. अनपूरक खाता लेखे का तुलन और विदेशी शाखा और नोस्ट्रो खातों से पुष्टि/ लेखा समाधान और उचंत, देय-ड्राफ्ट, समाशोधन भिन्नता आदि में प्रविष्टियों का समायोजन लगातार किया जा रहा है। विदेशी शाखाओं सहित उपरोक्त लंबित अंतिम समाशोधन / समायोजन का प्रबंधन की राय में लेखों पर समग्र प्रभाव नगण्य रहेगा।
3. वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है और अवमानक (प्रतिभूतीकृत) के रूप में वर्गीकृत एनपीए के संबंध में प्रावधानीकरण 20% (त्वरित प्रावधान) से 15% (न्यूनतम प्रावधान) किया है जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2013 तक एनपीए हेतु किए गए ₹ 248.71 करोड़ का राइट बैक किया गया है। अगर पहले की लेखांकन नीति का पालन किया गया होता तो, वर्ष के लिए एनपीए हेतु प्रावधना ₹ 325.38 करोड़ अधिक होता और परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवल लाभ (कर का निवल) ₹ 214.78 करोड़ कम होता।
4. निम्नलिखित जानकारी का भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन किया गया है:

4.1) पूंजी :

SCHEDULE 18

All figures are in ₹ Crores unless specifically stated
Figures in brackets relate to previous year

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

1. During the year, the Bank has issued 4,63,60,686 Equity Shares of ₹ 10/- each to Government of India at a price of ₹ 215.70 per share, aggregating ₹ 1000 Crores on preferential basis in accordance with the regulation 76(1) of SEBI (Issue of Capital and disclosure requirements) Regulations, 2009.
2. Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, Inter office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Drafts Payable, Clearing Difference, etc. is in progress on an on-going basis. Pending final clearance/adjustment of the above, the overall impact, if any, on the Financial Statements, in the opinion of the management, is not likely to be significant.
3. During the year, the Bank has changed its accounting policy of provisioning in respect of NPAs classified as Sub-Standard (Secured) from 20%(accelerated provision) to 15%(minimum provision) which has resulted into write back of provision for NPAs of ₹ 248.71 Crores provided till 31st March 2013. Had the earlier accounting policy been followed, the provision for NPAs for the year would have been higher by ₹ 325.38 Crores with consequential decrease in Net profit for the year (net of tax) by ₹ 214.78 Crores.
4. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by RBI:

4.1. Capital:

क्र.सं.	विवरण	Sr. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (CET1) (%)	i)	**Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET1) (%)**		
	बासेल-II		Basel-II	NA	NA
	बासेल -III		Basel-III	6.84%	NA
	टियर 1 पूंजी अनुपात (%	ii)	**Tier I Capital ratio (%)**		
	बासेल -II		Basel-II	7.57%	8.20%
	बासेल -III		Basel-III	7.24%	NA
	टियर II पूंजी अनुपात (%)	iii)	**Tier II Capital ratio (%)**		
	बासेल -II		Basel-II	3.19%	2.82%
	बासेल -III		Basel-III	2.73%	NA
	कुल पूंजी अनुपात (CRR) (%	iv)	**Total Capital ratio (CRAR) (%)**		
	बासेल II		Basel-II	10.76%	11.02%
	बासेल -III		Basel-III	9.97%	NA
	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	66.70%	64.11%
	वर्ष के दौरान प्राप्ति इक्विटी पूंजी राशि	vi)	Amount of Equity Capital Raised during the year	1000.00	809.00
	वर्ष के दौरान टियर-I पूंजी के रूप में प्राप्ता राशि (IPDI)	vii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised during the year i.e. IPDI	-	-
	वर्ष के दौरान प्राप्तर टियर-II राशि अर्थात डेट कैपिटल इंस्ट्रुमेंट	ix)	Amount of Tier-II capital raised i.e. Debt Capital Instruments, during the year	1500.00	-

टियर I पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया नवोन्मेष सतत ऋण लिखत(आईपीडीआई) के ब्यौरे निम्नासनुसार हैं :

वर्ष	स्वषरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना
2006-07	आईपीडीआई	509.77 (यूएसडी 85 मिलियन)	509.77
2007-08	आईपीडीआई	655.00	655.00
2008-09	आईपीडीआई	400.00	400.00
2009-10	आईपीडीआई	325.00	325.00
2010-11	आईपीडीआई	300.00	300.00

टियर II पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया टियर II लिखतों के ब्यौरे

वर्ष	स्वषरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना
2003-04	लोअर टियर II	550.00	-
2004-05	लोअर टियर II	300.00	-
2005-06	लोअर टियर II	950.00	230.00
2006-07	अपर टियर II	1,437.54 (यूएसडी 240 मिलियन)	1,437.54
2006-07	अपर टियर II	732.00	732.00
2008-09	अपर टियर II	500.00	500.00
2009-10	अपर टियर II	2000.00	2000.00
2010-11	अपर टियर II	1000.00	1000.00
2013-14	अपर टियर II	1000.00	1000.00
2013-14	अपर टियर II	500.00	500.00

4.2 निवेश

4.3

क्र. सं.	विवरण			यथा 31.03.2014	यथा 31.03.2013
1	निवेश का मूल्य				
	i)	निवेशों का सकल मूल्यय		115,251.01	95,595.94
		क)	भारत में	109,128.04	91,140.12
		ख)	भारत के बाहर	6,122.97	4,455.82
	ii)	मूल्योह्रास हेतु प्रावधान		1,095.30	980.09
		क)	भारत में	617.04	534.53
		ख)	भारत के बाहर	478.26	445.56
	iii)	संक्रामण		3.28	2.42
		क)	भारत में	-	-
		ख)	भारत के बाहर	3.28	2.42
	iv)	निवेशों का निवल मूल्या		114,152.43	94,613.43
		क)	भारत में	108,511.00	90,605.59
		ख)	भारत के बाहर	5,641.43	4,007.84
2	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों की स्थिति				
	i)	प्रारंभिक शेष		980.10	939.19
	ii)	जोडें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		72.55	76.69
	iii)	घटाएं : बट्टेखाते डालना/वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का राइट-बैक		(42.65)	35.78
	iv)	अंतिम शेष		1,095.30	980.10

Details of outstanding Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) raised to augment Tier I capital is as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation
2006-07	IPDI	509.77 (USD 85 Million)	509.77
2007-08	IPDI	655.00	655.00
2008-09	IPDI	400.00	400.00
2009-10	IPDI	325.00	325.00
2010-11	IPDI	300.00	300.00

Details of outstanding Tier II Instruments raised for to augment Tier II capital is as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation
2003-04	Lower Tier II	550.00	-
2004-05	Lower Tier II	300.00	-
2005-06	Lower Tier II	950.00	230.00
2006-07	Upper Tier II	1,437.54 (USD 240 Million)	1,437.54
2006-07	Upper Tier II	732.00	732.00
2008-09	Upper Tier II	500.00	500.00
2009-10	Upper Tier II	2000.00	2000.00
2010-11	Upper Tier II	1000.00	1000.00
2013-14	Upper Tier II	1000.00	1000.00
2013-14	Upper Tier II	500.00	500.00

4.2. Investments

4.3.

Sr.No.			Particulars	As at 31.03.2014	As at 31.03.2013
1	Value of Investments				
	i)		Gross Value of Investments	115,251.01	95,595.94
		a)	In India	109,128.04	91,140.12
		b)	Outside India	6,122.97	4,455.82
	ii)		Provisions for Depreciation	1,095.30	980.09
		a)	In India	617.04	534.53
		b)	Outside India	478.26	445.56
	iii)		Amortisations	3.28	2.42
		a)	In India	-	-
		b)	Outside India	3.28	2.42
	iv)		Net Value of Investments	114,152.43	94,613.43
		a)	In India	108,511.00	90,605.59
		b)	Outside India	5,641.43	4,007.84
2	Movement of provisions held towards depreciation on investments				
	i)		Opening balance	980.10	939.19
	ii)		Add: Provisions made during the year	72.55	76.69
	iii)		Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	(42.65)	35.78
	iv)		Closing balance	1,095.30	980.10

4.3.1 वर्ष के दौरान किए गए रेपो संव्यएवहार (अंकित मूल्य पर)

4.3.1.Repo Transactions (in face value terms)undertaken during the year:

(₹ करोड़ में)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	बकाया यथा 31 मार्च, 2014 Outstanding as on March 31, 2014
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repo				
i) सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	- (-)	9,178.00 (9,000,00)	3,153.67 (4,417.51)	2,270.00 (500.00)
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo				
i) सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

इसमें भरतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) अंतर्गत किए गए सौदे शामिल है (मार्जिन को छोड़कर)

The above include transactions undertaken under Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI (net of margin).

4.3.2. गैर–एसएलआर निवेश संविभाग:

4.3.2.Non-SLR Investment Portfolio:

i. **गैर–एसएलआर निवेश संविभाग के जारीकर्ताओं की बनावट**

Issuer Composition of Non-SLR Investments

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं. Sr. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आबंटन Extent of Private Placement	निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूति आबंटन Extent of 'Below Investment Grade' Securities	अश्रेणीकृत प्रतिभूति आबंटन Extent of 'Unrated' Securities	असूचीबद्ध आबंटन Extent of 'Un-listed' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम / PSUs	3,318.47	181.87	0.00	0.00	0.00
		(1,206.91)	(181.87)	(0.00)	(0.00)	(10.00)
ii.	वित्तीय संस्थाएं /FIs	2,179.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		(1,923.47)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
iii.	बैंक/ Banks	1,538.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		(1,200.83)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(134.07)
iv.	निजी कॉर्पोरेट / Private Corporates	3,282.12	1,025.25	527.68	59.91	2,022.82
		(2,641.51)	(1,533.99)	(2,789.26)	(0.00)	(4,217.59)
v.	अनुषंगियां/ संयुक्त उद्यम Subsidiaries/Joint Ventures	907.71	907.71	0.00	907.71	0.00
		(687.79)	(687.79)	(0.00)	(687.79)	(0.00)
vi.	अन्य/Others	3,425.39	1,455.42	0.00	151.15	1,227.63
		(5,960.73)	(4,134.59)	(29.58)	(149.46)	(406.40)
	उप–जोड/Sub-total	**14,651.80**	**3,570.25**	**527.68**	**1,118.77**	**3,250.45**
		(13,621.24)	**(6,538.24)**	**(2,818.84)**	**(837.25)**	**(4,768.06)**
vii.	घटाएं: मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधान Less: Provision held towards Depreciation	1,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		(948.87)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	कुल / Total	**13,567.13**	**3,570.25**	**527.68**	**1,118.77**	**3,250.45**
		(12,672.37)	**(6,538.24)**	**(2,818.84)**	**(837.25)**	**(4,768.06)**

ii) अनर्जक गैर–एसएलआर निवेश

ii. Non-performing Non-SLR Investments

(₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
प्रारंभिक शेष	Opening balance	544.27	576.80
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	365.73	205.47*
वर्ष के दौरान कटौतियां	Reductions during the year	99.80	238.00
इतिशेष	Closing balance	810.20	544.27
धारित कुल प्रावधान	Total provisions held	547.93	458.94

* विनिमय अंतर शामिल

* Including Exchange Difference

4.3.3 बिक्री तथा एचटीएम श्रेणी को/से हस्तांतरण:

4.3.3.Sale and transfers of securities to/from HTM Category:

विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
वर्ष के प्रारंभ मे एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेश के बहि मूल्य के 5% से अधिक मूल्य	Value in excess of 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year	शून्य Nil	शून्य Nil

4.4 डेरिवेटिव

4.4. Derivatives

4.4.1 वायदा दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

4.4.1. Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2014	यथा 31.03.2013
i)	स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि	18,308.67	19,275.34
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	148.06	986.02
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित सम्पार्श्विक प्रतिभूति	स्वैप के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की जरुरत नहीं है क्योंकि काउन्टर पार्टी या तो बैंक अथवा प्रीमियर कार्पोरेट है।	
iv)	स्वैप से आए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्री नहीं है।	
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	87.98	1,016.84

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2014	As at 31.03.2013
i)	The notional principal of swap agreements	18,308.67	19,275.34
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	148.06	986.02
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	No collaterals were required for the swaps as counterparties were either banks or premier Corporate.	
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year.	
v)	The fair value of the swap book	87.98	1,016.84

4.4.2 विनिमय व्यापार ब्याखज दर डेरिवेटिव

4.4.2. Exchange Traded Interest Rate Derivatives

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	यथा As at 31.03.2014	यथा As at 31.03.2013
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखित वार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	- (-)	- (-)
(ii)	यथा 31 मार्च को बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेविरेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखित वार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument-wise)	- (-)	- (-)
(iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि और जो उच्च प्रभावी नहीं हो (लिखित वार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	- (-)	- (-)
(iv)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और जो उच्च प्रभावी नहीं हो (लिखित वार)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	- (-)	- (-)

4.4.3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

बैंक तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा कारोबारी उद्देश्यों और ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए डेरिवेटिव संविदाएं करता है जैसे कि ब्याज-दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली और मुद्रा तथा परस्पर लेन देन की मुद्रा का विकल्प या व्यापार के उद्देश्य हेतु ये उत्पाद जोखिम की प्रतिरक्षा, लागत घटाने तथा ऐसे संव्यवहारों से आय बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बैंक इस प्रकार के व्यवहार में जिस प्रकार के जोखिमों का सामना करता है, वे हैं ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम आदि।

जोखिम प्रबंधन बैंक के कारोबार प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जोखिम की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, समुचित जोखिम सीमाएं निर्धारित करने और उन जोखिमों और सीमाओं की निरंतर आधार पर अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों के जरिए देख-रेख करने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं। जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और उनकी नियमित आधार पर देख-रेख तथा समीक्षा की जाती है। बैंक का संगठन जोखिम के प्रबंधन में सहायक रहा है। डेरिवेटिव परिचालन में व्यापार क्रिया कलापों के ऋण जोखिमों की पर्याप्त जानकारी है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में बैंक के निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति है।

प्रतिरक्षा अदला-बदली का लेखांकन उपचय के आधार पर किया जाता है सिवाय आस्ति तथा देयता के साथ अभिहित अदला-बदली को बाजार मूल्यि अथवा लागत/बाजार मूल्यि से कम में लिया जाता है। ऐसे मामलों में अदला-बदली की स्थिति बाजार मूल्यि पर होती है और उसके परिणामस्वमरुप प्राप्ता लाभ अथवा हानि को अभिहित आस्ति और देयता के बाजार मूल्यल के साथ समायोजन के रुप में रिकार्ड किया जाएगा। अभिहित आस्ति अथवा देयताओं पर लाभ अथवा हानि में प्रति संतुलन दिखाये जाने पर ब्यातज दरों की अदला-बदली के लाभ अथवा हानि को दिखाया जाएगा। इसका अर्थ है ब्यासज दरों की अदला-बदली की समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि आस्थ गित रखी जाएगी और अदला-बदली के शेष बचे करार-आयु अथवा आस्ति/देयता के शेष आयु पर अल्प कालिक दिखाया जाएगा।

कारोबारी डेरिवेटिव की स्थिति बाजार मूल्यू पर होती है और यदि कोई हानि हो, तो उसे लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है यदि कोई लाभ हो, तो निपटान तिथि से नहीं दिखाया जाता है। स्वै प की समाप्ति पर लाभ और हानि को तत्काल आय और व्यीय में रिकार्ड किया जाता है।

बैंक में वरिष्ठ और उच्च प्रबंधन को आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की उचित पद्धति है इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित/या परिचालन आवश्यकतानुसार विनियामक प्राधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी जाती है। बैंक के पास निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्नं पहलूओं पर स्पीष्टर डेरिवेटिव दिशा-निर्देश है। डेरिवेटिव लेन देन समवर्ती आंतरिक, सांविधिक और नियामक लेखा परीक्षा के शर्तो के अध्यपधीन है।

संव्यवहारों के प्रतिपक्ष बैंक प्राथमिक डीलर और प्रीमियर कार्पोरेट्स ईकाइयां हैं। इनमें व्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर किया जाता है। बैंक ने ब्याज दर एवं विदेशी विनिमय डेरिवेटिव लेन-देनों के कारण उत्पन्न ऋण जोखिमों के मापन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारत वर्तमान ऋण जोखिम विधि अपनाई है। वर्तमान ऋण जोखिम विधि में वर्तमान ऋण जोखिम और इन संविदाओं के संभावी आगामी ऋण जोखिम का जोड़ है।

वर्तमान ऋण एक्सपोज़र इन संविदाओं के सकारात्ममक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का जोड़ है अर्थात् जब बैंक को प्रतिपक्ष से राशि प्राप्त करनी होती है।

संभावी आगामी ऋण जोखिम का निर्धारण इन संविदाओं के कतिपत मूल राशि, चाहे संविदा का शून्य, सकारात्मक अथवा नकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य हो, के साथ निम्नानुसार संबंधित एड-ऑन तत्वों के अनुसार लिखत के शेष परिपक्वता और स्वरूप का गुणा करके प्राप्त किया जाएगा।

4.4.3. Disclosures on risk exposure in derivatives

i. *Qualitative Disclosure*

The Bank enters into derivative contracts such as interest rate swaps, currency swaps and currency options to hedge on balance sheet assets and liabilities or to meet client requirements as well as for trading purpose as per policy approved by the Board. These products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield. In such transactions the types of risks to which the bank is exposed to, are credit risk, market risk, operational risk etc.

Risk management is an integral part of bank's business management. Bank has risk management policies designed to identify and analyse risks, to set appropriate risk limits and to monitor these risks and limits on an on-going basis by means of reliable and up to date management information systems. The risk management policies and major control limits are approved by the Board of Directors and they are monitored and reviewed regularly. The organization of the Bank is conducive to managing risks. There is sufficient awareness of the risks and the size of exposure of the trading activities in derivative operations.

The Bank has a Risk Management Committee of Directors presided over by the Chairman and Managing Director.

Hedging swaps are accounted for on an accrual basis except for swap designated with an asset and liability that is carried at market value or lower of cost/market value. In such cases, the swaps are marked to market and the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the designated asset or liability. Gains or losses on the termination of swaps are recognised when the offsetting gain or loss is recognised on the designated asset or liability. This implies that any gain or loss on the terminated swap would be deferred and recognised over the shorter of the remaining contracting life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

Trading derivative positions are marked to market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognised in the profit and loss account. Profit, if any, are not recognised on the settlement date. Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income or expenses.

Bank has a proper system of submitting periodical reports to Senior and Top Management and Board as well as regulatory authorities as required by RBI and/or as per operational requirements. Bank has clearly spelt derivative guidelines on various aspects approved by the Board of Director.The derivative transactions are subject to concurrent, internal, statutory and regulatory audits.

The counter parties to the transactions are banks, primary dealers and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The Bank has adopted the Current Exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposures arising on account of interest rate and foreign exchange derivative transactions. Current exposure method is the sum of current credit exposure and potential future exposure of these contracts.

The current credit exposure is the sum of positive mark to market value of these contracts i.e. when the Bank has to receive money from the counter party.

Potential future credit exposure is determined by multiplying the notional principal amount of these contracts irrespective of whether the contract has zero, positive or negative mark to market value by the relevant add-on factors as under according to the nature and residual maturity of the instrument.

अवशिष्ट परिपक्वता	कुल अनुमानित मूल राशि पर लागू परिवर्तनकारक तत्व	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष या उससे कम	0.50%	2.00%
एक वर्ष से अधिक पांच वर्ष तक	1.00%	10.00%
पाँच वर्ष से अधिक	3.00%	15.00%

ऋण जोखिम की गणना करते समय बिक्रीगत विकल्पो को वहाँ छोड दिया जाता है जहाँ कहीं प्रीमियम / शुल्क या किसी भी रूप में आय प्राप्त / वसूली होती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार के अनुसार संविदा के वर्तमान बाजार मूल्य पर ऋण जोखिम की गणना की जाती हे। इस पर मानक श्रेणी के ऋण आस्ति पर लागू प्रावधान जरुरतें भी लागू है। वर्तमान में जोखिम वाली आस्तियों पर 0.4% प्रावधान किया जाना है। हमारे खातों में बैंक उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित प्रावधान करते हैं।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

Residual Maturity	Conversion factor applied on Notional Principal Amount.	
	Interest Rate Contract	Exchange Rate Contract
One year or less	0.50%	2.00%
Over one year to five years	1.00%	10.00%
Over five years	3.00%	15.00%

While computing the credit exposure, "sold options" are excluded wherever the entire premium/fee or any other form of income is received / realized.

As per the extant RBI guidelines credit exposures computed as per the current Mark to Market value of the contracts, also attracts provisioning requirement as applicable to the loan assets in the "Standard" category, of the concerned counterparty. At present the provision is to be maintained at 0.40% of the risk weighted assets. The Bank makes the requisite provision as aforesaid in the books.

ii. *Quantitative Disclosures*

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives		ब्याजदर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	
1	डेरिवेटिव (अनुमानित मूल राशि)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	क) हेजिंग हेतु	a) For hedging	6,461.74		17,431.58	
			(1,772.34)		(18,593.84)	
	ख) कारोबार हेतु	b) For trading	1,31,059.06		876.87	
			(1,21,083.05)		(681.43)	
2	ब्याज दर पर स्थितियां 1	Marked to Market Positions [1]				
	क) आस्ति (+)	a) Asset (+)	0.00		698.07	
			(104.81)		(1,016.81)	
	ख) देयता (-)	b) Liability (-)	95.68		21.20	
			(13.04)		(46.82)	
3	क्रेडिट एक्सापोजर 2	Credit Exposure [2]	6,279.92		360.26	
			(9,518.42)		(280.09)	
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से होने वाला संभाव्यश प्रभाव (100*पीवी01)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	a) On hedging derivatives	1.69		67.43	
			(0.02)		(22.07)	
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	b) On trading derivatives	0.01		-0.01	
			(0.00)		(0.00)	
5	वर्ष के दौरान देखी गई 100*पीवी01 की अधिकतम एवं न्यूननतम	Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during the year	**Max**	**Min**	**Max**	**Min**
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	a) On hedging	4.01 (0.04)	1.69 (0.02)	70.79 (20.25)	67.53 (14.29)
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	b) On trading	0.01 (0.01)	0.01 (0.00)	0.01 (0.00)	0.01 (0.00)

4.5 आस्ति गुणवत्ता

4.5.1 अनर्जक आस्तियां

(क) अनर्जक अग्रिम

4.5. Asset Quality

4.5.1. Non-Performing Assets

(a) Non performing Advances

(रु. करोड़ में)

विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
(i) निवल अग्रिमों में से निवल एनपीए (%)	(i) Net NPAs to Net Advances (%)	2.00%	2.06%
(ii) एनपीए (सकल) का उतार-चढ़ाव	(ii) Movement of NPAs (Gross)		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	8,765.25	5,893.97
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	8,810.91	7,379.56
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	5,707.56	4,508.28
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	11,868.60	8,765.25
(iii) निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव	(iii) Movement of Net NPAs		
क)आरंभिक शेष	a) Opening balance	5,947.31	3,656.42
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	3,040.02	2,960.27
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	1,570.11	669.38
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	7,417.22	5,947.31
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)	(iv) Movement of provision for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	1,958.88	1,472.78
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	b) Provisions made during the year	4,522.15	2,876.69
ग) बट्टे खाते में/अतिरिक्त प्रावधान को राइट बैंक	c) Write-off/write-back of excess provisions	2,916.72	2,390.59
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	3,564.31	1,958.88

(ख) अनर्जक निवेश

(b) Non performing Investments

(रु. करोड़ में)

विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
(ii) निवल निवेश पर निवल एनपीआई (%)	(i) Net NPIs to Net Investment (%)	0.23%	0.09%
(ii) एनपीआई (सकल) का प्रवाह	(ii) Movement of NPIs (Gross)		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	544.27	576.90
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	365.73	198.51
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	99.80	231.14
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	810.21	544.27
(iii) निवल एनपीआई का उतार-चढ़ाव	(iii) Movement of Net NPIs		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	85.33	186.04
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	182.50	(69.79)
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	5.55	30.92
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	262.28	85.33
(iv) एनपीआई के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव	(iv) Movement of provision for NPIs		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	458.95	390.86
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	b) Provisions made during the year	183.23	268.30
ग) बट्टे खाते में/अतिरिक्त प्रावधान को राइट बैंक	c) Write-off/write-back of excess provisions	94.25	200.21
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	547.93	458.95

4.5.2पुनर्गठित खातों के विवरण
(क) वर्ष के दौरान पुनर्गठन की शर्त पर ऋण आस्तियों के ब्यौरे

4.5.2. Particulars of Accounts Restructured
(a) Details of loan assets subjected to restructuring during 2013-14

(राशि ₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring					अन्य Others					कुल Total				
	आस्तियों का विवरण/Assets Classification		वैश्विक /Global					वैश्विक /Global					वैश्विक /Global					वैश्विक /Global				
क्र. सं. Sr. No	ब्यौरे Details		मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	वित्तीय वर्ष के यथा 1 अप्रैल को पुनर्गठित खाते (प्रारम्भिक आंकड़े) उधारकर्ताओं की संख्या Restructured Account As on April 1 of FY (Opening Figure)	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	56 (29)	7 (0)	2 (2)	0 (0)	65 (31)	71 (14)	4 (0)	1 (0)	0 (0)	76 (14)	15391 (31744)	884 (601)	275 (16)	2 (0)	16552 (32361)	15518 (31787)	895 (601)	278 (18)	2 (0)	16693 (32406)
		बकाया राशि Amount Outstanding	4951.96 (2569.07)	1073.73 (0)	39.16 (44.13)	0.00 (0.0)	6064.85 (2613.20)	385.92 (15.17)	11.71 (0.0)	1.35 (0.0)	0.00 (0.0)	398.98 (15.17)	11934.15 (8269.77)	437.63 (776.63)	179.17 (80.24)	160.70 (0.0)	12711.65 (9126.64)	17272.03 (10854.02)	1523.07 (776.63)	219.68 (124.37)	160.70 (0.0)	19175.48 (11755.02)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	446.67 (257.73)	48.70 (0.0)	9.96 (18.79)	0.00 (0.0)	505.33 (276.52)	1.17 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	1.17 (0.0)	250.57 (98.36)	9.10 (56.77)	4.25 (0.08)	0.00 (0.0)	263.92 (155.21)	698.41 (356.09)	57.80 (56.77)	14.21 (18.87)	0.00 (0.0)	770.42 (431.73)
2	वर्ष के दौरान ताज़ा पुनर्गठित मानक प्रवर्ग Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	15 (40)	5 (5)	0 (0)	0 (0)	20 (45)	86 (57)	9 (4)	2 (1)	0 (0)	97 (62)	19598 (9105)	603 (571)	118 (259)	0 (0)	20319 (9935)	19699 (9202)	617 (580)	120 (260)	0 (0)	20436 (10042)
		बकाया राशि Amount Outstanding	2017.35 (3551.40)	457.81 (339.99)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	2475.16 (3891.39)	542.01 (379.14)	127.17 (11.71)	35.80 (1.35)	0.00 (0.0)	704.98 (392.20)	2514.85 (4620.48)	268.85 (17.49)	137.58 (2.38)	0.00 (0.0)	2921.28 (4640.35)	5074.21 (8551.03)	853.83 (369.19)	173.38 (3.73)	0.00 (0.0)	6101.42 (8923.95)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	228.55 (283.86)	56.03 (43.36)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	284.58 (327.22)	14.99 (1.09)	6.61 (0.0)	3.68 (0.0)	0.00 (0.0)	25.28 (1.09)	103.40 (219.13)	11.52 (0.41)	11.56 (0.12)	0.00 (0.0)	126.48 (219.66)	346.94 (504.08)	74.16 (43.77)	15.24 (0.12)	0.00 (0.00)	436.34 (547.97)
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक प्रवर्ग मे उन्नयन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	2 (0)	-2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	-1 (2)	-3 (-2)	0 (0)	0 (0)	-4 (0)	1 (2)	-5 (-2)	0 (0)	0 (0)	-4 (0)
		बकाया राशि Amount Outstanding	138.69 (0.0)	-138.69 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	1355.81 (3.28)	-9.24 (-3.28)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	1346.57 (0.0)	1494.50 (3.28)	-147.93 (-3.28)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	1346.57 (0.0)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	12.87 (0.0)	-12.87 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.10 (0.0)	-0.10 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	12.97 (0.0)	-12.97 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)
4	ऐसे पुनर्गठित मानक अग्रिम जिनपर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण और/अथवा प्रतिरिक्त जोखिम भार लगना बंद है और इसीलिए उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ मे पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	12 (5)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	12 (5)	9 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	9 (0)	6255 (25411)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	6255 (25411)	6276 (25416)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	6276 (25416)
		बकाया राशि Amount Outstanding	1138.40 (349.97)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	1138.40 (349.97)	4.30 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	4.30 (0.0)	5147.07 (942.55)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	5147.07 (942.55)	6289.77 (1292.52)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	6289.77 (1292.52)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	141.63 (36.80)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	141.63 (36.80)	0.05 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.05 (0.0)	14.92 (19.30)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	14.92 (19.30)	156.60 (56.10)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	156.60 (56.10)

4.5.2पुनर्गठित खातों के विवरण
(क) वर्ष के दौरान पुनर्गठन की शर्त पर ऋण आस्तियों के ब्यौरे

4.5.2. Particulars of Accounts Restructured
(a) Details of loan assets subjected to restructuring during 2013-14

(राशि ₹ करोड़ में / ₹ in Crores

	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर मेकेनिज्म के तहत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring					अन्य Others					कुल Total				
	आस्तियों का विवरण / Assets Classification		वैश्विक / Global					वैश्विक / Global					वैश्विक / Global					वैश्विक / Global				
क्र. सं. Sr. No	ब्यौरे Details		मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Substandard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	-11 (-2)	11 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	-16 (0)	14 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	-38 (-50)	37 (42)	1 (6)	0 (2)	0 (0)	-65 (-52)	62 (44)	2 (6)	1 (2)	0 (0)
		बकाया राशि Amount Outstanding	-1015.59 (-733.74)	1015.59 (733.74)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	-74.17 (0.0)	68.97 (0.0)	3.51 (0.0)	1.69 (0.0)	0.00 (0.0)	-460.45 (930.64)	459.51 (618.98)	0.94 (142.68)	0.00 (168.98)	0.00 (0.0)	-1550.21 (-1664.38)	1544.07 (1352.72)	4.45 (142.68)	1.69 (168.98)	0.00 (0.0)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-51.17 (-5.34)	51.17 (5.34)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	-0.04 (0.0)	0.04 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	-13.37 (-18.95)	13.36 (14.75)	0.01 (4.20)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	-64.58 (-24.29)	64.57 (20.29)	0.01 (4.20)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते में डालना Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	9 (0)	3 (0)	2 (0)	0 (0)	14 (0)	7 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	7 (0)	6 (0)	8 (0)	1 (0)	1 (0)	16 (0)	22 (0)	11 (0)	3 (0)	1 (0)	37 (0)
		बकाया राशि Amount Outstanding	640.60 (0.0)	245.75 (0.0)	39.16 (0.0)	0.00 (0.0)	925.51 (0.0)	61.59 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	61.59 (0.0)	227.17 (0.0)	293.85 (0.0)	35.62 (0.0)	1.40 (0.0)	558.04 (0.0)	929.36 (0.0)	539.60 (0.0)	74.78 (0.0)	1.40 (0.0)	1545.14 (0.0)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	48.41 (0.0)	27.21 (0.0)	9.96 (0.0)	0.00 (0.0)	85.58 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	12.25 (0.0)	7.22 (0.0)	0.42 (0.0)	0.00 (0.0)	19.89 (0.0)	60.66 (0.0)	34.43 (0.0)	10.38 (0.0)	0.00 (0.0)	105.47 (0.0)
7	वित्तीय वर्ष के यथा 31 मार्च को पुनर्गठित खाते (लेखाबंदी आकडें*) Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	42 (56)	16 (7)	1 (2)	0 (0)	59 (65)	127 (71)	22 (4)	8 (1)	1 (0)	158 (76)	28689 (15391)	1226 (884)	396 (275)	1 (2)	30312 (16552)	28858 (15518)	1264 (895)	405 (278)	2 (2)	30529 (16693)
		बकाया राशि Amount Outstanding	4810.86 (4951.96)	1377.97 (1073.73)	632.08 (39.16)	0.00 (0.0)	6820.91 (6064.85)	816.16 (385.92)	191.11 (11.71)	51.96 (1.35)	1.72 (0.0)	1060.95 (398.98)	7930.45 (11934.15)	750.97 (437.63)	390.97 (179.17)	190.69 (160.70)	9263.08 (12711.66)	13557.47 (17272.03)	2320.05 (1523.07)	1075.01 (219.68)	192.41 (160.70)	17144.94 (19175.49)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	424.23 (446.67)	108.84 (48.70)	1.96 (9.96)	0.00 (0.0)	535.03 (505.33)	16.16 (1.17)	6.61 (0.0)	3.68 (0.0)	0.00 (0.0)	26.45 (1.17)	436.56 (253.42)	25.19 (9.10)	15.60 (4.01)	0.00 (0.0)	477.35 (266.53)	876.95 (701.26)	140.64 (57.80)	21.24 (13.97)	0.00 (0.00)	1038.83 (773.03)

4.5 आस्ति गुणवत्ताक

4.5.1 अनर्जक आस्तियां

(क) अनर्जक अग्रिम

4.5. Asset Quality

4.5.1 Non Performing Assets

a) Non Performing advances

(₹ करोड़ में)

	विवरण		2013–14	2012–13
(i)	निवल अग्रिमों में से निवल एनपीए (%)	(i) Net NPAs to Net Advances (%)	2.00%	2.06%
(ii)	एनपीए (सकल) का उतार–चढ़ाव	(ii) Movement of NPAs (Gross)		
क)	आरंभिक शेष	a) Opening balance	8,765.25	5,893.97
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	8,810.91	7,379.56
ग)	वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	5,707.56	4,508.28
घ)	अंतिम शेष	d) Closing balance	11,868.60	8,765.25
(iii)	निवल एनपीए का उतार–चढ़ाव	(iii) Movement of Net NPAs		
क)	आरंभिक शेष	a) Opening balance	5,947.31	3,656.42
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	3,040.02	2,960.27
ग)	वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	1,570.11	669.38
घ)	अंतिम शेष	d) Closing balance	7,417.22	5,947.31
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधानों का उतार–चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)	(iv) Movement of provision for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
क)	आरंभिक शेष	a) Opening balance	1,958.88	1,472.78
ख)	वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	b) Provisions made during the year	4,522.15	2,876.69
ग)	बट्टे खाते में/अतिरिक्त प्रावधान को राइट बैंक	c) Write-off/write-back of excess provisions	2,916.72	2,390.59
घ)	अंतिम शेष	d) Closing balance	3,564.31	1,958.88

(ख) अनर्जक निवेश

(₹ करोड़ में)

	विवरण		2013–14	2012–13
(ii)	निवल निवेश पर निवल एनपीआई (%)	(i) Net NPIs to Net Investment (%)	0.23%	0.09%
(ii)	एनपीआई (सकल) का प्रवाह	(ii) Movement of NPIs (Gross)		
क)	आरंभिक शेष	a) Opening balance	544.27	576.90
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	365.73	198.51
ग)	वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	99.80	231.14
घ)	अंतिम शेष	d) Closing balance	810.21	544.27
(iii)	निवल एनपीआई का उतार–चढ़ाव	(iii) Movement of Net NPIs		
क)	आरंभिक शेष	a) Opening balance	85.33	186.04
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	182.50	(69.79)
ग)	वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	5.55	30.92
घ)	अंतिम शेष	d) Closing balance	262.28	85.33
(iv)	एनपीआई के लिए प्रावधानों का उतार–चढ़ाव	(iv) Movement of provision for NPIs		
क)	आरंभिक शेष	a) Opening balance	458.95	390.86
ख)	वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	b) Provisions made during the year	183.23	268.30
ग)	बट्टे खाते में/अतिरिक्त प्रावधान को राइट बैंक	c) Write-off/write-back of excess provisions	94.25	200.21
घ)	अंतिम शेष	d) Closing balance	547.93	458.95

4.5.3 आस्ति पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

4.5.3. Details of financial assets sold to Securitisation/ Reconstruction Company forAsset Reconstruction

(₹ करोड़ में)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
(i)	खातों की संख्या	Number of accounts	217,061	2
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	Aggregate value (net of provision) of accounts sold to SC/ RC	2,331.52	8.25
(iii)	कुल प्रतिफल	Aggregate consideration	2,628.57	11.47
(iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों मे वसूल किया हुआ अतिरिक्त प्रतिफल	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल आय/(हानि)	Aggregate gain/(loss) over net book value	297.05	3.22

4.5.4 खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा (अन्य बैंकों से/को)

4.5.4. Details of non-performing financial assets purchased/sold (from/to other banks)

क) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा :

Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
1 (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	1 (a) No. of accounts purchased during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ख) कुल बकाया	(b) Aggregate outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2 (क) इनमें से वर्ष के दौरान कितने खातों का पुनर्गठन किया गया	2 (a) Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य/NIL	शून्य/NIL
(ख) कुल बकाया	(b) Aggregate outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL

ख) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा:

a) *Details of non-performing financial assets sold :*

(₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
1. बेचे गए खातों की संख्या	1. No. of accounts sold	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2. कुल बकाया	2. Aggregate outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	3. Aggregate consideration received	शून्य/NIL	शून्य/NIL

4.5.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

4.5.5. Provisions on Standard Assets

(₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	यथा As at 31.03.2014	यथा As at 31.03.2013
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (आरबीआई के मुताबिक)	Provisions towards Standard Assets (in terms of RBI)	1,984.32	1,498.63

4.6 कारोबार अनुपात

4.6. Business Ratios

Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
(i)	औसत कार्यशील निधियों में ब्याज आय का प्रतिशत	Interest Income as a percentage to average Working Funds	7.19%	7.53%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय का प्रतिशत	Non-interest income as a percentage to average Working Funds	0.81%	0.89%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ का प्रतिशत	Operating Profit as a percentage to average Working Funds	1.60%	1.76%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	Return on Assets	0.51%	0.65%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में) (जमाराशि +अग्रिम)	Business per employee(deposits plus advances)	19.63	15.82
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	Profit per employee	0.0628	0.0644

4.7 आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता प्रकार

4.7. Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31st March 2014

(राशि ₹ करोड़ में)/ (As compiled by the management)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन तक 2 to 7 days	8 से 14 दिन तक 8 to 14 days	15 से 28 दिन तक 15 to 28 days	29 दिन से 3 महीने तक 29 days to 3 months	3 महीनों से अधिक एवं 6 महीनों तक Over 3 months & Upto 6 months	6 महीनों से अधिक एवं 1 वर्ष तक Over 6 months &upto 1 year	1 वर्ष से अधिक एवं 3 3 वर्षों तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्षों से अधिक एवं 5 वर्षों तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमाराशियां Deposits	18,488.49	13,082.64	7,116.69	21,030.37	55,135.84	58,032.94	64,150.65	79,610.55	57,074.20	1,03,251.68	4,76,974.05
	(21,560.37)	(11,824.97)	(8,925.91)	(22,390.15)	(47,535.48)	(43,335.97)	(48,698.41)	(51,814.01)	(43,059.16)	(82,695.16)	(3,81,839.59)
अग्रिम Advances	30,207.12	8,145.03	3,790.76	11,524.08	84,227.56	40,658.84	32,539.01	46,488.93	37,348.39	75,803.82	3,70,733.54
	(27,420.69)	(6,028.59)	(4,267.88)	(9,635.47)	(76,135.69)	(34,685.30)	(18,500.52)	(30,080.41)	(30,808.15)	(51,804.79)	(2,89,367.49)
निवेश Investments	254.59	38.84	372.23	2,151.76	4,737.65	2,295.76	1,676.28	13,510.39	22,095.68	67,019.26	1,14,152.44
	(85.17)	(2,527.14)	(1,065.56)	(2,563.81)	(4,634.14)	(2,548.42)	(734.88)	(9,313.32)	(18,617.70)	(52,523.28)	(94,613.42)
उधार Borrowings	3,021.06	7,155.43	430.84	2,525.77	2,034.56	9,586.29	820.42	7,985.38	3,949.30	10,918.46	48,427.51
	(1,590.27)	(391.10)	(435.98)	(1,434.52)	(1,537.36)	(7,593.71)	(1,197.90)	(7,108.02)	(2,262.10)	(11,816.62)	(35,367.58)
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	3,521.57	7,687.08	2,315.00	8,152.94	29,619.24	18,378.40	16,906.47	21,839.48	8,383.52	11,692.36	1,28,496.06
	(3,127.71)	(6,639.52)	(2,658.89)	(7,406.66)	(35,587.98)	(17,813.64)	(8,143.29)	(8,081.42)	(5,574.98)	(10,383.34)	(1,05,417.43)
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	6,143.80	9,972.94	3,524.75	10,954.33	29,993.76	32,583.40	32,175.04	22,201.03	4,634.23	4,519.25	1,56,702.53
	(7,895.85)	(6,640.54)	(5,035.99)	(11,563.32)	(26,935.90)	(19,680.06)	(18,868.23)	(9,163.80)	(2,052.39)	(7,375.64)	(1,15,211.72)

4.8 एक्सपोज़र

4.8.1 रियल इस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोज़र

4.8. Exposures

4.8.1. Exposure to Real Estate Sector

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रवर्ग		Sr. No.	Category		यथा As at 31.03.2014	यथा As at 31.03.2013
ए)	प्रत्यक्ष एक्सपोज़र		a)	Direct exposure		**27,321.63**	**19,387.39**
	i)	आवासीय बंधक		i)	Residential Mortgages	19,914.79	12,257.32
		जिसमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के गृह ऋण			Out of which Priority Sector housing loans	10,940.66	8,155.95
	ii)	व्यवसायिक रियल इस्टेट		ii)	Commercial Real Estate	7,406.84	7,128.96
	iii)	गिरवी रखी गयी प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतित एक्सपोजर में निवेश		iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised Exposures	-	1.11
		क) आवासीय ख) व्यवसायिक रियल इस्टेट			a) Residential b) Commercial Real Estate	- -	1.11 -
बी)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		b)	Indirect Exposure		**9,866.15**	**7,240.70**
	नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसीज़) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर			Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)		9,866.15	7,240.70
	रियल इस्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोजर		**Total exposure to Real Estate Sector**			**37,187.78**	**26,628.09**

4.8.2 पूंजी बाजार हेतु एक्सपोजर

4.8.2. Exposure to Capital Market

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं. Sr. No	विवरण	Category	2013-14	2012-13
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फण्ड में निवेश जिनकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में प्रत्यक्ष निवेश नहीं किया गया;	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	721.58	764.15
ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को शेयरों(आईपीओ/ईएसओपीएस सहित) परिवर्तनीय बॉण्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए अग्रिम;	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	23.53	6.50
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	23.31	4.88
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की युनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक, अर्थात जहाँ मूलभूत प्रतिभूति शेयरों/ परिवर्तनीय बाण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों के अलावा पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती हैं, किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम;	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	228.59	287.23
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्धारकों की ओर से जारी गारंटियाँ;	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	2,344.97	1,917.74
vi)	संसाधनों की वृद्धि की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बाण्डों/ डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर कंपनियों के लिए स्वीकृत ऋण;	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new Companies in anticipation of raising resources;	-	-
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के समक्ष कंपनियों के लिए पूरक ऋण;	Bridge loans to Companies against expected equity flows/ issues;	-	-
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
ix)	मार्जिन व्यवसाय हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण;	Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
x)	उद्यम के लिए पूंजी निधि हेतु सभी निवेशों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)को इक्विटी के बराबर माना जाएगा और इस प्रकार पूंजी बाजार निवेश सीमा(प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों)के अनुसार गणना की जाएगी।	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	483.21	340.63
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र		**Total Exposure to Capital Market**	**3,825.19**	**3,321.13**

4.8.3 जोखिम प्रवर्ग वार देश का एक्सपोज़र

4.8.3. Risk Category wise Country Exposure

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं. Sr. No.	जोखिम प्रवग	Risk Category	यथा दिनांक As at 31.03.2014		यथा दिनांक As at 31.03.2013	
			एक्सपोज़र (निवल) Exposure (Net)	धारित प्रावधान Provision held	एक्सपोज़र (निवल) Exposure (Net)	धारित प्रावधान Provision held
1	नगण्य	Insignificant	38,118.03	54.45	36,957.88	28.44
2	न्यून	Low	12,887.37	15.72	12,045.71	7.95
3	साधारण	Moderate	5,285.58	-	2,011.50	-
4	उच्च	High	285.87	-	662.01	-
5	बहुत उच्च	Very High	570.92	-	8.95	-
6	प्रतिबंधित	Restricted	-	-	-	-
7	ऑफ क्रेडिट	Off credit	46.01	-	1.97	-
	कुल	**Total**	**57,193.78**	**70.17**	**51,688.02**	**36.39**

4.8.4 यथा 31 मार्च, 2014 बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के ब्यौरे

4.8.4. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank as on 31st March, 2014:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं. Sr. No.	उधारकर्ता का नाम	Name of the Borrower	एक्सपोज़र सीमा Exposure Ceiling	स्वीकृत सीमा Limit Sanctioned	यथा 31.03.2014 को बकाया Outstanding as on 31.03.2014
1.	एकल उधारकर्ता	Single Borrower			
	एलआईसी हाउसिंग फायनान्स लि.	LIC Housing Finance Ltd.	3,093.43	3,718.00	2,099.08
	महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी (एमएसपीजीसी)	Maharashtra State Power Generation Company (MSPGC)	6,186.86	5,000.00	1,806.93
2.	सामूहिक उधारकर्ता	Group Borrower			
	कुछ नहीं	None	कुछ नहीं NIL	कुछ नहीं NIL	कुछ नहीं NIL

एमएसपीजीसी पर एक्सजपोज़र, आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए विवेकाधिकार के अंतर्गत है (विवेकपूर्ण सीमाओं के ऊपर, पूंजीगत निधियों का 5%)

Exposure on MSPGC is within the discretion given to Banks by RBI (additional 5% of capital funds, over prudential limits)

यथा 31 मार्च, 2014 बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के ब्यौरे

Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank as on 31st March, 2013:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं. Sr. No.	उधारकर्ता का नाम	Name of the Borrower	एक्सपोज़र सीमा Exposure Ceiling	स्वीकृत सीमा Limit Sanctioned	यथा 31.03.2013 को बकाया Outstanding as on 31.03.2013
1.	एकल उधारकर्ता	Single Borrower			
	आवास विकास वित्तय निगम लिमिटेड (एचडीएफसी)	Housing Development Finance Corporation Limited	2,814.00	3,017.27	3,012.55
2.	सामूहिक उधारकर्ता	Group Borrower			
	कुछ नहीं	None	कुछ नहीं NIL	कुछ नहीं NIL	कुछ नहीं NIL

नोट: प्रकटन हर माह के अंत में बकाया स्थिति की बैंक द्वारा निगरानी पर आधारित है। प्रत्येक माह के अंत में सभी उधारकर्ता समूह पर बैंक का एक्स्पोज़र विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत थे।

Note:Disclosure is based on monitoring by the Bank of outstanding at the end of each month.Exposure on all Borrower groups were within the prudential norms at the end of each month.

4.8.5 गैर–जमानती अग्रिम :

4.8.5. Unsecured Advances:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेन्स, प्राधिकार आदि के प्रभार पर बकाया अग्रिम की कुल राशि	Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority, etc.	2,143.74	2,149.59
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति का अनुमानित मूल्य	Estimated value of such intangible collateral securities	1,721.93	1,645.41

4.9. विविध

4.9. Miscellaneous

4.9.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए प्रावधान की राशि

4.9.1. Amount of Provisions made for Income-tax during the year

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
आयकर के लिए प्रावधान	Provision for Income Tax	(27.71)	1,099.15
आस्थागित कर के लिए प्रावधान	Provision for Deferred Tax	843.49	(840.76)
कुल	Total	**815.78**	**258.39**

4.9.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगायी गई शास्तियों (पेनल्टीज़) का प्रकटन

4.9.2. Disclosures of Penalties imposed by RBI

विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत लगाई गई शास्तियां (पेनल्टी)	Penalty imposed under Section 46(4) of The Banking Regulation Act, 1949	3.11	0.42

5. लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित प्रकटन जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने लेखे पर टिप्पटणियों के प्रकटन मदों के विषय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं:

5.1 लेखांकन मानक 9 – राजस्व की पहचान

अनुसूची 17: मुख्य लेखांकन नीतियों के लेखांकन नीति सं. 2 के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के पश्चात स्वीकार किया जाता है। तथापि उक्त आय को मूर्त नहीं माना जाता है।

5.2 लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी लाभ

5. Disclosure requirements as per Accounting Standards (AS) where RBI hasissued guidelines in respect of disclosure items for Notes to Accounts:

5.1. Accounting Standard 9 – Revenue recognition

Certain items of income are recognised on realisation basis as per Accounting Policy no. 2 of Schedule 17: Significant Accounting Policies. However, the said income is not considered to be material.

5.2. Accounting Standard 15 – Employee Benefits

(राशि ₹ करोड़ में)

Sr. No.	विवरण	Particulars	2013-2014		2012-2013	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(i)	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान :**	**Principal actuarial assumptions used :**				
	छूट दर	Discount Rate	9.32%	9.27%	8.00%	8.00%
	आयोजन आस्तियों पर प्रतिफल दर	Rate of Return on Plan Assets	9.18%	8.42%	8.00%	8.00%
	वर्तमान वेतन वृद्धि	Salary Escalation Current	6.00%	6.00%	5.00%	5.00%
	वर्तमान ह्रास दर	Attrition Rate Current	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	**लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका**	**Table showing change in benefit obligation :**				
	अवधि के प्रारंभ में देयता	Liability at the beginning of the period	1505.38	7404.65	1477.64	7139.38
	ब्याज लागत	Interest Cost	129.47	658.35	110.03	552.17
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	705.70	804.95	64.39	943.80
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	(232.45)	(605.48)	(204.45)	(474.38)
	दायित्वों% पर बीमांकित (लाभ)/हानि	Actuarial (gain)/loss on Obligation	(705.56)	(224.22)	57.77	(756.32)
	वर्ष के अंत में देयता	Liability at the end of the year	1402.55	8038.24	1505.38	7404.65
(iii)	**प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका:**	**Table of Fair value of Plan Assets :**				
	अवधि प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	1333.79	6504.83	1017.12	5070.13
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected return on Plan Assets	122.44	547.71	81.37	405.61
	अंशदान	Contributions	110.00	743.92	405.93	1385.43
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	(232.45)	(605.48)	(204.45)	(474.38)
	प्लातन एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(17.27)	70.22	33.82	118.04
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट् का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1316.51	7261.20	1333.79	6504.83
	मानने योग्य कुल बीमांकिक लाभ/(हानि)	**Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised**	688.29	294.44	(23.95)	874.36
(iv)	**संक्रमणकालीन देयता की मान्यता :**	**Recognition of Transitional Liability :**				
	प्रारंभ में संक्रमणकालीन देयता	Transitional Liability at start	171.59	884.86	257.38	1327.29
	वर्ष के दौरान पहचानी गई संक्रमणकालीन देयता	Transition Liability recognised during the year	85.80	442.44	85.79	442.43
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	**Transition Liability at end**	85.79	442.42	171.59	884.86
(v)	**प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल :**	**Actual return on Plan Assets :**				
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	122.44	547.71	81.37	405.61
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(17.27)	70.22	33.82	118.04
	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	**Actual return on Plan Assets**	105.17	617.93	115.19	523.65
(vi)	**तुलन पत्र में मान्य राशि :**	**Amount recognised in the Balance Sheet :**				
	अवधि के अंत में देयता	Liability at the end of the period	1402.55	8038.24	1505.38	7404.65
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य अंतर	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1316.51	7261.19	1333.79	6504.83
		Difference	(86.04)	(777.05)	(171.59)	(899.82)
	अमान्य परिवर्तन देयता	Unrecognised Transition Liability	85.79	442.42	171.59	884.86
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in the Balance Sheet**	(0.25)	(334.63)	-	(14.96)

Sr. No.	विवरण	Particulars	2013-2014		2012-2013	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(vii)	**आय विवरण–पत्र में मान्य व्यय :**	**Expenses recognised in the Income Statement :**				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	705.70	804.95	64.39	943.80
	ब्याज लागत	Interest Cost	129.47	658.35	110.03	552.17
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	(122.44)	(547.71)	(81.37)	(405.61)
	विगत वर्षों के मान्यष व्यय	Expenses recognized relating to prior years	-	-	-	1.96
	संक्रमणकालीन देयता–मान्य	Recognition of Transition Liability	85.80	442.44	85.79	442.43
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	(688.29)	(294.44)	23.95	(874.36)
	लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	**Expense Recognised in P & L**	110.25	1063.59	202.79	660.39
(viii)	**तुलन पत्र समाधान :**	**Balance Sheet Reconciliation :**				
	प्रारंभिक निवल देयता:	Opening Net Liability (Last period's net	-	14.96	203.14	740.00
	(तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि)	amount recognized in the balance sheet)	110.25	1063.59	202.79	660.39
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	Expenses as above	(110.00)	(743.92)	(405.93)	(1385.43)
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	0.25	334.63	-	14.96
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in Balance Sheet**				
(ix)	**आस्तियों का प्रवर्ग :**	**Category of Assets :**				
	भारत सरकार की आस्तियां	Government of India Assets	153.55	568.12	177.04	619.75
	कार्पोरेट बांड्स	Corporate Bonds	712.96	4091.60	295.45	4253.32
	राज्य सरकार	State Government	413.98	2499.07	831.83	1588.37
	अन्य	Other	36.02	102.4	29.47	43.39
	कुल	**Total**	1316.51	7261.19	1333.79	6504.83
(x)	**अनुभव समायोजन :**	**Experience Adjustment :**				
	प्लान देयता पर (लाभ)/हानि	**On Plan Liability (Gain)/Loss**	(705.56)	(224.22)	57.77	(756.32)
	प्लान एसेट पर (हानि)/लाभ	**On Plan Asset (Loss)/Gain**	(17.27)	70.22	33.82	118.04

क) बैंक ने कर्मचारी भविष्यय निधि के लिए अंशदान को व्यभय के रुप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि जो एक परिनिश्चित अंशदान योजना है, के लिए ₹38.23 करोड़ (विगत वर्ष ₹24.97 करोड़) का अंशदान दिया है।

ख) आरबीआई परिरत्र न. डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010–11 दिनांक 9 फरवरी 2011 के अनुरूप :

- उन मौजूदा कर्मचारियों के लिए, जिन्होंने ऐक्चूएरीअल बेसिस पर पहले परिकलित की गयी पेंशन के लिए विकल्प नहीं दिया था, पेंशन विकल्प को फिर से खोलने के कारण ₹2212.15 करोड़ की अतिरिक्त देयता (31.03.2011 से शुरू करके 5 वर्षों में संक्रामित की जानेवाली) के निमित्त समानुपात आधार पर वर्ष के दौरान ₹442.44 करोड़ की राशि लाभ–हानि खाते में प्रभारित की गयी है।
- राशि ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के भुगतान में ग्रेच्युटी सीमाओं की वृद्धि के कारण (31.03.2011 से शुरू करके 5 वर्षों में संक्रामित की जानेवाली) ₹428.96 करोड़ की अतिरिक्त देयता के निमित्त समानुपात आधार पर तिमाही के दौरान ₹85.79 करोड़ की लाभ–हानि खाते में प्रभारित की गयी है।

ग) कर्मचारी संघों के साथ वेतन परिशोधन के संबंध में हो रही बात–चीत के वर्तमान चरण और बैंकिंग उद्योग में उभरते दौर को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एक्चुअरी के परामर्श से, भविष्य में होने वाले वेतन परिशोधन के लिए सैलरी एस्कलेशन रेट में ऊर्ध्वमुखी 20% का समायोजन, अर्थात 5% से 6% किया है। बैंक आवधिक आधार पर स्थिति का आंकलन कर रही है और उसके आधार पर, बैंक का यह मानना है कि 6% सैलरी एस्कलेशन रेट, वेतन परिशोधन की वजह से होने वाली देयता को कवर करने हेतु पर्याप्त है।

घ) एक्चुअरी द्वारा बैंक को यह सूचित किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के प्रोफाइल को देखते हुए बैंक कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के परिकलन हेतु एक्चुअरी द्वारा प्रयुक्त वर्तमान मोरटैलिटि टेबल पर्याप्त है।

a. The bank has recognised contribution to employees' Provident Fund as an expense. During the year, the bank has contributed ₹ 38.23 Crores (previous year ₹24.97 Crores) towards such fund which is a defined contribution plan.

b. In accordance with the RBI circular no. DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11dated 9th February 2011:

- ₹ 442.44 Crores for the Year has been charged to the Profit & Loss Account on proportionate basis towards additional liability of ₹2212.15 Crores (being amortised over 5 years beginning from 31st March, 2011) on account of reopening of pension option for existing employees who had not opted for pension earlier calculated on actuarial basis.
- ₹ 85.79 Crores for the Year has been charged to the Profit & Loss Account on proportionate basis towards additional liability of ₹428.96 Crores (being amortised over 5 years beginning from 31st March 2011) on account of the enhancement of gratuity limits in Payment of Gratuity Act, 1972.

c. Considering the present stage of negotiation in respect of wage revision with employees' union and emerging trends in the banking industry, the Bank, in consultation with the Actuary, has adjusted the Salary Escalation Rate upwards by 20% i.e. from 5% to 6% to take care of future wage revision. The Bank is periodically assessing the situation and based thereon, Bank considers that the Salary Escalation Rate of 6% is sufficient to cover liability that may arise on wage revision.

d. The Bank has been advised by the Actuary that the present mortality table being used by the Actuary to determine retirement benefits of Bank's employees' is appropriate considering the profile of employees' of the Public Sector Banks.

5.3 लेखांकन मानक 17 – खण्ड रिपोर्ट करना

भाग क: कारोबार खण्ड

5.3. Accounting Standard 17 - Segment Reporting

Part A: Business Segment

(राशि ₹ करोड़ में)

कारोबार खण्ड Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		(*)अन्य बैंकिंग परिचालन कुल (*)Other Banking Operations		कुल Total	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
राजस्व Revenue	11726.47	9567.96	20015.28	15808.70	10118.11	10117.94			41859.86	35494.60
गैर–आबंटित राजस्व Unallocated revenue									410.24	266.71
अंतर खंड राजस्व Inter segment revenue									(68.16)	(86.35)
कुल राजस्व Total Revenue									42201.94	35674.96
परिणाम Results	1,628.42	1,120.98	1,270.32	897.31	932.01	1,212.47			3,830.75	3,230.76
गैर–आबंटित व्यय Unallocated Expenses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(285.70)	(223.02)
परिचालन लाभ Operating Profit	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3,545.05	3,007.74
आयकर Income Tax	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	815.78	258.39
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/loss	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	-	-
निवल लाभ Net Profit	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2,729.27	2,749.35
अन्य जानकारी : Other Information :										
खंड आस्तियां Segment Assets	170,672.91	142,167.18	292,639.52	223,015.31	95,416.11	78,291.64			558,728.54	443,474.13
गैरआबंटित आस्तियां Unallocated Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14,461.66	9,128.59
कुल आस्तियां Total Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	573,190.20	452,602.72
खंड देयताए Segment Liabilities	163,891.74	135,823.60	280,858.89	213,080.56	91,732.99	74,860.17			536,483.62	423,764.33
गैर आबंटित देयताएं Unallocated Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6,783.49	4,920.23
कुल देयताएं Total Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	543,267.11	428,684.56

(*) बैंक का कोई अर्थपूर्ण अन्यप बैंकिंग परिचालन नहीं है।

(*) The Bank does not have any significant “Other Banking Operations”.

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B: Geographical Segment

(राशि ₹ करोड़ में)

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	स्वदेशी Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
विवरण	Particulars	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
राजस्व	Revenue	37,846.29	31,877.04	4,355.65	3,797.92	42,201.94	35,674.96
आस्तियां	Assets	424,993.29	338,278.45	148,196.91	114,324.27	573,190.20	452,602.72

बैंक ने लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्राथमिक रिपोर्टिंग वाले खंड़ों और गौण खंड के रूप में भौगोलिक खंड़ों को मान्यता दी है।

प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) कोषागार परिचालन : खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों के साथ पूंजी बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं।

ख) थोक बैंकिंग : थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग : खुदरा बैंकिंग में वे एक्सपोज़र सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हें :

i) एक्स पोज़र – अधिकतम कुल एक्सपोज़र ₹5 करोड़ तक।

ii) कुल वार्षिक कारोबार ₹50 करोड़ से कम है यथा वर्तमान कंपनियों के मामले में पिछले तीन वर्षों का औसत तथा नई कंपनियों के मामले में अनुमानित कुल कारोबार।

अंतर–खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

लागत का विनियोजन

क) विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्यय संबंधित खण्ड में आंबटित हैं।

ख) विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में आंबटित है।

गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

5.4 लेखांकन मानक 18 संबंधित पक्षकार के संव्यवहार :

ख) संबंधित पक्षकारों की सूची :

(क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक: श्रीमती वी.आर. अय्यर

कार्यपालक निदेशक गण : श्री एन. शेषाद्रि (30.04.2013 तक)
श्री एम. एस. राघवन (05.07.2013 तक)
श्री बी.पी. शर्मा
श्री अरुण श्रीवास्तव (05.08.2013 से)
श्री आर कोटीश्वरन (05.08.2013 से)

(ख) अनुषंगियाँ :

(i) बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड
(ii) पीटी बैंक ऑफ इंडोनेशियी टीबीके
(पहले पीटी बैंक स्वदेशी के रुप में जाना जाता था)
(iii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि.
(iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि.
(v) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगान्डान) लि.
(vi) बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.
(vii) बीओआई एक्सा इनवेस्टमेंट मैनजर्स प्राइवेट लि.
(viii) बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज़ प्राइवेट लि.

The Bank has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with Accounting Standard 17.

Primary Segment: Business Segments

a) Treasury Operations: 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) Wholesale Banking: Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) Retail Banking : Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹5 Crores

ii) The total annual turnover is less than ₹50 Crores i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

Allocation of Costs

a) Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.

b) Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

5.4. Accounting Standard 18 - Related Party Transactions (As compiled by Management)

I) **List of Related Parties:**

(a) **Key Managerial Personnel :**

Chairperson & Managing Director: Smt. V.R.Iyer

Executive Directors: Shri N. Seshadri (up to 30.04.2013)
Shri M. S. Raghavan (up to 05.07.2013)
Shri B.P.Sharma
Shri Arun Shrivastava (w.e.f.05.08.2013)
Shri Koteeswaran (w.e.f.05.08.2013)

(b) **Subsidiaries :**

(i) BOI Shareholding Limited
(ii) PT Bank of India Indonesia Tbk
(iii) Bank of India (Tanzania) Limited
(iv) Bank of India (New Zealand) Limited
(v) Bank of India (Uganda) Limited
(vi) Bank of India (Botswana) Limited
(vii) BOI AXA Investment Managers Private Limited
(viii) BOI AXA Trustee Services Private Limited

(ग) **सहायक कंपनियां :**

(i) एसटीसीआई फाइनैन्स: लिमिटेड

(ii) एएसआरईसी (इंडिया) लि.

(iii) इंडो–जाम्बिया बैंक लि.

(iv) आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(पहले आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के रूप में जाना जाता था)

(v) झारखण्ड ग्रामीण बैंक

(vi) नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक

(vii) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक

(घ) संयुक्त उद्यम

(i) स्टार यूनियन दाई ईची जीवन बीमा कंपनी लि.

II) **क) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)**

(c) **Associates :**

(i) STCI Finance Limited

(ii) ASREC (India) Limited

(iii) Indo-Zambia Bank Limited

(iv) Gramin Bank of Aryavart
(Formerly Known as Aryavart Kshetriya Gramin Bank)

(v) Jharkhand Gramin Bank

(vi) Narmada Jhabua Gramin Bank

(vii) Vidharbha Konkan Gramin Bank

(d) **Joint Venture:**

(i) Star Union Dai–IchiLife Insurance Co. Ltd.

II) ***a) Transactions with Related Parties***

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं. Sr. No.	मदें/ संबंधित पक्ष Items/Related Party	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम Associates/Joint Ventures		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार Relatives of Key Management Personnel		कुल Total	
		2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
1	**जमा Deposits**	38.83	55.06	0.27	0.05	0.18	0.05	39.28	55.15
	वर्ष के दौरान अधिकतम Maximum during the year	39.33	55.06	0.63	0.05	0.18	0.09	40.14	55.20
2	**जमाराशियों का नियोजन Placement of deposits**	2.00	-	-	-	-	-	2.00	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम Maximum during the year	61.00	-	-	-	-	-	61.00	-
3	**निवेश Investments**	-	-	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम Maximum during the year	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**मांग /सूचना में उधार देना/टर्म मनी Lending in Call / Notice /Term Money**	0.14	29.57	-	-	-	-	0.14	29.57
	वर्ष के दौरान अधिकतम Maximum during the year	28.97	29.57	-	-	-	-	28.97	29.57
5	**अन्य उधार देना Other lending**	485.30	74.00	-	-	-	-	485.30	74.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम Maximum during the year	493.16	112.50	-	-	-	-	493.16	112.50
6	**मांग /सूचना में उधार लेना/टर्म मनी Borrowings in Call / Notice / Term Money**	-	-	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम Maximum during the year	-	-	-	-	-	-	-	-
7	**बैंक क्रेडिट लाइन/डब्यूटि सीडीएल एवं ओडी में उधार : Borrowings in Bank Credit Line/WCDL & OD:**	-	-	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम Maximum during the year	-	-	-	-	-	-	-	-
8	**गैर–निधिक वचनबद्धताएं Non-funded commitments**	-	-	-	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान अधिकतम Maximum during the year	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं. Sr. No.	मदें/ संबंधित पक्ष Items/Related Party	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम Associates/Joint Ventures		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार Relatives of Key Management Personnel		कुल Total	
		2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
9	सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों की बिक्री Sale of Govt. Securities / Treasury Bills / Bonds	-	-	-	-	-	-	-	-
10	सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों/बांडों की खरीद Purchase of Govt. Securities / Treasury Bills / Bonds	-	10.84	-	-	-	-	-	10.84
11	प्रदत्त ब्याज Interest Paid	3.18	4.07	0.01	-	0.01	-	3.20	4.07
12	प्राप्त ब्याज Interest Received	6.75	2.62	-	-	-	-	6.75	2.62
13	गैर वित्तीय खर्चे प्राप्त Non financial expenses recd.	0.07	0.16	-	-	-	-	0.07	0.16
14	प्रदत्त लाभांश Dividend Paid	-	-	-	-	-	-	-	-
15	प्राप्त लाभांश Dividend Received	1.28	9.11	-	-	-	-	1.28	9.11
16	प्रदत्त सेवाएं Services rendered	36.68	31.25	-	-	-	-	36.68	31.25
17	प्राप्त सेवाए Services received	19.57	49.65	-	-	-	-	19.57	49.65
18	प्रबंधन संविदाएं Management contracts	-	-	-	-	-	-	-	-
19	अन्य प्राप्य Any Other receivable	5.17	0.12	-	-	-	-	5.17	0.12
20	कोई अन्य प्राप्य Any Other payable	30.31	-	-	-	-	-	30.31	-
21	**कोई अन्य कारोबार Any Other Business**	19.45	6.83	-	-	-	-	19.45	6.83

ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिक: प्रदत्त पारिश्रमिक (₹ में)

b) Key Management Personnel: Remuneration paid (in ₹)

क्र. सं. Sr. No.	नाम	Name	पदनाम Designation	2013-14	2012-13
1	श्रीमती वी.आर. अय्यर	Smt. V. R. Iyer	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / Chairperson & Managing Director	21,82,440	6,48,485
2	श्री एन. शेषाद्रि	Shri N. Seshadri	पूर्व-कार्यपालक निदेशक / Ex-Executive Director	1,98,856	19,95,690
3	श्री एम.एस. राघवन	Shri M.S. Raghavan	पूर्व-कार्यपालक निदेशक / Ex-Executive Director	4,49,793	15,16,172
4	श्री बि. पी. शर्मा	Shri B. P. Sharma	कार्यपालक निदेशक / Executive Director	19,73,716	10,77,105
5	श्री अरुण श्रीवास्तव	Shri Arun Shrivastava	कार्यपालक निदेशक / Executive Director	10,02,071	-
6	श्री आर. कोटीश्वरन	Shri R. Koteeswaran	कार्यपालक निदेशक / Executive Director	9,98,465	-

सहायक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संव्यवहार राज्य नियंत्रित होने के कारण एएस-18 के पैरा 9 की दृष्टि में प्रकटन नहीं किए गए हैं जोकि आईसीएआई द्वारा संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए जारी किए हैं जिसमें इन पार्टियों के दूसरे पक्षकारों के साथ, जो भी राज्य नियंत्रित है, संव्यवहारों को प्रकटन न करने की छूट है।

The transactions with the subsidiaries and regional rural banks, being state controlled, have not been disclosed in view of para 9 of AS-18 on Related party disclosure issued by the ICAI exempting state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

5.5 लेखांकन मानक 22 आय पर करों के लिए लेखांकन

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

5.5. Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
	आस्थागित कर आस्तियां	**Deferred Tax Assets**		
i)	प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards provisions	1,295.93	809.61
ii)	अन्य	Others	126.68	79.45
	कुल आस्थगित कर आस्तिया	**Total Deferred Tax Assets**	**1,422.61**	889.06
	आस्थगित कर देयता	**Deferred Tax Liabilities**		
i)	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	On account of Depreciation on fixed assets	44.47	41.22
ii)	निवेश पर मूल्यह्रास के कारण	On account of Depreciation on investment	1,514.78	495.54
iii)	प्रोद्भूत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण	On account of interest accrued but not due	765.70	580.61
iv)	अन्य	Others	557.37	4.75
	कुल आस्थगित कर देयताएं	**Total Deferred Tax Liabilities**	**2,882.32**	1122.12
	निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)**	**(1,459.71)**	**(233.06)**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुरूप कर-कटौती का लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक, लाभ के विनियोजन द्वारा विशेष आरक्षित निधि का सृजन करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र दिनांक 20 दिसंबर, 2013 द्वारा बैंकों को सूचित किया है कि वे एक विवेकसम्मत उपाय के रूप में विशेष आरक्षित निधि में बकाया राशि से आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का सृजन करें। तदनुसार, सामान्य आरक्षित निधि घटाते हुए, बैंक ने, यथा 31 मार्च, 2013 को विशेष आरक्षित निधि में बकाया राशि पर ₹431.67 करोड़ के डीटीएल का सृजन किया है। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान सृजित ऐसी विशेष आरक्षित निधि पर ₹118.96 करोड़ के डीटीएल का भी सृजन किया गया है। तद्नुसार, वर्ष के लिए कर व्यय में ₹118.96 करोड़ की वृद्धि और वर्ष के लिए लाभ में उतनी ही गिरावट हुई है।

The Bank creates Special Reserve through appropriation of profits, in order to avail tax deduction as per Section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961. The Reserve Bank of India, vide its circular dated 20th December 2013, has advised Banks to create a deferred tax liability (DTL) on outstanding amount in Special Reserve, as a matter of prudence. Accordingly, during the Year ended 31st March 2014, the Bank has created a DTL of ₹431.67 Crores on Special Reserve outstanding as at 31st March, 2013, by reducing the General Reserves. Further, DTL of ₹ 118.96 Crores has been created for the year on such Special Reserve created during the year. Accordingly, the tax expense for the year is higher by ₹ 118.96 Crores with corresponding decrease in net profit for the year.

5.6 लेखांकन मानक 27 संयुक्त उद्यम में निवेश

निवेश में ₹120 करोड़ (पिछले वर्ष ₹120 करोड़) शामिल है जो निम्नलिखित संयुक्त रुप से नियंत्रित संस्था में बैंक का ब्याज दर्शा रहा है:

5.6. Accounting Standard 27 – Investments in Joint Venture

Investments include ₹120 Crores (Previous year ₹120 Crores) representing Bank's interest in the following jointly controlled entity:

क्र.सं. Sr. No.	कंपनी का नाम	Name of the Company	राशि Amount	आवासिय देश Country of Residence	होल्डिंग % Holding %
1	स्टार यूनियन दाई ईची जीवन बीमा कंपनी लि.	Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd.	₹120 Crores	भारत / India	48%

5.7 लेखांकन मानक 19 पट्टा वित्तपोषण

(i) पट्टा वित्तपोषण और इसके घटकों में बैंक के निवेश की संविदागत परिपक्वताएं जो अग्रिमों में शामिल की गई हैं का उल्लेख नीचे किया गया है:

5.7. Accounting Standard 19 - Lease Financing

(i) The contractual maturities of the Bank's investment in lease financing and its components, which are included in advances, are set out below:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
क)/a)	सकल निवेश	Gross Investments	0.22	0.22
ख)/b)	प्राप्य पट्टा भुगतान	Lease payment receivables		
	(i) 1 वर्ष से अधिक नहीं	(i) not later than 1 year	-	-
	(ii) 1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	(ii) later than 1 year but not later than 5 years	-	-
	(iii) 5 वर्ष से अधिक	(iii) later than 5 years	0.22	0.22
	कुल	**TOTAL**	**0.22**	**0.22**
ग)/c)	अनर्जित वित्त आय	Unearned finance income	-	-
घ)/d)	निवल निवेश [क – ग]	**Net investments [a – c]**	**0.22**	**0.22**

(ii) अर्जित ब्याज में ₹ शून्य (विगत वर्ष ₹शून्य) का पट्टा आय शामिल है.

5.8 लेखांकन मानक 20 प्रति शेयर अर्जन (राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
1.	आधारभूत और तनुकृत*	Basic & Diluted *	44.74	47.79

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
(A)	इक्विटी शेयाधारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए निवल लाभ	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders	2,729.27	2,749.35
(B)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्याक (₹ करोड़)	Weighted Average Number of Equity shares (in Crores)	61.00	57.54
(C)	मूलभूत प्रति शेयर आय (ए/बी) (₹)	Basic Earnings per Share (A/B) (₹)	44.74	47.79
(D)	प्रति शेयर अंकित मूल्यय (₹)	Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

* आधारभूत एवं तनुकृत ई.पी.एस. समान ही है क्योंहकि मंदी संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है।

* Basic & Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares.

5.9 आस्तियों का ह्रास (लेखांकन मानक 28)

पूर्व में पुनर्मूल्यांकित परिसर के संबंध में, ₹10.46 करोड़ की ह्रास हानि है, जिसे उक्त लेखांकन मानक के अनुरूप इन आस्तियों के लिए उपलब्ध पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में प्रभारित किया गया है।

5.9. Impairment of Assets (Accounting Standard 28)

In respect of premises revalued earlier, there is an impairment loss of ₹10.46 Crores, which, in accordance with the aforesaid accounting standard, has been charged to the revaluation surplus available for these assets.

5.10 लेखांकन मानक 29 : प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां:

क. देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढाव (अन्य के प्रावधानों को निकाल कर)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएं	
	2013–14	2012–13
प्रारंभिक शेष	26.94	22.05
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.01	4.89
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	–	–
अंतिम शेष	26.95	26.94
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	समझौते/ क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	समझौते/क्रिस्टिलीकरण पर बहिर्गमन

ख. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर क्रमश: निर्भर करता हे। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

5.10. Accounting Standard 29: "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets":

A. *Movement of Provisions for contingent liabilities*

Particulars	Legal cases/contingencies	
	2013-14	2012-13
Opening Balance	26.94	22.05
Provided during the year	0.01	4.89
Amounts used during the year	-	-
Closing Balance	26.95	26.94
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement / Crystallization	Outflow on settlement / Crystallization

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon, the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

6. अतिरिक्त देयताएं

6.1 प्रावधान और आकस्मिकताएं

लाभ और हानि खाते में दिखाए गए प्रावधान और आकस्मिकताएं का ब्रेक–अप निम्नानुसार है:

6. Additional Disclosures

6.1. Provisions and Contingencies

The break-up of "Provisions and Contingencies" appearing in the Profit and Loss Account is as under:

विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
निवेश के मूल्यमह्रास पर प्रावधान	Provision for Depreciation on Investment	72.55	76.69
एनपीए हेतु प्रावधान	Provision towards NPA	3,970.35	3,726.55
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision towards Standard Assets	422.67	291.63
आयकर के लिए किया गया प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	815.78	258.39
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	**Other Provision & Contingencies**		
पुनर्गठित खातों में त्याग हेतु प्रावधान	• Provision for Sacrifice in Restructured Accounts	360.75	355.96
देशीय जोखिम हेतु प्रावधान	• Provision for Country Risk	33.78	(13.61)
अन्य प्रावधान	• Other Provisions	17.75	13.55
कुल	**Total**	**5,693.63**	**4,709.15**

6.2 अस्थिर प्रावधान (काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर)

6.2. Floating Provisions (Countercyclical provisioning buffer)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
फ्लोटिंग प्रोविजन खाते में प्रारम्भिक शेष मात्रा	Opening Balance in the floating provisions account	543.92	543.92
लेखाकंन वर्ष में किए गए फ्लोटिंग प्रोविजनस् की प्रमात्रा	The quantum of floating provisions made in the accounting year	-	-
लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि (ड्रॉ डाउन प्रयोजन, यदि कोई हो, दिया जाए)	Amount of draw down made during the accounting year (purpose of draw down to be given, if any)	179.49	-
अस्थिर प्रावधान खाते में अंतिम शेष	Closing Balance in the floating provisions account	364.43	543.92

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्र.डीबीओडी.नं.बीपी.95/21.04.048/2013-14 दिनांक 7 फरवरी, 2014 के बाद बैंक ने ₹179.49 करोड़ के फ्लोटिंग प्रावधान का उपयोग किया है, जो यथा 31 मार्च 2013 को धारित ₹543.92 करोड़ के एनपीए हेतु विशिष्ट प्रावधान का 33% है।

Pursuant to Reserve Bank of India circular No. DBOD No. BP.95/21.04.048/2013-14 dated 7th February 2014, the Bank has utilised ₹ 179.49 Crores of floating provision, being 33% of floating provision of ₹ 543.92Crores held on 31st March 2013 towards specific provisions for NPAs.

6.3 रिजर्वस् से ड्रॉ डाउन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र दिनांक 20 दिसंबर, 2013 द्वारा बैंकों को सूचित किया है कि वे एक विवेकसम्मत उपाय के रूप में विशेष आरक्षित निधि में बकाया राशि से आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का सृजन करें। तदनुसार, सामान्य आरक्षित निधि घटाते हुए, बैंक ने, यथा 31 मार्च, 2013 को विशेष आरक्षित निधि में बकाया राशि पर ₹431.67 करोड़ का ड्रॉ डाउन किया है।

6.3. Draw Down from Reserves

The Reserve Bank of India, vide its circular dated 20th December 2013, has advised Banks to create a deferred tax liability (DTL) on outstanding amount in Special Reserve, as a matter of prudence. Accordingly, during the Year ended 31st March 2014, the Bank has made draw down of ₹ 431.67 Crores from General Reserve towards creation of DTL on Special Reserve outstanding as at 31st March, 2013.

6.4 शिकायतों का प्रकटन

i) ग्राहकों की शिकायतें:

6.4. Disclosure of complaints

i) *Customer Complaints :*

विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
(क) वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	(a) No. of complaints pending at the beginning of the year	12	19
(ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	(b) No. of complaints received during the year	3,565	2,255
(ग) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	(c) No. of complaints redressed during the year	3,513	2,262
(घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	(d) No. of complaints pending at the end of the year	64	12

ii) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय :

ii) *Awards passed by the Banking Ombudsman:*

क्र. सं.	विवरण	Sr. No.	Particulars	2013-14	2012-13
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1	3
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	23	9
(ग)	वर्ष के दौरान लागू किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	(c)	No. of Awards implemented during the year	21	11
(घ)	वर्ष के अंत में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	3	1

6.5 बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसीज्) पर प्रकटन (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किए हैं। वर्ष 2011-2012 के दौरान, बैंक ने अपने पूर्णतया स्वामित्व की सहायक संस्था बैंक ऑफ़ इंडिया (बीटीडब्ल्यू) लि. के लिए गवर्नर, बैंक ऑफ़ बोत्स्वाना को वचनपत्र जारी किया है कि वित्तीय वायदा देय होने पर पूरा किया जाएगा।

वर्ष 2010-11 के दौरान, अपने पूर्णतया स्वामित्व की सहायक संस्था बीओआई (न्यूजीलैंड) लि. के लिए न्यूजीलैंड के रॉयल बैंक के पक्ष में बैंक ने वित्तीय यदा यदि देय होने पर पूरा करने के लिए अभिभावकीय गारंटी जारी किया है।

तथापि यथा 31.03.2014 में उपर्युक्त वायदों में कोई वित्तीय दायित्व नहीं है।

6.5. Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by bank(As compiled by Management)

During current year, the bank has not issued any letter of comforts. During the year 2011-12 the bank has issued and undertaking to the governor, Bank of Botswana in respect of its wholly owned subsidiary, Bank of India (BTW) Ltd., to meet its financial commitments if they fall due.

During the year 2010-11 the bank issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2014 no financial obligations have arisen on the above commitments.

6.6 प्रावधानीकरण कवरेज़ अनुपात (पीसीआर)

यथा 31 मार्च 2013 को बैंक के सकल अनर्जक आस्तियों पर प्रावधानीकरण 58.68% है (पिछले वर्ष: 60.92%)

6.6. Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The Provisioning to Gross Non-Performing Assets of the Bank as on 31st March 2014 is 58.68% (Previous year:60.92%)

6.7 बैंक एश्योरेंस कारोबार से प्राप्त शुल्क, पारिश्रमिक :

6.7. Fees, remuneration received from Bancassurance business:

विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
जीवन बीमा पॉलिसी	Life Insurance Policies	33.47	31.01
गैर-जीवन बीमा पॉलिसी	Non-Life Insurance Policies	16.61	15.07
कुल	**Total**	**50.08**	**46.08**

6.8 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोज़र तथा एनपीए का संकेंद्रण (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

6.8. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

6.8.1 जमाओं का संकेंद्रण

6.8.1. Concentration of Deposits

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं का कुल जमा राशियां	Total Deposits of twenty largest depositors	43,943	24,214
बैंक की कुल जमाराशियाँ में से बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	Percentage ofDeposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	9.21%	6.34%

6.8.2 अग्रिमों का संकेंद्रन

6.8.2. Concentration of Advances

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	Total Advances to twenty largest borrowers	54,155	43,591
बैंक के का कुल अग्रिमों में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	8.42%	7.85%

6.8.3 एक्सपोज़र का संकेंद्रण:

6.8.3. Concentration of Exposures

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	55,503	44,398
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	Percentage of Exposures to twenty largest borrowers customers to Total Exposure of the bank on borrowers customers	7.31%	6.81%

6.8.4 एनपीए संकेंद्रण (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

6.8.4. Concentration of NPAs (as compiled by management)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
चार शीर्ष एनपीए खातों का कुल एक्सपोज़र	Total Exposure to top four NPA accounts	1,311	2,107

6.9 क्षेत्रवार एनपीए (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

6.9. Sector-wise NPAs (as compiled by management)

क्र. सं. Sr. No.	क्षेत्र	Sector	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
			2013-14	2012-13
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	Agriculture and allied activities	1.99%	2.01%
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	Industry(Micro & Small, Medium and Large)	3.80%	3.44%
3	सेवाएं	Services	2.82%	3.25%
4	व्यक्तिगत ऋण	Personal Loans	0.81%	1.31%

6.10 एनपीए का मूवमेंट

6.10. Movement of NPAs

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
सकल एनपीए यथा 01.04.2013 को (प्रारंभिक शेष)	Gross NPAs as on 01.04.2013 (Opening Balance)	8,765.25	5,893.97
वर्ष के दौरान (नए एनपीए) परिवर्धन	Additions(Fresh NPAs) during the year	8,810.91	7,379.56
उप-जोड़ (ए)	Sub-total(A)	17,576.16	13,273.53
घटाएं :-	Less:		
(i) अपग्रेडेशन	(i) Up gradations	938.10	759.28
(ii) वसूलीयाँ (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूली को छोड़कर)	(ii) Recoveries-excluding recoveries made from upgraded accounts	3,066.01	1,244.64
(iii) बट्टे खाते लिखाई, उक्त 3 के अंतर्गत छोडकर	(iii) Write offs other those under 3 above	1,703.45	2,504.36
उप-जोड़ (बी)	Sub-total (B)	5,707.56	4,508.28
सकल एनपीए यथा 31.03.2014 (अंतिम शेष) (ए-बी)	Gross NPAs as on 31.03.2014 (Closing Balance) (A-B)	11,868.60	8,765.25

6.11 तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों का मूवमेंट (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

6.11. Movement of Technical/Prudential written-off accounts (As compiled by Management)

विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों में प्रारंभिक शेष	Opening Balance of Technical/prudential written-off accounts	6,452.48	4,315.02
जोडें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते लिखाई	Add: Technical/prudential written-offs during the year	2,154.34	4,253.70
उप-जोड (ए)	Sub-total(A)	8,606.82	8,568.72
घटाएं :- पूर्व में तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों में की गई वसूली (बी)	Less:-Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year(B)	2,525.60	2,116.24
अंतिम शेष (ए-बी)	Closing Balance (A-B)	6,081.22	6,452.48

6.12 विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

6.12. Overseas Assets, NPAs and Revenue

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2013-14	2012-13
1	कुल आस्तियां	Total Assets	148,177.67	114,324.27
2	कुल एनपीए	Total NPAs	1,594.38	1,613.21
3	कुल राजस्व	Total Revenue	4,355.65	3,797.92

6.13 एसपीवीज् स्पॉन्सर ऑफ बैलेन्स शीट

6.13. Off-Balance Sheet SPVs sponsored

स्पॉन्सर किए गए एसपीवी का नाम / Name of the sponsored SPV	
स्वदेशी / Domestic	विदेशी / Overseas
शून्य/ Nil	शून्य/ Nil

6.14 अपरिशोधित पेन्शन और ग्रेच्युटी देयताएं :

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने उन कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प फिर से खोला जिन्होंने पहले पेंशन का विकल्पे नहीं चुना था। कुल 22,338 कर्मचारियों द्वारा यह विकल्प चुनने के परिणामस्वरूप बैंक को कारण ₹2212.15 करोड़ की अतिरिक्त देयता हुई। इसके अलावा, 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन के कारण कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि की गई। परिणामस्वरूप बैंक की ग्रेच्युटी देयता में ₹428.97 करोड़ की वृद्धि हुई।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों हेतु पेन्शन विकल्प फिर से प्रदान करने और उपदान सीमा बढ़ाने प्रूडेन्शियल रेगुलेटरी ट्रीटमेन्ट, पर भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र क्र.डीबीओडी. बीपी.बीसी.80/21.04.018/ 2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011 के अनुसार बैंक ने ₹2,641.11 करोड़ की कथित देयता को पाँच वर्षों की अवधि में परिशोधित करने का विकल्प चुना है। तदनुसार, ₹528.22 करोड़ (विगत वर्ष ₹1,056.45 करोड) भविष्यि के वर्षों में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किए जाने हेतु आगे ले जाई गई है।

6.14. Unamortised Pension and Gratuity Liabilities:

During the year ended 31.03.2011, the Bank had re-opened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of exercise of the option by 22,338 employees, the bank had incurred additional liability of ₹2,212.15 Crores. Further, during the year ended 31.03.2011, the limit of Gratuity payable to the employees was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result the gratuity liability of the Bank had increased by ₹428.96 Crores.

As per the Reserve Bank of India circular no. DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11) on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February 2011, the Bank had opted to defer the additional liability of ₹2,641.11 Crores as mentioned above and amortise it over a period of five years commencing from financial year 2010-11 onwards. Accordingly, unamortised amount of ₹528.22 Crores (Previous year ₹1056.45 Crores) has been carried forward to be charged to the Profit and Loss account of future year/s.

6.15 प्रतिभूतिकरण से सम्बद्ध प्रकटन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) फ्लोट नहीं किया है।

6.16 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के साथ डीलिंग शुरू नहीं की है।

7. अन्य नोट

क) आय कर:

I) आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में दावों की अभिस्वीकृति नहीं ली गई है जिसके अंतर्गत ₹857.58 करोड़ (विगत वर्ष 2012-13 में ₹1594.28 करोड़) की विवादित आय कर/ ब्याज कर देयताएं सम्मिलित हैं। इन दावों के मामलों में पूर्व में अभिनिर्धारित विभिन्न न्यायिक विवादों के आधार पर आवश्यक कर के प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है। इनको अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत भुगतान/ समायोजित तथा सम्मिलित कर लिया गया है।

II) कतिपय विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर उचित विचार किये जाने के बाद वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान किया गया है।

III) आयकर हेतु ₹368.82 करोड़ (विगत वर्ष ₹603.89 करोड़) के प्रावधान को विभिन्न अपील प्राधिकारियों के अनुकूल निर्णयों के आधर पर इस वर्ष के दौरान वापस राइटबैक कर दिया गया है।

बी) प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग :

i) दि. 31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु, बैंक ने एचटीएम से एएफएस प्रवर्ग में ₹15,620.18 करोड़ (विगत वर्ष ₹1594.28 करोड) की प्रतिभूतियों को शिफ्ट किया है एवं ऐसे ट्रांसफर पर ₹1.53 करोड (विगत वर्ष ₹5.02 करोड़) की हानि हुई है।

ii) 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने एएफएस से एचटीएम प्रवर्ग में ₹13.61 करोड़ (विगत वर्ष ₹10.49 करोड) के वेंचर फण्ड पोर्टफोलियो को शिफ्ट किया गया और ऐसे अतंरण पर ₹3.65 करोड़ (विगत वर्ष ₹0.21 करोड) की हानि हुई है।

iii) दि. 31-03-2014 को समाप्त वर्ष हेतु, बैंक ने एएफएस से एचटीएम प्रवर्ग में ₹5463.82 करोड़ (विगत वर्ष ₹3558.91 करोड) की प्रतिभूतियों को शिफ्ट किया है एवं ऐसे ट्रांसफर पर हुई ₹7.66 करोड (विगत वर्ष ₹0.21 करोड़) की हानि के लिए वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया है।

(सी) एसएलआर प्रतिभूतियां

विवरण	Particulars	यथा/As at 31.03.2014		यथा/As at 31.03.2013	
		बही मूल्य Book Value	बाज़ार मूल्य Market Value	बही मूल्य Book Value	बाज़ार मूल्य Market Value
एसएलआर (सीजी, एसजी, टीबी)	Government Securities SLR (CG,SG,TB)	95,388.77	91,532.02	81,839.02	82,089.73
अनुमोदित प्रतिभूतियां -एसएलआर	Approved securities -SLR	524.42	540.55	135.68	153.97

(डी) परिपक्वता तक धारित प्रवर्ग के अंतर्गत धारित निवेश की बिक्री पर ₹10.08 करोड (विगत वर्ष ₹62.63 करोड़) को लाभ को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है और उसके पश्चात् करों का निवल ₹5.11 करोड (विगत वर्ष ₹31.73 करोड) की राशि आरक्षित पूंजी में समायोजित की गई और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अंतर्गत सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित किया गया।

6.15. Disclosure relating to Securitisation

The Bank has not floated any Special purpose Vehicle (SPV) during the Financial Year 2013-14.

6.16. Credit Default Swaps

The bank has not started dealing with Credit Default swaps up to end of the financial year 2013-14.

7. Other Notes

a) **Income Tax:**

I. Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax / interest tax liabilities of ₹857.58Crores(previous year 2012-13 ₹621.25 Crores) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions for past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

II. Provision for income tax for the year is arrived at after due consideration of the various judicial decisions on certain disputed issues.

III. Provision for Income Tax of ₹368.82 Crore (previous year ₹603.89 Crores) has been written back during the year on the basis of favourable decisions of various appellate authorities.

b) **Shifting of securities:**

i) For the year ended 31-03-2014, Bank has shifted securities amounting to ₹15,620.18 Crores (previous year ₹1,594.28 Crores) from HTM to AFS category and ₹1.53 Crores (previous year ₹5.02 Crores) has been arisen as loss upon such transfer.

ii) For the year ended 31-03-2014, Bank has shifted portfolio of venture fund amounting ₹13.61 Crores (previous year ₹10.49 Crores) from HTM to AFS and ₹3.65 Crores (previous year ₹0.21 Crores) of loss has arisen due to such transfer.

iii) For the year ended 31.03.2014, Bank has shifted securities amounting to ₹5,463.82 Crores (previous year ₹3,558.91 Crores) from AFS to HTM category and loss arisen upon such transfer amounting to ₹7.66 Crores (previous year ₹0.21 Crores) has been provided for during the year.

c) **SLR Securities**

d) Profit on sale of Investments held under “Held to Maturity” category amounting to₹10.08 Crores (previous year ₹62.63 Crores) has been taken to the Profit & Loss Account and thereafter an amount of ₹5.11 Crores (previous year ₹31.73 Crores) has been appropriated to the Capital Reserve, net of taxes and transfer to Statutory Reserve under section 17 of the Banking Regulation Act, 1949.

(ई) वर्ष 2013–14 हेतु पुरस्कार (रिवार्ड) पॉइन्ट का संचलन

e) **Movement of Reward Points for 2013-14**

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	डेबिट कार्ड पर रिवार्ड प्वॉइन्ट्स Reward points on Debit Card	क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड प्वॉइन्टस Reward points on Credit Card	कुल Total
1	प्रारंभिक शेष	Opening Balance	2048,58,781	256,50,520	2305,09,301
			(562,27,144)	(247,28,759)	(809,55,903)
2	जोड़ें : ग्राहकों द्वारा वर्ष के दौरान उपचित रिवार्ड पॉइन्टस	Add: Reward points accrued during the Year by Customers	2397,56,940	260,29,229	2657,86,169
			(1493,79,007)	(230,71,047)	(1724,50,054)
3	घटाएं : ग्राहक द्वारा लिए गए रिवार्ड पॉइन्टस	Less: Reward Points availed by customers	257,45,769	220,09,411	477,55,180
			(7,47,370)	(221,49,286)	(228,96,656)
4	यथा 31.03.2014 को अंतिम शेष	Closing Balance as on 31.03.2014	4188,69,952	296,70,338	4485,40,290
			(2048,58,781)	(256,50,520)	(2305,09,301)

एफ) क्योंकि वेतन का संशोधन जो कि नवम्बर 2012 से लंबित है, बैंक ने ₹ 269.51 करोड (पिछले वर्ष ₹ 70 करोड़) का प्रावधान किया है। इस प्रकार कुल प्रावधान ₹ 339.51 करोड (पिछले वर्ष ₹ 70 करोड़) हो गया है)

8. जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है विगत वर्ष के आंकडों को पुन:समूहित/पुन:व्यवस्थित किया गया है।

f) Pending settlement of the proposed wage revision effective from November 2012, an ad-hoc provision of ₹ 269.51 Crores for the year (Previous year ₹ 70 Crores) has been made. The aggregate provision held as on 31st March, 2014 is ₹ 339.51 Crores (Previous year ₹ 70 Crores).

8. Previous year's figures have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

भारत के राष्ट्रपति,

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट :-

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) के यथा 31 मार्च, 2014 की वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसके साथ यथा 31 मार्च, 2014 का तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना संलग्न थे। इन वित्तीय विवरणियों में निम्नलिखित विवरणियाँ शामिल हैं :-

   ए) प्रधान कार्यालय और 20 शाखाएं (ट्रेज़री शाखा सहित), हमारे द्वारा लेखा परीक्षित

   बी) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1935 स्वदेशी शाखाएं, और

   सी) स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 25 विदेशी शाखाएं

   बैंक ने हमारे द्वारा लेखा परीक्षित एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है।

   तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाते में उन 2691 घरेलु शाखाओं की विवरणियों का भी समावेश है, जो लेखा परीक्षा के अध्यधीन नहीं है। ये गैर-लेखा परीक्षित शाखाएं 4.79% अग्रिम, 14.59% जमाराशियां, 4.16% ब्याज आय और 14.31% ब्याज व्यय का योगदान करती हैं ।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी -

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुरूप वित्तीय विवरणियों की तैयारी, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन की जिम्मेदारी है। बैंकिंग कंपनियां (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों सहित लेखा प्रथाओं को मान्याता दी है। इन जिम्मेदारियों में, धोखाधड़ी या गलती के कारण तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त वित्तीय विवरणियों की तैयारी हेतु संगत आंतरिक नियंत्रणों की तैयारी, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी :-

3. हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इन वित्तीय विवरणों पर आधारित हमारी लेखा परीक्षा पर अपनी राय व्यक्त करें। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप हमने अपना लेखा परीक्षा कार्य किया है। इन मानकों की यह अपेक्षा थी कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा की योजना इस तरह बनाएं एवं उसका क्रियान्वयन इस तरह करें कि हम इस संबंध में इस बात का समुचित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरण तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं।

4. किसी लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणियों की राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाएं करनी होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं जिसमें वित्तीय विवरणियों में, धोखाधड़ी या गलती की वजह से, तात्विक अशुद्ध कथनों के जोखिमों का आकलन शामिल है। इन जोखिम आकलनों में, इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने हेतु बैंक की तैयारी एवं वित्तीय विवरणियों की न्याय संगत प्रस्तुति हेतु संगत आंतरिक नियंत्रणों पर लेखा परीक्षक विचार करता है न कि बैंक की आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य के

Independent Auditor's Report

To

The President of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Bank of India ('the Bank') as at March 31, 2014, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2014, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of

   a. The Head office and 20 branches (Including Treasury Branch) audited by us;

   b. 1935 domestic branches audited by other auditors; and

   c. 25 foreign branches audited by local auditors.

   The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

   Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 2691domestic brancheswhich have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 4.79% of advances, 14.59% of deposits, 4.16% of interest income and 14.31% of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the requirement of Reserve Bank of India, provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, recognised accounting practices including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also

लिए। किसी लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की तर्क संगति तथा वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

5. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर्याप्त हैं और हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं ।

अभिमत

6. हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं बैंक की बहियों में दर्शाए अनुसार :

ए) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र आवश्यक विवरणों वाला पूर्ण और उचित तुलन-पत्र है और उचित रूप से तैयार किया गया है ताकि यथा 31 मार्च, 2014 को बैंक की गतिविधियों का भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत हो।

बी) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पठित लाभ-हानि खाता, खाते द्वारा कवर किए गए वर्ष के लिए, सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप लाभ का सही तुलन दर्शाता है; और

सी) नकदी प्रवाह विवरण, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही व उचित दृश्य प्रस्तुत करता है।

इस मामले का प्रभाव –

7. हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

क) वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की टिप्पणी नं.3, अवमानक (प्रतिभूतीकृत) के रूप में वर्गीकृत एनपीए के संबंध में प्रावधानीकरण 20% (त्वरित प्रावधान) से 15% (न्यूनतम प्रावधान) करने हेतु लेखांकन नीति में परिवर्तन से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2013 तक एनपीए हेतु किए गए ₹ 248.71 करोड़ के प्रावधान का राइट बैक किया गया है। अगर पहले की लेखांकन नीति का पालन किया गया होता तो, वर्ष के लिए एनपीए हेतु प्रावधान ₹ 325.38 करोड़ अधिक होता और परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवल लाभ (कर का निवल) ₹ 214.78 करोड़ कम होता है।

बी) वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 की टिप्पणी क्र. 5.2 में, इन्स्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा अपने परिपत्र क्र. डीपीबीडी.बीपी. बीसी/80/21.4.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011 के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पेन्शन विकल्प फिर से खोलने हेतु लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) कर्मचारी लाभ के प्रावधान लागू करने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आरबीआई द्वारा प्रदत्त छूट के आधार पर यथा 31 मार्च, 2014 पेंशन और उपदान हेतु क्रमश: ₹ 442.43 करोड़ और ₹ 85.79 करोड़ की बैंक की देयता के आस्थगन का वर्णन किया गया है।

सी) वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 की टिप्पणी नं. 5.5, जिसमें, आरबीआई परिपत्र क्र. डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20 दिसंबर, 2013 के आधार पर 31 मार्च, 2013 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के सृजन पर आस्थागित कर देयता की लेखांकन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

इन मामलों पर हमारी राय शर्त-मुक्त नहीं है।

includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

a. The Balance Sheet, read with significant accounting policies and notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2014 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

b. the Profit and Loss Account, read with significant accounting policies and notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. We draw attention to:

a. Note no. 3 of Schedule 18 to the financial statements relating to change in the accounting policy for provisioning in respect of NPAs classified as Sub-Standard (Secured) from 20%(accelerated provision) to 15%(minimum provision) which has resulted into write back of provision for NPAs of ₹ 248.71 Crores provided till 31st March 2013. Had the earlier accounting policy been followed, the provision for NPAs for the year would have been higher by ₹ 325.38 Crores with consequential decrease in Net profit for the year (net of tax) by ₹ 214.78 Crores.

b. Note no. 5.2 of Schedule 18 to the financial statements, which describes deferment of pension and gratuity liability of the Bank to the extent of ₹442.43 Crores and ₹85.79 Crores respectively as on 31st March, 2014 pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from application of the provisions of Accounting Standard 15 (Revised) Employees Benefits issued by the Institute of Chartered Accountants of India, vide its circular no. DBPD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011 on reopening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks.

c. Note no. 5.5 of Schedule 18 to the financial statements, which describes the accounting treatment of the Deferred Tax Liability on creation of Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961 till March 31, 2013, pursuant to RBI's Circular No. DBOD. No.BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated December 20, 2013.

Our opinion is not qualified in respect of these matters.

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट :-

8. तुलनपत्र और लाभ-हानि खाता, क्रमश: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म ए एवं बी में तैयार किए गए हैं।

9. उक्त पैरा 1 से 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा सीमाओं और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं उसके द्वारा अपेक्षित प्रकटन सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   ए) हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है।

   बी) बैंक के लेन-देन जो हमारी जानकारी में आए हैं वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं और

   सी) बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पायी गयी हैं।

10. हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

   b. The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank; and

   c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

मेसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स M/s. SRB & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 310009ई) (FRN 310009E)	मेसर्स इसाक एंड सुरेश M/s. Isaac & Suresh सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 001150एस) (FRN 001150S)	मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं. M/s. M. M. Nissim and Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 107122डब्ल्यू) (FRN 107122W)
संजीत पात्र Sanjeet Patra भागीदार Partner एम. क्र. 056121 M. No. 056121	बेनी जोसेफ Benny Joseph भागीदार Partner एम. क्र. 200689 M. No. 200689	संजय खेमानी Sanjay Khemani भागीदार Partner एम. क्र. 044577 M. No. 044577
मेसर्स डी. सिंह एंड कं. M/s. D. Singh & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 001351एन) (FRN 001351N)	मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय M/s. J. P. Kapur & Uberai सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 000593एन) (FRN 000593N)	मेसर्स एंड्रोस. एंड कं. M/s. Andros & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 008976एन) (FRN 008976N)
सिमरन सिंह Simran Singh भागीदार Partner एम. क्र.098641 M. No. 098641	दीपक मेनन Deepak Menon भागीदार Partner एम. क्र. 084225 M. No. 084225	ओम प्रकाश लाकड़ा Om Prakash Lakra भागीदार Partner एम. क्र. 081431 M. No. 081431
स्थान : मुंबई Place: Mumbai दिनांक : 15 मई, 2014 Date : 15th May, 2014		

बैंक ऑफ इंडिया

समेकित वित्तीय विवरणियाँ

31 मार्च, 2014

BANK OF INDIA

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As at 31st March, 2014

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन–पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2014

(000 छोडे गए है/000's Omitted)

		अनुसूची Schedule	पर यथा As at 31-03-2014 ₹	पर यथा As at 31-03-2013 ₹
I.	**पूँजी एवं देयताएं**	**CAPITAL AND LIABILITIES**		
	पूँजी	Capital	1	**6,430,021**	5,966,414
	आरक्षिति एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	**301,307,229**	238,743,727
	अल्पसंख्यक हित	Minorities Interest	2A	**840,048**	734,292
	जमाराशियां	Deposits	3	**4,786,950,772**	3,831,309,940
	उधार	Borrowings	4	**484,275,103**	353,694,024
	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities and provisions	5	**201,742,863**	133,619,631
	जोड	**TOTAL**		**5,781,546,036**	4,564,068,028
II.	**आस्तियां**	**ASSETS**			
	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	**192,878,574**	221,251,226
	बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर धनराशि	Balances with Banks and money at call and short notice	7	**424,724,477**	332,520,031
	निवेश	Investments	8	**1,164,897,433**	963,877,594
	अग्रिम	Advances	9	**3,726,714,604**	2,906,546,150
	अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	**58,201,870**	29,006,393
	अन्य आस्तियां	Other Assets	11	**214,129,078**	110,866,634
	जोड	**TOTAL**		**5,781,546,036**	4,564,068,028
	आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	**2,528,264,448**	2,217,888,499
	वसूली के लिए बिल	Bills for collection		**218,627,170**	242,533,903

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन–पत्र का अभिन्न अंग हैं।
The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म ए के अनुसार तुलन–पत्र तैयार किया गया है।
The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form `A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

श्रीमती वी. आर. अय्यर **Mrs. V.R. Iyer** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairperson and Managing Director	**बि. पी. शर्मा** **B.P. Sharma** कार्यपालक निदेशक Executive Director	**अरुण श्रीवास्तव** **Arun Shrivastava** कार्यपालक निदेशक Executive Director	**आर. कोटीश्वरन** **R. Koteeswaran** कार्यपालक निदेशक Executive Director	**कृष्णकुमार के नायर** **Krishnakumar K. Nair** मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

अनूप वधावन Anup Wadhawan
आर. एल. बिश्नोई R. L. Bishnoi
एस. एस. बारिक S. S. Barik
पी. एम. सिराजुद्दीन P. M. Sirajuddin
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia
प्रमोद भसीन Pramod Bhasin
ए. एम. परेरा A. M. Pereira
उमेश कुमार खेतान Umesh Kumar Khaitan

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न है Items of our report of even date attached

मेसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स
M/s. SRB & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 310009ई) (FRN 310009E)
संजीत पात्रा Sanjeet Patra
भागीदार Partner
एम. क्र. 056121 M. No. 056121

मेसर्स इसाक एंड सुरेश
M/s. Isaac & Suresh
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001150एस) (FRN 001150S)
बेनी जोसेफ Benny Joseph
भागीदार Partner
एम. क्र. 200689 M. No. 200689

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं.
M/s. M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122डब्ल्यू) (FRN 107122W)
संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
एम. क्र. 044577 M. No. 044577

मेसर्स डी. सिंह एंड कं. M/s. D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351एन) (FRN 001351N)
सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
एम. क्र.098641 M. No. 098641

मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय M/s. J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593एन) (FRN 000593N)
दीपक मेनन Deepak Menon
भागीदार Partner
एम. क्र. 084225 M. No. 084225

मेसर्स एंड्रोस. एंड कं. M/s. Andros & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 008976एन) (FRN 008976N)
ओम प्रकाश लाकड़ा Om Prakash Lakra
भागीदार Partner
एम. क्र. 081431 M. No. 081431

दिनांक : 15 मई, 2014/Date : 15h May, 2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST, MARCH 2014

(000 छोड़े गए है/000's Omitted)

			अनुसूची Schedule	Year ended 31-03-2014 को समाप्त वर्ष ₹	Year ended 31-03-2013 को समाप्त वर्ष ₹
I.	आय	INCOME			
	अर्जित आय	Interest earned	13	**381,251,869**	320,958,265
	अन्य आय	Other income	14	**43,189,985**	37,845,996
	जोड	**TOTAL**		**424,441,854**	358,804,261
II.	व्यय	EXPENDITURE			
	व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	**271,697,745**	229,604,055
	परिचालगत व्यय	Operating expenses	16	**68,245,725**	54,558,821
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies	18(10b)	**57,171,890**	47,229,508
	जोड	**TOTAL**		**397,115,360**	331,392,384
	सहयोगियों में अर्जन/(हानि) का हिस्सा	**Share of earnings/(loss) in Associates**	16 A	**2,554,830**	769,167
	अल्पसंख्यको के हित की कटौती के पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities' interest		**29,881,324**	28,181,044
	घटाएं: अल्पसंख्यकों का हित	Less: Minorities' Interest		**13,502**	-17,935
	वर्ष के लिए समूह के संबंधित समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year attributable to the group		**29,867,822**	28,198,979
	जोडें: समूह के लिए आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि)	Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		**0**	0
	जोड	**TOTAL**		**29,867,822**	28,198,979
III	विनियोग	APPROPRIATIONS			
	कानूनी आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		**7,000,000**	6,873,367
	राजस्व आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Revenue Reserve		**15,557,947**	11,039,322
	पूँजी आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		**51,063**	317,318
	विशेष आरक्षिति (से)/को अंतरण-करेंसी स्वैप	Transfer (from) / to Special Reserve - Currency Swap		**-**	(3,654)
	आंतरिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Interim Dividend (including dividend tax)		**-**	-
	अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		**3,755,345**	6,970,893
	लाभांश कर - अनुषंगियों के लिए	Dividend Tax - for Subsidiary		**3,467**	1,733
	आयकर अधिनियम. 1961 की धारा 36(1) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		**3,500,000**	3,000,000
	समेकित तूलन-पत्र में आगे लाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance sheet		**-**	-
	जोड	**TOTAL**		**29,867,822**	28,198,979
	महत्त्वपूर्ण लेखा नितियां	Significant accounting policies	17		
	लेखों पर टिप्पणियां	Notes forming part of accounts	18		
	प्रति शेयर अर्जन	Earnings Per Share (₹)		**48.96**	49.01

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तूलन-पत्र का अभिन्न अंग है।

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म बी के अनुसार यह लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है।

The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form `B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

श्रीमती वी. आर. अय्यर	बि. पी. शर्मा	अरुण श्रीवास्तव	आर. कोटीश्वरन	कृष्णकुमार के नायर
Mrs. V.R. Iyer	**B.P. Sharma**	**Arun Shrivastava**	**R. Koteeswaran**	**Krishnakumar K. Nair**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairperson and Managing Director	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

अनूप वधावन Anup Wadhawan	एस. एस. बारिक S. S. Barik	नीरज भाटिया Neeraj Bhatia	ए. एम. परेरा A. M. Pereira
आर. एल. बिश्नोई R. L. Bishnoi	पी. एम. सिराजुद्दीन P. M. Sirajuddin	प्रमोद भसीन Pramod Bhasin	उमेश कुमार खेतान Umesh Kumar Khaitan

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न है Items of our report of even date attached

मेसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स
M/s. SRB & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 310009ई) (FRN 310009E)
संजीत पात्रा Sanjeet Patra
भागीदार Partner
एम. क्र. 056121 M. No. 056121

मेसर्स इसाक एंड सुरेश
M/s. Isaac & Suresh
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001150एस) (FRN 001150S)
बेनी जोसेफ Benny Joseph
भागीदार Partner
एम. क्र. 200689 M. No. 200689

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं.
M/s. M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122डब्ल्यू) (FRN 107122W)
संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
एम. क्र. 044577 M. No. 044577

मेसर्स डी. सिंह एंड कं. M/s. D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351एन) (FRN 001351N)
सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
एम. क्र.098641 M. No. 098641

मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय M/s. J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593एन) (FRN 000593N)
दीपक मेनन Deepak Menon
भागीदार Partner
एम. क्र. 084225 M. No. 084225

मेसर्स एंड्रोस. एंड कं. M/s. Andros & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 008976एन) (FRN 008976N)
ओम प्रकाश लाकड़ा Om Prakash Lakra
भागीदार Partner
एम. क्र. 081431 M. No. 081431

दिनांक : 15 मई, 2014/Date : 15th May, 2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2014

(₹ लाख में/₹ in 000's)

विवरण	Particulars	वर्षान्त / Year ended 31.03.2014	वर्षान्त / Year ended 31.03.2013
क. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:	**A. Cash Flow from Operating Activities:**		
कर के पहले निवल लाभ	**Net Profit before taxes**	**38,212,675**	30,956,877
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	**Adjustments for:**		
निवेशों पर आमूर्तिकरण/मूल्यह्रास	Amortisation / Depreciation on Investments	**2,770,396**	2,375,900
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on Fixed Assets	**2,339,004**	1,890,682
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other Items	**48,101,509**	43,704,677
गौण बांड्स/आईपीडीआई, अपर टियर II बांड्स पर भुगतान/ब्याज हेतु प्रावधान	Payment / Provision for Interest on Subordinated Bonds, IPDI. Upper Tier II Bonds	**9,203,054**	7,867,476
प्राप्त लाभांश	Dividend received	**(448,838)**	(311,114)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	**Adjustments for:**		
जमाराशियों में बढ़/(घट)	Increase /(Decrease) in Deposits	**955,640,831**	637,184,668
उधार में बढ़/(घट)	Increase /(Decrease) in Borrowings	**113,197,425**	31,377,051
अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/(घट)	Increase / (Decrease)in Other Liabilities and Provisions	**53,926,376**	(10,551,054)
निवेश में (बढ़)/घट	(Increase) / Decrease in Investments	**(201,030,834)**	(84,822,723)
अग्रिमों में (बढ़)/घट	(Increase)/ Decrease in Advances	**(859,911,018)**	(446,432,316)
अन्य आस्तियों में (बढ़)/घट	(Increase) / Decrease in Other Assets	**(94,787,359)**	10,661,063
प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी	Direct Taxes (Paid)/Refund	**(2,696,981)**	(17,581,896)
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)	**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**64,516,240**	206,319,292
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	**B. Cash Flow from Investing Activities :**		
अचल सम्पत्ति की खरीद	Purchase of Fixed Assets	**(6,346,844)**	(3,884,385)
अचल सम्पत्ति की बिक्री	Sale of Fixed Assets	**412,843**	449,996
प्राप्त लाभांश	Dividend received	**448,838**	311,114
अनुषंगियों के समेकन का प्रभाव	Impact of consolidation of subsidiaries	**(2,759,400)**	(862,039)
अल्पसंख्यक हित	Minority Interest	**105,756**	105,293
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**(8,138,807)**	(3,880,021)
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:	**C. Cash Flow from Financing Activities:**		
शेयर पूंजी	Share Capital	**463,607**	221,219
शेयर प्रिमियम	Share Premium	**9,536,393**	7,868,779
आईपीडीआई, गौण बांड तथा अप्पर टियर II बांड (निवल)	IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	**17,383,654**	1,127,523
लाभांश भुगतान	Dividend paid	**(10,726,238)**	(4,661,415)
आईपीडीआई, गौण बांड अप्पर टियर II बांड पर ब्याज भुगतान	Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	**(9,203,055)**	(7,867,476)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**7,454,361**	(3,311,370)
नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)	**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)**	**63,831,794**	199,127,901
1 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य का आरंभिक शेष	**Opening Cash and Cash Equivalents as at April 1**	**553,771,257**	354,643,356
31 मार्च को नकदी एवं नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at March 31**	**617,603,051**	553,771,257

श्रीमती वी. आर. अय्यर	**बि. पी. शर्मा**	**अरुण श्रीवास्तव**	**आर. कोटीश्वरन**	**कृष्णकुमार के नायर**
Mrs. V.R. Iyer	**B.P. Sharma**	**Arun Shrivastava**	**R. Koteeswaran**	**Krishnakumar K. Nair**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairperson and Managing Director	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

अनूप वधावन Anup Wadhawan, एस. एस. बारिक S. S. Barik, नीरज भाटिया Neeraj Bhatia, ए. एम. परेरा A. M. Pereira
आर. एल. बिश्नोई R. L. Bishnoi, पी. एम. सिराजुद्दीन P. M. Sirajuddin, प्रमोद भसीन Pramod Bhasin, उमेश कुमार खेतान Umesh Kumar Khaitan

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न है Items of our report of even date attached

मेसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स
M/s. SRB & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 310009ई) (FRN 310009E)
संजीत पात्रा Sanjeet Patra
भागीदार Partner
एम. क्र. 056121 M. No. 056121

मेसर्स इसाक एंड सुरेश
M/s. Isaac & Suresh
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001150एस) (FRN 001150S)
बेनी जोसेफ Benny Joseph
भागीदार Partner
एम. क्र. 200689 M. No. 200689

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं.
M/s. M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122डब्ल्यू) (FRN 107122W)
संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
एम. क्र. 044577 M. No. 044577

मेसर्स डी. सिंह एंड कं. M/s. D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351एन) (FRN 001351N)
सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
एम. क्र.098641 M. No. 098641

मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय M/s. J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593एन) (FRN 000593N)
दीपक मेनन Deepak Menon
भागीदार Partner
एम. क्र. 084225 M. No. 084225

मेसर्स एंड्रोस. एंड कं. M/s. Andros & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 008976एन) (FRN 008976N)
ओम प्रकाश लाकड़ा Om Prakash Lakra
भागीदार Partner
एम. क्र. 081431 M. No. 081431

दिनांक : 15 मई, 2014/Date : 15h May, 2014

समेकित तुलनपत्र की सूची
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है 000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2014 ₹	पर यथा As at 31-03-2013 ₹
अनुसूची – 1 पूँजी	SCHEDULE - 1 : CAPITAL		
प्राधिकृत	**AUTHORISED**		
300,00,00,000 (पिछले वर्ष 300,00,00,000) ₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	300,00,00,000 (Previous year 300,00,00,000) Equity Shares of ₹10 each	30,000,000	30,000,000
जारी और अभिदत्त	**ISSUED AND SUBSCRIBED**		
64,34, 40,113 (पिछले वर्ष 59,70,79,427) ₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर 42,83,67,513 इक्विटी शेयर शामिल (पिछले वर्ष 38,20,06,827) ₹ 10 प्रत्येक के, पूर्ण प्रदत्त कुल ₹ 428.37 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 382.01 करोड़) केन्द्र सरकार द्वारा धारित।	64,34,40,113 Equity Shares (Previous year 59,70,79,427) of ₹10 each including 42,83,67,513 Equity shares (Previous year 38,20,06,827) of ₹10 each, fully paid up amounting to ₹428.37 crore (Previous year ₹382.01 crores) held by Central Government.	6,434,401	5,970,794
कुल	**TOTAL**	6,434,401	5,970,794
प्रदत्त पूँजी	**PAID-UP CAPITAL**		
पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 64,22,63,013 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 59,59,02,327)	64,22,63,013 Equity Shares (Previous year 59,59,02,327) of ₹10 each fully paid up	6,422,630	5,959,023
जोडें : जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of Shares forfeited	7,391	7,391
कुल	**TOTAL**	6,430,021	5,966,414
अनुसूची – 2 : आरक्षित निधियां और अधिशेष	SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS		
I. **कानूनी आरक्षित निधियां :**	I. **Statutory Reserve :**		
आरंभिक शेष	Opening Balance	**59,568,842**	52,695,475
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	**7,000,000**	6,873,367
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**66,568,842**	59,568,842
II. **पूँजी आरक्षितियां :**	II. **Capital Reserves :**		
ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**11,821,336**	12,358,898
जोडें : संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन	Add: Revaluation of Property	**27599034**	0
घटाएं : पुनर्मुल्यांकन के कारण मूल्यह्रास	Less: Depreciation / adjustments on account of revaluation	**1,998,552**	537,562
जोड (ए)	Total of (A)	**37,421,818**	11,821,336
बी) अन्य	B) Others		
i) निवेश की बिक्री पर लाभ परिपक्वता तक धारित	i) Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**8,750,600**	8,433,282
जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	**51,063**	317318
(i) का उप–जोड	Sub-total of (i)	**8,801,663**	8,750,600
ii) समेकन पर पूजी आरक्षिती	ii) Capital Reserve on Consolidation		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**199,330**	0
जोडें : वर्ष के दौरान समायोजन	Add: Adjustment during the year	**31,519**	199330
(ii) का उप–जोड	Sub-total of (ii)	**230,849**	199330
iii) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती	iii) Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**11,965,741**	10,445,629
जोडें/ (घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Adjustments during the year (Net)	**5,620,156**	1,520,112
(iii) का उप–जोड	Sub-total of (iii)	**17,585,897**	11,965,741

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2014 ₹	पर यथा As at 31-03-2013 ₹
iv) विशेष आरक्षिती – मुद्रा स्वैप	iv) Special Reserve - Currency Swaps		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**0**	3,654
जोडें/(घटाएं): वर्ष के दौरान कटौती	Add/(Less):Deductions during the year	**-**	(3,654)
(iv) का उप-जोड	Sub-total of (iv)	**0**	0
जोड (बी)	**Total of (B)**	**26,618,409**	20,915,671
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**64,040,227**	32,737,007
iii) शेअर प्रिमियम	**III. Share Premium :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**47,129,073**	39,260,294
वर्ष के दौरान परिवर्धन (इक्विटी का अधिमानी निर्गम)	Additions during the year (Preferential Issue of Equity)	**9,536,393**	7,868,779
जोड़े : विलोपित जब्त शेयर	Add: On forfeited shares annulled	**0**	0
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**56,665,466**	47,129,073

अनुसूची – 2 : आरक्षितियां और अधिशेष / SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)

		31-03-2014 ₹	31-03-2013 ₹
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :	**IV. Revenue and Other Reserves :**		
i) राजस्व आरक्षिती:	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**86,608,807**	75,497,582
जोड : वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	**15,557,947**	11,039,322
जोडें/(घटाएं): समायोजन	Add / (Less): Adjustments	**(4,334,060)**	71,901
(i) का उप-जोड	Total of (i)	**97,832,694**	86,608,805
ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिती	ii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	**12,700,000**	9,700,000
जोडें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	**3,500,000**	3,000,000
(ii) का जोड़	Total of (ii)	**16,200,000**	12,700,000
जोड (IV)	**TOTAL (IV)**	**114,032,694**	99,308,805
V. समेकित लाभ-हानि खाते में शेष	**V. Balance in Consolidated Profit and Loss Account**	**0**	0
जोड (I से V)	**TOTAL (I TO V)**	**301,307,229**	238,743,727

अनुसूची – 2ए : अल्पसंख्यक हित / SCHEDULE - 2A : MINORITIES INTEREST

		31-03-2014 ₹	31-03-2013 ₹
उस तारीख को अल्पसंख्यक हित जब मूल कंपनी – सहायक कंपनी संबंध	Minority interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	**367,348**	330,886
अस्तित्व में आए परवर्ती वृद्धि/(कमी)	Subsequent increase / (decrease)	**472,700**	403,406
तुलन-पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित	Minority interest on the date of Balance sheet	**840,048**	734,292

अनुसूची – 3 : जमाराशियां / SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

		31-03-2014 ₹	31-03-2013 ₹
ए **I. माँग जमाराशियाँ :**	A. **I. Demand Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	**3,888,170**	10,613,328
ii) अन्य से	ii) From Others	**213,744,548**	193,863,916
जोड (I)	TOTAL (I)	**217,632,718**	204,477,244
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	**II. Savings Bank Deposits**	**879,713,863**	777,113,780
III. मियादी जमाराशियाँ:	**III. Term Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	**526,182,396**	389,670,875
ii) अन्य से	ii) From Others	**3,163,421,795**	2,460,048,041
जोड (III)	TOTAL (III)	**3,689,604,191**	2,849,718,916
कुल ए (I से III)	**TOTAL A (I to III)**	**4,786,950,772**	3,831,309,940
बी i) भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	B. i) Deposits of branches in India	**3,635,588,157**	2,940,660,235
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियाँ	ii) Deposits of branches outside India	**1,151,362,615**	890,649,705
जोड (बी)	**TOTAL (B)**	**4,786,950,772**	3,831,309,940

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2014 ₹	पर यथा As at 31-03-2013 ₹
अनुसूची – 4 : उधार	**SCHEDULE - 4 : BORROWINGS**		
I. भारत में उधार:	**I. Borrowings in India :**		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	**46,865,583**	4,110
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks		
क. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	**5,262,000**	5,712,000
ख. अपर टियर II पूँजी	b. Upper Tier II Capital	**695,000**	695,000
ग. प्रतिभूतिरहित गैर-परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र (टियर II पूँजी के लिए गौण ऋण)	c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)	**1,153,000**	1,113,000
घ. अन्य	d. Others	**17,676,334**	14,900,193
जोड (ii)	Total (ii)	**24,786,334**	22,420,193
iii) अन्य संस्थाएं और अधिकरण	iii) Other Institutions and Agencies		
क. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	**11,538,000**	11,088,000
ख. अपर टियर II पूँजी	b. Upper Tier II Capital	**41,625,000**	41,625,000
ग. प्रतिभूतिरहित गैर-परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र (टियर II पूँजी के लिए गौण ऋण)	c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)	**31,847,000**	16,887,000
घ. अन्य	d. Others	**69,773,146**	62,534,647
जोड (ii)	Total (iii)	**154,783,146**	132,134,647
जोड (I)	Total (I)	**226,435,063**	154,558,950
II. भारत के बाहर से उधार	**II. Borrowings outside India**		
क. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	**5,097,701**	4,610,989
ख. अपर टियर II पूँजी	b. Upper Tier II Capital	**14,375,360**	13,051,984
घ. अन्य	c. Others	**238,366,979**	181,472,101
जोड (II)	Total (II)	**257,840,040**	199,135,074
जोड (I एवं II)	**Total (I & II)**	**484,275,103**	353,694,024
ऊपर सम्मिलित प्रतिभूति उधार	Secured borrowings included in above	**0**	0
अनुसूची – 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I. देय बिल	I. Bills Payable	**11,006,971**	12,920,584
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	**-**	0
III. उपार्जित आय	III. Interest Accrued	**18,548,535**	15,038,416
IV. आस्थगित कर देयता	VI. Deferred Tax liability	**15,865,734**	3,128,214
V. अन्य	VII. Others	**156,321,623**	102,532,417
जोड	**TOTAL**	**201,742,863**	133,619,631
अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	**SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I. हाथ में नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित)	I. **Cash in hand** (including foreign currency notes & Gold)	**20,258,778**	17,704,680
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष:	II. **Balances with Reserve Bank of India :**		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	**172,491,807**	203,452,946
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	**127,989**	93,600
जोड (II)	TOTAL (II)	**172,619,796**	203,546,546
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**192,878,574**	221,251,226

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2014 ₹	पर यथा As at 31-03-2013 ₹
अनुसूची – 7 : बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि	SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. अल्प सूचना पर धनराशि	I. **In India :**		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with Banks		
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	**4,997,247**	5,974,136
ख) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	**97,463,608**	86,223,965
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	ii) Money at call and short notice		
क) बैंकों में	a) With Banks	**0**	0
ख) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	**0**	0
जोड (ख)	TOTAL (I)	**102,460,855**	92,198,101
II. भारत के बाहर :	II. **Outside India :**		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	**11,439,378**	6,510,130
ii) अन्य जमाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	**309,778,802**	230,212,307
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	iii) Money at call and short notice	**1,045,442**	3,599,493
जोड (I एवं II)	TOTAL (II)	**322,263,622**	240,321,930
	TOTAL (I & II)	**424,724,477**	332,520,031
अनुसूची – 8 : निवेश	SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश:	I. **Investments in India :**		
i) सरकारी प्रतिभूति	i) Government Securities	**971,577,541**	798,318,924
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	**1,442,743**	986,884
iii) शेयर	iii) Shares	**16,489,577**	15,905,439
iv) डिबेंचर एवं बंधपत्र	iv) Debentures and Bonds	**86,494,578**	57,861,138
v) सहायक कंपनियों में निवेश	v) Investment in Associates	**9,582,334**	6,907,599
vi) अन्य	vi) Others	**25,871,842**	46,643,049
जोड (I)	TOTAL (I)	**1,111,458,615**	926,623,033
II. भारत के बाहर निवेश:	II. **Investments outside India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	**36,936,613**	24,377,635
ii) डिबेंचर एवं बंधपत्र	ii) Debentures & Bonds	**0**	0
iii) सहायक कंपनियों में निवेश	iii) Investment in Associates	**553,181**	468,514
iv) अन्य	iv) Others	**15,949,024**	12,408,412
जोड (I)	TOTAL (II)	**53,438,818**	37,254,561
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**1,164,897,433**	963,877,594
III. भारत में निवेश:	III. Investments in India :		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	**1,117,629,018**	931,968,355
ii) अवमूल्यन हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	**6,170,403**	5,345,322
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	**1,111,458,615**	926,623,033
IV. भारत के बाहर निवेश:	IV Investments outside India :		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	**58,254,185**	41,734,300
ii) अवमूल्यन हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	**4,815,367**	4,479,739
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	**53,438,818**	37,254,561
कुल (III एवं IV)	**TOTAL (III & IV)**	**1,164,897,433**	963,877,594

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2014 ₹	पर यथा As at 31-03-2013 ₹
अनुसूची – 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
ए. i) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	**592,489,765**	512,121,504
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**1,632,906,390**	1,238,210,757
iii) मियादी ऋण	iii) Term Loans	**1,501,318,449**	1,156,213,889
कुल (ए)	**TOTAL (A)**	**3,726,714,604**	2,906,546,150
बी.	B. **Particulars of Advances :**		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के निमित्त अग्रिम शामिल है)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	**2,514,104,130**	1,892,640,920
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	**549,217,036**	606,559,629
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	**663,393,438**	407,345,601
जोड (बी)	**TOTAL (B)**	**3,726,714,604**	2,906,546,150
सी. अग्रिमों का क्षेत्रववार वर्गीकरण :	C. **Sectoral Classification of Advances :**		
I. भारत में अग्रिम	I. Advances in India		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	**773,955,592**	649,660,787
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	**472,909,900**	298,815,767
iii) बैंक	iii) Banks	**934,951**	1,805,600
iv) अन्य	iv) Others	**1,348,362,550**	1,063,405,212
जोड सी (I)	TOTAL (I)	**2,596,162,993**	2,013,687,366
II. भारत के बाहर अग्रिम :	II. Advances outside India :		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	**341,257,630**	306,819,176
ii) अन्यों से देय	ii) Due from others		
क) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	**186,242,008**	184,660,244
ख) समूहनकृत ऋण	b) Syndicated Loans	**186,925,377**	152,816,449
ग) अन्य	c) Others	**416,126,596**	248,562,915
जोड (II)	TOTAL (II)	**1,130,551,611**	892,858,784
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**3,726,714,604**	2,906,546,150
अनुसूची – 10 : अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS**		
I. परिसर :	I. **PREMISES :**		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	**11,851,868**	11,657,995
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions /Adjustments during the year	**1,934,944**	193,873
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	**7,958**	0
उप-जोड	Sub-total	**13,778,854**	11,851,868
पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किए गए पुनर्मूल्यन के कारण इस तारीख तक जोड	Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	**47,212,385**	19,613,350
घटाएं : इस तारीख को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन के कारण ₹ 97,905,68 सहित पिछले वर्ष में ₹77,92,016)	Less : Depreciation to date (including ₹ 9790568 on account of revaluation - Previous year ₹ 7792016)	**13,188,830**	10,669,761
जोड (I)	TOTAL (I)	**47,802,409**	20,795,457
II. अन्य अचल आस्तियां : (फर्निचर एवं फिक्स्चर सम्मिलित हैं)	II. **OTHER FIXED ASSETS :** (including Furniture and Fixtures)		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	**18,477,911**	15,542,978
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions /Adjustments during the year	**3,922,068**	3,357,071
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	**646,982**	422,138
उप-जोड	Sub-total	**21,752,997**	18,477,911
घटाएं: इस तारीख को मूल्यह्रास	Less: Depreciation to date	**12,779,962**	11,203,570
जोड (II)	TOTAL (II)	**8,973,035**	7,274,341
III. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	III. **CAPITAL WORK IN PROGRESS**	**1,426,426**	936,595
जोड (I से III)	**TOTAL (I to III)**	**58,201,870**	29,006,393

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2014 ₹	पर यथा As at 31-03-2013 ₹
अनुसूची – 11 : अन्य आस्तियां	**SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS**		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	I. Inter Office Adjustment (Net)	**18,914,782**	1,114,569
II. उपचित ब्याज	II Interest Accrued	**26,323,005**	19,424,708
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटे गए कर (निवल)	III Tax paid in advance/tax deducted at source (Net)	**52,053,463**	44,061,478
IV. लेखन सामग्री और स्टैम्प	IV Stationery and Stamps	**38,965**	61,101
V. आस्थगित कर आस्तियां	V Deferred Tax Assets	**1,322,230**	839,129
VI. अन्य	VI Others	**115,476,633**	45,365,649
जोड	**TOTAL**	**214,129,078**	110,866,634
अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**		
I. बैंक के विरुद्ध दावें जिन्हे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	10,449,068	8,113,001
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	II. Liability for partly paid Investments	1,951,442	1,170,424
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	1,432,582,715	1,426,316,514
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
ए) भारत में	a) In India	183,713,523	167,395,925
बी) भारत के बाहर	b) Outside India	230,842,318	128,494,207
V. स्वीकार, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व	V. Acceptances, endorsements and other obligations	306,637,066	271,628,949
VI. ब्याज दर स्वैप	VI. Interest Rate Swaps	294,505,775	202,187,374
VII. अन्य मदे जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	67,582,540	12,582,105
जोड	**TOTAL**	2,528,264,448	2,217,888,499
अनुसूची – 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश	**SCHEDULE - 13 : INTEREST AND DIVIDENDS EARNED**		
I. अग्रिमों/बिल पर ब्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	**272,983,241**	232,773,245
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	**84,244,097**	72,870,373
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के शेषों पर ब्याज	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	**20,191,123**	12,780,011
IV. अन्य	IV. Others	**3,833,408**	2,534,636
जोड	**TOTAL**	**381,251,869**	320,958,265

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2014 ₹	पर यथा As at 31-03-2013 ₹
अनुसूची – 14 : अन्य आय	SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	**14,378,087**	12,751,216
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	II. Profit on sale of Investments	**7,971,327**	4,489,740
घटाएं : निवेशों के विक्रय पर नुकसान	Less : Loss on sale of investment.		
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ घटाएं : अचल आस्तियों के विक्रय पर नुकसान	III. Profit on sale of land, buildings and other assets Less : Loss on sale of fixed assets	**529**	2,236
IV विनिमय संव्यवहारों पर लाभ – निवल घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर नुकसान	IV. Profit on exchange transactions - net Less : Loss on exchange transaction	**7,202,048**	6,498,743
V सहायक कंपनियों/कंपनियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V. Income Earned by way of dividend etc. on subsidiaries/ companies and /or/ joint ventures	**448,838**	311,114
VI विविध आय	VI. Miscellaneous Income	**13,189,156**	13,792,947
जोड़	**TOTAL**	**43,189,985**	37,845,996
अनुसूची – 15 : व्यय किया गया ब्याज	SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED		
I. जमाराशियों पर ब्याज	I. Interest on Deposits	**238,635,138**	203,132,692
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक बैंक उधारों ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	**18,391,014**	14,890,771
III. गौण ऋणों, आईआरएस इत्यादि पर ब्याज	III. Interest on Subordinated Debts, IRS etc.	**14,671,593**	11,580,592
जोड	**TOTAL**	**271,697,745**	229,604,055
अनुसूची – 16 : परिचालनगत व्यय	SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	**40,365,873**	31,791,721
II. किराया, कर एवं बिजली	II. Rent, Taxes and Lighting	**5,497,307**	4,455,954
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	III. Printing and Stationery	**720,752**	620,730
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	**871,587**	639,211
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन आरक्षितियों पर निवल मूल्यह्रास)	V. Depreciation on Bank's property (Net of Depreciation on Revaluation Reserve)	**2,339,004**	1,890,682
VI. निदेशकों के भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	**29,012**	31,370
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय)	VII. Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors' Fees & Expenses)	**543,319**	380,445
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	**278,595**	206,379
IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**797,063**	519,831
X. मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance	**643,686**	625,580
XI. बीमा	XI. Insurance	**3,181,663**	2,062,429
XII. अन्य खर्च	XII. Other Expenditure	**12,977,864**	11,334,489
जोड	**TOTAL**	**68,245,725**	54,558,821
अनुसूची – 16 ए : सहयोगी कंपनी में उपार्जन/हानि का अंश	SCHEDULE - 16 A : SHARE OF EARNINGS / LOSSES IN ASSOCIATES		
I. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	I. Regional Rural Banks (RRBs)	**2,104,615**	477,491
II. अन्य	II. Others	**450,215**	291,676
जोड़	**TOTAL**	**2,554,830**	769,167

अनुसूची 17:

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखांकन पद्धति

संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) प्रचलित विचार धारा का पालन करते हुए, परम्परागत लागत आधार पर तथा भारत में सामान्यत: अपनाए जाने वाले लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) पर तैयार किए गए हैं, जो लागू सांविधिक उपबंधों के अनुरुप भारतीय रिज़र्व बैंक, बीमा नियामक और विकास प्राधिकारी (आईआरडीए), कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और निर्णय के अनुरुप हैं। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबंधों तथा लेखांकन पद्धितियों का अनुपालन किया है, सिवाय उनके जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट किया गया है।

वित्तीय विवरण को तैयार करने में यह आवश्यक होता है कि वित्तीय विवरण की तिथि को रिपोर्ट किए गये आस्ति तथा देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि और रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट किए गये आय और व्ययों के सुविचारित अनुमानों तथा धारणाओं को प्रबंधन पूरा करे। प्रबंधन यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किए गये अनुमान यथोचित तथा ठीक हैं।

2. समेकन का आधार

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्न आधार पर तैयार किए गए हैं:

1. बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) एवं उसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखागत मानक (एएस) 21 समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार तैयार किए जाते हैं। ऐसा पंक्ति दर पंक्ति आधार पर किया जाता है और उनके साथ ऐसी मदें जैसे आस्तियां, देयताएं, आय और व्यय जोड़ दी जाती हैं और अन्तर ग्रुप संव्यवहारों, शेष राशि बिना वसूले गये लाभ/हानि को उसमें से निकाल दिया जाता है और इसके साथ-साथ ऐसे आवश्यक समायोजन भी किए जाते हैं, जो लेखागत नीति के अनुरुप उन्हें बनाने के लिए आवश्यक हों। किन्तु ऐसा ओवरसीज अनुषंगियों/सहायक कंपनियों के मामले को छोड़कर है, जहां वित्तीय विवरण पत्र स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के आधार पर तैयार किए जाते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में ऐसे समायोजनों के परिणामों को शामिल भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनका उस पर बहुत असर पड़ने की संभावना नहीं है। अनुषंगियों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किए गए हैं जो मूल बैंक की रिपोर्टिंग तारीख है अर्थात 31 मार्च, 2014 ।
2. अनुषंगियों में निवेश की मूल लागत और अनुषंगियों में इक्विटी के मूल हिस्से के बीच के अंतर को साख/आरक्षित पूंजी के रुप में मान्यता दी जाती है यदि कोई साख है तो इसकी मान्यता प्राप्त होने पर तुरंत बट्टे खाते डाल दी जाती है।
3. समेकित वित्तीय विवरण पत्र में अल्पसंख्यक हित अनुषंगियों की निवल इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयर के रुप में है।
4. सहायक कम्पनियों में निवेश का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 23, समेकित वित्तीय विवरणपत्रों में सहायक कम्पनियों में निवेश का लेखांकन के अनुसार इक्विटी तरीके के तहत किया गया है।
5. संयुक्त उद्यम में निवेशों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 27, संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग में विहित किए गए अनुसार समानुपात आधार पर समेकित है।

SCHEDULE 17:

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1) ACCOUNTING CONVENTION:

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority(IRDA), Companies Act 1956, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and accounting practices prevailing in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2) BASIS OF CONSOLIDATION:

Consolidated financial statements of the group have been prepared on the basis of:

1. The financial statements of Bank of India (the Parent bank) and its subsidiaries in accordance with Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/loss and making necessary adjustments wherever required to conform to uniform accounting policies except in case of overseas subsidiaries/ associates, where, the financial statements are prepared based on local regulatory requirements/ International Financial Reporting Standards (IFRS). Impact of such adjustments not being material is not given in Consolidated Financial Statements. The financial statements of the subsidiaries are drawn upto the same reporting date as that of Parent bank i.e. 31st March 2014.
2. The difference between cost to the parent bank of its investment in the subsidiaries and Parent bank's share in the equity of the subsidiaries is recognised as goodwill/capital reserve. Goodwill, if any, is written off immediately on its recognition.
3. Minority interest in the Consolidated Financial Statement consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.
4. Accounting for Investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by ICAI.
5. Accounting for Investments in Joint Venture are consolidated on "Proportionate basis" as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by ICAI.

3. राजस्व पहचान

3.1 बैंकिंग कंपनी

(क) सामान्यत: आय/व्यय का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। विदेशी कार्यालयों के संबंध में उस संबंधित देश के स्थानीय कानून के अनुसार आय निर्धारित की जाएगी।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सिवाय अनुत्पादक आस्तियों पर ब्याज के जिसकी वसूली होने पर निर्धारण किया जाता है, समय अनुपात के आधार पर ब्याज आय का निर्धारण किया जाता है।

(ग) बैंक गारंटी और साख पत्र जारी करने पर कमीशन का उपचय बीजी/एलसी के कार्यकाल पर होता है।

(घ) अन्य सभी कमीशन और विनिमय, ब्रोकरेज, शुल्क तथा अन्य प्रभारों के वसूली पर आय के रूप में निर्धारण किया जाता है।

(ङ) परिपक्वता तक धारित श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अलावा) उसके अंकित मूल्य पर प्राप्त छूट पर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :

1. ब्याज देने वाले प्रतिभूतियों पर केवल बिक्री/रीडेम्पशन के समय ही इसका निर्धारण किया जाता है।
2. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों पर निरंतर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति के शेष परिपक्वता काल पर इसका लेखांकन किया जाता है।

(च) निवेशों की बिक्री से हुए लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। तथापि परिपक्वता तक धारितफ श्रेणी के तहत निवेशों की बिक्री में लाभ की स्थिति में करों के निवल और सांविधिक राजस्व में अंतरण के लिए आवश्यक राशि के समान राशि को पूंजी राजस्व खाते में विनियोजित किया जाता है।

(छ) लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश का निर्धारण किया जाता है।

(ज) मूल्यांकन आदेश पास करने के वर्ष में आयकर- रिफंड पर ब्याज का निर्धारण किया जाता है।

(झ) एनपीए खातों से की गई वसूली का विनियोजन पहले उधारकर्ता के खाते में डेबिट किए गए अप्राप्त ब्याज/आय, किए गए व्यय/आउट ऑफ पॉकेट व्यय उसके बाद बकाया मूलधन और अंत में अप्रभारित ब्याज में विनियोजित की जाती है।

3.2 गैर-बैंकिंग कंपनी :

बीमा :

क) प्रीमियम आय :

प्रीमियम (सेवा कर का निवल) जब देय हो तब आय के रूप में पहचानी जाती हैं। संबद्ध कारोबार के लिए सहायक इकाइयां निर्मित की जाती हैं तब प्रीमियम की पहचान की जाती है। टॉप-अप प्रीमियमों को एकल प्रीमियम के रूप में जाना जाता है।

व्यपगत पालिसियों को प्रीमियम आय के रूप में पहचाना जाता है, जब इस प्रकार की पालिसियाँ पुन: प्रारंभ हो जाती हैं।

ख) संबद्ध निधियों से आय :

संबद्ध निधियों से आय वह हैं जिसमें पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, नीति प्रशासकीय प्रभार, मृत्यु दर प्रभार, निधि प्रबंधन प्रभार आदि सम्मिलित हों जिसे जारी नीतियों के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार वसूल किया जाता है और वसूली होने पर उनकी पहचान की जाती है।

ग) पुनर्बीमा प्रीमियम :

पुन: बीमाकर्ता के साथ संगत संधिपत्रों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय की पहचान के समय सत्तान्तरित पुनर्बीमा प्रीमियम का लेखाकरण होता है।

3) REVENUE RECOGNITION:

3.1 Banking entities:

(a) Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income is recognised as per local laws of host country.

(b) Interest income is recognised on time proportion basis except (i) interest on Non-performing Assets, which is recognised on realisation, in terms of the RBI guidelines.

(c) Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is accrued over the tenure of BG/LC.

(d) All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

(e) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

1. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.
2. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

(f) Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount, net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves, is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

(g) Dividend is recognised when the right to receive the dividend is established.

(h) Interest on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

(i) The recoveries made from NPA accounts are appropriated first towards unrealised interest/income debited to borrowers accounts, expenditure/out of pocket expenses incurred, then principal dues and lastly towards uncharged interest.

3.2 Non Banking entities:

Insurance:

a) Premium Income:

Premium (net of service tax) is recognised as income when due. For linked business, premium is recognised when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

b) Income from linked funds:

Income from linked funds which includes policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policy and recognised when recovered.

c) Reinsurance Premium:

Reinsurance Premium ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers.

घ) प्रदत्त लाभ (दावों सहित) :

प्रदत्त लाभ में पॉलिसी लाभ तथा दावा समझौता लागत, यदि कोई हो, जुड़ा है।

पॉलिसीधारक से सूचना की प्राप्ति पर मृत्यु, संशोधन तथा अभ्यर्पण दावे लेखाकृत किए जाते हैं। जब सहयोगी इकाइयां निरस्त हो जाती हैं तब संबंधित योजनाओं में पॉलिसी संबद्ध आहरण तथा सुपुर्दगी का लेखाकरण किया जाता है।

देय होने पर उत्तरजीविता लाभ दावे तथा परिपक्वता दावे लेखाकृत किए जाते हैं।

जिस अवधि में दावों का निपटान किया जाता है, उसी में दावों पर पुनर्बीमा वसूलियों का लेखांकन किया जाता है।

ङ) अधिग्रहण लागत :

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो मुख्य रूप से बीमा करार के अधिग्रहण से संबंधित होती है और उनके अनुरुप अलग-अलग होती हैं तथा जिस अवधि में उपचित होती है खर्च की जाती है।

प्रथम वर्ष प्रदत्त कमीशन हेतु भविष्य में यदि कोई कर लगाकर वसूली होती है, तो जिस वर्ष में वह वसूल किया जाता है उसी वर्ष में उसका लेखांकन किया जाता है।

च) जीवन बीमा हेतु देयताएं :

प्रभावी जीवन बीमा पॉलिसियों तथा वह पॉलिसी जिनका प्रीमियम बंद हो चुका है किंतु देयताएं हैं, हेतु बीमांकिक देयताओं का निर्धारण, भारतीय सनदी बीमांकिकी संस्थान के नियमों तथा आईआरडीए विनियम बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, स्वीकृत बीमांकिकी व्यवहार्य के अनुसरण में अप्राप्त बीमा आरक्षित प्रणाली समूह कारोबार के मामले में सकल प्रीमियम प्रणाली का उपयोग करते हुए नियुक्त बीमांकिकी द्वारा, किया जाता है।

संबद्ध देयताओं में पॉलिसी के निधि मूल्य दर्शाते हुए इकाई देयता और बीमा दावा इत्यादि के लिए गैर इकाई देयता शामिल है। यह नियुक्त बीमांकिकी द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।

4. अग्रिम :

(क) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसरण में अग्रिम को उत्पादक और अनुत्पादक अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को आगे अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) घरेलू शाखाओं के संबंध में एनपीए से संबंधित प्रावधान बैंक की नीति के अनुसार विशेषकर एनपीए का त्वरित प्रावधानीकरण के अनुसार किया गया है जिसका दर निम्नानुसार है :

d) Benefits paid (including claims):

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation from the policy holder. Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due.

Reinsurance recoveries on claims are accounted for in the period in which claims are settled.

e) Acquisition Costs

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

Claw back in future, if any, for the first year commission paid, is accounted for in the year in which it is recovered.

f) Liability for life policies:

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business unearned premium reserve method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, IRDA regulations and the stipulations of Institute of Actuaries of India.

Linked liabilities comprise unit liability representing the fund value of policies and non-unit liability for meeting insurance claims etc. This is based on an actuarial valuation carried out by the Appointed Actuary.

4) ADVANCES :

(a) Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

(b) NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

(c) In respect of domestic branches, Provisions in respect of NPAs is made as per policy of the bank particularly in accelerated provisioning for NPAs which is at the rate given as under:

एनपीए की श्रेणी	Category of NPAs	निवल बकाया अग्रिम का % % of net outstanding advance
अवमानक आस्ति	Sub Standard:	
क) एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती है	a) Exposures, which are unsecured ab initio	25%
ख) अन्य *	b) Others*	15%
संदिग्ध :	Doubtful:	
क) जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में ही रहा)	a) Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
– एक वर्ष तक	- Upto one year	50%
– एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- One year to three years	60%
– तीन वर्ष से अधिक	- More than three years	100%
ख) गैर जमानती हिस्साह	b) Unsecured portion	100%
हानि	Loss	100%

* बकाया अग्रिम पर

* On the outstanding advance

(घ) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान संबंधित विदेशी देश में लागू विनियामक आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगी इनमें से जो भी कड़े हो।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनुत्पादक आस्तियां, अवसूलीकृत ब्याज, इसीजीसी दावा निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाए जाते हैं।

(च) पुनर्निधारित/पुन:संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित ब्याज पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम के परिकलन हेतु इस प्रावधान को घटाया जाता है।

(छ) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेच देने के मामले में यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त राशि को रखा जाता है और एससी/एआरसी को अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री में होनेवाली कमी/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है। यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से नीचे है (अर्थात् रखे गए प्रावधान से कम बकाया) तो कमी को लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि अतिरिक्त राशि उपलब्ध है तो ऐसी कमी को उसमें खपाया जाएगा। 26.02.2014 को अथवा उसके बाद एनपीए की बिक्री से उत्पन्न किसी भी कमी को यदि अतिरिक्त राशि में खपाया नहीं जाता है तो उसे दो वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा।

एनपीए की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाएगा जब आस्ति का निवल बही मूल्य प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआरएस/पीटीसी का रीडेम्पशन) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी के उस हद तक सीमित होगी।

(ज) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुन:संरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों का प्रावधान किया जाता है।

(झ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधिक देश के एक्सपोज़र के लिए श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

5. अस्थायी प्रावधान :

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित की जाने वाली अस्थायी प्रावधान की प्रमात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

6. डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट :

क्रेडिट/डेबिट कार्डों पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान प्रत्येक श्रेणी में संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

7. निवेश :

निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता तक धारित, कारोबार के लिए धारितफ और बिक्री हेतु धारितफ श्रेणियों में किया गया है। भारत में किए गए निवेशों के प्रकटन के उद्देश्य से इन्हें आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार छह वर्गों के तहत वर्गीकृत किया जाता है जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, शेयर, डिबेंचर और बाँड, अनुषंगियों और सहायक कंपनियों और अन्य में निवेश। भारत के बाहर निवेशों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित), विदेश में अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम और अन्य निवेश।

(d) In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

(e) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims settled, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

(f) In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

(g) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any such shortfall arising due to sale of NPA on or after 26/02/2014 will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPA's are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRS/PTC) is higher then the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

(h) Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines.

(i) Provision for net funded country exposures is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

5) FLOATING PROVISION:

The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes.

6) Debit/Credit Card Reward Points:

Provision for Reward Points on Debit/Credit cards is made based on the accumulated outstanding points in each category.

7) INVESTMENTS:

Investments are categorised under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure of investments in India, these are classified, in accordance with RBI guidelines, under six classification viz. Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Investment in Subsidiaries and Associates and Others. In respect of investments outside India, these are classified, in accordance with RBI guidelines, under four categories viz. Government Securities (including local authorities), Subsidiaries/Joint Ventures abroad and Other Investments.

(क) वर्गीकरण का आधार

निवेश का वर्गीकरण उसके अर्जन के समय किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार का निर्धारण समझौते की तारीख पर और अन्य निवेशों का निर्धारण कारोबार की तारीख को किया जाता है।

i. परिपक्वता पर धारित

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

ii. कारोबार के लिए धारित

इसमें ऐसे निवेश है जिन्हें अल्प मियादी मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जन किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इसका कारोबार किया जाता है।

iii. बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण परिपक्वता तक धारित अथवा ङ्कारोबार के लिए धारितफरूप में नहीं किया हैं, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

ख) निवेश का अधिग्रहण लागत

i. ईक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूतियों का संव्यवहार कर इत्यादि लागत में शामिल है।

ii. ब्रोकरेज, कमीशन, ऋण निवेश पर भुगतान/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को आय/व्यय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता।

iii. निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

iv. निवेश की लागत भारित औसत लागत उपाय द्वारा निर्धारित की जाती है।

ग) मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में धारित निवेशों का संबंधित विदेशी देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मूल्य के कम पर अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

ट्रेज़री बिल और वाणिज्यिक कागजातों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

i) परिपक्वता तक धारित :

क) इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन के निवल, यदि कोई हो, पर लिया गया है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, को सतत अर्जन प्रणाली का उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन आय में ङ्कनिवेश पर ब्याजफ शीर्ष के तहत समायोजित की जाती है।

ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश को परंपरागत लागत में मूल्यांकित किया जाता है सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के जिन्हें रखाव लागत पर (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी को छोड़कर प्रत्येक निवेश के लिए अलग अलग ह्रास (diminutions) के लिए प्रावधान किया जाता है।

(a) Basis of categorisation

Categorisation of an investment is done at the time of its acquisition. Transactions in Government Securities are recognised on Settlement Date and all other investments are recognised on trade date.

i) Held to Maturity

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

ii) Held for Trading

This comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. These are intended to be traded within 90 days from the date of purchase.

iii) Available for Sale

This comprise investments which do not fall under in "Held to Maturity" or "Held for Trading" classification.

(b) Acquisition Cost of Investment

i) Brokerage, commission, securities transaction tax etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as income/ expense and is excluded from cost/sale consideration.

iii) Brokerage and Commission received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

iv) Cost of investments is determined at weighted average cost method.

(c) Method of valuation

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

i) Held to Maturity

a) Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period to maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

b) Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.

ii) **कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध :**

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों का मूल्यांकन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यह्रास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान पर मार्किंग टू मार्केट के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।
2. कारोबार के लिए धारित और बिक्री के लिए उपलब्ध प्रवर्ग में कोट किए गए निवेश के मूल्यांकन हेतु बाजार दर/स्टॉक एक्सचेंज भाव/भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई)/ निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है

सरकारी/प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी रु. 1
अधिमान्य शेयर्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू बाँड्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड के यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
उद्यम पूँजी निधि (वीसीएफ)	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो रु.1 प्रति वीसीएफ
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर

घ) प्रवर्गों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण

प्रवर्गों के मध्य किसी प्रतिभूति के अंतरण का अंतरण दिवस पर अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य इनमें से जो भी कम है के रूप में लेखा किया जाए। ऐसे अंतरण पर मूल्य-ह्रास, यदि है तो पूर्ण प्रावधान किया गया है।

ङ) गैर निष्पादित निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन

1. निवेशों को निष्पादित और गैर-निष्पादित में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामक द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित है।
2. गैर-निष्पादित निवेश के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्य-ह्रास हेतु प्रावधान किया जाता है।

च . रेपो/रिवर्स रेपो

रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्श्विक उधार और उधार लेने के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि सामान्य सीधी बिक्री खरीद संव्यवहार के मामले में प्रतिभूतियों का अंतरण किया जाता है और ऐसी प्रतिभूतियां रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग से रिफ्लेक्ट होती हैं। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन जैसा भी मामला हो ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। रेपो खाते में शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक में शेष, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ii) Held for Trading / Available for Sale

1 Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

2 For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	At break up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Re.1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the Fund in respect of each scheme
Venture Capital Funds (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at Re. 1/- per VCF.
Security Receipts	At NAV as declared by Securitisation Companies

(d) Transfer of Securities between Categories

The transfer of securities between categories are carried out at the least of acquisition cost / book value /market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

(e) Non performing Investments (NPIs) and valuation thereof

1 Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

2 In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

(f) Repo / Reverse Repo

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice.

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एलएएफ के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियाँ निवेश खाते में नामे/जमा की जाती हैं और संव्यवहारों की परिपक्वता पर रिवर्स की जाती है। उस पर अर्जित/खर्च किए गए ब्याज का लेखांकन खर्च/राजस्व के रूप में किया जाता है ।

8) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

वर्तमान में बैंक ब्याज दर एवं करेंसी व्युत्पन्न का कार्य देखता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला ब्याज दर व्युत्पन्न रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, अग्रणी दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किया जा रहा मुद्रा व्युत्पन्न विकल्प, करन्सी स्वैप तथा करन्सी फ्यूचर है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, व्युत्पन्न को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:

क) हैज/नॉन हैज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग से रिकार्ड किए जाते हैं।

ख) हैज़िग व्युत्पन्न पर आय/व्यय उपचय आधार पर लेखांकित होती है।

ग) ट्रेडिंग व्युत्पन्न स्थानों को बाजार को चिन्हित (एमटीएम) किया जाता है और परिणामतः हानि, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि में बताया जाता है। लाभ, यदि कोई हो,पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

घ) ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से लाभ/हानियों को निरस्तीकरण तिथि में आय/व्यय के रुप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप के निरस्तीकरण पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित कम अवधि अथवा पदनामित आस्तियाँ/देयताओं की बकाया अवधि से संबद्ध किया जाता है।

ङ) विकल्प संविदा के परिपक्वता काल पर विकल्प शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

9. अचल आस्तियां :

क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त जिन्हें पुनर्मूल्यन रकम पर ही बताया जाता है, अचल आस्तियों को परंपरागत लागत में बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन से वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित में जमा किया जाता गया है।

ख. लागत में खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले जगह की तैयारी संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय शामिल है। उपयोग किए जा रहे आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाएगा जब ऐसे आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. परिसर की लागत में स्वयं की एवं पट्टाधारी भूमि की लागत दोनों शामिल हैं।

10. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास :

क. आस्तियों पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को मिलाकर) बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यह्रासित बही मूल्य पर प्रभारित किया गया है, कम्प्यूटरों को छोड़कर्। कम्प्यूटरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से सीधे रेखा पद्धति से मूल्यह्रास लगाया जाता है।

ख. इसमें परिवर्धन का पूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया जाता है तथा इसमें आस्ति के उपयोग करने की तारीख को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि किसी आस्ति की खरीद/निपटान के वर्ष में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान नहीं किया जाता है।

ग. आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यन आरक्षित के निमित्त समायोजित किया जाता है।

घ. जहाँ भूमि और भवन की लागत अलग-अलग नहीं की जा सकती है, संपूर्ण लागत पर मूल्यह्रास का प्रावधान, भवन पर लागू दर पर किया जाता है।

ङ पट्टाधारित भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम, पट्टे की अवधि हेतु परिशोधित की जाती है।

Securities purchased/sold under LAF with RBI are debited/ credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

8) Derivative

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(a) The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

(b) Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis

(c) Trading derivative positions are marked to market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss Account. Profit, if any, is ignored.

(d) Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/ loss on termination of swap is deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(e) Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

9) FIXED ASSETS:

(a) Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which is stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

(b) Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees etc. incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

(c) Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.

10) DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:

a) Depreciation on assets is charged on the Written Down Value at the rates determined by the Bank, except in respect of computers where it is calculated on the Straight Line Method, at the rates prescribed by RBI

b) In respect of additions, depreciation is provided for the full year, irrespective of the date on which the assets were put to use whereas, depreciation is not provided in the year of sale/ disposal of an asset.

c) Depreciation on the revalued portion of assets is adjusted against the Revaluation Reserve.

d) Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

e) Premium paid on leasehold land is amortised over the period of lease.

च. घरेलू परिचालन के संबंध में आस्तियों पर मूल्य ह्रास के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

f) Depreciation on assets in respect of domestic operations are provided as under:

क्र.सं.	विवरण	Sr.No.	Particulars	मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation
1	परिसर	1.	Premises	5.00%
2	अन्य अचल आस्तियां	2.	Other Fixed Assets	
क)	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	a)	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments	10.00%
ख)	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	b)	Air-conditioning plants, etc. and business machines.	15.00%
ग)	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	c)	Motor cars, Vans & Motor cycles	20.00%
घ)	कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग है।	d)	Computers and Computer Software forming integral part of hardware.	33.33%
ड.	कम्प्यूटर साफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग नहीं है।	e)	Computer Software, not forming integral part of hardware	100.00%

छ. भारत के बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान विनियामक की आवश्यकताओं/अथवा संबंधित देशों/उद्यम में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार किया गया है।

g) Depreciation on fixed assets outside India is provided as per the regulatory requirements/or prevailing practices of the respective country.

11. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा वाले संव्यवहारों का लेखांकन, लेखामानक (एएस)11 विदेशी विनिमय दरों में प्रभावी परिवर्तन के अनुरुप किया गया है

क) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:

भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

i. विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर रिकार्ड किया जाता है जो भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा सूचित साप्ताहिक औसत क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें फेडाई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें जो परम्परागत लागत के अनुसार की जाती है उसे संव्यवहार की तारीख में विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट की जाती हैं।

iv. विदेशी मुद्रा में रखे गए आकस्मिक देयताओं को फेडाई के क्लोज़िंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।

v. बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi. बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा। उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित की जाएगी।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान में आरंभ में रिकार्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।

viii. मुद्रा वायदा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

11) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates".

a) Translation in respect of Integral Foreign operations:

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

i) Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the weekly average closing rate as advised by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI)

ii) Foreign currency monetary items are reported using the FEDAI closing spot rates.

iii) Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi) Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii) Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii) Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the Profit and Loss account.

ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:

i. आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित क्लोज़िंग दरों के आधार पर आंका/स्पष्ट किया जाता है।

ii. आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा सूचित तिमाही औसतन क्लोज़िंग दर पर स्पष्ट किया जाता है।

iii. सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व में संचित किया जाता है।

iv. विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

12. कर्मचारी लाभ :

i. अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की अनडिस्काउन्टेड रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है इसे कर्मचारी द्वारा दिए जा रहे सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

ii. नियोजन के पश्चात लाभ :

क. परिनिश्चित लाभ योजना

क) उपदान (ग्रैच्युटी)

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है, यह राशि प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के बेसिक वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान विनियम में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होता है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन ट्रस्ट द्वारा किया जाता है जो वार्षिक रूप में एक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।

ख) पेंशन

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियत के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है।नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई (कर्मचारी) पेंशन विनियमन के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है जो वार्षिक रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के तहत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

b) Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:

Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i) Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign branches.

iv) The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

12) EMPLOYEE BENEFITS:

i. Short Term Employee Benefit:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

ii. Post Employment Benefit:

A. Defined Benefit Plan

a) Gratuity

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act 1972 or BOI (Employee) Gratuity Regulation whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

b) Pension

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of BOI (Employees) Pension regulations. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

ख. परिनिश्चित अंशदान योजना :

क. भविष्य निधि

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के तहत लाभ पाने का हक है। बैंक एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करती है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ख. पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में परिनिश्चित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी परिनिश्चित दर पर मासिक अंशदान करता है। ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को अंतरित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे परिनिश्चत अंशदान तक सीमित है।

iii. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क. छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिनिश्चित लाभ दायित्व है, एएस 15 कर्मचारी लाभ के अनुरूप बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ख. अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, आकस्मिक लाभ इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 कर्मचारी लाभ के अनुरूप बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना संबंधित देशों में विद्यमान कानून के आधार पर की जाती है।

13. प्रति शेयर अर्जन :

क . एएस 20 अर्जन प्रति शेयर के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या द्वारा निवल से भाग कर गणना की जाती है।

ख . प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर गणना की जाती है।

14. आय पर कर :

क. एएस-22 आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुरूप आयकर में वर्ष के दौरान चालू कर प्रावधान और आस्तियों या देयताओं पर आस्थगित कर में निवल परिवर्तन शामिल है। चालू करों का निर्धारण लेखांकन मानक 22 के प्रावधान और विदेशी कार्यालय के करों का लेखा लेते हुए भारत में लागू कर कानूनों पर किया जाता हैं जो संबंधित अधिकार क्षेत्र के कर कानूनों पर आधारित है। आस्थगित कर समायोजन में अवधि के दौरान आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन शामिल है।

B. Defined Contribution Plan:

Provident Fund

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

Pension

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

iii. Other Long term Employee Benefit:

Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, Casual Leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

In respect of overseas branches, offices and subsidiaries, the benefits in respect of employees other than those on deputation are accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

13) EARNINGS PER SHARE:

a) Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

b) Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

14) TAXES ON INCOME:

a) Income Tax comprises the current tax provision and net change in deferred tax assets or liabilities during the year, in accordance with AS 22 "Accounting for Taxes on Income". Current taxes are determined in accordance with the provisions of Accounting Standard 22 and tax laws prevailing in India after taking into account taxes of foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdiction. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.

ख. आय तथा व्यय की मदें जो एक समय आती है और जो परवर्ती एक या अधिक वर्षों में रिवर्सल की जा सकती है के संबंध में आस्थगित कर के लिए विवेकपूर्ण विचार करने के अध्यधीन मान्यता है।

ग. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का मापन तुलनपत्र की तिथि पर या बाद में लागू किए गए कर दरों और कर कानूनों पर किया जाता है।

घ. आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में मान्यता दी जाती है और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है जो वसूली को समुचित रूप से निश्चित माने जाने हेतु प्रबंधन की राय पर आधारित है। आस्थगित कर आस्तियों को आगे लाए गए अनावशोषित मूल्यह्रास और कर हानियों पर केवल तभी मान्यता दी जाती है जब यह पूर्णत: निश्चित हो कि आस्थगित कर आस्तियों की भविष्य में होने वाले लाभ से वसूली हो सकती है।

15. आस्तियों का ह्रास

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि यदि कोई हो को एएस 28 आस्तियों का ह्रास के अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

एएस 29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां के अनुसार मूल बैंक प्रावधानों को भी मान्यता देता है। जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो, यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आय निर्धारण की बात आ सकती है जबकि वह कभी भी वसूल नहीं हो पाती।

17. शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी की जाती है, शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

b) Deferred Tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent years.

c) Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

d) Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether realisation is considered reasonably certain. Deferred tax assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future profits.

15) IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 "Impairment of Assets".However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset."

16) PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per the AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Parent Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

17) SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to the Profit and Loss Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकडे ₹ करोड़ों में हैं कोष्ट क में दिए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं

समेकित वित्तीय विवरणपत्रों के भाग रूप नोट्स

1. अनुषंगियों (सब्सिडीरिज) के विवरण निम्नानुसार हैं जिनके वित्तीय विवरणपत्र बैंक (मूल बैंक) के एकल वित्तीय विवरण पत्र के साथ समेकित हैं :

अनुषंगियें का नाम		शामिल (इन्कॉर्पोरेशन) देश	यथा 31.03.2014 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2013 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्वदेशी अनुषंगियां :				
बीओआई शेयरहोल्डिंग लि.		भारत	51%	51%
बीओआई अक्सो इन्वे स्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि.		भारत	51%	51%
बीओआई अक्सो ट्रस्टी सर्विसेज़ प्रा.लि		भारत	51%	51%
विदेशी अनुषंगियां:				
क)	पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	इंडोनेशिया	76%	76%
ख)	बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लिमिटेड	तंजानियां	100%	100%
ग)	बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैन्ड) लिमिटेड	न्यूजीलैन्ड	100%	100%
घ)	बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड	युगांडा	100%	100%
ङ.)	बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लिमिटेड	बोत्स्वाना	100%	लागू नहीं

2. समेकित विवरण पत्रों में विचार की गयी सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमियों के विवरण इस प्रकार है:

(i) **सहयोगी कंपनियां :**

सहयोगियों के नाम		शामिल देश	यथा 31.03.2014 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2013 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक–				
i)	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
ii)	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
iii)	वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
iv)	बैतरणी ग्राम्य बैंक	भारत	35%	35%
v)	आर्यवत ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
इंडो जाम्बिया बैंक लि.		जाम्बिया	20%	20%
एसटीसीआई फैनन्स लिमिटेड		भारत	29.96%	29.96%
एएसआरईसी (इंडिया) लि.		भारत	26.02%	26.02%

(ii) **संयुक्त उद्यम:**

संयुक्त उद्यमों के नाम	शामिल देश	यथा 31.03.2014 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2013 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई-ईची			
जीवन बीमा कंपनी लि.	भारत	48%	48%

SCHEDULE 18

All figures are in ₹ Crores unless specifically stated Figures in Brackets relate to previous year

1. Particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of Bank of India (the Parent Bank) are as under :

Names of Subsidiaries		Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2014	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2013
Domestic Subsidiaries:				
BOI Shareholding Ltd.		India	**51%**	51%
BOI AXA Investment Managers Pvt Ltd.		India	**51%**	51%
BOI AXA Trustee Services Pvt Ltd.		India	**51%**	51%
Overseas Subsidiaries:				
a)	PT Bank of India Indonesia Tbk	Indonesia	**76%**	76%
b)	Bank of India (Tanzania) Ltd.	Tanzania	**100%**	100%
c)	Bank of India (New Zealand) Ltd.	New Zealand	**100%**	100%
d)	Bank of India (Uganda) Ltd.	Uganda	**100%**	100%
e)	Bank of India (Botswana) Ltd.	Botswana	**100%**	NA

2. Particulars of associates and joint venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

(i) Associates:

Names of Associates		Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2014	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2013
a)	Regional Rural Banks-			
	i) Jharkhand Gramin Bank	India	**35%**	35%
	ii) Narmada Jhabua Gramin Bank	India	**35%**	35%
	iii) Vidharba Konkan Gramin Bank	India	**35%**	35%
	iv) Gramin Bank of Aryavart	India	**35%**	35%
b)	Indo Zambia Bank Limited	Zambia	**20%**	20%
c)	STCI Finance Ltd.	India	**29.96%**	29.96%
d)	ASREC (India) Ltd.	India	**26.02%**	26.02%

(ii) Joint Venture:

Names of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2014	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2013
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited	India	48%	48%

3. इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमियों एवं सहयोगियों के विवरणपत्र जो समेकन में इस्तेमाल किए जाते हैं मूल बैंक की यथा रिपोर्टिंग तारीख अर्थात 31 मार्च, 2014 तक बनाए गए हैं, सिवाय एक सहायक कंपनी इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (आईज़ेडबीएल) के। आईज़ेडबीएल के वित्ती य विवरण 31 दिसंबर, 2013 तक तैयार किए गए थे और 31 मार्च 2014 को समाप्तय तिमाही के लिए कोई महत्वतपूर्ण संव्यिवहार रिपोर्ट नहीं किए गए थे।

4. स्वदेशी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमियों/सहयोगियों के मामले में, मूल बैंक और अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमियों/सहयोगियों द्वारा अपनायी गयी भिन्न-भिन्न लेखांकन पॉलिसियों के कारण उत्पन्न लेखागत समायोजन अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम/सहयोगियों द्वारा मुहैया कराए गए डाटा के आधार पर किए गए है।

5. समेकित वित्तीय विवरण पत्र निम्न के आधार पर तैयार किए गए हैं :

(i) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके के यथा 31.03.2014 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतंत्र समीक्षाकर्ता द्वारा समीक्षित हैं और शामिल देश की स्थातनीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वमतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

(ii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.03.2014 के विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतन्त्र समीक्षक द्वारा समीक्षित हैं। बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.012.2013 के विवरण पत्र शामिल के देश की स्थानीय अपेक्षाओं के मुताबिक लेखा परीक्षित हैं।

(iii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. के यथा 31.03.2014 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतन्त्र समीक्षक द्वारा समीक्षित हैं।

(iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. के यथा 31.03.2014 के विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्था)नीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वातंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

(v) बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्वााा ना) लि. के यथा 31.03.2014 के विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्था)नीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वातंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

(vi) 31.03.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बीओआई शेयर होल्डिंग लि., स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेन्स कम्पनी लि., एसटीसीआई फाइनेंस लि., झारखंड ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण के लेखा परीक्षित विवरणपत्र और 31.12.2013 को समाप्त नौ महीनों के लिए इंडो बैंक जाम्बिया बैंक लि. के लेखा परीक्षित विवरणपत्र.

(vii) 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए बीओआई अक्सां इन्वेस्टिंमेंट मैनेजर्स प्रा. लि., बीओआई अक्सो ट्रस्टीज़ सर्विसेज़ प्रा.लि., एएसआरईसी (इंडिया) लि., नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक एवं आर्यवर्त ग्रामीण बैंक के बिना लेखा परीक्षित विवरणपत्र उनके प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं।

6 (ए) वर्ष के दौरान सेबि (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2009 के विनियमन 76(1) के अनुरूप आयोजित असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदितानुसार मूल बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत सरकार को अंकित मूल्य ₹10/- प्रति शेयर के 4,63,60,686 इक्विटी शेयर ₹215.70 प्रति शेयर के प्रीमियम पर आबंटित किया गया। इस संबंध में मूल बैंक को कुल ₹1000 करोड़ की राशि प्राप्तस हुई।

(बी) वर्ष के दौरान मूल बैंक ने ₹1500.00 करोड़ के दस वर्ष की परिपक्वता वाले एएए रेटिंग वाले 9.80% बासेल III मानक अनुकूल टियर II बाँड जारी किए।

7. वर्ष के दौरान मूल बैंक ने अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है और अवमानक (प्रतिभूतीकृत) के रूप में वर्गीकृत एनपीए के संबंध में प्रावधानीकरण 20% (त्वरित प्रावधान) से 15% (न्यूनतम प्रावधान) किया है जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2013 तक एनपीए हेतु किए गए ₹248.71 करोड़ का राइट बैक किया गया है। अगर पहले की लेखांकन नीति का पालन किया गया होता तो, वर्ष के लिए एनपीए हेतु प्रावधना ₹325.38 करोड़ अधिक होता और परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवल लाभ (कर का निवल) ₹214.78 करोड़ कम होता।

3. The financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent Bank i.e. 31st March 2014 except for an associate Indo Zambia Bank Limited (IZBL). IZBL's financial statements were prepared up to 31st December 2013 and reported no significant transaction for the quarter ended 31st March 2014.

4. In case of Domestic subsidiaries/ joint venture/ associates, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by Parent Bank and subsidiaries/ joint venture/ associates have been carried out on the basis of data provided by subsidiaries/ joint venture/ associates.

5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of :

(i) Financial statements of PT Bank of India Indonesia Tbk as on 31.03.2014 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(ii) Financial statements of Bank of India (Tanzania) Ltd. as on 31.03.2014 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer. The Financial Statements as at 31.12.2013 of Bank of India (Tanzania) Ltd. has been audited as per the local requirements of the country of incorporation.

(iii) Financial statements of Bank of India (New Zealand) Ltd. as on 31.03.2014 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer.

(iv) Financial statements of Bank of India (Uganda) Ltd. as on 31.03.2014 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(v) Financial statements of Bank of India (Botswana) Ltd. as on 31.03.2014 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(vi) Audited financial statements of BOI Shareholding Ltd., Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., STCI Finance Ltd., Jharkhand Gramin Bank, Vidharbha Konkan Gramin Bank for the financial year ended 31.03.2014 and Indo Zambia Bank Ltd. for the nine months ended 31.12.2013.

(vii) Unaudited financial statements of BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd., BOI AXA Trustee Services Pvt. Ltd., ASREC (India) Ltd., Narmada Jhabua Gramin Bank and Gramin Bank of Aryavart for the financial year ended 31.03.2014 certified by their management.

6. **(A)-** During the year the Parent bank allotted 4,63,60,686 Equity Shares of ₹ 10 each to Government of India at a price of ₹215.70 per share, on preferential basis, as approved by the shareholders in an Extra ordinary General Meeting held in accordance with the regulation 76(1) of SEBI (Issue of Capital and disclosure requirements) Regulations, 2009. The amount received by the Parent bank on this account is ₹1000.00 crores. Consequently, the Government of India shareholding has increased from 64.11% to 66.70%

(B)- During the year the Parent bank issued 'AAA' rated 9.80% Basel III compliant Tier II Bonds of Ten years maturity for ₹1500.00 crores.

7. During the year, the Parent Bank has changed its accounting policy of provisioning in respect of NPAs classified as Sub-Standard (Secured) from 20%(accelerated provision) to 15%(minimum provision) which has resulted into write back of provision for NPAs of ₹248.71 Crores provided till 31st March 2013. Had the earlier accounting policy been followed, the provision for NPAs for the year would have been higher by ₹325.38 Crores with consequential decrease in Net profit for the year (net of tax) by ₹214.78 Crores.

8. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत कर की कटौती का लाभ प्राप्ति करने के लिए मूल बैंक लाभ के विनियोजन से विशेष आरक्षित निधि का सृजन करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र दिनांक 20 दिसंबर, 2013 द्वारा बैंकों को सूचित किया है कि वे एक विवेकसम्मत उपाय के रूप में विशेष आरक्षित निधि में बकाया राशि से आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का सृजन करें। तदनुसार, सामान्य आरक्षित निधि घटाते हुए, बैंक ने, यथा 31 मार्च, 2013 को विशेष आरक्षित निधि में बकाया राशि पर ₹431.67 करोड़ के डीटीएल का सृजन किया है। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान सृजित ऐसी विशेष आरक्षित निधि पर ₹118.96 करोड़ के डीटीएल का भी सृजन किया गया है। तदनुसार, वर्ष के लिए कर व्यय में ₹118.96 करोड़ की वृद्धि और वर्ष के लिए लाभ में उतनी ही गिरावट हुई है।

9. अनुषंगी बही खातों के मूल बैंक के संतुलन के बारे में एवं विदेशी शाखाओं एवं नोस्ट्रों खातों और उचंत, संदेय ड्राफ्टों, समाशोधन अन्तरों, इत्यादि के साथ शेषराशियों की पुष्टि /समाधान का कार्य सतत् आधार पर प्रगति पर है। उपरोक्त का लंम्बित अंतिम निर्बांधन/समायोजन, विदेशी शाखाओं सहित, खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है।

मूल बैंक के आंतर कार्यालय समायोजनों के बारे में ऋण एवं जमा बकाया प्रविष्टियों को प्रारंम्भिक मिलान 31 मार्च, 2014 तक पूर्ण कर लिया गया है। अवशिष्ट प्रविष्टियों के समाधान का कार्य प्रगति पर है। प्रविष्टियों का लम्बित अंतिम निर्बाधन/समायोजन, प्रबंधन की राय में, खातों पर समग्र प्रभाव महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है।

10. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणपत्र के बारे में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है:

क) पूँजी:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (CET1) (%)		
	बासेल-II	लागू नहीं	लागू नहीं
	बासेल -III	6.99%	छ
ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)		
	बासेल -II	7.89%	8.31%
	बासेल -III	7.42%	लागू नहीं
iii)	टियर खख पूंजी अनुपात (%)		
	बासेल -II	3.26%	2.80%
	बासेल -III	2.79%	लागू नहीं
iv)	कुल पूंजी अनुपात (CRR) (%)		
	बासेल II	11.15%	11.11%
	बासेल -III	10.21%	लागू नहीं
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	66.70%	64.11%
vi)	वर्ष के दौरान प्राप्ति इक्विटी पूंजी राशि	1000.00	809.00
vii)	वर्ष के दौरान टियर-I पूंजी के रूप में प्राप्त राशि (IPDI)	0.00	0.00
viii)	वर्ष के दौरान प्राप्ति टियर-II राशि अर्थात डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट	1500.00	0.00

8. The Parent Bank creates Special Reserve through appropriation of profits, in order to avail tax deduction as per Section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961. The Reserve Bank of India, vide its circular dated 20th December 2013, has advised Banks to create a deferred tax liability (DTL) on outstanding amount in Special Reserve, as a matter of prudence. Accordingly, during the Year ended 31st March 2014, the Bank has created a DTL of ₹431.67 Crores on Special Reserve outstanding as at 31st March, 2013, by reducing the General Reserves. Further, DTL of ₹118.96 Crores has been created for the year on such Special Reserve created during the year. Accordingly, the tax expense for the year is higher by ₹118.96 Crores with corresponding decrease in net profit for the year.

9. In respect of the Parent Bank Balancing of Subsidiary Ledger Accounts confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, NOSTRO Accounts, Suspense, Drafts Payable, Clearing Difference, etc. is in progress on an on-going basis. Pending final clearance/adjustment of the above, the overall impact, if any, on the financial statements, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

As regards Inter office adjustments of the Parent Bank, initial matching of debit and credit outstanding entries has been completed up to 31st March 2014. Reconciliation of residual entries is in progress. Pending final clearance/ adjustment of the entries, the overall impact, if any, on the financial statements, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

10. The following information is disclosed in respect of consolidated financial statements in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India:

a) Capital:

(₹ In crore)

	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (CET1) (%)		
	Basel- II	**NA**	NA
	Basel- III	**6.99%**	NA
ii)	Tier I Capital ratio (%)		
	Basel- II	**7.89%**	8.31%
	Basel- III	**7.42%**	NA
iii)	Tier II Capital ratio (%)		
	Basel- II	**3.26%**	2.80%
	Basel- III	**2.79%**	NA
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)		
	Basel- II	**11.15%**	11.11%
	Basel- III	**10.21%**	NA
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	**66.70%**	64.11%
vi)	Amount of Equity Capital raised (in ₹ Crores)	**1000.00**	809.00
vi)	Amount of Additional Tier 1 capital raised (in ₹ Crores); i.e. IPDI	**0.00**	0.00
iv)	Amount of Tier-II capital raised; (in ₹ Crores) i.e. Debt Capital Instruments	**1500.00**	0.00

ख) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

समेकित वित्तीय विवरण पत्रों में शामिल प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

मदें	2013–14	2012–13
एनपीए के लिए प्रावधान	3974.26	3722.06
निवेशों के मूल्य में ह्रास	72.55	76.69
कारधान के लिए प्रावधान (आस्थागित कर सहित)	834.49	275.79
मानक आस्तियों पर प्रावधान	423.42	292.18
अन्य प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों सहित)	412.47	356.23
कुल	5717.19	4722.95

ग) फ्लोटिंग प्रावधानों के ब्यौरे (काउन्टर साइक्लिकल प्रावधानीकरण बफर (मूल बैंक)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013–14	2012–13
प्रारम्भिक शेष	543.92	543.92
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
वर्ष के दौरान घटते आहरण द्वारा कमी के प्रयोजन, यदि कोई हो, दिए जाने है)	179.49	0.00
इति शेष	364.43	543.92

घ) आय कर

(i) मूल बैंक के संबंध में आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न किए गए बैंक के विभिन्न दावों में ₹857.58 करोड़ (₹621.25 करोड़) की विवादित आय कर/ब्याज कर देयता शामिल है जिसके लिए ऐसे विवादों पर विगत निर्धारणों के लिए विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। ऐसे विवादित देयों के विभिन्न भुगतान/समायोजन अन्य आस्तियों (अनुसूची II) के तहत शामिल हैं।

(ii) वर्ष के लिए आय कर हेतु प्रावधान कतिपय विवादित मसलों पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर समुचित विचार करने के पश्चात हो गए है।

(iii) आयकर हेतु ₹368.82 करोड़, एमएटी का निवल (विगत वर्ष 2012–13 ₹603.89 करोड़), के प्रावधान को विभिन्न अपील प्राधिकारियों के अनुकूल निर्णयों के आधार पर इस वर्ष के दौरान राइटबैक कर दिया गया है।

ड.) सहायक संस्थाओं के संबंध में मूल बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित)

वर्ष 2011–12 के दौरान मूल बैंक ने अपनी पूर्णत: स्वामित्व वाली अनुषंगी, बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. के बारे में, उसकी वित्तीय वचनबद्धताओं, यदि कोई होती हैं, को पूरा करने के लिए गर्वनर, बैंक ऑफ़ बोत्स्वाना को एक वचनबंध जारी किया है।

वर्ष 2010–11 के दौरान मूल बैंक ने, रॉयल बैंक ऑफ न्यूज़ीलैंड के पक्ष में, उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के लिए उसके वित्तीय दायित्वों, यदि वे देय होते हैं, का पूरा करने के लिए पैरेन्टल गारन्टी जारी की है।

अलबत्ता यथा 31.03.2014 को उक्त वचनबद्धताओं पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं आया है।

b) Provisions and Contingencies:

(₹ in crore)

Items	2013-14	2012-13
Provision for NPA	**3974.26**	3722.06
Depreciation in Value of Investments	**72.55**	76.69
Provision for Taxation (including deferred tax)	**834.49**	275.79
Provision on Standard Assets	**423.42**	292.18
Other Provisions (including floating provisions)	**412.47**	356.23
Total	**5717.19**	**4722.95**

c) Floating Provisions (Countercyclical Provisioning Buffer)- (Parent Bank)

(₹ in crore)

Particulars	2013-14	2012-13
Opening Balance	**543.92**	543.92
Additions during the year	**0.00**	0.00
Reductions during the year (purpose of draw down to be given, if any)	**179.49**	0.00
Closing Balance	**364.43**	543.92

d) Income-Tax

(i) In respect of Parent Bank, the Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax / interest tax liabilities of ₹857.58 crore (₹621.25 crore) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions for past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

(ii) Provision for income tax for the year is arrived at after due consideration of the various judicial decisions on certain disputed issues.

(iii) Provision for Income Tax of ₹368.82 crores (previous year 2012-13 ₹603.89 crores) net of MAT Credit has been written back during the year on the basis of favourable decisions of various appellate authorities.

e) Letter of comfort issued by the Parent Bank in respect of subsidiaries

During the year 2011-2012, the Parent Bank has issued an undertaking to the Governor, Bank of Botswana in respect of its wholly owned subsidiary, Bank of India (Botswana) Ltd. to meet its financial commitments if they fall due.

During the year 2010-11, the Parent Bank issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2014 no financial obligations have arisen on the above commitments.

11 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थाओ (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) के अनुरूप किए गए प्रकटन.

Disclosures in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):

(क) लेखांकन मानक 15 कर्मचारी लाभ (मूल बैंक)

A) Accounting Standard 15 – "Employee Benefits" (Parent Bank)

(₹ करोड़ में / Amount in ₹ crore)

			2013-2014		2012-2013	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(i)	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान :**	**Principal actuarial assumptions used :**				
	वर्तमान छूट दर	Discount Rate Current	**9.32%**	**9.27%**	8.00%	8.00%
	आयोजन आस्तियों पर प्रतिफल दर वर्तमान	Rate of Return on Plan Assets Current	**9.18%**	**8.42%**	8.00%	8.00%
	वर्तमान वेतन वृद्धि	Salary Escalation Current	**6.00%**	**6.00%**	5.00%	5.00%
	वर्तमान ह्रास दर	Attrition Rate Current	**1.00%**	**1.00%**	1.00%	1.00%
(ii)	**लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका**	**Table showing change in benefit obligation :**				
	अवधि के प्रारंभ में देयता	Liability at the beginning of the period	**1505.38**	**7404.65**	1477.64	7139.38
	ब्याज लागत	Interest Cost	**129.47**	**658.35**	110.03	552.17
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	**705.70**	**804.95**	64.39	943.80
	सेवा उपरांत लागत (संक्रामित)	Past Service cost (Amortised)	**-**	**-**	-	-
	सेवा उपरांत लागत (निहित लाभ)	Past Service Cost (Vested Benefit)	**-**	**-**	-	-
	अन्य ट्रस्ट से अंतरित देयताएं	Liability transferred in from other trust	**-**	**-**	-	-
	बाहर आंतरित देयता	Liability transferred out	**-**	**-**	-	-
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	**(232.45)**	**(605.48)**	(204.45)	(474.38)
	दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	Actuarial (gain)/loss on Obligation	**(705.56)**	**(224.22)**	57.77	(756.32)
	वर्ष के अंत में देयता	Liability at the end of the year	**1402.55**	**8038.24**	1505.38	7404.65
(iii)	**प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका:**	**Table of Fair value of Plan Assets:**				
	अवधि प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	**1333.79**	**6504.83**	1017.12	5070.13
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected return on Plan Assets	**122.44**	**547.71**	81.37	405.61
	अंशदान	Contributions	**110.00**	**743.92**	405.93	1385.43
	अन्य ट्रस्ट से अंतरण	Transfer from other trust	**-**	**-**	-	-
	अन्य कंपनी को अंतरण	Transfer to other company	**-**	**-**	-	-
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	**(232.45)**	**(605.48)**	(204.45)	(474.38)
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	**(17.27)**	**70.22**	33.82	118.04
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट् का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	**1316.51**	**7261.20**	1333.79	6504.83
	मानने योग्य कुल बीमांकिक लाभ/(हानि)	**Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised**	**688.29**	**294.44**	(23.95)	874.36
(iv)	**संक्रमणकालीन देयता की मान्यता :**	**Recognition of Transitional Liability :**				
	प्रारंभ में संक्रमणकालीन देयता	Transitional Liability at start	171.59	884.86	257.38	1327.29
	वर्ष के दौरान पहचानी गई संक्रमणकालीन देयता	Transition Liability recognised during the year	85.80	442.44	85.79	442.43
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	**Transition Liability at end**	85.79	442.42	171.59	884.86
(v)	**प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल :**	**Actual return on Plan Assets :**				
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	122.44	547.71	81.37	405.61
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(17.27)	70.22	33.82	118.04
	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	**Actual return on Plan Assets**	105.17	617.93	115.19	523.65
(vi)	**तुलन पत्र में मान्य राशि :**	**Amount recognised in the Balance Sheet :**				
	अवधि के अंत में देयता	Liability at the end of the period	1402.55	8038.24	1505.38	7404.65
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य अंतर	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1316.51	7261.19	1333.79	6504.83
	अमान्य) विगत सेवा लागत (संक्रामित)	Difference	(86.04)	(777.05)	(171.59)	(899.82)
	अमान्य परिवर्तन देयता	Unrecognised Past Service Cost (Amortised)	-	-	-	-
	तुलन पत्र में मान्य राशि	Unrecognised Transition Liability	85.79	442.42	171.59	884.86
		Amount Recognised in the Balance Sheet	(0.25)	(334.63)	0.00	(14.96)
(vii)	**आय विवरण–पत्र में मान्य व्यय :**	**Expenses recognised in the Income Statement :**				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	705.70	804.95	64.39	943.80
	ब्याज लागत	Interest Cost	129.47	658.35	110.03	552.17
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	(122.44)	(547.71)	(81.37)	(405.61)
	विगत वर्षों के मान्यष व्यय (संक्रामित)	Past Service Cost (Amortised) recognised	-	-	-	-
	विगत वर्षों के मान्यष व्यय (निहित लाभ)	Past Service Cost (Vested Benefit) recognised	-	-	-	-
	विगत वर्षों से संबंधित मान्य् लागत	Expenses recognized relating to prior years	-	-	-	1.96
	मान्या परिवर्तन देयता	Recognition of Transition Liability	85.80	442.44	85.79	442.43
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	(688.29)	(294.44)	23.95	(874.36)
	लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	**Expense Recognised in P & L**	110.25	1063.59	202.79	660.39

			2013-2014		2012-2013	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(viii)	**तुलन पत्र समाधान :**	**Balance Sheet Reconciliation :**				
	प्रारंभिक निवल देयता:	Opening Net Liability (Last period's net amount	0.00	14.96	203.14	740.00
	(तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि)	recognized in the balance sheet)	110.25	1063.59	202.79	660.39
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	Expenses as above	-	-	-	-
	अन्यय कंपनी से अंतरण निवल	Transfer from other Company Net	-	-	-	-
	अन्यय कंपनी को अंतरण निवल	Transfer to other Company Net	-	-	-	-
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(110.00)	(743.92)	(405.93)	(1385.43)
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in Balance Sheet**	0.25	334.63	-	14.96
(ix)	**आस्तियों का प्रवर्ग :**	**Category of Assets :**				
	भारत सरकार की आस्तियां	Government of India Assets	153.55	568.12	177.04	619.75
	कार्पोरेट बांड्स	Corporate Bonds	712.96	4091.60	295.45	4253.32
	विशेष जमाराशि योजना	Special Deposits Scheme	-	-	--	--
	राज्य सरकार	State Government	413.98	2499.07	831.83	1588.37
	संपत्ति	Property	-	-	--	--
	अन्य	Other	36.02	102.4	29.47	43.39
	कुल	Insurer managed funds	-	-	--	--
		Total	1316.51	7261.19	1333.79	6504.83
(xi)	**अनुभव समायोजन :**	**Experience Adjustment :**	(705.56)	(224.22)	57.77	(756.32)
	प्लान देयता पर (लाभ)/हानि	**On Plan Liability (Gain)/Loss**	(17.27)	70.22	33.82	118.04
	प्लान एसेट पर (हानि)/लाभ	**On Plan Asset (Loss)/Gain**				

क) बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रुप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि जो एक परिनिश्चित अंशदान योजना है, के लिए ₹38.23 करोड़ (विगत वर्ष ₹24.97 करोड़) का अंशदान दिया है।

ख) आरबीआई परिरत्र न. डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011 के अनुरूप :

- उन मौजूदा कर्मचारियों के लिए, जिन्होंने ऐक्चूरीअल बेसिस पर पहले परिकलित की गयी पेंशन के लिए विकल्प नहीं दिया था, पेंशन विकल्प को फिर से खोलने के कारण ₹2212.15 करोड़ की अतिरिक्त देयता (31.03.2011 से शुरू करके 5 वर्षों में संक्रामित की जानेवाली) के निमित्त समानुपात आधार पर वर्ष के दौरान ₹442.44 करोड़ की राशि लाभ-हानि खाते में प्रभारित की गयी है।
- राशि ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के भुगतान में ग्रेच्युटी सीमाओं की वृद्धि के कारण (31.03.2011 से शुरू करके 5 वर्षों में संक्रामित की जानेवाली) ₹428.96 करोड़ की अतिरिक्त देयता के निमित्त समानुपात आधार पर तिमाही के दौरान ₹85.79 करोड़ की लाभ-हानि खाते में प्रभारित की गयी है।

ग) कर्मचारी संघों के साथ वेतन परिशोधन के संबंध में हो रही बात-चीत के वर्तमान चरण और बैंकिंग उद्योग में उभरते दौर को ध्या न में रखते हुए बैंक ने एक्चुएरी के परामर्श से, भविष्यम में होने वाले वेतन परिशोधन के लिए सैलरी एस्कचलेशन रेट में ऊर्ध्वतमुखी 20% का समायोजन, अर्थात 5% से 6% किया है। बैंक आवधिक आधार पर स्थिति का आंकलन कर रही है और उसके आधार पर, बैंक का यह मानना है कि 6% सैलरी एस्क,लेशन रेट, वेतन परिशोधन की वजह से होने वाली देयता को कवर करने हेतु पर्याप्त है।

घ) एक्चुअरी द्वारा बैंक को यह सूचित किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के प्रोफाइल को देखते हुए बैंक कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के परिकलन हेतु एक्चुअरी द्वारा प्रयुक्त वर्तमान मोरटैलिटि टेबल पर्याप्त है।

a. The bank has recognised contribution to employees' Provident Fund as an expense. During the year, the bank has contributed ₹38.23 Crores (previous year ₹24.97 Crores) towards such fund which is a defined contribution plan.

b. In accordance with the RBI circular no.DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11dated 9th February 2011:

- ₹ 442.44 Crores for the Year has been charged to the Profit & Loss Account on proportionate basis towards additional liability of ₹ 2212.15 Crores (being amortised over 5 years beginning from 31st March, 2011) on account of reopening of pension option for existing employees who had not opted for pension earlier calculated on actuarial basis.
- ₹ 85.79 Crores for the Year has been charged to the Profit & Loss Account on proportionate basis towards additional liability of ₹428.96 Crores (being amortised over 5 years beginning from 31st March 2011) on account of the enhancement of gratuity limits in Payment of Gratuity Act, 1972.

c. Considering the present stage of negotiation in respect of wage revision with employees' union and emerging trends in the banking industry, the Bank, in consultation with the Actuary, has adjusted the Salary Escalation Rate upwards by 20% i.e. from 5% to 6% to take care of future wage revision. The Bank is periodically assessing the situation and based thereon, Bank considers that the Salary Escalation Rate of 6% is sufficient to cover liability that may arise on wage revision.

d. The Bank has been advised by the Actuary that the present mortality table being used by the Actuary to determine retirement benefits of Bank's employees' is appropriate considering the profile of employees' of the Public Sector Banks.

(बी)लेखांकन मानक 17 – खण्ड रिपोर्ट करना

(B) AS 17 "Segment Reporting"

भाग क: कारोबार खण्ड

Part A: Business Segment

(₹ करोड़ में/₹ in crore)

कारोबार खण्ड	Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		कुल Total	
		2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
राजस्व	Revenue	**11725.45**	9554.43	**20015.28**	15808.70	**10347.02**	10314.80	**42087.75**	35677.93
गैर-आबंटित राजस्व	Unallocated Revenue							**424.59**	281.37
अंतर खंड राजस्व	Inter Segment Revenue							**68.16**	86.35
कुल राजस्व	Total Revenue							**42444.18**	35872.95
परिणाम	Results	**1882.88**	1,184.37	**1270.32**	897.31	**985.76**	1,258.04	**4138.96**	3,339.73
गैर-आबंटित व्यय	Unallocated Expenses							**(317.70)**	(244.04)
परिचालन लाभ	Operating profit							**3821.26**	3,095.69
आयकर	Income Tax							**834.49**	275.79
असाधारण लाभ/हानि	Extraordinary profit/loss							**0.00**	0.00
निवल लाभ	Net Profit							**2986.78**	2,819.90
अन्य जानकारी :	**Other Information:**								
खंड आस्तियां	Segment Assets	**171,372.11**	142,598.39	**296,639.52**	223,015.31	**97440.13**	79,829.03	**561,451.76**	445,442.73
गैरआबंटित आस्तियां	Unallocated Assets							**16702.85**	10,964.07
कुल आस्तिया	Total Assets							**578,154.60**	456,406.80
खंड देयताए	Segment Liabilities	**164,590.94**	136,254.81	**280858.89**	213,080.56	**93602.23**	76,305.94	**539,052.06**	425,641.31
गैर आबंटित देयताए	Unallocated Liabilities							**8,328.81**	6,294.48
कुल देयताएं	Total Liabilities							**547,380.87**	431,935.79

नोट : गैर बैंकिंग अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों से संबंधित सूचना को अनाबंटित खंड के अंतर्गत शामिल किया गया है।
Note: Information in respect of Non Banking subsidiaries/joint venture has been included under unallocated segment.

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B: Geographical Segment

(राशि रु. करोड़ में/₹ in crore)

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	स्वोदेशी Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
विवरण	**Particulars**	**2013-14**	**2012-13**	**2013-14**	**2012-13**	**2013-14**	**2012-13**
राजस्व	Revenue	37,859.62	31,885.64	4,584.56	3,994.78	42,444.18	35,880.42
आस्तियां	Assets	427,879.02	340,511.97	150,275.58	115,894.83	578,154.60	456,406.80

बैंक ने लेखांकन मानक (एएस) 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप कारोबारी खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को गौण खंड के रूप में मान्यता दी है।

i) **प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड**

क) कोषागार परिचालन : खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) थोक बैंकिंग : थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग : खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) एक्सपोजर : अधिकतम कुल एक्सपोजर ₹5 करोड़ तक।

ii) कुल वार्षिक टर्नओवर ₹50 करोड़ से कम अर्थात मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

The BOI group has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with AS 17.

i) **Primary Segment: Business Segments**

a) Treasury Operations: 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) Wholesale Banking: Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) Retail Banking : Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5 Crore

ii) The total annual turnover is less then ₹ 50 crore i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

घ) अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

ड़) लागत का विनियोजन

- विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।
- विशेष खण्ड को सीधे न प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/ संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

ii) गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

(सी) लेखांकन मानक 18 संव्यवहारों से संबंधित पक्षकार :

I) संबंधित पक्षकारों की सूची

(क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक : श्रीमती वी.आर. अय्यर

कार्यपालक निदेशक गण : श्री एन. शेषाद्रि (30.04.2013 तक)

श्री एम. एस. राघवन (05.07.2013 तक)

श्री बी.पी. शर्मा

श्री अरुण श्रीवास्तव (05.08.2013 से)

श्री आर कोटीश्वरन (05.08.2013 से)

(ख) अनुषंगियाँ :

i) बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड

ii) पीटी बैंक ऑफ इंडोनेशिया टीबीके (पहले पीटी बैंक स्वदेशी के रुप में जाना जाता था)

iii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि.

iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.

v) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगान्डा) लि.

vi) बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

vii) बीओआई एक्सा इनवेस्टमेंट मैनजर्स प्राइवेट लि.

viii) बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज् प्राइवेट लि.

(ग) सहायक कंपनियां :

(i) एसटीसीआई फाइनैन्स लिमिटेड

(ii) एएसआरईसी (इंडिया) लि.

(iii) इंडो–जाम्बिया बैंक लि.

(iv) आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पहले आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के रूप में जाना जाता था)

(v) झारखण्ड ग्रामीण बैंक

(vi) नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक

(vii) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक

(घ) संयुक्त उद्यम

(i) स्टार यूनियन दाई ईची जीवन बीमा कंपनी लि.

d) Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

e) Allocation of Costs

- Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment

- Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees / business managed.

ii) <u>Secondary Segment: Geographical Segments</u>

a) Domestic Operations

b) International Operations

(C) AS 18 "Related Party Transactions":

I) List of Related Parties:

(a) Key Managerial Personnel :

Chairperson & Managing Director:	Smt. V. R. Iyer
Executive Directors:	Shri. N. Seshadri (up to 30.04.2013)
	Shri. M. S. Raghavan (up to 05.07.2013)
	Shri.B.P.Sharma
	Shri. Arun Shrivastava (w.e.f.05.08.2013)
	Shri.Koteeswaran (w.e.f.05.08.2013)

(b) Subsidiaries :

(i) BOI Shareholding Limited.

(ii) PT Bank of India Indonesia Tbk

(iii) Bank of India (Tanzania) Limited.

(iv) Bank of India (New Zealand) Limited.

(v) Bank of India (Uganda) Limited.

(vi) Bank of India (Botswana) Limited

(vii) BOI AXA Investment Managers Private Limited.

(viii) BOI AXA Trustee Services Private Limited

(c) Associates :

(i) STCI Finance Limited.

(ii) ASREC (India) Limited.

(iii) Indo-Zambia Bank Limited.

(iv) 4 Regional Rural Banks sponsored by the Bank:

(a) Gramin Bank of Aryavart(Formerly Known as AryavartKshetriyaGramin Bank)

(b) Jharkhand Gramin Bank;

(c) Narmada JhabuaGramin Bank

(d) VidharbhaKonkanGraminBank

(d) Joint Venture :

(i) Star Union Dai–IchiLife Insurance Co. Ltd.

II) क) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

a) Transactions with Related Parties (As compiled by the Management)

(₹ करोड़ में/Amount in ₹ crore)

क्र. सं.	मदें/ संबंधित पक्ष	Items/Related Party	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेकदार		कुल	
			2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
1	जमा	**Deposits**	38.83	55.06	0.27	0.05	0.18	0.05	39.28	55.15
	वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	39.33	55.06	0.63	0.05	0.18	0.09	40.14	55.20
2	जमाराशियों का नियोजन	**Placement of deposits**	2.00	–	–	–	–	–	2.00	–
	वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	61.00	–	–	–	–	–	61.00	–
3	निवेश	**Investments**	–	–	–	–	–	–	–	–
	वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	–	–	–	–	–	–	–	–
4	मांग /सूचना में उधार देना/टर्म मनी	**Lending in Call / Notice /Term Money**	0.14	29.57	–	–	–	–	0.14	29.57
	वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	28.97	29.57	–	–	–	–	28.97	29.57
5	अन्य उधार देना	**Other lending**	485.30	74.00	–	–	–	–	485.30	74.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	493.16	112.50	–	–	–	–	493.16	112.50
6	मांग /सूचना में उधार लेना/ टर्म मनी	**Borrowings in Call / Notice / Term Money**	–	–	–	–	–	–	–	–
	वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	–	–	–	–	–	–	–	–
7	**बैंक क्रेडिट लाइन/डब्यूटि सीडीएल एवं ओडी में उधार :**	**Borrowings in Bank Credit Line/WCDL & OD:**	–	–	–	–	–	–	–	–
	वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	–	–	–	–	–	–	–	–
8	गैर-निधिक वचनबद्धताएं	**Non-funded commitments**	–	–	–	–	–	–	–	–
	वर्ष के दौरान अधिकतम	Maximum during the year	–	–	–	–	–	–	–	–
9	सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों की बिक्री	Sale of Govt. Securities / Treasury Bills / Bonds	–	–	–	–	–	–	–	–
10	सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों/बांडों की खरीद	Purchase of Govt. Securities / Treasury Bills / Bonds	–	10.84	–	–	–	–	–	10.84
11	प्रदत्त ब्याज	Interest Paid	3.18	4.07	0.01	–	0.01	–	3.20	4.07
12	प्राप्त ब्याज	Interest Received	6.75	2.62	–	–	–	–	6.75	2.62
13	प्राप्तप गैर वित्तीय व्यय	Non financial expenses recd.	0.07	0.16	–	–	–	–	0.07	0.16
14	प्रदत्त लाभांश	Dividend Paid	–	–	–	–	–	–	–	–
15	प्राप्त लाभांश	Dividend Received	1.28	9.11	–	–	–	–	1.28	9.11
16	प्रदत्त सेवाएं	Services rendered	36.68	31.25	–	–	–	–	36.68	31.25
17	प्राप्त सेवाएं	Services received	19.57	49.65	–	–	–	–	19.57	49.65
18	प्रबंधन संविदाएं	Management contracts	–	–	–	–	–	–	–	–
19	अन्य प्राप्य	Any Other receivable	5.17	0.12	–	–	–	–	5.17	0.12
20	कोई अन्य प्राप्य	Any Other payable	30.31	–	–	–	–	–	30.31	–
21	**कोई अन्य कारोबार**	**Any Other Business**	19.45	6.83	–	–	–	–	19.45	6.83

₹50000/- से कम की वास्तविक राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।

Actual amount being less than ₹ 50000/-, the same is not furnished.

ख) मुख्यं प्रबंधन कार्मिक: प्रदत्तश पारिश्रमिक (₹ में)

***b) Key Management Personnel:* 2012-2013**

नाम	पदनाम	Name	Designation	2013–14	2012–13
श्रीमती वी.आर. अय्यर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	Smt. V. R. Iyer	Chairperson & Managing Director	2,182,440	648,485
श्री एन. शेषाद्रि	पूर्व–कार्यपालक निदेशक	Shri N. Seshadri	Ex-Executive Director	198,856	1,995,690
श्री एम.एस. राघवन	पूर्व–कार्यपालक निदेशक	Shri M.S. Raghavan	Ex-Executive Director	449,793	1,516,172
श्री बि. पी. शर्मा	कार्यपालक निदेशक	Shri B. P. Sharma	Executive Director	1,973,716	1,077,105
श्री अरुण श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	Shri Arun Shrivastava	Executive Director	1,002,071	–
श्री आर.कोटीश्वरन	कार्यपालक निदेशक	Shri R. Koteeswaran	Executive Director	998,465	–

सहायक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संव्यंवहार राज्या नियंत्रित होने के कारण एएस–18 के पैरा 9 की दृष्टि में प्रकटन नहीं किए गए हैं जोकि आईसीएआई द्वारा संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए जारी किए हैं जिसमें इन पार्टियों के दूसरे पक्षकारों के साथ, जो भी राज्यई नियंत्रित है, संव्यीवहारों को प्रकटन न करने की छूट है।

The transactions with the subsidiaries and regional rural banks, being state controlled, have not been disclosed in view of para 9 of AS-18 on Related party disclosure issued by the ICAI exempting state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

(डी) लेखांकन मानक 19 पट्टा वित्त पोषण (मूल बैंक)

(i) पट्टा वित्तकपोषण और इसके घटकों में बैंक के निवेश की संविदागत परिपक्वेताएं जो अग्रिमों में शामिल की गई हैं का उल्लैख नीचे किया गया है:

(D) AS 19 "Lease Financing" (Parent Bank)

(i) The contractual maturities of the Parent Bank's investment in lease financing and its components, which are included in advances, are set out below:

(राशि ₹ करोड़ में)

(Amount in ₹ crore)

क्र. सं.	विवरण	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
क)	सकल निवेश	Gross Investments	**0.22**	0.22
ख)	प्राप्य पट्टा भुगतान	Lease payment receivables		
	(i) 1 वर्ष से अधिक नहीं	(i) not later than 1 year	**0.00**	0.00
	(ii) 1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	(ii) later than 1 year but not later than 5 years	**0.00**	0.00
	(iii) 5 वर्ष से अधिक	(iii) later than 5 years	**0.22**	0.22
	कुल	**TOTAL**	**0.22**	0.22
ग)	अनर्जित वित्त आय	Unearned finance income	**0.00**	0.00
घ)	निवल निवेशक	**Net investments [a – c]**	**0.22**	0.22

(ई) लेखांकन मानक 20 प्रति शेयर अर्जन

(E) AS 20 "Earnings Per Share":

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	Particulars	2013-2014	2012-2013
1.	आधारभूत और तनुकृत ⁎	Basic and Diluted * (₹)	48.96	49.01

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:

क्र. सं.	विवरण	Particulars	2013-2014	2012-2013
(क)	इक्विटी शेयाधारकों को प्रदान करने योग्ये वर्ष के लिए निवल लाभ (₹करोड़) (ए)	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in crore) (A)	2986.78	2819.90
(ख)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्याक (₹करोड़)(बी)	Weighted Average Number of Equity shares (crore) (B)	61.00	57.54
(ग)	मूलभूत प्रति शेयर आय (ए/बी) (₹)	Basic & Diluted Earnings per Share (A/B) (₹)	48.96	49.01
(घ)	प्रति शेयर अंकित मूल्यय (₹)	Nominal Value per Equity Share (₹)	10.00	10.00

⁎ आधारभूत एवं तनुकृत ई.पी.एस. समान ही है क्योंकि मंदी संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है।

* Basic and Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares.

(एफ) लेखांकन मानक 22 आय पर करों के लिए लेखांकन

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

(F) AS 22 "Accounting for Taxes on Income":

The Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(राशि ₹ करोड़ में ₹ in crore)

क्र. सं.	विवरण	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
	आस्थागित कर आस्तियां	**Deferred Tax Assets**		
i)	प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards provisions	1301.60	813.88
ii)	अन्य	Others	126.94	79.73
	कुल आस्थगित कर आस्तिया	Total Deferred Tax Assets	**1428.54**	**893.61**
	आस्थगित कर देयता	**Deferred Tax Liabilities**		
i)	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	On account of depreciation on fixed assets	44.72	41.66
ii)	निवेश पर मूल्यह्रास के कारण	On account of depreciation on investment	1514.92	495.54
iii)	प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण	On account of interest accrued but not due	765.70	580.61
iv)	अन्य	Others	557.37	4.75
	कुल आस्थगित कर देयताएं	**Total Deferred Tax Liabilities**	**2882.71**	**1122.56**
	निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)**	**(1454.17)**	**(228.95)**

(जी) लेखांकन मानक 27 संयुक्त उद्यमों में निवेश की वित्तीय रिपोर्टिंग:

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

(G) AS 27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures":

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

(राशि ₹ करोड़ में ₹ in crore)

विवरण	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
देयताएं	**Liabilities**		
पूंजी एवं आरक्षितिया	Capital & Reserves	**0.00**	9.93
जमाराशियां	Deposits	**0.00**	0.00
उधार	Borrowings	**0.00**	0.00
अन्या देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	**2243.16**	1783.43
कुल	**Total**	**2243.16**	**1793.37**
आस्तियां	**Assets**		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां	Cash and Balances with Reserve Bank of India	**1.13**	0.56
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्पर सूचना पर प्राप्य धन	Balances with Banks and Money at call and short notice	**32.16**	51.79
निवेश	Investments	**1986.31**	1647.79
अग्रिम	Advances	**1.41**	0.45
अचल आस्तियां	Fixed Assets	**7.00**	10.89
अन्य आस्तियां	Other Assets	**215.16**	81.89
कुल	**Total**	**2243.16**	**1793.37**
पूंजीगत बाध्यताएं	Capital Commitments	**0.00**	0.00
अन्यी आकस्मिक देयताएं	Other Contingent Liabilities	**0.00**	0.00
आय	**Income**		
अर्जित ब्याज	Interest Earned	**8.62**	9.50
अन्य आय	Other Income	**0.00**	0.86
कुल	**Total**	**8.62**	**10.36**
व्यय	**Expenditure**		
व्यय किया गया ब्याज	Interest Expended	**0.00**	0.00
परिचालन व्याय	Operating Expenses	**33.07**	20.75
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies	**0.00**	0.00
कुल	**Total**	**33.07**	**20.75**
लाभ / (हानि)	**Profit / (Loss)**	**(24.45)**	**(10.38)**

(एच) लेखांकन मानक 29 : प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां (मूल बैंक) :

क. देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढाव (अन्य के प्रावधानों को निकाल कर)

(H) AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets": (Parent Bank)

A. Movement of Provisions for liabilities (excluding provision for others)

(राशि ₹ करोड़ में ₹ in crore)

विवरण	Particulars	विधिक मामले/आकस्मिकताएं Legal cases/contingencies	
		2013-14	2012-13
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	26.94	22.05
वर्ष के दौरान प्रावधान	Provided during the year	0.01	4.89
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	Amounts used during the year	-	-
अंतिम शेष	Closing Balance	26.95	26.94
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	Timing of outflow/uncertainties	समझौते / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन Outflow on settlement / Crystallization	समझौते/ क्रिस्टिलीकरण पर बहिर्गमन Outflow on settlement / Crystallization

ख. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यरूथता करने/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्ते, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर क्रमश: निर्भर करता हे। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

12. मूल बैंक तथा अनुषंगियों के अलग वित्तीयि विवरण पत्र में प्रकटन की गई अतिरिक्त सूचना जिनका समेकित वित्तीमय विवरणों के सत्य तथा निष्पक्ष छवि पर कोई असर नहीं है और ऐसे मद जो महत्वपूर्ण नहीं हैं उनसे संबंधित सूचना का समेकित वित्तीय विवरण में प्रकटन नहीं किया गया है।

13. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है, वहां विगत वर्ष के आंकडों को, फिर से समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

12. Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent bank and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements.

13. Previous year's figures have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक बोर्ड को

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (मूल बैंक) और अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम, इसके बाद जिसे संयुक्त रूप से बीओआई ग्रूप कहा गया है और समेकित विवरण के साथ 31 मार्च, 2014 के समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ हानि खाता और समाप्त हुए वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्यव व्याख्यात्मक सूचना की लेखा परीक्षा की है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित पर आधारित है-

   ए) हमारे द्वारा लेखा परीक्षित मूल बैंक के वित्तीय विवरण

   बी) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परिक्षित, एक स्वदेशी अनुषंगी एक स्वषदेशी संयुक्त उद्यम, तीन स्वीदेशी सहायक कंपनियाँ, एक विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण, और

   सी) पांच विदेशी अनुषंगियों के वित्तीय विवरण, जो प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनकी अन्य लेखा-परीक्षकों ने समीक्षा की है, और

   डी) तीन स्वदेशी सहायक कंपनियों व 2 अनुषंगियों के अ-लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण ।

समेकित विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व मूल बैंक के प्रबंधन का है, ये समेकित वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन और आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बीओआई ग्रुप के समेकित नकदी प्रवाह का सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसमें डिजाइन, कार्यान्वयन और वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुति के लिए संबंधित रख-रखाव शामिल हैं, जो सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि से हुआ हो।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षामानकों के अनुसार की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन करें और वित्तीय विवरण पत्र तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं, इसके बारे में समुचित एश्योरेंस प्राप्ति करने के लिए योजना बनायें और उसका निष्पादन करें ।

4. लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चुनी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरण के तात्विक अशुद्ध कथनों के मूल्यांकन का जोखिम शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखा परीक्षकने बीओआई समूह के समेकित वित्तीय विवरणके तैयार करने और प्रस्तुति में आंतरिक नियंत्रण संबद्धता का ध्यान रखा है, जो लेखा परीक्षा के डिजाइन के लिए सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करता है और जो इन परिस्थितियों में उचित है। लेखा परीक्षा में उपयोग की गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गये लेखा अनुमानों का मूल्यांकन और साथ ही समेकित वित्तींय विवरण की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है।

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITORS

To

The Board of Directors of Bank of India

Report on the Consolidated Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Bank of India ("the Parent Bank") and its subsidiaries, associates and joint ventures collectively hereinafter referred to as "BoI Group" and the consolidated financial statements comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2014, the Consolidated Statement of Profit and Loss and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended together with a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The consolidated financial statements are based on –

   a) Financial statements of the Parent Bank audited by us;

   b) Financial statements of one domestic subsidiary, one domestic joint venture, three domestic associates and one overseas associate audited by other auditors; and

   c) Financial statements of five overseas subsidiaries prepared by the Management and reviewed by other auditors specifically for consolidation purpose; and

   d) Unaudited financial statements of three domestic associates and two subsidiaries.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of BoI Group in accordance with accounting principles generally accepted in India; this includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the BOI Group's preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

5. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गये लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी लेखा राय को उचित आधार प्रदान करते हैं ।

अभिमत

6. हमारी राय और अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गये स्पष्टीकरण और अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों के विचार के आधार पर, यथा नीचे दिए गये, समेकित वित्तीय विवरण आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गये लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं।

ए) समेकित तुलन-पत्र के संबंध में 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार बीओआई ग्रूप के कार्यों की स्थिति

बी) उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लाभ का समेकित लाभ और हानि खाते की स्थिति और

सी) उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण की स्थिति

इस मामले का प्रभाव –

7. हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

ए) वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की टिप्पणी नं.7, अवमानक (प्रतिभूतीकृत) के रूप में वर्गीकृत एनपीए के संबंध में प्रावधानीकरण 20% (त्वरित प्रावधान) से 15% (न्यूनतम प्रावधान) करने हेतु लेखांकन नीति में परिवर्तन से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2013 तक एनपीए हेतु किए गए ₹248.71 करोड़ का राइट बैक किया गया है। अगर पहले की लेखांकन नीति का पालन किया गया होता तो, वर्ष के लिए एनपीए हेतु प्रावधान ₹325.38 करोड़ अधिक होता और परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवल लाभ (कर का निवल) ₹214.78 करोड़ कम होता।

बी) वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 की टिप्पणी क्र.11 में, इन्स्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा अपने परिपत्र क्र. डीपीबीडी.बीपी.बीसी/80/21.4.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011 के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पेन्शन विकल्प फिर से खोलने हेतु लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) कर्मचारी लाभ के प्रावदान लागू करने से सार्जनिक क्षेत्र के बैंको को आरबीआई द्वारा प्रदत्त छूट के आधार पर यथा 31 मार्च, 2014 पेंशन और उपदान हेतु क्रमश: ₹442.43 करोड़ और ₹85.79 करोड़ की बैंक की देयता के आस्थगन का वर्णन किया गया है।

सी) वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 की टिप्पणी नं.8 , जिसमें, आरबीआई परिपत्र क्र. डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.77/21.04.018/2013-14 दिनांक 20 दिसंबर, 2013 के आधार पर 31 मार्च, 2013 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के सृजन पर आस्थगित कर देयता की लेखांकन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

अन्य मामले

8. हमने निम्न के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की थी ।

ए) वे अनुषंगियों जिनके वित्तीय विवरण यथा मार्च, 2014 को कुल आस्तियाँ (निवल) ₹2743.67 करोड़, उसी वर्ष को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹257.67 करोड़ और निवल नकदी बाह्य प्रवाह की राशि 128.54 करोड़ दर्शाती हैं।

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors on the financial statements of the subsidiaries as noted below, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India;

a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the BoI Group as at 31st March 2014;

b) in the case of the Consolidated Statement of Profit and Loss, of the profit for the year ended on that date; and

c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. We draw attention to:

a) Note no.7 of Schedule 18 to the financial statements relating to change in the accounting policy of provisioning in respect of NPAs classified as Sub-Standard (Secured) from 20% (accelerated provision) to 15% (minimum provision) which has resulted into write back of provision for NPAs of ₹248.71 crores provided till 31st March 2013. Had the earlier accounting policy been followed, the provision for NPAs for the year would have been higher by ₹325.38 crores with consequential decrease in Net profit for the year (net of tax) by ₹214.78 crores.

b) Note no. 11 of Schedule 18 to the financial statements, which describes deferment of pension and gratuity liability of the Bank to the extent of ₹442.43 crores and ₹85.79 crores respectively as on 31st March, 2014 pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from application of the provisions of Accounting Standard 15 (Revised) Employees Benefits issued by the Institute of Chartered Accountants of India, vide its circular no. DPBD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011 on reopening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks.

c) Note no. 8 of Schedule 18 to the financial statements, which describes the accounting treatment of the Deferred Tax Liability on creation of Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961 till March 31, 2013, pursuant to RBI's Circular No. DBOD. No.BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated December 20, 2013.

Other Matters

8. We did not audit the financial statements of –

a) Subsidiaries, whose financial statements reflect total assets (net) of ₹2743.67 crores as at 31st March 2014, total revenues of ₹257.67 crores and net cash outflows amounting to ₹128.54 crores for the year then ended;

बी) वे संयुक्त उद्यम जिनका वित्तीय विवरण यथा मार्च, 2014 को कुल आस्तियाँ (निवल) 4908.97 करोड़, उसी वर्ष को समाप्तय कुल राजस्व ₹1589.12 करोड़ तथा निवल बाह्य प्रवाह ₹34.71 करोड़ दर्शाती हैं।

सी) उसी समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनियाँ मूल बैंक के निवल लाभ का हिस्सा ₹255.48 करोड़ दर्शाती हैं ।

इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई हैं और हमारी राय केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

9. हम तीन सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर निर्भर हैं, जैसा कि हमें मूल बैंक के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके आधार पर ₹203.65 करोड़ के लाभ के हिस्से का समेकन में विचार किया गया है।

10. उपर्युक्त पैराग्राफ 7 और 8 में बताये गये मामलों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना उचित नहीं है।

b) Joint Ventures, whose financial statements reflect total assets (net) of ₹4908.97 crores as at 31st March 2014, total revenues of ₹1589.12 crores and net cash outflows amounting to ₹34.71 crores for the year then ended; and

c) Associates reflecting share of net profit of the Parent Bank of ₹255.48 crores for the year then ended.

These financial statements have been audited / reviewed by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management, and our opinion is based solely on the reports of the other auditors.

9. We have also relied on the un-audited financial statements of three associates as made available to us by the management of the Parent Bank based on which share of profit of Rs 203.65 crores have been considered in the consolidation.

10. Our opinion is not qualified in respect of the matters stated in paragraphs 7 and 8 above.

मेसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स
M/s. SRB & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 310009ई) (FRN 310009E)

संजीत पात्र Sanjeet Patra
भागीदार Partner
एम. क्र. 056121 M. No. 056121

मेसर्स डी. सिंह एंड कं. M/s. D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351एन) (FRN 001351N)

सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
एम. क्र.098641 M. No. 098641

मेसर्स इसाक एंड सुरेश
M/s. Isaac & Suresh
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001150एस) (FRN 001150S)

बेनी जोसेफ Benny Joseph
भागीदार Partner
एम. क्र. 200689 M. No. 200689

मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय M/s. J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593एन) (FRN 000593N)

दीपक मेनन Deepak Menon
भागीदार Partner
एम. क्र. 084225 M. No. 084225

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं.
M/s. M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122डब्ल्यू) (FRN 107122W)

संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
एम. क्र. 044577 M. No. 044577

मेसर्स एंड्रोस. एंड कं. M/s. Andros & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 008976एन) (FRN 008976N)

ओम प्रकाश लाकड़ा Om Prakash Lakra
भागीदार Partner
एम. क्र. 081431 M. No. 081431

स्थान : मुंबई Place: Mumbai
दिनांक : 15 मई, 2014 Date : 15th May, 2014

बासेल III (स्तंभ3)– प्रकटन(समेकित)मार्च 2014

तालिका डीएफ – 1

अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र

समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर यह संरचना लागू होती है : बैंक ऑफ़ इंडिया

i. गुणात्मक प्रकटन

अ. समेकन के लिए विचार समूह संस्थाओं की सूची

संस्था इकाई का नाम/निगमन देश	क्या इकाई/संस्था लेखा समेकन के दायरे में समाहित है (हां/नहीं)	समेकन की विधि समझाएं	क्या इकाई समेकन के नियामक दायरे के तहत शामिल है हाँ/नहीं	समेकन की विधि समझाएं	समेकन की विधि में अंतर के कारण दें	केवल एक के समेकन के सकोप के अंतर्गत समेकित है तो कारण दे,
बैंक ऑफ़ इंडिया न्यूजीलैंड लि.	हाँ	सहायक	हाँ	सहायक	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.	हाँ	सहायक	हाँ	सहायक	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि.	हाँ	सहायक	हाँ	सहायक	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.	हाँ	सहायक	हाँ	सहायक	लागू नहीं	लागू नहीं
पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया स्वदेशी टीबीके इंडोनेशिया	हाँ	सहायक	हाँ	सहायक	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई शेयर होल्डिंग लि.	हाँ	सहायक	हाँ	सहायक	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया एक्सा इन्वेस्टमेन्ट मॅनेजर्स प्रा.लि.	हाँ	सहायक	हाँ	सहायक	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्रा. लि.	हाँ	सहायक	हाँ	सहायक	लागू नहीं	लागू नहीं
स्टार यूनियन दाई–ईची लाईफ इन्श्यूरन्स कं. लि.	हाँ	संयुक्त उद्यम	हाँ	नहीं	नहीं	पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए पूंजी मे कटौती
एसटीसीआई फायनान्स लि.	हाँ	सहायक	हाँ	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
एएसआरईसी (इंडिया) लि.	हाँ	सहायक	हाँ	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडो–झांबिया बैंक लि.	हाँ	सहायक	हाँ	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक	हाँ	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी सह आर्यवर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक	हाँ	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी सह झारखंड ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक	हाँ	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी सह नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक	हाँ	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं

ख) लेखांकन तथा नियामक समेकन गुंजाईश दोनों के तहत समेकन में शामिल न किए जाने वाले समूह संस्थाओं की सूची–

ऐसी कोई भी समूह संस्थाओं की सूची नहीं है जो न ही लेखांकन तथा नियामक समेकन दोनों के तहत समेकन में शामिल न हों।

(ii) मात्रात्मक प्रकटन:

(ग) ऐसे समूह संस्थाओं की सूची जो समेकन में शामिल हैं।

संस्था का नाम/शामिल देश	संस्था की मुख्य गतिविधि	कुल बैलंस शीट इक्विटी (कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में दिए अनुसार) (इक्विटी+रिजर्व)	कुल बैलेंस शीट आस्तियां (कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में दिए अनुसार)
बैंक ऑफ़ इंडिया न्यूजिलैंड लि.	बैंकिंग	264.24	359.52
बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.	बैंकिंग	62.99	151.75
बैंक ऑफ़ इंडिया (तंज़ानिया) लि.	बैंकिंग	63.85	204.88
बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.	बैंकिंग	30.20	61.90
पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया स्वदेशी टीबीके इंडोनेशिया	बैंकिंग	254.61	1910.22
बीओआई शेयर होल्डिंग लि.	समाशोधन व शेयर बाजार का निपटान	24.41	31.83
बैंक ऑफ़ इंडिया एक्सा इन्वेस्टमेन्ट मॅनेजर्स प्रा.लि.	संपत्ति प्रबंधन	19.30	23.53
बैंक ऑफ़ इंडिया एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्रा. लि.	ट्रस्टीशीप सर्विसेस	0.02	0.04
स्टार यूनियन दाई-ची लाईफ इन्श्यूरन्स कं. लि.	लाईफ इंश्योरेंस	420	4908.97
एसटीसीआई फायनान्स लि.		1051.73	6308.93
एएसआरईसी (इंडिया) लि.	आस्ति वसूली कंपनी	127.03	171.33
इंडो झांबिया बैंक लि.	बैंकिंग	337.60	2286.54
आरआरबी विधर्भ कोंकन ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	180.11	3791.47
आरआरबी सह आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	1070.81	13663.87
आरआरबी सह झारखंड ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	150.53	2625.31
आरआरबी सह नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	400.23	5009.42

घ. सभी अनुषंगियों में पूंजीगत भिन्नताओं की कुल राशि जिसे रेग्युलेटरी समेकन में शामिल नहीं किया गया है अर्थात जिनकी कटौती की जाती है।

अनुषंगियों में पूंजीगत भिन्नता नहीं है।

ड. बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हित की समग्र राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य) जिन्हें जोखिम आधार पर मापा जाता है:

बिमा कंपनीयों के नाम/ शामिल या निवास का उनका देश	कंपनी की प्रमुख गतिविधियां	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (कानूनी संस्था के लेखांकन बैलेंस शीट में कहे अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का % /मतदान का अनुपात	पद्धति बनाम कटौति पद्धती प्रयोग करने पर नियामक पूंजी पर परिणामात्मक प्रभाव दर्शाएं
स्टार यूनियन दाई-ची लाईफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लाईफ इंश्योरेंस	250	48%	300 करोड़ (रिस्क वेट)

ढ. बैंकिंग समूह के भीतर धन का हस्तांतरण या पूंजीगत नियंत्रक पर कोई प्रतिबंध या बाधाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

तालिका डीएफ–2

पूंजीगत संरचना

गुणात्मक प्रकटन

क. वर्तमान तथा भावी कार्य–कलापो के समर्थन में अपनी पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन के लिए बैंक के दृष्टिकोण की संक्षेप में विवेचना।

अ. बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक द्वारा जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को सुलभ पूंजी बनाने हेतु समय–समय पर अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं का नियमित मूल्यांकन किया जाता है। भविष्य में कारोबार वृद्धि, पूंजीगत आवश्यकताएं, नीति दिशा–निर्देश, मेक्रो आर्थिक परिदृश्य एवं जोखिम क्षमता, आदि का ध्यान रखने हेतु पूंजीगत योजना की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। सभी जोखिमों को व्यापक रूप से देखने हेतु बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) विकसित की है।

ब. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

विदेशी मुद्रा व्यापार चलाने के लिय, स्थानीय विनियमन का संदर्भ लें, बैंक की **टियर–1 IDR 1 ट्रिलियन कम से कम होना** चाहिए।

क. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी), बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. (अनुषंगी)

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु बैंक ऑफ़ तंजानिया (बीओटी) द्वारा कार्यान्वत बासेल समिति द्वारा विकसित दिशानिर्देशों पर आहरित नियोजित तकनीक पर पूंजी पर्याप्तता तथा नियामक पूंजी की निगरानी प्रतिदिन बैंक के प्रबंधन द्वारा की जाती है। आवश्यक सूचाना को तिमाही आधार पर बैंक ऑफ तंजानिया द्वारा पूर्ण की जाती है।

बैंक के नियामक पूंजी जो इसके प्रबंधन द्वारा प्रबंधित है वह दो टियर में विभाजित है :

टियर 1 पूंजी : – शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियां। टियर–1 पूंजी के परिकलन में पूर्वदत्त व्यय एवं आस्थागित प्रभार काट लिए जाते हैं।

टियर 2 पूंजी : – अर्हता गौण ऋण पूंजी, समेकित क्षतिभत्ता तथा बिक्री हेतु उपलब्ध इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर अप्राप्त उगाही।

ख. बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी)

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूजीलैंड (आरबीएनजेड़) के दिशानिर्देशों पर आधारित नियोजित तकनीक पर पूंजी पर्याप्ताता तथा नियामक पूंजी के प्रयोग की निगरानी प्रतिदिन बैंक के प्रबंधन द्वारा की जाती है। आवश्यक सूचना का प्रकटन तिमाही आधार पर सामान्य प्रकटन विवरण द्वारा किया जाता है। बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रबंधित नियामक पूंजी में केवल टियर 1 पूंजी शामिल है।

टियर 1 पूंजी : शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियाँ।

ग. बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

बैंक के नियामक पूंजी जो इसके प्रबंधन द्वारा प्रबंधित है वह दो टियर में विभाजित है :

टियर 1 पूंजी : शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियां (सहायक के लिए अब हानि)।

टियर 2 पूंजी : अर्हता गौण ऋण पूंजी, समेकित क्षतिभत्ता अर्थात मानक आस्तियों पर प्रावधान तथा बिक्री हेतु उपलब्ध इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर अप्राप्त उगाही।

मात्रात्मक प्रकटन

(बी) ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता : 28,038 करोड़

- मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो
- प्रतिभूतिकरण निवेश

(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता : ₹1,619 करोड़

- मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण:
  - ब्याज दर जोखिम : ₹881.43 करोड़
  - विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण को शामिल कर) : 305.56 करोड़
  - इक्विटी जोखिम : ₹431.82 करोड़

(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता : 1,905.30 करोड़

- मूल संकेतक दृष्टिकोण
- मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)

(ई) कॉमन इक्विटी टियर 1, तथा कुल और टियर 1 पूँजी अनुपात : सीईटी 1 :– (6.99%); टी 1 :– (7.42%), कुल पूँजी अनुपात 10.21%

- शीर्ष समेकित समूह के लिए; तथा
- महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगी के लिए (किस प्रकार रुपरेखा प्रयुक्त की गई है,
- उसकी निर्भरता पर (स्टैण्ड अलोन या उप–समेकित)

तालिका डीएफ–3

ऋण जोखिम–सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

क) ऋण जोखिम सहित सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें सम्मिलित है:

- पिछले देय की परिभाषा तथा अपसामान्य (लेखाकरण उद्देश्य हेतु)

1. बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमावली का अनुपालन करता है, जिसका सारांश निम्नलिखित है:

क. अनर्जक आस्तियाँ

एक पट्टा आस्ति सहित एक आस्ति जब बैंक के लिए आय जनित नहीं करती है तब वह अनर्जक हो जाती है।

अनर्जक आस्ति (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसमें :

i) मीयादी ऋण के संबंध 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए मूलधन का ब्याज और/या किस्त अतिदेय रहता है।

ii) एक ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के सम्बन्ध में, नीचे दर्शाए गए अनुसार "अनियमित" हुआ खाता।

iii) क्रय तथा बट्टागत बिल के मामले में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहने वाले बिल।

iv) अल्पावधि फसलों हेतु दो फसली मौसमों के लिए, अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा ब्याज।

v) दीर्घावधि फसलों हेतु एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा उसपर ब्याज।

vi) दिनांक 1 फरवरी, 2006 के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के अनुसरण में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है तो।

vii) बैंक किसी भी खाते को एनपीए तभी वर्गीकृत करेगा जब ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से सेवित न होगा।

viii) बुनियादी/गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण, यदि उसे पुनः संरचित नहीं किया जाता और "मानक आस्ति" के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार (90 दिन का अतिदेय होने पर) वाणिज्यिक परिचालन शुरु होने से पहले किसी भी समय एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।

xi) किसी बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुनःसंरचित नहीं किया जाता और "मानक आस्ति" के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से दो वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता है तो उसे एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।

x) किसी गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुनः संरचित नहीं किया जाता और "मानक आस्ति" के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से छः माह के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता हैं तो उसे एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।

ख. "अनियमित" स्थिति

एक खाता तब "अनियमित" माना जाता है जब स्वीकृति सीमा/आहरण शक्ति से ज्यादा बकाया लगातार बना रहे। उन मामलों में जहाँ प्रधान परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृति सीमा/आहरण शक्ति से कम है किन्तु तुलन पत्र की तिथि तक 90 दिनों तक लगातार कोई जमा नहीं है या उस अवधि के दौरान ब्याज नामें करने की राशि न हो तो, इन खातों को "अनियमित" खाता माना जाता है।

ग. "अतिदेय"

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि तब अतिदेय होती है जब बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

घ. अनर्जक निवेश

प्रतिभूतियों के मामले में, जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया है तथा बैंक प्रतिभूतियों पर आय नहीं पाता है तथा निवेशमूल्य में मूल्यहास हेतु यथोचित प्रावधान करता है।

एक अनर्जक निवेश (एनपीआई) एक अनर्जक अग्रिम (एनपीए) की तरह है जहाँ :

(i) ब्याज/किस्त (परिपक्वता आगम सहित) देय है तथा 90 दिनों से अधिक तक अदत्त है।

(ii) अधिमानी शेयरों के यथोचित परिवर्तनों सहित जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।

(iii) इक्विटी शेयरों के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुरुप नवीनतम तुलन पत्र के अनुपलब्धता पर किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य रु. 1 प्रति कंपनी है तो ऐसे इक्विटी शेयर अनर्जक निवेश माने जाएंगे।

(iv) निर्गमकर्ता द्वारा यदि कोई ऋण सुविधा प्राप्त की जाती है जो बैंक की बही में अनर्जक अग्रिम है तब इस निर्गमकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश को अनर्जक अग्रिम माना जाएगा तथा विलोमतः।

(v) डिबेन्चर/बॉड में निवेश, जिसे अग्रिम प्रकृति का समझा जाए वह निवेशों पर लागू अनर्जक अग्रिम के अध्यधीन है।

2. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

ऋण गुणवत्ता का अभिनिर्धारण कारोबार की संभावना, ऋणी का कार्यनिष्पादन और चुकौती क्षमता जैसे तथ्यों के आधार पर किया जाता है। यह प्रत्येक अभिनिर्धारण तथ्य और घटकों तथा संबंधित ऋणी की विशिष्टताओं से संबद्ध अभिनिर्धारण तथ्यो के आधार पर किया जाता है। तदनुसार आस्तियों को चालू, विशेष उल्लेख, अवमानक, संदिग्ध और हानि प्रवर्ग में वर्गीकृत किया जाता हैं।

"आस्तियाँ" अर्जक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों में वर्गीकृत की जाती हैं। अर्जक आस्तियाँ, राजस्व अर्जित करने के लिए किसी बैंक द्वारा निधियों का प्रावधान है। "अनर्जक आस्तियाँ " बैंक की अर्जक आस्तियों के अलावा है जिसमें हानि की संभावना है।

कोई आस्ति अनर्जक तब होती है जब वह बैंक के लिए राजस्व उत्पन्न करना बंद कर देती है। अनर्जक आस्ति ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ मूलधन और/या ब्याज 90 दिन से अधिक के लिए बकाया है।

गत देय : किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय राशि गतदेय होती है यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को नहीं किया जाता है।

1 जनवरी, 2010 को पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके ने नई लेखांकन नीति अर्थात् पीएसएके 50 एवं 55 का कार्यान्वयन शुरु किया जो अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक आईएएस 32 एवं 39 के समान है जिसके अनुसार वित्तीय आस्ति उचित मूल्य पर, प्रस्तुत की जानी चाहिए।

मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा समीक्षित बकाया ऋण और अग्रिम निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाएंगे:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-180	अवमानक	10%
181-270	संदिग्ध	50%
271 और ज्यादा	हानि	100%

3. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. (अनुषंगी)

अगर कोई ग्राहक या किसी वित्तीय लिखत का प्रतिपक्षी अपनी संविदागत बाध्यताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो ऋण जोखिम होता है जो बैंक के लिए वित्तीय हानि का जोखिम होता है और वह प्रमुख रूप से ग्राहकों एवं अन्य बैंकों को बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा नामे प्रतिभूतियों में निवेश के कारण होता है।

निदेशक मंडल ने अपनी ऋण समिति को ऋण जोखिम की चूक के लिए जिम्मेदारी प्रत्यायोजित की है। ऋण समिति को रिपोर्ट करने वाला ऋण विभाग बैंक के ऋण के जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, इसमें निम्नलिखित शामिल है:-

i. संपार्श्विक अपेक्षाओं ऋण अभिनिर्धारण, रिस्क-ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग, दस्तावेजी और विधिक क्रियाविधि एवं विनियामक और सांविधिक अपेक्षाओं को सम्मिलित करते हुए ऋण नीतियाँ बनाना।

ii. ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए प्राधिकृत करने का ढ़ाँचा स्थापित करना। बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऋण नीति द्वारा ऋण सीमाएँ शामिल होती हैं।

iii. ऋण जोखिम की समीक्षा एवं अभिनिर्धारण।

iv. ऋण जोखिम के केन्द्रीयकरण को प्रतिपार्टियों, भौगोलिक एवं औद्योगिक दृष्टिकोण से सीमित करना (ऋणों एवं अग्रिमों के लिए)

गत देय एवं अनर्जक की परिभाषा (लेखांकन उद्देश्य के लिए)

ओवरड्राफ्ट एवं अन्य ऋण सुविधा बिना विशिष्ट नियत तारीखों के गत देय माने जाएंगे यदि

i. ग्राहक की उधार सीमा से अधिक हो जाए।

ii. ग्राहक की उधार सीमा समाप्त हो जाए।

iii. गणना किए गए ब्याज और अवधि के लिए नियत ब्याज को पूरा करने के लिए जमाराशियों का अपर्याप्त होना।

iv. बिल अनादृत कर दिए गए हों ।

v. बिल या खाते का भुगतान नियत तारीख पर न किया गया हो।

ऋण जिनकी चुकौती किस्तों में की जानी होती है, समूचे रुप से गतदेय माने जाते हैं, यदि कोई भी किस्त जो देय हो चुकी है और तीस दिन या ज्यादा अवधि के लिए भुगतान नहीं की गई हो।

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-180	अवमानक	10%
181-270	संदिग्ध	50%
271 और अधिक	हानि	100%

4. बैंक ऑफ़ इंडिया युगांडा

मात्रात्मक दृष्टिकोण में समीक्षित बकाया ऋण औरअग्रिमों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा।

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-179	अवमानक	20%
180-365	संदिग्ध	50%
365 और अधिक	हानि	100%

5. बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

मात्रात्मक दृष्टिकोण में समीक्षित बकाया ऋण और अग्रिमों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा :-

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
1 वर्ष	अवमानक	10%
1 वर्ष से आगे और 2 वर्ष से कम	संदिग्ध	20% +100% से कमी
2 वर्ष से अधिक व 4 वर्ष तक	संदिग्ध	30% + 100% से कमी
4 वर्ष से अधिक	संदिग्ध	100%
271 और अधिक	हानि	100%

- बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा

क. बैंक ऑफ़ इंडिया

क. एक बैंक के पोर्टफोलियों में, एक ग्राहक अथवा प्रतिपक्ष का उधार, व्यापार समझौता और अन्य वित्तीय लेन-देन के प्रतिबद्धता को पूर्ण करने की अक्षमता या अनिच्छा से अथवा ऋण नीति में वास्तविक या महसूस किए गए ह्रास से पोर्टफोलियों के बढ़ते मूल्य की एकमुश्त चूक से हानि उत्पन्न होती है।

ख. इन कमियों के विरुद्ध बैंक के दीर्घावधि वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक दृढ़ जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। ऋण जोखिम प्रबंधन में पहचान, मापन, निगरानी तथा ऋण जोखिम नियंत्रण सम्मिलित है।

ग. ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में सामान्य स्तर पर बैंक ने विभिन्न प्रकार के ऋण जोखिम की पहचान की है। उत्पाद/प्रक्रियाओं के स्तर पर अधिक कणिकामय पहचान होती है। नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को आरम्भ करने से पहले विभिन्न जोखिमों का आकलन किया जाता है, जिसे जोखिम दृष्टिकोण से जोखिम रहित किया जाता है।

घ. ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क में तीन विशिष्ट खण्डों को इसकी नीति में समाहित किया गया है जो है- **नीति एवं कार्यनीति, संस्थागत ढ़ांचा और परिचालन/प्रणाली।**

i) नीति और कार्यनीति

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन को अपनाता रहा है, जिससे कठिन समय में भी बैंक अपने संतुलन को बनाए रहा। यद्यपि नए तथा अनछुए क्षेत्रों के संबंध में बैंक की एक खुली नीति रही है तथा नए अवसरों को बैंक ने हमेशा पहचाना है।

इस दर्शन के महत्वपूर्ण पक्षों को परिपत्रों में दर्शाया गया है तथा आवधिक तौर पर अनुदेश पुस्तिका रूप में विधिबद्ध किया गया है।लाभप्रदता, सामना किए जानेवाले विभिन्न जोखिमों के स्तर, पूँजी स्तर, बाजार परिदृश्य तथा प्रतियोगिता को दृष्टिगत रखते हुए बैंक के कारोबारी उद्देश्यों और कार्यनीतियों का निर्णय लिया जाता है। बैंक की सोच हमेशा आस्ति गुणवत्ता तथा अर्जन पर रहती है अतएवं वह विवेकपूर्ण ढ़ंग से जोखिम नियंत्रण सहित लाभप्रदता वृद्धि का मेल करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तथा सार्थक ऋण जोखिम संबंधी नीति जैसे ऋण नीति तथा ऋण अनुप्रवर्तन नीति का अनुमोदन होता है तथा आवधिक तौर पर निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है। ऋण नीति अपने में विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जैसे ग्राहक, विपणन, उधार के क्षेत्रवार अभिगम, ऋण सुपुर्दगी, ऋण महत्व, ऋण अवधि, ऋण अर्जन, ऋण निर्धारण (जोखिम स्वीकार मानदंड सहित), मूल्य, ऋण मूल्यांकन, ऋण निर्धारण, ऋण जोखिम मानदंड, उद्योग मानदंड, संपार्श्विक और मार्जिन, रिश्तों की समीक्षा, प्रत्यायोजन कर योजना सांविधिक तथा अन्य नियंत्रण तथा प्रलेखीकरण। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों हेतु ऋण नीति है और प्रत्येक केन्द्र की अपनी क्रेडिट नीति है जो मुख्य नीति से मेल खाती है। ऋण मामले में शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए एक अलग नीति है। इसके अतिरिक्त ऋण जोखिम की पहचान तथा निगरानी ऋण अनुप्रवर्तन नीति के अंतर्गत की जाती है। पुनर्गठन नीति, बैंक जोखिम नीति, देश जोखिम नीति तथा ऋण लेखापरीक्षा नीति भी तैयार है। निवेश समिति द्वारा अनुमोदन के बाद तथा निवेश नीति में दिए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश अनुबंधित होता है।

ii) संस्थागत ढांचा

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य हेतु बैंक के संस्थागत ढांचे में शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल है जो जोखिम प्रबंधन पर व्यापक दृष्टिकोण रखता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर कॉम) जो कि बोर्ड की उप-समिति है तथा जिसके अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं और इसके सदस्य के रुप में ऋण, बाजार और परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति के प्रमुख हैं जो ऋण जोखिम सहित समेकित जोखिम प्रबंधन की नीति और कार्यनीति निधारित करते हैं। परिचालनात्मक स्तर पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) ऋण जोखिम का दायित्व संभालते हैं। इसके मुख्य कार्यों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन, बृहत आधार पर बैंक के ऋण जोखिम की निगरानी, ऋण प्रत्यायोजन, बृहत ऋण जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमा, पोर्टफोलियों प्रबंधन आदि सहित ऋण मामलों से संबंधित सभी नीतियों का बोर्ड से अनुमोदन हेतु अनुशंसा है।

जोखिम प्रबंधन विभाग महाप्रबंधक पद के मुख्य जोखिम अधिकारी के देखरेख

में कार्यरत है जो जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर बृहद आधार पर ऋण जोखिम का मापन, नियंत्रण तथा प्रबंधन करता है तथा बोर्ड/आर कॉम/सीआरएमसी द्वारा तय जोखिम मानदंडों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करता है। महाप्रबंधक के अंतर्गत कार्यरत ऋण निगरानी विभाग ऋण पोर्टफोलियों का अनुप्रवर्तन करता है, समस्याओं की पहचान है तथा कमियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋण लेखापरीक्षा कार्य द्वारा ऋण समीक्षा/ऋण लेखापरीक्षा की जाती है।

iii) परिचालन/प्रणाली/प्रक्रिया

बैंक सक्रिय ऋण जोखिम प्रबंधन पहल करता है, जैसे ऋण प्रदान करने के लिए निरंतर एक मानकता, तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली मदों सहित सभी ऋण जोखिमों का अनुरक्षण तथा प्रलेखीकरण, आवधिक व्यक्तिगत बाध्यताधारी समीक्षा, आवधिक निरीक्षण तथा संपार्श्विक प्रबंधन प्रणाली।

ऋण जोखिम सीमा में उद्योग द्वारा बाध्यताधारी सीमा व संकेन्द्रण सीमा, ग्राहकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु प्रणाली व प्रक्रिया हेतु निगरानी तथा सीमा में बकाया नियंत्रण सम्मिलित है। ऋण विस्तार हेतु जांच तथा अधिशेष है यथा ऋण स्वीकृति से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, सीआरएमसी द्वारा जोखिम दृष्टिकोण से नए उत्पादों तथा प्रणाली का पुनरीक्षण, बहु ऋण अनुमोदक, जोखिम निर्धारण करने की प्रणाली, ग्राहक के जोखिम ग्रेंडिंग पर आधारित कीमत सुविधाओं की प्रणाली, जोखिम दृष्टिकोण से ऋण प्रस्तावों के पुनरीक्षण हेतु ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति, ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा, स्वीकृति पूर्व संवितरण पूर्व समीक्षा तथा स्वीकृति पूर्व समीक्षा प्रणाली तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा व जोखिम समीक्षा कार्य निवेशों हेतु प्रस्ताव ऋण जोखिम विश्लेषण, विस्तृत मूल्यांकन तथा क्रम निर्धारण के अध्यधीन है। प्रवेश स्तर के मामले में, न्यूनतम क्रमनिर्धारण/गुणवत्ता मानक, उद्योग, परिपक्वता, अवधि, निर्गम अनुसार मामले निवेशों हेतु विनिर्धारित किए गए हैं जिससे कि तरलता के जोखिम तथा संकेन्द्रण के विपरीत प्रभाव को कम कर सकता है। अन्य बैंकों पर सकल जोखिम पर केन्द्रीयकृत परिदृश्य प्रदान करने हेतु एक उचित फ्रेमवर्क तथा अर्धवार्षिक समीक्षा की गई है। देश के जोखिम का अनुप्रवर्तन अर्धवार्षिक आधार पर होता है।

जोखिम आस्तियों के विविधतापूर्ण पोर्टफोलियों का अनुरक्षण किया जाता है तथा पोर्टफोलियों के नियमित विश्लेषण करने की एक प्रणाली है जिससे कि जोखिम संकेन्द्रण के जोखिम नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। अनर्जक अग्रिमों के संबंध में एक संतुलित नीति प्रक्रियागत है। ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली के आरम्भ सहित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) उन्नतिशील किया गया है जिससे कि बैंक की क्षमताएं बढ़ेगी तथा तुलन पत्र में न आनेवाली, आनेवाली सभी गतिविधियों के ऋण जोखिम का बैंक प्रबंधन करेगा।

6. ऋण जोखिम प्रबंधन/न्यूनीकरण हेतु निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया जाता है –

i. ऋण अनुमोदित करनेवाला अधिकारी–अधिकारों का प्रत्यायोजन

बैंक में बहु स्तरीय जोखिम आधारित अनुमोदित प्रणाली वाली सुस्पष्ट प्रत्यायोजन अधिकार की योजना है जिसकी आवधिक समीक्षा की जाती है और कारोबार के वातावरण की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए जब एवं जैसा आवश्यक होता है, उसे संशोधित किया जाता है। अधिकारियों का प्रत्यायोजन उधारकर्ताओं के रेटिंग के साथ लिंक की हुई है जहां बेहतर रेटवाले ग्राहकों को उच्चतर सीमा की मंजूरी देने का अधिकार है। वित्त मंत्रालय के अनुसार अधिकारों के प्रत्यायोजन के लिए विभिन्न प्रशासनिक स्तरों में मंजूरी प्राधिकार के साथ गाइडलाइन्स क्रेडिट कमिटि बनाई गई है। वर्तमान में, महाप्रबंधक के प्रत्यायोजन अधिकार के परे आने वाले सभी ऋण प्रस्तावों में गोचर जोखिमों का ऑफ साइट मूल्यांकन किया जाए। महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग(समिति का सदस्य है जिनके पास मात्रा या लाभ का लक्ष्य नहीं है। प्राप्त अनुभवों के आधार पर, महाप्रबंधक के प्रत्यायोजन अधिकारों तक के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रधान कार्यालय स्तर पर एक और समिति बनाई गई है। जेडएलसीसी और एनबीजीएलसीसी में प्रस्ताव अनुमोदन के लिए आंचलिक कार्यालय में भी ऐसी समिति बनाई गई है।

ii. विवेकपूर्ण सीमाएँ

विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए ऋण/निवेश के विविध पहलुओं जैसे एकल/समूह उधारकर्ता सीमाओं के संबंध में उपयुक्त विवेकपूर्ण सीमाएँ हैं।

iii. जोखिम श्रेणी निर्धारण/मूल्य निर्धारण

काऊन्टर पार्टी के विभिन्न जोखिम घटकों के लिए एकल बिन्दु इन्डीकेटरतथा क्रेडिट तथा मूल्य निर्धारण में सहायता हेतु बैंक ने विभिन्न खण्डों में श्रेणी निर्धारण माडल आरंभ किया है।

iv. ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था (एलआरएम)

ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था ऋण बही की गुणवत्ता के लगातार मूल्यांकन करने और ऋण प्रबंध में गुणात्मक सुधार लाने हेतु एक प्रभावी साधन है।

v. विश्लेषण के माध्यम से संविभाग प्रबंधन

विभिन्न ऋण पोर्टफोलियों एवं निवेशों की समग्र संरचना और गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक उपयुक्त प्रणाली होना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से शुरुआत के लिए बैंक ने एक सरल पोर्टफोलियों निगरानी फ्रेमवर्क प्रारंभ किया है। आगे चलकर बैंक और अधिक परिष्कृत पोर्टफोलियों प्रबंधन मॉडल तैयार करेगा। ₹10 लाख और इससे अधिक वाले खातों में रेटिंग माइग्रेशन छःमाही किया जा रहा है और बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट साफ्टवेयर (सीआरएमएस) चरणबद्ध रुप से कार्यान्वित किया जा रहा है। बैंक एडवांस एप्रोच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है।

न. जोखिम मापांकन

वर्तमान में ऋण जोखिम का निर्धारण जोखिम श्रेणी निर्धारण व्यक्तिशः स्तर पर करने और पोर्टफोलियो स्तर पर आस्तियों के भारांक एवं जोखिम भारांको के आधार पर रखी गई पूँजी के माध्यम से किया जाता है। 31 मार्च 2008 से प्रभावी नवीन पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के अन्तर्गत बैंक ने मानक दृष्टिकोण को अपना लिया है।

च. जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली

सभी ऋण संबंधी नीतियाँ अनुमोदन के लिए उचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सीआरएमसी (जो ऋण जोखिम के लिए परिचालन स्तर की समिति है) द्वारा अनुमत की जाती है। उचित निगरानी करने के लिए विभिन्न ऋण संबंधी सूचनाएँ सीआरएमसी को प्रस्तुत की जाती है।

छ. जोखिम समीक्षा

लेखापरीक्षा–ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं साधन भी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन हैं।

ख. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) ने संपूर्ण जोखिम प्रबंधन को

स्वीकृत लक्षित, समन्वित और सतत बनाने की आशा से जोखिम जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) तथा जोखिम प्रबंधन इकाई (आरएमयू) स्थापित की है जो परिचालन इकाई और आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई (आंतरिक लेखा परीक्षा) से स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त आरएमसी और आरएमयू के कार्यों के कार्यान्वयन के प्रभाव की निगरानी के लिए बैंक ने जोखिम निगरानी समिति बनाई है जो सीधे बोर्ड ऑफ कमीशनर्स को उत्तरदायी है।

बैंक ऑफ इंडोनेशिया के अनुसार बैंक ने 8 (आठ) प्रकार के जोखिमों को संभाला है। ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, अनुपालन जोखिम, विधि जोखिम, जोखिम के साथ संभाव्य जोखिम वाली गतिविधियाँ जो बैंक की कारोबार निरन्तरता को खंडित करती है । जोखिम प्रकार का आकलन किसी भी कार्यात्मक गतिविधि (निहित जोखिम) और जोखिम नियंत्रण प्रणाली में निहित जोखिमों का संयोजन है।

बैंक नए ऋणों का अनुमोदन करने में चयनात्मक करने में चयानात्मक है और नियामक द्वारा आवश्यक ऋण के प्रावधान से अधिक बनाए रखता है। संपार्श्विक आधारित उधार में, संपार्श्विक के मूल्य पर हेयरकट लगाई जाती है। बैंक को जोखिम अधिकारी निदेशक अनुपालन को रिपोर्ट करता है। ज़ोखिम प्रबंधन इकाई (आरएमयू) ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की देखभाल/निगरानी रखते हैं।

ग. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. (अनुषंगी), बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (बोटस्वाना) लि.

मासिक आधार पर ब्याज लगाया जाना, मानक आस्तियों में संभाव्य ऋण चूक या व्यतिक्रम से निपटने का एक उपयोगी साधन बन गया है। आस्ति की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु बैंक ने निम्नलिखित नीति अपनाई है जिस पर शाखाओं को तुरंत अमल करना चाहिए और :-

i) उधारकर्ता के साथ सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से अतिदेयय न्यूनतम अनिवार्य राशि वसूल करना।

ii) अस्थायी रोकड़ प्रवाह के मिसमैच के मामलों में खातों में परिचालन को बनाए रखना।

iii) अपेक्षित नकदी प्रवाह के अनुसार चुकौती मीयाद को पुनर्निर्धारित करना।

iv) यदि कोई, पुनर्गठित नीति में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित नकदी प्रवाह एवं नकदी प्रवाह में अंतराल को ध्यान में रखते हुए बकाया पुनर्गठन।

एनपीए होने से पहले खातों में बैंक द्वारा उपरोक्त में एक या अधिक कार्रवाई की गई है।

विशेषकर उल्लिखित खाते/एनपीए खातों के अनुवर्तन हेतु उपाय

एनपीएज़् की निगरानी/निवारण हेतु सामान्यतः बैंक में उपलब्ध विभिन्न उपाय नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :-

क) **एनपीए होने से पहले खाता (विशेष रूप से उल्लिखित खाता)**

i) आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वीकृत अवधि के अनुपालन हेतु सघन निगरानी।

ii) जहाँ भी अनियमितताएँ पाई गई है वहां तत्परता से अनुस्मारकों का भेजा जाना।

iii) एनपीए प्रवर्ग में खाते का न जाना सुनिश्चित करने हेतु तुरंत अतिदेयों की वसूली करना।

iv) वित्तीय डाटा के विश्लेषण के साथ इकाई का आवधिक निरीक्षण एवं आस्ति प्रभार।

v) खातों को एनपीए होने से पहले प्राप्य राशियों को पुनर्संरचित करना, अधिस्थगन अवधि, ब्याज निधि एवं किश्तों के आस्थगन की वृद्धि सहित सुधारात्मक कार्रवाई।

ख) **एनपीए होने के बाद खाता बैंक की प्राप्य राशियों की वसूली हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए। एनपीएज़् के समाधान हेतु निम्नलिखित उपायों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए :-**

i) बकाया को कम करने हेतु अर्थ सुलभ प्रतिभूतियों (टीडीआर, शेयर, मार्जिन राशि आदि) एवं गिरवी वस्तुओं का विनियोजन

ii) उधारकर्ताओं के सहयोग से अन्य प्रतिभूतियों का निपटान

iii) समझौतावार्ता के माध्यम से प्राप्य राशियों का समझौता निपटान

iv) अग्रिम को रीकॉल करना

v) अदालत में मुकदमा दाखिल - डिक्री निष्पादन

vi) अंत में, प्राप्य राशियों की वसूली हेतु सभी उपाय करने के पश्चात्, हम शेष प्राप्य राशियों को बट्टे खाते डाल सकते हैं।

एनपीएज़् के समाधान हेतु इन सभी उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

मात्रात्मक प्रकटन

1. कुल सकल ऋण जोखिम निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

प्रवर्ग	राशि
निधि आधारित	3,78,177.63
गैर-निधि आधारित *	91,223.64

* क्रेडिट छोड़कर डेरिवेवस के समतुल्य

2. जोखिम का भौगोलिक वितरण

(₹ करोड़ में)

	स्वदेशी	विदेशी
निधि आधारित	2,64,259.89	1,13,917.74
गैर-निधि आधारित	78,479.28	12,744.36

क. उद्योगवार जोखिम का वितरण निम्नलिखित है :

(₹.करोड़ में)

उद्योग का नाम	निधि आधारित बकाया राशि	गैर निधि आधारित बकाया राशि
बकाया राशि		
कोयला	42.68	7,226.85
खदान	2,587.17	0.00
लोह एवं इस्पात	14,384.86	4,75.03
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	3,434.88	1,099.24
सभी इंजीनियरिंग	2,287.68	1,418.26
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	666.13	4,40.44
विद्युत	16,008.65	5,558.81
सूती वस्त्र उद्योग	4,389.48	4,37.87

उद्योग का नाम	निधि आधारित बकाया राशि	गैर निधि आधारित बकाया राशि
जूट वस्त्र उद्योग	108.46	1,26.37
अन्य वस्त्र उद्योग	5,260.53	9,03.46
चीनी	2,923.55	1,10.33
चाय	58.59	1.17
खाद्य प्रसंस्करण	9,925.15	2,775.63
वनस्पति तेल एवं वनस्पति	1,270.63	2,457.49
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	850.04	67.89
पेपर एवं पेपर उत्पाद	1,356.94	1,24.16
रबर एवं रबर उत्पाद	2,609.64	2,296.42
केमिकल, डाई, पेंट्स आदि	6,186.12	1,742.26
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	1,525.98	1,38.46
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	1,393.42	5,91.55
जिसमें से ड्रग्ज और फार्मास्युटिकल्स	1,897.68	4,52.73
सीमेंट	1,495.86	70.09
चर्म एवं चर्म उत्पाद	502.22	56.71
रत्न एवं आभूषण	8,714.80	1,020.16
निर्माण	2,466.16	1,543.81
पेट्रोलियम	3,857.31	3,305.03
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	1,962.34	1,459.02
आधारभूत संरचना	42,004.72	10,400.97
जिसमें से पॉवर	16,008.65	5,564.71
जिसमें से दूरसंचार	1,131.84	30.97
जिसमें से रास्ते और पत्तन	9,571.54	2,659.62
अन्य उद्योग	25,591.42	23,598.28
शेष अन्य अग्रिम(सकल अग्रिमों सहित तुलन के लिए)	2,38,159.16	31,076.14
कुल	**3,78,177.63**	**91,223.64**

* संरचनात्मक क्षेत्र का ऋण-जोखिम 11.11% है जो कुल निधि आधारित अग्रिमो का 5% से ज्यादा है।

* संरचनात्मक का बिजली (पावर) 6.09% है जो कुल गैर निधि आधारित बकाया का 5% से ज्यादा है।

डी. आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता पैटर्न	अग्रिम*	निवेश(सकल)	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ *
अगले दिन	30,279.73	291.99	3,540.08
2 -7 दिन	8,153.18	42.25	7,687.08
8 - 14 दिन	3,834.74	382.59	2,315.42
15 - 28 दिन	11,610.23	2,151.76	8,154.87
29 दिन - 3 माह	84,450.52	4,768.58	29,649.54
> 3 माह - 6 माह	41,136.25	2,318.48	18,474.87
> 6 माह - 1 वर्ष	32,592.14	1,723.62	16,983.88
> 1 वर्ष - 3 वर्ष	46,935.45	13,539.95	21,849.46
> 3 वर्ष - 5 वर्ष	3,76,66.97	22,102.42	8,395.58
> 5 वर्ष	76,016.76	67,019.35	11,692.36
कुल...	3,72,675.97	1,14,341.00	1,28,743.14

* आँकड़े निवल आधार पर दर्शाए गए हैं।

घ. **सकल एनपीए इस प्रकार हैं**

प्रवर्ग	(₹ करोड़ में)
अवमानक	6,842.84
संदिग्ध-1	2,907.89
संदिग्ध 2	1,128.53
संदिग्ध 3	286.45
हानि	717.90
कुल...	11,883.61

न. **निवल एनपीए की राशि रू 7,425.19 करोड़ है।**

ड़. **एनपीए अनुपात निम्नानुसार है :**

- सकल अग्रिमों पर सकल एनपीए : 3.14%
- निवल अग्रिमों पर निवल एनपीए : 1.99%

च. सकल एनपीए का उतार चढ़ाव निम्नप्रकार है :

(₹ करोड़ में)

i)	वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	8,777.77
ii)	वर्ष के दौरान किया गया परिवर्धन	8,837.98
iii)	वर्ष के दौरान की गई कटौती	5,732.14
iv)	वर्षान्त मे इतिशेष (i+ii-iii)	11,883.61

छ. एनपीए हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

i)	वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष (फ्लोटिंग प्रावधान को छोड़कर)	1,963.92
ii)	वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	4,532.95
iii)	अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	2,925.53
iv)	वर्षान्त मे इतिशेष (i+ii-iii)	3,571.27

ज. अनर्जक आस्ति निवेश की राशि ₹ 810.21 करोड़ है।

झ. अनर्जक आस्ति निवेश हेतु किए गए प्रावधान की राशि ₹ 547.93 करोड़ है।

ञ. निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्न प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

i)	वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	980.10
ii)	वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	72.55
iii)	अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	42.65
iv)	वर्षान्त में इतिशेष (i+ii-iii)	1,095.30

तालिका डीएफ–4

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभागों के लिए

किसी भी परिवर्तन हेतु कारणों सहित, उपयोग की गई ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों का नाम

- ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गया है; एवं
- बैंकिंग बही में लोक निर्गम श्रेणी निर्धारण का तुलनीय आस्तियों में अंतरण हेतु प्रयुक्त की गई

प्रक्रिया का वर्णन

ए: बैंक ऑफ इंडिया

1 बैंक ने सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए निम्नलिखित ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों की सामान्य श्रेणी निर्धारण के उपयोग किए जाने हेतु अनुमोदन किया है। स्वदेशी दावों के लिए सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स, ब्रीकवर्क, एसएमईआरए एवं सीएआर तथा अनिवासी कार्पोरेट्स, विदेशी बैंको एवं विदेशी प्रभुसत्ता पर दावों के लिए एस एंड पी, फिच एवं मूडी। एसएमई श्रेणी निर्धारण का उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

2 इन सभी एजन्सियों के श्रेणी निर्धारण का उपयोग, बासेल–II के अंतर्गत सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोणान्तर्गत, श्रेणीकरण के अधीन समस्त ऋण जोखिमों के जोखिम भार प्रयोजनार्थ किया जा रहा है।

बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम श्रेणी निर्धारण अंतरण हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया आरबीआई की नियामक आवश्यकताओं के अनुसार है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई लोक श्रेणी निर्धारण इस प्रयोजनार्थ उपयोग की गई है। श्रेणी निर्धारण जो केवल संबद्ध श्रेणी निर्धारण एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार प्रभावी है एवं पूर्व 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार पुनरीक्षित की गई है, का उपयोग किया जाता है। विशेष दूसरे पक्ष पर समस्त ऋण जोखिमों के लिए बैंक द्वारा श्रेणी निर्धारण के लिए केवल एक ही एजेन्सी का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि इस अपवाद सहित कि जहाँ केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा ऋण जोखिमों का एक से अधिक बार श्रेणी निर्धारण किया जाता है।

3 जोखिम भार प्रयोजनार्थ पात्रता के लिए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि, बाह्य ऋण निर्धारण पर विचार किया जाता है एवं बैंक द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण ऋण राशि के संबंध में ऋण जोखिम को प्रतिबिंबित करें। एक ही पार्टी के दूसरे पक्ष को किसी अन्य ऋण जोखिम के लिए विशिष्ट श्रेणी निर्धारण एक निर्गमकर्ता या निर्गम को विस्तारित करते समय, यह ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि के लिए विस्तारित की जाती है, अर्थात दोनों मूल राशि एवं ब्याज हेतु। एक कार्पोरेट समूह के अंतर्गत एक कंपनी के बाह्य निर्धारण का उपयोग जोखिम भार हेतु उसी समूह की अन्य कंपनियों के लिए नहीं होता है।

4 उन आस्तियों के लिए जिनकी संविदागत **परिपक्वता एक वर्ष से कम या एक वर्ष के बराबर होती है, लघु अवधि श्रेणी निर्धारण** का उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण प्रयुक्त की जाती है। नकद उधार ऋण जोखिम के लिए दीर्घ अवधि ऋण जोखिम ली जाती है।

5 जहाँ एक जारीकर्ता की बाह्य दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण सहित दीर्घावधि ऋण जोखिम है जो 150% का ऋण जोखिम समर्थन करता है, तथा उसी काउन्टरपार्टी के सभी अमूल्यांकित दावे चाहे वह अल्पावधि की हो अथवा दीर्घावधि की हो, वह 150% ऋण जोखिम वहन करती है, सिवाय उसके जहाँ ऋण जोखिम घटाव तकनीक इन दावों के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्पावधि श्रेणी निर्धारण के मामले में भी एक समान होगा।

6 दीर्घावधि जोखिमों हेतु मानक अभिगम के अंतर्गत ऋण जोखिमों का सीधा आकलन अनुमोदित

मूल्यांकन एजेन्सियों द्वारा समनुदेशित किया जाता है। इसके विपरीत, प्रतिपक्ष का अमूल्यांकित अल्पावधि दावा उसके प्रतिपक्ष के मूल्यांकित अल्पावधि दावो पर लागू **ऋण जोखिम से कम से कम एक स्तर ज्यादा** ऋण जोखिम वहन करता है। बैंकों तथा निगमों के विरुद्ध मूल्यांकित सुविधा से उत्पन्न दावों हेतु ऋण जोखिम निर्गम विशेष अल्पावधि मूल्यांकन जनित है जो अमूल्यांकित दीर्घावधि दावों हेतु जोखिम ऋण का समर्थन नहीं करता है।

7 यदि योग्य ऋण क्रम निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो निर्धारण दिए जाते है जो विभिन्न ऋण जोखिम दर्शा रहा है तो वहाँ उच्च ऋण जोखिम लागू होगा। यदि योग्य ऋण क्रम निर्धारण ऋण एजेंसियों द्वारा तीन या उससे अधिक मूल्यांकन विभिन्न ऋण जोखिम दर्शा रहे हैं तब दो न्यूनतम ऋण जोखिम का परवर्ती मूल्यांकन संदर्भित किया जाता है तथा उन दोनों ऋण जोखिमों में से उच्च ऋण जोखिम लागू होता है यथा द्वितीय न्यूनतम जोखिम ऋण.

8 निवेश दावे का आर डब्ल्यू चयनित ऋण निर्धारण एजेन्सी द्वारा विशिष्ट श्रेणी निर्धारण पर आधारित होता है, जहाँ एक विशिष्ट निर्धारित निर्गम में दावा एक निवेश नहीं होता है:

i) विशिष्ट उधार (जहाँ जोखिम भार में श्रेणी निर्धारण का आकलन, जो गैर दर आधारित दावे पर लागू से कम हो) पर लागू श्रेणी निर्धारण बैंक के केवल अनिर्धारित दावे पर लागू होती है। यदि यह दावा समरूप श्रेणी अथवा सभी दृष्टि से विशेष दर आधारित उधार से वरीय हो एवं जहाँ दर आधारित दावा लघु अवधि दायित्व होता है, को छोड़कर अनिर्धारित दावे की परिपक्वता, दर आधारित दावे की परिपक्वता के बाद न आती हो।

ii) यदि निर्गमकर्ता अथवा एकल निर्गम की श्रेणी निर्धारित की गई हो, जो गैर निर्धारित दावों पर लागू की जाती है, के जोखिम भार के या बराबर हो अथवा उच्चतर हो, वही दूसरे पक्ष पर गैर दर आधारित दावे, वही जोखिम भार का निर्धारण किया जाता है, जैसा कि दर आधारित ऋण जोखिम में लागू होता है, यदि सभी दृष्टि से यह दावा दर आधारित ऋण जोखिम से समरूप या कनिष्ठ श्रेणी का हो।

बी: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रत्येक संविभाग के ऋण जोखिम आरडब्लूए का परिकलन हेतु क्रेडिट निर्धारण एजेन्सी का उपयोग केवल सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों और बैंक के प्राव्य पर लागू होती है।

- क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी का नाम पेफिन्डोफ्फ़ और फिच्च रेटिंग है।
- प्रत्येक संविभाग के लिए जोखिम का प्रभार निम्नलिखित है:

कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)

	(31 मार्च 2014)
अन्य बैंकों में मांगीजमा राशि	24.33
जास मार्ग जे बोआरआर बॉन्ड्स (सार्वजनिक क्षेत्र बान्ड्स	0.23
अन्य बैंक के बान्ड्स	14.94

सी : बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि. (अनुषंगी) तथा बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि–(अनुषंगी) तथा बीओआई (बोत्स्वाना) लि.

देश में मौजूदा मानदंडो के अनुसार कोई भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है। देश में कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी परिचालन कार्यरत नहीं है।

डी : बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी)

आवश्यक्तानुसार तिमाही के आधार पर सामान्य प्रकटीकरण विवरणी द्वारा ऋण जोखिम का प्रकटीकरण किया गया।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

ख) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के कम होने के पश्चात ऋण जोखिम की राशि के लिए बैंक की बकाया राशि (दर आधारित एवं गैर दर आधारित) निम्नलिखित तीन बृहत जोखिम क्षेत्रों एवं जिनकी कटौती की जाती है उन क्षेत्रों; का मात्रात्मक प्रकटीकरण किया जाता है। बैंक का (मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन) बीओआई सोलो का कुल ऋण (बाजार से संबद्ध तुलन पत्र मदों को छोड़कर) जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत प्रमुख जोखिम क्षेत्र निम्नानुसार है:–	
• 100% जोखिम भार से कम	₹.410,140 करोड़
• 100% जोखिम भार	₹ 188,349 करोड़
• 100% से अधिक जोखिम भार	₹ 42,910 करोड़
• कटौती	शून्य

तालिका डीएफ–5

ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकताओं में यह शामिल है:

क) ऑन–एण्ड–ऑफ बैलेंस शीट जाल का उपयोग बैंक नितियों और प्रक्रियाओं के लिए किस हद तक करता है , एक संकेत है ।

- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं;
- बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के प्रमुख प्रकारों का विवरण;
- गारंटी कर्ता काउंटर पार्टी के प्रमुख प्रकार और उनकी ऋण पात्रता; एवं
- लिए गए न्यूनीकरण के भीतर (बाजार अथवा ऋण) जोखिम केंद्रीकरण के बारे में सूचना

क: बैंक ऑफ़ इंडिया

1. ऋण जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन का एक अनुकूल साधन है, जो अच्छे एवं बुरे दोनों समय में राजस्व हानि से कंपनी का रक्षण करता है। बैंक उसके दैनिक परिचालनों में आने वाले ऋण जोखिम के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न पद्धति और तकनीक अपनाता है। ऐसी प्रक्रिया को ऋण जोखिम न्यूनीकरण का नाम दिया गया है और ऋण जोखिम न्यूनीकरण के कुछ तकनीक को पर्यवेक्षकों द्वारा मूल्य, मुद्रा असंतुलन और परिपक्वता असंतुलन के लिए समायोजन के पश्चात पूंजी प्रभार कटौती करने हेतु उपयोग करने की अनुमति दी गई हैं। नयी पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल ।।) के अंतर्गत पहचाने गए विभिन्न ऋण जोखिम प्रशामक (सीआरएम) निम्नानुसार है:

(1) संपार्श्विकृत संव्यवहार

(2) ऑन – बैलन्स शीट नेटिंग

(3) गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक

मानक अभिगम के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम प्रशामक के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। निम्नलिखित वित्तीय संपार्श्विक को स्वीकार किया गया है:

i. नकदी एवं जमाराशियाँ विदेशी मुद्रा की जमाराशियों सहित
ii. स्वर्ण : 99.99% शुद्धता वाले बेंचमार्क सहित
iii. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
iv. किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
v. जीवन बीमा पॉलिसियाँ
vi. ऋण प्रतिभूतियाँ– श्रेणीकृत शर्तों के अध्यधीन
vii. ऋण प्रतिभूतियाँ–गैर श्रेणीकृत, बैंकों द्वारा जारी, शर्तों के अध्यधीन
viii. म्यूचुअल फंडों की यूनिट शर्तों के अध्यधीन

संपार्श्विक संव्यवहारों के लिए पूंजी सहायता उपलब्ध करने हेतु कतिपय अतिरिक्त मानदंड हैं, जिनका संपार्श्विक के प्रबंधन पर प्रत्यक्ष वहन है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इस पहलू का ध्यान रखा जाता है।

3. तुलन पत्र नेटिंग पर

ऑन बैलेंस शीट नेटिंग को ऋणों/अग्रिमों (एक्सपोजर के रूप में माने गए) और जमाराशियों (संपार्श्विक के रूप में) तक सीमित रखा जाए, जहाँ पर दस्तावेजो के सबूतों के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार सहित बैंक का कानूनी प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है और जिसका नेट आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियाँ

जहाँ प्रत्यक्ष, निर्धारित, अविकल्पी और बिना शर्त गारंटियाँ हो, बैंक पूँजी आवश्यकताओं की गणना करने हेतु ऐसे ऋण संरक्षण को मान सकता है। पात्र गारंटीदाताओं/काउंटर गारंटीदाताओं की श्रेणी में ये शामिल हैं:

i. शासक, शासकीय संस्था (बीआईएस, आइएमएफ, यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के

साथ–साथ कतिपय विनिर्दिष्ट एमडीबी, ईसीजीसी और सीजीटीएमएसई), बैंक और काउंटर पार्टी से अन्य निम्न जोखिम भार सहित प्राथमिक व्यापारी;

ii. एए अथवा उससे बेहतर श्रेणी की अन्य संस्थाएं

5. बैंक की सुपरिभाषित संपार्श्विक प्रबंधन नीति है जो संपार्श्विक के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यह उधार में अंतर्निहित ऋण जोखिम के न्यूनीकरण का प्रमुख घटक है। बैंक मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। मूर्त प्रतिभूतियाँ या तो भौतिक स्वरूप की होती है अथवा अन्य सामग्री प्रारूप में जैसे कि नकद मार्जिन, बैंक के पास जमाराशियाँ, स्वर्ण अथवा अन्य मूल्यवान धातु, शेयर्स, एनएससी/केवीपी/जीवन बीमा पॉलिसियाँ। अमूर्त प्रतिभूतियाँ हैं

बैंक गारंटियाँ/साख पत्र, बही ऋण, आश्वासन पत्र, नकारात्मक पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र, अपंजीकृत प्रभार इत्यादि। उधार दिए गए धन हेतु प्रतिभूति प्राप्त करने के सामान्य तरीके हैं – बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक और पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र। बैंक ऋण एक्सपोजर से सृजित की गई संपत्ति पर प्रथम प्रभार/अथवा समरूप आधार पर सामान्य नियम के अनुसार बैंक का प्रभार दर्ज किया जाए।

सामान्यत जब भी लागू हो/अनुमत होने पर गारंटी का आग्रह किया जाए

गारंटीकर्त्ता के प्रमुख प्रकार हैं:-

i) केंद्र/राज्य सरकार और डीआईसीजीसी, सीजीटीएमएसई और ईसीजीसी जैसी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एजेन्सियाँ

ii) कारपोरेट्स के प्रोमोटर/प्रमुख स्वामी

iii) व्यक्तियों के मामले में रिश्तेदारों की व्यक्तिगत गारंटी

6. संपार्श्विक प्रबंधन के विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं

संपार्श्विक को स्वीकार करने हेतु न्यूनतम शर्तें: संपार्श्विक को वैध और प्रवर्तनीय बनाने के लिए बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के रूप में स्वीकार की गई आस्तियाँ बिक्री योग्य, कानूनी प्रवर्तनीय और आवश्यकता पड़ने पर उसको नियंत्रण में लिये जा सकने योग्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आस्ति का बाजार मूल्य सहज निर्धारण योग्य हो अथवा उसे उचित रूप से स्थापित और सत्यापित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य से संपार्श्विक के रूप में स्वीकार्य आस्तियों के प्रकार और प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली इन प्रत्येक आस्तियों के मूल्य अनुपात के अधिकतम ऋण की सूची बैंक के पास है। संपार्श्विक लेते समय बैंक सांविधिक बाध्यताओं का भी ध्यान रखता है।

क) संपार्श्विक की वैधता

i) प्रवर्तनीयता;

बैंक सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के समर्थन में ऋण दस्तावेजीकरण सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हो और उधारकर्ता की बाध्यताओं को विमुक्ति हेतु निर्बाध रूप से संपार्श्विक को लागू करने हेतु बैंक को अधिकार देता हो।

ii) हक और स्वामित्व;

बैंक हमेशा संपार्श्विक के रूप में आस्ति का स्वीकार करने से पूर्व उसके अस्तित्व तथा स्वामित्व का सत्यापन करता है और सुनिश्चित करता है कि किसी अन्य पक्ष का कथित संपार्श्विक पर कोई पूर्व दावा नहीं है। ऋण सुविधा के ड्रॉ डाउन से पूर्व ही बैंक संपार्श्विक के नियंत्रण को सुरक्षित करता है। ऋण जोखिम के प्रबंधन के सरलीकरण के लिए शीर्ष प्रबंधन को संपार्श्विक पर सूचना आवधिक रूप से दी जाती है। संपार्श्विक पर प्रभार तत्परता से, जहाँ भी लागू है, संबंधित प्राधिकारियों के पास पंजीकृत किए जाते हैं।

ख) मूल्य अनुपात से ऋण;

बैंक ने प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार की जाने वाली प्रमुख आस्तियों के लिए मूल्य अनुपात (मार्जिन) से अधिकतम ऋण निर्धारित किया है। ऐसे अनुपात आस्ति की संबंधित जोखिम के आनुपातिक होते हैं और संपार्श्विक की वसूली के समय होनेवाली संभाव्य हानि के विरूद्ध पर्याप्त प्रतिरोध प्रदान करते हैं।

ग) मूल्यांकन;

बैंक के एक्सपोजर हेतु स्वीकार की गई संपत्ति मूल्यांकन के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है जिसमें मूल्यांकन का आधार, मूल्यांकक की अर्हता और पूनर्मूल्यांकन की बारंबारता बैंक में अनुपालन हेतु निर्धारित की गई है।

घ) संपार्श्विक को सुरक्षित रखना तथा उसमें पहुँच का नियंत्रण;

संपार्श्विक के स्वीकारने, निगरानी अथवा सुरक्षित अभिरक्षा के अनुमोदन का प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधित व्यक्तियों और विभागों को दिया गया है।

ङ) संपार्श्विक का प्रतिस्थापन/अतिरिक्त संपार्श्विक :

अतिरिक्त संपार्श्विक के अनुरोध की कार्यविधि का स्पष्ट दस्तावेजीकरण किया गया है।

च) बीमा;

सभी पात्र संपार्श्विक, जिन्हे विशेष रूप से छूट दी गई है उन्हें छोड़कर, संबंधित जोखिम हेतु बीमा द्वारा संरक्षित हैं और इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

छ) संपार्श्विक की बिक्री;

संपार्श्विक के समय पर परिसमापन के लिए बैंक की सुस्पष्ट और सख्त कार्यविधि है।

ख: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

संपार्श्विक मूल्यांकन हेतु पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके की नीति एवं कार्य विधि है जो बैंक ऑफ़ इंडोनेशिया विनियमन और बंधक ऋण हेतु राष्ट्रीय विवेक पर आधारित है। यदि संपार्श्विक का मूल्य रु.2.79 करोड़ से अधिक है तो संपार्शिक का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है। संपार्श्विक के स्वरूप पर आधारित परिसमापन मूल्य की गणना की जाती है। संपार्श्विक मूल्य की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। भूमि एवं भवन के रूप में प्रमुख रूप से संपार्श्विक स्वीकार किया जाता है। सामान्यता व्यक्तिगत एवं अन्य पक्ष गारंटी नहीं ली जाती। केंद्रीकरण हेतु उधार देने की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित की जाती है। बैंक को संपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम शामकों की प्रमुख जोखिम की चिंता नहीं है।

ग: बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि. (अनुषंगी)

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों; अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिप्रबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है। नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति			सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1)	संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो		
	क)	उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% (पूर्णतः प्रतिभूत)	25%
	ख)	संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	10%
	ग)	अप्रतिभूत	5%

ग. बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा)लि. (अनुषंगी)

गुणात्मक प्रगटन

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों; अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिप्रबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है। नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति			सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1)	संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो		
	क)	उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% (पूर्णतः प्रतिभूत)	25%
	ख)	संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	10%
	ग)	अप्रतिभूत	5%

ड़. बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों, अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है। नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उदारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार हैं:-

संपार्श्विक स्थिति			सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1)	संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो		
	क)	उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% (पूर्णतः प्रतिभूत)	अक्षत पूंजी का 30%
	ख)	संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	अक्षत पूंजी का 30%
	ग)	अप्रतिभूत	अक्षत पूंजी का 30%

मात्रात्मक प्रकटन :

(ख)	मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रकट ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम निम्नलिखित द्वारा सुरक्षित है। पात्र वित्तीय संपार्श्विक; मार्जिन (हेयर कट) लागू करने के बाद। बीओआई सोलो	₹ 41,618 करोड़
(ग)	मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रकट ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम निम्नलिखित द्वारा सुरक्षित है। गारंटी/क्रेडिट व्युत्पन्न (जब कभी आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है।) बीओआई सोलो	₹ 15,752 करोड़

तालिका डीएफ-6

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

क: बैंक ऑफ़ इंडिया यथा दिनांक 31.03.2014 बैंक का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं था।

बी : पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

क). प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता, जिसमें निम्नानुसार चर्चा शामिल है :

i. प्रतिभूतिकरण गतिविधि के संपर्क में बैंक का उद्देश्य, इसमें उस हद तक गतिविधियां शामिल है जिसके द्वारा बैंक से दूर अन्य इकाई में अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर का क्रेडिट जोखिम अंतरित होता है;

ii. प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक की भूमिका और प्रत्येक में बैंक की भागीदारी के हद के संकेत शामिल है; और

iii. प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के लिए बैंक द्वारा पालन किया जा रहा विनियामक पूंजी दृष्टिकोण

ख). प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के लिए बैंक की लेखांकन नीतियों का सार, जिसमें शामिल है :

i. बिक्री पर मुनाफे की पहचान; और

ii. प्रतिधारण ब्याज के मूल्यांकन के लिए मुख्य अनुमान, जिसमें अंतिम रिपोर्टिंग अवधि से मुख्य परिवर्तन और ऐसे परिवर्तन का प्रभाव भी शामिल;

ग). प्रतिभूतिकरणों के लिए उपयोग किए गए ईसीएआई के नाम और उपयोग किए गए प्रत्येक एजेन्सी के लिए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के प्रकार।

घ). बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत कुल बकाया एक्सपोजर और एक्सपोजर प्रकार द्वारा प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन

ड). बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर और प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन के लिए :

i. प्रतिभूतिकृत अनर्जक/गतदेय आस्ति की राशि; और

ii. एक्सपोजर प्रकार द्वारा खंडित चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा चिह्नित हानि।

च. एक्सपोजर प्रकार द्वारा खंडित रखे गए अथवा खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल रकम

छ. रखे गए अथवा खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल रकम जो अर्थपूर्ण संख्यक जोखिम भारिता बैंड में खंडित किए गए है। एक्सपोजर जिसे टियर-I से पूर्णत: घटाया गया है, कुल पूंजी से क्रेडिट बढ़ाने का आई/ओ घटाया गया है और कुल पूंजी से घटाये गए अन्य एक्सपोजर का अंतर्निहित एक्सपोजर प्रकार द्वारा पृथक रूप से प्रकटन किया जाए।

ज. तुलन पत्र के लेखा टिप्पणी के हिस्से के रूप में प्रतिभूतिकरण गतिविधि की दो वर्षों की तुलनात्मक स्थिति का सार दिया जाए :

i. प्रतिभूतिकृत ऋण आस्तियों की कुल संख्या और बही मूल्य-अंतर्निहित आस्तियों के प्रकार द्वारा;

ii. प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री राशि और प्रतिभूतिकरण के खाते की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानि; और

iii. क्रेडिट वृद्धि, चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरण के पश्चात आस्ति सर्विसिंग इत्यादि द्वारा दिए गए सेवा का प्रकार और मात्रा (बकाया मूल्य)

सी : बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. तथा बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.(सहायक कंपनियां)

लागू नहीं

मात्रात्मक प्रकटन

ए : बैंक ऑफ़ इंडिया लागू नहीं

बी : पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

शून्य

सी : बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी), बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (बोटस्वाना) लि.

लागू नहीं

तालिका डीएफ-7

बाजार जोखिम

लेन-देन बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटन :

(क) मानक दृष्टिकोण में शामिल पोर्टफोलियों को शामिल करते हुए बाजार जोखिम हेतु सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता

ए: बैंक ऑफ़ इंडिया

लेन-देन बही में बैंक निवेशों के लेन-देन हेतु धारित (एचएफटी) एवं बिक्री हेतु

उपलब्ध (एएफएस) पोर्टफोलियों को धारित करता है। शेष आस्तियों- अर्थात परिपक्वता हेतु धारित पोर्टफोलियों और अग्रिमों के अंतर्गत निवेशों को बैंकिंग बही के रूप में माना जाता है। नीचे बाजार जोखिम प्रबंधन प्रयोजन एवं नीतियों का संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है।

(i) कार्यनीतियाँ एवं प्रक्रियाएं :

बाजार जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम एवं इक्विटी कीमत जोखिम की निगरानी की जाती है। बैंक वर्तमान में जिन्स (कमाडिटी) में लेन-देन नहीं कर रहा है।

तरलता जोखिम

तरलता जोखिम की निगरानी के लिए गैप विश्लेषण का पाक्षिक आधार पर अनुपालन किया जाता है। संयमी गैप से संचयी आउटफ्लो का प्रतिशत निकालने के लिए प्रूडेंसियल सीमा का उपयोग किया जाता है- 28 दिनों तक के अल्पावधि बकेट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अध्यधीन निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रूडेंसियल सीमाएं बाजार उधार दैनिक एवं औसत कॉल उधार, आंतर बैंक देयताएं, खरीदी गयी नीधियां आदि के लिए काम करती।

ऊँचे मूल्य की एकमुश्त जमाराशियों की निगरानी साप्ताहिक आधार पर की जाती है। अल्पावधि डायनामिक तरलता विवरणी तरलता स्थिति का आकलन करने के लिए पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है जो व्यवसाय वृद्धि को ध्यान में रखकर चलती है। एक आकस्मिक निधि योजना तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गयी है। योजना का तिमाही आधार पर परीक्षण किया जाता है। बैंक को संभावित नुकसान का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर स्ट्रेस परीक्षण भी किया जाता है। यह ऐसी स्थिति में जब कोई तरलता संबंधी तकलीफ हो और यदि निधियां आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से उठाई जानी हों।

ब्याज दर जोखिम

पिछले 12 माह के दौरान एवं अगले वित्तीय वर्ष तक बैंक की निवल ब्याज आय पर प्रभाव का आकलन करने के लिए गेप विश्लेषण उपयोग में लिया जाता है। बैंक अवधि गेप विश्लेषण को भी उपयोग में लेता है। देयताओं की अवधि के लिए प्रूडेंसियल सीमाएं नियत की गयी हैं। बैंक के निवेश पोर्टफोलियों की अवधि आधार पर निगरानी की जाती है।

एसएलआर एवं गैर एसएलआर (देशीय) प्रूडेंसियल सीमाओं के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूति के लिए वीएआर पद्धति अपनायी जाती है। वीएआर के लिए प्रूडेंसियल सीमा यह नियत की गयी है एवं दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है एवं उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट की जा रही है। दिनांकित प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश सामान्यतया हैज किए जाते हैं एवं ब्याज दर जोखिम निम्नतम है। विदेशी मुद्रा विनिमय में भी वीएआर सीमा नीयत की गई है।

स्ट्रेस टेस्टिंग में इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का आकलन 200 बेसेस पाईंट द्वारा बाजार दर में परिवर्तन का सॉक लगाकर किया जाता है।

विदेशी विनिमय जोखिम

बैंक ने यूएसडी के साथ अन्य मुद्राओंमें एग्रीगेट गैप लिमिट नियत की है । बैंक के विभिन्न मुद्राओं में विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए अधिकतम डेलाइट एवं ओवरनाइट एक्सपोजर नियत किया है। हमने अवधि वार इंडिविजुअल करेंसी वाइस गैप लिमिट भी नियत कयिा है इसके अलावा, नुकसान रोक सीमा, लाभ सीमा लेना एवं एकल व्यवहार सीमाएं डीलरों के फोरेक्स परिचालनों पर निगरानी रखने के लिए बनायी गयी हैं।

नेट ओपन पोजीशन हेतु प्रूडेंसियल सीमा नियत करके डेरिवेटिव संव्यवहार की निगरानी की जाती है और बकाया डेरिवेटिव पर पीवी 01 का केप रखा जाता है।

इक्विटी कीमत जोखिम

बैंक की स्वदेशी निवेश नीति के इक्विटी डीलरों के लिए नुकसान रोक सीमाएं नियत की हैं। कोषागार, अधिकतम निवेश सीमा ईक्विटी संविभाग (ट्रेडिंग) के लिए धारण अवधि की दैनिक सीमा उच्चतम प्रबंधन को दैनिक आधार पर संव्यवहारों एवं लाभ की रिपोर्टिंग की जाती है।

(ii) बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का ढ़ाँचा एवं संगठनः

जोखिम प्रबंधन बोर्ड संचालित कार्य है जिसे तीन स्तरों पर सपोर्ट किया जाता है: देखभाल करने एवं निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, जहाँ कहीं आवश्यक हो/जोखिम प्रबंधन नीतियां आदि अनुमोदित करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) जो नीति विषयों पर विचार करती है एवं एएलएम कक्ष के साथ जमीनी स्तर पर सपोर्ट प्रदान करती है। आस्ति देयता प्रबंधन समितियां विदेशी केन्द्रों में भी परिचालन में हैं।

(iii) जोखिम रिपोर्टिंग का स्कोप एवं प्रकृति और/अथवा मापांकन प्रणाली

स्वदेशी कारोबार के संबंध में बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है - जैसे कि मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाना-दैनिक आधार पर लेन-देन बही में निवेशों का अवधि विश्लेषण-दैनिक आधार पर वीएआर लेन-देन बही निवेश ईक्विटी पोर्टफोलियों को छोड़कर-तिमाही आधार पर तरलता जोखिम/बाजार जोखिम के लिए स्ट्रेस परीक्षण करना, स्वदेशी तुलन पत्र का अवधि विश्लेषण और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर तिमाही आधार पर प्रभाव पर समीक्षा की जाती है और एएलसीओ द्वारा कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।एएलसीओं द्वारा मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की संवेदना की जाती है।

बाजार उधार लेन-देन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानर्देशों के अनुरूप तरलता जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न प्रूडेंसिएल उपाय किए गए हैं। मासिक आधार पर ढांचागत तरलता विवरणी तैयार की जाती है और पाक्षिक आधार पर अल्पावधि डायनमिक तरलता विवरणी तैयार की जाती है और उच्च प्रबंधन एएलसीओं को रिपोर्ट की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों की ढांचागत तरलता कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर की जा रही है।

स्ट्रेस परीक्षण एवं इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का परिणाम एएलसीओ को रिपोर्ट किया जाता है। लेन-देन बही स्थिति अवधि एवं वीएआर दैनिक आधार पर उच्चतम प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है।

(iv) हैजिंग/अथवा जोखिम कम करने के लिए नीतियां :

आस्ति देयता प्रबंधन एवं बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित विस्तृत नीतियों का कार्यान्वयन हो रहा है जो बाजार जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न रणनीतियों एवं प्रक्रियाओं पर विस्तार से प्रकाश डालती है।

बी: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

वाणिज्यिक बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता से संबंधित बैंक इंडोनेशिया के विनियमन संख्या 14/18 पीबीआई/2012 दिनांक 28 नवंबर 2012 के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के परिकलन हेतु बाज़ार जोखिम के मापन के लिए अनिवार्य श्रेणी में बैंक शामिल नहीं है। यह इसलिए है कि बैंक विदेशी विनिमय बैंक है जिसके ट्रेडिंग बुक में प्रतिभूतियों और अथ्वा डेरिविटिव संव्यवहार के रूप में वित्तीय लिखत आईडीआर 20 बिलियन (यूएसडी 1.7 मिलियन अनुमानित) से कम की रकम है।

सी: बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी) बीओआई (न्यूजीलैंड लि. (अनुषंगी), बीओआई (युगांडा) लि. और बीओआई (बोत्स्वाना) लि.

क) बाज़ार जोखिम के सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें मानकीकृत दृष्टिकोण के संविधान भी शामिल है।

i. बाजार जोखिमः ब्याज दर, मुद्रा तथा इक्विटी उत्पाद में खुली स्थिति से बाजार जोखिम उत्पन्न होती है। बोर्ड सीमा निर्धारित करता है तथा जो स्वीकार की जा सकती है, नियमित अंतराल पर उसकी समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त दैनिक आधार पर एक्सपोजर की निगरानी की जाती है।

ii. तरलता जोखिमः ओवरनाइट जमा से नकदी संसाधन, चालू खाते, परिपक्व जमाराशियां, ऋण आहरण और गारंटियों से उपलब्ध नकद स्त्रोतों से दैनिक मांग के लिए तथा मार्जिन और अन्य नकद समझौतों पर मांग से बैंक को नकद आरक्षित रखना पडता है। ऐसे मांग की पूर्ति करने के लिए परिपक्व निधि के उपलब्ध अंश के आधार पर बोर्ड ने उनके अनुभव परसीमा निर्धारित की है और अंतर बैंक तथा अन्य उधार सुविधा के न्यूनतम स्तर पर जो मांग की अपेक्षित आहरण को कवर कर सके।

iii. ब्याज दर जोखिम- बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति तथा नकदी प्रवाह पर प्रचलित बाजार ब्याज दर में उतर चढाव के परिणाम के साथ जुड़ी विभिन्न जोखिमों को उठाना पड़ता है। बैंक को जमा राशि ऋण तथा बाजार प्रवृत्ति के परिवर्तन के अनुरूप दरों को परिवर्तित करने का विवेकाधिकार है। यह उपाय ब्याज दर जोखिम को बैंक एक्सपोजर न्यूनतम रखते है।

iv. मुद्रा जोखिम : बैंक को विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव की जोखिम उठानी पड़ती है। बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में केवल जितनी आवश्यक मुद्रा की खरीदी तथा बिक्री के आधार तक शामिल रहती है। बैंक विदेशी मुद्रा वायदा बाजार में शामिल नहीं होता है और इस प्रकार जोखिम सीमित हो जाती है।

मात्रात्मक प्रकटन

बी. निम्नलिखित के लिए पूंजी आवश्यकता

• ब्याजदर जोखिम	₹ 861.42 करोड़
• इक्विटी स्थिति जोखिम एवं	₹ 413.41 करोड़
• विदेशी विनिमय जोखिम	₹ 305.57 करोड़

तालिका डीएफ-8

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटन

- साधारण गुणात्मक प्रकटन अपेक्षा के अतिरिक्त जिसके लिए बैंक अर्हता प्राप्त है उस परिचालन जोखिम पूंजी निर्धारण हेतु बैंक का (के) प्रस्ताव।

ए: बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक जोखिम प्रबंधन की सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया अपनाता है। बैंक कारोबार की विभिन्न पद्धतियों के तहत समस्त आर्थिक उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के परिचालन जोखिम का सतत निर्धारण और अभिनिर्धारण करता है। समस्त नये उत्पाद, गतिविधियाँ और प्रणालियाँ पहले नया उत्पाद समूह और फिर परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (सीओआरएम) के माध्यम से कार्यान्वित होती है। सभी नीतियां बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर.काम) द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद ही बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है मुख्य जोखिम अधिकारी, आरकॉम के निदेशों को कार्यान्वित करते है और दिन-प्रतिदिन के परिचालन गत जोखिम प्रबंधन की देखभाल करते है।

जोखिम प्रबंधन विभाग, कारोबार परिचालन जोखिम प्रबंधकों (बीओआरएम) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधक विशेषज्ञ (ओआरएमएस) के नज़दीकी सहयोग से कार्य करता है। बीओआरएमतथा ओआरएमएस की समिति परिचालनगत ज़ोखिम प्रबंधन प्रभाग को आवधिक आधार पर जोखिम और नियंत्रण निर्धारण करना, हानि की रिपोर्टिंग करना तथा की रिस्क इंडिकेटर्स (केआरआई) में सहायता करता है।

अर्धवार्षिक आधार पर लॉस डेटा विश्लेषण के रूप में जोखिम रिपोर्टिंग की जाती है जिससे उच्च जोखिम प्रवणता वाले उत्पाद और कारोबार लाइन का निर्धारण किया जा सके और न्यूनीकरण उपाय अपनाए जा सके। शाखा स्तर के केआरआई को आंचलिक कार्यालय के जरिए और बैंक स्तर केके आरई को निरीक्षण और लेखा परीक्षा विभाग, प्रधान कार्यालय द्वारा वार्षिक आधार पर ट्रैक किया जाता है।

बैसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण द्वारा ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज की गणना की जाती है। वर्तमान में बैंक ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज के परिकलन के लिए उन्नत मापन के प्रयास अपना रहा है।

बी: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (सहायक कंपनी)

परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए, दैनिक परिचालनमें जोखिम के लिए प्रत्येक यूनिट जिम्मेदार है।

नितियों और कार्यविधियों नियंत्रण और रूटिन पर्यवेक्षण के संदर्भमें अपरिहार्य परिस्थितियों से बचने प्रणाली के लिए मानव संसाधन और अपने ग्राहक को जानिए सिद्धांत शामिल है।

परिचालन जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने संव्यवहार प्रोसेसिंग में नियंत्रण कार्य को बढ़ा दिया है जिसमें संव्यवहार के समय के अंदर पूरा करना, लागू मानकों के अनुवाद लेखांकन पद्धति का समायोजन,ठीक ढ़ग से रिकार्ड का अनुरक्षण, आस्ति तथा डेटा के लिए सुरक्षित ऐक्सेस क्रियान्वित करने हेतु कार्य विधि सुनिश्चित करना है। आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई का कार्य जो परिचालन गतिविधियों की नियमित जांच करती है। आवश्यक सुधार में मूल्य जोड़ रही है। बैंक परिचालन जोखिम के परिकलन के लिए बेसिक इंडिकेटर एप्रोच इन रिस्क वेटेड एसेट्स (एटीएमआर) का प्रयोग कर रही है।

सी: बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि. तथा बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. (अनुषंगी) और बीओआई (बोटस्वाना) लि.

परिचालनात्मक जोखिम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि का जोखिम है जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है जो बैंक की प्रक्रिया, कार्मिक, प्रौद्योगिकी और आधार संरचना से संबद्ध है और क्रेडिट, बाजार, तरलता जोखिम छोड़कर बाह्य कारक जैसे विधिक और विनियामक जरूरतों और कारपोरेट व्यवहार के आम स्वीकृत मानकों से उत्पन्न होते है। परिचालनात्मक जोखिम बैंक की सभी गतिविधियों से उत्पन्न होती है।

वित्तीय हानि एवं कुल लागत प्रभावशीलता सहित बैंक की प्रतिष्ठा धूमिल होने से बचाव को संतुलित करने और नियंत्रण कार्रवाई जो पहल एवं रचनात्मकता को प्रतिवंचित करती है, से बचाव के लिए परिचलनात्मक जोखिम का प्रबंध करना बैंक का उद्देश्य है।

परिचालनात्मक जोखिम का ध्यान रखने के लिए प्रबंधन विकास एवं कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रत्येक शाखा स्तर पर वरिष्ठ प्रबंधन हेतु निर्धारत किया गया है। परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु कुल मानकों के विकास

उत्तरदायित्व में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायक है :-

- संव्यवहार के स्वतंत्र प्राधिकार सहित कार्य के उचित पृथक्करण की आवश्यकता;
- संव्यवहार के समाधान एवं निगरानी की आवश्यकता;
- नियामक एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं सहित अनुपालन;
- नियंत्रण एवं प्रक्रिया का प्रलेखीकरण;
- महसूस किए गए परिचालनात्मक जोखिमों के निर्धारण की आवश्यकता तथा पहचान किए गए जोखिमों का ध्यान रखने के लिए नियंत्रण एवं प्रक्रिया की पर्याप्तता;
- परिचालनात्मक हानि की रिपोर्टिंग एवं प्रस्तावित निवारणात्मक कार्रवाई की आवश्यकता;
- आकस्मिकता योजना का विकास;
- प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास;
- नैतिक एवं कारोबार मानक;
- जोखिम कमी सहित बीमा, जहां यह प्रभावी है।

तालिका डीएफ 9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटन

(क) साधारण गुणात्मक प्रकटन अपेक्षा में आईआरआरबीबी और प्रमुख धारणाओं के ऋण भुगतान और अ-परिपक्व जमा का परिचालन संबंधी धारणाओं का स्वरूप तथा आईआरआरबीबी मापांकन की फ्रिक्वेंसी शामिल है।

ए: बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की आम तौर पर तिमाही आधार पर गणना की जाती है। बैंकिंग बही में परिपक्वता हेतु धारित (एचटीएम) संविभाग में धारण किए सभी अग्रिम और निवेश सम्मिलित है।

कार्यनीति और प्रणालियाँ/संरचना और संगठन/जोखिम रिपोर्टिंग संबंधी व्याप्ति और स्वरूप/नीतियों आदि वही है जो टेबल डीएफ-8 के तहत रिपोर्ट की गई है।

आईआरआरबीबी मेजरमेंट की प्रणाली और प्रमुख धारणाएँ निम्नानुसार है;

- अग्रिमों तथा जमा राशियों, जो बैंक का 100% कारोबार कवर करती है, की शेष परिपक्वता पर नेटवर्क की शाखाओं से प्राप्त मासिक सूचना के आधार पर विभिन्न समय बकेट के साथ ब्याज दर संवेदनशील और विभिन्न आस्तियों व देयताओं की शेष परिपक्वता को ध्यान में लेते हुए संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाता है।
- प्रत्येक आस्ति एवं देयता की अवधि, प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु को परिपक्वता दिनांक के रूप में एवं औसत प्राप्ति को कूपन के रूप में तथा भुनाई प्रयोजन के लिए बाजार दर को लेकर परिचालित की जाती है। निवेशों के लिए, वास्तविक अवधि ली जाती है, जैसा कि डाटा संपूर्ण ब्योरों सहित उपलब्ध रहता है। निवेशों के संबंध में इस प्रयोग के लिए एएफएस एवं एचएफटी संविभागों को अलग रखा जाता है, जैसा कि बैंकिंग बही में आई आर आर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- उक्त के उपयोग से, प्रत्येक बकेट के लिए देयताओं और आस्तियों की आशोधित अवधि परिकलित की जाती है और ब्याज दर में 1% से परिवर्तन के लिए उनके मूल्य पर प्रभाव माना जाता है। उसमें जोड़कर निवल स्थिति परिकलित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि है या अन्यथा

धारणाएँ :

समस्त टाईम बकेट और समस्त आस्तियों के लिए ब्याज दर सभी समान रूप से चालित होता है।

मांग जमा राशियों बचत तथा चालू के संदर्भ में इसे भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसरण में स्ट्रेस परीक्षण पर विभाजित किया जाता है।

आम तौर पर, बैंक आईआरआरबीबी की गणना करते समय कूपन दर/भुनाई दर का चयन/परिपक्वता तारीख के रूप में प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु, को लेना आदि सहित रिज़र्व बैंक के तनाव परीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करता है।

बीपीएलआर अग्रिमों/बेस रेट के पुनर्मूल्य निर्धारण को उसे 6 माह के बकेट में लिया गया है।

बी: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) तथा बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि., बीओआई (न्यूजिलैंड) लि. (अनुषंगी) तथा बीओआई (युगांडा) लि.

बैंक अपनी वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह पर बाजार ब्याज दरों के वर्तमान स्तरों में अस्थिरता के प्रभाव सहित शामिल विभिन्न जोखिमों से युक्त है। बाजार प्रवृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ बैंक को जमा राशियों, ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज दर में संशोधन करने का विवेकाधिकार है। इन उपायों के कारण बैंक के ब्याज दर जोखिम का क्षेत्र कम होता है।

मात्रात्मक प्रकटन

आईआरआरबीवी मापने के लिए प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार उर्ध्वमुखी और अधोमुखी रेट शॉक के लिए उपार्जन और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबद्ध उपाय) में वृद्धि (ह्रास), मुद्रा द्वारा खंडित (जहां कुल पण्यावर्त के 5% से अधिक पण्यावर्त होता है)

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (बीओआई सोलो)

	कुल	जिसमें से, यूएसडी में (जहाँ कारोबार कुल कारोबार के 5% से अधिक है)
1. जोखिम पर अर्जन (एनएनआई)		
1 वर्ष के लिए 0.50% परिवर्तन	181.21	104.04
2. जोखिम पर ईक्विटी का आर्थिक मूल्य		
200 बेसिक पॉईंट शॉक	748.59	1382.28
% ता के रूप में इक्विटी मूल्य में कमी	3.05%	5.63%

तलिका डीएफ 10

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोज़र के लिए सामान्य प्रकटन

क) बैंक तुलन पत्र की मदों के साथ प्रतिपक्षी कारोबार के उद्देश्य से हैजिंग के लिए व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करता है। व्युत्पन्न परिचालन के जोखिम प्रबंधन के शीर्ष में वरिष्ठ कार्यपालक रहते हैं जो उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट करते है, यह लाइन कार्यों से स्वतंत्र है। ट्रेडिंग की स्थिति दैनंदिन आधार पर बाज़ार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है (मार्कड टू मार्केट)जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा व्युत्पन्न नीति बनाई जाती है जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम को आंकना शामिल है।

तुलन पत्र प्रबंधन के लिए हैज़ संवयवहार किया जाता है जोखिमों के सही रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए उचित प्रणाली है। हैंजिग की नीति और उसकी निगरानी की प्रक्रिया भी है। हैज तथा गैर-हैज़ संवयवहारों को रिकार्ड करने के लिए लेखांकन नीति है जिसमें आय,प्रीमियम और छूट का निर्धारण शामिल है। बकाया संविदा,प्रावधानीकरण,संमार्श्विक और जोखिम न्यूनीकरण का मूल्यांकन किया जा रहा है। कंरट एक्सपोज़र मेथोडोलज़ी (सीईएम) के अनुरूप क्रेडिट समतुल्य अथवा परिकलित की गई है। संभाव्य एक्सपोज़र का परिकलन क्रेडिट कनवर्ज़न फैक्टर के साथ कल्पित मूलधन को गुणा करके किया जाता है। प्रतिस्थापन लागत सकारात्मक बाजार मूल्य है। चालू एक्सपोज़र प्रतिस्थापन लागत के समान है। क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी संभाव्य एक्सपोज़र और चालू एक्सपोज़र का जोड़ है।

गुणात्मक प्रकटन

ख) संविदाओं का सकल सकारात्मक उचित मूल्य,लाभ की निवल राशि, चालू ऋण एक्सपोज़र की निवल राशि, धारित संपार्श्विक (प्रकार सहित यथा नकदी,सरकारी प्रतिभूतियां आदि) और निवल व्युत्पन्न ऋण एक्सपोज़र । इसमें चूक वाले एक्सपोज़र के लिए उपाय की रिपोर्ट अथवा सीईएम के तहत एक्सपोज़र राशि भी है। ऋण व्युत्पन्न हेज़ की कल्पित शून्य और ऋण एक्सपोज़र के प्रभार द्वारा चालू ऋण एक्सपोज़र का वितरण।

ग) ऋण व्युत्पन्न संव्यवहार जो सीसीआर (कल्पित मूल्य) में एक्सपोज़र सृजित करती है, संस्था के अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो के साथ प्रयोग किए गए क्रेडिट व्युत्पन्न उत्पादों के वितरण सहित उसकी मध्यवर्ती गतिविधियों के बीच पृथक किया जाता है, जिसे आगे प्रत्येक उत्पाद समूह के मध्य खरीदे और बेचे गए संरक्षण में विखंडित किया जाता है।

	(₹ मिलियन में)
कल्पित मूलधन रकम	1447555.45
संभाव्य एक्सपोज़र	28299.72
प्रतिस्थापन लागत	40388.15
चालू एक्सपोज़र	40388.15
क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी	6868.79

मदें	कल्पित रकम	चालू ऋण एक्सपोज़र	क्रेडिट समतुल्य
	(मिलियन में)	(मिलियन में)	(मिलियन में)
मुद्रा विकल्प	186.02	84.00	99.59
क्रास सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	5,130.07	373.64	869.10
वायदा दर करार	–	–	–
ब्याज दर भविष्य	–	–	–
ऋण चूक स्वैप	–	–	–
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	183,084.50	474.30	3,051.19
कुल	188,400.59	931.94	4,019.87

तालिका डीएफ –11

पूंजी का विन्यास

''₹ मिलियन में''

	बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट जिनका प्रयोग विनियामक समायोजन में परिवर्तन के दौरान किया जाएगा (अर्थात 1 अप्रैल 2014 से 31 दिसम्बर 2017 तक)	उपर्युक्त राशि	बासेल III के पूर्व व्यवहार के अधीन राशि	संदर्भ सं
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत तथा आरक्षित			
1	प्रत्यक्ष जारी विशेषक सामान्य शेयर पूंजी के साथ संबंधित अतिरिक्त स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	63,095.49		(ए)
2	प्रतिधारित उपार्जन	23,537.37		
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षितियां)	163,327.01		
4	सीईटी 1 से फेस आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	–		
	सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी लगाना जिसकी देखरेख 1 जनवरी 2018 तक की जाएगी	–		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और थर्ड पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (ग्रूप सीईटी 1 में अनुमत रकम)	617.41		
6	**विनियामक समायोजन के पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी**	250,577.28		
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन			
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)			
9	बंधक सर्विसिंग अधिकारों को छोड़कर अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)			
10	आस्थगित कर आस्तियां	253.37		
11	नकदी प्रवाह हैज आरक्षित			
12	अपेक्षित हानि के प्रावधान में कमी			
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ			
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानियां			
15	परिनिश्चित- लाभ पेंशन फंड निवल आस्तियां			
16	अपने शेयरों में निवेश (रिपोर्ट की गई तुलन-पत्र में यदि पहले ही प्रदत्त पूंजी समायोजित न किया गया हो)			
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस-धारिता	44.29		
18	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)			
19	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के कॉमन स्टाक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)			
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)			
21	अस्थायी अंतरों से उभरे आस्थगित कर आस्तियां (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि, कर देयता से संबंधित का समायोजन)			
22	15% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि			
23	जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश			
24	जिसमें से : बंधक सर्विसिंग अधिकार			
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरो से उभरे आस्थगित कर आस्तियां			
26	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन ((26ए+26बी+26सी+26डी)	5282.20		
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश			
26बी	जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश			
26सी	जिसमें से: बहुलांश स्वामित्व वित्तीय संस्थाएं जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है के इक्विटी पूंजी में कमी			
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	5282.20		
	पूर्व बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लगाएं गए विनियामक समायोजन।			
	जिसमें से: [समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें]			

	बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट जिनका प्रयोग विनियामक समायोजन में परिवर्तन के दौरान किया जाएगा (अर्थात 1 अप्रैल 2014 से 31 दिसम्बर 2017 तक)	उपर्युक्त राशि	बासेल III के पूर्व व्यवहार के अधीन राशि	संदर्भ सं
	उदाहरण के लिए: एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अप्राप्त हानियों को फिल्टर किया जाना (भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई संबंध नहीं)			
	जिसमें से: [समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें]			
	जिसमें से : [समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें]			
27	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लगाए गए विनियामक समायोजन			
28	**सामान्य इक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	5579.86		
29	**सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)**	244997.30		
	अतिरिक्त इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखतें			
30	प्रत्यक्ष जारी सापेक्ष अतिरिक्त टियर 1 लिखतें के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)			
31	जिसमें से: लागू लेखांकन मानको के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण लिखत)			
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानक के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण लिखत)			
33	अतिरिक्त टियर 1 से फेज़ आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	21,897.70		
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखतें (और सीईटी 1 लिखत जो रो 5 में शामिल नहीं) (ग्रूप एटी 1 में अनुमत रकम)			
35	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें जो फेज़ आउट के अधीन है।			
36	**विनियामक समायोजन के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	21,897.70		
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश			
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस धारिता	1,004.72		
39	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)			
40	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय स्थिति को घटाकर)	443.97		
41	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)			
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियो के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश			
41बी	बैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी।			
	पूर्व-बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 पर लगाए गए विनियामक समायोजन	5,393.01		
	जिसमें से: [समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें यथा डीटीए]	1,013.47		
	जिसमें से: [समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें वर्तमान समायोजन] जो टियर 1 से 50% पर कटौती की जाती है)			
	जिसमें से: [समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें]	4,379.54		
42	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 में लगाए गए विनियामक समायोजन			
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी पर कुल विनियामक समायोजन**	6,841.70		
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)**	15,056.10		
44ए	**पूंजी पर्याप्तता के लिए माना गया अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	15,056.10		
45	**टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)**	260,053.42		
	टियर 2 पूंजी: लिखते एवं प्रावधान			
46	प्रत्यक्ष जारी पात्र टियर 2 लिखतों के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष	15,000.00		
47	टियर 2 से फेज़ आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखत	58,995.36		
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित (ग्रूप टियर 2 में अनुमत राशि) टियर 2 लिखते (और रो 5 अथवा 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 ओर एटी 1 लिखतें)			

	बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट जिनका प्रयोग विनियामक समायोजन में परिवर्तन के दौरान किया जाएगा (अर्थात 1 अप्रैल 2014 से 31 दिसम्बर 2017 तक)	उपर्युक्त राशि	बासेल III के पूर्व व्यवहार के अधीन राशि	संदर्भ सं
49	जिसमें से: फेज़ आउट के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें			
50	प्रावधान	37,125.27		
51	**विनियामक समायोजन के पहले टियर 2 पूंजी**	111,120.63		
	टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन			
52	अपने टियर 2 लिखतों में निवेश			
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-धारिता			746.72
54	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है(10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)			
55	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाकर)	1035.93		
56	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	11,339.07		
56ए	जिसमें से: असमेकित अनुषंगियों के टियर 2 पूंजी में निवेश			
56बी	जिसमें से: बैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी।			
	पूर्व बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में टियर 2 पर लगाए गए विनियामक समायोजन	11399.07		
	जिसमें से: [समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें यथा वर्तमान समायोजन जो 50% पर टियर 2 से कटौती की जा रही है]			
	जिसमें से: [समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें]			
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	13121		
58	**टियर 2 पूंजी (टी 2)**	97,998.91		
58ए	**पूंजी पर्याप्तता के लिए माना गया टियर 2 पूंजी**	97,998.91		
58बी	**एक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जिसे टियर 2 पूंजी माना जाता है।**	-		
58सी	**पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58ए+ 58बी)**	97,998.91		
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)**	358,052.32		
	पूर्व बासेल खखख व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां			
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें			
	जिसमें से:			
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)**			
60ए	**जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां**			
60बी	**जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां**			
60सी	**जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां**			
	पूंजी अनुपात			
61	**सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)**	6.84%		
62	**टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)**	7.24%		
63	**कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)**	9.97%		
64	**संस्था निर्दिष्ट बफ़र आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता के साथ पूंजी संतुलन और प्रतिचक्रीय बफ़र आवश्यकता, जोखिम धारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)**	5%		
65	**जिसमें से: पूंजी संतुलन बफर आवश्यकता**	-		
66	**जिसमें से: बैंक निर्दिष्ट प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता**	-		
67	**जिसमें से: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता**	-		
68	**बफर को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम धारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)**	6.84%		
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल III से भिन्न है)			

	बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट जिनका प्रयोग विनियामक समायोजन में परिवर्तन के दौरान किया जाएगा (अर्थात 1 अप्रैल 2014 से 31 दिसम्बर 2017 तक)	उपर्युक्त राशि	बासेल III के पूर्व व्यवहार के अधीन राशि	संदर्भ सं
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)	5.00%		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)	6.50%		
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)	9.00%		
	कटौती के लिए थ्रेसहोल्ड से कम रकम (जोखिम भारिता के पहले)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश			
73	वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश			
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता से घटाकर)			
75	अस्थायी अंतरो से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता से घटाकर)			
	टियर 2 में प्रावधान को शामिल करने पर लागू सीमा			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोज़र के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने के पहले)	23,519.96		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधान शामिल करने की सीमा			
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोज़र के संबंध में टियर-2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने के पहले)			
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधान शामिल करने के लिए सीमा			
	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)			
80	फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान सीमा			
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)			
82	फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर चालू सीमा	21,897.70		
83	सीमा के कारण एटी 1 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	4,379.54		
84	फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर चालू सीमा	58,995.36		
85	सीमा के कारण टी 2 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	11,339.07		

टेम्प्लेट पर टिप्पणियां

टेम्प्लेट के रो की संख्या	विवरण	(₹ मिलियन में)
10	संचित हानियों के साथ संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां	
	आस्थगित कर देयता से घटाकर आस्थगित कर आस्तियां (संचित हानि से जुड़े को छोडकर)	1,266.44
	कुल जैसा रो 10 में दिखाया गया है	1,266.44
19	यदि बीमा अनुषंगियों में निवेश को पूंजी से पूरी तरह घटाया नहीं जाता और बदले में कटौती के लिए 10% थ्रेसहोल्ड के तहत विचार किया जाता है, जिसके परिणामस्वरुप बैंक की पूंजी में वृद्धि	
	जिसमें से: सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	
	जिसमें से: अतिरिक्त इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	
	जिसमें से: टियर 2 पूंजी में वृद्धि	
26बी	यदि असमेकित गैर वित्तीय अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश को घटाया नहीं जाता है और इसके फलस्वरूप जोखिम भारिता तब	
	(i) सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	
44ए	पूंजी पर्याप्तता के लिए नहीं माना जाने वाला एक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (रो 44 में रिपोर्ट किए गए अतिरिक्त टियर 1 पूंजी और रो 44ए में रिपोर्ट किए गए स्वीकार्य टियर 1 पूंजी के बीच अंतर)	4,379.54
	जिसमें से: रो 58 बी के तहत टियर 2 पूंजी के रूप में विचार किया जाने वाला एक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	23,519.96
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकित आरक्षित	13,605.31
	रो 50 का कुल	37,125.27
58ए	पूंजी पर्याप्तता के लिए न माना गया एक्सेस टियर 2 पूंजी (रो 58 में रिपोर्ट किया गया टियर 2 पूंजी और 58ए में रिपोर्ट की गई टी 2 के बीच अंतर)	11,339.07

तालिका डीएफ–12

पूंजी की संरचना– समाधान संबंधी आवश्यकताएं

(₹ मिलियन में)

चरण –1

			वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलनपत्र
			यथा रिपोर्टिंग तारीख	यथा रिपोर्टिंग तारीख
ए	पूंजी एवं देयताएं			
	i	प्रदत्त पूंजी	6430.02	6430.02
		आरक्षितियां एवं अधिशेष	301,307.23	301,452.41
		अल्प संख्यक हित	840.05	617.41
		कुल पूंजी	308,577.30	308,499.41
	ii	जमाराशियां	4,786,950.77	4,787,210.25
		जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	530,070.56	530,070.56
		जिसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	4,256,880.21	4,257,139.68
		जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	–	–
	iii	उधार	484,275.10	484,275.10
		जिसमें से : आरबीआई से	46,865.58	46,865.58
		जिसमें से : बैंकों से	24,786.33	24,786.33
		जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से	412,623.19	412,623.19
		जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	325,816.46	325,816.46
		जिसमें से : पूंजी लिखत	111,593.06	111,593.06
	iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	201,742.46	179,311.31
		कुल	5,781,546.04	5,759,519.14
बी	आस्तियां			
	i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	192,878.57	192,867.30
		बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	424,724.48	424,662.38
	ii	निवेश:	1,164,897.43	1,145,034.36
		जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	1,008,514.15	1,003,739.24
		जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1,442.74	11.65
		जिसमें से : शेयर	16,489.58	8,969.76
		जिसमें से : डिबेंचर एवं बॉंड	86,494.58	83,862.83
		जिसमें से : अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां	10,135.52	11,335.52
		जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक कागज़ात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	41,820.87	37,115.38
	iii	ऋण एवं अग्रिम	3,726,714.60	3,726,700.54
		जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	342,192.58	342,192.58
		जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	3,384,522.02	3,384,507.95
	iv	अचल आस्तियां	58,201.87	58,131.88
	v	अन्य आस्तियां	214,129.08	212,122.68
		जिसमें से : सद्भाव एवं अमूर्त आस्तियां	–	–
		जिसमें से : आस्थिगित कर देयता	1,322.23	1,322.23
	vi	समेकन पर सद्भाव	–	–
	vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	–	–
		कुल आस्तियां	5,781,546.04	5,759,519.14

चरण 2

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र
		यथा रिपोर्टिंग तारीख	यथा रिपोर्टिंग तारीख
i	प्रदत्त पूंजी		
	जिसमें से :		
	सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	64300.02	64300.02
	एटी 1 हेतु पात्र राशि		
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	301,307.23	301,452.41
	जिसमें से :		
	सांविधिक आरक्षितियां	66,568.84	66,568.84
	प्रतिभूति प्रीमियम	56,665.47	55,849.47
	पूंजी आरक्षितियां:		
	विदेशी मुद्रा ट्रान्सलेशन रिज़र्व	17,585.90	17,585.90
	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	37,421.82	37,421.82
	जिसमें से : सीईटी 1 हेतु पात्र	–	
	निवेशों की बिक्री पर लाभ – परिपक्वता तक धारित	8,801.66	8,801.66
	अन्य	230.85	230.85
	राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :	97,832.69	98,793.87
	विशेष आरक्षिति	16,200.00	16,200.00
	जिसमें से : सीईटी 1 हेतु पात्र (कर का निवल)	16,200.00	16,200.00
	लाभ एवं हानि खाते में शेष	–	–
	अल्प संख्यक लाभ	840.05	617.41
	कुल पूंजी	308,577.30	308,499.41
ii	जमाराशियां	4,786,950.77	4,787,210.25
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	530,070.56	530,070.56
	जिसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	4,256,880.21	4,257,139.68
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	–	–
iii	उधार	484,275.10	484,275.10
	जिसमें से : आरबीआई से	46,865.58	46,865.58
	जिसमें से : बैंकों से	24,786.33	24,786.33
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से	412,623.19	412,623.19
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	325,816.46	325,816.46
	जिसमें से : पूंजी लिखत	111,593.06	111,593.06
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	201,742.46	179,311.31
	जिसमें से : सद्भाव से संबंधित डीटीएल	0	0
	जिसमें से : अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	0	0
	कुल	5,781,546.04	5,759,519.14
बी	आस्तियां		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष	192,878.57	192,867.30
	बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	424,724.48	424,662.38
ii	निवेश:	1,164,897.43	1,145,034.36
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	1,008,514.15	1,003,739.24
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1,442.74	11.65
	जिसमें से : शेयर	16,489.58	8,969.76

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र
		यथा रिपोर्टिंग तारीख	यथा रिपोर्टिंग तारीख
	जिसमें से : डिबेंचर एवं बाँड	86,494.58	83,862.83
	जिसमें से : अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां	10,135.52	11,335.52
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक कागज़ात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	41,820.87	37,115.38
iii	ऋण एवं	3,726,714.60	3,726,700.54
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	342,192.58	342,192.58
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	3,384,522.02	3,384,507.95
iv	अचल आस्तियां	58,201.87	58,131.88
v	अन्य आस्तियां	214,129.08	212,122.68
	जिसमें से : सद्भाव एवं अमूर्त आस्तियां	–	–
	जिसमें से : आस्थिगित कर देयता	1,322.23	1,322.23
vi	समेकन पर सद्भाव	–	–
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	–	–
	कुल आस्तियां	5,781,546.04	5,759,519.14

चरण 3

बासेल III आम प्रकटन टेम्प्लेट (अतिरिक्त कॉलम सहित) तालिका डीएफ - 11(भाग ख/ भाग II, जो भी लागू हो			
	आम इक्विटी टियर 1 पूंजी :लिखत एवं आरक्षितियां		
		बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया विनियामक पूंजी का अंश	चरण 2 से विनियामक के समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र के संदर्भ संख्या/पत्रों पर आधारित स्रोत
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी किए गए पात्र आम शेयर (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा साथ में संबंधित स्टॉक अधिशेष	63,095.49	
2	प्रतिधारित अर्जन	25,537.37	
3	संचित अन्य समेकित आय (एवं अन्य आरक्षितियां)	163,327.01	
4	सीईटी 1 से फेस आउट की शर्त के अध्यधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं थर्ड पार्टियों द्वारा धारित आम शेयर पूंजी(ग्रूप सीईटी 1 में अनुमत राशि)	617.41	
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व आम इक्विटी टियर 1 पूंजी	250,577.28	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	सद्भाव (संबंधित कर देयता का निवल)		

तालिका डीएफ-13

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया
2	यूनीक आईडेन्टिफायर(जैसे निजी प्लेस्मेंट हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE 08401016	INE 08409050	INE 08409068	INE 08409076	INE 08409084	INE 08409100
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम
	विनियामक व्यवहार						
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	सामान्य ईक्विटी					
		टियर 1	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल III नियम	सामान्य ईक्विटी					
		टियर 1	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	सोलो/ग्रूप/ग्रूप एवं सोलो में पात्र	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप
7	लिखत प्रभार	आम शेयर	लोअर टियर 2 लिखत	लोअर टियर 2 लिखत	लोअर टियर 2 लिखत	लोअर टियर 2 लिखत	लोअर टियर 2 लिखत
8	विनियात्कम पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में , यथा सबसे हाल की रिपोर्टिंग तारीख)	6,430,021	शून्य	शून्य	शून्य	1,500	800

9	लिखत का सममूल्य (रु.मिलियन)	लागू नहीं	3,500	2,000	3,000	7,500	2,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	इक्विटी शेयर पूंजी	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	विभिन्न	23/01/2004	31/03/2004	23/02/2005	16/09/2005	20/03/2006
12	दिनांकित या सर्वकालिक	सर्वकालिक	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	लागू नहीं	30/04/2014	30/04/2014	23/05/2014	16/04/2015	20/06/2016
14	पर्यवेक्षी अनुमोदन के पहले इश्यूअर कॉल	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
15	मूल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, अगर लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन /डिविडेंड	लाभांश	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर या फलोटिंग लाभांश /कूपन	नहीं	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	नहीं	5.88%	5.90%	7.10%	7.50%	8.00%
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	नहीं	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	गैर-संचयी या संचमी	गैर-संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	अगर परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्ज़न ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	अगर परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	अगर परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	अगर परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	अगर परिवर्तनीय हो तो, किसी प्रकार के लिखत में परिवर्तन किया जाएगा उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	अगर परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसके जारीकर्ता का उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	अगर राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	अगर राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	अगर राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	अगर राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	पोजीशन इन सबऑर्डिनेशन हाइरार्कि (लिखत से तुरंत वरिष्ठ लिखत के प्रकार का उल्लेख करें।	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और लेनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और लेनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और लेनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और लेनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और लेनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और लेनदार
36	गैर-कम्प्लायंट ट्रांसशिन्ड फ़ीचर्स	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
37	अगर हाँ, तो कृपया गैर-कम्प्लायंट खूबियों का उल्लेख करें	लागू नहीं	कोई हानि समावेषण खूबी नहीं				

	कोई हानि समावेषण खूबी नहीं	कोई हानि समावेषण खूबी नहीं	कोई हानि समावेषण खूबी नहीं	कोई हानि समावेषण खूबी नहीं			
1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया
2	यूनीक आईडेन्टिफायर(जैसे निजी प्लेस्मेंट हेतुसीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE08409118	INE08409159	INE08409175	INE08409183	INE08409209	INE08409217
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम
	विनियामक व्यवहार						
4	संक्रामणकालीन बासेल खखख नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल खखख नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	सोलो/ग्रूप/ग्रूप एवं सोलो में पात्र	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप
7	लिखत प्रभार	अपर टियर 2पूंजी लिखत	अपर टियर 2पूंजी लिखत	अपर टियर 2पूंजी लिखत	अपर टियर 2पूंजी लिखत	अपर टियर 2पूंजी लिखत	अपर टियर 2पूंजी लिखत
8	विनियात्कम पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में , यथा सबसे हाल की रिपोर्टिंग तारीख)	5,856	4,000	4,000	4,000	8,000	8,000
9	लिखत का सममूल्य (रु.मिलियन)	7,320	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार

	कोई हानि समावेषण खूबी नहीं	कोई हानि समावेषण खूबी नहीं	कोई हानि समावेषण खूबी नहीं	कोई हानि समावेषण खूबी नहीं			
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	31/07/2006	16/10/2008	28/07/2009	28/08/2009	20/01/2010	11/06/2010
12	दिनांकित या सर्वकालिक	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	31/07/2021	16/10/2023	28/07/2024	28/08/2024	20/01/2025	10/06/2025
14	पर्यवेक्षी अनुमोदन के पहले इश्यूअर कॉल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
15	मूल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन	31/07/2016	16/10/2018	28/07/2019	28/08/2019	20/01/2020	11/06/2020
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, अगर लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन /डिविडेंड	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर या फलोटिंग लाभांश /कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	9.35%	11.15%	8.45%	8.50%	8.54%	8.48%
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	गैर-संचयी या संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	अगर परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्ज़न ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	अगर परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	अगर परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	अगर परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	अगर परिवर्तनीय हो तो, किसी प्रकार के लिखत में परिवर्तन किया जाएगा उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	अगर परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसके जारीकर्ता का उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	अगर राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	अगर राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	अगर राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	अगर राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	पोजीशन इन सबऑर्डिनेशन हाइरार्कि (लिखत से तुरंत वरिष्ठ लिखत के प्रकार का उल्लेख करें।)	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और लेनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और लेनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और लेनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और लेनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और लेनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और लेनदार
36	गैर-कम्प्लायंट ट्रांसिशन्ड फ़ीचर्स	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
37	अगर हाँ, तो कृपया गैर-कम्प्लायंट खूबियों का उल्लेख करें	कोई हानि समावेषण खूबी नहीं	कोई हानि समावेषण खूबी नहीं	कोई हानि समावेषण खूबी नहीं	कोई हानि समावेषण खूबी नहीं	कोई हानि समावेषण खूबी नहीं	कोई हानि समावेषण खूबी नहीं

	जारीकर्ता		
1	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	
2	यूनीक आईडेन्टिफायर(जैसे निजी प्लेस्मेंट हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE 08408037	INE 08408045
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम
	विनियामक व्यवहार		
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल III नियम	पात्र	पात्र
6	एकल/समूह/समूह व एकल की अवस्था में पात्र	एकल तथा समूह समूह	एकल तथा समूह
7	लिखत प्रकार का	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत
8	नियामक पूंजी (अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि के अनुरूप रु मिलियिन में) में मान्य राशि	10,000	5,000
9	लिखत के सम मूल्य (रु मिलियन)	10,000	5,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार

11	जारी करने की मूल तिथि	25/09/2013	30/09/2013
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	25/09/2023	30/09/2023
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन जारीकर्ता बोली	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक बोली तिथि, आकस्मिक बोली तिथि, तथा प्रतिदान राशि	लागू नहीं	लागू नहीं
16	यदि लागू हो तो, अनुवर्ती बोली तिथि	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	9.80%	9.80%
19	लाभांश रोधक की स्थिति	हां	हां
20	पूर्ण विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधीन	पूर्ण विवेकाधीन
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण (ों)	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्त होगा	लागू नहीं	लागू नहीं
30	विशिष्टताओं को लिखें	हां	हां
31	यदि लिख रहे हैं तो, कारण लिखें	भारिबै द्वारा लिया गया निर्णय	भारिबै द्वारा लिया गया निर्णय
32	यदि लिखना है तो पूर्ण या आंशिक	भारिबै द्वारा लिया गया निर्णय	भारिबै द्वारा लिया गया निर्णय
33	यदि लिखना है तो स्थायी या अस्थाई	भारिबै द्वारा लिया गया निर्णय	भारिबै द्वारा लिया गया निर्णय
34	यदि अस्थायी लिखना है तो लेखन प्रणाली का वर्णन	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठ को स्पष्ट करें)	अन्य सभी जमाकर्ता तथा बैंक के जमाकर्ता	अन्य सभी जमाकर्ता तथा बैंक के जमाकर्ता
36	गैर-अनुवर्ती परिवर्तन विशिष्टताएं	बेसल खखख	बेसल खखख
37	यदि हां तो गैर-अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं

1	जारीकर्ता	बीओआई	बीओआई	बीओआई	बीओआई	बीओआई	बीओआई
2	विशिष्ट अभिज्ञापक(उदा. निजी स्थापन के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग अभिज्ञापक)	INE08409126	INE08409134	INE08409142	INE08409167	INE08409191	INE08409225
3	लिखत का शासी विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	नियामक संसाधन						
4	परिवर्ती पूर्ण बेसल III नियम	अतिरिक्त स्थिर 1	अतिरिक्त स्थिर 1	अतिरिक्त स्थिर 1	अतिरिक्त स्थिर 1	अतिरिक्त स्थिर 1	अतिरिक्त स्थिर 1
5	परिवर्ती पूर्ण बेसल III नियम	अतिरिक्त स्थिर 1	अतिरिक्त स्थिर 1	अतिरिक्त स्थिर 1	अतिरिक्त स्थिर 1	अतिरिक्त स्थिर 1	अतिरिक्त स्थिर 1
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्र	एकल और समूह	एकल और समूह	एकल और समूह	एकल और समूह	एकल और समूह	एकल और समूह
7	लिखत प्रकार	बेमियादी ऋण लिखत	बेमियादी ऋण लिखत	बेमियादी ऋण लिखत	बेमियादी ऋण लिखत	बेमियादी ऋण लिखत	बेमियादी ऋण लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में रु मिलीयन में)	3,200	800	1,240	3,200	2,600	2,400
9	सममूल्य के लिखत	4,000	1,000	1,550	4,000	3,250	3,000
10	वर्गीकृत लेखांकन	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	27.07.2007	27.09.2007	11.10.2007	10.02.2009	09.12.2009	09.09.2010
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी	बेमियादी	बेमियादी	बेमियादी	बेमियादी	बेमियादी
13	परिपक्वता की मूल तिथि	बेमियादी	बेमियादी	बेमियादी	बेमियादी	बेमियादी	बेमियादी
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन जारीकर्ता बोली	हां	हां	हां	हां	हां	हां
15	वैकल्पिक बोली तिथि आकस्मिक बोली तिथी तथा प्रतिदान राशि	बोली विकल्प तिथि 27.07.2017	बोली विकल्प तिथि	बोली विकल्प तिथि	बोली विकल्प तिथि	बोली विकल्प तिथि	बोली विकल्प तिथि 09.09.2020

16	यदि लागू हो तो, अनुवर्ती बोली तिथि	27.07.2017 के बाद बरसी तिथि पर	के बाद बरसी तिथि पर	11.10.2017के बाद बरसी तिथि पर	10.02.2019के बाद बरसी तिथि पर	09.12.2019 के बाद	27.07.2017 के बाद
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	Before Call 10.55% if call not exercised 11.05%	Before Call 10.45% if call not exercised 10.95%	Before Call 10.40% if call not exercised 10.90%	Before Call 8.90% if call not exercised 9.40%	Before Call 9.00% if call not exercised 9.50%	Before Call 9.05% if call not exercised 9.55%
19	लाभांश रोधक की स्थिति	हां	हां	हां	हां	हां	हां
20	पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	आंशिक विवेकाधीन	आंशिक विवेकाधीन	आंशिक विवेकाधीन	आंशिक विवेकाधीन	आंशिक विवेकाधीन	आंशिक विवेकाधीन
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	हां	हां	हां	हां	हां	हां
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्त होगा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	विशिष्टताओं को लिखें	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि लिख रहे हैं तो, कारण लिखें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि लिखना है तो पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि लिखना है तो स्थायी या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी लिखना है तो लेखन प्रणाली का वर्णन-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति						
	(लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठ को स्पष्ट करें)	बेमियादी ऋण लिखत	बेमियादी ऋण लिखत	बेमियादी ऋण लिखत	बेमियादी ऋण लिखत	बेमियादी ऋण लिखत	बेमियादी ऋण लिखत
36	गैर-अनुवर्ती परिवर्तन विशिष्टताएं	हां	हां	हां	हां	हां	हां
37	यदि हां तो गैर-अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख विशिष्टताओं के लिए प्रकटन टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ़ इंडिया लंदन शाखा
2	विशिष्ट अभिज्ञापक(उदा. निजी स्थापन के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग अभिज्ञापक)	XS 0268226536
3	लिखत का शासी विधि	अंग्रेजी
	नियामक प्रबंध	
4	परिवर्ती पूर्ण बेसल III नियम	टियर 2
5	परिवर्ती पूर्ण बेसल III नियम	पात्र
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्र	एकल व समूह
7	लिखत प्रकार	उच्च टियर 2
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में रु मिलीयन में)	यूएसडी 216 मिलीयन
9	सममूल्य के लिखत	यूएसडी 240 मिलीयन
10	वर्गीकृत लेखांकन	ऋण
11	जारी करने की मूल तिथि	14 सितंबर 2016
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	22 सितंबर 2021
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन जारीकर्ता बोली	हां
15	वैकल्पिक बोली तिथि आकस्मिक बोली तिथी तथा प्रतिदान राशि	22 सितंबर 2016
16	यदि लागू हो तो, अनुवर्ती बोली तिथि	बाद प्रत्येक कूपन तिथि 22 सितंबर 2016

	कूपन/लाभांश	
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	6.625%
19	लाभांश रोधक की स्थिति	लागू नहीं
20	पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	आंशिक विवेकाधीन
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	स्टेप अप
22	असंचयी या संचयी	संचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवतर्जन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्त होगा	लागू नहीं
30	विशिष्टताओं को लिखें	लागू नहीं
31	यदि लिख रहे हैं तो, कारण लिखें(ाे)	लागू नहीं
32	यदि लिखना है तो पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि लिखना है तो स्थायी या अस्थाई	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी लिखना है तो लेखन प्रणाली का वर्णन-	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति	
	(लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठ कासे स्पष्ट करें)	प्राथमिकता और इक्वटी शेयर
36	गैर-अनुवर्ती परिवर्तन विशिष्टताएं	हां
37	यदि हां तो गैर-अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	1. मांग बोली पर सेट अप को सम्मिलित करें 2. कूपन आस्थगित व संचयी है।. 3. पीओएनवी पर मूल अवशोषक हानि

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख विशिष्टताओं के लिए प्रकटन टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया, Jersey Branch
2	विशिष्ट अभिज्ञापक(उदा. निजी स्थापन के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग अभिज्ञापक)	XS 0294208235
3	लिखत का शासी विधि	अंग्रेजी
	नियामक प्रबंध	
4	परिवर्ती पूर्ण बेसल III नियम	T 1
5	परिवर्ती पूर्ण बेसल III नियम	पात्रता
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्र	एकल व समूह
7	लिखत प्रकार	आईपीडीआई (Hybrid Tier 1)
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में रु मिलीयन में)	यूएसडी 76.50 मिलीयन
9	सममूल्य के लिखत	यूएसडी 85 मिलीयन
10	वर्गीकृत लेखांकन	ऋण
11	जारी करने की मूल तिथि	27 मार्च '07
12	बेमियादी या दिनांकित	Perpetual
13	परिपक्वता की मूल तिथि	लागू नहीं
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन जारीकर्ता बोली	हां
15	वैकल्पिक बोली तिथि आकस्मिक बोली तिथी तथा प्रतिदान राशि	3 अप्रैल 2017
16	यदि लागू हो तो, अनुवर्ती बोली तिथि	Every coupon date after 3 अप्रैल 2017
	कूपन/लाभांश	
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर

18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	6.994%
19	लाभांश रोधक की स्थिति	लागू नहीं
20	पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	आंशिक विवेकाधीन
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	स्टेप-अप
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	असंचयी
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	
	लागू नहीं	
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवतर्जन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्त होगा	लागू नहीं
30	विशिष्टताओं को लिखें	लागू नहीं
31	यदि लिख रहे हैं तो, कारण लिखें	लागू नहीं
32	यदि लिखना है तो पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि लिखना है तो स्थायी या अस्थाई	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी लिखना है तो लेखन प्रणाली का वर्णन-	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति	
	(लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठ कासे स्पष्ट करें)	अधिमान और इक्विटी शेयरधारक
36	गैर-अनुवर्ती परिवर्तन विशिष्टताएं	हां
37	यदि हां तो गैर-अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	1. कॉल तिथि को स्टेप-अप सम्मिलित करें। 2. कूपन को रद्द करने का पूर्ण विवेकाधिकार बीओआई को नहीं है। 3. पीओएनवी तथा सीईटी1 ट्रिगर के मूल हानी समावेशन सम्मिलित नहीं है।

Basel III (Pillar 3) - Disclosures (Consolidated) March 2014

Table DF - 1

Scope of application

Name of the top bank in the group to which the Framework applies- *BANK OF INDIA*

i. Qualitative Disclosures

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity/Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the Method of consolidation	Whether the Entity is included under regulatory scope of consolidation yes / no)	Explain the Method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Bank of India New Zealand LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India(Uganda) LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India(Tanzania) LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India (Botswana) LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
PT Bank of India Swadeshi TBK Indonesia	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Shareholding LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Axa Investment Managers PVT LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Axa Trustee Services PVT LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company LTD	Yes	Joint Venture	No	Joint Venture	NA	Deducted from capital for capital adequacy purposes
STCI Finance LTD	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
ASREC (India) LTD	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
Indo Zambia Bank LTD	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Vidharbha Konkan Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB SH Aryavart Kshetriya Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB SH Jharkhand Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB SH Narmada Jhabua Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

(ii) Quantitative Disclosures:

(c) List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)(Equity+Reserve)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Bank of India Newzealand LTD	Banking	264.24	359.52
Bank of India(Uganda) LTD	Banking	62.99	151.75
Bank of India(Tanzania) LTD	Banking	63.85	204.88
Bank of India (Botswana) LTD	Banking	30.20	61.90
PT Bank of India Swadeshi TBK Indonesia	Banking	254.61	1910.22
BOI Shareholding LTD	Clearing & Settlement of Stock Exchange	24.41	31.83
BOI Axa Investment Managers PVT LTD	Assets Management	19.30	23.53
BOI Axa Trustee Services PVT LTD	Trusteeship Services	0.02	0.04
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company LTD	Life Insurance	420	4908.97
STCI Finance LTD		1051.73	6308.93
ASREC (India) LTD	Assets Recovery Company	127.03	171.33
Indo Zambia Bank LTD	Banking	337.60	2286.54
RRB Vidharbha Konkan Gramin Bank	Banking	180.11	3791.47
RRB SH Aryavart Kshetriya Gramin Bank	Banking	1070.81	13663.87
RRB SH Jharkhand Gramin Bank	Banking	150.53	2625.31
RRB SH Narmada Jhabua Gramin Bank	Banking	400.23	5009.42

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in the subsidiaries.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities /country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company LTD	Life Insurance	250	48%	300 Crore (Risk weight)

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group are as governed by RBI.

Table DF-2

Capital Adequacy

Qualitative disclosures

a. A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.

A. BANK OF INDIA

The Bank carries out regular assessment of its Capital requirements from time to time to maintain a comfortable Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR). The capital plan is reviewed on an annual basis to take care of the future growth in business, capital requirements, policy guidelines, macro-economic scenarios, risk appetite etc. The Bank has also developed Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to comprehensively address all risks and maintain necessary additional capital.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

Refer to the local regulation, in order to run foreign exchange business; Bank's Tier-1 should be **minimum IDR 1 trillion**.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd (Subsidiary) and Bank of India (Uganda) Ltd (subsidiary)

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines developed by the Basel Committee, as implemented by the Bank of Tanzania (BOT) and Bank of Uganda (BOU), for supervision purposes. The required information is filed with the BOT local regulator on a quarterly basis.

The bank's regulatory capital as managed by its management is divided into two tiers:

Tier 1 capital: - Share capital, retained earnings and reserves created by appropriation of retained earnings. Prepaid expenses and deferred charges are deducted in arriving at Tier 1 Capital.

Tier 2 capital: - Qualifying subordinate loan capital, collective impairment allowances and unrealized gains arising on the fair valuation of equity instruments held as available for sale.

D: Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiary)

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines of the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), for supervision purposes. The required information is disclosed in General Disclosure Statement on quarterly basis. The bank's regulatory capital as managed by its management solely consists of Tier 1 Capital

Tier 1 capital: - Share capital, retained earnings and reserves created by appropriation of retained earnings.

E: Bank of India (Botswana) Ltd

The bank's regulatory capital as managed by its management is divided into two tiers:

Tier 1 capital: - Share capital, retained earnings and reserves (now loss for the subsidiary) created by appropriation of retained earnings. Prepaid expenses and deferred charges are deducted in arriving at Tier 1 Capital.

Tier 2 capital: -Qualifying subordinate loan capital, collective impairment allowances i.e, provision on standard assets and unrealized gains arising on the fair valuation of equity instruments held as available for sale.

Quantitative disclosures

(b) Capital requirements for credit risk: 28,038 Cr

- Portfolios subject to standardised approach
- Securitisation exposures

(c) Capital requirements for market risk: 1,619 Cr

- Standardised duration approach;
  - Interest rate risk 881.43 Cr
  - Foreign exchange risk (including gold) 305.56 Cr
  - Equity risk 431.82 Cr

(d) Capital requirements for operational risk: 1,905.30 Crs Basic Indicator Approach

- The Standardised Approach (if applicable)

(e) Common Equity Tier 1, Tier 1and Total Capital ratios: CET 1:- (6.99%); T1 :- (7.42%), Total Capital Ratio 10.21%

- For the top consolidated group; and
  For significant bank subsidiaries (stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)

Table DF-3

Credit risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures

a) **The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk, including:**

- **Definition of past due and impaired (for accounting purposes)**

1. BANK OF INDIA

The Bank follows Reserve Bank of India regulations, which are summed up below.

a. **Non-performing Assets**

An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank.

A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

i. Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,

ii. the account remains 'out of order' as indicated below, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),

iii. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

iv. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,

v. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

vi. The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1,2006.

vii. Bank should classify an account as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

viii. A loan for infrastructure/non-infrastructure project will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per record of recovery (90 days overdue) unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"

ix. A loan for an infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within two years from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"

x. A loan for a non-infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within six months from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"

b. **'Out of Order' status**

An account is treated as **'out of order'** if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as **'out of order'**.

c. ***Overdue***

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

d. ***Non Performing Investments***

In respect of securities, where interest/ principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

i. Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

ii. This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.

iii. In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.

iv. Any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.

v. The investments in debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are subjected to NPI norms as applicable to investments.

2. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

The Credit Quality is assessed based on the factors such as business prospects, performance of the debtor and repayment capacity. It is undertaken depending upon the materiality and significance of each assessment factor and components and the relevance of the assessment factors and components to the characteristics of the debtor concerned. Accordingly, the assets are classified into current, special mention, sub-standard, doubtful and loss category.

"Assets" are classified into Earning Assets and Non-earning Assets. Earning Assets are provision of funds by a bank to earn revenues. "Non-Earning Assets" are assets of the Bank other than Earning Assets with potential for Loss.

An asset becomes non-performing when it ceases to generate revenue for the bank. A non-performing asset is a loan or an advance where the arrears in principal and / or interest exceed 90 days.

Past due: Any amount due to the bank under any credit facility is "past due" if it is not paid on the due date fixed by the bank.

On 1st January 2010, PT Bank of India Indonesia Tbk started implementation of the New Accounting Policy i.e. PSAK 50 & 55 which is similar to the International Accounting Standards IAS 32 & 39 according to which the financial asset must be presented at the fair value. We are now in progress to integrate PSAK calculation into bank's core banking, which is in line with our business plan that is up-gradation technology.

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-180	Substandard	10%
181-270	Doubtful	50%
271 and More	Loss	100%

3. Bank of India (Tanzania) Ltd,Bank of India(New Zealand) Ltd (Subsidiaries)

Credit risk is a risk of financial loss to the bank, if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations and arises principally from the bank's loans and advances to customers and other banks, and investment debt securities.

The Board of Directors has delegated responsibility for the oversight of credit risk to its Credit committee. The credit department of the bank, reporting to the Credit committee is responsible for management of the bank's credit risk, including :-

i. Formulating credit policies covering collateral requirements, credit assessment, risk grading and reporting, documentary and legal procedures, and compliance with regulatory and statutory requirements.

ii. Establishing the authorization structure for approval and renewal of credit facilities. The credit limits are governed by the Credit policy, as approved by the board.

iii. Reviewing and assessing credit risks.

iv. Limiting concentrations of exposure to counterparties, geographies and industries (for loans and advances).

Definitions of past due and impaired (for accounting purposes);

Overdrafts and other credit facilities without specific due dates shall be considered past due if

i. Exceeds the customer's borrowing limit.

ii. Customers borrowing limit is expired.

iii. Deposits are insufficient to cover the interest calculated and due for the period

iv. Bill has been dishonored

v. Bill or account is not paid on due date

Loans which are payable in installments are considered as past due in their entirety. If any of the installments have become due and unpaid for thirty days or more.

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-180	Substandard	10%
181-270	Doubtful	50%
271 and More	Loss	100%

4. Bank Of India Uganda

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-179	Substandard	20%
180-365	Doubtful	50%
365 and more	Loss	100%

5. Bank of India (Botswana) Ltd.

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
1 year	Substandard	10%
1 year & above and < 2 years	Doubtful	20%+100% of shortfall
> 2 years to 4 years	Doubtful	30%+100% of shortfall
> 4 years	Doubtful	100%
271 and More	Loss	100%

- **Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy**

A. BANK OF INDIA

a) In a bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions or from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality.

b) Against this backdrop a robust risk management framework is necessary for the long-term financial health of a bank. Credit Risk Management encompasses identification, measurement, monitoring and control of the credit risk exposures.

c) The Bank has identified various types of credit risk at a generic level in the Credit Risk Management policy. More granular identification is done at the product /process level. Various risks are looked into before introducing new products/processes, which are cleared from the risk angle

d) The Credit Risk Management framework outlined in the policy is built on three distinct building blocks namely **Policy & Strategy, Organizational Set up and Operations/Systems**

i) Policy and Strategy

The Bank has been following a conservative risk philosophy, which has steered the bank through difficult times. However the Bank has an open policy regarding new and unexplored areas and new opportunities are not lost sight of. The important aspects of this philosophy are embodied in the circulars and are periodically codified in the form of Manual of Instructions.

The business objectives and the strategy of the Bank is decided taking into account the profit considerations, the level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. The Bank is always conscious of its asset quality and earnings and hence judiciously matches profit maximization with risk control.

The Credit Risk Management policy and significant credit risk related policies like Credit Policy, and Credit Monitoring Policy are approved and periodically reviewed by the Board of Directors. The Credit Policy covers various areas of credit like

Clientele, Marketing, Segmented Approach to Lending, Credit Delivery, Credit Thrust, Tenure of Credit, Credit Acquisition, Risk Rating (including risk acceptance criteria), Pricing, Credit appraisal, Assessment of Limits, Exposure Norms, Industry Norms, Collateral and Margins, Review of Relationship, Scheme of Delegation, Statutory and other Restrictions and Documentation. Credit Policy for International Operations is in place and each center has its own credit policy dovetailed to the main policy. The delegation of powers for credit matters is covered by a separate policy. In addition Credit Risk is tracked and monitored as per the Credit Monitoring Policy. Restructuring Policy, Write Off and Recovery Policy, Asset Classification and Provisioning Policy, Bank Exposure Policy, Country Risk policy and Credit Audit Policy are also in place. Investments are contracted as per the policy guidelines laid down in the Investment Policy and after clearance by the Investment Committee.

ii) Organizational Set up

The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex levels that have the overall oversight of management of risks. The Risk Management Committee of the Board (R. Com) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director and whose members also include heads of Credit, Market & Operational Risk Management Committees, devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk. At is the operational level the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main functions includes implementation of credit risk management policy approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit matters including delegation of credit, prudential limits on large credit exposures, portfolio management, etc.

The Risk Management Department headed by the Chief Risk Officer of General Manger rank, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/R Com/M Com. The Credit Monitoring Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

iii) Operations/Systems/Processes

The Bank has proactive Credit Risk Management practices like consistent standards for the credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items, periodic individual obligor reviews, periodic inspections and collateral management systems.

Credit risk limits including obligor limits and concentration limits by industry, systems and procedures for monitoring financial performance of customers and for controlling outstanding within limits are followed. Checks and balances are in place for extension of credit viz. separation of credit risk management from credit sanction, vetting of new products and systems from risk angle by the CRMC, multiple credit approvers, system of assigning risk rating, vetting of ratings, mechanism to price facilities depending on the risk grading of the customer, Credit Risk Evaluation committee for vetting credit proposals from risk angle, credit process audit, post sanction pre disbursement review and post sanction review systems and an independent audit and risk review function. Proposals for investments are subjected to credit risk analysis, detailed appraisal and rating. As a matter of entry level, minimum ratings/quality standards, industry, maturity, duration, issue-wise limits are stipulated for investments to mitigate the adverse impact of concentration and risk of liquidity. Investment exposure is taken into consideration while computing exposure to a customer/group. A suitable framework is in place to provide a centralized overview on the aggregate exposure on other banks and half-yearly reviews are undertaken at a single point. The country exposures are monitored on half yearly basis.

A diversified portfolio of risk assets is maintained and a system to conduct regular analysis of the portfolio so as to ensure ongoing control of risk concentrations is in place. A conservative policy for provisioning in respect of non-performing advances is followed. Management Information System (MIS) is being upgraded with introduction of Credit Risk Management System, which would enhance the capabilities of the bank to manage and measure the credit risk inherent in all on- and off-balance sheet activities.

e) **The following tools are used for credit risk management/ mitigation –**

i. Credit Approving Authority – Delegation of Powers

The Bank has a well-defined scheme of risk based delegation of powers with a multi- tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment. The delegation of powers is linked to the rating of the borrower with powers for sanction of higher limits to better-rated customers. As per Ministry of Finance Guidelines Credit Committees with sanctioning authority have been formed at various administrative levels to exercise delegation of powers. At present, all credit proposals falling beyond the delegated authority of the General Manager are being routed through "The Risk Evaluation Committee" of General Managers, to bring in an element of independence and off site evaluation of risks perceived in credit proposals. The General Manager, Risk Management Department, who has no volume or profit targets, is a member of the Committee. Based on the experience gained, one more committee has been set up at Head office level to deal with proposal up to the delegated authority of General Manager. Such Committees have also been set-up at Zonal Office, for proposal to be approved at ZLCC and NBGLCC.

ii. Prudential Limits

Prudential limits on various aspects of credit/investment like Single/Group borrower limits for various types of borrowers are in place.

iii. Risk Rating/Pricing

The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.

iv. Credit Audit/Loan review mechanism (LRM)

Credit Audit/LRM is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration

v. Portfolio Management through analysis.

It is also important to have in place a system for monitoring the overall composition and quality of various credit portfolios and investments. With this objective, to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model. Rating Migration of accounts with Rs. 10 lacs and above is being done on half yearly and submitted to Board. Credit Risk Management Software (CRMS) is being implemented phase-wise. Bank is getting prepared for adopting Advanced Approaches.

f) **Risk Measurement**

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights. The Bank has migrated to the Standardized approach under the New Capital Adequacy Framework (Basel II), effective 31st March 2008.

g) **Risk Reporting System: -**

All credit related policies are cleared by the CRMC (which is the operational level committee for credit risk) before submission to the appropriate authorities for approval. Various Credit Related reporting's submitted to CRMC to enable proper monitoring.

h) **Risk Review**:

Audit –Credit Risk Management Systems procedures and Tools are also subjected to internal audit for ensuring effectiveness.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

PT Bank of India Indonesia Tbk has established a Risk Management Committee (RMC) and the Risk Management Unit (RMU) which is independent of the Operational Unit and the Internal Audit Unit ("Internal Audit") in the hope of overall risk management can be integrated, targeted, coordinated and sustainable. Furthermore, to monitor the effectiveness of implementation of tasks RMC and RMU, the Bank established a Risk Monitoring Committee which is directly responsible to the Board of Commissioners.

The Bank has managed 8 (eight) types of risk according to Bank of Indonesia which are credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk and strategic risk. Banks also create risk profiles which can broadly map the activity that has risks as well as potential risks that disrupt the Bank business continuity. Assessment of risk type is a combination of the risks inherent in any functional activity (inherent risk) and risk control systems.

The Bank is selective in approving new credits and maintains higher loan provisions than that required by the Regulator. In collateral based lending, hair cut is applied to the value of collateral. The Risk Manager of the bank reports to the Director Compliance. Risk Management Unit (RMU) supervises/ has oversight of the credit approval process.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd , Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries), Bank of India (Uganda) Ltd and Bank of India (Botswana) Ltd

Monthly interest application has become a useful tool to tackle potential delinquencies or defaults in standard accounts. To retain the asset quality, the Bank has adopted the following policy, Branches should promptly act and:-

i. Recover the overdues or at least the critical amount through active follow up with borrowers;

ii. Put the accounts under holding on operations in case of temporary cash flow mismatches;

iii. Reschedule the repayment terms as per expected cash flows;

iv. Restructure the dues in keeping with the expected cash flows and gaps in cash flows, if any as per guidelines given in the restructuring policy.

Any one or more of the above actions are taken by the Bank before the account becomes NPA.

Measures for follow up of Especially Mentioned Accounts / NPA Accounts

The various means of monitoring / resolving NPAs generally available to the Banks are listed below:-

A) Before the account becoming NPA (Especially Mentioned A/c)

i. Close monitoring for compliance of sanction terms to maintain asset quality.

ii. Reminders to be sent promptly whenever irregularities are observed.

iii. To recover overdues quickly to ensure account does not slip to NPA category

iv. Periodic inspection of the unit and charged assets along with analysis of financial data.

v. To restructure the dues before accounts become NPAs. Remedial action includes enhancement of moratorium period, funding of interest, and deferment of installments.

B) After the account becoming NPA – following measure to be initiated for recovering Bank's dues. The following means have to be effectively pursued for resolution of NPAs.

i. Appropriation of liquid securities (TDR, shares, margin money etc.) and pledged goods, to reduce outstanding
ii. Disposal of other securities, with the co-operation of borrowers.
iii. Compromise settlement of dues through negotiation
iv. Re-calling the advance
v. Filing suit in Court– Execution of decree
vi. Lastly, after all the chances of recovery of dues are exhausted, we may resort to writing off of the balance dues

All these means have to be effectively pursued for resolution of NPAs.

Quantitative Disclosures:-

b. The total gross credit exposures

(₹ in Crores)

Category	Amount
Fund Based	3,78,177.63
Non Fund Based*	91,223.64

* Excluding Credit Equivalent of Derivatives

b. The geographic distribution of exposure is:

(₹ in Crores)

	Domestic	Overseas
Fund Based	2,64,259.89	1,13,917.74
Non Fund Based	78,479.28	12,744.36

c. Industry type distribution of exposure (Fund Based & Non Fund Based) is as under:

Industry Name	Fund Based (Outstanding) ₹ in Crores	Non Fund Based (Outstanding) ₹ in Crores
Coal	42.68	7,226.85
Mining	2,587.17	0.00
Iron & Steel	14,384.86	4,75.03
Other Metal & Metal Products	3,434.88	1,099.24
All Engineering	2,287.68	1,418.26
Of which Electronics	666.13	4,40.44
Electricity	16,008.65	5,558.81
Cotton Textiles	4,389.48	4,37.87
Jute Textiles	108.46	1,26.37
Other Textiles	5,260.53	9,03.46
Sugar	2,923.55	1,10.33
Tea	58.59	1.17
Food Processing	9,925.15	2,775.63
Vegetable Oil & Vanaspati	1,270.63	2,457.49
Tobacco & Tobacco Products	850.04	67.89
Paper & Paper Products	1,356.94	1,24.16
Rubber & Rubber Products	2,609.64	2,296.42
Chemical, Dyes, Paints etc.	6,186.12	1,742.26
Of which Fertilisers	1,525.98	1,38.46
Of which Petro-chemicals	1,393.42	5,91.55
Of which Drugs & Pharmaceuticals	1,897.68	4,52.73
Cement	1,495.86	70.09
Leather & Leather Products	502.22	56.71
Gems & Jewellery	8,714.80	1,020.16
Construction	2,466.16	1,543.81
Petroleum	3,857.31	3,305.03
Automobiles including Trucks	1,962.34	1,459.02
Infrastructure*	42,004.72	10,400.97
Of which Power	16,008.65	5,564.71
Of which Telecommunications	1,131.84	30.97
Of which Roads & Ports	9,571.54	2,659.62
Other Industries	25,591.42	23,598.28
Residuary Other Advances (to balance with Gross Advances)	2,38,159.16	31,076.14
Total	**3,78,177.63**	**91,223.64**

* Exposure to Infrastructure Sector at 11.11 % exceeds 5% of total fund based advances

* Exposure to Electricity (Power) at 6.09% exceeds 5% of total non-fund based outstanding.

e. The residual contractual maturity break down of assets is:

(₹ in Crores)

	Advances	Investments (gross)	Foreign Currency Assets
Next day	30,279.73	291.99	3,540.08
2 – 7 days	8,153.18	42.25	7,687.08
8 –14 days	3,834.74	382.59	2,315.42
15 – 28 days	11,610.23	2,151.76	8,154.87
29 days – 3 months	84,450.52	4,768.58	29,649.54
>3 months – 6 months	41,136.25	2,318.48	18,474.87
> 6months – 1 year	32,592.14	1,723.62	16,983.88
>1 year – 3 years	46,935.45	13,539.95	21,849.46
> 3 years – 5 years	3,76,66.97	22,102.42	8,395.58
> 5 years	76,016.76	67,019.35	11,692.36
Total	**3,72,675.97**	**1,14,341.00**	**1,28,743.14**

Figures are shown on net basis

f. The gross NPAs are:

Category	(₹ in Crores)
Sub Standard	6,842.84
Doubtful – 1	2,907.89
Doubtful – 2	1,128.53
Doubtful – 3	286.45
Loss	717.90
TOTAL	**11,883.61**

h. The amount of net NPAs is ₹ 7,425.19 crores.

i. The NPA ratios are as under:

- Gross NPAs to Gross Advances: 3.14%
- Net NPAs to Net Advances: 1.99%

j. The movement of gross NPA is as under:

(₹ in Crores)

i) Opening balance at the beginning of the year	8,777.77
ii) Additions during the year	8,837.98
iii) Reductions during the year	5,732.14
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	11,883.61

k. The movement of provision for NPAs is as under:

(₹ in Crores)

i) Opening balance at the beginning of the year	1,963.92
ii) Provisions made during the year	4,532.95
iii) Write-off/write-back of excess provisions	2,925.53
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	3,571.27

l. The amount of non-performing investment is Rs. 810.21 crores.

m. The amount of provision held for non-performing investment is Rs. 547.93 crores.

n. The movement of provisions for depreciation on investments is as under:

(₹ in Crores)

i) Opening balance at the beginning of the year	980.10
ii) Provisions made during the year	72.55
iii) Write-off/write-back of excess provisions	42.65
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	1,095.30

Table DF-4

Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardised approach

Qualitative Disclosure

a) For portfolios under the standardized approach:

- Names of Credit Rating agencies used, plus reasons for any changes
- Types of exposure for which each agency is used;and
- A description of the process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book;

A: BANK OF INDIA

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations **CRISIL, ICRA, INDIA RATINGS, BRICKWORK, SMERA, and CARE for domestic claims and S&P FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.** SME ratings are not being used, as they are not approved by RBI.
2. The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II.

   The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.

   For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
3. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it. Even while extending an issuer or an issue specific rating to any other exposure on the same counterparty it is extended to the entire amount of credit risk exposure i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
4. For assets that have contractual **maturity less than or equal to one year**, **short term ratings** are used while for other assets, **long term ratings** are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
5. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty,

   whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except in cases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.
6. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardized Approach for long-term exposures. On the contrary, the *unrated short-term* claim on counter-party attracts a **risk weight of at least one level higher** than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.
7. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
8. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:

i. the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un- assessed claim only if this claim ranks *pari passu* or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim**, e**xcept where the rated claim is a short term obligation.

ii. if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks *pari passu* or junior to the rated exposure in all respects.

B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

The use of credit rating agencies in the calculation of credit risk RWA for each portfolio under the standardized approach is only applied to receivable to Public Sector Entities and the Bank.

Name of Credit rating agency is "**PEFINDO**" and "**FITCH RATING"**

-Types of exposure for each portfolio are:		Total Exposures (in Crores) (31 March 2014)
•	Demand Deposit with other Banks	24.33
•	Jasa Marga JORR Bonds (Public Sector Bonds)	0.23
	Other Bank Bonds	14.94

C: Bank of India (Tanzania) Ltd (Subsidiary, Bank of India (Uganda) Ltd (subsidiary) and **Bank of India (Botswana) Ltd.**

As per prevailing norms in the Country credit rating is not required to be done by any external credit rating agency. There is no credit rating agency operating/working in the Country.

D: Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary)

Credit risk is disclosed through General Disclosure Statement on quarterly basis as per the requirements.

Quantitative Disclosures

For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted;	
The total credit exposure of BOI Solo (excluding market related off balance sheet items) of the bank (subject to standardized approach), are classified under major risk buckets are as under: -	
Below 100 % risk weight:	₹ 410,140 Crores
100 % risk weight:	₹ 188,349 Crores
More than 100 % risk weight:	₹ 42,910 Crores
Deducted	NIL

Table DF-5

Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches

Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

a) **Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting;**

- policies and processes for collateral valuation and management;
- a description of the main types of collateral taken by the bank;
- the main types of guarantor counterparty and their credit worthiness; and
- information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken

A: BANK OF INDIA

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to protect entity's earnings from loss both in good and bad times. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Such a process is termed as credit risk mitigation and some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. The Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:

   (1) Collateralized transactions

   (2) On-balance-sheet-netting

   (3) Guarantees

2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognized as credit risk mitigants under the Standardized Approach. The following are the financial collaterals recognized.

i. Cash and Deposits including deposits in foreign currency.

ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.

iii. Securities issued by Central and State Governments

iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates

v. Life insurance policies

vi. Debt securities -Rated subject to conditions.

vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions

viii. Units of mutual funds subject to conditions

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The r**ange of eligible guarantors/ counter guarantors includes**:

i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

ii. Other entities rated AA or better.

5. The Bank has a well-defined Collateral Management policy, which provides the controlling framework to ensure collateral is used optimally. This is a key component in mitigating the credit risks inherent in lending. The Bank accepts both tangible and intangible securities. Tangible Securities are either in physical form or such other material form like cash margin, Deposits with Banks, Gold or such other precious metals, Shares NSC/ KVP/Life Insurance Policies. The intangible securities are –Bank Guarantees / Letters of Credit, book debts, Letter of Comfort, Letter of Negative Lien, Unregistered Charge etc. The common ways for obtaining security for moneys lent are Mortgage, Pledge, Hypothecation and lien The assets created out of the bank's credit exposure are as a general rule charged to the bank by way of first charge on pari-passu basis.

Guarantees are normally insisted upon whenever available/ permissible

The main type guarantors are: -

i. Central/State Government and Central Government sponsored agencies like DICGC, CGTMSE, and ECGC.

ii. Promoters/Major owners of corporates.

iii. Individual Guarantees of relatives in case of individuals

6. The various aspects of collateral management are -

Minimum conditions for the acceptance of collateral: For collateral to be valid and enforceable the bank ensures that the assets accepted as collateral are marketable, legally enforceable and can be taken control of if necessary .It is also ensured that the market value of the asset is readily determinable or can be reasonably established and verified. For internal control purposes, the bank has a list of types of assets acceptable as collateral and the maximum loan to value ratio for each of these assets taken as primary security. The bank also takes into account statutory restriction while taking collaterals.

a) Validity of collateral;

i) Enforceability

Bank ensures that credit documentation supporting the collateral, is legally enforceable in all relevant jurisdictions and empowers the Bank to apply the collateral freely to discharge the borrower's obligations.

ii) Title and ownership

Bank always verifies the existence and ownership of the assets being received as collateral before acceptance and ensures that there is no prior claim by any other party on the said collateral. Bank secures its control of the collateral prior to the drawdown of credit facilities. Information on collaterals is provided to Top Management periodically to facilitate management of credit risk. Charges on collaterals are promptly registered with the relevant authorities wherever applicable.

b) Loan-to-value ratios

Bank has specified the maximum loan-to-value ratio (margin) for major types of asset to be accepted as primary security. Such ratios are commensurate with the relative risk of the assets and

should be able to provide an adequate buffer against potential losses in realizing the collateral

c) Valuation

Bank has a Board approved policy in place for valuation of properties accepted for bank's exposures, where Basis of valuation, Qualification of Valuer and Frequency of revaluation are laid down for compliance across the bank.

d) Safe keeping of collateral and control to their access

Authority and responsibility has been delegated to relevant individuals and departments for approving the acceptance, monitoring or safe custody of collaterals

e) Additional / Replacement of collateral;

Procedures for requesting additional collateral are clearly documented

f) Insurance;

All eligible collaterals except those specially exempted are covered by insurance for relevant risks and detailed guidelines for the same are in place

g) Sale of collateral;

The Bank has clear and robust procedure for the timely liquidation of collateral.

B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

PT Bank of India Indonesia Tbk has policy and processes for collateral valuation, based on Bank of Indonesia Regulation and national discretions for mortgage loan. Independent appraisal of the collateral is made if the sanction limit of the loan is above Rs. 2.79 Crores. Liquidation value is calculated based on type of collateral. Collateral value is reviewed every year. The main type of collateral taken is Land & Buildings. Generally personal or third party guarantee is not taken. Sectoral caps in lending are in place to take care of concentrations. The Bank has no major risk concentrations of collaterals or credit risk mitigants.

C: Bank of India (Tanzania) Ltd and Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries)

The collaterals are obtained in the form of Bank's own Term Deposit receipts, Legal Mortgage over Immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, Pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/group are as detailed under

Collateral position	limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	25
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	10
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	5
c) Unsecured	

D: Bank of India (Uganda) Ltd.

Qualitative disclosures

The collaterals are obtained in the form of Bank's own term deposit receipts, Legal mortgage over immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/ group as per detailed under.

Collateral position	limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	25
a) 125% of the credit accommodation secured by it(fully secured)	25
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% of the credit accommodation secured by it (partly secured)	25
c) Unsecured	

E: Bank of India (Botswana) Ltd.

The collaterals are obtained in the form of Bank's own Term Deposit receipts, Legal Mortgage over Immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, Pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/group are as detailed under

Collateral position	limit (as % of unimpaired capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	30% of unimpaired capital
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	30% of unimpaired capital
c) Unsecured	30% of unimpaired capital

Quantitative Disclosures

(a) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral: after the application of haircuts.BOI Solo	₹ 41,618 Cr
(b) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI). BOI Solo	₹ 15,752 Cr

Table DF 6

Securitisation Exposures :- Disclosure for Standarised Approach

Qualitative Disclosures

A: BANK OF INDIA

The Bank has no Securitization Exposure as on 31.03.2014.

B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation, including a discussion of:

(i) The bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities;

(ii) The roles played by the bank in the securitisation process31 and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them; and

(iii) The regulatory capital approach that the bank follows for its securitisation activities.

(b) Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including:

(i) Recognition of gain on sale; and

(ii) Key assumptions for valuing retained interests, including any significant changes since the last reporting period and the impact of such changes;

(a) Names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.

(b) The total outstanding exposures securitised by the bank and subject to the securitisation framework by exposure type.

(e) For exposures securitised by the bank and subject to the securitisation framework:

(i) Amount of impaired/past due assets securitised; and

(ii) Losses recognised by the bank during the current period broken down by exposure type.

(f) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type.

(g) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down into a meaningful number of risk weight bands. Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit -enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital should be disclosed separately by type of underlying exposure type.

(h) Summary of securitisation activity presenting a comparative position for two years, as a part of the notes on Accounts to the balance sheet:

(i) Total number and book value of loan assets securitised – by type of underlying assets;

(ii) Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation; and

(iii) Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of credit enhancement, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.

C: Bank of India (Tanzania) Ltd , Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries)& Bank of India (Uganda) Ltd.& Bank of India (Botswana) Ltd.

Not Applicable

Quantitative Disclosures

A: BANK OF INDIA

Not Applicable

B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

Nil

C: Bank of India (Tanzania) Ltd & Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries), Bank of India (Uganda) Ltd.& Bank of India (Botswana) Ltd.

Not Applicable

Table DF 7

Market Risk

Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

A: BANK OF INDIA

In Trading book the Bank holds" Held for Trading"(HFT) and "Available for Sale" (AFS) portfolios of investments. The rest of the assets–i.e. Investments under Held to Maturity portfolio and advances-are treated as Banking Book. Given below is brief description of the Market Risk Management objectives and policies.

(i) **Strategies and Processes:**

Under Market Risk Management Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Foreign Exchange Risk, and Equity Price risk are monitored. Bank is not currently trading in commodities.

Liquidity Risk

Gap analysis is followed for monitoring Liquidity risk on a fortnightly basis. Prudential limit-for percentage of cumulative gap to cumulative outflow-based on Reserve Bank of India guidelines for the short-term buckets up-to 28 days is monitored. Besides, prudential limits are in place for market borrowing–Daily and average call borrowing–Inter Bank Liabilities, Purchased funds etc.

High value bulk deposits are monitored on a weekly basis. Short-term dynamic liquidity statement is prepared on a fortnightly basis to assess the liquidity position, which takes in to account the business growth. A contingency funding plan is in place to meet the emergencies. The plan is tested on a quarterly basis. Stress Testing is also done on a quarterly basis to assess possible loss to Bank if there is any liquidity crisis and if funds are to be raised from the market to meet the contingencies.

Interest Rate Risk

Gap analysis is used to assess the impact on the Net Interest Income of the bank for the next 12 months and till the next financial year. The Bank also uses duration gap analysis.Prudential limits have been fixed for duration of liabilities. Bank's investments portfolio is monitored on basis of duration analysis.

VaR methodology is followed for dated securities under SLR and NonSLR(domestic) Prudential limits for VaR have been fixed and daily monitoring is being done and reported to Top Management. Foreign investments in dated securities are normally hedged and the interest rate risk is minimal. VaR limits are also fixed for Foreign Exchange position.

Stress Testingis done to assess the impact on Economic Value of Equity by infusing a shock of change in market rate by 200 basis points.

Foreign Exchange Risk

The Bank has fixed Aggregate Gap Limit in USD as well as in other currencies, Maximum Aggregate daylight and overnight exposure limits for foreign exchange exposure in various currencies. We have also fixed period-wise Individual Currency-wise Gap Limits. Stop loss limits, take profit limit and single deal limits are in place for monitoring the forex operations of the dealers.

Derivative transactions are monitored by fixing prudential limit for net open position and a cap for PV01on the outstanding derivatives.

Equity Price Risk

The bank's domestic investment policy has fixed stop loss limits for equity dealers. Daily Limits to Treasury, Maximum Investment Limit, Holding Period for Equity Portfolio (Trading). Daily reporting is done to Top Management on the transactions.

(ii) **Structure and Organization of Market Risk Management function:**

Risk Management is a Board driven function supported by three levels-.Risk Management Committee of the Board for overseeing and issuing directions, wherever necessary/approving Risk Management Policies etc. ,Asset Liability Management Committee(ALCO) who consider policy issues and with ALM Cell providing support at the ground level. Asset Liability Management Committees are operational at foreign centers also.

(iii) **Scope and nature of risk reporting and/ or measurement systems:**

In respect of domestic business the guide lines stipulated by RBI for managing Market Risk is followed such as–Preparation of Interest Rate Sensitivity statement on a monthly basis–Duration analysis of investments in the Trading book on a daily basis–VaR calculation of trading book investments on a daily basis excepting the equity portfolio–conducting stress test for liquidity risk/market risk on a quarterly basis.–Duration analysis of global balance sheet and impact on the Economic Value of Equity on a monthly basis. Interest Rate sensitivity is reviewed on a monthly basis by ALCO.

Various prudential measures have been put in respect to market borrowing and lending in conformity with RBI guidelines for monitoring liquidity risk. Structural Liquidity statement is prepared on daily basis and Short Term Dynamic Liquidity statement on a fortnightly basis and reported to Top Management / ALCO. Structural liquidity of international operations is being done on a quarterly basis at the corporate level.

The results of the Quarterly study on Stress-Testing and Impact on Economic Value of Equity is reported to ALCO. Trading book position–Duration and VaR is reported daily to Top Management.

iv) **Policies for Hedging and / or Mitigating Risk:**

Detailed policies are operational for Asset Liability Management and Market Risk Management, which deal in detail the various strategies and processes for monitoring Market Risk.

B: PT Bank of India IndonesiaTbk (Subsidiary)

In accordance with Regulation of Bank Indonesia regarding Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Bank, Bank is not included in the mandatory category for measuring the market risk in the calculation of the value of capital adequacy ratio (CAR). This is due to Bank is a foreign exchange Bank with financial instrument position in the form of securities and/or derivative transaction in the form of a Trading Book with amount below IDR 20 billion (USD 1.7 Million approximately).

C: **Bank of India (Tanzania) Ltd (Subsidiary), Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiary),Bank of India (Uganda) Ltd & Bank of India (Botswana) Ltd.**

(a) The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

i. Market risk: Market risk arises from open positions in interest rate, currency and equity products. The board sets limits and reviews it at regular interval on the risk that may be accepted. Further the exposure is monitored on daily basis.

ii. Liquidity risk: The bank is exposed to daily calls on its available cash resources from overnight deposits, current accounts, maturing deposits, loans drawn and guarantees, from margin and other calls on cash settlement. The board has set limit based on their experience of the minimum proportion of maturing funds available to meet such calls and on the minimum level of inter-bank and other borrowing facility that should be in place to cover withdrawals at unexpected levels of demand.

iii. Interest rate risk: The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

iv. Currency risk: The bank is exposed to the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rate. The bank is involved in foreign currency market only to the extent of buying and selling to the extent of required currency. The bank is not involved in foreign currency forward contracts and thus the risk is limited.

Quantitative Disclosure :-

The capital requirements for:	
interest rate risk:	₹ 861.42 Crores
equity position risk: and	₹ 413.41 Crores
foreign exchange risk:	₹ 305.57 Crores

Table DF - 8
Operational Risk

Operational risk

Qualitative disclosures

In addition to the general qualitative disclosure requirement, the approach (es) for operational risk capital assessment for which the bank qualifies.

A: BANK OF INDIA

The Bank adopts best practices in Risk Management. The Bank assesses and identifies operational risks inherent in all the material products, processes and systems under different Business Lines on an ongoing basis. All new products, activities and systems are being first routed through the New Product Group and then through Committee on Operational Risk Management (CORM). All policies are approved by the Board only after clearance by the Risk Management Committee of the Board (R Com). The Chief Risk Officer implements the directives of R.Com and overseas day-to-day Operational Risk Management functions.

Risk Management function works in close coordination with the committee of Business Operational Risk Managers (BORM) and Operational Risk Management Specialists (ORMS). The committee of BORM and ORMS assists the Operational Risk Management Division in undertaking the Risk and Control Self-Assessments (RCSA), reporting Losses and Key Risk Indicators (KRIs) on a periodical basis.

Risk reporting in the form of Loss Data Analysis is done on half yearly basis to assess the high-risk prone product and business lines and mitigation measures are adopted. Branch levels KRIs and Bank Level KRIs are tracked on a quarterly basis. RCSA exercise is undertaken for all the Bank's products and processes on an annual basis.

Operational Risk Capital Charge is calculated through Basic Indicator Approach. At present, the Bank is in the process of moving towards Advanced Measurement Approaches for computation of Operational Risk Capital Charge. The Bank has already applied to RBI for migration to The Standardised Approach (TSA) for calculation of Operational Risk Capital Charge.

B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

Bank adopts best practices in operational risk management, like segregation of duties, trainings, clear laid down procedures etc.

In managing operational risk, each unit is responsible for the risks in its daily operations by referring to policies and procedures, control and routine supervision. Managing operational risks also include areas related to product development, system, human resources and "know your customer" principles to prevent unavoidable circumstances.

To minimize the operational risk, the bank has increased the control

function in the transaction processings which conducted among others by implementing the procedures to ensure timely completion of the transaction, adjustment the accounting method to the applied standards, maintain records in orderly, secure access to the asset and data. Function of the Internal Audit Unit who conducts regular checks to the operational activities is also adding value to the improvement needed. Bank use Basic Indicator Approach in Risk Weighted Assets (ATMR) calculation for Operational Risk.

Bank also has Internal Control unit which has job to ensure all business unit comply to bank procedure and local government regulation as well.

C: Bank of India (Tanzania) Ltd , Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries), Bank of India (Uganda) Ltd.& Bank of India (Botswana) Ltd.

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a variety of causes associated with the bank's processes, personnel, technology and infrastructure, and from external factors other than credit, market, liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of corporate behavior. Operational risk arises from all the bank's activities.

The bank's objective is to manage the operational risk so as to balance the avoidance of financial losses and damage to the bank's reputation with overall cost effectiveness and to avoid control procedures that restrict initiate and creativity.

The primary responsibility for the development and implementation of controls to address operational risk is assigned to the senior management at each branch level. The responsibility is supported by the development of overall standards for management of operational risks in the following areas:-

- Requirements for appropriate segregation of duties, including the independent authorization of transactions;
- Requirements for the reconciliation and monitoring of transactions;
- Compliance with regulatory and other legal requirements;
- Documentation of controls and procedures;
- Requirements for the periodic assessment of operational risks faced, and the adequacy of controls and procedures to address the risks identified;
- Requirements for the reporting of operational losses and proposed remedial action;
- Development of contingency plans;
- Training and professional development;
- Ethical and business standards;
- Risk mitigation, including insurance where this is effective

Table DF-9

Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement, including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behavior of non-maturity deposits, and frequency of IRRBB measurement.

A: BANK OF INDIA

Interest Rate Risk in banking book is calculated generally on a quarterly basis. Banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio.

The strategies & processes /structure & organization / scope and nature of risk reporting / policies etc are the same as reported under Table DF –7.

The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as follows

Based on monthly information from data centre on the residual maturity of the advances and the deposits covering around 100% of bank's business, Interest Rate Sensitivity statement is prepared with various time buckets, having regard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.

The duration for each asset and liability is arrived at taking the midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is taken, as data is available with full particulars. In respect of investments, the AFS and HFT portfolios are excluded for this exercise as the focus is on IRR in the Banking Book.

Using the above, Modified duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 1% is reckoned By adding up, the net position is arrived at to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

Assumptions:

The interest rate moves uniformly across all time buckets and for all assets.

In respect of demand deposits – savings and current – the same are distributed as per the RBI guidelines on stress testing.

Generally the bank follows RBI guidelines on stress testing while calculating the IRRBB including selection of coupon rate / discount rate / taking midpoint of each time bucket as the maturity date etc.

Re-pricing of Base Rate/BPLR linked advances has been taken in the 3 to 6 months bucket.

B: PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary),Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries) and Bank of India Uganda Ltd

The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

Quantitative Disclosures

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 per cent of the total turnover).

INTEREST RATE RISK IN BANKING BOOK(BOI SOLO)

	Total	Of which in USD (where turnover is more than 5% of total turnover)
1. Earnings At Risk (NII)		
At 0.50% change for 1 year	181.21	104.04
2. Economic Value of Equity at Risk		
200 basis point shock	748.59	1382.28
Drop in equity value in %age terms	3.05%	5.63%

Table –DF 10

General disclosure for exposures related to Counterparty Credit Risk

a. The bank uses derivatives products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes. The risk management of derivative operation is headed by a senior executive, who reports to top management, independent of the line functions. Trading positions are marked to market on daily basis.

The derivative policy is framed by the Risk Management Department, which includes measurement of credit risk and market risk.

The hedge transactions are undertaken for balance sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks is in place.

Policy for hedging and processes for monitoring the same is in place.

Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions are in place, which includes recognition of income, premiums and discounts. Valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and risk mitigation are being done.

Credit equivalent or EAD has been computed in accordance with the Current exposure methodology (CEM). Potential exposure is computed by multiplying Credit conversion factor to Notional principal. Replacement cost is the positive market value. Current exposure is the same as the replacement cost. Credit equivalent or EAD is the sum of potential exposure and current exposure.

Quantitative Disclosure

Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposure, collateral held (including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure169. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit derivative hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure

Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group

	(Amount in Million)
Notional Principal Amount	1447555.45
Potential Exposure	28299.72
Replacement Cost	40388.15
Current Exposure	40388.15
Credit Equivalent or EAD	6868.79

Item	Notional Amount (In Million)	Current Credit Exposure (In Million)	Credit equivalent (In Million)
Currency Option	186.02	84.00	99.59
Cross CCY Interest Rate Swaps	5,130.07	373.64	869.10
Forward rate agreements	-	-	-
Interest rate future	-	-	-
Credit default swaps	-	-	-
Single CCY interest Rate Swaps	83,084.50	474.30	3,051.19
Total	188,400.59	931.94	4,019.87

Table DF -11

Composition of Capital

₹ In Millions

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1,2013 to December31,2017)	Eligible Amount	Amounts subject to pre Basel III Treatment	Ref No
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	63,095.49		(A)
2	Retained earnings	23,537.37		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	163,327.01		
4	*Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)*	-		
	Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018	-		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	617.41		
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	250,577.28		
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments			
8	Goodwill (net of related tax liability)			
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)			
10	Deferred tax assets	253.37		
11	Cash-flow hedge reserve			
12	Shortfall of provisions to expected losses			
13	Securitisation gain on sale			
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities			
15	Defined-benefit pension fund net assets			
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)			
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	44.29		
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)			
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)			
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)			
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)			
22	Amount exceeding the 15% threshold			
23	*of which: significant investments in the common stock of financial entities*			
24	*of which: mortgage servicing rights*			
25	*of which: deferred tax assets arising from temporary differences*			
26	National specific regulatory adjustments ((26a+26b+26c+26d)	5282.20		
26a	*of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries*			
26b	*of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries*			
26c	*of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank*			
26d	*of which: Unamortised pension funds expenditures*	5282.20		
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
	For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			

27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions			
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	5579.86		
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	244997.30		
	Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)			
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)			
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)			
33	*Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1*	21,897.70		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)			
35	*of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out*			
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	21,897.70		
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments			
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	1,004.72		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)			
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	443.97		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)			
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries			
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	5,393.01		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	1,013.47		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	4,379.54		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions			
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	6,841.70		
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	15,056.10		
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	15,056.10		
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	260,053.42		
	Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	15,000.00		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	58,995.36		
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)			
49	*of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out*			
50	Provisions	37,125.27		
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	111,120.63		
	Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments			
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	746.72		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)			
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	1035.93		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	11,339.07		
56a	*of which:* Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries			

56b	*of which:* Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	11399.07		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT			
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	13121		
58	**Tier 2 capital (T2)**	97,998.91		
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	97,998.91		
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	-		
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a+**+ 58b)	97,998.91		
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	358,052.32		
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre Basel III Treatment			
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			
	of which: …			
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**			
60a	*of which: total credit risk weighted assets*			
60b	*of which: total market risk weighted assets*			
60c	*of which: total operational risk weighted assets*			
	Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	6.84%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.24%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	9.97%		
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5%		
65	*of which: capital conservation buffer requirement*	-		
66	*of which: bank specific countercyclical buffer requirement*	-		
67	*of which: G-SIB buffer requirement*	-		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	6.84%		
	National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.00%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.50%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities			
73	Significant investments in the common stock of financial entities			
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)			
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)			
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	23,519.96		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach			
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)			
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach			
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	*Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements*			
81	*Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*			
82	*Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements*	21,897.70		
83	*Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	4,379.54		
84	*Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements*	58,995.36		
85	*Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	11,339.07		

Notes to the Template

Row No. of the template	Particular	(₹ in million)
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	1,266.44
	Total as indicated in row 10	1,266.44
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	
	of which: Increase in Tier 2 capital	
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	(ii) Increase in risk weighted assets	
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	4,379.54
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	23,519.96
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	13,605.31
	Total of row 50	37,125.27
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	11,339.07

Table DF-12

Composition of Capital- Reconciliation Requirements

(Rs. in million)

Step -1

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	6430.02	6430.02
	Reserves & Surplus	301,307.23	301,452.41
	Minority Interest	840.05	617.41
	Total Capital	308,577.30	308,499.41
ii	Deposits	4,786,950.77	4,787,210.25
	of which: Deposits from banks	530,070.56	530,070.56
	of which: Customer deposits	4,256,880.21	4,257,139.68
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	Borrowings	484,275.10	484,275.10
	of which: From RBI	46,865.58	46,865.58
	of which: From banks	24,786.33	24,786.33
	of which: From other institutions & agencies	412,623.19	412,623.19
	of which: Others (pl. specify)	325,816.46	325,816.46
	of which: Capital instruments	111,593.06	111,593.06
iv	Other liabilities & provisions	201,742.46	179,311.31
	Total	5,781,546.04	5,759,519.14
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	192,878.57	192,867.30
	Balance with banks and money at call and short notice	424,724.48	424,662.38
ii	Investments:	1,164,897.43	1,145,034.36
	of which: Government securities	1,008,514.15	1,003,739.24
	Of which: Other approved securities	1,442.74	11.65
	of which: Shares	16,489.58	8,969.76
	of which: Debentures & Bonds	86,494.58	83,862.83
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	10,135.52	11,335.52
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	41,820.87	37,115.38
iii	Loans and advances	3,726,714.60	3,726,700.54
	of which: Loans and advances to banks	342,192.58	342,192.58
	of which: Loans and advances to customers	3,384,522.02	3,384,507.95
iv	Fixed assets	58,201.87	58,131.88
v	Other assets	214,129.08	212,122.68
	of which: Goodwill and intangible assets	-	-
	of which: Deferred tax assets	1,322.23	1,322.23
vi	Goodwill on consolidation	-	-
vii	Debit balance in Profit & Loss account	-	-
	Total Assets	5,781,546.04	5,759,519.14

Step 2

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
i	Paid-up Capital *of which: of which:*		
	Amount eligible for CET1	64300.02	64300.02
	Amount eligible for AT1		
	Reserves & Surplus	301,307.23	301,452.41
	Of which:		
	Statutory Reserves	66,568.84	66,568.84
	Securities premium	56,665.47	55,849.47
	Capital reserves:		
	Foreign Currency Translation Reserve	17,585.90	17,585.90
	Revaluation reserve	37,421.82	37,421.82
	Of which: eligible for CET1	-	
	Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"	8,801.66	8,801.66
	Others	230.85	230.85
	Revenue and Other Reserves:	97,832.69	98,793.87
	Special Reserve	16,200.00	16,200.00
	Of which: eligible for CET1 (net of Tax)	16,200.00	16,200.00
	Balance in profit & loss account	-	-
	Minority Interest	840.05	617.41
	Total Capital	308,577.30	308,499.41
ii	Deposits	4,786,950.77	4,787,210.25
	of which: Deposits from banks	530,070.56	530,070.56
	of which: Customer deposits	4,256,880.21	4,257,139.68
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	Borrowings	484,275.10	484,275.10
	of which: From RBI	46,865.58	46,865.58
	of which: From banks	24,786.33	24,786.33
	of which: From other institutions & agencies	412,623.19	412,623.19
	of which: Others (pl. specify)	325,816.46	325,816.46
	of which: Capital instruments	111,593.06	111,593.06
iv	Other liabilities & provisions	201,742.46	179,311.31
	of which: DTLs related to goodwill	0	0
	of which: DTLs related to intangible assets	0	0
	Total	5,781,546.04	5,759,519.14
B	Assets		
i	cash and balances with Reserve Bank of India	192,878.57	192,867.30
	Balance with banks and money at call and short notice	424,724.48	424,662.38
ii	Investments	1,164,897.43	1,145,034.36
	of which: Government securities	1,008,514.15	1,003,739.24
	of which: Other approved Securities	1,442.74	11.65
	Of Which Shares	16,489.58	8,969.76
	of which: Debentures & Bonds	86,494.58	83,862.83
	Of which: Subsidiaries/Joint Ventures/ Associates	10,135.52	11,335.52
	Of which :- Others(Commercial Papers, Mutual Funds etc)	41,820.87	37,115.38
Iii	Loans and Advances	3,726,714.60	3,726,700.54
	of which: Loans and advances to banks	342,192.58	342,192.58
	of which: Loans and advances to customers	3,384,522.02	3,384,507.95
Iv	Fixed assets	58,201.87	58,131.88
v	Other assets	214,129.08	212,122.68
	Of which: Goodwill and intangible assets	-	-
	Of which: Deferred tax assets	1,322.23	1,322.23
Vi	Goodwill on Consolidation	-	-
Vii	Debit balance on Profit & Loss account	-	-
	Total Assets	5,781,546.04	5,759,519.14

Step 3

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	63,095.49	
2	Retained earnings	25,537.37	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	163,327.01	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non- joint stock companies)		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	617.41	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	250,577.28	
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		

Table DF-13

Main Features of Regulatory Capital Instruments

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A01016	INE084A09050	INE084A09068	INE084A09076	INE084A09084	INE084A09100
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment						
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Common Shares	Lower Tier 2 Instruments	Lower Tier 2 Instruments	Lower Tier 2 Instruments	Lower Tier 2 Instruments	Lower Tier 2 Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	6,430,021	NIL	NIL	NIL	1,500	800
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	NA	3,500	2,000	3,000	7,500	2,000
10	Accounting classification	Equity Share Capital	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	Various	23/01/2004	31/03/2004	23/02/2005	16/09/2005	20/03/2006
12	Perpetual or dated	Perpetual	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	NA	30/04/2014	30/04/2014	23/05/2014	16/04/2015	20/06/2016
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	No	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Coupons / dividends	Dividend	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/ coupon	NA	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed

18	Coupon rate and any related index	NA	5.88%	5.90%	7.10%	7.50%	8.00%
19	Existence of a dividend stopper	NA	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	NA	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative
23	Convertible or non-convertible	NA	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	NO	No	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank Bank Bank	All other depositors and creditors of the Bank Bank Bank	All other depositors and creditors of the Bank Bank Bank	All other depositors and creditors of the Bank Bank Bank	All other depositors and creditors of the Bank Bank Bank
36	Non-compliant transitioned features	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	NA	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A09118	INE084A09159	INE084A09175	INE084A09183	INE084A09209	INE084A09217
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment						
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	5,856	4,000	4,000	4,000	8,000	8,000

9	Par value of instrument (Rs. Mn)	7,320	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	31/07/2006	16/10/2008	28/07/2009	28/08/2009	20/01/2010	11/06/2010
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	31/07/2021	16/10/2023	28/07/2024	28/08/2024	20/01/2025	10/06/2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	31/07/2016	16/10/2018	28/07/2019	28/08/2019	20/01/2020	11/06/2020
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.35%	11.15%	8.45%	8.50%	8.54%	8.48%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank Bank Bank	All other depositors and creditors of the Bank Bank Bank	All other depositors and creditors of the Bank Bank Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature

1	Issuer	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A08037	INE084A08045
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	10,000	5,000
9	Par value of instrument (₹ Mn)	10,000	5,000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	25/09/2013	30/09/2013
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	25/09/2023	30/09/2023
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.80%	9.80%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA
30	Write-down feature	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Decided by RBI	Decided by RBI
32	If write-down, full or partial	Decided by RBI	Decided by RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Decided by RBI	Decided by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Basel III	Basel III
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature

1	Issuer	BOI	BOI	BOI	BOI	BOI	BOI
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A09126	INE084A09134	INE084A09142	INE084A09167	INE084A09191	INE084A09225
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment						
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	3,200	800	1,240	3,200	2,600	2,400
9	Par value of instrument	4,000	1,000	1,550	4,000	3,250	3,000
10	Accounting classification	Borrowing	Borrowing	Borrowing	Borrowing	Borrowing	Borrowing
11	Original date of issuance	27.07.2007	27.09.2007	11.10.2007	10.02.2009	09.12.2009	09.09.2010
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Call Option Date 27.07.2017 Redemption at Par	Call Option Date 27.09.2017 Redemption at Par	Call Option Date 11.10.2017 Redemption at Par	Call Option Date 10.02.2019 Redemption at Par	Call Option Date 09.12.2019 Redemption at Par	Call Option Date 09.09.2020 Redemption at Par
16	Subsequent call dates, if applicable	On Anniversary Date after 27.07.2017	On Anniversary Date after 27.09.2017	On Anniversary Date after 11.10.2017	On Anniversary Date after 10.02.2019	after 09.12.2019	after 27.07.2017
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Before Call 10.55% if call not exercised 11.05%	Before Call 10.45% if call not exercised 10.95%	Before Call 10.40% if call not exercised 10.90%	Before Call 8.90% if call not exercised 9.40%	Before Call 9.00% if call not exercised 9.50%	Before Call 9.05% if call not exercised 9.55%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA	NA

28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	Bank of India, London Branch
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	XS0268226536
3	Governing law(s) of the instrument	English
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & group
7	Instrument type	Upper Tier 2
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	USD 216 million
9	Par value of instrument	USD 240 million
10	*Accounting classification*	*[Debt]*
11	*Original date of issuance*	*14 Sep 2016*
12	*Perpetual or dated*	*Dated*
13	*Original maturity date*	*22 Sep 2021*
14	*Issuer call subject to prior supervisory approval*	*Yes*
15	*Optional call date, contingent call dates and redemption amount*	*22 Sep 2016*
16	*Subsequent call dates, if applicable*	*Every coupon date after 22 Sep 2016*
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	6.625%
19	Existence of a dividend stopper	NA
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step up
22	Noncumulative or cumulative	Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA
25	If convertible, fully or partially	NA
26	If convertible, conversion rate	NA

27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA
30	Write-down feature	NA
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA
32	If write-down, full or partial	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Preference and equity shareholders
36	Non-compliant transitioned features	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	1. Includes step up on call date. 2. Coupons are deferred and cumulative. 3. Principal loss absorption at PONV not included

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	Bank of India, Jersey Branch
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	XS0294208235
3	Governing law(s) of the instrument	English
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	[AT 1]
5	Post-transitional Basel III rules	[Eligible]
6	Eligible at solo/group/ group & solo	[Solo & Group]
7	Instrument type	IPDI (Hybrid Tier 1)
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	[USD 76.50 million]
9	Par value of instrument	USD 85 million
10	*Accounting classification*	*[Debt]*
11	*Original date of issuance*	*27 March '07*
12	*Perpetual or dated*	*Perpetual*
13	*Original maturity date*	*NA*
14	*Issuer call subject to prior supervisory approval*	*Yes*
15	*Optional call date, contingent call dates and redemption amount*	*3 April 2017*
16	*Subsequent call dates, if applicable*	*Every coupon date after 3 April 2017*
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	6.994%
19	Existence of a dividend stopper	NA
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step up
22	Noncumulative or cumulative	Non cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA
25	If convertible, fully or partially	NA
26	If convertible, conversion rate	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA
30	Write-down feature	NA

31	If write-down, write-down trigger(s)	NA
32	If write-down, full or partial	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Preference and equity shareholders
36	Non-compliant transitioned features	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	1. Includes step up on call date. 2. BoI does not have full discretion to cancel coupon. 3. Principal loss absorption at PONV and CET1 trigger not included

Table DF 14

Full terms and Condition of Regulatory Capital Instrument

- As per Separate annexure attached.

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रधान कार्यालय– स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई –400 051.

HEAD OFFICE- STAR HOUSE, BANDRA KURLA COMPLEX, MUMBAI-400 051

सूचना

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की अठारहवीं वार्षिक आम बैठक गुरूवार, 10 जुलाई 2014 को अपराह्न 3.00 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई –400 051 में निम्नलिखित कारोबार करने के लिए की जाएगी:

मद संख्या 1

यथा 31 मार्च 2014 के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता, खाता में कवर की गई अवधि हेतु बैंक के कार्य तथा गतिविधियों पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और तुलन पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा अंगीकार करना.

मद संख्या 2

31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए घोषित और प्रदत्त अंतरिम लाभांश की पुष्टि करना.

मद संख्या 3

एक विशेष संकल्प के रुप में, विचार करने और यदि उपयुक्त माना गया तो निम्नलिखित संकल्प को आशोधनों के साथ अथवा उसके बिना पारित करने हेतु:

यह संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्ज़न एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंधन और विविध प्रावधान)योजना, 1970 (योजना) और बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एंड मिटिंग्स) विनियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदनों, सम्मतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यधीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यधीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जाए और सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिसक्लौजर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन, 2009 (सेबी–आईसीडीआर विनियमन)/ दिशानिर्देश एवं समय–समय पर आरबीआई एवं अन्य संबन्धित प्राधिकरणों द्वारा विहित विनियमों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं,बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक बोर्ड (इसके पश्चात इसे बोर्ड कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) भारत अथवा विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा ऑफर, इश्यू और आबंटित (संस्थाव के आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और/अथवा निर्गम के ऐसे भाग के प्रतिस्पर्धात्मक आधार और उस समय लागू कानून द्वारा अनुमत ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी भी शामिल)

क) लागू प्रीमियम पर ₹ 10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के 14 करोड़ तक के इक्विटी शेयर के साथ मौजूदा पैड–अॅप इक्विटी शेयर पूंजी जो बैंक के ₹ 3000 करोड़ के कुल प्राधिकृत पूंजी के अंदर होगा, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ए) के अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूंजी की सीमा है अथवा भविष्य में अधिनियम बनने वाले किसी संशोधन (यदि हो) के अनुसार वर्धित प्राधीकृत पूंजी, इस प्रकार से कि केन्द्रीय सरकार की हर समय पैड–अॅप इक्विटी पूंजी की कम से कम 51% धारिता रहेगी चाहे वह बाज़ार मूल्य में छूट अथवा प्रीमियम पर हो।

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Eighteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of India will be held on Thursday, July10, 2014 at 3.00 P.M. at Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400 051 to transact the following business:

Item No. 1

"To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2014, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2014, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts"

Item No. 2

"To confirm payment of Interim Dividend declared and paid for the Financial Year ended 31st March 2014."

Item No. 3

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI(Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/ prospectus or such other document, in India or abroad

a) Upto 14 Crore equity shares of the face value of ₹ 10 each for cash at such premium which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of ₹3000 crore of the bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price,

ख) आरबीआई द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखतों को सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर अथवा आमंत्रण देना, इसमें अपरिवर्तनीय डिबेंचर शामिल लेकिन गौण डिबेंचर, बांड, स्थायी संचयी अधिमान्यय शेयरों तक सीमित नहीं और/अथवा अन्य ऋण प्रतिभूतियों/ अधिमान्य शेयरों आदि, निजी स्थानन के आधार पर, आरबीआई अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा चिन्हित और वर्गीकृत टियर I अथवा टियर II पूंजी के लिए वर्गीकृत की जा सकने वाली एक अथवा अधिक शेयर का हिस्सौ जो ₹ 5145 करोड़ रकम के अधिक न हो, इस विशेष संकल्प को पारित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियत किए गए बैंक की संपूर्ण उधार सीमा के अंदर हो।

एक अथवा अधिक शेयर के हिस्सों में, एक अथवा अधिक सदस्यों , बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई), निजी अथवा पब्लिक कंपनियां, निवेश संस्थाएं, सोसाइटी, न्याएस, अनुसंधान संस्थाएं, क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बॉयर (क्यूशआईबी) जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), बैंक, वित्तीय संस्थाए, भारतीय म्यूचुअल निधि, वेन्चर पूंजी निधि, विदेशी वेन्चर पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन निधि, विकास वित्तीय संस्थाएं अथवा अन्य इकाई, प्राधिकारी अथवा कोई अन्य वर्ग के निवेशक जो बैंक के इक्विटी/अधिमानी शेयर /प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत है, यह मौजूदा विनियम /दिशानिर्देशों अथवा उपर्युक्त में से कोई संयोजन जो बैंक के द्वारा उचित समझी जाए शामिल है।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि ऐसा निर्गमन, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम. राइट्स इश्यू; निजी प्लेसमेंट के माध्यम से होगा या ऐसे अन्य निर्गम जिनका प्रावधान लागू नियमों द्वारा किया गया हो, ओवर-अलॉटमेंट विकल्पों के साथ या उसके बिना और कि ऐसा प्रस्ताव निर्गम, प्लेसमेंट और आबंटन वैधकारी बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्ज़न एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 सेबि (पूंजी तथा प्रकटन आवश्यकताओं का निर्गम) विनियमन, 2009 (आईसीडीआर विनियमन) और आरबीआई, सेबि एवं यथा लागू किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार और बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक पर जैसा वह उचित माने इस प्रकार एवं शर्तें शामिल हैं

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपरोक्त निर्गम के संबंध में बोर्ड ऐसे मूल्यों पर और जहां आवश्यक होगा अग्रणी प्रबंधकों और/या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों और/या ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से आईलीडीआर विनियमों, अन्य विनियमन और किसी या सभी लागू कानून,नियमों,विनियमनों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे मूल्य पर, जिसका निर्धारण आईसीडीआर विनियमनों के संगत प्रावधानों के अनुसार किया गया है, यह निर्णय लेने का अधिकारी होगा कि प्रस्ता वित निदेशक बैंक के वर्तमान शेयरधारक है या नहीं ।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी आशोधन को स्वीकार करें जैसा अपेक्षित हो या जीओआई/ आरबीआई/सेबि /स्टॉक एक्स चेज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे प्राधिकारियों द्वारा बोर्ड द्वारा सहमतनुसार उनके निर्गम,आबंटन और सूचीकरण को उनके अनुमोदन, सहमति और मंजूरी प्रदान करते वक्ता अधिरोपित किया गया हो।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि एनआरआई, एफआईआई और /या अन्य पत्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयरों का निर्णय एवं आबंटन यथा लागू विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम,1999 के अंतर्गत परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमाओं के अंतर्गत, आरबीआई के अनुमोदन की शर्त के अध्यधीन होगा।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि निर्गमित किए जाने वाले कथित नए शेयर,बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 यथा संशोधित के अध्यलधीन होंगे और लाभांश यदि कोई,बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ समरूपी श्रेणी में होंगे।

b) for making offer(s) or invitation(s) to subscribe to perpetual debt instruments in accordance with the guidelines framed by RBI, Non-Convertible Debentures including but not limited to Subordinated Debentures, bonds, Perpetual Non Cumulative Preference Shares and /or other debt securities/ Preference Shares, etc., on a private placement basis, in one or more tranches which may classify for TIER I or TIER II Capital as identified and classified by RBI or such other authority for an amount not exceeding ₹ 5745 Crore, during the period of one year from the date of passing of this Special Resolution within the overall borrowing limits of the Bank as may be fixed by the Board from time to time.

in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT,such issue, offer or allotment shall be by way of qualified institutional placement (QIP), public issue, rights issue, private placement or such other issue which may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, determined in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT,the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or where the Debt Securities to be issued are proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT,the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and other regulators as applicable."

"RESOLVED FURTHER THAT, the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 as amended and shall rank in all respects pari-passu with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड के अधिकार है और एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी अग्रणी प्रबंधक,बैंकर हामीदार,डिपॉज़िटरी, रजिस्ट्रार, लेखापरीक्षक और शेयर/अधिमानी शेयर/डेट प्रतिभूतियां ऑफ़र करने से संबंधित सभी एजेन्सियों के साथ अभी ऐसी व्यरवस्थाओं का निष्पादन करें और सभी ऐसी संस्थाओं एवं एजेन्सियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति करे और ऐसी एजेन्सियों के साथ सभी ऐसी व्यवस्थाओं को निष्पांदित करें!

यह भी संकल्पत पारित किया जाता है कि उपर्युक्ता को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड, अग्रणी प्रबंधक,अंडर राइटर,सलाहकार और अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों की सलाह से अब और एतद्वारा ईश्यू (ओं) के प्रकार और शर्त निर्धारण के लिए प्राधिकृत है जिसमें शेयर आबंटित करने के लिए निवेशकों के वर्ग, प्रत्येक भाग में आबंटित होने वाले शेयरों/अधिमानी शेयरों /डेट प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम,अगर कोई सहित) अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम /परिवर्तन /वारंटों के निष्पादन /प्रतिभूतियों के मोचन, ब्याज दर, मोचन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमानी शेयरों की संख्या या प्रतिभूतियों के परिचर्तन या मोचन या रद्दीकरण पर अन्य प्रतिभूतियों, मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम या बट्टा ब्याज दर, परिवर्तन अवधि रिकॉर्ड तारीख या बही बंदी के निर्धारण और संबंधित या प्रासंगिक मामले, भारत और अथवा विदेश में एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जाना शामिल है, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक में उचित समझे।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि ऐसे शेयरों/अधिमानी शेयरों/डेट प्रतिभूतियों में से यदि कोई अभिदत नहीं है तो बोर्ड द्वारा जैसा उचित समझा जाए और विधि द्वारा अनुमतानुसार बोर्ड के पूर्ण विवेक पर उसे निनटाया जा सकता है्।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्पत को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड, अब और इसके द्वारा ऐसे सभी व्यवहारों, कार्यों, मामलों और बातों के लिए प्राधिकृत है जो उसके संपूर्ण विवेकाधिकार में उचित, सही और वांछनीय समझे जाए और शेयर/प्रतिभूति के निर्गम से संबंधित उठे किसी प्रश्न, असुविधा अथवा संदेह को निपटाने और आगे भी ऐसे सभी व्येवहारों, कार्यों, मामलों और बातों को करने, जैसा भी आवश्यक, वांछनीय अथवा उचित हो, सभी दस्तावेज़ और लेखन को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने, जैसा कि संपूर्ण विवेकाधिकारी में उचित, सही अथवा वांछनीय हो जिसमें शेयरधारकों से आगे अनुमोदन अथवा सहमति लेने की आवश्यकता न हो अथवा इसके लिए अधिकृत हो और इस प्रयोजन हेतु शेयरधारकों ने संकल्प के प्राधिकार से स्पष्ट रूप से इसके लिए अपना अनुमोदन दिया हो!

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को इसके द्वारा प्रदत सभी या किसी अधिकारी को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक (को) को प्रत्यांयोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है

निदेशक मंडल नोटिस में उल्ले‍खित संकल्पों को पारित करने हेतु संस्तुती करते हैं।

बैंक के निदेशकगण उपरोक्त संकल्प (पो) से सम्बद्ध या हितबद्ध नहीं है, वे उसी सीमा तक सम्बंद्ध या हितबद्ध है जिस सीमा तक बैंक में उनकी शेयरधारिता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

वी. रा. अय्यर

(श्रीमती वी. आर. अय्यर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 मई, 2014

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/ conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT,such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairperson and Managing Director or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

By order of the Board

(Mrs. V. R. Iyer)
Chairperson & Managing Director

Place: Mumbai
Date: 30th May, 2014

टिप्पणियां :

1. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा मतदान के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा मतदान हेतु एक परोक्षी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित फार्म उसमें निर्धारित स्थान पर वार्षिक आम बैठक के कम से कम 4 (चार) दिन पूर्व अर्थात शनिवार दिनांक 05 जुलाई, 2014 को या उससे पहले बैंक के कामकाज के समय के समाप्त होने से पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसी कंपनी या अन्य किसी निकाय-कंपनी जो बैंक की शेयरधारक है, का विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि है, द्वारा आम बैठक के दिनांक से 4 (चार) दिन पहले, अर्थात शनिवार दिनांक 05 जुलाई, 2014 को या उससे पहले बैंक के कामकाज के समय के समाप्त होने से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में, जिस बैठक में उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा उक्त संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि यदि प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उसे बैठक में उपस्थित रहने का, मत देने का अधिकार नहीं होगा।

3. लेखाबंदी

शेयरधारकों का रजिस्टर, एवं बैंक का शेयर अंतरण रजिस्टर वार्षिक आम बैठक एवं लाभांश के भुगतान के लिए पात्रता अभिनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 05 जुलाई, 2014 से दिनांक 10 जुलाई, 2014 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

4. पते में परिवर्तन

जिन शेयरधारकों के पास शेयर डिमेट स्वरुप में हैं उन्हें अपने पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना उनसे संबंधित सहभागी निक्षेपागार को देनी चाहिए। जिनके पास शेयर प्रत्यक्ष रुप में हैं, उन्हें अपने पते में परिवर्तन की सूचना बैंक के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर देनी चाहिए:

मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा.लि.

यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया,
13, ए बी, संहिता वेयरहाउसिंग कॉम्पलेक्स,
साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज लेन,
अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका, अंधेरी पूर्व,
मुंबई -400 072.
फोन- 022-67720300/67720400
फैक्स- 022-28591568
ई मेल : boi@shareproservices.com

5. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षियों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र सुपुर्द कर दें। शेयरधारक के परोक्षी/प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र में परोक्षी अथवा प्रतिनिधि में से वह जिस रुप में उपस्थित हो रहे हों उसका उल्लेख कर देना चाहिए।

6. अदावाकृत लाभांश यदि कोई हो

वे शेयरधारक जिन्होंने अपने लाभांश वारंट अभी तक नहीं भुनाए हैं या उन्हें पहले की अवधि के कोई वारंट अभी तक नहीं मिले हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे वारंट की अनुलिपि जारी करने के लिए अंतरण एजेंट से संपर्क करें। बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी के अनुसार लाभांश की सात वर्ष तक अदत्त राशि या अदावाकृत राशि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205-सी के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अंतरित करनी होती है।

Notes.

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON HIS/HER BEHALF. The Proxy form, in order to be effective, must be received at the place specified in the Proxy form not later than 4(four) days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the close of banking hours on Saturday, the 5th July 2014.

2. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than 4 (four) days before the Annual General Meeting on or before the close of banking hours on Saturday, the 5th July 2014.

3. BOOK CLOSURE

The Register of the Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Saturday, July 5th , 2014 to Thursday July10th , 2014 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting,

4. CHANGE OF ADDRESS

Shareholders holding shares in dematerialized form should communicate the change of address, if any, to their Depository Participant. Shareholders who hold shares in physical form should communicate the change of address to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address

M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.,
Unit: Bank of India
13 AB Samhita Warehousing Complex
Off. Andheri Kurla Road
Sakinaka Telephone Exchange Lane
Sakinaka, Andheri East
Mumbai 400 072
Tel : 22- 67720300 / 67720400
Fax : 22 - 28591568
E mail: boi@shareproservices.com

5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry pass is annexed to this Report. Shareholders/ Proxy holders/ representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the Attendance slip- cum-Entry pass at the venue. Proxy/Representative of a shareholder should state on the Attendance slip-cum-Entry pass "Proxy" or "Representative" as the case may be.

6. UNCLAIMED DIVIDEND IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received for previous periods if any are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate. As per the Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013.

7. संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट

जो शेयरधारक संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट चाहते हैं वे हमारी वेबसाइट : www.bankofindia.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा boi@shareproservice.com पर मेल कर सकते हैं अथवा कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ इंडिया, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई-400 051 को पत्र लिख सकते हैं।

8. ई-वोटिंग

सूचना में उल्लेखित मदों पर एलेक्ट्रोनिक रूप से मतदान करने हेतु बैंक के शेयरधारकों के लिए बैंक ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है। निष्कपट एवं पारदर्शी रूप से ई-वोटिंग प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए बैंक ने श्री एस. एन. अनंतसुब्रमणियम, पेशेवर कंपनी सेक्रेटरी अथवा उनकी अनुपस्थिति में सुश्री मालती कुमार, पेशेवर कंपनी सेक्रेटरी अथवा उनकी अनुपस्थिति में सुश्री अपर्णा गाडगील, पेशेवर कंपनी सेक्रेटरी को परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। शेयरधारकों/लाभार्थी मालिकों के ई-वोटिंग अधिकारों को इस हेतु निर्दिष्ट अंतिम तारीख 23 मई, 2014 को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

9. ई-वोटिंग अनुदेश

i) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार, इस उद्देश्य के लिए तय की गई यथा 23 मई 2014 (कट-ऑफ़ तारीख) को बैंक के प्रदत्तन ईक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगी।

ii) वोटिंग अवधि शुक्रवार, 04 जुलाई, 2014 को सुबह 10.00 बजे शुरू होगी और रविवार, 06 जुलाई, 2014 को समाप्त होगी। एनएसडीएल द्वारा उसी दिन शाम 05.00 बजे ई-वोटिंग मोड्यूल को डिसेबल भी कर दिया जाएगा।

iii) यदि आप ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप वोट डालने के लिए मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

iv) आंरभिक पासवर्ड इस सूचना के अंत में प्रदान किया गया है।

v) निम्नलिखित URL:https://www.evoting.nsdl.com/ टाईप करके इंटरनेट ब्राउसर शुरू करें।

vi) शेयरहोल्डार-लॉगइन पर क्लिक करें।

vii) यूज़र आईडी और उपरोक्त (iv) में दिए गए आरंभिक पासवर्ड को पासवर्ड में डालें। लॉगइन पर क्लिक करें।

viii) पासवर्ड चेंज मेन्यू दिखाई देगा। अपनी पसंद के पासवर्ड से पासवर्ड को बदल दें जो न्यूनतम 8 डिजिट /कैरेक्टर अथवा उनका मिश्रण होगा। नए पासवर्ड को नोट करें। यह सिफारिश की जाती है कि किसी भी व्यक्ति को अपना पासवर्ड न बताएं और पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें।

ix) ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा। ई-वोटिंग पर क्लिक करें। वोटिंग साइकल को सक्रिय करें।

x) "EVEN" of 100278 का चयन करें।

xi) अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि कास्ट वोट पेज खुलेगा।

xii) उचित विकल्प का चयन करते हुए अपना वोट डालें और सबमिट पर क्लिक करें तथा प्राम्प्ट किए जाने पर कन्फर्म करें।

xiii) पुष्टिकरण होने पर vote cast successfully'' का संदेश दिखेगा।

xiv) एक बार संकल्प पर वोट डालने के बाद आपको वोट में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

xv) संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तिगत, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) के साथ वोट के लिए प्राधिकृत विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी (यों) के अनुप्रमाणित नमूने हस्ताक्षर, scrutinizer@snaco.net पर ई मेल के जरिए स्क्रूटिनाइज़र को भेजनी होगी जिसकी प्रतिलिपि evoting@nsdl.co.in को भेजी जाए।

7. Full Annual Report

Shareholders desirous to have a full Annual Report can download it from our website www.bankofindia.co.in or send email to boi@shareproservices.com or letter to the Company Secretary, Bank of India, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051

8. E-Voting

The Bank is pleased to provide e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank has appointed Mr. S. N. Ananthasubramanian, Practicing Company Secretary or failing him Ms. Malati Kumar, Practicing Company Secretary or failing her Ms. AparnaGadgil, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/ beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on May 23rd , 2014 being the Cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

9. E-voting Instructions

(i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on May 23rd 2014 (Cut-off Date) fixed for the purpose.

(ii) The voting period will commence at 10.00 a.m. on Friday, 4th July, 2014 and will end at 5.00 p.m. on Sunday 6th July, 2014. The e-voting module shall also be disabled by NSDL at 5.00 p.m. on the same day.

(iii) If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

(iv) Initial password is provided as below at the bottom of this communication.

(v) Launch internet browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/

(vi) Click on Shareholder - Login.

(vii) Insert user ID and password as initial password as given in (iv) above. Click Login.

(viii) Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/ characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(ix) Home page of e-Voting opens. Click on e-Voting: Active Voting Cycles.

(x) Select "EVEN" of 100278.

(xi) Now you are ready for e-Voting as Cast Vote page opens.

(xii) Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

(xiii) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed

(xiv) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote

(xv) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority Letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

xvi) एक से अधिक फोलियो/डीमैट खाते रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे। तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम,1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार, भारत सरकार के अतिरिक्त किसी भी अन्य शेयरधारक को बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

xvii) यह सलाह दी जाती है कि आप अपने पासवर्ड की जानकारी किसी को न दें और उसे बिलकुल गोपनीय रखें।

xviii) ई–वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और उसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी जाएगी।

xix) कृपया नोट करें कि एक बार अपना वोट डालने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते या वार्षिक आम बैठक में वोट ऑन पोल नहीं कर सकते। फिर भी, आप बैठक में भाग ले सकते हैं और अगर चर्चा हो, उसमें सहभागिता कर सकते हैं।

xx) अगर कोई सवाल हों, तो आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और www.evoting.nsdl.com के "Downloads' भाग में शेयरधारकों के लिए उपलब्ध ई–वोटिंग यूज़र मैनुअल देख सकते हैं।

xxi) आप फोलियो के यूज़र प्रोफाइल ब्यौरे में अपना मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं जिसका प्रयोग भविष्य में सूचना भेजने के लिए किया जा सकता है।

10. सभा में मतदान

कार्यसूची मद पर चर्चा के पश्चात, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दोनों मदों के संबंध में मतदान का आदेश देंगी। इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किए जाने वाले जांचकर्ताओं के पर्यवेक्षण में मतदान होगा। मतदान के पश्चात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैठक की समाप्ति की घोषणा करेंगी। मतदान के परिणाम और ई–वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक अपने वेबसाइट पर करेगा और उसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को देगा।

मद संख्या 3 के लिए व्याख्यात्मक विवरणपत्र

क) बैंक, बैंकिंग व्यवसाय एवं इससे संबंधित गतिविधियों का कारोबार करता है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी, ₹ 3000 करोड़ (रुपए तीन हजार करोड़ मात्र) है । यथा दिनांक 31 मार्च, 2014 को बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 642.26 करोड़ है।

ख) वर्तमान में हमारे बैंक में भारत सरकार की शेयर धारिता ₹ 428.36 करोड़ है, जो बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का 66.70% है। 31 मार्च, 2014 को पूंजीगत निधि से जोखिम भारित आस्तियां निम्नातनुसार हैं:

विवरण	राशि (₹ करोड़ों में)	पूंजीगत निधि से जोखिम भारित आस्तियों का % बेसल–III
जोखिम भारित आस्तियां	3,47,702	
साधरण इक्विटी पूँजी	23,770	6.84
अतिरिक्त टियर– ।	1,389	0.40
टियर–। पूंजी	25,159	7.24
टियर –।। पूंजी	9,499	2.73
कुल पूंजी	34,659	9.97

ग) प्रति शेयर रु. 205.70 के प्रिमीयम पर प्रत्येक ₹ 10/– प्रत्येक के 4,63,60,686 कोर इक्विटी शेयर जारी कर के अधिमानी आबंटन के माध्यम से दिसम्बर 2013 माह में केन्द्र सरकार ने पूँजी के रूप में ₹ 1000 करोड की राशि लगाई है।

(xvi) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account. However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

(xvii) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.

(xviii) The results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

(xix) Kindly note that once you have cast your vote you cannot modify or vote on poll at the Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

(xx) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com.

(xxi) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

10. Poll at the Meeting

After the agenda item has been discussed, the Chairperson will order Poll in respect of both the items. Poll will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. After conclusion of the Poll, the Chairperson may declare the meeting as closed. The Results of the Poll aggregated with the results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

Explanatory Statement for item No. 3

a) The Bank is in the business of the banking and related activities. Presently, the Authorized Capital of the Bank is ₹ 3000 Crore. The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 31st March 2014 was ₹ 642.26 Crore.

b) Presently, the shareholding of Government of India in our Bank is ₹ 428.36 Crore which constitute 66.70% of total paid up capital of the Bank. The capital funds to Risk Weighted Assets as on 31stMarch 2014 is as under:

Particulars	Amount ₹ In Crores	% of capital funds to risk weighted assests under Basel-III
Risk Weighted Assets	3,47,702	
Common Equity Capital	23,770	6.84
Additional Tier-I	1,389	0.40
Tier-I Capital	25,159	7.24
Tier-II Capital	9,499	2.73
Total Capital	34,659	9.97

c) The Central Government infused an amount of ₹ 1000 Crore as capital in the month of December 2013 through Preferential Allotment of equity by issue of 4,63,60,686 Crore Equity Shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 205.70 per share.

घ) बैंक विगत कई वर्षों से 20% के औसत वृद्धि दर के साथ तेजी से आगे बढ रहा है। लम्बी अवधि के संसाधनों एवं बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित सामान्य उधार प्रयोजनों के लिए करोबार बढाने हेतु निधियों की बढती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, बैंक क्वॉलिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट / फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर / इक्विटी शेयरों की निजी प्लेसमेंट टियर-1 बोंड्स, टियर-2 बॉन्ड्स, सेबी (पूंजीनिर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2009 एवं अब तक यथा संशोधित तथा इस संबंध में सेबी / आरबीआई के विनियमनों/दिशानिर्देशों के अनुरूप अधिमानी शेयरो द्वारा निधियां जुटाने का प्रस्ताव रखता है।

ङ) वर्तमान संकल्प का पारित किया जाना इसलिए प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मंडल उपरोक्त अधिमानी निर्गम एवं आबंटन कर सके।

प्रस्तावित अधिमानी इश्यू के उद्देश्य :

पूंजी पर्याप्तता से संबंधित बासेल (II एवं III) अपेक्षाओं के अनुपालन के उद्देश्य से, पूंजी उठाने की सतत् आवश्यकता रहती है। सरकार के स्वामित्व की वित्तीय संस्थानों और बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए बैंकों में अतिरिक्त इक्विटी पूंजी लगाने का भारत सरकार का प्रस्ताव है। इस प्रकार अर्जित पूंजी का प्रयोग, बैंकों की पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने और बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

इस पूँजी पर्याप्तता को आंतरिक जनरेशन एवं इस विषय पर आरबीआई और सेबी के दिशानिर्देशों के अनुपालन अंतर्गत इक्विटी एवं बासेल II समर्थित ऋण लिखतों/अधिमानी शेयरों को जारी कर के पूरा किया जा सकता है।

उपरोक्त कारणों से, संलग्न नोटिस की मद संख्या-3 में उक्त संकल्प को प्रवृत्त बनाने के लिए अनुमोदन किया जाता है कि इश्यू के निबंधनों को संपूर्ण बनाने हेतु बोर्ड को पर्याप्त अनुकुलता एवं अधिकार प्रदान करें।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखित संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।

बैंक के कोई भी निदेशक उपरोक्त संकल्प(ल्पों) में रुचिधारक अथवा संबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से

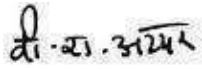

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 मई, 2014

(श्रीमती वी. आर. अय्यर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

d) The Bank is growing at a rapid pace at an average growth rate of 20% over the last many years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purpose as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds by way of Qualified Institutions placement/ Follow on public officer / Private placement of Equity Shares, Tier-I Bonds, Tier-II Bonds, Preference Shares in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009 and as amended upto date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard.

e) Object of the Proposed Issue:

With a view to comply with Basel (II & III) requirements relating to capital adequacy, there is an ever increasing need to raise capital. The capital raised would utilize to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

This capital requirement can be met by a combination of internal generation, issuance of equity and BASEL III compliant debt instruments/ preference shares subject to RBI and SEBI guidelines on the subject.

f) For reasons aforesaid, the enabling resolution as set out in item No. 3 of the accompanying notice is therefore recommended to provide adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue(s).

The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s).

By order of the Board

Place: Mumbai
Date: 30th May, 2014

(Mrs. V. R. Iyer)
Chairperson & Managing Director

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा जाए)

फोलियो क्र. _____ डीपी आईडी नं. _____

(यदि डीमेट न किया गया हो)

ग्राहक आई डी नं. _____

(यदि डीमेट किया गया हो)

मैं/हम _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयरधारक हूं/हैं और मैं/हम एतदद्वारा

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____

को या वह न होने पर श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से दिनांक 10 जुलाई, 2014 को आयोजित बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में और संबंधित बैठक के स्थगन की स्थिति में मतदान के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूं/करते हैं।

2014, माह _____ की _____ तारीख को हस्ताक्षरित।

परोक्षी के हस्ताक्षर _____

नामः _____

पताः _____

_____

रसीदी टिकट

_____

प्रथम /एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

1. कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह,
   - क. एकमात्र शेयरधारक व्यक्ति के मामले में शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्तारक्षरित नहीं होगी।
   - ख. संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत ॲटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हों।
   - ग. निगमित निकाय के मामले में लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिकारी या ॲटर्नी द्वारा हस्तारक्षरित नहीं होगी।
2. परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उनके अंगूठे का निशान वहां लगा है तो वह निशान न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
3. कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत रसीदी टिकट न लगा हो और उसे निम्नतलिखित पते पर वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले जमा नहीं कराया गया हो। उसके साथ उस पॉवर ऑफ़ ॲटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पावर ऑफ़ ॲटर्नी की प्रति या अन्य प्राधिकार जिसे नोटरी अथवा न्यायाधीश ने सत्य प्रति के रुप में प्रमाणित किया हो, को बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो।

   बैंक ऑफ़ इंडिया, निवेशक संपर्क विभाग, प्रधान कार्यालय, 8 वीं मंजिल, स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051.
4. बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
5. विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
6. परोक्षी की लिखत को निष्पादित करने वाले शेयरधारक वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
7. किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।

बैंक ऑफ़ इंडिया
BANK OF INDIA

Head Office: Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051.

PROXY FORM

(To be filled by the shareholders)

Folio No. _____ DP ID _____

(if not dematerialized)

Client ID _____

(if dematerialized)

I/We, resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a shareholder/shareholders of Bank of India, hereby appoint Shri/Smt _____ resident of _____ in the District of _____ in the state of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ Resident of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Meeting of the Shareholders of Bank of India to be held on the July 10th, 2014 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2014.

Name : _____

Address: _____

_____

Revenue Stamp

_____

Signature of first named/sole shareholder

INSTRUCTIONSFOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her attorney, duly authorised in writing.
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the **Bank at Bank of India, Investor Relations Department Head Office, 8th Floor Star House, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.**
4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting.
7. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank.

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश–पत्र–सह–मतदान पेपर पास
वार्षिक आम बैठक

दिनांक : गुरूवार, 10 जुलाई, 2014, दोपहर : 3.00 बजे

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी–5, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS
ANNUAL GENERAL MEETING

Date : Thursday, 10th July 2014, 3.00 P.M.

At the Bank's Auditorium, Bank of India, C 5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Mumbai, 400 051

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry)

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (सदस्य/परोक्षी/एआर) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	फोलियो क्र. ग्राहक आईडी नं. डीपी आईडी नं. FOLIO N0./DPID No./CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या No. of Shares

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of Shareholder/Proxy/Representative present(perforation)

प्रवेश पत्र

(पूरी बैठक के दौरान अपने पास रखा जाए)

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

वार्षिक आम बैठक दिनांक : गुरुवार, 10 जुलाई, 2014, दोपहर : 3.00 बजे

ANNUAL GENERAL MEETING Date: Thursday, 10th July 2014, 3.00 P.M.

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (सदस्य/परोक्षी/एआर) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	फोलियो क्र. ग्राहक आईडी नं. डीपी आईडी नं. FOLIO N0./DPID No./CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या No. of Shares

हमारा दृष्टिकोण

''कंपनियों, मध्यम श्रेणी व्यापारियों और दूरदाराज के छोटे आम ग्राहकों का मनपसंद बैंक बनना, छोटे व्यापारियों, ग्रामीण बाजारों और सामान्य बाजार को लागत प्रभावी विकासमान बैंकिंग प्रदान''।

Our Vision

"To become the bank of choice for corporates, medium businesses and upmarket retail customers and to provide cost effective developmental banking for small business, mass market and rural markets".

हमारा लक्ष्य

''सर्वश्रेष्ठ और व्यावहारिक बैंकिंग भूमंडलीय बाजारों में प्रदान करने के लिए एक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुए लागत प्रभावी और दायित्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना और ऐसा करते हुए हमारे पूंजी निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करना''।

Our Mission

"To provide superior, proactive banking services to niche markets globally, while providing cost-effective, responsive services to others in our role as a development bank, and in so doing, meet the requirements of our stakeholders".

हमारी गुणवत्ता नीति

हम, बैंक ऑफ़ इंडिया को पसंदीदा बैंक बनाने हेतु अपने ग्राहकों और सरंक्षकों को, **उत्कृष्ट, व्यवहार्य, नवोन्मेषी, अत्याधुनिक** बैंकिंग सेवाएं तत्परता और शालीनता से प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

Our Quality Policy

We, at Bank of India, are committed to become the Bank of Choice by providing SUPERIOR, PROACTIVE, INNOVATIVE STATE OF THE ART Banking Services with an attitude of Care and Concern for the Customers and Patrons.

नोटस Notes

नोटस Notes

फोटो दीर्घा / PHOTO GALLERY

रुपे डेडिकेशन इवेंट के दौरान भारत के राष्ट्रपति से सराहना प्राप्त करते हुए हमारे कार्यपालक निदेशक, श्री बि. पी. शर्मा

Our Executive Director, Shri B. P. Sharma receiving appreciation from President of India during the Rupay Dedication Event.

श्री रघुराम राजन (आरबीआई गवर्नर) बैनकॉन में वक्तव्य देते हुए. श्रीमती वी. आर. अय्यर (सीएमडी), श्री के. आर. कामथ (आईबीए के अध्यक्ष) तथा श्री आर. कोटीश्वरन (ईडी) भी उपस्थित है.

Shri Raghuram Rajan (RBI Governor) addressing the gathering at the BANCON. Also seen Smt. V. R. Iyer (CMD), Shri K. R. Kamath (Chairman of IBA) and Shri R. Koteeswaran (ED).

बैनकॉन के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कार्यपालक निदेशक, श्री अरुण श्रीवास्तव.

Shri Arun Shrivastava, Executive Director addressing the August gathering at the BANCON.

Instant Money Transfer

withdraw cash without card

1ST PSU BANK'S INITIATIVE

Now instantly transfer money through ATM/Internet for your dear ones to withdraw it at ATM without card

In just three easy steps money is transferred instantly

1. Register the recipient by SMS or Internet Banking
2. Send the IMT through bank's IMT enabled ATMs or Internet Banking
3. Issuance of IMT confirmed to sender & recipient on SMS, then recipient can walk to bank's IMT enabled ATM & withdraw IMT without card

Mobile phones are mandatory for this service.*

For further details visit your nearest branch or call **1800 220 229** (Toll free) or visit **www.bankofindia.co.in**

Bank of India

Relationship beyond banking

प्रधान कार्यालय
स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
फोन नं. : 66684444
वेबसाइट : www.bankofindia.co.in

HEAD OFFICE
Star House, C-5, 'G' Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051. Phone : 66684444
E-mail : headoffice.share@bankofindia.co.in
Website : www.bankofindia.co.in

Orient Press Ltd.

प्रधान कार्यालय :
वित्त विभाग
स्टार हाउस
वान्द्रा कुर्ला संकुल आठवीं मंजिल
प्लॉट सं. सी 5 , जी ब्लॉक
वान्द्रा पूर्व , मुंबई 400 051
दूरध्वनि : 6668484041
इमेल: HeadOffice.Comptrollers@bankofindia.co.in

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI
Bank of India

HEAD OFFICE:
Finance Department,
Star House,
Bandra Kurla Complex, Eighth flr.
Plot No. C-5, G-Block
Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Phone : 66684854
E-mail: HeadOffice.Comptrollers@bankofindia.co.in

1.	Name of the Company	Bank Of India
2.	Annual financial statements for the year ended	31st March 2014
3.	Type of Audit observation	Matter of Emphasis
4.	Frequency of observation	Appeared first time

Krishnakumar K. Nair
Chief Financial Officer

Neeraj Bhatia
Chairman, Audit Committee

Mrs. V. R. Iyer
Chairperson & Managing Director

Statutory Central Auditors

For M/s. SRB & Associates Chartered Accountants (FRN 310009E) Sanjeet Patra Partner M. No. 056121	For M/s. Isaac & Suresh Chartered Accountants (FRN 001150S) Benny Joseph Partner M. No. 200689	For M/s. M M Nissim And Co. Chartered Accountants (FRN 107122W) Sanjay Khemani Partner M. No. 044577
For M/s. D. Singh & Co. Chartered Accountants (FRN 001351N) Simran Singh Partner M. No. 098641	For M/s. J. P., Kapur & Uberai Chartered Accountants (FRN 000593N) Deepak Menon Partner M. No. 084225	For M/s. Andros & Co. Chartered Accountants (FRN 008976N) Om Prakash Lakra Partner M. No. 081431
Place: Mumbai Date : May 15, 2014		

True Copy

बैंक ऑफ़ इंडिया BANK OF INDIA
प्र.का. H.O.
निवेशक संबंध विभाग
Investor Relations Dept

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

The Members of Bank of India,
Star House, C-5, 'G' Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400 051.

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of India for the year ended 31st March, 2014 as stipulated in Clause 49 of the listing agreement of the said Bank with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the bank for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

As required by the Guidance Note issued by the Institute of Chartered Accountants of India, we have to state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the bank as per the records maintained by the Shareholders' and Investors' Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

M/s. SRB & Associates
Chartered Accountants
(FRN 310009E)

Sanjeet Patra
Partner
M. No. 056121

M/s. Isaac & Suresh
Chartered Accountants
(FRN 001150S)

Benny Joseph
Partner
M. No. 200689

M/s. M M Nissim And Co.
Chartered Accountants
(FRN 107122W)

Sanjay Khemani
Partner
M. No. 044577

M/s. D. Singh & Co.
Chartered Accountants
(FRN 001357N)

Simran Singh
Partner
M. No. 098641

M/s. J. P., Kapur & Uberai
Chartered Accountants
(FRN 000593N)

Deepak Menon
Partner
M. No. 084225

M/s. Andros & Co.
Chartered Accountants
(FRN 008976N)

Om Prakash Lakra
Partner
M. No. 081431

True Copy

Place: Mumbai
Date : May 15, 2014